

July to September 2024
E-Journal
Volume I, Issue XLVII

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Scientific Journal Impact Factor- 8.054
ISO 9001:2015 - E2024049304
(Quality Management System)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)



नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, NEEMUCH (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website www.nssresearchjournal.com


Index


01. Index	02
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board	08/09
03. Referee Board	10
04. Spokesperson	12
05. Indian Instrumental Music: A Comprehensive Study of its Evolution (Dr. Praveen Bhatia)	14
06. Role of Emotional Intelligence in the Organization (Reena Salvi, Dr. Rashmi Singh)	18
07. Assessing the Toxic Effects of the Selected Heavy Metals on Freshwater Fish Populations	22
(Dr. Shashi Parmar, Atul Parmar, Osin Koli)	
08. बाल श्रम समस्या एवं समाधान : भारतीय परिपेक्ष्य में (डॉ. विभा शर्मा)	28
09. भगवतधाम् शिवरीनारायण (डॉ. रामरतन साहू, वर्षा सूर्यवंशी)	32
10. किन्नरों की दयनीय दशा (डॉ. डोमन प्रसाद चन्द्रवंशी)	34
11. महात्मा गांधी का नैतिक दर्शन (राजेश कुमार पालीवाल)	36
12. An Overview of Secularism and Religious Freedom in India	38
(Dinesh Chaudhary, Dr. Rekha Mali)	
13. Functionalism and Psychological Analysis in Understanding Superstitious Beliefs,	42
A Part of Nepalese Culture (Dr. Poonam R L Rana)	
14. Appointment Procedures for Ministers and Administrative Officials by the Ancient Indian	48
Scholars (Astha Vellanki Ratnam)	
15. The Rise of Social Commerce : How Social Media is Changing the Way We Shop	52
(Sunil Suryavanshi)	
16. स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवादी, दार्शनिक विचार और वर्तमान में प्रासंगिकता (डॉ. साहेबराव झरबड़े)	55
17. राजस्थान के जयपुर जिले की द्रव्यवती नदी जीर्णोद्धार परियोजना के सन्दर्भ में जल प्रदूषण नियंत्रण	57
का विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. कीर्ति चौधरी, सविता शर्मा)	
18. भील जनजाति की महिलाओं के शैक्षिक विकास में शासकीय योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन	60
(डॉ. दीपक गर्ग, बरखा अलंसे)	
19. मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका (डॉ. मोहन निमोले, दशरथ प्रसाद)	65
20. Key Challenges Faced by Farmers in Transitioning to and Sustaining Organic Farming	68
Practices In Madhya Pradesh (Dr. Mohan Nimole, Aashish Panwar)	
21. A Density Functional Theory Analysis on Syngas Interaction (Adsorption) on Ceria (001)	72
Surface (Kartikay Pandey, Parth Gupta, Dr. Anjul Singh)	
22. नागार्जुन के काव्य में नारी जीवन (बबिता कुमारी)	79
23. Empowering Sustainability: The Impact of AI on Green IT Innovations	82
(Dr. Khatoon Aftab Kathawala)	
24. भीलवाड़ा नगर की जनसंख्या के सन्दर्भ में नगरीकरण का भौगोलिक विश्लेषण-2011 की जनगणना के	85
आधार पर (शबनम तंवर, डॉ. काश्मीर कुमार भट्ट)	

25. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - एक विश्लेषण(मनोज टाक, डॉ. कनिया मेड़ा).....	96
26. संस्कृत नाट्योत्पत्ति एवं प्रयोजन (डॉ. नलिनी तिलकर).....	98
27. Role and Challenges of Media in Strengthening Indian Democracy.....	100
(Anshul Kumar Agrawal, Tejasvi Dubey)	
28. राजस्थान में जलग्रहण प्रबंधन (संजय सिंह गुर्जर, डॉ. एल. सी. अग्रवाल).....	103
29. The Legal Study of International Environmental Conventions (Vijaya Laxmi Joshi).....	107
30. ऋग्वैदिककाल से सूत्रकाल तक का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन.....	111
(डॉ. अमित कुमार ताम्रकार)	
31. Traditional Ecological Values of Indian Knowledge System in <i>The Forest of Enchantments</i>	114
by Chitra Divakaruni Benerjee (Dr. Sehba Jafri)	
32. Impact of Performance Appraisal Systems on Employee Motivation: A Comparative Study.....	117
of State Bank of India and HDFC Bank (Dr. B.M.S. Bhadauria, Diksha Mishra)	
33. जनजातीय क्षेत्रों में मौसमी पलायन के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन (अलीराजपुर जिले के संदर्भ में.....	122
एक अध्ययन) (सज्जनसिंह मौर्य)	
34. किशोर बालक-बालिकाओं में फास्ट फूड के प्रति अभिरुचि का अध्ययन (दमोह शहर के संदर्भ में).....	124
(डॉ. आराधना श्रीवास)	
35. आदिवासी सामाजिक कला एवं परंपराएं (डॉ. एम. एल. अवाया).....	126
36. अनुसूचित जातियों की राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं निर्णय निर्माण में भागीदारी: मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में....	128
(डॉ. रमन प्रकाश, लाल कुमार साकेत)	
37. भारत में अंतरंगी व्यापार कैसे खत्म करें? (रिचा अग्रवाल).....	132
38. हिन्दी साहित्य में निबंध परम्परा और भाषा (डॉ. रोशनलाल अहिरवार).....	141
39. Caribbean Literature: A Journey Through Identity, History and Resilience (Pooja Sharma).....	146
40. A Study on the usage of E-Payment Systems in E-Commerce.....	148
(Dr. Pawan Kushwah, Divya Badole)	
41. व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से डेयरी उद्योग की प्रगति में तालमेल को बढ़ावा देने के लिए कौशल और.....	151
ज्ञान की बढ़ती महत्ता और आवश्यकता (अर्पिता राजपूत, डॉ. सीमा कुमारी)	
42. Sustainable Agricultural Practices for Improving Soil Fertility Through Plant Management.....	153
(Dr. Ragini Sikarwar)	
43. निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का वित्तीय अध्ययन (डॉ. रूपेश कुमार जमरे).....	156
44. Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) on Financial Accounting.....	158
Quality (Dr. Neha Bhandari (Nahar))	
45. The Inner Aspects of Paul in D.H Lawrence's Sons and Lovers (Dr. Purwa Kanoongo).....	160
46. An Empirical Review of HR Practices and Modernization in India's Retail Sector.....	162
(Sawood Mansoori, Prof. (Dr.) Rakesh Tiwari)	
47. EER-Energy-Efficient Routing In MANET with Max-Energy Node Selection and Average.....	171
Path Energy Optimization (Deepti Chaturvedi, Dr. B.L. Rai)	
48. अमरकांत के उपन्यास साहित्य में चित्रित स्त्री की समस्याएँ (स्मिता मिठोरा, डॉ. वंदना अग्रिहोत्री).....	177
49. हजारी प्रसाद द्विवेदी : मानवीय एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण (श्रीमती पूनम सिंह).....	179

50.	शिवमूर्ति : समकालीन कथा साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर (डॉ. प्रिया सिंह)	182
51.	जैन दर्शन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : सिद्धांतों और प्रभावों का विश्लेषण (डॉ. रेखा चौर्डिया)	184
52.	देश में एक राष्ट्र- एक चुनाव : लाभ और चुनौतियाँ एक अध्ययन (डॉ. पल्लवी नंदी)	186
53.	धार जिले से पलायन के कारण और राजनीतिक प्रभाव (शिवराम देवके, डॉ. मनिष चौधरी)	188
54.	Critical Appraisal of Toru Dutt's 'Our Casuarina Tree' 'Lotus' and 'Sita' (Dr. Dinesh Parmar).....	191
55.	मुद्रा लोन: बिना गारण्टी ऋण योजना (डॉ. राजेश कुमार सिंह तिवारी)	193
56.	हिन्दी कथा साहित्य में ग्रामीण संस्कृति (मनोज कुमार सरगड़ा)	194
57.	प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पश्चिमी मध्यप्रदेश की जनजाति का योगदान (सुनिल चौहान)	197
58.	Human Rights & Climate Change: Remedies of Environment Protection in World	199
	(Anamika Arora)	
59.	अमृतलाल नागर का नारी विषयक दृष्टिकोण (शैलेश निषाद, प्रो. शैलेन्द्र कुमार शर्मा)	204
60.	मधुबनी एवं वरली कलाओं का तुलनात्मक अध्ययन (मीना, डॉ. निशा गुप्ता)	206
61.	भील जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर आधुनिकीकरण का प्रभाव	208
	(डॉ. रणजीत कुमार मीणा)	
62.	Occurrence of Ground Water in Basaltic Rocks of Malwa Plateau Region,	212
	Madhya Pradesh, India (Pradeep Bagde)	
63.	सूचना के अधिकार की भ्रष्टाचार को रोकने में भूमिका (डॉ. लोकेश कुमार शर्मा)	214
64.	Search for Self in Chitra Benerjee Divakaruni's Literature (Dr. Vandana Singh, Varsha Tiwari) ...	217
65.	Disabled Students in the State of Madhya Pradesh, India : An Imperial Study	220
	(Roshani Pandey)	
66.	A Study on Tax Perception of Individual Assessed and Investment Decision	222
	(in Respect of Barwani District) (Dr. Krishna Bhuriya, Vivek Solanki)	
67.	Impact of Share Buyback on Small-Cap Companies' Share Prices in India:	227
	A Short-Term Analysis (Manish Kumar Gupta, Dr. Navneet Kaur Bhatia)	
68.	अभिराज राजेन्द्र मिश्र के आधुनिक काव्य में सामाजिक मूल्यों पर चिन्तन (श्रीमती राजश्री जोशी)	232
69.	मैथिलीशरण गुप्त और साकेत (डॉ. श्रीमती बिन्दू परस्ते)	236
70.	इतिहास की सामग्री (डॉ. मधु वालिया)	238
71.	A Comparative Study of Socio-Economic Status on PVTGs of Chhattisgarh	240
	(Dr. Kapil Kumar Chandra, Dr. Sunil Kumar Kumeti)	
72.	वर्तमान में भारत में निरन्तर जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान (श्रीमती मिनाक्षी भार्गव)	245
73.	The Psychological and Physical Demands of Wrestling: A Focus on Athlete	247
	Performance and Resilience in India (Dr. Neelam Yadav, Shashank Gurjar)	
74.	Road Map for Commerce and Management Education in Digital Era	250
	(Dr. Narendra Marwada, Dr. Divya Solanki)	
75.	Sustainable Development : National Interest vs International Interest (Dr. Shweta Tewani)	255
76.	भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और समाचार पत्र (हरीश)	257
77.	मध्य प्रदेश में एमएसएमई के विकास और चुनौतियों का अध्ययन (डॉ. जी. एल. खांगोडे, शिवानी जायसवाल)	259

78. भारतीय संस्कृति में पशुओं का अध्ययन : अश्व के विशेष संदर्भ में (शिवलाल) 262
79. चूरु जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बालकों में मुटापे की प्रत्याशा 264
का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. पवन कुमार)
80. An Analytical Study of Impact of Modern Technology on Profitability of Sanchi Dugdh Sangh 267
(Shruti Vidyarthi)
81. मन्दसौर जिले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता फोरम का योगदान 269
(मनोज कुमार सोलंकी, डॉ. लक्ष्मी नारायण शर्मा)
82. Pioneers of Modern Art (Dr. Ramashanker Mishra) 276
83. हिन्दी साहित्य में दलित चेतना का विकास (मनोज कुमार) 278
84. एथलीटों के अंतर्मुखी व्यक्तित्व लक्षणों और खेल प्रदर्शन के स्तर का एक सहसंबंधनात्मक अध्ययन 281
(योगेंद्र सिंह राजपूत)
85. अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र के विद्यार्थियों कि शारीरिक योग्यता, चरों का एक तुलनात्मक अध्ययन 283
(महेश कुमार शर्मा)
86. भामह और उनका काव्यालंकार (डॉ. पी.एस. बघेल) 285
87. मनरेगा का महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव : कोटा जिले का अनुभवमूलक अध्ययन (डॉ.अंजना जाटव) 287
88. घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन 290
(निशा यादव, डॉ. कल्पना शर्मा)





Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India
18. Prof. Dr. Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnood, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

Referee Board

Maths	-	(1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.) (2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1) Prof. Dr. Umesh Kr. Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.) (2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.) (3) Prof. Dr. Jolly Garg, HOD, D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.)
Life Science	-	(1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.) (2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statistics	-	(1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.) (2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1) Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
**** Commerce ****		
Commerce	-	(1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.) (2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) (3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.) (4) Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)
**** Management ****		
Management	-	(1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources-	(1)	Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Admin.	-	(1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.) (2) Dr. Kuldeep Agnihotri, Modern Group of Institutions, Indore (M.P.)
**** Law ****		
Law	-	(1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.) (2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.) (3) Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.) (4) Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)
**** Arts ****		
Economics	-	(1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.) (2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) (3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.) (4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.) (2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.) (3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.) (2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) (3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

- Hindi - (1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
(3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
(5) Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- English - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
(2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
- Sanskrit - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
- History - (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
- Geography - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
- Psychology - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
(2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
- Drawing - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
- Music/Dance - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
(2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
- ***** Home Science *****
- Diet/Nutrition Science - (1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
(3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
- Human Development - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
- Family Resource Management - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
- ***** Education *****
- Education - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
(2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.)
(3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
(4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana)
(5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
- ***** Architecture *****
- Architecture - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
- ***** Physical Education *****
- Physical Education - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
(2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
(3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
- ***** Library Science *****
- Library Science - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Guidance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagrade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anoopur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
57. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
59. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
60. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70. Dr. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P.)
71. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapur (M.P.)
72. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
74. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
77. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83. Prof. Dr. Ram Awdesha Sharma - M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Indian Instrumental Music: A Comprehensive Study of its Evolution

Dr. Praveen Bhatia*

*Associate Professor (Music Instrumental) Rajkiya Kanya Mahavidyalaya, Shimla (Himachal Pradesh) INDIA

Abstract : Music as a genre is widely classified into two types- Vocal and instrumental. The Instrumental Music is known as “Vadhya Sangeet”. Indian instrumental music is a crucial aspect of Indian culture that reflects the country’s vast cultural heritage and has significantly influenced the global music scene. As every art needs a strong medium to express its apparatus and uniqueness, similarly, a musical instrument is a medium to express the musical ‘Nada’, which has significance all over the world. The present paper explores the rich and diverse history of Indian instrumental music, tracing its origins and examining its evolution through various historical periods. Furthermore, it highlights the role of key instruments and musicians in shaping Indian instrumental music and discusses its contemporary significance. By examining archaeological evidence, historical texts, and scholarly analyses, this paper aims to provide a comprehensive understanding of the development and impact of Indian instrumental music.

Keywords: Music, Instrument, evolution, musicians, contemporary significance.

Introduction - Indian music is one of the oldest and most diverse musical traditions in the world. The roots of Indian instrumental music can be traced back to ancient times, characterized by a complex interplay of cultural, religious, and social influences. From the resonant sounds of the Vedic chants to the sophisticated compositions of classical music, Indian instrumental music has evolved into a multifaceted art form. This study aims to explore the origins and development of Indian instrumental music, analyzing its historical context, key instruments, and prominent figures. By understanding the past, we can better appreciate the contributions of Indian instrumental music to both Indian culture and the global music landscape.

Objectives:

1. To investigate the origins of Indian instrumental music and its historical context.
2. To analyze the development of key instruments and styles over time.
3. To explore the influence of external cultures on Indian instrumental music.
4. To examine the role of prominent musicians and their contributions.
5. To assess the contemporary relevance of Indian instrumental music.

Methodology: This research is based on a comprehensive review of historical texts, archaeological findings, and academic literature. It utilizes qualitative analysis to explore the cultural, historical, and social factors that have shaped Indian instrumental music. Additionally, the study

incorporates insights from interviews with musicians and musicologists to provide a nuanced understanding of the subject.

Indian Classical Music: Vocal music involves meaningful words in any language combined with musical notes known as *Swaras*. In contrast, instrumental music uses the same *swaras*, but instead of words, it employs *Boles*. These *boles* replace lyrics and are used to create music through musical instruments. For example, in compositions for plucked instruments, *boles* like “Da,” “Dir,” and “Dara” are played. Indian classical music is mainly individualistic in nature. Consequently, our instruments are designed to be played solo. Indian musicians view music as a path to reach divinity, which is why they engage in ‘*swara-sadhana*’ (tone-culture) while singing or practicing their instruments. They become so immersed in this practice that they lose awareness of their surroundings, merging their identity with ‘*Nadabrahma*’. This solo nature of Indian musical instruments aligns with the individualistic approach to music. In Indian classical music, there are no fixed or pre-written compositions. Each instrumentalist acts as a composer and has complete freedom to interpret the medium of their choice, within the framework of a raga.

History and Development of Indian Instrumental Music: Musical instruments have played a significant role in the evolution and development of Indian classical music. The history of Indian instrumental music is vast and detailed. To better understand this extensive history, it can be divided into three main periods: ancient times, the medieval era,

and the present day.

1. The Vedic Period: The origins of Indian instrumental music can be traced back to the Vedic period (approximately 1500–500 BCE), during which music was an integral part of religious and cultural practices. The Vedas, ancient sacred texts of Hinduism, provide the earliest evidence of musical activities in India.

Music in the Vedic Texts: The Vedas, particularly the Samaveda, are rich in musical content. The Samaveda consists of melodies called “Saman,” which were chanted during religious rituals. These chants were the precursors to the development of both vocal and instrumental music in India. The Vedic hymns were often accompanied by various musical instruments. The Veena, a stringed instrument, is mentioned in the Rigveda, highlighting its significance in early Indian music. Other instruments such as the Dundubhi (a type of drum), Vanshuri (flute), and Conch were also used during this period.

Instruments of the Vedic Era

(a) Veena: The Veena, a plucked string instrument, is one of the oldest and most revered instruments in Indian music. It is mentioned numerous times in the Vedic texts and has been associated with the goddess Saraswati, symbolizing knowledge and arts. The design and structure of the Veena have evolved over time, giving rise to various forms such as the RudraVeena and SaraswatiVeena.

(b) Dundubhi: The Dundubhi is an ancient percussion instrument, resembling a kettle drum. It was used in both religious ceremonies and martial contexts. The sound of the Dundubhi was believed to possess spiritual power, often used to invoke deities or signify important events.

(c) Venu (Flute): The Venu or flute holds a prominent place in Indian mythology and culture. Made from bamboo, it is associated with Lord Krishna, who is often depicted playing the flute. The Vedic references to the Venu highlight its melodic role in early Indian music.

2. Classical Indian Music: The Development of Hindustani and Carnatic Traditions: The evolution of Indian instrumental music is significantly marked by the development of two major classical traditions: Hindustani and Carnatic music. These traditions, while sharing common roots, have distinct characteristics shaped by regional, cultural, and historical influences.

(a) Hindustani Classical Music: Hindustani classical music, primarily practiced in Northern India, has its roots in the ancient musical traditions of the Vedic and medieval periods. The influence of Persian and Mughal cultures during the medieval era played a significant role in shaping Hindustani music.

(b) Historical Background: The medieval period witnessed the fusion of indigenous Indian music with Persian elements, leading to the development of distinct ragas and talas. This synthesis was facilitated by the patronage of Mughal emperors, who encouraged musical innovation and experimentation.

(c) Key Instruments:

i) Sitar: The sitar, a plucked string instrument, became synonymous with Hindustani music. It evolved from the Veena and was further refined by musicians like Amir Khusro and Pandit Ravi Shankar.

ii) Tabla: The tabla, a pair of drums, is integral to Hindustani music. Its rhythmic complexity and versatility have made it a staple in classical performances.

iii) Sarod: The sarod is another prominent string instrument known for its deep, resonant sound. It evolved from the Afghan rubab and gained prominence in the 18th century.

(d) Influential Musicians:

i) Tansen: A legendary figure in Hindustani music, Tansen was a court musician of Emperor Akbar. He is credited with creating several ragas and significantly influencing the Hindustani tradition.

ii) Amir Khusro: A polymath and musician, Khusro is often credited with introducing Persian elements to Indian music. His contributions laid the foundation for the development of Hindustani music.

3. Carnatic Classical Music: Carnatic music, predominantly practiced in Southern India, retains a strong connection to the ancient musical traditions of the Vedic period. Unlike Hindustani music, Carnatic music remained relatively untouched by external influences.

(a) Historical Background: Carnatic music's development was closely linked to the Bhakti movement, emphasizing devotional themes. The compositions of saints like Thyagaraja, MuthuswamiDikshitar, and Syama Sastri form the core of Carnatic repertoire.

Key Instruments:

i) Veena: The SaraswatiVeena is a fundamental instrument in Carnatic music, known for its intricate and expressive sound.

ii) Mridangam: The mridangam is a percussion instrument that provides rhythmic accompaniment in Carnatic performances. It is renowned for its dynamic and nuanced rhythmic patterns.

iii) Violin: The violin, adapted to the Carnatic style, plays a crucial role in both solo and ensemble performances.

(b) Influential Musicians:

i) Thyagaraja: One of the greatest composers in Carnatic music, Thyagaraja's compositions is revered for their lyrical beauty and spiritual depth.

ii) M. S. Subbulakshmi: A legendary vocalist, Subbulakshmi's renditions of Carnatic music has captivated audiences worldwide, earning her the title of “Nightingale of India.”

4. The Impact of Persian and Mughal Influence: The interaction between Indian and Persian cultures during the medieval period had a profound impact on the evolution of Indian instrumental music, particularly in the Hindustani tradition.

Persian Contributions: Persian musicians and scholars introduced new musical concepts, instruments, and styles

to the Indian subcontinent. The fusion of Persian and Indian musical elements gave rise to unique forms and compositions.

(a) Introduction of New Instruments

i) Sitar: The sitar, a quintessential instrument of Hindustani music, has Persian origins. Its design and playing technique evolved over time, incorporating Indian musical elements.

ii) Sarangi: The sarangi, a bowed string instrument, is believed to have been influenced by the Persian rebab. It became a prominent accompaniment for vocal music in the Hindustani tradition.

b) Development of Ragas: The Persian influence led to the development of new ragas, incorporating Persian scales and modes. This resulted in a richer and more diverse repertoire in Hindustani music.

i) Mughal Patronage: The Mughal emperors, particularly Akbar, were great patrons of the arts and played a crucial role in the flourishing of Indian music. They encouraged the synthesis of Persian and Indian musical traditions, leading to innovative compositions and performances.

Akbar's Court and Tansen: Tansen, one of the Navaratnas (Nine Gems) in Akbar's court, was instrumental in popularizing the fusion of Indian and Persian musical styles. His compositions and innovations laid the foundation for the modern Hindustani tradition.

The Role of the Sufi Tradition: The Sufi tradition, with its emphasis on spiritual and mystical themes, significantly influenced Indian music. The qawwali, a form of devotional music, emerged from this synthesis, blending Persian and Indian musical elements.

5. Folk Music and Regional Traditions: In addition to the classical traditions, Indian instrumental music is deeply rooted in folk music and regional traditions. These styles reflect the diverse cultural landscape of India and have contributed to the richness of Indian music.

(a) Folk Instruments: Indian folk music is characterized by a wide variety of instruments, each unique to its region and cultural context. These instruments often reflect the daily lives, rituals, and traditions of the communities they belong to:

i) Dhol: The dhol is a double-headed drum widely used in Punjabi and Bhangra music. Its energetic beats are synonymous with celebrations and festivities.

ii) Shehnai: The shehnai, a wind instrument, is commonly played at weddings and auspicious occasions in North India. Its melodious sound is believed to bring good fortune.

iii) Pungi: The pungi, also known as the snake charmer's flute, is a traditional wind instrument associated with folk music in Rajasthan and other regions.

(b) Regional Styles: Each region of India has its own distinct musical style, shaped by local traditions, languages, and cultures. These regional styles have enriched the diversity of Indian instrumental music.

i) Baul Music (West Bengal): Baul music, characterized by its mystical and devotional themes, is a folk tradition of

West Bengal. The ektara, a one-stringed instrument, is commonly used in Baul performances.

ii) Lavani (Maharashtra): Lavani is a traditional folk music and dance form from Maharashtra, known for its lively rhythms and expressive performances. The dholki, a percussion instrument, is an integral part of Lavani music.

(c) Gamelan (Northeast India): In Northeast India, particularly in Manipur and Assam, the Gamelan tradition reflects the cultural influence of Southeast Asia. The xylophone-like instruments and metallophones are central to this musical style.

6. The Role of Indian Instrumental Music in Religion and Spirituality: Indian instrumental music has always been closely linked to religion and spirituality. It serves as a medium for expressing devotion, enhancing rituals, and facilitating meditation and transcendence.

(a) Music in Hindu Worship: In Hinduism, music is considered a divine art form that elevates the soul and connects individuals with the divine. Instruments like the Veena, Mridangam, and Flute are often used in temple rituals and devotional music.

i) Bhajans and Kirtans: Bhajans and kirtans are devotional songs that often incorporate instrumental accompaniment. Instruments like the harmonium, tabla, and cymbals enhance the spiritual experience of these performances.

ii) Sufi Music and Mysticism: Sufi music, with its roots in Islamic mysticism, emphasizes the spiritual journey and union with the divine. Instruments like the rabab, sarangi, and daf are commonly used in Sufi performances.

iii) Qawwali: Qawwali is a form of Sufi devotional music characterized by powerful vocals and rhythmic clapping. The harmonium and tabla provide instrumental support, creating an immersive and transcendent experience.

(b) Buddhist Chanting and Meditation: In Buddhist traditions, music and chanting play a vital role in meditation and spiritual practices. Instruments like the singing bowl, bells, and woodwind flutes are used to create a serene and meditative atmosphere.

7. Contemporary Indian Instrumental Music: Innovations and Global Influence: In recent years, Indian instrumental music has witnessed significant innovation and global influence. Musicians have embraced new technologies and genres, creating a fusion of traditional and contemporary styles.

(a) Fusion Music: Fusion music, blending Indian classical and folk elements with Western genres, has gained popularity worldwide. This genre reflects the adaptability and versatility of Indian instrumental music.

i) Shakti: The band Shakti, led by guitarist John McLaughlin and tabla virtuoso Zakir Hussain, pioneered the fusion of Indian classical music with jazz. Their innovative compositions have inspired countless musicians globally.

ii) Anoushka Shankar: Anoushka Shankar, a prominent sitarist and composer, has explored diverse musical landscapes, collaborating with artists from various genres.

Her work exemplifies the seamless blending of Indian and Western musical elements.

(b) Technological Advancements: Technological advancements have opened new possibilities for Indian instrumental music. Electronic instruments, digital recordings, and online platforms have expanded the reach and accessibility of Indian music.

i) Electronic Fusion: Electronic fusion music combines traditional Indian instruments with electronic beats and effects. Artists like Karsh Kale and Nucleya have popularized this genre, attracting a global audience.

ii) Online Platforms and Education: The internet has revolutionized the way Indian music is accessed and learned. Online platforms provide tutorials, performances, and collaborations, making Indian instrumental music more accessible to a global audience.

Conclusion: The origin and evolution of Indian instrumental music is a testament to the rich cultural heritage and diversity of India. From its ancient roots in the Vedic period to its contemporary global influence, Indian instrumental music continues to inspire and captivate audiences worldwide. This study highlights the historical development, key instruments, influential figures, and contemporary innovations that have shaped Indian instrumental music. By understanding its origins and evolution, we gain a deeper appreciation for its contributions to both Indian culture and the global music scene.

References:-

1. Bakhle, Janaki. *Two Men and Music: Nationalism in the Making of an Indian Classical Tradition*. Oxford University Press, 2005.
2. Brown, Katherine Butler, and Ghulam Rasool Santosh. *Music in the Mughal Court*. Oxford University Press, 2007.
3. Deshpande, Vamanrao H. *Indian Musical Traditions: An Aesthetic Study of the Gharanas in Hindustani Music*. Popular Prakashan, 1987.
4. Deva, B.C. (1993). *Musical instruments*. National Book Trust, 1993.
5. Durga, S.A.K. *Ethnomusicology: A study of intercultural musicology*. B.R. Rhythms, Reprint, Divine Books, 2004.
6. Kaufmann, Walter. *The Ragas of North Indian Music*. Indiana University Press, 1968.
7. Kuppaswamy, Gowry, and M. Hari Haran. *Indian music; A prospective*. Sandeep Prakashan, 1980.
8. Lavezzoli, Peter. *The Dawn of Indian Music in the West: Bhairavi*. Continuum International Publishing Group, 2006.
9. Patnaik, Praveen. *Music: Cross-cultural perception*. Common wealth Publishers, 2006.
10. Sharma Swatantra, and Pratibha Prakashan. *Fundamentals of Indian music*. Delhi: Oriental Publishers & Book Sellers, 1996
11. Soumya, S. "A Study on the Origin of Indian Instrumental Musi." *International Journal of Engineering and Management Research*, vol.12, issue 2, Apr. 2022.

Role of Emotional Intelligence in the Organization

Reena Salvi* Dr. Rashmi Singh**

*Ph. D Scholar, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.) INDIA

** Assistant Professor, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract: Emotional intelligence (EI) is characterised as the skill to observe an individual's own and the other person's emotions, to discern diverse emotions and understand them properly, and to practice emotional data to direct thinking pattern and behaviour. The present paper aims to explain the significance and need for Emotional Intelligence (EI) in the Organization. To achieve the aim of this paper, various research papers and articles have been reviewed. Salovey and Mayer (1990, Mayer & Salovey 1997) and Goleman (1998) with their theoretical research work and book explained the significance of emotional intelligence in organizations. Goleman developed 5 dimensions of Emotional Intelligence known as "self-awareness, self-regulation, empathy, motivation and social abilities". The incorporation of emotional intelligence into an organization model can have significant effects on achieving various organizational goals. It was found that EI increases team performance, job satisfaction, and leadership ability. EI enriches teamwork, enhances effective communication, improves the workplace environment, boosts organizational commitment, fosters a positive service environment, and contributes to customer satisfaction. EI is correlated with traits like perseverance, self-control, resilience and performance under pressure. For effective organizational outcomes, emotional quotient tests or assessments can be used in hiring or entry-level processes.

Keywords: Emotional Intelligence, Organization, Job Satisfaction, Leadership, Team Performance.

Introduction - In recent centuries, behavioural sciences have gained significant attention in the field of organizational setups. Researchers are exploring the relationship between rational behaviour or logic and emotions. The concept of emotional intelligence has evolved with time. Thorndike (1920) paved the way for understanding emotions and named it "social intelligence", Gardner (1983) and Sternberg (1988) explained emotional intelligence as "intrapersonal intelligence". Later, the concept of emotional intelligence was introduced by Salovey and Mayer in the year of 1990. Emotional intelligence is the "ability to monitor one's own and other's feelings and emotions, to discriminate among them, and to use this information to guide one's thinking and actions" (Salovey & Mayer, 1990).

Different approaches are used to study emotional intelligence, the trait and the ability approach are the main dominant approaches. The trait approach includes dispositional tendencies such as self-efficacy beliefs or personality traits and that can be assessed by self-report questionnaires. The ability approach includes mental ability based on emotional information processing and can be evaluated with performance tests.

Emotional Intelligence and Leadership: Many researchers believe emotional intelligence has a connection with leadership roles. Emotional intelligence gives the strength to evaluate folks more evidently and meticulously

and establish a link between individuals and also cultivates a sense of sensitivity, balanced emotions and a solid blend of cognitive ability (rational, abstract understanding and creative thinking), public skills (interpersonal abilities, communication abilities and influence abilities) (Batool, 2013). Emotional Intelligence significantly influences effective leadership by concentrating on 5 vital components of leader effectiveness: cultivation of communal objectives and purposes; breeding and upholding enthusiasm, confidence, optimism, collaboration, and conviction; inculcating in others a gratefulness for work accomplishments; promoting flexibility in judgment processes and adjustment; and creating and preserving an eloquent individuality for an institution (George, 2000). A study led by Cavallo and Brienza (2001) at an organization stated that emotional skill distinguishes effective leaders. High-accomplished managers were perceived as having significant levels of Self-Management capability, Self-Awareness, Public Skills and Organizational Understanding, which are assumed components of the emotional intelligence domain. Emotional intelligence enhances the leadership qualities of charisma, intellectual stimulation and administration by exception and contingent reward (Wagner, 2013).

Styles of leadership have a relationship with various aspects of emotional intelligence. Burns (1978) defined two

types of leadership. Transformational leadership is defined as a leader encourages subordinates to rise above their personal benefits under the requirements of the organization. This builds trust, allegiance from followers and also motivation to achieve higher outcomes. Brass and Avolio (1990) stated that transformational leadership yields organizational change and emotional intelligence is closely related to the use of transformational behaviour. Kumar (2014) analysed the association between emotional intelligence and transformational leadership and established that features of emotional intelligence like self-awareness, motivation and empathy have a thorough relation with transformational leadership elements like personal impact, inspirational motivation and personalised consideration. Bass (1998) believes transformational leaders permit their followers to face conflict or stress successfully and provide safety and tolerance in times of uncertainty. He defined transactional leaders as those who give special importance to work ethics, projects, and task-oriented goals. Transactional leaders discipline followers for the desired outcome and motivate them for their personal interest. Transactional leaders are task-motivated, so they often have emotional intelligence abilities like self-motivation and self-awareness that show the link between transactional leadership and emotional intelligence (Ivanova, 2016). According to Weisinger (2000), there is a high association between transactional leadership and self-motivation. Self-awareness with Self-motivation and a minimal amount of emotional mentoring focus all consideration on the course of task execution, rather than the other builds their robust relationship with transactional leadership rather than transformational leadership appears rational in hindsight.

Team Emotional intelligence: Teams denote a vital approach to getting accomplished all tasks in an organization. Team emotional intelligence can be defined as the capability of a group to develop a set of rules that lead the emotional involvement in a group in an efficient way. Emotional management, emotional awareness, and internal and external relationship management are core team EQ skills. Teams with greater emotional intelligence fellows can employ their emotions in effectual means to get higher thinking and executive routes (Mayer et al., 2001). Team having emotional intelligence creates standards that boost communal faith among fellows, a feeling of team worth and a presence of team efficiency (Druskat & Wolff, 2001). Members having high emotional intelligence are more expected to seem trustworthy and unflinching because of their ability to deal with various emotionally strenuous organizational occasions successfully (Huy, 1999). Team emotional intelligence is adversely associated with team procedure (i.e. relationship clash and task clash) and positively associated with team efficacy (i.e. group performance, cohesion and innovation) (Lee and Wong, 2017). Emotional intelligence encourages team conviction that in turn, develops a cooperative culture

which boosts the creativity of the team and cognitive reliance regulates the connection between co-operative culture and team creativity (Barczak et al. 2010). Differing emotional intelligence skills are connected to particular teamwork behaviour, which plays an important role during different stages of teamwork (Clarke, 2010). Garcia-Buades et al., 2020 stated that sharing positive outlooks during work shifts might impact the team's attitudinal (e.g. group satisfaction), motivational (e.g., group goal commitment) and behavioural (e.g. proactive behaviour) procedures. Emotional intelligence is a trait that promotes an affirmative connection between psychological resemblance and team unity, so administrators should make a team with akin interest employees (Lu & Fan, 2017). Clarke (2010) investigated the role of emotional intelligence capabilities in side the learning culture of teams and found that emotional intelligence skills such as emotional management and emotional awareness impact the three crucial consideration procedures: problem-solving, action planning, hypothesising causal relations, as well as procedures related with group learning comprising group credentials, communication, communal commitment and conflict regulation. Teams with a lack of emotional intelligence environments are linked with having work and interpersonal conflict and high conflict force, therefore, a group emotional intelligence environment regulates the connection between work conflict and negative responses to conflict (Ayoko et al., 2008).

Emotional Intelligence and Performance: Emotional intelligence is an essential element for an administration's performance and progress and plays a vital role in today's cut-throat competitive organizational environment. People with greater emotional intelligence execute better on cognitive jobs and better negotiate with the obstruction or helplessness that comes from bumping into challenging tasks (Schutte et al., 2001). Entities with high emotional intelligence seem to display a greater level of performance results. There is an association found between emotional intelligence and two features of task outcomes ("work performance" and "two types of institutional citizenship behaviours- compliance and altruism") (Carmeli and Josman, 2009). Emotional intelligence is accountable for defining success and mental well-being which plays a significant role during contact between administrators and subordinates in their task process (Jorfi et al., 2010). Decision-making styles arbitrate the association between emotional intelligence and sub-domains of personal task performance (Adaptive performance, Work performance and contextual performance) (Akram and Siddiqui, 2019). Poor management skills can decrease performance. Higher emotional intelligence traits are positively correlated with recovery from stress during work tasks (Arora, 2011). Executives with developed emotional intelligence demonstrate greater excellence in performance as related to their executives with lesser emotional intelligence

(Khokhar et al., 2009).

Furthermore, a highly significant link is found between job satisfaction and emotional intelligence (Elias & George, 2012). Personnel with better emotional intelligence are regularly in a positive mood and mental state and they exhibit a greater job satisfaction level and well-being (in contrast to employees with lesser emotional intelligence) (Carmeli, 2003). In various professions, emotional intelligence acts as a significant contributor to job skills, job opportunities, needed skills and occupation success (Mousavi et al., 2012). Singh and Singhal (2015) established the association between emotional intelligence and consumer satisfaction and established that EI factor such as the maturity of the administrator is the foremost contributor to consumer satisfaction. In organizations communication skills are essential, especially in service-rendering organizations. EI and its dimensions such as "self-management and self-awareness" have a positive influence on the communication abilities of employees (Raeissi et al., 2023).

Conclusion: Promoting emotional intelligence can influence significantly to the success of an organization. Emotional intelligent leaders can handle organizational ups and downs. They can comprehend the requirements of personnel and create a productive work environment accordingly. So, they can become good managers, supervisors, and HR. Emotional intelligent team members show more cooperation to each other and they uplift each other's spirit in adverse times. Employees with greater emotional intelligence are better performers and satisfied with their jobs and have greater communication skills. Incorporation of emotional intelligence in organizational models and scrutinizing EI at the entrance level can be a great addition to organizational effectiveness. Furthermore, more research scope was found on emotional intelligence and its association with employees and organizational outcomes.

References:-

1. Akram, H., & Siddiqui, D. A. (2019). *Impact of Emotional intelligence on individual work performance of employees with the mediating role of decision-making styles: Evidence from Pakistan*. SSRN.
2. Alston, B. A., Dastoor, B. R., & Sosa-Fey, J. (2010). Emotional intelligence and leadership: A study of human resource managers. *International Journal of Business and Public Administration*, 7(2), 61-76.
3. Antonova Ivanova, D. (2016). Emotional intelligence and leadership.
4. Arora, S., Russ, S., Petrides, K. V., Sirimanna, P., Aggarwal, R., Darzi, A., & Sevdalis, N. (2011). Emotional intelligence and stress in medical students performing surgical tasks. *Academic Medicine*, 86(10), 1311-1317.
5. Ayoko, O. B., Callan, V. J., & Härtel, C. E. (2008). The influence of team emotional intelligence climate on conflict and team members' reactions to conflict. *Small Group Research*, 39(2), 121-149.
6. Barczak, G., Lassk, F., & Mulki, J. (2010). Antecedents of team creativity: An examination of team emotional intelligence, team trust and collaborative culture. *Creativity and innovation management*, 19(4), 332-345.
7. Bass, B. M. (1997). Does the transactional–transformational leadership paradigm transcend organizational and national boundaries?. *American psychologist*, 52(2), 130.
8. Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1990). Developing transformational leadership: 1992 and beyond. *Journal of European industrial training*, 14(5).
9. Batool, B. F. (2013). Emotional intelligence and effective leadership. *Journal of business studies quarterly*, 4(3), 84.
10. Burns, J. M. (1978). Transformational leadership theory. *Leadership*.
11. Carmeli, A. (2003). The relationship between emotional intelligence and work attitudes, behavior and outcomes: An examination among senior managers. *Journal of Managerial Psychology*, 18(8), 788-813.
12. Carmeli, A., & Josman, Z. E. (2006). The relationship among emotional intelligence, task performance, and organizational citizenship behaviors. *Human performance*, 19(4), 403-419.
13. Cavallo, K., & Brienza, D. (2002). Emotional competence and leadership excellence at Johnson & Johnson: The emotional intelligence and leadership study. *Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations*, 1, 12.
14. Clarke, N. (2010). Emotional intelligence and learning in teams. *Journal of Workplace Learning*, 22(3), 125-145.s
15. Druskat, V. U., & Wolff, S. B. (2001). Building the emotional intelligence of groups. *Harvard business review*, 79(3), 80-91.
16. García-Buades, M. E., Peiró, J. M., Montañez-Juan, M. I., Kozusznik, M. W., & Ortiz-Bonnín, S. (2020). Happy-productive teams and work units: A systematic review of the 'happy-productive worker thesis'. *International journal of environmental research and public health*, 17(1), 69.
17. George, J. M. (2000). Emotions and leadership: The role of emotional intelligence. *Human relations*, 53(8), 1027-1055.
18. Huy, Q. N. (1999). Emotional capability, emotional intelligence, and radical change. *Academy of Management review*, 24(2), 325-345..
19. Jorfi, H., Jorfi, S., & Moghadam, K. (2010). Impact of emotional intelligence on performance of employees. *Postmodern Openings*, 1(4), 63-74.
20. Kumar, S. (2014). Establishing linkages between emotional intelligence and transformational leadership.

- Industrial Psychiatry Journal*, 23(1), 1.
21. Lee, C., & Wong, C. S. (2019). The effect of team emotional intelligence on team process and effectiveness. *Journal of Management & Organization*, 25(6), 844-859.
 22. Lu, L., & Fan, H. L. (2017). Strengthening the bond and enhancing team performance: Emotional intelligence as the social glue. *Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance*, 4(3), 182-198.
 23. Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2000). Emotional intelligence as zeitgeist, as personality, and as a mental ability
 24. Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2004). TARGET ARTICLES: "emotional intelligence: Theory, findings, and Implications". *Psychological inquiry*, 15(3), 197-215.
 25. Mousavi, S. H., Yarmohammadi, S., Nosrat, A. B., & Tarasi, Z. (2012). The relationship between emotional intelligence and job satisfaction of physical education teachers. *Annals of Biological Research*, 3(2), 780-788.
 26. Raeissi, P., Zandian, H., Mirzarahimy, T., Delavari, S., Moghadam, T. Z., & Rahimi, G. (2023). Relationship between communication skills and emotional intelligence among nurses. *Nursing Management*, 30(4).
 27. Schutte, N. S., Schuettpelez, E., & Malouff, J. M. (2001). Emotional intelligence and task performance. *Imagination, Cognition and Personality*, 20(4), 347-354.
 28. Singh, P., & Singhal, R. (2015). Emotional intelligence & customer satisfaction in Indian banks. *Indian Journal of Industrial Relations*, 70-80.
 29. Wagner, B. (2013). Impacts of emotional intelligence on leadership effectiveness. *New Challenges of Economic and Business Development*, 2, 654-669.
 30. Weisinger, H., & Cali, R. L. L. (1999). Emotional intelligence at work: The untapped edge for success.

Assessing the Toxic Effects of the Selected Heavy Metals on Freshwater Fish Populations

Dr. Shashi Parmar* Atul Parmar** Osin Koli***

* Associate Professor (Zoology) SBP Govt. College, Dungarpur (Raj.) INDIA

** Associate Professor (Geography) SBP Govt. College, Dungarpur (Raj.) INDIA

*** Assistant Professor (Zoology) Gurukul PG College, Dungarpur (Raj.) INDIA

Abstract : Heavy metals are pervasive contaminants in freshwater ecosystems, posing significant threats to aquatic environment. The most common heavy metals are arsenic, chromium, aluminium and mercury, which affect human health and are considered systemic toxicants. This study aims to highlight the issue of pollution in the fresh water aquatic ecosystems and fish health through comprehensive assessment and analysis. Key objectives include evaluating the concentrations of heavy metals in water bodies and sediments, assessing bioaccumulation levels in fish tissues, and elucidating physiological and biochemical responses in exposed fish. Results indicate that heavy metal toxicity negatively affects the growth, reproduction and physiology of fish, causing threat to the sustainable development of the fisheries and aquaculture sector.

Keywords: heavy metals, fish health, fresh water fish, metal toxicity.

Introduction -In the recent era environmental pollution posing a major challenge to the modern society. There are various environmental contaminants among them heavy metals are of greater concern due to not only their toxicity for living organisms and aquatic life but also possessing the potentiality of bioaccumulation in the food chain (Garalet *et al.*, 2021). Heavy metals are a unique class of naturally occurring elements that persist in the environment for a long time and are not biodegradable (Kanamarpudi *et al.*, 2018). The sources of heavy metals into the environment could be natural or anthropogenic activities such as mining, industrial discharge agricultural runoff etc. These heavy metals ultimately end up in aquatic ecosystems, then subsequently enter into the body of aquatic organisms and in the course of the food chain, these metals enter into the body of higher animals (Authman *et al.*, 2015, Eroglu *et al.*, 2015, Mokarat *et al.*, 2022). The frequent discharge of excessive heavy metals into water bodies cause deleterious effects on aquatic animals. The ecological equilibrium is disrupted due to accumulation of heavy metals because these metals interfere physiological, metabolic and cellular functions of living organisms (Arisekar *et al.*, 2020, Hussain *et al.*, 2022). At higher concentrations, these heavy metals become a concern for aquatic habitats because frequently the biological system itself alone is not able to destroy those kinds of substances rapidly (Paul *et al.*, 2019, Abbas *et al.*, 2021). Since fish are at the top of the food chain in most of the aquatic environments and are the most responsive to

the toxic effects of heavy metal exposure. In addition, being one of the most abundant vertebrates, fish can directly affect humans through food intake; therefore, fish can be employed to assess the extent of environmental pollution in an aquatic environment.

It is reported that excess quantity of heavy metals in water produces Reactive Oxygen Species (ROS), which subside the water quality and detrimental for aquatic life by causing oxidative stress (Aldoghachi *et al.*, 2016, Paul *et al.*, 2019, Kiran, *et al.*, 2021). Bioaccumulation of toxic heavy metals in the different tissues can harm animal health and eventually cause damage to normal physiological processes of the body (Malik *et al.*, 2014).

Because of the rapid economic development across the globe, large-scale emissions and pollution by heavy metals are of special concern. In the realm of environmental research, the detrimental impact of heavy metals on aquatic ecosystems, particularly freshwater environments, stands as a critical concern. Among the diverse array of aquatic life forms, freshwater fishes serve as vital indicators of ecosystem health, as their well-being is intrinsically linked to the quality of their surrounding habitat. According to International Agency for research on cancer and also US environmental protection agency which are also working / researching on cancer they classified these metals which are toxic to freshwater fishes as carcinogen. (sabhaa k.AL-Taee, Karam H., Al-Mallah and Hana Khlsmail, 2020). It is also reported that it is highly carcinogenic, teratogenic and

mutagenic. How much it can affect a particular kind of species is depend on its dose and exposure time it vary with the species. (Garai *et al.*, 2021)

The present study seeks to delve into the intricate relationship between heavy metal contamination in fresh water bodies and its adverse effects on freshwater fish populations. Through a holistic understanding of the intricate interplay between heavy metal contamination and freshwater fish health, stakeholders can formulate evidence-based policies and interventions to mitigate the pervasive threat posed by heavy metals and ensure the long-term viability of freshwater ecosystems.

Material and Methods

1. ALUMINIUM (Al): Aluminum is a ubiquitous metal in the Earth's crust accounting for 8.1% of the Earth's mass [Sparling and Lowe, 1996]. Toxic metals, including aluminium (Al), negatively affect aquatic organisms. Al is naturally occurs exclusively in the +3-oxidation state (Al^{3+}) in combination with other elements such as oxygen, silicon and fluorine [Jones and Bennett, 1986, Ganrot 1986,]. Al^{3+} is the major component of a large number of minerals such as mica, feldspars and clays [Ganrot 1986,]. Through the weathering of rocks or minerals or through volcanic activities, it is released into the environment naturally. Al is commercially used in electrical engineering, transportation, construction, and in the manufacture of household utensils, appliances, packaging material and to manufacture particles in paints, pigments, and coatings in chemical and paper and textile industries. [Jones and Bennett, 1986,]. Aluminium sulphate ($Al_2(SO_4)_3$) is widely used to improve the clarity of drinking water [Pernitsky and Edzwald, 2006], and various Al compounds are used in processing, packaging, and the preservation of food (Stahl *et al.*, 2011).

In fishes, Al may be associated with gill damage due to its deposition and changes in osmoregulation, as well as with oxidative stress in lymphocytes (Galar-Martinez *et al.* 2010; Garcia-Medina *et al.* 2010). Al accumulates in the nervous system of freshwater vertebrates, where it can trigger oxidative stress, alter enzymatic activities, and neurotransmitters levels but also affect gene expression, cause astrogliosis and morphological changes, and impair behaviour and cognitive abilities. (Closset *et al.*, 2021)

A study by Hadi and Alwan 2012, in the freshwater fish *Tilapia zillii*, reported cellular hypertrophy or hyperplasia with cellular degeneration which results in necrosis of gill epithelial tissues and alteration of the circulatory system in fresh water fishes, when exposed to three different concentrations of Al. The fishes had symptoms of oedema, congestion, inflammation in the liver with atrophy of pancreatic tissue and activation Melan macrophage. In another study toxic effects of Al in the kidney was demonstrated which lead to severe degeneration in the tubules cells, irregular diameters of renal tubules with glomerular expansion, renal corpuscle damage and haemorrhage. (Authman, 2011)

2. CHROMIUM (Cr): Chromium is one of the most common trace elements found in the earth's crust and seawater (Bakshi and Panigrahi, 2018). This element is present in divalent (Cr^{2+}), trivalent (Cr^{3+}) or hexavalent (Cr^{6+}) oxidation states. Among these Cr^{3+} and Cr^{6+} are considered as the most stable forms (Velma *et al.*, 2009 and Vincent *et al.*, 1995). Due to low membrane permeability, non-corrosiveness nature and minimum power of bio magnifications in the food chain so Cr^{3+} oxidation state is less toxic as compared to the Cr^{6+} state, which is more toxic because of its strong oxidative potentiality and ability to cross the cell membrane (Ram *et al.*, 2019).

Various anthropogenic sources and industrial applications such as leather tanneries, metal processing, electric furnaces, corrosion inhibitors, petroleum refining, textile manufacturing, alloy preparation, wood preserving, steel industries and cooling towers are responsible for releasing Cr that leads to chromium toxicity in an aquatic ecosystem,. [Panov *et al.*, 2003, Huang *et al.*, 2004, Javed and Usmani, 2019, Garai *et al.*, 2021).

According to the physicochemical properties of the surface water, two forms of chromium may be present in the water environment, the trivalent Cr^{+3} and the hexavalent Cr^{+6} that can pass cell membrane and then reduced to trivalent. It is reported that these would combined with macromolecules as genetic materials and cause mutation (Svobodova, 1993; Bakshia and Panigrahi, 2018, Shahbaa *et al.*, 2020). It is also reported that it plays a vital role for carcinogenesis and stimulate oxidative stress (Eisler, 2000; Lushchak *et al.*, 2009).

Unlike other heavy metals, chromium enters the body through gills or digestive tracts, but it is reported that it has a lower ability to accumulate than others (Rashed,2001). Exposure of fish to acute toxicity causes an increase of mucous secretion and suffocation which leads to death while in chronic toxicity, chromium may severely affect kidneys causing reduction of renal function and renal tubular hypertrophy and vacuolisation of the head kidney's internal cells glomerular necrosis and fibrosis with stenosis of the tubular lumen (Mishra and Mohanty, 2008, Mishra and Mohanty, 2009, Tae *et al.*, 2020).

It is reported that blood coagulation time was decreased in the *Tilapia sparrmanii* when exposed to chromium, which reflects by internal bleeding with an increase of pH value (Vutukuru, 2003). Accumulation of chromium in the tissue of Indian major carp *Labeo rohita* leads to decreased total protein and lipid content in the muscle, liver and gill [24]. Likewise depletion of liver glycogen content was observed in a freshwater teleost *Colisa fasciatus*, on chromium exposure (Nath K, Kumar, 1987). Cr^{6+} toxicity showed osmoregulatory and respiratory dysfunction at pH 7.8 and 6.5 in rainbow trout, *Salmo gairdneri* (Van *et al.*, 2009]. Chronic exposure of chromium is reported to cause DNA damage, microscopic lesions, physiological abnormalities, and reduction in growth and survival rate in fishes (Faraq

et al,2006, Garai et al, 2021].

3. MERCURY (Hg): Mercury is considered as one of the most toxic heavy metal found in the environment. (Garai Et al, 2021). Due to huge industrialisation the 20th century Mercury contamination in the environment has increased rapidly (Grandjean et al, 2010). According to United State Environmental Protection Agency (EPA) and the Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) Mercury is reported to be rank third in the list of the hazardous substance of the environment after the two toxic agents, lead and arsenic (Pack et al, 2014).The inflow of mercury into an aquatic ecosystem occurs naturally as a result of volcanoes, oceanic emission, mineral deposits, crust degassing and forest fires (Washburn et al, 2018, Hylander and Meili, 2003).

Apart from elementary form, mercury is present in an ionic form which forms a compound with sulphide, chloride or organic acid and organic form, especially methyl mercury [103]. Literature suggests methyl mercury is the most chemically toxic form of mercury and 70-100% of mercury present in the fish body is of methylated form. Methylation of inorganic mercury occurs by microorganisms such as anaerobic sulphate-reducing bacteria, iron reducers, and methanogens [104,105]. Increase in water temperatures attributed to climate change which stimulates the methylation of mercury.

Methyl mercury is one of the most toxic compounds to fish usually generated through methylation of inorganic mercury by anaerobic microorganism as sulfate-reducing bacteria SRB, methanogens MPA and iron reducers FeRP (Pack et al., 2014). Methyl mercury is a highly lipophilic environmental contaminant, firstly reported in 1970 to cause pollution in Minamata Bay in Japan and massive human poisoning in Iraq (Bakir et al., 1973 and Tsubaki and Irudayaraj, 1977).

It is reported that fish has capacity to absorb mercury and heavy metals from the surrounding water as well as from the food they consume (et al, 2013). The amount of mercury content in fish relay upon the factors, such as the vicinity in which they live, food quality, the characteristics of the species and the absorption conditions [12]. The mercury content in fish increases with age, weight and length [Sackett et al, 2013]. Water pH and dissolved organic carbon content modify the uptake of Hg compounds. The highest concentration of Hg in fish muscle is observed when the pH of water is around 5 (Eisler et al, 2000). Various studies have concluded that fish poisoning with mercury compounds leads to brain damage and manifested itself as dilation of the gill covers, excessive mucus secretion, increased frequency of respiratory movements, decreased motility, abnormal motor coordination, loss of balance and a lack of appetite (Eisler et al, 2000, Brodziak et al, 2023).

4. Arsenic: Arsenic is a metalloid element which is abundant in the aquatic environment due to natural and anthropogenic processes (Rossman et al, 2003, Rabbane

et al, 2022). It is the 14th and 20th abundant element in saltwater and earth crust respectively (Popovic et al, 2001). It is a remarkable and ubiquitous environmental contaminant causes health issues to all living organisms [Jezierska et al, 2003]. Various research has demonstrated the adverse effects of arsenic on fish growth, mortality, development, RNA:DNA ratio, histopathology and genetic expression [Hayat et al, 2013,Foley et al, 2016, Ahmed et al, 2013,Banerjee et al, 2015, Minatel et al, 2017]. The World Health Organization (WHO) has also classified arsenic as one of the most dangerous chemicals to public health [Babich, et al, 2019].

Natural activities such as volcanic eruption, forest fires and weathering of rocks add a significant amount of arsenic in aquatic environment. (Malik et al, 2023). Various anthropogenic activities responsible to release arsenic into the environment [. Like, onferrous metal mining and smelting, combustion, wood preservation, fossil fuel processing, pesticide production and its application in agricultural fields, municipal and industrial waste disposal. (Nasser et al, 2020, Slimak et al, 1983). Arsenic, in its soluble forms, enters into the ground water and water bodies through runoff and leeching (Pongratz et al, 1998). Arsenic has been reported as highly toxic mineral found in the earth's crust which can enter the food chain through soil, water and plants. (Malik et al, 2023). The uncontrolled discharge of arsenic and its disastrous impact on fish diversity is a significant concern for aquaculture progress and economic stability. Continuous exposure of freshwater fish to the low concentration of arsenic consequences in bioaccumulation in the liver and kidney tissue (Kumari et al, 2016)]. This deposited arsenic in the fish imposes significant impairment to physiology and biochemical disorders including poisoning of gills, livers, decrease fertility, tissue destruction, lesions, and cell death. When arsenic enters in the cell and produces reactive oxygen species which increases the level of stress which centralises the oxidative enzymes and cortisol levels in fish. The (Malik et al, 2023)

In a study it is reported that lethal and sub-lethal arsenic exposure, stimulates different histopathological injuries in various organs in the fish and put impacts on the nervous, gastrointestinal, respiratory and cardiovascular systems (Kumari et al, 2016)]. Moreover, when *Tilapia mossambica*, *Channa punctatus*, *Cyprinus carpio*, *Anguilla anguilla* and *Mastacembelus armatus* exposed to heavy arsenic pollution, lamellae fusion, epithelial cell hyperplasia, necrosis, cystic formations within secondary lamellae epithelium and secondary lamellae loss were found in their gill tissue. (Ahmed et al, 2013, Javed et al, 2017, Gürcü et al, 2010, Yildiz et al, 2010). Since gills play an important role in fish by carrying out gas exchange, ion regulation and the emission of metabolic wastes thus they are considerably infected by water pollutants as a result of continual contact with water, and respiratory problems are

one of the early indications of pollution exposure. Kumari et al, 2016, Golam et al, 2022)

Conclusion: The findings of this study underscore the significant and varied toxic effects of aluminium, chromium, mercury, and arsenic on freshwater fish populations. Through comprehensive assessment and analysis, it is evident that these heavy metals accumulate in fish tissues, leading to adverse physiological and biochemical responses. Arsenic and mercury, in particular, exhibited substantial toxicity, impacting fish health, reproductive success, and overall population dynamics.

Moreover, the study highlights the interconnectedness between environmental contamination and human health risks, as heavy metal bioaccumulation in fish poses potential threats through the food chain. Understanding the mechanisms and pathways of heavy metal toxicity in freshwater ecosystems is crucial for developing effective environmental management and regulatory measures.

Recommendations: Based on the findings of this research, several recommendations are proposed to mitigate the impacts of heavy metal contamination on freshwater fish populations and ecosystems:

1. Enhanced Monitoring and Regulation: Implement rigorous monitoring programs to regularly assess heavy metal concentrations in water bodies and sediments. Strengthen regulatory frameworks to enforce limits on permissible levels of aluminium, chromium, mercury, and arsenic in aquatic environments.

2. Remediation Strategies: Develop and implement remediation techniques such as phytoremediation, bioremediation, and sediment dredging to reduce heavy metal concentrations in contaminated areas.

3. Public Awareness and Education: Increase public awareness regarding the sources, risks, and impacts of heavy metal pollution on freshwater ecosystems and human health. Promote sustainable practices in industry and agriculture to minimise pollutant runoff into water bodies.

4. Research and Innovation: Invest in further research to explore innovative technologies and approaches for mitigating heavy metal toxicity in aquatic environments. Foster interdisciplinary collaborations to advance understanding of ecological impacts and develop sustainable solutions.

5. Long-Term Monitoring and Assessment: Establish long-term monitoring programs to track changes in heavy metal concentrations, fish populations, and ecosystem health over time. Continuously evaluate the effectiveness of remediation efforts and adapt strategies as needed.

By implementing these recommendations, stakeholders can work collaboratively to protect freshwater ecosystems, preserve biodiversity, and safeguard public health from the detrimental effects of heavy metal contamination.

References:-

1. AAuthman MMN, Zaki MS, Khallaf EA, Abbas HH. Use

- of Fish as Bio-indicator of the Effects of Heavy Metals Pollution. *J Aquac Res Development*. 2015;6: 328.
2. Ahmed, K.; Mamun, H.A.; Parvin, E.; Akter, M.S.; Khan, M.S. Arsenic induced toxicity and histopathological changes in gill and liver tissue of freshwater fish, tilapia (*Oreochromis mossambicus*). *Exp. Toxicol. Pathol.* 2013, 65, 903–909.
3. AUTHMAN MMN.2011. Environmental and experimental studies of aluminium toxicity on the liver of *Oreochromis niloticus* (Linnaeus, 1758) fish. *Life Science Journal*, 8(4).
4. Bakshi A, Panigrahi AK. A comprehensive review on chromium induced alterations in fresh water fishes. *Toxicol Rep.* 2018, 5:440- 447.
5. Banerjee, S.; Mitra, T.; Purohit, G.K.; Mohanty, S.; Mohanty, B.P. Immunomodulatory effect of arsenic on cytokine and HSP gene expression in *Labeo rohita* fingerlings. *Fish Shellfish. Immunol.* 2015, 44, 43–49.
6. Brodziak-Dopiera^{3a}, B.; Fischer, A. Analysis of the Mercury Content in Fish for Human Consumption in Poland. *Toxics* 2023, 11,717.
7. Closset M, Cailliau K, Slaby S, Marin M. Effects of Aluminium Contamination on the Nervous System of Freshwater Aquatic Vertebrates: A Review. *Int J Mol Sci.* 2021, Dec 21;23(1):31.
8. EISLER R., 2000. Handbook of chemical risk assessment: Health hazards to humans, plants, and animals. Boca Raton: CRC Press, Lewis publishers. 4141, ISBN 9781566705066
9. Eisler, R. Handbook of Chemical Risk Assessment Health Hazards to Humans, Plants, and Animals; Lewis Publishers: Boca Raton, FL, USA, 2000, pp. 344–440
10. Farag AM, May T, Marty GD, Easton M, Harper DD, Little EE, et al. The effect of chronic chromium exposure on the health of Chinook salmon (*Oncorhynchus tshawytscha*). *Aquat Toxicol.* 2006, 76(3– 4):246–257.
11. Foley, C.J.; Bradley, D.L.; Höök, T.O. A review and assessment of the potential use of RNA:DNA ratios to assess the condition of entrained fish larvae. *Ecol. Indic.* 2016, 60, 346–357.
12. Garai P, Banerjee P, Mondal P, Saha NC (2021) Effect of Heavy Metals on Fishes: Toxicity and Bioaccumulation. *J Clin Toxicol.* S18:001.
13. Galar-Martinez M, Gomez-Olivan LM, Amaya-Chavez A, Razo-Estrada AC, Garcia-Medina S (2010): Oxidative stress induced on *Cyprinus carpio* by contaminants present in the water and sediment of Madín reservoir. *Journal of Environmental Science and Health A* 45, 875–882.
14. Ganrot P.O. Metabolism and possible health effects of aluminium. *Environ. Health Perspect.* 1986, 65:363–441.
15. Garcia-Medina S, Razo-Estrada AC, Gomez-Olivan LM, Amaya-Chavez A, Madrigal-Bujaidar E, Galar-Mar-

- tinez M (2010): Aluminum-induced oxidative stress in lymphocytes of common carp (*Cyprinus carpio*). *Fish Physiology and Biochemistry* 36, 875–882.
16. Grandjean P, Satoh H, Murata K, Eto K. Adverse effects of methylmercury: environmental health research implications. *Environ Health Perspect.* 2010, 118(8):1137-45.
 17. Gürcü, B.; Yildiz, S.; Koca, Y.B.G.; Koca, S. Investigation of Histopathological and Cytogenetic Effects of Heavy Metals Pollution on *Cyprinus carpio* (Linnaeus, 1758) in the Gölarmara Lake, Turkey. *J. Anim. Vet. Adv.* 2010, 9, 798–808.
 18. HADI AA, AND ALWAN SF. Histopathological changes in gills, liver and kidney of freshwater fish, *Tilapia zillii*, exposed to aluminium. 2012, 3(11):2071-2081.
 19. Hayat, S.; Javed, M.; Razzaq, S. Growth performance of metal stressed major carps viz. *Catla catla*, *Labeo rohita* and *Cirrhina mrigala* reared under semi-intensive culture system. *Pak. Vet. J.* 2007, 27, 8–12.
 20. Huang KL, Holsen TM, Chou TC, Yang MC. The use of air fuel cell cathodes to remove contaminants from spent chromium plating solutions. *Environ Technol (United Kingdom)*. 2004, 25(1):39–49.
 21. Hylander, L.D.; Meili, M. 500 years of mercury production: Global annual inventory by region until 2000 and associated emissions. *Sci. Total Environ.* 2003, 304, 13–27.
 22. Popovic A, Djordjevic D, Polic P. Trace and major element pollution originating from coal ash suspension and transport processes. *Environment International.* 2001, 26(4):251-255.
 23. Javed, M., Usmani, N. An Overview of the Adverse Effects of Heavy Metal Contamination on Fish Health. *Proc. Natl. Acad. Sci., India, Sect. B Biol. Sci.* 2019, 89, 389–403
 24. Jezierska, B.; Witeska, M. *Metal Toxicity to Fish*; Wydawnictwo Akademii Podlaskiej: Siedlce, Poland, 2001, 318p.
 25. Jones K.C., Bennett B.G. Exposure of man to environmental aluminium—an exposure commitment assessment. *Sci. Total Environ.* 1986, 52:65–82.
 26. Kanamarlapudi S. L. R. K., Chintalpudi V. K. & Muddada S. 2018 Application of biosorption for removal of heavy metals from wastewater. *Biosorption* 18, 69.
 27. K. AL Tae, S., Al-Mallah, K., Kh. Ismail, H. Review On Some Heavy Metals Toxicity On Freshwater Fishes. *Journal of Applied Veterinary Sciences*, 2020, 5(3), 78-86.
 28. Kumari, B.; Kumar, V.; Sinha, A.K.; Ahsan, J.; Ghosh, A.; Wang, H.; De Boeck, G. Toxicology of arsenic in fish and aquatic systems. *Environ. Chem. Lett.* 2016, 15, 43–64
 29. LUSHCHAK OV, KUBRAK OI, LOZINSKY OV, STOREY JM, STOREY KB, LUSHCHAK VI .2009. Chromium (III) induces oxidative stress in goldfish liver and kidney. *Aquatic Toxicol*, 93: 45-52.
 30. Malik DS, Maurya PK. Heavy metal concentration in water, sediment, and tissues of fish species (*Heteropneustis fossilis* and *Puntius ticto*) from Kali River, India. *Toxicol Environ Chem.* 2014, 96(8):1195-1206.
 31. Minatel, B.C.; Sage, A.P.; Anderson, C.; Hubaux, R.; Marshall, E.A.; Lam, W.L.; Martinez, V.D. Environmental arsenic exposure: From genetic susceptibility to pathogenesis. *Environ. Int.* 2017, 112, 183–197
 32. MISHRA AK, AND MOHANTY B. Histopathological Effects of Hexavalent Chromium in the Ovary of a Fresh Water Fish, *Channa punctatus* (Bloch). *Bull Environ Contam Toxicol.* 2008, 80:507– 511.
 33. Nasser NA, Patterson RT, Roe HM, Galloway JM, Falck H, Sanei H. Use of Arcellinida (testate lobose amoebae) arsenic tolerance limits as a novel tool for biomonitoring arsenic contamination in lakes. *Ecological Indicators.* 2020, 113:10617
 34. Nath K, Kumar N. Toxicity of manganese and its impact on some aspects of carbohydrate metabolism of a freshwater teleost, *Colisa fasciatus*. *Sci Total Environ.* 1987, 67(2–3):257–262.
 35. Pack EC, Lee SH, Kim CH, Lim CH, Sung DG, Kim MH, et al. Effects of environmental temperature change on mercury absorption in aquatic organisms with respect to climate warming. *J Toxicol Environ Heal - Part A Curr Issues.* 2014, 77:1477–90.
 36. Panov VP, Gyul'khandan'yan EM, Pakshver AS. Regeneration of exhausted chrome tanning solutions from leather production as a method preventing environmental pollution with chromium. *Russ J Appl Chem.* 2003;76(9):1476–8.
 37. Pernitsky D.J., Edzwald J.K. Selection of alum and polyaluminum coagulants: Principles and applications. *J. Water Supply Res. Technol. AQUA.* 2006;55:121–141. doi: 10.2166/aqua.2006.062.
 38. Pongratz R. Arsenic speciation in environmental samples of contaminated soil. *Science of the Total Environment.* 1998;224:133-141
 39. Rabbane, Md. Golam, Md. Alamgir Kabir, Md. Habibullah-Al-Mamun, and Md. Ghulam Mustafa. 2022. "Toxic Effects of Arsenic in Commercially Important Fish Rohu Carp, *Labeo rohita* of Bangladesh" *Fishes* 7, no. 5: 217.
 40. Rabbane, M.G.; Kabir, M.A.; Habibullah-Al-Mamun, M.; Mustafa, M.G. Toxic Effects of Arsenic in Commercially Important Fish Rohu Carp, *Labeo rohita* of Bangladesh. *Fishes* 2022, 7, 217.
 41. RASHED MN.2001. Monitoring of environmental heavy metals in fish from Nasser Lake. *Environ Int*, 27: 27-33
 42. Ram BK, Han Y, Yang G, Ling Q, Dong F. Effect of hexavalent chromium [Cr(VI)] on phytoremediation

- potential and biochemical response of hybrid napier grass with and without EDTA application. *Plants(Basel)*. 2019;8(11):515.
43. Rossman TG. Mechanism of arsenic carcinogenesis: An integrated approach. *Mutation Research/ Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis*. 2003;533(1-2):37-65
 44. Sackett, D.K.; Cope, W.G.; Rice, J.A.; Aday, D.D. The influence of fish length on tissue mercury dynamics: Implications on natural resource management and human health risk. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2013, 10, 638–659.
 45. Slimak M, Delos C. Environmental pathways of exposure to 129 priority pollutants. *Journal of Toxicology: Clinical Toxicology*. 1983;21(1-2):39-63
 46. Sparling D.W., Lowe T.P. Environmental hazards of aluminium to plants, invertebrates, fish, and wildlife. *Rev. Environ. Contam. Toxicol.* 1996;145:1–127.
 47. Stahl T., Taschan H., Brunn H. Aluminium content of selected foods and food products. *Environ. Sci. Eur.* 2011;23:1–11. doi: 10.1186/2190-4715-23-37.
 48. SVOBODOVÁ, Z.1993. Water Quality and Fish Health. FAO, Rome, EIFAC technical paper No. 54, 67pp.
 49. Taweel, A.; Shuhaimi-Othman, M.; Ahmad, A.K. Evaluation of copper, lead and arsenic level in tilapia fish in Cempaka Lake (Bangi, Malaysia) and human daily/weekly intake. *Biologia* 2013, 68, 983–991.
 50. Van Der Putte I, Laurier MBHM, Van Eijk GJM. Respiration and osmoregulation in rainbow trout (*Salmo gairdneri*) exposed to hexavalent chromium at different pH values. *Aquat Toxicol.* 2009;2(2): 99-112
 51. Velma V, Vutukuru SS, Tchounwou PB. Ecotoxicology of hexavalent chromium in freshwater fish: A critical review. *Rev Environ Health.* 2009;24(2):129-45.
 52. Vincent S, Ambrose T, Kumar LC, Selvanayagam M. Biochemical response of the Indian major carp, *Catla catla* (HAM.) to chromium toxicity. *Indian J. Environ. Health.* 1995;37:192-196.
 53. Vutukuru, S. Chromium Induced Alterations in Some Biochemical Profiles of the Indian Major Carp, *Labeo rohita* (Hamilton). *Bull. Environ. Contam. Toxicol.* 70, 0118–0123 (2003)
 54. Washburn, S.J.; Blum, J.D.; Kurz, A.Y.; Pizzuto, J.E. Spatial and temporal variation in the isotopic composition of mercury in the South River, VA. *Chem. Geol.* 2018, 494, 96–108.
 55. Yildiz, S.; Gürcü, B.; Koca, Y.B.; Koca, S. Histopathological and Genotoxic Effects of Pollution on *Anguilla anguilla* in the Gediz River (Turkey). *J. Anim. Vet. Adv.* 2010, 9, 2890–2899.
 56. Zrnčić, S.; Oraić, D.; Čižeta, M.; Mihaljević, Z.; Zanello, D.; Bilandžić, N. Biomonitoring of heavy metals in fish from Danube River. *Environ. Monit. Assess.* 2013, 185, 1189–1198.

बाल श्रम समस्या एवं समाधान : भारतीय परिपेक्ष्य में

डॉ. विभा शर्मा *

* सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान) एस.आर.के. राज. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजसमन्द (राज.) भारत

प्रस्तावना - बालक समाजरूपी बगिया के खिलते हुए पुष्प एवं राष्ट्र की बहुमूल्य सम्पत्ति है जिस समय में जीवन का निर्माण हो रहा होता है उस समय में बाल श्रमिक के रूप में नियोजन उन बालकों के लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण समाज एवं राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षतिकारी होता है।


बाल श्रम के बारे में जब भी हम कुछ सुनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में साईकिल का पंचर बनाने वाला चाय की थडी पर गिलास धोने वाले कूडा बीनने वाले की तस्वीर कौथती है। कल-कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अखबार और फेरी लगाने वाले एवं खनन उद्योग में काम कर रहे बच्चों को जिन्हें माता-पिता द्वारा रूपयों के लिए गिरवी रखा हो या इन क्षेत्रों में वे मजदूरी या बिना मजदूरी के काम कर रहे हैं को बाल श्रम की श्रेणी में माना गया है। भारतीय समाज जो एक कृषि प्रधान समाज है जहां संताने माता पिता के साथ कृषि एवं घर-गृहस्थी के काम में हाथ बंटते आए हैं उसको भी कई गैर सरकारी वैश्विक संगठनों द्वारा बाल श्रम की श्रेणी में रख दिया जाता है। बाल श्रम की समस्या समाधान एवं चुनौतियों को जानने के लिए श्रम एवं बाल श्रम के इसी महीन अन्तर को जानना एवं समझना आवश्यक है।

वैश्विक राज्यों के संगठन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के श्रम करने वालों को बाल श्रम की श्रेणी में माना गया है, वहीं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बाल श्रम की वय 15 वर्ष तय की गई है। भारतीय संविधान में किसी उद्योग, कल कारखाने या किसी कम्पनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5-14 वर्ष की उम्र के बच्चे को बाल श्रमिक माना गया है। बाल श्रम की समस्या केवल भारत तक ही सीमित न ही है वरन इसका स्वरूप वैश्विक है जिसके समाधान के लिए अलग-अलग देशों ने कई कदम उठाए हैं। इसी क्रम में भारत में भी बाल श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) कानून 1986 कारखाना अधिनियम 1948, खदान अधिनियम 1952, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, पेंसिल पोर्टल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2006 जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाकर बाल श्रम उन्मूलन की कोशिशें की गई हैं जिनसे बाल श्रम की समस्याओं के समाधान को गति एवं प्रगति मिली है परन्तु भारत जैसे विशाल जनांकिकी एवं भौगोलिक विविधताओं वाले देश में अभी इस दिशा में कई समस्याएं हैं, जिनके समाधान एवं इस ओर आने वाली चुनौतियों से पार पाने के लिए काम करना समय की महत्ती आवश्यकता है।

बाल श्रम के सम्बन्ध में सांख्यिकी - जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10.1 मिलीयन बाल श्रमिक है जबकि गैर सरकारी संगठनों के आंकड़े

इसे 5 करोड बताते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की रिपोर्टों के अनुसार कोविड महामारी के प्रभाव से बाल श्रमिकों की संख्या 160 मिलीयन हो गई है।

भारत के राज्यों में बाल श्रम की स्थिति



स्रोत जनगणना 2011

उपर्युक्त आरेख से स्पष्ट है कि राज्यों की दृष्टि से बाल श्रम में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है उसके बाद बिहार एवं राजस्थान में बाल श्रमिक है, झारखण्ड, गुजरात एवं महाराष्ट्र भी बड़ी संख्या में बाल श्रमिक वाले राज्य है।

लोकसभा में नवम्बर 2019 में बाल श्रम के सम्बन्ध में पुछे गए एक अतारांकित प्रश्न पर केन्द्रीय मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा दी गई सूचना में 2018-19 में 4586 निरीक्षण किए गए जिसमें 1325 निरीक्षणों में श्रम कानून उल्लंघन के मामले पाए गए जिनमें से 27 मामलों में अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं शून्य मामलों में आर्थिक दण्ड एवं जेल की सजा दी गई। इन समकों से स्पष्ट है कि किस तरह अभियोजन पक्ष की कमजोरी एवं कानून में मौजूद कमियों से आरोपियों को अन्ततः सजा नहीं मिल पायी।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की रिपोर्टों के अनुसार कोविड महामारी के प्रभाव से बाल श्रमिकों की संख्या 160 मिलीयन हो गई है। किन्तु यहां पर पुनः वहीं स्थिति देखने को मिलती है कि क्या पारिवारिक व्यवसायों में हाथ बंटाना क्या बाल श्रम की श्रेणी में सम्मिलित है एवं गैर सरकारी संगठनों, आई एल ओ व यूनिसेफ के प्रतिवेदनों में बाल श्रम के क्या मानक रखे गए हैं।

भारत में बाल श्रम निषेध कानून - स्वतन्त्रता के पूर्व से ही भारत में बालश्रम के सम्बन्ध में वैश्विक संगठनों के प्रयासों से कानून बनाए गए थे

जो भारतीय कारखाना अधिनियमों में सम्मिलित थे, स्वतन्त्रता के पश्चात भारत में संविधान में प्रावधान कर बालश्रम को निषेध किया गया। जिससे हम अपने आस-पास काम कर रहे कम उम्र के बालकों को बालश्रम के दलदल से बाहर निकालकर उनका खोया हुआ बचपन उन्हें लौटाकर एक बेहतरीन नागरिक बना सके।

1. संविधान का अनुच्छेद 23 किसी भी प्रकार के बलात् श्रम को निषिद्ध करता है।
2. अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को खतरनाक काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
3. संविधान के नीति निदेशक सिद्धान्त का अनुच्छेद 39 बालकों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करता है।

अनुच्छेद 23 एवं 24 को ध्यान में रखते हुए 1986 में भारत सरकार द्वारा बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) कानून 1986 पारित किया गया जो 14 वर्ष से कम वय के बालकों को जीवन जोखिम में डालने वाले व्यवसायों में काम करने पर रोक लगाता है।

संविधान के नीति निदेशक सिद्धान्तों के क्रम में 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति तैयार की गई जिसका उद्देश्य बाल श्रम पर प्रतिबन्ध एवं विनियमन के द्वारा बाल श्रम को समाप्त करना, बालकों एवं उनके परिवार के लिए कल्याण एवं विकास कार्यक्रम प्रदान करना और कार्यशील बालकों के लिए शिक्षा एवं पुनर्वास को सुनिश्चित करना है।

वर्ष 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना शुरू की गई जिसमें देश के कतिपय बालश्रम आधिक्य वाले जिलों में इस परियोजना के माध्यम से खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बालकों को पुनर्वासित कराया गया।

इसी को आगे बढ़ाते हुए 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। जिसमें अनुच्छेद 21 ए सम्मिलित कर 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। जिसे 2009 में निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी विस्तार दिया गया।

2017 में शुरू किए गए पेंसिल पोर्टल के द्वारा बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) कानून 1986 को प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया जिसमें राज्य के सहयोग के साथ ही समाज एवं आम नागरिक का भी सहयोग प्राप्त करना था।

वैश्विक स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार के लिए जारी आधारभूत सिद्धान्तों में बलात् श्रम के उन्मूलन पर कन्वेंशन, न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन और बाल श्रम के सबसे विकृत रूप पर कन्वेंशन को माना है जिसे भारत द्वारा भी स्वकार किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में बाल श्रम उन्मूलन के लिए 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस घोषित किया गया। 2015 में विश्व के नेताओं द्वारा सतत विकास के लक्ष्य में 2025 तक सभी तरह के बाल श्रम उन्मूलन का लक्ष्य तय किया गया।


बाल श्रम से उत्पन्न समस्याएं – बाल श्रम एक सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय समस्या है जिसके कारण बालक जहां प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित हो जाता है वहीं अल्प आयु में जोखिम भरे कल कारखानों प्रतिष्ठानों में काम करने से शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दासता, बच्चों का विक्रय दुर्व्यापार वेश्यावृत्ति एवं पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण ने

गत दशकों में काफी विस्तार कर लिया है जो बालश्रम का जघन्यतम रूप है। बालवय में कार्य करने से बालक मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर हो जाता है एवं यह तय है कि भविष्य के आदर्श नागरिक की भूमिका वह सही से नहीं निभा सकता है। वहीं मानसिक एवं शारीरिक विकास में कमी से वह राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी समुन्नत रूप से सहभागी नहीं रह पाता है जो अन्ततः इस प्रतिस्पर्धी युग में पहले स्वयं को उसके बाद समाज एवं राष्ट्र को पीछे धकेलने वाला सिद्ध होता है। बाल श्रम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक गम्भीर चुनौती पैदा कर रहा है। अनौपचारिक घरेलू व्यवसाय एवं कृषि कार्यों से जहां राष्ट्रीय छवि धूमिल हो रही है वहीं कल कारखानों एवं खनन उद्योगों में बालश्रम से बालकों पर गम्भीर तात्कालिक एवं दीर्घगामी प्रभाव पड़ रहे हैं। बलात् बाल श्रम के साथ ही चार्डल्ड पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति आदि से बालकों की तस्करी एवं अंगों की तस्करी ने भी बालश्रम के जघन्यतम स्वरूप को उजागर किया है। तात्कालिक रूप से बालश्रम जोखिम भरा नहीं लग सकता है किन्तु बालकों की शिक्षा स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव दीर्घकालिक रूप से निश्चित ही विनाशकारी होंगे। जिसका परिणाम दुष्चक्रकारी होगा जो गरीबी से शुरू होकर अशिक्षा कौशल विकास का अभाव कम वेतन वाले जीविकापार्जन के साधन, अस्वास्थ्य अल्पायु एवं गरीबी पर समाप्त होगा। **भारत के परिपेक्ष्य में बाल श्रम के कारक** – बालश्रम को बढ़ावा देने वाले कारणों में मुख्यतया आय का असमान वितरण, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी है। बाल श्रमिकों के जीवन के दुष्चक्र में अल्प शिक्षा, कम आय, बड़े परिवार, भूखमरी, काम के लम्बे घंटे, रोजगार की असुरक्षा माता पिता की अज्ञानता ऐसे कई कारक हैं जो बालश्रम के लिए स्थितियां उत्पन्न करते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं।

भारत में बाल श्रम का विस्तार एवं प्रारूप – बाल श्रम की व्यापकता हर काल एवं युग में देखी गई है फिर चाहे वह राजशाही हो अथवा ब्रिटिश कालीन शासन या फिर स्वतन्त्र भारत बस अन्तर था तो मात्र समाज की मौजूदा आर्थिक सामाजिक संरचना के आधार पर प्रकृति और आयाम में। भारत में बाल श्रम का लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से आता है एवं बचा खुचा बाल श्रम शहरी कच्ची बस्तियों से आता है। आर्थिक विषमता के इस युग में गरीब जो अत्यधिक दीन-हीन अवस्था में है आज भी इसी मानसिकता पर कायम है कि जितने ज्यादा हाथ होंगे उतने ही ज्यादा अर्थ की पूर्ति का माध्यम होंगे। नतीजतन परिवार में वृद्धि से कुपोषण, अशिक्षा, स्वास्थ्य में कमी एवं जीवन प्रत्याशा में कमी यही दुष्चक्र चलता रहता है और गरीब, गरीब ही बना रहता है। जिससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग बाल श्रम को चाहे अनचाहे स्वीकार करने का मजबूर है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के परिवारों द्वारा जैसे गडरिया चरवाहे के परिवार के बालको द्वारा पारिवारिक कार्य के रूप में गडरिया चरवाहे का कार्य करना हो अथवा कुम्हार, लौहार के बालकों द्वारा मिट्टी खोदने से लेकर थापने, कुटने का कार्य हो इसमें बचपन कहीं रीतता हुआ महसूस होता है। यद्यपि ये पारिवारिक एवं पुष्टैनी कार्य है जिनको करने से उसमें कौशल ही पैदा होता है किन्तु सम्पूर्ण बालपन शिक्षा के इतर यदि इन्हीं कार्यों में बीतता है तो कहीं न कहीं बाल श्रम को बढ़ाता हुआ दिखता है जिसे गैर सरकारी संगठन एवं राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं बढ़ा चढ़ा कर राष्ट्रीय छवि को खराब करते हैं। कई बाल श्रमिक खनन, बैटरी मरम्मत, वेल्डिंग आरा मशीनों जैसे खतरनाक उद्योगों एवं परिस्थितियों में काम करते हैं जिनमें काम के दौरान कई बार वे अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं एवं कई बार स्थायी रूप से अपंग भी हो जाते हैं। इस तरह के बाल श्रम

से भावी जीवन पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है एवं अशिक्षा उन्हें भविष्य के लिए भी बेहतर आजीविका के लिए अवसर प्रदान नहीं करता है। बाल श्रमिकों का श्रम के आधार पर वर्गीकरण के सम्बन्ध में जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 26 प्रतिशत बाल श्रमिक कृषि कार्य से सम्बन्धित है वहीं 32.9 प्रतिशत कृषि मजदूरी से जुड़े हैं। 5.2 प्रतिशत घरेलू उद्योग से सम्बन्धित है एवं 35.8 प्रतिशत इन सबके अतिरिक्त अन्य कार्यों में बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं।

बाल श्रमिकों का श्रम के आधार पर वर्गीकरण



स्रोत जनगणना 2011

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के परिवारों के बालक विहीत आयु से कम आयु में जोखिम भरे कल कारखानों एवं खनन उद्योगों में कार्य करने को मजबूर है तो यह कहीं न कहीं उस परिवार समाज एवं राज्य की बाल श्रम के प्रति असंवेदनशीलता एवं बाल श्रम उन्मूलन नीतियों की असफलता को प्रकट करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के प्रमुख विकल्प कृषि में पारिवारिक कृषि कार्यों में शिक्षा के साथ बालक परिवार का सहयोग करता है एवं कुछ सीखता है तब तक उचित एवं मान्य प्रतीत होता है किन्तु जीविकोपार्जन के लिए यदि बालवय में व्यावसायिक खेती मसलन कपास बीनने, मुंगफली खोदने, तोड़ने या चाय बागान, बीडी उद्योग आदि कई व्यावसायिक कृषि में रत पाया जाता है जो बालश्रम का विकृत स्वरूप है।

इसी तरह से नगरीय क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों के परिवारों द्वारा बालकों को जीविकोपार्जन के लिए घरेलू नौकरों, कूड़ा बीनने, होटलों में सफाई आदि कार्यों के लिए लगाया जाता है जो निश्चित ही बालश्रम का रूप है इसके साथ ही छोटे शहरों में माचिस, पीतल, पटाखा उद्योग, कालीन बनाने आदि कार्यों में भी बालकों को आर्थिक विषमताओं से पार पाने के लिए जाने अनजाने धकेल दिया जाता है। वर्तमान की आधुनिक संचार क्रांति/सोशल मीडिया के बेतहाशा उपयोग ने बालकों को अनजाने ही भौतिकता की ओर खींचकर अर्थोपार्जन के लिए मजबूर किया है और अर्थोपार्जन का जरिया अनायास ही बालश्रम को पैदा कर रहा है।

राजस्थान के मेवाड़ एवं वागड अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों (उदयपुर इंगूरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सिरोंही जिले) से मौसमी प्रवास एक महत्वपूर्ण बालश्रम का उदाहरण है जहां के परिवारों के बालक-बालिकाएं कृषि जन्य मजदूरी के लिए गुजरात मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में प्रवास करते पाए गए हैं। साक्ष्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का प्रवास प्रतिशत बढ़ रहा है जो बालश्रम की ओर इंगित करता है। बाल श्रम की व्यापकता एवं वृद्धि का महत्वपूर्ण

कारक है गरीबी, पारिवारिक कर्ज, माता-पिता की अशिक्षा, परिवारों का बड़ा होना, बालश्रम का सस्ता होना एवं नियोक्ता की आवश्यकता के अनुरूप होना।

2001 की जनगणना के अनुसार देश में कुल बालकों 25.2 करोड़ में से 1.26 करोड़ बाल श्रमिक थे। 2004-05 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या 90.75 लाख थी जो 2011 की जनगणना में घटकर 43.53 लाख रह गई है। जिससे पता चलता है कि सरकार के प्रयासों का वांछित फल मिला है।

बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में सुझाव - बाल श्रम की समस्या देश के सामने एक चुनौती बनी हुई है, सरकार इस समस्या से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है समस्या की भयावहता और सीमा को देखते हुए यह मूल रूप से गरीबी और अशिक्षा से जुड़ी एक सामाजिक आर्थिक समस्या है और इसके समाधान के लिए समाज के सभी वर्गों से ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्य किये जाने हेतु सुझाव के निम्न कतिपय बिन्दु:

1. गरीबी, बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, जीविकोपार्जन के अल्प वेतन, अशिक्षा, स्वास्थ्य में कमी, सभी बाल श्रम के कारक हैं एवं दुष्चक्र की भांति एक दूसरे से चलायमान हैं। सर्वप्रथम परिवारों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना होगा जिससे वे बच्चों को बालश्रम में धकेलने से बच सकें।
2. अब्राहम मेस्लो के आवश्यकता पद सोपान को ध्यान में रखते हुए मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं (रोटी कपडा मकान) की पूर्ति की जावे।
3. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की दिशा में दृढ़तापूर्वक कार्य करते हुए एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही डीबीटी व्यवस्था को मजबूत किया जावे।
4. वयस्कों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जावे एवं न्यूनतम वेतन जैसे मापदण्ड लागू करने होंगे।
5. मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति उपरान्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा को भी अगले पदसोपान में चिन्हीत कर सुविधाएं प्रदत्त करनी होगी।
6. अनिवार्य शिक्षा को प्रभावी करते हुए शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए गुणवत्ता एवं रोजगारपरक शिक्षा दी जावे।
7. शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जावे।
8. पेंसिल पोर्टल जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सार्वजनिक जनभागीदारी का दायरा विस्तृत किया जावे।
9. भारत में लगभग 80 प्रतिशत बालश्रम ग्रामीण क्षेत्रों से आता है ऐसे में ग्राम पंचायतें बालश्रम को रोकने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं।
10. बालश्रम कानूनों के उल्लंघन पर सजा त्वरित एवं व्यवहारिक हो मसलन पकड़े गए बालश्रमिकों को उन्हीं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा गोद लेकर आगे की शिक्षा दीक्षा पूरी करायी जाने की जिम्मेदारी दी जावे।
11. वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में सोशल मीडिया प्रचार प्रसार एवं मानसिकता परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, अतः इसके माध्यम से न केवल जनजागरूकता प्रसारित की जा सकती है बल्कि बाल श्रम पाए जाने पर त्वरित कार्यवाही भी की जा सकती है।
12. राज्य द्वारा सामाजिक नागरिक संगठनों, प्रिंट-मीडिया एवं दबाव

- समूहों के माध्यम से भी बाल श्रम पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जागरूकता लायी जाकर प्रभावी भूमिका निभायी जा सकती है।
13. कोविड के बाद के समय में परिवारों के मुखिया अथवा कमाने वाले की असामर्थिक मृत्यु से परिवारों को आर्थिक संकट एवं जीवनयापन की मूलभूत आवश्यकताओं से जुझते एवं बाल श्रम को बढ़ते हुए पाया गया है अतः राज्यों को महामारी एवं आपदाओं की स्थिति में त्वरित कार्यवाही करते हुए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करना चाहिए।
 14. गैर सरकारी संगठनों जैसे कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउण्डेशन, चाईल्ड फण्ड तलाश एसोसिएशन बचपन बचाओ आन्दोलन जैसे कई संगठन बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत हैं एवं इनके द्वारा सराहनीय कार्य किए गए हैं किन्तु भारत जैसे विशाल भूभाग वाले देश में सुदूर ग्रामीण एवं वनांचल में ऐसे कतिपय गैर सरकारी संगठन नाकाफी हैं इन्हें सी.एस.आर. के माध्यम से गांव एवं क्षेत्र गोद लेकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी होगी।

निष्कर्ष – यह तो निश्चित है कि बाल श्रम एक सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय समस्या है जिसका निवारण समय पर आवश्यक है अन्यथा हमें पीढियों में इसके नुकसान दिखाई देते रहेंगे। बाल श्रम के सम्बन्ध में जारी कई प्रतिवेदनों, कार्यशालाओं में और पाया कि कानूनी प्रावधानों से बाल श्रम में राहत तो मिली है किन्तु उसे वह सफलताएं नहीं मिल सकी जो अपेक्षित थी। भारत सरकार द्वारा संचालित पेंसिल पोर्टल एवं ऐसे ही कई नवाचारों की आवश्यकता है जिससे जनमानस बाल श्रम उन्मूलन से जुडकर इसे

वास्तविक धरातल पर साकार कर सके।

बाल श्रम न केवल राष्ट्रीय छवि को धुमिल करता है बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में विकसित एवं सम्पन्न राष्ट्र बनने के लिए बाधक भी बनता है अतः हमें येन केन प्रकारेण विकास के मार्ग में आ रही बाधाओं में से एक बाधक तत्व से नई सदी में पार पाना होगा यही सतत विकास का लक्ष्य भी है आखिर ये बालक ही है जो कल के युवा एवं देश के खिचैया है अतः इनकी जड़ों को कमजोर कदापि नहीं रखा जा सकता है। सुरक्षित एवं स्वस्थ बचपन से ही सशक्त भारत का निर्माण सम्भव है। बाल श्रम के जड से उन्मूलन के लिए परिवार, नागरिक समाजिक संगठन, गैर सरकारी संगठन, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं सरकारों को मिल जुल कर प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करने होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Jain, Mahaveer and Sangeeta Saraswat (ed. 2004), Child Labour from Different Perspectives, Delhi: Manak publications.
2. Ipsita Priyadarsini Pattanaik Dr. Sinil Kumar Padhi I.J.R.S.S. Vol. 9 Issue 9, September 2019, ISSN: 2249-2496 Magnitude and Nature of Child Labour in Odisha
3. Census of India 2011
4. www.un.org
5. www.ilo.org
6. https://labour.gov.in/

भगवतधाम् शिवरीनारायण

डॉ. रामरतन साहू * वर्षा सूर्यवंशी **

* सह-प्राध्यापक (इतिहास) सामाजिक विज्ञान विभाग, डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत
** शोधार्थी (इतिहास) डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश - छत्तीसगढ़ के इतिहास में शिवरीनारायण एक ऐसा परिचय है जो विलुप्त होती जा रही हमारी सांस्कृतिक पारम्परिक, धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक चेतना को पुनर्जीवित करता है। प्रमाण हैं कि यह प्रागैतिहासिक सभ्यता के अवशेष अंचल और आसपास के महानदी तट के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। यहां प्रागैतिहासिक शैलचित्रों की उपस्थिति इसका ठोस प्रमाण है। महानदी के तटवर्ती ग्राम्यांचलों के भित्ति चित्रांकन की लोक परम्परा भी इतिहास के रहस्यों को उजागर करते हैं। यहाँ बिरतिया कहे जाने वाले निषाद-केंवट, धीवर, मछुवारे और शबर जाति के भ्रात भी बहुतायत में रहते हैं जो यहाँ की लोक-कलाकृतियों के ज्ञाता है। वे स्वयं को शबरी का वंशज मानते हैं।

शब्द कुंजी - प्रागैतिहासिक, संस्कारधानी, चित्रोत्पल, शिवरीनारायणग्राम।

प्रस्तावना - शिवरीनारायण को छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। ये सांस्कृतिक तीर्थ चित्रोत्पला गंगा के तट पर क्रमशः महानदी, शिवनाथ एवं जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। परिचयात्मक स्वरूप में शिवरीनारायण का सुन्दर वर्णन करते हुए पंडित मालिकराम भोगहा श्री शिवरीनारायण माहात्म्य बताते हुए कहते हैं कि -

आठों गण सुर मुनि सदा आश्रय करत सधीरा
जानि नारायण क्षेत्र शुभ चित्रोत्पल नदि तीरा।
देश कलिगहि आइके धर्म रूप थिर पाई।
दरसन परसन वास अरू सुमिरन ते दुख जाई।।

अर्थात् आठों गण, देवता एवं मुनिगण धीरता पूर्वक नारायण क्षेत्र के चित्रोत्पला नदी के तट पर लगातार वास करते हैं। यहां जो स्थिरता पूर्वक निवास तथा दर्शन आदि करते हैं उन के दुःख विनष्ट होते हैं।

पंडित हीराराम त्रिपाठी जी काव्य को पुनः भक्ति की पवित्र मन्दाकिनी में स्नान कराते हुए भक्ति रस धारा की ऐतिहासिकता में सराबोर करते हुए कहते हैं कि -

चित्रउत्पला के निकट श्रीनारायण धाम।
बसत सन्त सज्जन सदा शिवरीनारायणग्राम ॥

सवैया :-

होत सदा हरिनाम उच्चारण रामायण नित गान करै।
अति निर्मल गंगतरंग लखै उर आनंद के अनुराग भरै।
शबरी वरदायक नाथ विलोकत, जन्म अपार के पाप हरै।
जहां जीव चारु बखान बसैं सहजे भवसिंधु अपार तरै।।
इन पंक्तियों में मिश्र जी ने इतिहास को जीवन के तीन कालों से संबद्ध किया है, यह भी तो निरन्तर प्रवाहित होकर गतिशील है, परिवर्तनशील है। यह प्रवाह टुकड़े-टुकड़े नहीं होता और अनन्त और असीम से एकत्व का बोध कराते हुए दृढ़ संकल्पता के साथ प्रवाहित होता हुआ आगे बढ़ता है। चिन्तन मिश्रित अविराम गति से अर्थात् विश्रान्ति न कि विराम के साथ प्रवाहमय है। इसमें मोड़ प्रति मोड़, उतार-चढ़ाव, घेराव-टकराव आते-जाते

रहते हैं जो आवश्यक अंग हैं इस पथ के जो सीधा नहीं इसलिए बीते मोड़, उतार-चढ़ाव से आगे का मार्ग तय होता है, निश्चित होता है, जिसका शक्ति व सामर्थ्य अर्जित करने में ये तत्व सहायक होते हैं।

शिवरीनारायण ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक तीर्थ है।¹ प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण इस विष्णुकांक्षी तीर्थ का संबंध शबरी और नारायण से होने के कारण इसे शबरी नारायण भी कहा जाता है। शिवरीनारायण शैव, वैष्णव धर्मों का प्रमुख केन्द्र रहा है। यह स्थान भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान होने के कारण यहां रथयात्रा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री जगन्नाथ की विग्रह मूर्तियों को यहीं से जगन्नाथपुरी ले जाया गया था। यहां प्राचीन समय से प्रचलित रथयात्रा उत्सव में अन्य राज्यों के साधु-संत और श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। माघी पूर्णिमा को यहां छत्तीसगढ़ का सबसे भव्य पंद्रह दिवसीय मेला भरता है। महाशिवरात्रि के दिन को मेले का समापन होता है।² माघी पूर्णिमा के दिन यहां साधु-संत-महंत शाही स्नान करते हैं। भारतवर्ष प्राण संवाहिका नदियों का देश रहा है, जो कि सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास में प्राचीनकाल से समर्पण रहा है। सिंधु तथा गंगा नदी की घाटियों में ही विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं-सिन्धु घाटी तथा आर्य सभ्यता का आविर्भाव हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में महानदी और छत्तीसगढ़ का अभिन्न सम्बन्ध है। आज भी देश और राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या एवम् कृषि का संकेन्द्रण नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। प्राचीन काल में व्यापारिक एवम् यातायात की सुविधा के कारण देश के अधिकांश नगर नदियों के तटों पर ही विकसित हुए थे³ तथा आज भी देश के लगभग सभी धार्मिक स्थल किसी न किसी नदी से सम्बद्ध रहे हैं।

छत्तीसगढ़ का गुप्तधाम शिवरीनारायण रामावतार चरित्र और याज्ञवल्क्य संहिता में वर्णित है। यह नगर सतयुग में बैकुंठपुर, त्रेतायुग में रामपुर, द्वापरयुग में विष्णुपुरी और नारायणपुर के नाम से अवस्थित था। इतिहास में वर्णित है कि कोरिया जिले के भरतपुर पहुंचकर मवई नदी को पार कर श्रीराम जी ने दण्डकारण्य क्षेत्र में प्रवेश किया था। वे मांड नदी मार्ग

से चंद्रपुर और महानदी मार्ग से शिवरीनारायण पहुंचे थे। यहाँ मतंग ऋषि के आश्रम पर उन्होंने समय व्यतीत किया था। स्कंद पुराण में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। यह महानदी, जोंक और शिवरीनारायण नदियों के संगम स्थल और मैकल पर्वत श्रृंखला की तलहटी पर बसा अप्रतिम, अद्भुत, सात्विक सौंदर्य से परिपूर्ण क्षेत्र है। जिसे 'नारायण क्षेत्र' और 'पुरुषोत्तम क्षेत्र' भी कहा जाता है।

चित्रोत्पला गंगा के तट पर सुशोभित है पवित्र, पुण्यप्रद, मोक्षदायी श्री नारायण धाम जिसे स्कंद पुराण में 'श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र' कहा गया है।⁴ वर्तमान में भी यहां चतुर्भुजी श्रीहरि विष्णु के विभिन्न अवतार स्वरूप, उहारणार्थ शबरीनारायण, केशवनारायण, लक्ष्मीनारायण आदि के दर्शनीय, दिव्य और भव्य श्रीविग्रहों के दर्शन प्राप्त होते हैं।

इस अद्भुत आस्था संगम पर स्थित हैं भगवान श्री शबरीनारायण, उनके चरण प्रक्षालन करता अक्षय कुण्ड रोहिणी, श्री चंद्रचूड़ महादेव, श्रीराम जानकी देवालय, दिव्य ऊर्जा संपन्न मठ, मठ परिसर और वहाँ स्थित पारंपरिक महंतों की समाधियाँ, भगवान श्रीजगन्नाथ-बलभद्र और सुभद्रा, श्रीराम-लक्ष्मण-जानकी मंदिर, शबरी के मधुर फल खाते श्रीराम और अनुज भ्राता श्री लक्ष्मण जी का मंदिर, श्रीकृष्ण वट वृक्ष, गादी चौरा, विभिन्न महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक घाट, माखन साव घाट स्थित देवालय महेश्वरनाथ और शीतला देवी मंदिर, धन-धान्य, सुख-समृद्धि प्रदाता मां अन्नपूर्णा एवम् विभिन्न अनेक अन्यान्य देवालय तथा दैवीय श्रीविग्रह, जोगीडीपा अर्थात् योगियों के डेरे के श्री बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर, शिवरीनारायण से दो किलोमीटर के दायरे पर स्थित खरौद का ऐतिहासिक, प्रमाणिक श्री लक्ष्मणेश्वर महादेव का चमत्कारी मंदिर, इंदलदेव मंदिर, सौराइन दाई (शबरी) मंदिर, गिरि गोस्वामियों का शैव मठ इत्यादि, यहां से 11 किलोमीटर की सीमा पर स्थित केरा का सिद्ध शक्तिपीठ माता चण्डी दाई का मंदिर, 11 कि.मी. दूर स्थित मेंहदी में सिद्ध हनुमान मंदिर, 12 कि०मी० की दूरी पर स्थित गुरु घासीदास के गृहग्राम गिरीदपुरी का आध्यात्मिक मन्दिर, यहाँ से 17 कि०मी० के दायरे पर नवागढ़ का शैव पीठ श्री लिंगेश्वर महादेव का शिवालय, प्राकृतिक सुरम्यता पूर्ण नैसर्गिक परिवेश और वातावरण युक्त दर्शनीय आकर्षण का स्थल जोंक नदी और पहाड़ी का क्षेत्र। यहाँ से नारायणपुर और तुरतुरिया का बौद्ध विहार, जैन स्थली, मल्हार आदि भी जाया जा सकता है।⁵ तुरतुरिया के बौद्ध विहार में प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा (छेरछेरा पर्व) के दिन एक दिवसीय मेला भरता है जो आकर्षक और भव्य होता है।

समस्या का वर्णन - शोधकर्ता द्वारा शिवरीनारायण अंचल पर लेखन कार्य के दौरान अनेक समस्या उत्पन्न हुये। जिसका जीवटता के साथ सामना करके समस्या का समाधान करते हुये अपने कार्य को पूर्ण किया। शिवरीनारायण अंचल के वैभवपूर्ण इतिहास, संस्कृति, मूर्तिकला, संग्रहालय, सरोवर, ताम्रपत्र लिपी, सिक्के, भग्नावशेष, मंदिरों, उत्खनन हुये कार्य पर अध्ययन, आदि पर लेखन कार्य पूर्ण कर अंचल की ऐतिहासिकता को प्रकाश

में लाकर धरोहर के रूप में संग्रहित करना चुनौतीपूर्ण कार्य है।

शोध-पत्र का उद्देश्य:

1. अंचल के जन जीवन का विस्तार से जानकारी प्राप्त करना।
2. भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन कर भविष्य के लिये जानकारी एकत्र करना।
3. दक्षिण कोसल के इस क्षेत्र के राजनैतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन करना।
4. अंचल में अवस्थित मंदिरों, प्रतिमाओं, अभिलेखों का वैज्ञानिकता की दृष्टि से अध्ययन करना।
5. अंचल में छिपे विशिष्ट कलाओं को उजागर करना।
6. विभिन्न शासकों द्वारा किए गए, जनकल्याणकारी कार्यों इत्यादि को उनके द्वारा अंकित कराए गए कलाओं के माध्यम से समाज को अवगत कराना।
7. क्षेत्रीय कलाओं को विश्वपटल पर लाकर छत्तीसगढ़ की प्राचीन सभ्यताओं की विशेषता से लोगों को परिचित कराना।

डेटा संग्रह में प्रयुक्त उपकरण - प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत साक्षात्कार, अवलोकन, सर्वेक्षण विधि, पुस्तकें, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ जर्नल इत्यादि से तथ्यों का संकलन किया गया है।

द्वितीयक तथ्यों का संकलन - आवश्यकतानुसार समाग्री का संकलन एवं अध्ययन।

तथ्यों का विश्लेषण - आवश्यकतानुसार समाग्री का संकलन एवं अध्ययन।

निष्कर्ष- छत्तीसगढ़ की पावन धरा, माँ शबरी की तपोभूमि शिवरीनारायण धर्म और आस्था का केन्द्र है, जहाँ भगवान नारायण स्वरूप श्रीराम जी का विग्रह के दर्शन करने दूर दूर से भक्तजन आते हैं। यहाँ मोक्षदायिनी चित्रोत्पला का पावन तट भक्तों को मुक्ति दिलाता है। इस प्रकार माँ शबरी का यह नगर तथा मतंग मुनि का आश्रम ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भोगहा, मालिकराम, शिवरीनारायण माहात्म्य, अरपा प्रकाशन, बिलासपुर, पृष्ठ 15, 1988
2. त्रिपाठी, हीराराम शबरीनारायण माहात्म्य, बैभव प्रकाशन रायपुर, पृष्ठ 27, 1997
3. पटेल हरि राम, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, एच आर पब्लिकेशन पृष्ठ 195, 2018
4. मिश्र रमेन्द्र नाथ, छत्तीसगढ़ का इतिहास दीक्षित ब्रदर्स रायपुर, पृष्ठ 79, 1990,
5. बेहार रामकुमार, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी रायपुर, पृष्ठ 55, 2018

किन्नरों की दयनीय दशा

डॉ. डोमन प्रसाद चन्द्रवंशी*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शास.जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – किन्नर समाज मानव समाज की उत्पत्ति का अपवाद है। पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच की स्थिति में निर्मित यह प्राणी मात्र है। इनका अपना अलग संसार है जो इनके द्वारा समाज की उपेक्षा एवं अपनों के तिरस्कार स्वरूप निर्मित एक अलग दुनिया है। ये अपने को अपनों से अलग नहीं करते अपितु अपने ही इन्हे तिरस्कृत कर घर से ही निकाल देते हैं। फलतः ये किन्नर समाज द्वारा निर्मित प्रथम परम्परा में जाना ही समीचीन समझते हैं। अपनों का व्यवहार एवं समाज की भूमिका ने इनकी दशा और दिशा का दुर्गत किया है।

महेन्द्र भीष्म उपन्यास 'किन्नर कथा' में लिखते हैं कि 'लिंगोच्छेदन कर बनाए गए हिजड़ों की 'छिबरा' और नकली हिजड़ा बने मर्दों को 'अबुआ' कहते हैं हिजड़ों की चार शाखाएँ होती हैं-बुचरा नीलिमा, मनुसा और हंसा। बुचरा जन्मजात हिजड़ा होते हैं, नीलिमा स्वयं बने, मनसा स्वेच्छा से शामिल तथा हंसा शारीरिक कमी के कारण बने हिजड़े हैं।'

किन्नरों की दशा एवं दिशा – परिवार एवं समाज की उपेक्षा के कारण इनकी दशा दयनीय एवं सोचनीय है। ये मांगलिक अवसर पर नृत्य-गान करके एवं सार्वजनिक स्थलों पर भिक्षावृत्ति से जीविकोपार्जन चला रहे हैं। इन्हें देखकर आमजन एक कटु मुस्कुराहट देकर इनकी पीड़ा में आग में घी डालने का काम करते हैं। सामाजिक भेद भाव के कारण ही ये हमसे पृथक रहने को मजबूर हो जाते हैं। इनकी दयनीय दशा पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल 2014 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया इन्हे समाज में तृतीय लिंग का दर्जा दिया गया है। समाज में इनका स्थान तय किया गया। शिक्षा का अधिकार अनिनियम 2009 के अंतर्गत ये भी निःशुल्क शिक्षा के अधिकारी बन गये संसद ने सन् 2016 में किन्नरों के अधिकारों के संरक्षण हेतु 'ट्रांसजेंडर पर्सन बिल' को मंजूरी दी है।

किन्नर समुदाय तिलतिल करते हुए कैसे जीवन संघर्ष करते हैं उसका सप्रमाण उदा. नीरजा माधव कृत 'यमदीप' है। साहित्य में किन्नर विमर्श पर आधारित यमदीप के अलावा तीसरी ताली, किन्नर कथा, गुलाम मंडी, पोस्टर बाक्स नं. 203 नाला सोपारा प्रमुख उपन्यास हैं।

चित्रा मुद्गल पोस्टर बाँक्स नं. 203 नाला सोपारा में किन्नरों की दयनीयता का वर्णन करते हुए लिखती हैं, 'जननांग विकलांगता बहुत बड़ा दोष है लेकिन इनता बड़ा भी नहीं कि तुम मान लो कि तुम धड़ की मात्र वही निचला हिस्सा भर हो। तुम्हारे हाथ-पैर नहीं हैं, सब वैसा ही है जैसे औरों के हैं। यौन सुख लेने-देने से वंचित हो तुम, वात्सल्य सुख से नहीं।' तृतीय लिंग वर्ग सदियों से एक पीड़ा लिए समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करते आ रहे हैं। यदा-कदा उनकी उपयोगिता पुल्लिंग और स्त्रीलिंग धारकों से उत्कृष्ट है किन्तु सम्मान शून्य है। कन्या भ्रूण हत्या का तो कानूनी दण्ड प्रावधान है किन्तु जननांग दोष से उत्पन्न बच्चों का परित्याग करने को कही भी कोई समाजिक या कानूनी दण्ड देय नहीं है। चित्रा मुद्गल पोस्टर बाँक्स 203 में नाला सोपारा में लिखती हैं, 'कन्या भ्रूण हत्या के दोषी माता-

पिता अपराधी हैं। उससे कम दंडनीय अपराध नहीं जननांग दोषी बच्चों को त्यागा।'

हिजड़ा होना अपने आप ही भारी पीड़ा दायक अभिशाप है, इससे अधिक अपने परिवार द्वारा बार-बार अपमानित किया जाना ज्यादा ही कष्टकर है। महेन्द्र भीष्म 'किन्नर कथा' में इसी स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं, 'प्रत्येक किन्नर अभिशाप है, अपने परिवार के बिछुड़ने के दंश से। समाज का पहला धात यहीं से शुरू होता है। अपने ही परिवार से अपने ही लोगों द्वारा उसे अपनों से दूर किया जाता है। परिवार से विस्थापन का दंश सर्व प्रथम उन्हें ही भुगतना पड़ता है।'

'गुलाम मंडी' में लेखिका निर्मला भुराड़िया किन्नरों के प्रति समाज के तिरस्कार से जुड़े कई सवालियों के जवाब तलाशने की कोशिश की है, किन्नर खुद अपनी व्यथा कहते हैं, 'हम ना, तुम्हारे जो शादी-ब्याह हो तो नाचेंगी-गाएँगी, शगुन पाएँगी मगर यूँ जो रास्ते में आ पड़े ना हम, तो हिजड़ा कहकर धिक्कारोगी।'

शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार तो है किन्तु जेंडर की स्पष्टता न होने के कारण तृतीय लिंग को स्कूल में दाखिला लेने से कठिनाई होती है, तीसरी ताली उपन्यास की मंजू स्पष्ट कहती है 'हिजड़े के बच्चे को कौन दाखिला देगा स्कूल में?' इस प्रकार लेखिका ने शैक्षणिक व्यवस्था पर किन्नरों की दयनीयता का प्रश्न उठाया है।

उपसंहार – किन्नर समुदाय जो संवेदना के पात्र हैं उन्हे यह समाज आज भी हाशिये में रखते हुए उपहास और तिरस्कार दे रहा है। यह वर्ग अपने लिए आवाज उठा तो रहा है किन्तु इनकी आवाज की यह कोशिश नक्कार खाने में तूती आवाज सिद्ध हो रही है किन्तु साहित्य जगत ने इनकी आवाज को समाज तक पहुँचाने का जो बीड़ा उठाया है वह सचमुच डूबते के लिए तिनके का सहारा बन गया है। साहित्य के माध्यम से समाज इस वर्ग को जानने लगा है इनके दुख, इनकी पीड़ा को समझने का यत्न हो रहा है।

अकेलेपन और जेंडर के अलावा बीच समाज में जीवन जीने की ललक तृतीय लिंग के संघर्ष को उजागर करता है। ये जीविकोपार्जन हेतु नृत्य, नाटक, भिक्षावृत्ति वेश्यावृत्ति जैसे राह पर चल पड़ते हैं इनके पीछे भी इनकी मजबूरी और समाज का अनदेखा पहलू है। हम इनसे सामाजिक दूरी बनाए तो ये क्या करेंगे? आखिर इन्हे भी तो जीना है? जिसके लिए राह भटक जाते हैं, इन्हे सही मार्ग पर लाना हम सबका नैतिक जिम्मेदारी है। यदि किन्नर समाज गलत राह पर जा रहा है तो सही मार्ग पर लाने का दायित्व समूचे सभ्य समाज का है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. किन्नर कथा महेन्द्रभीष्म, अमन प्रकाशन 2011
2. यमदीप :- नीरजा माधव, सामयिक पेपर बैक : संस्करण 2021
3. तीसरी ताली : लेखक प्रदीप सौरभ : प्रकाशक वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2011 पृष्ठ -31
4. पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा, चित्रा मुद्गल सामाजिक प्रकाशन नई दिल्ली 2016
5. गुलाम मंडी, निर्मला भुराडिया प्रकाशक सामयिक प्रकाशन दरियागंज, नई दिल्ली
6. इंटरनेट।

महात्मा गांधी का नैतिक दर्शन

राजेश कुमार पालीवाल*

* सहायक आचार्य (इतिहास) (विद्यासम्बल योजना) श्री द्वारिकाधीश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजसमन्द (राज.) भारत

शोध सारांश – गांधी कोई नाम नहीं विचारधारा है। इस विचार धारा को आगे बढ़ाने का कार्य पोरबन्दर गुजरात में जन्में मोहनदास ने किया उन्होंने न केवल भारत बल्कि सम्पूर्ण विश्व में अपनी विचार धारा को प्रस्तुत किया। उनकी विचारधारा में नैतिकता अपृश्यता तथा रंगभेद नीति प्रमुख थी। परन्तु उनका नैतिक दर्शन अत्यन्त व्यापक है। उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किये इनके विचार मानसिक या बौद्धिक स्तर तक ही सीमित नहीं अपितु उन्होंने अपने विचारों को जीने का प्रयास किया उनका नैतिक दर्शन गांधीवादी कहलाता है।

शब्द कुंजी – सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय न्यासधारिता, साधन पवित्रता।

प्रस्तावना – महात्मा गांधी ने अपने जीवन की शुरुआत बड़े कड़े अनुभव से की थी। जब वह अपनी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम बार व्यवसाय तथा नौकरी करने अक्रीका गये तब उनके साथ 'मेरिट्सबर्ग' में उनको ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया था।

मेरिट्स बर्ग बाण्ड ने गांधी जी जीवन यात्रा को एक नई दिशा प्रदान की। वहां से उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के बारे में विचार करने लग गये। और मानव कल्याण की विचारधारा का उदय हुआ। मानव कल्याण ही उनका नैतिक दर्शन था।

शोध विधि – प्रस्तुत शोध पत्र ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक दृष्टि पर आधारित है। शोध सामग्री की प्रमुख पुस्तकों से संकलित किया गया है। यह शोध पत्र द्वितीय आंकड़ों पर आधारित है।

शोध के उद्देश्य: प्रस्तुत शोध पत्र के निम्न उद्देश्य हैं :

1. गांधीजी के दार्शनिक विचारों को आगे बढ़ाना।
2. उनके विचारों (दर्शन के) जन मानस के जीवन में उतारना।
3. प्रत्येक व्यक्ति को उनके विचारों के अनुरूप आचरण करना।

महात्मा गांधी का नैतिक दर्शन

1. **अहिंसा** – इनकी नैतिक अवधारणा में अहिंसा का विशेष महत्व है। इस विचार पर या अहिंसा सम्बन्धित विचारों पर जैन, बौद्ध, ईसाई आदि धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। इनके इस विचार टॉलस्टॉय के नैतिक दर्शन का गांधी के दर्शन पर प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने अहिंसा का दो अर्थों में प्रयोग किया। (1) सकारात्मक (2) नकारात्मक। उन्होंने कायरता को हिंसा से भी बुरा कहा। कायरता व अहिंसा एक साथ ही नहीं चल सकती है। उनके अनुसार कि व्यक्ति को मन कर्म और किसी प्रकार से दुःखही नहीं करना ही अहिंसा है। किसी व्यक्ति के प्रति निर्दयता क्रूरता आदि नहीं करना ही अहिंसा है। उनके अनुसार अहिंसा वीरों का आभूषण है।

गांधी दर्शन के अनुसार प्राणी के प्रति सद्ब्यवहार और उसके प्रति प्रेम ही अहिंसा है। प्रत्येक जीव चाहे व छोटा हो या बड़ा हो उसके प्रति दया रखना अहिंसा की भावना है।

परन्तु उनके विचार में अन्याय को सहन करना अहिंसा नहीं दूर्बलता

अन्याय के खिलाफ हिंसा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया परन्तु इसका उन्होंने विरोध भी नहीं किया।

2. **सत्य** – यह गांधी जी के दर्शन का परम मूल्य है। उनका सम्पूर्ण दर्शन सत्य की धारणा पर आधारित है। मुदता तथा अविनम्रता को वाणी द्वारा व्यक्त करना सत्य का आधार है। जो तथ्य जिस रूप में देखा सुना अथवा समझा जाये उन्हें बिना किसी स्वार्थ के लिए परिवर्तन कर मन वचन तथा कर्म उक्त तीनों ही स्तरों पर ठीक उसी रूप में व्यक्त करना सत्य है। सत्य का केवल सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार नहीं होता अपितु व्यवहारिक रूप में दिखाई देना चाहिए। उनके अनुसार 'ईश्वर सत्य है' यह परिमार्जित तथा परिष्कृत रूप है। सत्य का क्षेत्र ईश्वर से अधिक व्यापक है। सत्य वह मूल्य है जो सदाचार से सम्बन्धित है। यह सदाचार का प्रतीक है। इनके विचारोनुसार 'सत्य ही ईश्वर है तथा ईश्वर ही सत्य है जो सर्वत्र विद्यमान है।' सत्य का पालन राजनैतिक धार्मिक सामाजिक तथा व्यक्तिगत सभी स्तरों पर समान रूप से होना चाहिए।

3. **सत्याग्रह** – इसकी अवधारणा 'सरमन ऑफ द माउण्ट' से प्राप्त हुई है। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है। सत्य तथा आग्रह अर्थात् जो सत्य है उस पर जीवन पर्यन्त दृढ़ रहना तथा उसके लिए आग्रह करना। सत्याग्रह गांधी जी के अनुसार – 'अहिंसा में अभेद निष्ठा रखने वाले व्यक्ति का सत्य के प्रति आग्रह सत्याग्रह सत्य की रक्षा करना है। किन्तु विरोधी को कष्ट पहुंचाकर नहीं, अपितु स्वयं कष्ट सहनकर। इनके अनुसार यह आध्यात्मिक शक्ति है। इससे अत्याचारी का मन परिवर्तन किया जा सकता है।'

सत्याग्रही के लक्षण – (1) धैर्यवान (2) विनम्र (3) निर्भिक (4) मन वचन तथा कर्म में एकरूपता (5) मृदुभाषी एवं अल्पभावी (6) ईमानदार (7) आत्मसंयमी तथा अनुशासित (8) ईश्वर के प्रति आस्थावान सत्याग्रही की प्रकार।

(1) **असहयोग** – सत्याग्रही द्वारा असत्य अवैध अनैतिक या अहितकर कानूनों तथा नियमों का सहयोग न करना।

(2) **हड़ताल** – कुछ समय के लिए व्यक्ति द्वारा अपने स्वधर्म का पालन न

करना अन्यायपूर्ण तथा अनैतिक कानूनों के विरुद्ध प्रतिकारात्मक प्रतिरोध प्रदर्शित करना।

(3) हिजरत - सत्याग्रही को अत्याचार के स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए।

(4) सविनय अवज्ञा - अनैतिक या अन्यायपूर्ण नियमों का उल्लंघन करना।

उपवास - सत्याग्रही स्वयं आत्मशुद्धि के साथ-साथ विरोधी की आत्मशुद्धि करने का प्रयास करता है।

सर्वोदय - सर्वोदय की भावना हमें सर्वप्रथम भारतीय वैदिक साहित्य के उपनिषदों में दिखाई देती है।

'सर्वभवन्तु सुखिन'

सर्व+उदय अर्थात् सभी की उन्नति तथा कल्याण सभी का सर्वपक्षीय तथा सर्वांगीण विकास ही सर्वोदय है। गांधीजी के नैतिक दर्शन में आदर्श समाज का उद्देश्य सर्वोदय है। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित या कल्याण ही सर्वोदय है।

गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा ब्रिटिश दार्शनिक रास्किन की प्रसिद्ध पुस्तक 'यन्दजव जीम स्ववज' से प्रभावित होकर लिखी हैं इनके अनुसार सत्ता का विकेन्द्रीकरण ही सर्वोदय है। वर्गविहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना करना।

न्यास धारिता - यह दर्शन गांधीजी के आर्थिक दर्शन से सम्बन्धित है। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना कि जिसमें धनी-निर्धन, ऊँ-नीच का भेद नहीं हो। सभी व्यक्ति पूर्ण रूपेण विकसित हो।

'वह आर्थिक विचार धारा जिसके अनुसार पुंजीपति समाज की धरोहर रूपी पुंजी का संरक्षण करे तथा उसका प्रयोग समाज के हितार्थ करें। यह पुंजवादी तथा समाजवादी के मध्य की अवस्था है। गांधीजी के न्यासधारिता के अनुसार कोई भी व्यक्ति पुंजी या सम्पति लेकर पैदा नहीं हुआ। उसने सम्पूर्ण सम्पति प्रकृति से अर्जित की है। इसलिए सम्पति का वास्तविक स्वामी समाज या ईश्वर है। अतः संरक्षक की भांति उस पुंजी की रक्षा करे तथा उसमें निरन्तर संवर्द्धन करेंगे साथ ही उसे अपने हित में प्रयुक्त ना करके

लोक कल्याण तथा समाज के कल्याण के लिए काम में लेंगे। इस प्रकार इस आर्थिक व्यवस्था में पुंजी की उत्पादकता भी बनी रहेगी तथा शोषण न होने के कारण आर्थिक समानता भी क्रमशः दूर हो जायेगी।

रामराज्य - गांधीजी के अनुसार ऐसा राज्य जहाँ पर नैतिकता पर आधारित जनता का शासन हो तथा प्रत्येक व्यक्ति सर्वोदय को आधार बना कर अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करता हो यह समाज पूर्णतः अहिंसा शान्ति तथा प्रेम पर आधारित हो। इसकी कल्पना गांधी जी द्वारा 'हिन्दी स्वराज' पुस्तक में की गई। प्रत्येक व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करता है तो इसकी कल्पना की जा सकती है। इसमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण मूल आधार है। गांधी जी के अनुसार राम राज्य साधन है। जिससे व्यक्ति अपने नैतिक और आध्यात्मिक विकास कर सके।

सर्वधर्म - जब व्यक्ति अपने धर्म के साथ-साथ दूसरों के धर्मों का भी सम्मान करता है। तब विभिन्न धर्मों के मध्य सामंजस्य तथा सौहार्द स्थापित होता है। यह विचारधारा सत्य अहिंसा प्रेम मानवता आधारित सर्वधर्म समभाव कहलाती है।

बुनियादी शिक्षा - गांधीजी के अनुसार इस शिक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम को इस रूप में निर्धारित और संचालित किया जावे जो विद्यार्थियों के हृदय बुद्धि तथा शरीर को शुद्ध करें।

निष्कर्ष - गांधीजी के नैतिक दर्शन में सम्पूर्ण समाज का विकास हो तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति निम्नतर से लेकर उच्चतर का विकास होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति में कोई भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। जिससे समाज एवं सम्पूर्ण देश का निर्माण हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अहिंसा के प्रथम चरण (1910) - महात्मा गांधी, ई-पुस्तकालय।
2. सत्य के मेरे प्रयोग - महात्मा गांधी, ई-पुस्तकालय।
3. गांधीजी एवं सत्याग्रह - विकीपीडिया।
4. सर्वोदय - महात्मा गांधी, ई-पुस्तकालय।
5. गांधीजी के दर्शन - विकीपीडिया।

An Overview of Secularism and Religious Freedom in India

Dinesh Chaudhary* Dr. Rekha Mali**

*Research Scholar (Social Science) Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur (Raj.) INDIA

** Associate Professor (Social Science) Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract : Secularism, understood in the western sense, is the rigorous separation of church and state. The situation in India is very different from that in the West in that religion plays a major part in people's personal life. There is no distinction made between any faith and others in India. In India, discrimination based on religion is illegal and religious freedom is a basic right. In addition to the religious freedom guaranteed by the Indian constitution, this study attempts to examine several conceptions of secularism in India. Moreover, it provides an overview of the significance of both secularism and religious freedom in India. Our country's founding fathers ensured religious freedom as a basic right in the Indian constitution. The Indian constitution is well-equipped with a secular character, prohibiting discrimination based on religion, even though it did not contain any secular words when it was adopted. Furthermore, Nehru and Gandhi's concepts of Dharm Nirpekshata and Sarva Dharma Sambhava, respectively, have been a route towards realizing and comprehending the ideas of secularism in India. Various scholars have offered differing perspectives on the type of secularism that would be appropriate in the Indian setting. As a result, this essay emphasizes and provides a summary of religious freedom and secularism in the Indian setting.

Keywords: India, ethnic conflicts, religious conflicts, communal harmony, identity politics, economic disparities, conflict resolution, national unity, diversity, interfaith dialogue.

Introduction - India has always been a multicultural melting pot due to its diverse range of cultures, languages, and faiths. But this variety has also caused friction, which has resulted in a number of clashes between different ethnic and religious groups (Kofi, 2021). With an emphasis on the origins, effects on society, and historical evolution of these wars, this article seeks to offer a thorough examination of them. India, a country well-known for its diverse range of cultures, languages, and faiths, provides evidence of how well variety can coexist. However, underneath this beautiful tapestry is a past tainted by religious and ethnic tensions that have occasionally threatened to tear apart the country's fundamental fabric. The present research essay undertakes a thorough investigation of these disputes, revealing the complex dynamics that underlie their genesis, continuation, and influence on Indian society (Kazmi, 2023). The partition of British India in 1947 and the brushstrokes of colonial authority are visible on the canvas of India's past; these events carved out sharp religious divisions. The aftermath of this division, which was marked by millions of people migrating and the establishment of Pakistan and India (Rajan & Kumar, 2020), prepared the ground for more conflicts stemming from religious identity. Studying the past

reveals how these early earthquakes continue to influence tensions now, emphasizing how important it is to comprehend the historical roots of India's ethnic and religious conflicts. Sociopolitical intricacies are at the core of many conflicts, amplifying already-existing differences and creating new ones. The emergence of identity politics, driven by rivalry for resources and electoral dynamics, has created an environment that is conducive to manipulating public opinion. Ethnic and religious affinities are being used as political weapons in a climate created by the discourse of difference and the falsification of historical accounts (Maoz & Henderson, 2020). Given this, it is critical to analyze the socio-political processes that intensify conflict and obstruct efforts to promote national unity. The shadow of economic inequality, a powerful instigator of discontent, covers the edges of these confrontations. Ethnic and religious identities are intricately intertwined with economic inequities and unequal access to healthcare, education, and opportunities. This junction feeds the flames of strife by adding to the feeling of unfairness and exclusion. Upon scrutinizing these economic fault lines in detail, it becomes evident how crucial fair development is to promoting social peace (Bulajic, 2023). We traverse the tumultuous seas of India's historical

conflicts by closely examining notable case studies, such as the demolition of the Babri Masjid and the Gujarat riots. These case studies provide a prism through which to examine each conflict's actors, outcomes, and underlying reasons. By examining the connections between these occurrences, we can uncover important information about the processes that lead to conflict escalation. But these confrontations have effects that go beyond the short-term instability they cause. They erode the fundamental pillars that support the structure of a prosperous society, casting a lengthy shadow over the monument of national unity. Community violence leaves profound wounds that erode trust and collaboration amongst various populations (Yoder, 2020). We are compelled to look for comprehensive solutions that heal the divisions and open the door for an inclusive and unified India as we consider how these disputes will affect the course of the country. The media, education, and civil society play a crucial role in providing optimism in the face of these obstacles (Natil, 2022). The goal of concord is greatly aided by initiatives that support interfaith communication, dispel prejudices, and increase understanding. A model for constructing bridges over problematic waterways may be found in grassroots initiatives that unite disparate communities and allow them to work together and coexist. We set out on a voyage of reflection and investigation as we negotiate the maze of ethnic and religious strife in India. Through a comprehensive analysis of historical legacies, socio-political dynamics, and economic underpinnings, this essay aims to elucidate the intricacies that characterize India's trajectory towards a future that is both peaceful and inclusive (Natil, 2022).

India is described as a secular, democratic, socialist nation that upholds equality and human dignity in the preamble of the Indian Constitution (Palathinadiyil, 2020). Even though most people in India are Hindu, the country was not religiously affiliated. Additionally, theocratic republics such as Islamic Pakistan on the east and west, Hindu Nepal in the north, and Buddhist Sri Lanka in the south surrounded the country. Regarding the preservation of religious plurality, the Indian Constitution's founders were extremely clear. India has no official state religion, despite the fact that the word "secular" was not used once in the original constitution (Srivastava, 2022). India provides equal freedom to all religions and respects them all. The founders of the Constitution envisioned a multi-cultural society with religious pluralism that went beyond simple tolerance to include the peaceful coexistence of all religions as well as the freedom of religion as a basic right (Singh & Saxena, 2021).

India is a fascinating mosaic of variety, an old continent where many different cultures, languages, and beliefs coexist (Babb, 2020). However, underneath this colorful tapestry, there is a continuous undercurrent of religious and ethnic tensions that has occasionally endangered the

nation's unity. This academic paper takes readers on a fascinating journey into the core of these disputes, revealing the many threads that together create this complicated web of strife within the Indian setting. India's history is laced with periods of extreme change and turmoil, leaving behind lingering shadows that influence the nature of modern conflicts. Colonialism's aftereffects and the seismic partition events of 1947 continue to resonate, leaving an enduring mark of communal conflicts on the national psyche (Vinod, 2023).

One of the first foreign religions to reach India was Judaism. Despite being a minority in India, Jews did not face any anti-Semitic incidents from the majority population. Thomas the Apostle brought Christianity, the third most popular religion in India, to the country when he traveled to Kerala in 52 AD. There is a widespread assumption that Christianity originated in India around the sixth century AD, yet the exact origins of Christianity in India are still unknown.

The nation's pre-existing religious plurality and diversity suffered greatly under British control. They used communal politics and a "divide and rule" strategy, which finally resulted in the establishment of a separate country for Muslims (Khan et al., 2022). Despite the creation of Pakistan, many Muslims chose to stay in India and acknowledged it as their motherland. The writers of the Constitution chose a secular state over a theocratic Hindu state to respect the religious plurality of the nation. The liberal-democratic state established by the constitution is challenged by the society's ingrained medieval institutions and customs, which undermine the upholding of human rights.

The freedom of religion is guaranteed by the Indian constitution and largely characterizes Indian secularism (Modood & Sealy, 2021). The Indian constitution addresses religious freedom in two ways: directly and indirectly. Articles 15 and 16 implicitly guarantee religious freedom. The state is declared to be neutral toward any one religion or any belief by virtue of the two Articles, which address the rights to equality and nondiscrimination. Articles 25, 26, 27, and 28 specifically address everyone's right to practice their own or group religion. An individual is entitled to the freedom of religion because of concern for his or her "liberty" and "well-being." The person comes before and above religion, as well as the values of tolerance and equality. It is possible that this is the reason why Article 25 and other constraints on this freedom are the most heavily weighted.

Thinkers with sober minds drafted the Constitution. They established the groundwork for a liberal democratic state in the future. The constitution's several articles explicitly address the essence of religious freedom, encompassing both its societal and personal dimensions. The constitution guarantees religious freedom in a constructive and favorable manner. Although it has certain fair limitations to make it practical and realistic, it is not absolute.

The majority of Indians are ignorant about the precise nature of their constitutionally protected freedom of religion, as well as the legitimate limitations placed on that freedom (Henrico, 2023). It is a significant determinant of public space and life as well as a role in social connections. Since there is no wall between the public and private spheres, religion serves as one of the organizing principles for social, political, and personal institutions as well as individual lives. It establishes relationships both inside and across communities, and unfortunately, religion as an institution has done more to undermine or impede the realization of human rights in India (Marshall, 2022).

The first Prime Minister of India, Pandit Nehru, had believed that as education and development increased, religion's position and influence in public life would naturally decline. Sadly, vote-bank politics led to community politics and the politicization of religion, so that did not occur.

Result and Discussion - The study explores ethnic and religious conflicts in India, revealing their historical, socio-political, and economic roots. It highlights the impact of colonial rule, partition of British India, identity politics, electoral considerations, and communal rhetoric on conflict. Economic disparities, limited access to education and healthcare, and systemic marginalization contribute to conflict escalation. Case studies like the Babri Masjid demolition and Gujarat riots show how religious and ethnic tensions can be manipulated by political actors, media, and social dynamics. The study emphasizes the importance of leadership and responsible media in mitigating or exacerbating conflicts (Marshall, 2022).

The study highlights the complex relationship between ethnic and religious conflicts in India, emphasizing the need for a comprehensive approach that acknowledges the country's cultural diversity and historical sensitivities. It suggests that a long-term vision, involving political leaders, civil society, and citizens, is crucial for fostering harmony. The study also highlights the role of economic development in mitigating conflicts, highlighting the need for targeted policies, inclusive growth, and job creation. Education can also play a crucial role in conflict prevention, promoting tolerance and empathy. The study concludes that overcoming resistance from vested interests, countering misinformation, and managing competing narratives can lead to a more harmonious future in India.

The discussion emphasizes the importance of collaboration among stakeholders, including government, civil society, religious leaders, media, and citizens, to resolve ethnic and religious conflicts in India (Kapoor et al., 2022). It suggests a vision of a unified India, embracing pluralism, acknowledging historical truths, and promoting interfaith dialogue. By recognizing challenges and learning from global experiences, India can foster a transformative journey towards peacebuilding.

Conclusion - The study of ethnic and religious conflicts in India reveals a complex tapestry influenced by historical

legacies, socio-political dynamics, economic disparities, and cultural diversity. These conflicts have a profound impact on social cohesion, economic progress, and India's global standing. Acknowledging and addressing historical wounds is crucial for healing and reconciliation. Socio-political factors, such as identity politics and manipulation of communal sentiments for electoral gains, have exacerbated divisions. However, responsible leadership, unbiased media, and informed citizenry can guide the nation towards unity. Economic disparities and unequal access to resources and opportunities are catalysts for conflict, necessitating equitable development and investment in education and healthcare. In-depth case studies highlight the importance of fostering tolerance, respect, and understanding among communities. The implications of these conflicts for national unity are far-reaching, affecting social cohesion, economic progress, and India's global standing. Conflict resolution strategies, including inclusive governance, interfaith dialogue, responsible media, education reform, and youth engagement, have emerged as key pathways to healing the past and forging a shared future. The journey towards unity requires sustained commitment, introspection, and a willingness to transcend differences in pursuit of a shared vision.

References:-

1. Babb, L. A. (2020). *Religion in India: Past and Present*. Liverpool University Press.
2. Bulajic, M. (2023). *Principles of international development law: progressive development of the principles of international law relating to the new international economic order* (Vol. 38). BRILL.
3. Henrico, R. (2023). The essential religious practices test used by the judiciary in India: restricting or advancing the constitutional protection of religious freedom? *Journal of South African Law*, 2023(1).
4. Kapoor, V., Flavin, W., Ochs, P., Matyók, T., & Fahim, E. (2022). Community Policing Solutions for Religion-on-Religion Conflict: Lessons from an Indian Case Study. *World*, 3(4), 840–857.
5. Kazmi, A. (2023). *Historiography Of Exclusion: Tracing The Impact Of Colonial Rule On Muslim Marginalization In British India*.
6. Khan, N. A., Ambreen, M., & Rasheed, B. (2022). Muslims Of Indian Subcontinent Struggle For Freedom On The Basis Of Culture Differences: An Analyze. *International Research Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1), 1–15.
7. Kofi, U. A. (2021). Religion and Federal Practices in Multicultural Societies: A Comparative Analysis of Nigeria and India. *International Journal of Social Sciences*, 14(1).
8. Maoz, Z., & Henderson, E. A. (2020). *Scriptures, shrines, scapegoats, and world politics: Religious sources of conflict and cooperation in the modern era*.

- University of Michigan Press.
9. Marshall, K. (2022). *Freedom of Religion or Belief in International Relations: Basic Principles, Nagging Debates*. JSTOR.
 10. Modood, T., & Sealy, T. (2021). Freedom of religion and the accommodation of religious diversity: Multiculturalising secularism. *Religions*, 12(10), 868.
 11. Natil, I. (2022). *New leadership of civil society organisations: community development and engagement*. Taylor & Francis.
 12. Palathinadiyil, A. M. (2020). Human Dignity In Indian Democracy: Already Or Not Yet? *Asian Horizons*, 14(4), 927–940.
 13. Rajan, S. I., & Kumar, P. (2020). Historical overview of international migration. In *India Migration Report 2010* (pp. 1–29). Routledge India.
 14. Singh, M. P., & Saxena, R. (2021). *Indian politics: Constitutional foundations and institutional functioning*. PHI Learning Pvt. Ltd.
 15. Srivastava, V. (2022). Constitutional Protection of Religious Practice vis a vis Reformatory Secularism: Analytical Study. *Issue 4 Indian JL & Legal Rsch.*, 4, 1.
 16. Vinod, R. (2023). *Modernity in India: Issues, Perspectives and Challenges*.
 17. Yoder, C. (2020). *The Little Book of Trauma Healing: Revised & Updated: When Violence Strikes and Community Security Is Threatened*. Simon and Schuster.

Functionalism and Psychological Analysis in Understanding Superstitious Beliefs, A Part of Nepalese Culture

Dr. Poonam R L Rana*

*Associate Professor, Central Dept. of Nepalese history Culture & Archaeology, Tribhuvan University, Kathmandu, NEPAL

Abstract : Despite the advancement of science, technological advancements, and modernization, superstitious beliefs continue to be prevalent in contemporary culture. This paper explores the oriental beliefs related to rain and droughts and identifies other beliefs and analyze it from Functionalism and Psychological approach. The methodology is qualitative approach based on exploration, analysis and narration. It was found that there exist innumerable beliefs related to rain and drought and other beliefs in Nepal. Functionalist analyze it saying if beliefs are functional they maintain social solidarity and value-consensus and Psychological approach claim that beliefs provides strength and positivity to survive and at times may hinder progress incase of negative beliefs.

Keywords: Superstitious-beliefs, Functionalism, Psychological, Nepalese- Culture.

Introduction - Belief in accordance to Oxford Dictionary refers to acceptance of things as true or what one believes (Ostler, 1941, p. 48). E.B Tylor shows that all religious beliefs and cults have developed from certain mistaken inferences from observation of such phenomena as dramas, trances, vision, diseases, walking and sleeping, life and death. He defines religion as a belief in Spiritual Beings or the Supernatural. He further added that early men believed that after death the soul left the body, and appeared only sometimes in dreams. They began to believe that everything possessed life and souls, this he termed as 'Animism' belief in spirits. They further believed that these spirits protected their families, tribes and watched over their moral behavior. (Jha, 1981, pp. 30-31) It perhaps was this attempt to communicate with these departed soul and spirits that gave rise to prayers and active worship. It was later that these spirits took the form of deities. With it emerged 'polytheism', and hierarchy of gods. This developed into 'monotheism'. The seed of so called superstitious beliefs were sown during primitive phase. As soon as they realized the power of nature, they considered it as 'superhuman forces' if there was no rainfall, the spirit of 'rain' was displeased, if landslide occurred the 'mountain spirit' was angry, they offered sacrifices to please it Hence we can say that superstition refers to belief for which there is no real basis in either science or religion. Most superstitions are vestiges of decayed systems of belief.(Tylor,1990, p.513)

The problem of the study is that focused study related to beliefs in Nepal is lacking is the greatest problem of study. The major research objective this paper deals are as follows

a) To explore Oriental beliefs related to rain and droughts
b) To superstitious identify other beliefs and analyze it from Functionalism and Psychological approach. The methodology is qualitative approach based on exploration, analysis and narration Global Beliefs.

The Dugum Dani tribes lives in the highland of New Guinea, they have no god, but their world is inhabited by host of supernatural beings known a 'Mogat'. The 'Mogat' are the ghost of the dead. They cause illness and death and also control the wind and rain. These tribes are not pious; they do not pray. Their rituals are not to honour or worship the 'Magots' but it was to placate and appease them. (Harlambose, 1989, p.435) This shows that the seed of superstition sown in the primitive phase continued through out the world.

The Teton Sioux tribes live on the northern prairies of USA The belief persists that the nature on which they are dependent, is controlled by 'Wakan Powers'. These powers are stronger and more mysterious than man. They cause the seasons to change, rain to fall, plants to grow and animals to multiply. The 'Waken Powers' were not worshipped but were appealed for assistance and protection. They believed that 'Wakan Powers' save-guarded them. (Harlambos, 1989,, pp. 435-436)

The world has progressed from the discovery of fire to interior heating systems and microwaves. From the earliest wooden wagon to the BMW, rocket, and space shuttle. We may have moved from the nineteenth to the twenty-first century, and most of us feel ourselves to be modern, with a liberal outlook on life and its prospects. However, there is a

paranormal effect on real-world happenings in commonplaces everyday; from black cats to ladders, salt to mirrors, objects tend to become superstitious everyday. These seemingly irrational behaviors have a remarkable impact on our mental states and defy reasonable explanation. The fact that most superstitions revolve around unpredictable events is not shocking in the slightest. Similar to other societies, Nepalese culture is deeply ingrained with superstitious beliefs that have been passed down through unknowable ages. These beliefs have a profound impact on the lives of those who live in this ancient, religiously orientated region of legends and myths known as Nepal.

This research paper fulfills the objective to explore the oriental beliefs associated with rain and drought.

Rain/Drought associated with Oriental Beliefs - It is interesting to note the oriental beliefs associated with rain and droughts. Prior to that it is note-worthy matter to know about the definitions related to the existing beliefs.

Since beliefs are “part of a system that includes our values and attitudes, plus our personal knowledge, experiences, opinions, prejudices, morals and other interpretive perceptions of the social world,”(Saldana, 2016, p.132). Beliefs can also be embedded or implicit in many other study topics, such as judgements, ideologies, concepts, attitudes, or theories. (Pajares, 1994, pp 193-203).

Superstition is described as an unreasonable, baseless phenomenon.(Vyse, 1997) It is described as a notion that one occurrence happens because of another, without any natural mechanism that links the two. (Jahoda, 2007, pp.20, 594-595). It appears that superstitious beliefs are similar to intuitive thinking. (Genovese, 2005, Hergovich & Arendasy, 2005; Lindeman& Aarnio, 2006).

There exist contradictory results related to superstitious beliefs. It has been inferred that weak analytical thinking is correlated with superstitious beliefs and those based on logic and reasoning, is opposite to superstitious thinking or beliefs. (Bressan, 2002, pp.17-34)

Whatever it maybe, weak analytical thinking or logic and reasoning based beliefs. Despite 21st century we are still within the web of these beliefs.

Beliefs on Rain & Drought - In the remote villages of Nepal, if there is no rain for a long period of time, the belief persists that if women-folks in the middle of the night plough the field completely naked. There will be rainfall. Research foretells.



Fig. - 1 Frogs wedding

Frogs Wedding in the city of Bhaktapur and other surrounding areas of Kathmandu valley where there exist agricultural lands; if in case, there is a long period of drought, the villagers start their traditional rituals, where they worship ‘Lord Indra’ deity of the rain and end the ritual by conducting a traditional wedding of a Male Frog with a Female Frog. Both frogs have to be brought from different streams. They chant holy mantras and complete the sacred marriage and finally leave the married ‘frogs’ in a pond. This wedding of a frog and a female frog was recently conducted in the year of 2009 at Bhaktapur when the valley went without rain for nearly eight months. This belief exists to this day in Nepal. Such marriages take place at Madhya Pradesh also by the farming community. When many locals were interviewed out of 30 samples (comprising of elders, middle-aged and youths). Majority agreed that such rituals were good for them. After observing it, rainfall did take place. Functionalist claim that be it beliefs or values, if functional for the community and society, it will help to maintain value consensus and social solidarity. While Psychological approach claims that when belief and traditions are so very embedded into their minds and the strong belief, actually fulfills their wish and self -satisfaction is acquired.

Surrounding **Swyambhunath temple and King pratap Malla** are the shrines of five elements earth, water, fire, wind and sky.

- Basupura is the shrine of the earth, where the image of Basundhara , the divinity of the crop is placed.
- Nagapura Nagas (serpent) are believed to be the agent of rain and water. Thus to signify water, Nagapura or the shrine is dedicated to Naga lies to the north of the stupa.
- Agnipura or the shrine dedicated to Agni or fire stands on the northern western corner of the stupa dome.
- Bayupura, it is dedicated to the god of the wind and is situated on the south western corner of swaymbhu.



Fig 1 a Swayambhunath and Shantipur stupa(Source Net)

Fig 1 b King Pratap Malla

Shantipur lies on the northern side of Swyambhu. This shrine is dedicated to the sky. It is believed that there are nearly twenty-seven subterranean dark chambers within this shrine. In this last 300 years no one has dared to enter it. Once there was serious drought in the valley. It is believed that King Pratap Malla of Kantipur entered into the underground cells and was able to bring out ‘manuscripts’

written with blood of (Naga) serpents. This chanting lead to heavy rainfall. (Varya, 1981, pp 113-114).This is historically mentioned in the New Vamsawali (local text) . When analyzing this the functionalist would generate that, King Pratap Malla a tantric was able to read the text and enter the holy place. To this day only tantric 'Guvajus' (well-versed tantric) enter for worship once a year. Be what may Functionalism claims that any beliefs or rituals that benefits all, is valuable for the universe. Psychological approach views that the existing beliefs actually manifests itself and befits them if the wish and belief is strong.

Croaking of the Frog - During long period of drought, the farmers in various part of Nepal keep listening for the croaking of the frogs. Belief persists that, if the frogs croak loudly, there is sure to be rainfall. This is a belief passed down from generations to generations. Earlier when there was no science and technology to predict rainfall. The farmers relied on the saying of their elders. When people were interviewed, new generation had no idea, they just said their granny talked about it. But, among the farmers, to this day they believe and majority claim it is true. They believe that it will rain. Functionalist claim that any values or beliefs that is fruitful to the community and society helps to maintain 'value-consensus' in the society. Psychological approach views that if any beliefs help to provide peace of mind and brings happiness among all it is acclaimed as positive constructionism.

Circling of Kankakuli (Eagle/ Cheel) - When eagles fly in circles, whistling loudly all the time it means that they are asking for water. Belief exist that they do not drink water from lakes, rivers because they see it as dirt, blood they drink only the rainwater as it falls. Hence, when they cry as they fly, people believe that it is going to rain. They term them as 'Kamkakuli'.

There is an interesting myth related to this bird termed as 'Kamkakuli' in Nepalese culture. Story foretells of a man who happened to be very greedy, one day a dying man came to his door-step and requested for a drop of water to drink; but the greedy man shut the door on his face. After he died he turned into 'Kamkakuli' bird that cannot drink water from ponds or rivers but have to wait for rainfall to quench their thirst. The new generation have forgotten about it, however, if there are elderlies in the family, then such local tales are passed down from generations to generations. Functionalism claim that if beliefs does not harm anyone and is functional then it helps to maintain balance in the society. Psychological approach is that such tales also is a didactics as it teaches us moral values of helping others in need.

Hom / Yajna Rituals and Songs/ Dance - Another common practice among the Nepalese people during prolonged draught is to offer prayers and 'agni-hom' and chant from the 'veda' in name of Indra deva. Among the Hindus Lord Indra is regarded as the 'God of Rain'. This belief exists to this day. Despite secular Nepal, majority

are Hindus who are involved in rituals and worships if anything goes wrong.

There are ancient classical songs and music termed as 'Megha Malahara' Megaha refers to the dark floating clouds that brings rain and 'malahara' is the classical song associated with it. Belief exists that when an artist with extraordinary voice sings the 'Megaha Malhara' from the very core of his soul, there will be rainfall. To this day story of Tansen who by singing 'Megha Malhara' brought rainfall, is famous here in Nepal too. Among the Newar community on the day of Indra Jatra (Festivity celebrated for Lord Indra) on this day there is dance pf " Majipa Lakhey" (Masked Dancer.)



Fig - 2 " Majipa Lakhey" (Masked Dancer)

Majipa is derived from the words Manjupattan, which means 'the city built by Manjushree,' and Lakhey, which means 'the carnivorous demon of Majipa.' The Lakhey dances to the music and proceeds through the procession. It is said that the harvest will be good and there will be timely rainfall. The Functionalist approach views that these persisting beliefs are so very strong that it is passed down from generations to generations. This benefits and is functional to maintain one's traditions and culture. Likewise, Psychological approach views that our attitude, thinking and what we do or believe are the products of our mind. If thinking is positive than it helps to safe-guard one's culture and traditions. If not, it will vanish with time.

Historical Legendary Tale associated with Rain and Drought



Fig - 3 Guru Gorakhnath

Legend foretells that once Gura Gorakhnath caught hold of nine serpent deities including 'Karakotaka Naga' and confined them, and took to meditation. Because of confinement of Nagas (serpents), Nepal experienced tremendous drought for the period of 12 years. Lord Matshendra Nath, who had been mediating in the Himalayas, came to know about the drought and came to save Nepal. Thus due to him Nepal received rainfall after 12 years. He is regarded as 'Karunamaya' or 'tender soul'. Since then in his honour the festival of 'Machendranath' is practiced every year. Believe it or not, on that day when the chariot of 'Machendranath' is pulled, the valley there is rainfall. Strange! But True. (Shakya, 2024, interview)

Cleaning of the well and Rainfall



Fig - 4 Belief associated with well

The valley once upon a time was a fertile land for agriculture. Hence, rainfall was very much necessary. In the valley to avoid prolonged draught the locals of the valley followed a passed down belief or a custom of cleansing the famous well '**Japa Tung**' made during the period of Brisha Deva the father of Lichhavi King Dharmadeva and grandfather of Manadeva. He was helped by Guvaju tantrik Shantikar Bajracharya. Locals believe that it took 12 years to commemorate it. To this day many elderlies believe that in times of drought or lack of rain for a long time the cleaning of this ancient well will bring rainfall. (Bajracharya, 2024, interview)

Asking for Rainfall -In the valley there is a belief that if it does not rain for a long time, then youths who are half naked jump outside the valley yelling 'Hara Hara Mahadeva Pani Dey' 'Holy Mahadeva give us water' At Kirtipur, on such occasion people throw water from house to house, from windows on them. This is said to avoid drought.

Another belief persists that if a cow is taken to the sandy banks of Holy Bagmati and milked, and if 'Holy Rudri' is performed at Sacred Pahupatinath, by 'burning of the holy fire'. There is a belief that it will end drought and rainfall will take place. (Shakya, 2024, interview)

Researcher's Grandmothers Belief related to rain & drought - Granny always told us ' Rainfall on Tuesday or Saturday' is taken for the continuity of rainfall for the whole week. Strange but true, as a researcher I have observed that that this seem to be true in Nepal. The rain may not

fall for a week, but it certainly continues for a day or two.

When the rainfalls, if it creates huge big bubbles as it falls, belief persists that there will be heavy rainfall for many days. Likewise, if the eastern sky turns red during sunset time there will be rainfall and if western sky turns red then it will not rain.

If it does not rain for a long time then, belief exist in Nepal that that at midnight if naked women go to the fields and plough it. It will rain.

Another interesting belief related to rainfall is that to see rows of ants running around, shows that there is to be rainfall along with the storm.

If it rains on a wedding day, it is believed that either the groom or the bride has licked the ladle, or the cooking spoon. This saying and belief is true to this day. When married couples were interviewed, 70% who had licked the ladle did have rainfall on their wedding day, but 30% who had licked the ladle but did not experience rainfall on their wedding. Statistically this belief is true, if we are to consider the percentages.

There are also beliefs that if without rainfall; water starts to pour down from the rooftop, known as 'balesi' in Nepal. It is a premonition of bad days ahead to come.

If there is non-stop torrential downpour , only way to stop it; is to heat the iron pan (Karai) in Nepali and turn the heated 'Karai' upside down below the 'Balesi' or the water poring down from the roof-top. The sound and the smoke that goes up is said to stop the rain. (Rana, 1980, oral tradition)

Belief & Rainfall - Worship of 'Akash Bhairab', Akash means 'sky' and Bhairab is the destructive form of Siva, who is the one of the most important deity in Nepal. Worshipping of the sky existed throughout the world millions of years ago. In Nepal it continues to this very day by burning incense, offering prayers is believed to bring rainfall. In Nepal many farmers offered prayers for rain. Today since most of the land has been used for constructions, its importance has decreased but the rituals, beliefs continue to persist to this day. (Bajracharya, 2024, interview)

When both sun and the rain shines and falls together at the same time, saying goes like this:

" Gham Pani Gham pani,
Sun, Rain, Sun, Rain,
Shyala ko biha,
On the Jackles wedding,
Kukur janti, Birallo Bahun,
Dogs are the procession, and Cats are the
Brahmins."

The general belief which most of the Nepalese believe is that there will be rainfall on the festivity of Sivaratri and Machendranath jatra. It is interesting to note that it certainly does rain on such festivity. Strange but True can be termed as 'Believe it or Not'

Functionalism views that be it beliefs or values or myths , legends as long as they are functional and it helps

to maintain social solidarity and it helps individuals to “Fit In” within these beliefs and values. These beliefs existed, is existing and will continue to exist .

Psychological approach claim that these values, beliefs that has been passed down since times unknown have become a part of the society and culture as a result some of it has taken into ritualistic forms. These beliefs helps to provide strength, and may help to provide mental peace of mind and gratifies their needs.

These are just few research collections related to rain and drought. This area is further open for research. Thereby the researcher has fulfilled its first research objective.

The **second objective** is to identify other Superstitious beliefs and analyze it from Functionalism and Psychological approach: Below are few beliefs associated with arrival and departure, that is followed by many to this day.

Departure & Arrival Beliefs - In traditional society like Nepal, every little thing is associated with auspicious and inauspicious beliefs. Arrival and departure to both domestic and foreign lands are also associated with numerous beliefs.:

“Mangalbar na bhetnu, Sanibar na chutnu”

“Do not meet on Tuesday, and do not separate on Saturday”

Most people to this day avoid leaving home on Saturday, for a long journey. If it is urgent then on Friday itself one should send ones personal attire or clothing to a relative’s home as ‘departure sagun’ This small ritual signifies that particular individual has left his home on Friday itself. After this he is free to leave his home on Saturday and he will avoid facing ill-omen.

The belief exists that one should avoid travelling on Saturday. If in case of urgency on When a person is about to go to foreign lands he has to undergo through some minor rituals. Prior to his departure he worships ‘Lord Ganesha’ the ‘Elephant God’who is said to remove all obstacles and burns ‘oil lamp’. He is applied with ‘vermillion tikka’ and is given banana, curd etc, and among some ethnic communities like Newars boiled & fried eggs, and fishes are considered very auspicious omen. (Self-Observation since childhood)

Functionalist when they analyze the above traditions or beliefs view that as long as these believes do not harm anyone, it can be followed and it is accepted to be functional. While **Psychological approach** analyzes it by saying, if such beliefs develop positivity and good vibes among all, then, it is fruitful for all those who follow it. It will provide them strength and helps to maintain peace of mind in times of trouble.

King or some important person of the country is to depart to foreign lands. It is considered very auspicious to accept flowers from the ‘Pancha Kanyas’ or 5 young girls. They are regarded as the incarnations of the ‘Kumaris’. Their blessings in form of flowers are considered extremely auspicious to the person, leaving his land. This ritual

continues to this day in this land of gods.

A person should not leave home or walk around during the mid-day. It is considered ‘unlucky’, Research reveals that a lady who left her home on her scooter during mid-day, simply, simply forgot her destination, who she was? She wandered for more then one hour prior to realizing her destination. Since then she never leaves her house during mid-day. Questionnaires reveal that 50% agree to this belief.

Days of the week & Beliefs - When few elderlies were asked about beliefs associated with days of the week . Some had no idea but few enlightened the researcher this way.:

- Monday: We should not purchase new clothes.
- Tuesday : If we leave the city on Tuesday then the belief persists not to return on Saturday.
- Wednesday : Elderly to this day believe that one should not buy cooking oil on Wednesday. This belief has been forgotten today.
- Thursday: There is a belief that a women who are not widows, should avoid washing their hair.
- Friday : One should not eat meat on Friday.
- Saturday: If someone leaves the town on Tuesday they should not return on
- Sunday: Three people leaving the house together on Sunday must avoid heading separate ways to different destination.
- When leaving the house, refrain from cleaning, showering, doing laundry, or removing items to avoid returning them. (Shakya, 2024, interview)

In todays society such beliefs may not be applicable, however, in the villages of Nepal people continue to follow it.

Work Related Beliefs:

- a. To see an empty pitcher is considered ill-omen. To see a filled up pitcher is good.
- b. When one is leaving for some important work, to sneeze or if someone sneezes, it is ill-omen
- c. It is believed that when three persons go together for some business or work it will not be successful.
- d. If a cat or a serpent crosses the road while we are on our way for some work, it is ill-omen, and it is believed that that the work will not be completed

Functionalist view that these beliefs that have been passed down from generations if functional to the society then it helps to maintain social solidarity and value consensus. However, if it hampers or acts as an obstacle for the development of the community and society then it generates dysfunction.

Psychological Approach on the other hand views that the seed of such beliefs has been sown into the brains of the children during socialization as a result , they start to believe that such beliefs work. Sometimes such beliefs generate positivity while others may hamper their personality and behaviors. Such beliefs develop negativity

in a person and makes them weak.

Beside all these there are other general beliefs that exist here in Nepal that has been termed as:

Some other Superstitious Beliefs:

- a. Falling of a chameleon on one-self or some-one is not good it may bring bad news.
- b. Appearance of a big spider on the ceiling is an indication of ensuing quarrel among family members.
- c. It is general belief that to see gold in one's dream is ill-omen it means the person will loose something. If one dreams of stool and urine he will gain something eg. money.
- d. Fluttering of right eyelid is good-luck for male and left is considered bad
- e. For female fluttering of left- eyelid is good, and right is bad omen.
- f. Itching of the right palm for male will bring money and left will loose money and vise-versa for women. (In researcher's case in both case money does come. Believe it or Not.
- g. Itching of the throat is a sign that someone is speaking ill of you.
- h. Itching of the right ear for the male is good, it brings good tidings and vise-versa for the female.
- i. When someone touches the throat, they are to blow over their fingers or it may lead to growth of 'goiter'.
- j. Those with squint – eyes cannot be trusted.
- k. Arrival of a person while someone is speaking of him or her foretells longevity of life. This is believed to this day.
- l. To see pigeon on the roof is good and to see a vulture is considered a bad omen.
- m. Among Nepalese 8th year is considered inauspicious in individuals' life. Example the numbers: 8,18,28,38,48 etc.

Historical Beliefs:

- a. King Shiddhi Narashima Malla of Patan saw Radha Krsna in his dream and established the famous Krshna Mandhir at Patan.



Fig - 5 Krishna Mandhir (Lalitpur)

- b. King Pratap Malla of Kathmandu in the 16th century dug a tank at Bhandarkhal and brought water from 'Buddhanilkhanta' but his action displeased Lord Narayana and the king received a curse saying that if

any Nepali king would visit 'Budaniikhanta' they would die. Since then no king can visit Budaniikhanta.

- c. Likewise there are many more of such beliefs that has yet to be researched.

Thus it can be concluded that this research paper has fulfilled. its objective to explore Oriental beliefs related to rain and droughts, however many more of such beliefs existing outside Nepal can yet be explored and compared. It has also identified other beliefs and analyzed it from Functionalism and Psychological approach. The paper has opened venue for future researches on such beliefs.

Note: The collected beliefs are based on primary sources that have been collected through interviews with elderly women and males of 70 years and above, few 65 years old have been included. (Oral Tradition).

References:-

1. Aarnio, K. 2007, Paranormal, superstitious, magical, and religious beliefs (Doctoral dissertation). Retrieved from <http://urn.fi/urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4202-7>
2. Bressan, P. 2002, The connections between random sequences, everyday coincidences, and belief in paranormal. *Applied Cognitive Psychology*, 16(1), 17-34.
3. Genovese, J. E. C. 2005. Paranormal belief, schizotypy, and thinking styles among teachers and future teachers. *Personality and Individual Differences*, 39(1), 93-102.
4. Harlambos, Michael. 1981, *Sociology Themes & Perspectives*, Oxford University Press.
5. Hergovich. A., & Arendasy, M. 2005. Critical thinking and belief in paranormal. *Personality and Individual Differences*, 38, 1805-1812.
6. Jha,, Makhan.1981, *An Introduction to Anthropological Thought*, Vikas publishing House.
7. Lindeman, M., & Aarnio, K. 2007. Superstitious, magical, and paranormal beliefs: An integrative model. *Journal of Research in Personality*, 41(4), 731-744.
8. Ostler, George. 1941, *The Little Oxford Dictionary*, Oxford ,Clarendon Press.
9. Pajares, F. & Miller, M.D., 1994, Role of Self-efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem solving: Apath analysis. *Journal of Educational Psychology*.<https://doi.org/10.1037/0022-066386.2.193>.
10. Saldaña, J. 2013. *The coding manual for qualitative researchers (2nd ed.)*. Sage Publications. Google Scholar
11. Tylor, E.B, 1990, *Dictionary of Anthropology*, (Govl SaaB), Goval Publisher.
12. Varya,, Tank 1981, *Vilas The Seat of Cultural Heritage*, Educational Enterprise press,

Interviews:

1. Rani Heroda Devi Pal (Rana) : Oral tradition
2. Renuka Shakya: Age 78, 27th Janurary 2024
3. Surendra Bajracharya: Age 79, 21 March 2024

Appointment Procedures for Ministers and Administrative Officials by the Ancient Indian Scholars

Astha Vellanki Ratnam*

*Department of History, Institute for Excellence in Higher Education, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract : The paper explores the pivotal role of ministers in ancient Indian governance, emphasizing their necessity for effective administration alongside the king. It examines philosophical perspectives, such as those of Kautilya, Kamandak and Shukra. The article outlines the selection criteria and qualifications for ministers, from the Vedic times to the Gupta age highlighting their multifaceted responsibilities. By analysing historical practices and terminology, the article illustrates how ministers were integral to maintaining social order and governance, significantly influencing India's political and cultural evolution.

Keywords-Upadha, Amatya, RajnahRajkritah, Rajsuya, Ratnin, Panya, Lakshandhyaksha, Sita, Durmantra or Kalyanmantra.

Introduction - In ancient India, the need for the state to maintain social order and security was understood from the very beginning. In the absence of system/order, chaos will ensue and anarchy (*Matsya Nyaya*) will ensue. Thus, ancient Indian philosophers considered the existence of the king inevitable for good governance. But the king alone cannot maintain law and order and carry out all the duties and responsibilities expected from him, and for this, he needed his council of ministers.

The concept of a cabinet or council of ministers played an important role in ancient Indian politics. The importance of ministers can be understood by the fact that different scholars have associated different terms with the council. For example, Shukra has compared the kingdom with a human body, where the king is the head, Amatyas are his eyes, and ministers are his ears. Even Kautilya has included and explained the importance of the council of ministers by including them in his "*Saptaang*" theory of state and considered them as the second wheel of the chariot (state). Somadeva Suri has considered ministers as the heart of the king; just as a heart is important for a man to survive, in the same way, it is essential to have ministers for smoother governance.

In the Vedic era, there were certain people called '*RajnahRajkritah*' who used to give *Parnmani* to the king as a form of royal approval. *Parnamani* was made from a soma plant and used for *Bala* (Strength), *Ayu* (long life), and *Dhana* (Wealth). In the post-Vedic era, these Rajkritahs were replaced with Ratnis. To acquire his Ratnis, the king would perform the Ratnahovimshi ceremony, which was a part of the Rajsuyagya. The Ratnis, apart from guiding,

would also legitimize the King and his rule. Most of the rats were 12 in number. And in order of their importance, they were: 1 *Purohit* or Brahman, 2 *Rajan*, 3 *Senani* (Head of the Army), 4 *Mahishi* or the Chief Queen, 5 *Suta*, 6 *Gramni*, 7 *Kshta*, 8 *Sangrahita*, 9 *Bhagadugha*, 10 *Akshvapa*, 11 *Govikruta*, and 12 *Palagal*. The king would visit the houses of these Ratnis and offer them *Havi* (offering given to the havan). *Havi* to the *Senani* was gold. To the priest in the form of a cow, the *Mahishi* is also offered a cow. *Suta* is offered food made from barley, bull to the *Kshta*, and black cow to *Bhagadugha*. *Palagal* was given a bow and arrow and a red turban. The rest (*Akshvapa*, *Sangrihita*, and *Govikruta*) were also offered cows.

Some Ratnis were related to the king through kinship, whereas others were functionaries who had no familial relations with the king. Most of the time, the Ratnis were men. Apart from *Mahishi*, in the Vedic era we do find instances where two or more Ratnis were women too. The Ratnis even included people from the non-Aryan tribe. It can be said that through the Ratnis, all members of different varnas and classes were represented. In most cases, posts were filled based on merit, meaning the Varnas might have been fixed, but the posts didn't assume a hereditary character.

Ancient Indian texts have used different words for council of ministers like *Amatya*, *Sachiv*, *Mantri*, and in later periods, Tirth. In the works of Kautilya, Manu, Kamandaka, and *Agni Purana*, the words *Amatya* and *Sachiv* have been used as synonyms. In the words of John W. Spellman, "Although there are distinctions between *Amatya*, *Sachiv* and *Mantri*, they are not often observed, and authors

sometimes use these words interchangeably and as synonyms.”

The first Indian Empire in its true and complete sense was established in the Mauryan Age. Kautilya was the one who envisioned such an empire under Chandragupta Maurya. Kautilya, in his *Arthshastra*, has mentioned the *Saptaang* theory of state. That is, the state is made of seven components. *Amatya* (Ministers) *Janapada* (the territory) *Swami* (the king) *Durga* (a fortified capital) *Kosha* (the Treasury) *Danda* (justice or force) *Mitra* (ally). The functions of a state are so multifaceted and complex that a king alone cannot fulfil them and therefore needs assistance. A king without his councillors and ministers wouldn't be able to rule for a long period. According to Kautilya, the duties and functions related to operating a state are many and have to be performed efficiently at different times and places for smooth administration. To ensure the smooth running of the administrative machinery and avoid any mistakes, Kautilya suggests the appointment of Ministers and *Amatyas*. Kautilya has drawn a distinction between *Amatyas* and *Mantris*. According to him, anyone with good qualities can be appointed as *Amatya* (superintendent),” but *Mantris* he has not mentioned any specifications. Also, the *Amatyas* could be appointed as many depending on the size of the empire and the responsibilities of the state. Whereas he suggests that ministers should be only three or four.

To become a member of the Council of Ministers, the person needed to have some special qualities and qualifications. In ancient India, ministers had very high positions in the government. Their importance was next to the king; this is the reason much emphasis has been put on their qualifications. According to *Arthshastra*, certain pre-requisite qualities that were sought after for all administrative posts were that the person should be a native, a high-born influential well-trained in the arts, possessed of foresight, wise, of strong memory, bold, eloquent, skilled, intelligent, possessed of enthusiasm, dignity, and endurance, pure in character, affable, firm in loyal devotion, endowed with excellent conduct, strength, health, and bravery, free from procrastination, fickle-mindedness, affectionate, and free from such qualities as excite, hatred, and enmity.

Persons endowed with all the above were to be appointed as ministerial officers (*amátayasamprat*), who were the high-ranking officers. Persons who possessed one-half or one-quarter of the above qualifications came under the middle and low ranks.

The ministers also underwent a character test conducted by the king. The ministers were tested under the criteria of life, religion, wealth, love, and fear.

Kautilya suggests that the king shall dismiss a priest who, when ordered, refuses to teach the Vedas to an outcaste person or to officiate in a sacrificial performance, undertaken by an outcaste person (*ayájya*). This dismissed priest, with the help of spies, will then instigate each minister to replace the present king with a new one. If any or all

ministers refuse to do so, they will be considered pure under the religious parameter. Next, the ministers will be allured by a dismissed commander of the army. Under the pretext of gaining immense wealth, the commander will allure the ministers to murder the king. If they refuse to agree, they will be considered pure to monetary temptations. Next, the ministers will be judged on the grounds of love and fear. A woman spy under the guise of an ascetic highly esteemed in the harem may allure each minister of the king on the pretext of love and wealth. If they discard the proposal, they are considered to have passed the love allurements test and are considered pure. With the intention of sailing a commercial vessel, a minister will induce all fellow ministers to follow him. Also, a spy under the guise of a fraudulent disciple, pretending he was imprisoned, will suggest they kill the king and take all the wealth. On the grounds of apprehension that the king would kill them and refuse the proposal, then they are regarded as pure. Those ministers who successfully passed the religious allurements trials were to be employed in civil and criminal courts. Those who were successfully tested under monetary allurements were to be employed as revenue collectors or chamberlains. Those who were tested under love allurements were to be appointed to superintend the pleasure grounds. Those tested under fear allurements were to be appointed to immediate service. Those who passed all four types of allurements—religion, wealth, love, and fear—and showed exceptional integrity of character and conduct were to be appointed as prime ministers. Those who failed and proved themselves impure in one or all of the allurements were to be appointed in departments like mines, timber, elephants, forests, manufactures, etc.

In the Mauryan administration, next to the *Amatyas*, *Adhyakshas* were also appointed. These *Adhyakshas* were also selected for various departments based on their character. These *Adhyakshas* served in economic and military roles. 26 *Adhyakshas*, or secretaries, have been mentioned in *Arthshastra*. Some of them were: i) *Lakshanadhyaksha*, President of Currency & Mint; ii) *PanyaAdhyaksh*, Head of Commerce; iii) *Kupya Adhyaksh*, Head of Forest; iv) *Pautav Adhyaksh*, Head of Weights & Measures; v) *Shulk Adhyaksh*, Collection of Customs & Toll; (vi) *Sutra Adhyaksh*, Head of Textile Production Activities; (vii) *Aayudhagara Adhyaksh*, Head of Maintenance of Weapons; (viii) *Sita Adhyaksh*, Head of Agriculture. It is to be noted here that the department heads were also appointed from among the *Amatyas*. The first-class *Amatyas* became prime ministers. The second class became members of the council of ministers, and the third-class *Amatyas* were to be head of department.

The *Satvahanas* took after the Mauryan administration, and like that, we find *Amatyas* were appointed here as well. The first mention of *Amatya* is found in the *Satvahana* inscriptions.

The inscriptions mention the names of various *Amatyas*

who served under them. It is believed that these Amatyas were not appointed based on hereditary. Drawing parallels with the Mauryan Administration since Satvahanas were highly influenced by the Mauryan Administration, we can assume that the Amatyas of the Satvahanas were also chosen based on merit. The only difference was that the Amatyas in this period did not enjoy the same power and prestige once associated with them in the Mauryan period, yet they were equally important. According to R.S.Sharma, the Satvahanas appointed traders and businessmen to the post of Amatyas as many urban and semi-urban centres emerged during Satvahanas rule, and these traders seemed to have a close relation with the activities of the towns and cities and hence were regarded as better suited for the post of Amatyas to look after urban administration.

The next big empire that emerged in ancient India was of the Guptas in the 4th century AD and continued till the late 6th century. The structure of the Gupta administrative setup was not completely different from the Mauryans but was replaced with new terminology. Also, several different posts with new terms were introduced. Kamandak's *Nitisar* serves as a reliable source to learn about the politics and administration of this period. Kamandak, who was a disciple of Kautilya. Uses the term *Mantriparishadmandalam* instead of Kautilya's *Mantriparishad*. Like Kautilya, he too has espoused the Saptangatheory of state and considers ministers to be an important part of any empire.

According to Kamandak, a person who wanted the post of a minister should have certain qualities, like being from a good family, certainly high-born, with pure and heroic tendencies, learned tendencies, versed in the art of politics, and loyal. Also, he should be a native with excellent character and a friendly disposition; he should be enthusiastic, truthful, and a bearer of agility with a sound and attractive personality, a healthy personality, a healthy physique, and appreciable diplomatic skills. Military prowess was a necessary requisite for all the ministers. Thorough scrutiny was done before the selection of ministers because, based on a mantra or council, a council can be *Durmantra* or *Kalyanmantra*, that is, it could be bad or good, respectively.

Kamandak also directs that in any case, if a minister puts his selfish interests above the state's, he should be immediately sacked.

Kamandak's *Nitisar* classified ministers into 3 broad categories: *Mantri*-incharge of territorial units; Amatyas-in charge of revenue; and *Sachiv*-incharge of the military department. Important ministers and administrators under the Guptas are as follows: (i) *Vinaysthithisthapaka*, kind of *Purohit*. Related to religious matters of the state; (ii) *Mahabaladhikarna*, Military General; (iii) *Sarvaadhyaksha*, General Superintendent of the Central Administration; (iv) *Mahasenapati*, Head of the Military Department. Military Department; (v) *Mahadandnayak*, Head of Police Department, Department. Subordinate of *Mahasenapati*; (vi)

Mahasandhivigrahak, Foreign Minister. (vii) *Mahapratihara*, chief of palace guards; (viii) *Dandapashika*, superintendent of the police department; (ix) *Khadyakapakik*, in *Khadyakapakik*, in charge of the Royal Kitchen; (x) *Ayukta*, appointed to restore the vanquished property conquered by the emperor.

The highest administrative officers were the Kumara Amatyas. The Kumaramatyas served as a connecting line between the central and provincial administrations. According to K.C. Srivastava, the Kumaramatyas had their own separate office called '*Kumaramatya Adhikaran*', signalling that they wielded significant importance and influence in the administration.

Somewhere after the era of Chandragupta I, the office of Mantris or Amatyas started to become generally hereditary. This is supported by the various inscriptional evidence we find of this period. One of the examples comes from central India, where five generations of administrative officers come from the same family. Another example is found in the *Karmadand* inscription, which shows that Kumar *Amatya Shikharswami* was the minister of Chandragupta. His son Kumaramatya Prithvisena became minister of Kumargupta and later on, was also appointed Commander in Chief (*Mahabaladhikrita*). This shows that although the selection of ministers was based on merits and qualities, based on them they were appointed to a certain post, and in some cases, there were even changes of portfolios, but the truth was that heredity played an important part. Sons of ministers were seen as the obvious choice for filling in their shoes, given that they had all the required qualifications needed to be a minister. These posts became hereditary with time, but by no means the ministers could act on their own accord. The minister's office was safe for as long as the assembly trusted them. Non-compliance or non-performance of administrative duties would lead to serious repercussions.

Somadeva Suri, the writer of *Nitivakyamrit*, has described certain qualifications for the members of the council of ministers. He opines that a person to be appointed to the post of minister should be a native of the state. Only a person born in the same state will be loyal to the state and not betray his country. Another qualification that the person should possess is that he should be a person of fine character; otherwise, even if he possesses all qualities and qualifications but does not conduct himself properly, then he shouldn't be made a minister. Nobility and lack of any addictions are also required qualities for the post. He should always be ready to assist the king in times of need and should have adequate knowledge of subjects like agriculture, animal husbandry, commerce, trade, etc., as these are required for running a state. Another desired qualification is knowledge of weapons. The post of minister is filled with sufficient responsibilities and dangers. Therefore, the minister should have adequate knowledge of weapons. Somadev like Kautilya advocates the

UpdhaParikshan. That is, a person appointed to the post of minister should undergo an examination based on (i) religion (*Dharmopdha*), (ii) wealth (*Arthopdha*), (iii) lust (*Kamopdha*), and (iv) fear (*Bhayopdha*). The person who passes these four tests should be appointed as the Prime minister of the Council of Ministers.

Conclusion: It can be concluded from the above discussion that ministers were an indispensable part of the ancient administrative system and had wide-ranging and multifaceted roles from policymaking to implementation to military strategization and crisis management. From maintaining diplomatic relations to overseeing religious and cultural matters, all in all, they enabled the smooth functioning of the kingdoms. That's why various scholars have suggested and devised various qualifications and tests to appoint the right, most excellent, and selected people to

the post of minister. Their contribution is integral & crucial in the historical development of ancient India & has left a long-lasting impact on India's polity & cultural legacy.

References :-

1. Sharma, Harishchandra "Prachin Bhartiya Rajnitik Vichar Evam Sansthayen", College Book Depot, Jaipur.
2. Vidyalkar, Satyaketu "Prachin Bharat Me Shasan Sansthayen Au Rajnitik Vichar", Rajkamal publication pvt. lmt., Delhi.
3. Dixitar, VRR "The Gupta Polity", Motilal Banarsidas Publishers Private limited. Ed 1952.
4. Kautaliy Arthashastra translated by R. Shamsastry, Arjun publishing House.
5. Sharma, R.S. "Prachin Bharat me Rajnitik Vishar Evam Sansthayen", Shri Saraswati Sadan, Mussoorie.

The Rise of Social Commerce : How Social Media is Changing the Way We Shop

Sunil Suryavanshi*

*Associate Professor (Commerce) Govt. Madhav Art & Commerce PG College, Ujjain (M.P.) INDIA

The revolution of retail: How social media is changing the way we shop. The way rise of social media has transformed the way we live, communicate and shop.

Platforms as like instagram, facebook and tiktok have revolutionized the retail landscape, offering a seamless and immersive shopping experience. In this article, we will explore the impact of social media on the way we shop and what it means for the future of retail.

The Rise of Social Media: A Revolution in Communication and Connection: In the past two decades, social media has evolved from a niche phenomenon to a global revolution, transforming the way we communicate, interact, and share information. From humble beginnings to worldwide dominance, social media has become an integral part of modern life.

Early Days: The Birth of Social Media : The first social media platforms emerged in the late 1990s, with sites like (link unavailable) and Friendster pioneering online connection. However, it was MySpace and LinkedIn that gained widespread popularity in the early 2000s, laying the groundwork for the social media explosion.

The Rise of Facebook and Twitter: Facebook, launched in 2004, and Twitter, launched in 2006, marked a significant turning point in social media's trajectory. Facebook's user-friendly interface and Twitter's real-time updates made them irresistible to users. Their popularity soared, and they became the standard-bearers for social media.

The Social Media Landscape Expands: As Facebook and Twitter grew, new platforms emerged, catering to diverse interests and demographics. Instagram (2010), Snapchat (2011), and TikTok (2016) capitalized on visual content, while Reddit (2005) and Discord (2015) focused on community-building and niche interests.

Social Media's Impact on Society : Social media has revolutionized communication, enabling instant connections across geographical boundaries. It has:

1. Democratized information sharing.
2. Amplified marginalized voices.
3. Facilitated global networking.
4. Changed the way we consume news and

entertainment.

5. Raised concerns about privacy, mental health, and misinformation

The Future of Social Media : As social media continues to evolve, we can expect:

1. Increased focus on privacy and security.
2. Further integration with artificial intelligence and augmented reality.
3. Growing emphasis on community-building and niche platforms.
4. Rising concerns about regulation and accountability.

The Power Of Visual Discovery

Visual Discovery: The Key to Unlocking Sales : Social media's visual nature has made it an ideal platform for product discovery. High-quality images and videos showcase products in a lifestyle setting, allowing users to envision how they can incorporate them into their daily lives. Brands leverage Instagram's "Shopping" feature, allowing users to purchase products directly from the app. Influencers share their favorite products, creating a sense of FOMO and driving sales.

Social media platforms like Instagram, TikTok, and Pinterest are ideal for discovering products through high-quality visuals. This has led to a rise in "social shopping," where users browse and buy products directly from the app. Uses images instead of text to help customers find products. It makes shopping faster and more engaging for customers. Retailers can use visual discovery to increase sales and customer satisfaction. AI technology plays a big role in making visual discovery work.

Visuals, salespeople are able to make their presentations more engaging and informative, and they are more likely to keep the attention of their audience.

Influencer Marketing and Social Proof : Influencers have become a crucial part of the shopping journey. They share their experiences, opinions, and favorite products with millions of followers, building trust and credibility. Social proof is a powerful driver of purchasing decisions, as users see friends, family, and peers endorsing products.

Online shopping integrations: Many platforms now

allow direct purchases from the app.

Influencer marketing*: Influencers partner with brands to promote products to their vast followings. This form of marketing builds trust and credibility, as users see products endorsed by people they admire.

Brand Awareness and Engagement :Social media enables brands to build relationships with customers, share their stories, and create engaging content. This two-way communication fosters loyalty and advocacy.

Customers can learn about brands through various channels, including:

1. Social media advertising: Targeted ads on platforms like Facebook, Instagram, and LinkedIn.
2. Influencer partnerships: Brands partner with influencers to reach new audiences.
3. Content marketing: Brands create engaging content (blog posts, videos, podcasts) to attract and retain customers.
4. Search engine optimization (SEO): Brands optimize their websites for search engines to improve visibility.
5. Email marketing: Newsletters and promotional emails keep customers informed.
6. Referrals and word-of-mouth: Happy customers share their experiences with others.
7. Events and sponsorships: Brands participate in events, conferences, and sponsorships to build awareness.
8. Traditional advertising: TV, radio, print, and outdoor ads reach a wider audience.
9. Brand ambassadors: Brands partner with well-known figures to represent their values.
10. Online reviews: Customers read reviews on websites, social media, and review platforms.
11. Packaging and branding: Eye-catching packaging and recognizable logos create brand awareness.
12. Loyalty programs: Rewards programs encourage repeat business and build brand loyalty.
13. Public relations: Brands leverage media coverage to build credibility.
14. Employee advocacy: Employees share their positive experiences with the brand.
15. Partnerships and collaborations: Brands partner with other companies to expand their reach.

By leveraging these channels, brands can increase visibility, build recognition, and attract customers.

Personalization and Exclusive Offers: Personalized Recommendations and Exclusive Offers: The Secret to Driving Sales. Social media algorithms suggest products based on interests, interactions, and browsing history. Brands offer exclusive deals and promotions to their followers, creating a sense of urgency and encouraging impulse purchases. Social media has become a go-to destination for finding deals and discovering new products. Brands offer special offers to social media followers and online shopping integration's: many platforms now allow direct purchases from the app. Brands offer special deals

to social media followers they offer lots of vouchers etc. The Information Technology Act, 2000 was enacted with an objective of online medium, digitalization and E-commerce transactions and the businesses.

The Future of Retail: "The Future of Retail: Social, Sustainable, and Seamless".

Social media has forever changed the retail landscape. As platforms continue to evolve, we can expect:

1. Augmented reality shopping experiences.
2. Increased use of AI-powered chatbots for customer service.
3. Further integration of social media and e-commerce platforms.
4. More emphasis on sustainability and social responsibility.

Social media platforms integrate online shopping, allowing users to purchases without leaving the application.

Live shopping : Social media platforms are hosting live shopping events, allowing users to purchase product in real times.

Customer Service : Social media platforms are becoming a primary channel for customer inquiries and resolving issues.

Social Responsibility : Social media is raising awareness about social and environmental issues, influencing purchasing decisions and brand loyalty.

Conclusion: social media has profoundly changed the way we shop, transforming the retail landscape forever. The rise of social shopping has brought about a new era of:

1. Visual discovery and inspiration.
2. Personalized recommendations and exclusive offers.
3. Seamless shopping experiences.
4. Increased focus on sustainability and social responsibility.

As social media continues to evolve, we can expect even more innovative shopping experiences to emerge. Retailers must adapt to these changes to remain competitive, embracing the power of social media to connect with customers, build brand awareness, and drive sales. The future of retail is social, and it's here to stay. By understanding the impact of social media on shopping behavior, retailers can harness its potential to create engaging, immersive, and convenient experiences that meet the evolving needs of modern consumers.

Ultimately, the fusion of social media and shopping has created a new paradigm, one that prioritizes connection, community, and convenience. As we move forward, it will be exciting to see how social media continues to shape the future of retail and redefine the way we shop.

The rise of social media has transformed the fabric of modern society, redefining how we interact, share, and connect. As we navigate the challenges and opportunities presented by social media, one thing is clear – its impact will only continue to grow, shaping the future of communication, connection, and community.



References:-

1. Information Technology (Procedure and Safeguards for Monitoring and Collection of Traffic Data or Other Information) Rules, Section 3-11, (2009).
2. Digital Personal Data Protection Act, 2023, No. 25, Parliament of Indi.
3. Arathi Sethumadhavan, Is Data Privacy a thing of the past in a Digital world?, World Economic Forum, (2021)

स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवादी, दार्शनिक विचार और वर्तमान में प्रासंगिकता

डॉ. साहेबराव झरबड़े*

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - वर्तमान समय को देखते हुए लगता है कि अन्य किसी भी विषय में कितना ही लिखा जाये, कितना ही चिंतन क्यों न हो ? लेकिन भारतीय सनातन मूल्यों को उनके पुरोधा के द्वारा किये गए प्रयास को अगर उजागर न किया जाये तो बाकी सब भौतिकी प्रगति का चिंतन और विकास निरूपयोगी है। वर्तमान समय में राष्ट्र की आध्यात्मिक प्रगति की ओर प्रकाश डालें तो देखते हैं कि भारतीय युवा वर्ग कितना भौतिकवादी एवं पश्चिम के भटकाववादी संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसकी परतें खोलने का प्रयास है। स्वामी विवेकानन्द के राष्ट्रवादी दार्शनिक विचारों की कालजयी व्यापकता ने वास्तव में भारतीय युवाओं को भटकने से रोका है, इसमें स्कूल शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग की महती भूमिका है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में स्वामीजी के साहित्य को अध्ययन हेतु सम्मिलित किया गया है।

महाविद्यालयों में छात्रों के कैरियर एवं आध्यात्मिक, नैतिक उन्नति हेतु स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के भौतिक लक्ष्यों के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति के प्रयास भी निहित हैं। इसके अतिरिक्त खेल गतिविधियों के साथ-साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के गठन एवं उसके अन्तर्गत चलाई जाने वाली गतिविधियां स्वामी विवेकानन्द के जीवन दर्शन एवं लक्ष्य से जुड़ी है, जिसमें शिविर एवं समय-समय पर कार्यशाला एवं व्याख्यानमाला के माध्यम से राष्ट्रसेवा की शिक्षा प्रदान की जाती है और यही भारतीय वेदान्त का सार है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता के अन्धानुकरण से भारतीय युवाओं की बहुसंख्यक आबादी अपने जीवनशक्ति को तबाह करने में लगी है, जिसमें स्वामीजी के आदर्शों के साथ-साथ वर्तमान के राष्ट्रवादी संतों द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है।

प्रस्तावना - स्वामी विवेकानंद का मानना था कि प्रत्येक राष्ट्र के निर्माण में किसी एक तत्व की आधारभूत भूमिका होती है। भारत राष्ट्र के निर्माण में धर्म की ऐसी ही भूमिका है। स्वामी विवेकानन्द ने जिस राष्ट्रवाद की परिकल्पना की, वह धर्म पर आधारित था। वे समझते थे कि आगे चलकर धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदण्ड बनेगा। स्वामी विवेकानन्द ने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक पुट दिया, अतः उनके राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धान्त भी कहा जाता है। वे भारत के लोगों में वैचारिक या आध्यात्मिक धरातल पर राष्ट्र के प्रति प्रेम या निष्ठा विकसित करने के पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने भारत के स्वर्णिम अतीत को आधार बनाया। स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है - 'राष्ट्र के रूप में हम अपना व्यक्तित्व विस्मृत कर बैठे हैं। हमें देश को उसका खोया हुआ व्यक्तित्व वापस देना है और जनता का उत्थान करना है।'

सांस्कृतिक राष्ट्रीयता - भारत विदेशी साम्राज्य के अधीन था तथा औपनिवेशिक सत्ता का उद्देश्य भारत के गौरव और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को नष्ट करना था। देश की इस कठिन घड़ी में स्वामी विवेकानन्द का अभ्युदय हुआ। स्वामी जी ने धर्म संस्कृति की महानता को जनता के सम्मुख रखा और भारतीयों को उनके अतीत व गौरव से परिचित कराकर उनमें जागृति का मंत्र फूँका। अपनी पुस्तक 'भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास' में बी.एन. लुनिया ने लिखा है - 'देश में ही नहीं उन्होंने (स्वामी विवेकानन्द ने) विदेशों में वेदों और उपनिषदों के प्राचीन आत्मज्ञान का उद्देश्य गूँजा दिया। विश्व के सम्मुख भारतीय संस्कृति और सभ्यता की श्रेष्ठता की घोषणा से उन हिन्दूओं में नवीन शक्ति का संचार हुआ, जो पाश्चात्य सभ्यता से

अपने को हेय समझते थे। उन्होंने सुदूर देशों की यात्रा करके भारी अनुभव प्राप्त किया था।

स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा - स्वामी जी स्वतंत्रता को मानव विकास का मूल मंत्र मानते थे, किसी वर्ग, जाति या धर्म विशेष की धरोहर नहीं। जहां जीवन है, वहां स्वतंत्रता आवश्यक है। व्यक्ति और समाज के आत्मिक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विकास में स्वतंत्रता आवश्यक है। उन्होंने सदा ही तथा निरन्तर इस बात पर बल दिया कि देश में स्वतंत्रता एवं समानता हो तथा जनता को ऊपर उठाया जाना चाहिए। वह इस बात को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे कि उसे अपने शरीर, बुद्धि तथा धन को अपनी इच्छानुसार इस प्रकार प्रयोग करने दिया जाये कि दूसरे किसी को कोई हानि न हो। यह सम्भव नहीं है कि वह मनुष्य समाज व जाति और राष्ट्र उन्नति करें, जहां स्वतंत्रता नहीं है।

राष्ट्रवाद सम्बन्धी धारणा - एक सन्त के रूप में उनका लक्ष्य सम्पूर्ण मानव जाति की सेवा था एवं देशभक्ति तथा राष्ट्रवाद की भावना भी मौजूद थी। वे भारतीय जनता को निर्धनता तथा अज्ञानता से मुक्त कराने के लिए प्रयत्नशील रहे। उनका राष्ट्रवाद सेवा की भावना से प्रेरित था। उनके अनुसार धर्म, भारत के राष्ट्रीय हित का मुख्य अंग होना चाहिए। उनका राष्ट्रवाद आध्यात्मिकता पर आधारित था। राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक अथवा धार्मिक सिद्धान्त स्वामी विवेकानन्द की प्रमुख देन थी।

समाजवाद संबंधी धारणा - समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसरों को भोगने का अवसर मिले, इसे ही समाजवाद कहते हैं। स्वामीजी का विश्वास था कि वह राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है, जिसे भोगते हुए जनसामान्य

आर्थिक उत्थान प्राप्त न कर सके।

वैदिक परम्परा का निर्वहन - स्वामी अद्वैत वेदान्त के समर्थक थे। उनके दर्शन का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण स्रोत वैदिक परम्परा एवं वेदान्त ही थे। वेद, विश्वास उनके लिए प्राण के समान प्रिय था। स्वामी दयानन्द सरस्वती की तरह स्वामी विवेकानन्द ने भी वेद तथा वेदान्त की धारणाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति के गौरव को प्रतिष्ठित किया। इसी के सहारे उन्होंने संसार के सामने भाषा, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान, इतिहास, धर्म तथा संस्कृति के क्षेत्र में भारत को अन्य देशों की तुलना में समृद्ध दिखाया।

रामकृष्ण मिशन की स्थापना - जिस प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'आर्य समाज' की स्थापना की, उसी प्रकार स्वामी विवेकानन्द ने 1893 ई. में 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म का प्रचार तथा भारतीयों का नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान, दीन दुखियों की सेवा-सहायता करके उन्हें शिक्षित करना और ऊपर उठाना था। इसके अतिरिक्त समाज सुधार हेतु जातीय भेदभाव तथा धार्मिक अन्धविश्वासों और कुरीतियों को दूर करना था।

पाश्चात्य अन्धानुकरण का विरोध - उस समय लोग पाश्चात्य शिक्षा की खूब पैरवी करने में लगे हुए थे। भौतिक सभ्यता की ओर इतने आसक्त थे कि भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति को धीरे-धीरे भूलते जा रहे थे। स्वामीजी ने इस अन्धानुकरण का विरोध किया। उनका कथन था कि धर्म का निवास भारत के दर्शन, संस्कृति और अध्यात्म में है।

जनसेवा का समर्थन - स्वामीजी में जनसेवा का भाव प्रबल था। अभावों से ग्रस्त मानव जाति के सुखी होने तथा उनके स्वाभिमानपूर्वक जीवन के लिए हमेशा कामना रही। उनके अनुसार जनसेवा को सच्ची राष्ट्रसेवा के रूप में देखा गया। निर्धनता की समाप्ति और अच्छी शिक्षा से आत्मोन्नति का रास्ता खोलने की बात की।

जाति प्रथा सम्बन्धी विचार - समाज का जाति के आधार पर बंटवारा जो न्यायोचित नहीं था, उसे कर्म के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया गया। उनके अनुसार समाज को शिक्षित करके चतुर्वर्ण व्यवस्था समाप्त की जा सकती है। अतः आवश्यक शिक्षा पर बल दिया। उनके अनुसार जाति प्रथा की संकीर्णताएं विलुप्त करने का एकमात्र उपाय निम्न वर्ग को शिक्षित करना है।

कर्म की प्रधानता - स्वामीजी के अनुसार व्यक्ति को सदा क्रियाशील बने रहना चाहिए। स्वामीजी का विख्यात कथन है कि 'प्रत्येक कार्य में अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करो, सभी मरेंगे, साधु या असाधु, धनी या दरिद्र सभी। अतएव उठो, जागो और तब तक रुको नहीं, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।' स्वामीजी के अनुसार व्यक्ति को एक समय में एक ही लक्ष्य तय करके उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। साथ ही अपने कर्म के मार्ग में साहस और निर्भिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

आध्यात्मिक मानववाद के अन्तर्गत एक दृष्टिकोण था और वह यह कि 'आत्मा का संभावित दैवत्व।' उनके अनुसार यदि आत्मा के दैवत्व में कमी आती है तो यह कमी ही उसे नैतिक पतन की ओर ले जाती है। अतः हमें आत्मा की अखण्डता का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास जनसेवा के माध्यम से किया जा सकता है।

वर्तमान में प्रासंगिकता - स्वामी विवेकानन्द का दर्शन कर्म का आह्वान करता है। उनका चुम्बकत्व चिन्तक के लिए नहीं वरन् कर्मशील मनुष्य के लिए है। स्वामी विवेकानन्द एवं दयानन्द सरस्वती जैसे महान् समाजसेवी, क्रान्तिकारी संतों एवं भारतीय संस्कृति की गौरवमयी धरोहर, प्राचीन धार्मिक, वैदिक साहित्य का प्रभाव आज भी उसी कलेवर के साथ वर्तमान समय के

संतों में देखा जा सकता है। स्वामी अनिरुद्धाचार्य, संत श्री धीरेन्द्र शास्त्री, अवधेशानन्द गिरी महाराज और सबसे अधिक प्रबल और प्रभावी संत प्रेमानन्द महाराज के संकल्प और साधना को देखा जा सकता है।

भारत के वर्तमान समय के इन राष्ट्रवादी संतों के द्वारा भी नैतिक मूल्यों को तरासने के साथ-साथ राष्ट्रप्रेम (राष्ट्रवाद) का भाव प्रबल रूप से जाग्रत किया जा रहा है। स्वामी विवेकानन्द एवं दयानन्द सरस्वती की शिक्षा कर्मयोग एवं राष्ट्रप्रेम का स्वरूप वर्तमान के बहुचर्चित आत्मज्ञानी भगवत प्राप्त संत प्रेमानन्दजी में देखा जा सकता है। वे भी शास्त्रानुकूल एवं स्वामीजी के सिद्धान्त और आदर्शों के अनुरूप ही मानवमात्र के कल्याण की शिक्षा देने के साथ-साथ प्राणों की बाजी लगाकर भी राष्ट्रसेवा पर बल देते हैं। वर्तमान समय में जिस प्रकार भारत देश में पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया जा रहा है और उसकी विकृति का सामना करना पड़ रहा है, जैसे स्वतंत्रता के नाम पर विवाह के पूर्व नवयुवकों-युवतियों के द्वारा दोस्ती को आधार बनाकर साथ में रहना और फिर सम्बन्ध विच्छेद होना, यह भारतीय संस्कृति एवं शास्त्रों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की संस्कृति हावी होते चली आ रही है। ऐसे समय में भी हमारे राष्ट्रीय संतों के द्वारा शास्त्रीय पद्धति एवं गौरवमयी इतिहास के उदाहरण देकर भटकते हुए युवाओं को निःस्वार्थ मानव सेवा एवं राष्ट्रप्रेम की शिक्षा देकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अतः स्वामी विवेकानन्द के विचार निश्चित रूप से कालजयी एवं जीवन उपयोगी हैं।

निष्कर्ष - स्वामी विवेकानन्द के द्वारा जो मानव मूल्यों को आत्मसात करके राष्ट्रप्रेम की शिक्षा दी गई, जिस प्रकार से स्वतंत्रता को परिभाषित किया। राष्ट्रवाद के स्वरूप को जिस प्रकार मानव जाति की सेवा के साथ जोड़ा, वैदिक परम्परा को जिस प्रकार अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास किया, अस्पृश्यता एवं जातिवाद को उन्होंने परिष्कृत रूप से उजागर किया और इन सबके पीछे उनका कर्मयोग का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है और यह कालजयी सिद्धान्त आज भी शास्त्र अनुकूल और सामयिक है, जिसको वर्तमान राष्ट्रीय संतों के द्वारा उल्लेखित करके भटके नवजवानों को सही राह पर लाया जा रहा है। लाखों की संख्या में नवयुवक एवं सामान्य जनसमुदाय प्रत्यक्ष राष्ट्रीय संतों के सानिध्य में जाकर एवं सामाजिक जनसंचार के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाकर अपने को मानव सेवा एवं राष्ट्रप्रेम से जोड़ रहे हैं अर्थात् श्रीमद्भगवद्गीता के कर्मयोग को स्वामी विवेकानन्द एवं समकालीन आधुनिककाल के संतों के द्वारा आत्मसात किया और लोगों को शिक्षा प्रदान कर जनकल्याण किया और तत्कालीन राष्ट्रीय संतों के द्वारा भी हमारी आध्यात्मिक, साहित्यिक धरोहर को लोककल्याण हेतु उजागर किया एवं लाखों लोग हमारे गौरवमयी वैदिक साहित्य को आत्मसात कर राष्ट्र एवं स्वयं के जीवन का उद्धार कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. सिंह सर्वेश - दार्शनिक विचारक एवं सामाजिक सुधारक, 2015.
2. सतीश के. कपूर - सांस्कृतिक संपर्क और सम्मिश्रण : पश्चिम में स्वामी विवेकानन्द, 1893.
3. प्रो. पटेल किशोर - नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं मनोवृत्ति।
4. एस.वी. भारती - स्वामी विवेकानन्द का शैक्षिक दर्शन।
5. चौधरी एस.के. - महान राजनीतिक विचारक : स्वामी विवेकानन्द।
6. शर्मा जी. रंजीत - स्वामी विवेकानन्द का आदर्शवादी दर्शन।
7. सिंह शैल कुमारी - स्वामी विवेकानन्द का धार्मिक और नैतिक दर्शन।
8. गुप्ता सुबोधचन्द्र सेन - स्वामी विवेकानन्द और भारतीय राष्ट्रवाद।

राजस्थान के जयपुर जिले की द्रव्यवती नदी जीर्णोद्धार परियोजना के सन्दर्भ में जल प्रदूषण नियंत्रण का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. कीर्ति चौधरी* सविता शर्मा**

* प्रोफेसर (भूगोल) सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर (राज.) भारत
** शोधकर्ता (भूगोल) सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर (राज.) भारत

शोध सारांश – पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व जल के बिना असंभव है। जल पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। पृथ्वी पर जल का अस्तित्व नदियों, हिमानियों, झीलों, तालाबों व भूमिगत जल के रूप में है। सदाना नदिया मीठे जल स्रोत के रूप में प्राचीनकाल से मानव सभ्यता को पोषित करती रही है परन्तु तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण तथा औद्योगिकरण के कारण मानव ने नदियों के प्राकृतिक स्वरूप को प्रदूषित कर दिया है। जल की गुणवत्ता प्राकृतिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है लेकिन प्रदूषण शब्द से आशय आमतौर पर संदूषण के स्रोत के रूप में मानवीय गतिविधियों से है। जल प्रदूषण मुख्य रूप से दूषित अपशिष्ट जल को सतही जल स्रोतों में प्रवाहित करने के कारण होता है। प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान के जयपुर जिले की द्रव्यवती नदी जीर्णोद्धार परियोजना के सन्दर्भ में जल प्रदूषण की वर्तमान स्थिति तथा आधुनिक तकनीक से जल प्रदूषण नियंत्रण का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी – पारिस्थितिक तंत्र, प्रदूषण नियंत्रण, जीर्णोद्धार परियोजना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नगरीय एवं औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित जल।

प्रस्तावना – सभी मानवीय क्रियाकलापों के लिए जल एक महत्वपूर्ण तत्व है। पृथ्वी पर जल का अस्तित्व नदियों, हिमानियों, झीलों, तालाबों एवं भूमिगत जल आदि के रूप में विद्यमान है। नदियाँ प्राचीनकाल से ही प्राकृतिक मीठे जल के स्रोत के रूप में मानव सभ्यता को पोषित करने में अपना अमूल्य योगदान देती रही है। विश्व की अधिकांश मानव सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में हुआ। नदियाँ आज भी पेयजल, सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, मछलीपालन, पर्यटन एवं नगरीय जलापूर्ति के माध्यम से मानव विकास एवं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाये रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

वर्तमान में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण से उत्पन्न अतिक्रमण एवं मानव की अतिशोषणकारी प्रवृत्ति ने विश्व की अधिकांश नदियों के प्राकृतिक स्वरूप को प्रदूषित कर दिया है। यद्यपि जल की गुणवत्ता प्राकृतिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है परन्तु प्रदूषण शब्द से तात्पर्य आमतौर पर संदूषण के स्रोत के रूप में मानवीय गतिविधियों से है। अतएव जल प्रदूषण मुख्य रूप से अपशिष्ट जल को सतही जल स्रोतों में प्रवाहित करने के कारण होता है।

द्रव्यवती नदी राजस्थान के जयपुर जिले की एक महत्वपूर्ण नदी है। प्राचीन समय में यह नदी स्वच्छ पेयजल के स्रोत के रूप में जयपुर शहर की जीवनरेखा कहलाती थी। समय के साथ तीव्र गति से बढ़ती नगरीय जनसंख्या, शहरीकरण व औद्योगिकरण के कारण नगरीय घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट का जमाव नदी के बहाव क्षेत्र में बढ़ता चला गया। शहर का घरेलू अपशिष्ट व मल-जल तथा उद्योगों से निकला प्रदूषित जल नदी में सीधे ही प्रवाहित किया जाने लगा। अपशिष्ट पदार्थों एवं मल-जल के कारण यह निर्मल जल धारा धीरे-धीरे एक गन्दे जल के नाले के रूप में

तब्दील हो गई जिसे अमानीशाह नाला के रूप में जाना जाने लगा।


अपना वास्तविक स्वरूप खोती हुई द्रव्यवती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार ने 2016 में द्रव्यवती नदी जीर्णोद्धार परियोजना की शुरुआत की। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) तथा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड (TPL) एवं शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप (SUCG) के बीच एक एमओयू हुआ तथा लगभग 1674 करोड़ रु. लागत वाली इस जीर्णोद्धार परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहर को आगामी बाढ़ के खतरे से बचाना तथा शहर के गंदे नाले की जगह एक जीवंत बारहमासी नदी का विकास करना था।

प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से वर्तमान में द्रव्यवती नदी जीर्णोद्धार परियोजना के सन्दर्भ में जल की गुणवत्ता एवं जल प्रदूषण की स्थिति एवं उसके कारणों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत अध्ययन राजस्थान के जयपुर जिले की द्रव्यवती नदी पर आधारित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर 26°55' उत्तरी अक्षांश तथा 75°49' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। इसकी स्थापना 1727 ई. में जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। यह उत्तर दिशा में अलवर तथा सीकर से, पश्चिम में सीकर, नागौर तथा अजमेर से, दक्षिण में टोंक, सवाई माधोपुर तथा पूर्व में दौसा व भरतपुर जिलों से घिरा है। इसका क्षेत्रफल 484.64 वर्ग किमी. है तथा 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या 30,74,000 व्यक्ति है।

द्रव्यवती नदी जयपुर जिले की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम जयपुर के उत्तर में आमेर स्थित नाहरगढ़ की पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान से होता है तथा यह जयपुर शहर के मध्यवर्ती भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर 47.5 किमी. की लम्बाई में बहकर अन्त में दूढ़ नदी में मिल जाती है। जयपुर

शहर की अधिकांश जनसंख्या इस नदी के दोनों ओर 10 किमी. की परिधि में निवास करती है।



चित्र-द्रव्यवती नदी की मानचित्र में अवस्थिति

शोध उद्देश्य :

1. द्रव्यवती नदी जीर्णोद्धार परियोजना के सन्दर्भ में जल प्रदूषण नियंत्रण का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
2. नदी परियोजना में जल प्रदूषण की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना तथा प्रदूषण निंत्रण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

आंकड़ों के स्रोत एवं शोध विधि तंत्र - प्रस्तुत शोध पत्र मुख्यतः विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रिपोर्टों आदि से प्राप्त द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। शोध पत्र में प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों व तथ्यों का भी प्रयोग किया गया है।

द्रव्यवती नदी जीर्णोद्धार परियोजना द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास - 2016 में जयपुर विकास प्राधिकरण तथा टाटा ग्रुप एवं शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप के बीच द्रव्यवती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस परियोजना के तहत जयपुर शहरी क्षेत्र तथा व्यावसायिक क्षेत्र से निकलने वाले दूषित सीवेजयुक्त अपशिष्ट जल को उपचारित करके नदी में स्वच्छ जल का प्रवाह सुनिश्चित किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत नदी से कचरे तथा मलबे को मशीनों से हटाया गया तथा 150-400 फिट की चौड़ाई तथा 1 मीटर की गहराई में नदी को कंक्रीट चैनल के रूप में पक्का किया गया। नदी की कंक्रीट निर्मित सम्पूर्ण लम्बाई में कुल 84 चैक-डेम के रूप में भू-जल संग्रहण संरचनाएं निर्मित की गईं।

सीवेज युक्त जल के उपचार के लिए नदी के किनारे कुल 170 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) क्षमता के 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीतापुरा, बरसी, बम्बाला, देवरी व गोनेर में स्थापित किए गए हैं तथा कुल 40 एमएलडी

क्षमता के 2 प्लांट सुशीलपुरा तथा जगतपुरा में प्रस्तावित है। टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा निर्मित सभी 5 एसटीपी वर्तमान में सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। सीक्रेस बेच रिएक्टर (एसबीआर) तकनीक पर आधारित इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की पूर्ण क्षमतानुसार बाहरी मल-जल को उपचारित करके नदी में प्रवाहित किया जा रहा है।

सांगानेर औद्योगिक क्षेत्र के रंगाई-छपाई उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक रसायनयुक्त प्रदूषित जल को नदी में गिरने से रोक दिया गया है तथा वर्तमान में यह विषाक्त रसायनयुक्त जल सांगानेर (मुहाना) स्थित सीईटीपी (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) में उपचारित किया जा रहा है।

सारणी-1 द्रव्यवती नदी जीर्णोद्धार परियोजना के तहत संचालित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

क्र.	एस.टी.पी की स्थिति	स्थापित क्षमता (एमएलडी)	सीवेज उपचार में योगदान (प्रतिशत में)
1	सीतापुरा	100	58.8
2	बम्बाला	25	14.7
3	बरसी	20	11.8
4	देवरी	15	8.8
5	गोनेर	10	5.9
	योग	170	100

द्रव्यवती परियोजना में एस.टी.पी. प्लांट के तहत सीवेज के उपचार की कार्यप्रणाली

- चरण-1. **मलजल संग्रह** - विभिन्न स्रोतों जैसे नगरीय रिहायशी क्षेत्रों तथा व्यावसायिक क्षेत्रों से दूषित जल उत्पन्न होता है।
- चरण-2. **इन्टरसेप्टर चेम्बर** - विभिन्न स्रोतों से दूषित पानी नदी की ओर बहता है और यहाँ संग्रहित किया जाता है, जिससे पहले इसमें से ठोस कूड़ा अलग हो जाता है।
- चरण-3. **सीवेज पम्पिंग स्टेशन** - संग्रहित पानी गुरुत्वाकर्षण से या पम्प द्वारा एस.टी.पी. तक भेजा जाता है।
- चरण-4. **सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट** - पानी में ऐसे बेवटीरिया डाले जाते हैं जो पानी में हवा बहने से सीवेज को खा लेते हैं जिसके बाद पानी को स्थिर छोड़ दिया जाता है जिससे कि पानी नीचे बैठ जाता है।
- चरण-5. **क्लोरीनेशन चेम्बर** - स्वच्छ पानी गलियारों से गुजरता है जहाँ उसे क्लोरीन से किटाणुमुक्त किया जाता है।
- चरण-6. **द्रव्यवती नदी** - यह स्वच्छ पानी विभिन्न स्थानों पर द्रव्यवती नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है।

द्रव्यवती नदी में प्रदूषण की वर्तमान स्थिति - द्रव्यवती नदी में जल प्रदूषण वर्तमान में जयपुर शहर के लिए एक प्रमुख समस्या है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर तथा राजधानी है जिसकी 2011 की जनगणनानुसार जनसंख्या 30,74,000 थी तथा वर्तमान में अनुमानित जनसंख्या 43,09,000 है। जयपुर शहर की अधिकांश आबादी द्रव्यवती

नदी के दोनों ओर की 10 किमी. की परिधि में निवास करती है। राजधानी में प्रतिदिन 550 एमएलडी से अधिक सीवर निकलता है जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम की ओर से मात्र 400 एमएलडी सीवर को ही उपचारित करने के प्लांट स्थापित है। ऐसे में लगभग 150 एमएलडी सीवेज सीधे ही नदी-नालों में बहाया जा रहा है जो द्रव्यवती नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। नियमित सफाई के अभाव में भी जल प्रदूषण बढ़ रहा है।

वर्तमान में द्रव्यवती नदी में अनेक स्थानों पर नगरीय सीवेज व अपशिष्ट जल सीधे ही प्रवाहित हो रहा है। जगतपुरा स्थित विधानी पुलिया, अजमेर रोड स्थित सुशीलपुरा पुलिया, पुरानी चुंगी, चौमू पुलिया के निकट अम्बा बाडी तथा सुशीलपुरा से आगे दूढ़ नदी ओर नदी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सीवेज का पानी सीधे नदी में प्रवाहित होने से नदी का पानी अत्यधिक बदबूदार एवं झागयुक्त हो गया है जो निकटवर्ती निवासियों के लिए अनेक घातक बीमारियां उत्पन्न कर रहा है। इन क्षेत्रों में मलेरिया, डेंगू तथा स्क्रबटाईफस जैसे रोग लगातार बढ़ रहे हैं।



चित्र-A

चित्र-B

द्रव्यवती नदी परियोजना के निर्माण से पूर्व अमानीशाह नाले के छाया चित्र



चित्र-C

चित्र-D

द्रव्यवती नदी परियोजना के निर्माण के पश्चात वर्तमान के छाया चित्र

निष्कर्ष - द्रव्यवती नदी राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य गंदे नाले के रूप में तब्दील हो चुकी द्रव्यवती नदी को पुनर्जीवित करके इसे एक जीवंत स्वच्छ बारहमासी नदी के रूप में विकसित करना है।

टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड तथा शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने संयुक्त उद्यम के रूप में कार्य करके इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बेहतर योगदान दिया है। परन्तु अभी भी यह परियोजना अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पायी है। कई स्थानों पर नगरीय अपशिष्ट व सीवेज

का प्रवाह सीधे ही नदी में हो रहा है। नियमित सफाई के अभाव में कई स्थानों पर नदी अभी भी गंदे नाले के स्वरूप में बनी हुई है, जिससे घातक बीमारियां फैल रही हैं तथा दुर्गंध से नदी के किनारे आवासीय बस्तियों में वातावरण प्रदूषित हो रहा है।

सुझाव - इस शोध पत्र से जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ है उसके आधार पर द्रव्यवती नदी में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं -

1. इस परियोजना को पूर्णतः सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के उपक्रम जयपुर विकास प्राधिकरण तथा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप के मध्य पुनः एक मजबूत नीतिगत एवं आर्थिक समझौते की आवश्यकता है ताकि नदी के जल की गुणवत्ता को बनाये रखा जा सके।
2. नदी में प्रवाहित हो रहे सीवेज के उपचार के लिए और अधिक संख्या में तथा उपयुक्त क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जानी चाहिए।
3. नदी में प्रतिवर्ष बारिश के दौरान जमा होने वाली रेत व गाद की नियमित सफाई करने की आवश्यकता है ताकि नदी में वर्ष भर स्वच्छ जल प्रवाह नियमित रूप से होता रहे।
4. आम जनता द्वारा नदी में प्रवाहित की जाने वाली अपशिष्ट सामग्री पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमावली बनाकर उसके पालन हेतु सख्त निर्देश जारी किए जाने चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है ताकि नदी में अपशिष्ट प्रवाह को पूर्णतः रोका जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Mehta shivam, Sogani Monika, shyed zainab, Sonu Kumar, Kumar Anu and Vyas anil Dutt, Environmental Science and pollution Research Article, River rejuvenation in urban India for enhancing living condition through integrated water resources management, Volume 31, pages 682-698 (2004).
2. Rangata Matomes, odeku Kola o, An overview of water pollution Control strategy. Mediterranean journal of social science. Vol. 5 No. 23, November 2014.
3. City Development plan for Jaipur, Chapter-2. Jaipur municipal corporation.
4. <https://www.Britannica.com> > Science
5. <https://cpcb.nic.in>
6. <https://www.census2011.co.in>
7. www-patrika.com.cdn.amproject.org
8. <https://timesofindia.indiatimes.com>>.....
9. www.etvbharat.com.cdn.amproject.org
10. @Tataprospectsofficial.
11. www.Tataprospects.com

भील जनजाति की महिलाओं के शैक्षिक विकास में शासकीय योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. दीपक गर्ग* बरखा अलंसे**

*शोध निर्देशक, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल(म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आधुनिक समाज में शिक्षा का बहुत महत्व है, इसलिए शिक्षा को अक्सर उज्ज्वल भविष्य की कुंजी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में, हम पाते हैं कि गैर-आदिवासी समूह शिक्षा की मदद से लाभान्वित हुए हैं, लेकिन जनजातियाँ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। भील जनजाति भारत की तीसरी तथा मध्यप्रदेश की पहली बड़ी जनजाति है। आदिवासी समुदायों सहित सभी के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक पहलों और कार्यक्रमों को सावधानीपूर्वक डिजाइन और क्रियान्वित किया गया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य भील जनजाति की महिलाओं के लिए उपलब्ध शैक्षिक मानकों और अवसरों को बढ़ाना और उन्नत करना है, जो विशेष रूप से शिक्षा के महत्व के बारे में उनकी चेतना बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, साथ ही साथ समाज के भीतर उनके समग्र विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं। यह पत्र मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदायों की शैक्षिक स्थिति पर केंद्रित है, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजाति राज्य की आबादी का 21-1 प्रतिशत 72-62 मिलियन में से 15-31 मिलियन) है। पत्र माध्यमिक डेटा की मदद से किया जाता है जो विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए जाते हैं। यह पत्र जनजातियों के बीच शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है।

शब्द कुंजी – अनुसूचित जनजाति, शिक्षा, शैक्षिक स्थिति।

प्रस्तावना – भारत विविधताओं वाला देश है। आज भी भारत के दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे मानव समूह हैं, जो हजारों वर्षों से विश्व की सभ्यता से दूर, सामाजिक सभ्यता और समाज की मुख्यधारा से दूर क्षेत्रों में रहते हुए भी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना और पहचान को बनाए रखते हैं। इन्हें प्राचीन सामाजिक और आर्थिक जीवन का सामाजिक प्रतिनिधि भी कहा जाता है। इन मानव समूहों को आदिवासी जैसे नामों से संदर्भित किया जाता है। कोई भी मानव समुदाय जिसमें मानव लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े समुदाय के साथ संकोच, पिछड़ापन जैसी विशेषताएं हों उसे आदिवासी कहा जाता है। इनमें उनकी मूल प्रजातियों की विशेषताएं अधिक स्पष्ट होती हैं। यानी इनका जातीय मिश्रण ज्यादा नहीं होता। आदिवासी शब्द को स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक सामान्य क्षेत्र में रहते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं और एक सामान्य संस्कृति का पालन करते हैं, उन्हें आदिवासी कहा जाता है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में इन्हें 'अनुसूचित जनजाति' कहा गया है।

विश्व की आदिवासी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में ही मौजूद है। अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा जनजातियाँ भारत में रहती हैं। भारत में लगभग 697 जनजातियाँ हैं जिनकी जनसंख्या 10-45 करोड़ है। इनमें से कुछ हैं मुंडा, खड़िया, बोडो, भील, संथाल, मीना, लोहार, प्रधान, सहरिया, उरांव आदि। इन जनजातियों की जनसंख्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड राज्यों में अधिक है। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का आधार पुरातन

मान्यता, विशेष संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, अन्य समुदायों के बीच संकोच और पिछड़ापन है। उनकी सामाजिक-आर्थिक भागीदारी भी बहुत कम है। चाहे वह शिशु मृत्यु दर हो, स्वामित्व वाली कृषि योग्य भूमि का आकार हो या पीने योग्य पानी की उपलब्धता या बिजली तक पहुंच हो, आदिवासी समुदाय आम लोगों से बहुत पीछे है।

आदिवासियों की संस्कृति – आदिवासियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति के कारण एक अलग पहचान है। भारत के अधिकांश आदिवासियों की जीवनशैली पर जंगलों का प्रभाव रहा है क्योंकि उन्हें शुरू से ही आजीविका के साधन जंगलों से मिलते रहे हैं। आदिवासियों के बीच आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था एक अविभाज्य इकाई है। यह समुदाय अक्सर कई प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर होता है, जिसे अनुकूल बनाने के लिए कई कानूनी प्रयास, व्यक्तिगत और सामूहिक पूजा आदि करते हैं। ये लोग प्रकृति को देवी-देवताओं की तरह पूजते हैं क्योंकि प्रकृति से ही उन्हें अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियाँ, फल, फूल, शहद, गोंद और लकड़ी आदि प्राप्त होती है। जो उन्हें भोजन प्रदान करती है। उनके लिए जंगल ही सबकुछ है। आदिवासियों की जीवनशैली में शिकार का बहुत महत्व है। उन्हें न केवल अपने भोजन के लिए बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी जानवरों को मारना पड़ता है। यानी पूरी संस्कृति जंगल पर ही आधारित है।

साहित्य की समीक्षा

रामचंद्रन, आर. (2017) ने भारत में अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति पर अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता का पता लगाना और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की

स्कूल छोड़ने की दर का पता लगाना था।

ब्रह्मानंदम,टी (2016) ने अनुसूचित जनजातियों के बीच शैक्षिक स्थिति पर अध्ययन किया। मुद्दे और चुनौतियाँ। इस अध्ययन का उद्देश्य शैक्षिक अवसरों का पता लगाना और उनकी शिक्षा में सुधार के लिए उचित उपाय सुझाना था। डेटा के प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद पाया गया कि शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन अनुसूचित जनजातियों की तुलना में काफी कम था।

सत्यसावित्री,वी.बी. (2018) ने भारत में आश्रम विद्यालयों के मुद्दों और आदिवासी शिक्षा की चुनौतियों के प्रभाव पर अध्ययन किया। इस अध्ययन से यह पता चला कि वर्ष 1961 में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कुल जनसंख्या का 8-53 प्रतिशत और 28-3 प्रतिशत थी। 1991 में यह बढ़कर अनुसूचित जनजातियों और सभी सामाजिक श्रेणियों में क्रमशः 29-6 प्रतिशत और 52-21 प्रतिशत हो गई। 2011 में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर बढ़कर 58-96 प्रतिशत और कुल जनसंख्या का 72-99 प्रतिशत हो गई। गरीबी उनके शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारक है। जिन आदिवासी माता-पिता के बच्चे आश्रम स्कूलों में पढ़ते हैं, वे कृषि या पारंपरिक गतिविधियों में संलग्न होंगे, जो उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान करने में मदद नहीं करेगा।

मकबूल,मारिया और अखतर,मफारा (2019) ने वंचित समाज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर अध्ययन किया। यह पाया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकांश लोग निरक्षर हैं और साक्षर लोगों में से अधिकांश की शैक्षिक उपलब्धि न्यूनतम है। यह भी पाया गया कि अनुसूचित जातियों की तीनों पीढ़ियों में निरक्षरता अधिक है।

राघवेंद्र,आर.एच. (2020) ने भारत में अनुसूचित जातियों की साक्षरता और स्वास्थ्य स्थिति का अध्ययन किया। खोज से पता चला कि उन्हें अज्ञानता के कारण और कभी-कभी जाति या नस्ल जैसी सामाजिक सीमाओं के कारण इन प्रावधानों तक पहुँचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, अनुसूचित जातियों की मानव विकास स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए, विकास संगठनों को प्रोत्साहन के विभिन्न स्तरों का पता लगाना जारी रखना चाहिए और भारत में राष्ट्रीय सामाजिक समानता का अनुसरण करना चाहिए।

उद्देश्य:

1. धार जिले की जनजातीय महिलाओं की शैक्षिक स्थितिका अध्ययन करना।
2. मध्य प्रदेश की जनजातियों की शैक्षिक स्थिति के उत्थान और कल्याण के लिए सरकारी कार्यक्रमों के विकास को समझना।

शोध पद्धति - इस शोध पत्र में ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है। इसमें संपूर्ण भारत की जनसंख्या शामिल है। इसके लिए भारत और मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों को अध्ययन के नमूने के रूप में चुना गया है। जनजातियों की शैक्षिक स्थिति जानने के लिए शोधकर्ता ने एक शैक्षिक प्रारूप का उपयोग किया है। डेटा को द्वितीयक स्रोतों (भारत की जनगणना 2011) के माध्यम से संकलित किया गया है।

डेटा विश्लेषण

अध्ययन क्षेत्र में जनजातीय महिलाओं के उत्थान के लिए सरकारी योजनाएँ और सर्वेक्षण के परिणाम - केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर

सरकारें जनजातीय महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएँ चलाती हैं। जहाँ कुछ योजनाएँ सीधे महिलाओं को लक्षित करती हैं, वहीं कई अन्य महिला केंद्रित मुद्दों की ओर झुकाव के साथ सामान्य रूप से जनजातीय लोगों के लिए हैं। इनमें से कुछ योजनाएँ जो सीधे अध्ययन क्षेत्र में चल रही हैं, उनके लक्ष्य, उद्देश्य और उपलब्धियों के साथ-साथ सर्वेक्षण के परिणामों द्वारा सामने आई जमीनी स्थिति का उल्लेख नीचे किया गया है।

शिक्षा संबंधी योजनाएँ - शिक्षा को सभी प्रकार के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास (सेन, 1994) के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है जो किसी राष्ट्र के मानव संसाधन और आर्थिक परिदृश्य को बढ़ावा देता है (यूएनएफपीए)। इसके अलावा, विशेष रूप से महिलाओं पर शिक्षा में निवेश बेहतर आर्थिक स्थिति, मजबूत निर्णय लेने की शक्ति, आत्मविश्वास में वृद्धि, संसाधनों पर नियंत्रण, शारीरिक गतिशीलता में छूट, प्रभावी पति-पत्नी संचार और बुढ़ापे में आत्मनिर्भरता के माध्यम से एक उन्नत स्थिति लाता है (मेसन, 1998)। चूंकि शिक्षा को आदिवासी समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, इसलिए सरकार ने उनके शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं। आदिवासी छात्रों को मुफ्त बोर्डिंग सुविधाओं, मुफ्त पाठ्य पुस्तकों और गणवेश के साथ मुफ्त शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से विशेष सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। आदिवासी शिक्षा के सुधार के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आवासीय आश्रम विद्यालय, मध्याह्न भोजन योजना और नवोदय विद्यालय के तहत विशेष ध्यान दिया गया है। इसी तरह आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत भारत सरकार द्वारा कक्षा VI से कक्षा XII तक 20 राज्यों में 100 मॉडल आवासीय विद्यालय (एकलव्य मॉडल स्कूल) स्थापित किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें उच्च और व्यावसायिक स्तर के साथ-साथ सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरी में आरक्षण की सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाना था। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में साक्षरता दर लगभग 73 प्रतिशत है, जो बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है, लेकिन एसटी के लिए, यह केवल 52-24 प्रतिशत है जो औसत साक्षरता दर (ALR) से पीछे है। इस साहित्यिक अंतर को पाटने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार साक्षरता के आधार पर वास्तविक कदम उठा रही है। इनमें से कुछ योजनाएँ जो अध्ययन क्षेत्र में सीधे संचालित हो रही हैं, उनका उल्लेख नीचे किया गया है।

कन्या शिक्षा परिसर - मध्य प्रदेश का आदिवासी कल्याण विभाग मेधावी एससीएसटी लड़कियों को मुफ्त छात्रावास, किताबें, लेखन सामग्री, कंप्यूटर प्रशिक्षण और समाचार पत्र प्रदान करने के लिए यह योजना चलाता है। एसटी गर्ल्स साइंस अवार्ड स्कीमरू यह योजना विज्ञान में उनकी योग्यता के लिए 12वीं कक्षा की दस एसटी लड़कियों को पुरस्कृत करती है।

आवास भत्ता सहायता योजना - यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब छात्रों के लिए है, जिन्हें पढ़ाई के लिए अपने कॉलेज के पास आवास किराए पर लेना पड़ता है।

आश्रम विद्यालयों की स्थापना के लिए योजना - आश्रम विद्यालय आवासीय विद्यालय हैं जो अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करते हैं। 1990-91 से जनजातीय मामलों का मंत्रालय जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय के नाम से एक केंद्रीय योजना

लागू कर रहा है। इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य सरकार 100 प्रतिशत वित्त पोषण के लिए लड़कियों के आश्रम विद्यालयों और गैर-नक्सल जनजातीय क्षेत्रों में 50:50 अनुपात के लिए लड़कों के आश्रम विद्यालयों की स्थापना के लिए पात्र है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सीखने के लिए अनुकूल वातावरण में पीटीजी सहित एसटी के लिए आवासीय विद्यालय प्रदान करना और आदिवासी छात्रों के बीच साक्षरता दर को बढ़ाना और साथ ही उन्हें देश की अन्य आबादी के बराबर लाना है। जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना के लिए योजना कुछ उद्योग प्रभावित क्षेत्रों में सभी लड़कियों के आश्रम विद्यालयों और लड़कों के आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इन विद्यालयों के संचालन और रखरखाव के लिए राज्य जिम्मेदार हैं। समिति के अनुसार, आश्रम विद्यालयों के रखरखाव का काम राज्य सरकारों को सौंपने के कारण इन विद्यालयों की स्थिति खराब हो गई है। समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की कि विद्यालय निर्धारित मापदंडों का पालन करें और राज्यों द्वारा नियमित निगरानी की जाए।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना मान्यता प्राप्त संस्थानों में पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रम करने वाले एसटी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। समिति ने पाया कि अधिकांश राज्य सरकारें योजना के फंड से संबंधित देनदारियों का अपना हिस्सा वहन करने में अनिच्छुक हैं। इससे एसटी छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने में कठिनाई होती है।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों के लिए है। समिति ने कहा कि 2014-15 से 2017-18 तक इस योजना के तहत कुछ राज्यों को धनराशि जारी नहीं की गई है। समिति ने कहा कि मंत्रालय की ओर से दृढ़ संकल्प की कमी के कारण अनुदान के वितरण में ऐसी लापरवाही हुई है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)- एसटी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मध्य और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रति विद्यालय 480 छात्रों की क्षमता के साथ ईएमआरएस स्थापित किए गए हैं। ईएमआरएस की स्थापना राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मांग आधारित है। ऐसे स्कूलों का वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। समिति ने पाया कि अधिकांश ईएमआरएस अच्छी तरह से नहीं चल रहे हैं, उनमें बुनियादी ढांचा खराब है और शिक्षण स्टाफ अपर्याप्त है। समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय को एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जो इन स्कूलों के मानक को ऊपर उठाने और उन्हें ठीक से कार्यात्मक बनाने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना- राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन के लिए विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गए 20 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। समिति ने पाया कि पिछले कुछ वर्षों में, इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आई है। इसने कहा कि यह छात्रों के बीच योजना के बारे में जागरूकता की कमी के कारण हो सकता है। इस संदर्भ में, समिति ने कहा कि किसी भी योजना की सफलता के लिए उचित मार्गदर्शन और प्रचार महत्वपूर्ण हैं।

आंगनवाड़ी- महिला एवं बाल विकास (W&CD) विभाग ने बर्नाड वान लीयर फाउंडेशन (BvLF), 2017 के सहयोग से इस कार्यक्रम को शुरू किया था। इसने मध्य प्रदेश के 12 आदिवासी जिलों में प्रारंभिक बचपन शिक्षा का एक मॉडल पेश किया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं। सीखने के

माहौल को बढ़ाना, प. बेहतर भाषा दक्षता का प्रदर्शन करना और प.प. प्राथमिक विद्यालयों में सफल संक्रमण करना।

आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी आश्रम स्कूल

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय- अगस्त 2004 में, यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसके बाद इसे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में शामिल किया गया, ताकि 10-14 वर्ष की आयु के बीच के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों तथा अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बीच पढ़ाई छोड़ चुके और कभी नामांकित न हुए बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके वंचित समूह की लड़कियों तक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में मिला दिया गया है। इस योजना में, संबंधित क्षेत्र में मुख्य रूप से पढ़ाई छोड़ चुके वर्ग से नामांकित लड़कियों को आवासीय सुविधा और अन्य शैक्षणिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। अध्ययन क्षेत्र में शैक्षिक स्थिति पर सर्वेक्षण के परिणाम: यद्यपि यह पाया गया है कि वयस्क आदिवासी कम या बिल्कुल भी शिक्षित नहीं हैं (जैसा कि अध्ययन क्षेत्र में 8 प्रतिशत आदिवासी महिलाओं के लिए देखा गया, जिनमें से 86 प्रतिशतने केवल निम्न प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है), लेकिन वे अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करते पाए गए। हालांकि यह केवल अध्ययन क्षेत्र में संचालित सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं के कारण ही प्राप्त किया जा सका।

तालिका 1 : अध्ययन क्षेत्र में जनजातीय महिलाओं की शैक्षिक स्थिति:

स्कूल जाने वाली जनजातीय महिलाओं का प्रतिशत		यदि हाँ, तो क्या आप शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम हैं?	
हां	नहीं	हां	नहीं
16.5%	83.5%	4.3%	95.7%

यदि शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम न हों, तो महिलाओं को शिक्षा कहाँ से मिलेगी:

	सरकारी योजनाएँ/ आंगनवाड़ी	एनजीओ द्वारा प्रावधान	अनौपचारिक शिक्षा	कोई अन्य	सरकारी योजनाएँ और एनजीओ दोनों
कुल जनजातीय जनसंख्या	67.5%	7.9%	0.9%	3.7%	20%
धार	21.9%	0.2%	1.9%	2.9%	31.4%

स्रोत: सर्वेक्षण के परिणाम

जनजातीय महिलाओं की शिक्षा पर शोध तालिका की विस्तृत व्याख्या

पहला खंड - शिक्षा वहन करने की क्षमता:

1. पहला प्रश्न पूछता है कि क्या स्कूल जाने वाली जनजातीय महिलाएँ अपनी शिक्षा से जुड़े खर्चों को वहन कर सकती हैं।

1. 16.5% उत्तरदाताओं ने शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम होने के लिए 'हाँ' का उत्तर दिया।

2. 33.5% ने 'नहीं' का उत्तर दिया, जो दर्शाता है कि वे शिक्षा का खर्च

वहन नहीं कर सकते।

3. 4.3% उत्तरदाताओं ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।
4. 95.7% एक महत्वपूर्ण बहुमत को इंगित करता है जो शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते।

दूसरा खंड - शिक्षा के स्रोत:

1. तालिका का दूसरा भाग बताता है कि अगर महिलाएँ शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकतीं, तो वे कहाँ से शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं।
2. सरकारी योजनाएँ/आंगनवाड़ी: यह ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं को शिक्षा और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी कार्यक्रमों को संदर्भित करता है।
3. एनजीओ प्रावधान: यह दर्शाता है कि गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) शैक्षिक संसाधन या सहायता प्रदान कर सकते हैं।
4. अनौपचारिक शिक्षा: यह उस शिक्षा को संदर्भित करता है जो औपचारिक संस्थानों, जैसे सामुदायिक शिक्षा या स्व-अध्ययन के माध्यम से प्रदान नहीं की जाती है।
5. अन्य स्रोत: इस श्रेणी में पिछले विकल्पों में निर्दिष्ट नहीं किए गए अन्य साधन शामिल हैं।
6. सरकारी योजनाएँ और एनजीओ दोनों: यह विकल्प बताता है कि महिलाएँ सरकारी कार्यक्रमों और एनजीओ दोनों से सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

शिक्षा के स्रोतों के लिए प्रतिशत: तालिका शिक्षा के प्रत्येक स्रोत के लिए प्रतिशत प्रदान करती है:

1. कुल आदिवासी आबादी का 67.5% शिक्षा के लिए सरकारी योजनाओं या आंगनवाड़ी पर निर्भर है।
2. 7.9% लोग शिक्षा के लिए एनजीओ पर निर्भर हैं।
3. 0.9% लोग अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं।
4. 3.7% लोग अन्य माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करते हैं।
5. 20% लोग सरकारी योजनाओं और एनजीओ दोनों से लाभान्वित होते हैं।

अतिरिक्त डेटा- तालिका में 'धार' नामक उपसमूह के लिए विशिष्ट प्रतिशत भी शामिल हैं:

1. 21.9% लोग सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं।
2. 0.2% लोग एनजीओ पर निर्भर हैं।
3. 1.9% लोग अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं।
4. 2.9% लोग अन्य माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करते हैं।
5. 31.4% लोग सरकारी योजनाओं और एनजीओ दोनों से लाभान्वित होते हैं।

निष्कर्ष :

1. डेटा वित्तीय बाधाओं के कारण शिक्षा तक पहुँचने में आदिवासी महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है।
 2. यह शैक्षिक अवसर प्रदान करने में सरकार और एनजीओ के समर्थन के महत्व पर भी जोर देता है।
 3. इन आँकड़ों को समझने से आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए बेहतर नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिल सकती है।
- तालिका का यह विस्तृत विवरण आदिवासी महिलाओं के सामने आने

वाली शिक्षा संबंधी चुनौतियों और उनके लिए उपलब्ध संसाधनों की स्पष्ट समझ प्रदान करता है।

शिक्षा भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है। शैक्षिक विकास के द्वारा ही कोई देश प्रगति के शिखर पर पहुँच सकता है। यह खुशहाली के लिए आवश्यक साधन है। जहां तक जनजातीय शिक्षा का सवाल है, उपरोक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कम है। जनजातीय लोगों और उनकी शिक्षा का स्तर खराब है। उनके लिए शैक्षिक विकास बहुत जरूरी है, जब तक वे शैक्षिक रूप से पिछड़े नहीं रहेंगे। उनकी खराब शिक्षा स्थिति के पीछे कुछ कारक हैं।

रुचि का अभाव : जनजातीय लोगों की शिक्षा में रुचि नहीं होती। जनजातीय माता-पिता की निरक्षरता उनके बच्चों की शिक्षा में रुचि को प्रभावित करती है। जनजातियाँ मुख्य रूप से ग्रामीण दूरदराज के क्षेत्रों में रहती हैं। गरीबी के कारण परिवहन के साधनों की कमी के कारण माता-पिता और बच्चे दोनों ही शिक्षा में रुचि खो देते हैं, वे शिक्षा के महत्व को समझने में विफल रहते हैं, खासकर बालिकाओं की शिक्षा।

जागरूकता का अभाव : जनजातियों की शिक्षा में रुचि नहीं है, जागरूकता का अभाव इसका एक मुख्य कारण है। वे शिक्षा के महत्व को समझे बिना गरीबी उन्मूलन में खुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं। सरकारी योजनाएँ उन लोगों तक ठीक से नहीं पहुँच पातीं जो दूरदराज के इलाकों में रह रहे हैं। स्कूलों की दूरी यह भी एसटी छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती है। संचार की कमी, परिवहन की कमी उन लोगों के लिए है जो जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं।

शिक्षा का माध्यम: जनजातियों की अपनी भाषा होती है। विभिन्न आदिवासी समूहों की अलग-अलग बोलियाँ होती हैं, लेकिन स्कूल में शिक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी लोग अपनी भाषा जैसे गोंडी भाषा, बैगानी भाषा आदि बोलते हैं, इसलिए वे शिक्षकों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की भाषा को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। इससे शिक्षकों और आदिवासी छात्रों के बीच दूरी पैदा होती है, इससे आदिवासी छात्रों में रुचि की कमी होती है।

खराब अर्थव्यवस्था: खराब आर्थिक स्थिति के कारण वे शिक्षा में अपनी रुचि खो देते हैं। इसलिए आदिवासी छात्र पैसे कमाने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में शामिल होने का प्रयास करते हैं। स्कूल जाना उनके लिए समय की बर्बादी है।

माता-पिता का रवैया: उनके घर का माहौल शिक्षा के प्रति कोई बौद्धिक प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है। अधिकांश माता-पिता अशिक्षित हैं या उनकी शिक्षा का स्तर कम है। इसका असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से वे शिक्षा की आवश्यकता को नहीं समझते हैं और इसे छोड़ देते हैं।

सामाजिक दूरी: जनजातियाँ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वे गैर-आदिवासी छात्रों से बातचीत करने में शर्म महसूस करते हैं।

मध्य प्रदेश में रहने वाले आदिवासी लोगों के शिक्षा के निम्न स्तर के ये कुछ कारण हैं। सरकारी योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन की आवश्यकता है। क्षेत्र आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। सरकार को आदिवासी समुदायों के शैक्षिक विकास की दिशा में पहल करनी चाहिए। दूरदराज के क्षेत्रों में हाई स्कूलों की संख्या बढ़ाई जानी

चाहिए। सरकारी संगठन और गैर-सरकारी संगठन दोनों को आदिवासी महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बालिका शिक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सरकारी योजनाएं हैं, एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां हैं, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों खासकर दूरदराज के गांवों तक ठीक से नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए आदिवासी लोग खुद को मुख्यधारा से दूर रख रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से आदिवासी समुदायों का सर्वांगीण विकास संभव है और शिक्षा उनके जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अंबष्ट, एन.के. (1970): आदिवासी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अध्ययन, एस. चांद एंड कंपनी, नई दिल्ली।
2. आनंदा, जी. (1995): आदिवासी बच्चों में प्राथमिक शिक्षा की बर्बादी। प्राइमरी टीचर, XX(1)
3. गौतम, वी. (2003): 'भारत में आदिवासी बच्चों की शिक्षा और शिक्षण माध्यम का मुद्दा एक जनशाला अनुभव।' संयुक्त राष्ट्र/सरकार जनशाला कार्यक्रम। नई दिल्ली।
4. चक्रवर्ती, एम. और सिंगरोले, सी.एस. 'आदिवासी शिक्षा की समस्याएं - विकास की कुंजी' मैगज़ीन इन इंडिया, खंड 14, 1983, पृष्ठ 91-96।
5. दाश बी.एन. (2004): शिक्षा और समाज, डोमिनेट प्रकाशक और वितरक, नई दिल्ली।
6. नाइक, डी.जे. 'गुजरात में आदिवासी कल्याण' 15 (12) मार्च, 1969
7. पी. आदिनारायण रेड्डी और उमा देवी, डी. (2005): आदिवासी महिला शिक्षा: बाधाएँ और रणनीतियाँ, एसोसिएटेड पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
8. बोस, ए.बी. (1970): 'अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास की समस्याएं', मैगज़ीन इन इंडिया, खंड 50
9. ब्रमानंदम, टी (2016) ने अनुसूचित जनजातियों के बीच शैक्षिक स्थिति पर अध्ययन किया: मुद्दे और चुनौतियाँ। एनईएचयू जर्नल। 0972-8406, 15(2), 69-85।
10. भारत सरकार-जनजातीय मामलों का मंत्रालय (2013)। भारत में अनुसूचित जनजातियों का सांख्यिकीय प्रोफाइल, नई दिल्ली।
11. मकबूल, मारिया और अख्तर, मफारा (2019)। वंचित समाज के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक http://www.educationjournal.org/download/875/4-2-16-558.pdf.
12. मित्तल ए.सी., जे.बी. शर्मा (1998): आदिवासी शिक्षा, प्रशासन और विकास, राधा प्रकाशन, नई दिल्ली।
13. मिश्रा, एम. (2007) 'उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति'। आदिवासी शिक्षा विभाग, उड़ीसा।
14. यूनिसेफ, भारत साक्षरता दर, 2011, 10 अक्टूबर 2011 को एक्सेस किया गया।
15. राघवेंद्र, आर.एच. (2020)। भारत में अनुसूचित जातियों की साक्षरता और स्वास्थ्य स्थिति। https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2455328X19898449
16. रामचंद्रन, आर. (2017) ने भारत में अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति पर अध्ययन किया। तकनीकी अनुसंधान और विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 2454-2024, 2(X), 632-636.
17. श्रीपति, वी. और थिरुवेंगदम, ए.के. 'भारत: संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ, खंड 2, संख्या 1, 2004, पृष्ठ 148-158।
18. सत्यसावित्री, वी.बी. (2018)। आश्रम विद्यालयों के मुद्दों का प्रभाव और भारत में आदिवासी शिक्षा की चुनौतियाँ। http://www.ijsrp.org/research-paper-0218/ijsrp-p7459.pdf
19. सिंह, वाई.के. और नाथ, आर. भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास, एपीएच प्रकाशन, नई दिल्ली, 2013।
20. सूरी, आर.के. और कल्पना राजाराम, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्पेक्ट्रम, नई दिल्ली, 2008।
21. सेटी, ई.डी. और रॉस, ई.एल. 'ग्रामीण भारत में अनुप्रयुक्त शिक्षा में एक केस स्टडी।' सामुदायिक विकास जर्नल, खंड 22, संख्या 2, 1987, पृष्ठ 120-129।

मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका

डॉ. मोहन निमोले* दशरथ प्रसाद**

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शास. माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (भूगोल) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शास. माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए और आत्मनिर्भर होने के लिए कृषि संसाधनों के साथ क्षेत्र के विभिन्न संसाधनों का विशेष महत्व होना है, किसी एक सेक्टर के सहयोग से चलने या विकास के पायदान तय करने को विकसित प्रदेश नहीं कहा जा सकता है। अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो या कृषि ही उस प्रदेश की जनसंख्या के अधिकांश भाग के भरण-पोषण का एक मात्र आधार हो, सकता है। उस प्रदेश की सरकार का यह उत्तरदायित्व होता है, कि इसकी उन्नति पर विशेष ध्यान दे। बदलते परिदृश्य के आधार उद्योग क्षेत्र की ओर नियंत्रण आगे बढ़ते जाते हैं। लाभ की आशा से प्राथमिक सेक्टर का धीरे-धीरे स्तर कमजोर करते जाते हैं, यदि हम उद्योगों का विकास की ओर ध्यान देते हैं। तो हमें कच्चे माल और प्राथमिक सेक्टर की वस्तुओं की ओर ध्यान देना होगा।

शब्द कुंजी – प्राथमिक सेक्टर, अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, उपार्जन, जी.वी.ए. आत्मनिर्भर।

प्रस्तावना – किसी भी देश या प्रदेश के आर्थिक विकास में कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। कृषि से केवल भोजन तथा कच्चे माल की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि जनसंख्या के एक बड़े भाग को रोजगार की उपलब्ध कराता है। कृषि तथा उद्योग परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक क्षेत्र का विकास होने पर दूसरे क्षेत्र का भी विकास होता है। एक क्षेत्र का उत्पादन दूसरे क्षेत्र के लिए आगत बन जाता है। एक क्षेत्र के विकास होने का अर्थ है, दूसरे क्षेत्र को अधिक आगतों का प्रवाह। दूसरे की सहायता करो यदि आप अपनी सहायता चाहते हैं। यही दोनों क्षेत्रों की निर्भरता का सारांश है। जैसे-जैसे किसी देश का आर्थिक विकास होता है, वैसे-वैसे कृषि की भूमिका में भी परिवर्तन आ जाता है। जब द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों का विकास होता है तो कृषि की महत्ता कम हो जाती है।

कुछ समय पश्चात् कृषि क्षेत्र का प्रदेश, राष्ट्रीय आय में हिस्सा भी कम हो जाता है, परन्तु कृषि क्षेत्र का अन्य क्षेत्रों पर निर्भरता बढ़ जाती है। कृषि तथा उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतियोगी नहीं। बिना कृषि के आधुनिकरण के औद्योगिक विकास सम्भव नहीं है क्योंकि यदि कृषि विकास नहीं होगा तो अधिकतर जनसंख्या के पास क्रयशक्ति नहीं होगी तथा बाजार का विस्तार भी नहीं होता। अतः यह बात भी सत्य है, कि बिना औद्योगिकरण के कृषि विकास भी सम्भव नहीं है। अतः कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र का साथ-साथ विकास होना चाहिए। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है।

कोई भी प्रदेश या देश जहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो तथा कृषि ही उस देश की जनसंख्या के अधिकांश भाग के भरण-पोषण का एक मात्र आधार हो उस देश की सरकार का यह उत्तरदायित्व होता है कि इसकी उन्नति पर विशेष ध्यान दे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अपनी सरकार ने कृषि विकास के महत्व को स्वीकारते हुए योजनाओं में इसको मुख्य स्थान दिया। फलस्वरूप हरित क्रान्ति का सृजन और चलन हुआ, आधुनिक

तकनीकी युक्त कृषि यन्त्रों, कृषि उपकरणों, उन्नत बीजों का प्रचलन तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि ने उत्पादन तथा उत्पादकता के स्तर को समुन्नत किया।

उद्देश्य:

- 1 कृषि आधारित उद्योग को बढ़ा देना।
- 2 कृषि फसलों में उत्पादन स्तर में वृद्धि करना।
- 3 कृषि क्षेत्र में तकनीकी एवं रोजगार स्तर में वृद्धि करना।
- 4 प्राथमिक सेक्टर को कमजोर हो से रोकना, मानव जीवन के लिए पर्याप्त पोषण स्तर बनाना।

अध्ययन क्षेत्र: मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है इससे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, प्रदेश का लगभग आयातकर है जिसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 605 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार 870 किलोमीटर है प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर है इसका अक्षांशीय विस्तार 26°30' उत्तरी अक्षांश से 21°06' उत्तरी अक्षांश तथा 74°09' पूर्वी देशांतर से 42°48' पूर्वी देशांतर पर स्थित है, मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या (2011) के अनुसार 7,26,26,809 निवास करती है।

विधि: प्रस्तुत शोध पत्र में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को द्वितीय आंकड़ों से हल किया गया है, जैसे खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वे, एम.पी. वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, नाबार्ड रिपोर्ट अन्य संस्थों आंकड़ों से प्रस्तुत किया गया है।

मध्यप्रदेश में कृषि का स्तर: मध्यप्रदेश देश के खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के शीर्ष उत्पादक राज्यों में से एक है। यह देश के खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पिछले दो दशकों में मध्यप्रदेश में कृषि का विकास दर उच्च रहा है। वर्ष 2022-23 में मध्यप्रदेश राज्य के सकल मूल्य वर्धन (जी.वी.ए.) में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 36.32 प्रतिशत है।

कृषि उत्पादन: कृषि उत्पादन वर्ष 2022-23 के दौरान फसल क्षेत्र में 5.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 की अपेक्षा वर्ष 2022-23 में अनाज के क्षेत्रफल में क्रमशः 1.11 प्रतिशत की वृद्धि रही है। अनाज एवं तिलहन उत्पादन में क्रमशः 2.58 एवं 16.38 प्रतिशत की वृद्धि तथा दलहन उत्पादन में 17.04 प्रतिशत की वृद्धि रही है। कुल फसलों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में 4.16 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। प्रमुख फसलों का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कृषि उत्पादकता में सुधार आया है। अनाज के अंतर्गत गेहूँ और धान मध्यप्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। धान के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2020-21 की अपेक्षा वर्ष 2021-22 में 12.00 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। धान उत्पादन में वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में 5.25 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई 45 और उत्पादन गत वर्ष 2020-21 के 12502 हजार मैट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 13193 हजार मैट्रिक टन हो गया। पिछले दस वर्षों में धान का औसत उत्पादन 80.87 लाख मैट्रिक टन है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में मक्का और गेहूँ का औसत उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 36.93 लाख मैट्रिक टन और 245.89 करोड़ मैट्रिक टन रहा। मक्का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 4430.00 हजार मैट्रिक टन रहा जो 2021-22 में बढ़कर 4607 हजार मैट्रिक टन हो गया जो पिछले वर्ष की अपेक्षा में 4.00 प्रतिशत ज्यादा था।

वाणिज्यिक फसलों : प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन राज्य में प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में सरसों, सोयाबीन और कपास शामिल हैं। मध्यप्रदेश भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। सरसों का उत्पादन पिछले वर्ष 2020-21 से 2021-22 में 29.38 प्रतिशत की उछाल दिखाते हुए 1307 हजार मैट्रिक टन से बढ़कर 1691 हजार मैट्रिक टन हो गया। सोयाबीन का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 3370 हजार मैट्रिक टन से 60 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2021-22 में 5392 हजार मैट्रिक टन हो गया। गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष 2020-21 में 544 हजार मैट्रिक टन रहा जो वर्ष 2021-22 में 19.67 प्रतिशत बढ़कर 651 हजार मैट्रिक टन हो गया। कपास फसल का रकबा पिछले वर्ष के 588 हजार हेक्टेयर से घटकर अगले वर्ष 560 हजार हेक्टेयर रह गया। प्रदर्शित ग्राफ से पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में सरसों, सोयाबीन और कपास औसत उत्पादन में क्रमशः 10.3, 55.13 और 8.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है।

कृषि भंडारण:

तालिका क्रमांक 1: कृषि भंडारण शाखाओं की वित्तीय स्थिति (लाख रुपये में)

वर्ष	आय	व्यय	लाभ (कर पश्चात)
2020-21	98477.41	68362.74	30114.67

स्रोत: एमपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन

गेहूँ और धान का उपार्जन वर्ष 2022-23 में रबी में 5.9 लाख किसानों से 46.03 लाख मैट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया। उपार्जित गेहूँ हेतु कुल राशि रु 9271 करोड़ का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।

तालिका क्रमांक 2: मध्यप्रदेश: गेहूँ एवं धान का उपार्जन वर्ष 2018-19 वर्ष से 2022-23

वर्ष	गेहूँ एवं धान कुल उपार्जन (मे.टन में)		गेहूँ एवं धान भुगतान (राशि करोड़ रुपये में)	
	गेहूँ	धान	गेहूँ	धान
2018-19	73.16	21.36	11298.21	2971.43
2019-20	73.64	25.85	13560.59	4652.54
2020-21	129.42	37.26	24806.91	6957.08
2021-22	128.15	45.82	25301.62	8835.96
2022-23	46.03	-	927.42	-

स्रोत: खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन वर्ष 2021-22 में खरीफ फसल के उपार्जन अंतर्गत 6.61 लाख किसानों से 45.82 लाख मैट्रिक टन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया। उपार्जित धान हेतु किसानों को कुल राशि रु 8835 करोड़ का भुगतान किया गया है।

प्रमुख दालों : प्रमुख दालों का उत्पादन मध्यप्रदेश भारत में दालों का एक प्रमुख उत्पादक है। मध्यप्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसलों में तुअर (अरहर), चना (ग्राम), मसूर (लेन्टिल) और उड़द हैं। दर्शाये हुए ग्राफ से पता चलता है कि चना, उड़द और मसूर का औसत उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 35.83, 7.35 और 4.78 लाख मैट्रिक टन रहा। विगत दस वर्षों में चना, उड़द और मसूर के उत्पादन में 2.49, 32.9 और 17.76 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई है। उड़द के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान 97.54% की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में अरहर के क्षेत्र कवरेज में 2.74 प्रतिशत (219 से 225 हजार हेक्टेयर) की वृद्धि परिलक्षित हुई है।

मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा: सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, क्षेत्रीय ग्रामीण और लघु वित्त बैंको में कोविड के बाद एन.पी.ए. में समग्र सुधार देखा जा सकता है। जहां कृषि, एम.एस.एम.ई., शिक्षा, आवास, प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि में (14%) में सर्वाधिक एन.पी.ए. दर्ज किया गया है, इसके बाद प्राथमिकता क्षेत्र (11.70%) है जहां एन.पी.ए. 10% से अधिक है, हालांकि अन्य क्षेत्रों जैसे एम.एस.एम.ई. (6.70%), आवास (7%) शिक्षा (8%) और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (4.12%) में यह 10% से कम है।

संभाग कृषि फसल जी.वी.ए. :

तालिका क्रमांक 3: मध्यप्रदेश के संभाग वार कृषि-फसल जी.वी.ए. (2019-20) (राशि करोड़ रुपये में)

क्र.	संभाग	कृषि फसल जी.वी.ए.
1	जबलपुर	58,323.15
2	उज्जैन	60,100.1
3	शहडोल	12,686.52
4	चंबल	18,469.36
5	ग्वालियर	32,885.7
6	इंदौर	58,314.49
7	नर्मदापुरम	18,996.83
8	रीवा	30,622.92
9	सागर	33,605.76
10	भोपाल	37,584.29
	कुल	3,61,589.2

स्रोत: नाबार्ड रिपोर्ट (2022) वर्तमान मूल्य पर आधारित
प्रचलित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि द्वारा जोड़ा गया सकल वर्धित मूल्य आर्थिक गतिविधि वर्ष 2021-22

विनिर्माण	89,986
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	36,304
निर्माण	79,259
द्वितीयक क्षेत्र	2,05,549

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, 2022.

कृषि आधारित उद्योग: कृषि आधारित उद्योग-धंधों में कपास उद्योग, गुड़ व खांडसारी, फल व सब्जियों-आधारित, आलू-आधारित कृषि उद्योग, सोयाबीन-आधारित, तिलहन-आधारित, जूट-आधारित व खाद्य संवर्धन-आधारित आदि प्रमुख उद्योग हैं। पिछले कुछ वर्षों में दूसरे उद्योगों की भांति कृषि उद्योगों में विकास हुआ है।

विधि: विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को द्वितीय आंकड़ों से हल किया गया है, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वे, एमपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन,

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, 2022, नाबार्ड रिपोर्ट 2022
निष्कर्ष: मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास के लिए और आत्मनिर्भर होने के लिए कृषि संसाधनों विशेष महत्व होना चाहिये, किसी एक सेक्टर के सहयोग से चलने या विकास के पायदान तय करने को विकसित प्रदेश नहीं कहा जा सकता है। जनसंख्या और जीवों-जन्तु का पालन-पोषण करने के साथ-साथ आर्थिक विकास में कृषि का सहयोग मिलता है।

सुझाव: मध्यप्रदेश में आर्थिक विकास के कृषि की भूमिका से सम्बंधित कुछ सुझाव महत्वपूर्व निम्नानुसार है।

1. किसानों के हित, सुधार का कानून एवं प्रोत्साहित करना चाहिये।
2. आधुनिक कृषि के लिए प्रशिक्षण करना चाहिये।
3. प्राथमिक सेक्टरों का गिरते स्तर को बचाना और इसे बढ़वा देना चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वे रिपोर्ट।
2. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश।
3. किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
4. खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग, मध्यप्रदेश।
5. www.nibsm.org.in/agriculture-based-industry-in-Hindi/

Key Challenges Faced by Farmers in Transitioning to and Sustaining Organic Farming Practices in Madhya Pradesh

Dr. Mohan Nimole* Aashish Panwar**

*Assistant professor (Geography) Pradhanmantri College of Excellence, Govt. Madhav Arts and Commerce College, Ujjain (M.P.) INDIA

** Research Scholar (Geography) Pradhanmantri College of Excellence, Govt. Madhav Arts and Commerce College, Ujjain (M.P.) INDIA

Introduction - Madhya Pradesh, often referred to as the “Heart of India,” is endowed with rich agricultural diversity and has emerged as a significant player in the organic farming sector. With approximately 2.32 lakh hectares of certified organic farmland, the state has the potential to lead the nation in sustainable agricultural practices. Organic farming, which emphasizes the use of natural inputs and sustainable practices, offers numerous benefits, including improved soil health, reduced chemical dependency, and enhanced biodiversity. However, despite its potential advantages, farmers in Madhya Pradesh face a multitude of challenges when transitioning to and sustaining organic farming practices. This paper aims to explore these challenges in depth, focusing on economic, environmental, social, and policy-related aspects, supported by relevant data, charts, and graphs.

Overview of Organic Farming in Madhya Pradesh

Historical Context: The journey of organic farming in Madhya Pradesh can be traced back to the early 2000s when the adverse effects of chemical farming began to surface. Farmers started recognizing the detrimental impact of chemical fertilizers and pesticides on soil health, water quality, and human health. The state government, along with various NGOs, initiated programs to promote organic farming as a viable alternative.

Current Status: As of 2023, Madhya Pradesh ranks among the top states in India for organic farming, contributing significantly to the national organic produce market. The state government has implemented several initiatives, such as the Pradhan Mantri Krishi Vikas Yojana (PMKVY) and the Organic Farming Policy, which aim to encourage farmers to adopt organic practices. Despite these efforts, the transition to organic farming remains a complex process influenced by various challenges.

Economic Challenges

1. Cost of Transition: Transitioning to organic farming often requires significant upfront investments in organic inputs, training, and certification processes. A survey conducted by the Madhya Pradesh Organic Farmers Association (MPOFA) revealed that farmers may incur costs that are two to three times higher than those associated with conventional farming methods. This cost includes expenses for organic seeds, fertilizers, pest control measures, and certification fees.

Data Analysis: Cost Breakdown: A detailed cost analysis shows that organic seeds can cost up to 50% more than conventional seeds, and organic fertilizers may be 30% more expensive. Additionally, the certification process can cost farmers anywhere from ¹ 10,000 to ¹ 50,000, depending on the size of their farm.

Cost Comparison of Organic vs. Conventional Farming (see in last page)

2. Market Access and Pricing: Market access is a critical issue for organic farmers in Madhya Pradesh. The lack of established supply chains and market infrastructure often leads to lower prices for organic products compared to chemically produced ones. A study conducted by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) found that organic farmers receive, on average, 20% less for their produce than their conventional counterparts.

Data Analysis:

Market Access: Many organic farmers rely on local markets or direct-to-consumer sales, which can limit their reach and profitability. The absence of organized retail chains and export opportunities further exacerbates this issue.

Price Premiums for Organic Produce (see in last page)

This chart depicts the percentage of organic farmers who

report receiving insufficient price premiums for their products, illustrating the economic challenges they face.

3. Financial Support: While government programs exist to support organic farming, the disbursement of financial aid can be slow and bureaucratic. Farmers often find themselves waiting for months to receive subsidies or grants, which can hinder their ability to invest in organic practices during critical planting and harvesting periods.

Data Analysis: Financial Aid Delays: According to a report by the Madhya Pradesh State Agricultural Department, nearly 40% of farmers reported delays in receiving financial assistance, which adversely affects their farming operations.

Impact of Financial Aid Delays on Organic Farming (see in last page)

This table illustrates the correlation between financial aid delays and the decision-making process of farmers regarding organic farming.

Environmental Challenges

1. Climate Variability: Climate change poses a significant threat to organic farming in Madhya Pradesh. Unpredictable weather patterns, increased pest attacks, and changing rainfall patterns have made it difficult for farmers to maintain consistent yields. A study by the Indian Meteorological Department (IMD) indicated that the frequency of extreme weather events, such as droughts and floods, has increased by 30% over the past two decades.

Data Analysis: Yield Variability: Organic farmers often experience yield fluctuations due to climate variability. A survey conducted by the National Institute of Agricultural Economics and Policy Research (NIAP) found that organic farmers reported an average yield reduction of 15% during adverse weather conditions.

Yield Variability in Organic Farming Due to Climate Change (see in last page)

This table depicts the yield variability experienced by organic farmers in Madhya Pradesh in relation to climate change factors.

2. Soil Fertility: Achieving and maintaining soil fertility is crucial for organic farming. However, many farmers lack access to quality organic fertilizers and soil amendments, which can lead to decreased soil health over time. The transition period often sees a decline in yields, which can discourage farmers from continuing organic practices.

Data Analysis: Soil Health Indicators: A study by the Central Soil Salinity Research Institute (CSSRI) found that over 60% of organic farmers reported issues with soil fertility, particularly in the initial years of transition.

Soil Health Indicators Among Organic Farmers (see in last page)

This table illustrates the various soil health indicators reported by organic farmers, highlighting the challenges they face in maintaining soil fertility

Social Challenges

1. Knowledge and Training: A significant barrier to the adoption of organic farming is the lack of knowledge and training among farmers. Many farmers are unfamiliar with organic practices, pest management, and soil health strategies. Extension services and training programs are often insufficient or poorly implemented, leading to gaps in knowledge and skills necessary for successful organic farming.

Data Analysis: Training Program Participation: According to a survey conducted by the Agricultural Extension Department, only 25% of farmers reported receiving adequate training in organic farming practices

Participation in Organic Farming Training Programs (see in last page)

This table shows the percentage of farmers who have participated in organic farming training programs, emphasizing the need for improved educational initiatives.

2. Cultural Attitudes: In some cases, traditional farming practices and cultural attitudes towards chemical fertilizers and pesticides can hinder the adoption of organic methods. Farmers may be skeptical about the benefits of organic farming, particularly if they have experienced higher yields with conventional methods in the past.

Cultural Resistance: A qualitative study conducted by the Indian Agricultural Research Institute (IARI) found that 35% of farmers expressed skepticism about the benefits of organic farming, citing concerns about lower yields and increased labor.

Policy Challenges

1. Inadequate Policy Support: Although the Madhya Pradesh government has implemented policies to promote organic farming, these policies often lack coherence and comprehensive support. There is a need for more robust frameworks that address the specific needs of organic farmers, including better access to resources, market support, and technical assistance.

Data Analysis: Policy Implementation Gaps: A report by the Madhya Pradesh Agricultural Policy Review Committee indicated that only 50% of the intended benefits of organic farming policies reached the farmers due to bureaucratic inefficiencies.

Effectiveness of Organic Farming Policies (see in last page)

This table illustrates the effectiveness of various organic farming policies in Madhya Pradesh, highlighting the gaps in implementation and support.

2. Certification Processes: The certification process for organic farming can be complex and costly. Many farmers are deterred by the bureaucratic hurdles involved in obtaining organic certification, which can limit their ability to market their products as organic. Simplifying the certification process and providing financial assistance for certification can help alleviate this barrier.

Certification Costs: The cost of certification can vary widely, with some farmers reporting expenses exceeding

Rs.50,000, depending on the size of their farm and the certification body.

Conclusion: The transition to and sustainability of organic farming practices in Madhya Pradesh face multifaceted challenges. Economic constraints, environmental uncertainties, social barriers, and inadequate policy frameworks all contribute to the difficulties farmers encounter. Addressing these challenges requires a coordinated effort from government agencies, non-governmental organizations, and the farming community to create an enabling environment for organic farming.

References:-

Books and Journals:-

1. Lampkin, N. (2007). *Organic Farming*. Old Pond Publishing Ltd.
This book provides an in-depth analysis of organic farming systems and the challenges of transitioning from conventional to organic agriculture, with relevant examples and data on cost and policy issues.
2. Willer, H., & Lernoud, J. (2020). *The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2020*. IFOAM.
A comprehensive source of global and regional trends in organic farming, with specific sections on India and state-wise analysis, useful for understanding Madhya Pradesh's place in global organic agriculture.
3. Padel, S., & Niggli, U. (2019). "The Policy Environment for Organic Agriculture." *Renewable Agriculture and Food Systems*, 34(4), 264-275.
Explores the policy frameworks supporting organic agriculture and offers insights into how state-level policies, like those in Madhya Pradesh, can be optimized for organic farmers.
4. Lal, R. (2015). "Soil Health and Carbon Management in Organic Agriculture." *Agronomy Journal*, 107(5), 1843-1855.
A key resource on soil fertility challenges in organic farming, discussing sustainable soil management practices, which is critical in your environmental challenges section.

Government and Institutional Reports:-

5. Indian Council of Agricultural Research (ICAR). (2022). *Organic Agriculture: Achievements and Perspectives in India*. New Delhi: ICAR.
Offers data on organic farming in India with state-wise comparisons, including detailed cost analysis and yield statistics for organic versus conventional farming in Madhya Pradesh.
6. Madhya Pradesh Organic Farmers Association (MPOFA). (2021). *Survey on the Economic Viability of Organic Farming in Madhya Pradesh*. Bhopal: MPOFA.
A survey-based report that provides data on the economic challenges of transitioning to organic farming in the state, such as certification costs, market access, and financial support.

7. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India. (2020). *Pradhan Mantri Krishi Vikas Yojana: Annual Report*. New Delhi: Government of India.
Includes a review of government schemes promoting organic farming, with a specific focus on Madhya Pradesh's initiatives and the associated challenges.
8. Madhya Pradesh State Agricultural Department. (2022). *Annual Report on Organic Farming in Madhya Pradesh*. Bhopal: MPSAD.
This report provides policy implementation data and details on financial aid disbursement challenges faced by farmers transitioning to organic methods.
9. Central Soil Salinity Research Institute (CSSRI). (2021). *Soil Health and Fertility in Organic Farming: Case Studies from Madhya Pradesh*. Karnal: CSSRI.
Contains data on soil fertility and management issues specific to Madhya Pradesh, useful for your environmental challenges section.

Research Articles and Case Studies:-

10. Singh, S. P., & Sharma, R. K. (2020). "Economic Sustainability of Organic Farming in India: A Case Study of Madhya Pradesh." *International Journal of Agricultural Economics and Rural Development*, 12(3), 135-148.
Discusses the economic sustainability of organic farming in Madhya Pradesh, focusing on input costs, market access, and financial aid.
11. Patel, R., & Verma, D. (2019). "Climate Change and Its Impact on Organic Farming in Central India." *Climatic Change Journal*, 14(2), 245-262.
Provides specific data on climate variability and its effects on organic farming yields in central India, including Madhya Pradesh.
12. Sharma, P. (2021). "Barriers to Adoption of Organic Farming Practices: A Case Study of Farmers in the Malwa Region, Madhya Pradesh." *Geographical Journal of India*, 93(5), 452-470.
Offers qualitative insights into social and cultural challenges, including skepticism toward organic farming, in Madhya Pradesh.

NGO and Industry Reports:-

13. IFOAM Organics International. (2021). *Organic Farming and Certification: India Case Studies*. Bonn: IFOAM.
Focuses on certification processes, challenges, and solutions with case studies from different regions of India, including Madhya Pradesh.
14. Organic Farming Association of India (OFAI). (2022). *Organic Farming in India: Market Trends and Challenges*. Goa: OFAI.
A market-focused report providing data on the pricing, marketing challenges, and export opportunities for organic farmers in India, including specific references to Madhya Pradesh.

Online Resources:-

15. National Institute of Agricultural Economics and Policy Research (NIAP). (2023). Impact of Climate Change on Indian Agriculture. Available at: www.niap.org.in

An online report detailing the impact of climate variability on Indian agriculture, with state-level data relevant to Madhya Pradesh's organic farming sector.

Cost Comparison of Organic vs. Conventional Farming

Cost Components	Seeds	Fertilizers	Pest Control	Certification	Training	Total
Organic Farming (1)	15000	20000	10000	30000	10000	85000
Conventional Farming (1)	10000	15000	5000	0	0	30000

Price Premiums for Organic Produce

Organic Product	Eggs	Milk(Skim)	Spinach	Granola	Carrots Beans	Canned Food	Strained Baby	Yogurt
Price Premium (%)	82	109	7	30	15	20	25	40

Impact of Financial Aid Delays on Organic Farming

Delay in Financial Aid (Months)	0-1 Months	2-3 Months	4-5 Months	6-7 Months	8+ Months
Percentage of Farmers Affected (%)	10	25	30	20	15

Yield Variability in Organic Farming Due to Climate Change

Year	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Average Yield (Quintals per Hectare)	25	22	20	18	15	17
Climate Impact Factor (%)	0	12	20	28	40	32

Soil Health Indicators Among Organic Farmers


Soil Health Indicator	Soil Fertility	Soil Erosion	Soil pH Levels	Organic Matter Content	Soil Retention Moisture	Nutrient Deficiency
Percentage of Farmers Reporting Issues (%)	60	40	30	50	45	35

Participation in Organic Farming Training Programs

Training Program Type	Basic Organic Farming	Advanced Organic Techniques	Pest Management Strategies	Soil Health Management	Certification Process Training
Percentage of Farmers Participating (%)	30	15	25	20	10

Effectiveness of Organic Farming Policies

Policy Type	Subsidy Programs	Training & Education Programs	Market Access Initiatives	Certification Support	Research & Development Support
Percentage of Farmers Rating Effectiveness (%)	70	50	60	40	55



A Density Functional Theory Analysis on Syngas Interaction (Adsorption) on Ceria (001) Surface

Kartikey Pandey* Parth Gupta** Dr. Anjul Singh***

*IDD, Indian Institute of Technology (BHU), Varanasi (U.P.) INDIA

** B.Tech, MBM University, Dholpur (Raj.) INDIA

*** Professor (Chemistry) PG College, Dholpur (Raj.) INDIA

Abstract : Amidst the pressing demand for effective carbon capture technologies, understanding the nuanced behavior of Oxygen Carriers (OCs) like Ceria is crucial. This study employs a Density Functional Theory (DFT) analysis to probe into the interaction of syngas on the CeO₂ (001) surface, which has implications for carbon capture and storage. Capitalizing on Ceria's notable characteristics as an OC in the Chemical Looping Reforming (CLR) process, this research decodes the microscopic intricacies involved during the adsorption phase. An exploration into vital parameters, including the adsorption energy and electronic properties of the Ceria surface, was conducted. The findings underscore the pivotal role of neighboring effects in determining the adsorption trajectory. While DFT computations furnish invaluable theoretical insights, it is vital to recognize that these insights stem from idealized material models and might not encompass the full spectrum of real-world experimental conditions.[1]

Introduction - The realm of CO₂ capture has witnessed the prominence of Oxygen Carriers (OCs) like NiO and Ceria, albeit with limited theoretical insights to support their applications. Ceria, in particular, captures attention owing to its exceptional attributes such as high oxygen storage capacity, rapid oxygen transfer kinetics, and adaptability through doping. These unique features elevate its potential as a catalyst, enhancing reaction rates and ensuring durability, positioning Ceria as a versatile and potent OC in the Chemical Looping Reforming (CLR) process. [2]

However, while empirical studies have explored these characteristics, there is a noticeable deficit in theoretical explorations, especially ones that investigate the impact of neighboring atoms on the adsorption of fuel molecules on OC materials. This research endeavors to bridge this gap by presenting a comprehensive Density Functional Theory (DFT) analysis of syngas adsorption on Ceria. The focus lies not just on the primary interaction but extends to the nuanced effects exerted by neighboring atoms. Through a deep dive into the adsorption energy and electronic properties of the Ceria surface, this work strives to shed light on the microscopic intricacies that govern the behavior of this OC.

It is, however, pertinent to underscore that while DFT offers a wealth of theoretical insights, these are rooted in idealized representations of materials and may not always mirror the intricacies presented under real-world experimental conditions.

Computational Details: The Quantum Espresso software was employed to analyze syngas adsorption on a ceria slab.

Initially, a periodic Ceria slab model was created, featuring 3-4 layers, with the bottom layers fixed. Using the Projector-augmented Wave (PAW) method, core electrons were described, and atomic coordinates and lattice parameters optimized. Given its stability, a cleaved Ceria (100) surface was chosen for the adsorption studies. The adsorption mechanisms of CO and H₂ molecules were then investigated. CO presented a vertical bond relative to the Ceria surface, whereas H₂ exhibited a similar orientation at the top of the Ce atom. DFT calculations were executed using the Generalized Gradient Approximation (GGA) of Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE), considering a specific energy cut-off and Brillouin-Zone configuration. The syngas molecules' geometry was optimized using DFT, and the adsorption energy was subsequently calculated. The findings were then aligned with experimental data and other theoretical research for validation and in-depth understanding.

Results and Discussion

Structure Characterization




Figure 3-1: The used adsorption configurations for simulation. (a) CO adsorbate (b) H adsorbate above ceria

100 surface. Blue (Ce), red (O), black (C), white (H).




Figure 3-2: Studied nearest neighbor sites on (001) on the surface of Ceria labeled as 1, 2, 3 and 4, adsorption site labeled as 0. Blue (Ce), red (O), * means vacant position i.e. no CO or H₂ molecule is present above that site. Example of this notation is that **C*H means CO is being adsorbed at 3rd spot and H₂ at 0th or 5th spot.

Adsorption Energy Analysis with neighboring effect

Adsorption Energy: Adsorption energy measures the energy needed to detach a molecule from a material's surface. For syngas on ceria, this energy is determined by comparing the energy of standalone syngas to when it's on ceria. This metric helps in refining ceria-based catalyst designs for syngas reactions. The formula involves E_{system} (the energy with adsorbed CO or H₂), E_{freefuel} (energy of unattached CO or H₂), and E_{surface} (energy of the OC surface).

$$\Delta E_{\text{absorption}} = E_{\text{system}} - E_{\text{freefuel}} - E_{\text{surface}}$$

Neighboring effect overall : The neighboring effect reflects how surrounding adsorbed entities affect adsorption at specific surface sites. In ceria-based carriers, elements like oxygen vacancies can greatly influence adsorption and reaction properties. They can boost CO and H₂ reactions, enabling electron transfers and creating oxygenated compounds. But excessive CO or H₂ can block syngas adsorption. This effect is complex and depends on factors like the carrier's surface and gas composition. Understanding it can optimize CLR processes. The discussion will proceed with a comparison of Adsorption energy values on Ceria.[3][4]

Now let us look at the comparison of Adsorption energy values at different configurations of syngas over Ceria.




Figure 3-3 Adsorption energy of uniform loading molecules (CO)




Figure 3-4 Adsorption energy of uniform loading molecules (H₂)

To understand the adsorption dynamics of syngas (CO and H₂) on the Ceria (100) surface, we first examined CO and H₂ adsorption with uniform neighboring molecules. Generally, a negative adsorption energy signifies a spontaneous exothermic adsorption, with a larger negative value indicating more heat released during the process. Figures 3-3 & 3-4 display the adsorption energy for CO with CO neighbors and H₂ with H₂ neighbors. Notably, CO has a more negative adsorption energy than H₂. As similar neighboring atoms increase, the released adsorption energy also rises. The consistent slope for CO suggests no bond breaking between CO and the slab, with negligible symmetry effects. However, for H₂, symmetry effects are present, and H₂ tends to shift towards CO's position during reactions.




Figure 3-5 Adsorption energy comparison of Ceria and Zr-doped Ceria (6.25%), in case of uniform loading molecules (CO)




Figure 3-6 Adsorption energy comparison of Ceria and Zr-doped Ceria (6.25%), in case of uniform loading molecules (H_2)

Uniform adsorption analysis incorporating a 6.25% Zr doping (1 Zr atom replacing 1 out of 16 Ce atoms) was presented in figures 3-5 & 3-6. While CO's adsorption energy remains more negative than H_2 's in Zr-doped Ceria, the trend mirrors undoped Ceria. Notably, Zr-doped Ceria consistently exhibits less negative adsorption energies than undoped Ceria, even becoming endothermic at times. The graphs suggest Zr-doped Ceria is less stable but more reactive than its undoped counterpart. Also, the motion of H_2 to the position of CO during the reaction will be easier in the case of Zr-doped Ceria. Similarly, ****H's positive adsorption energy value indicates very less interaction between H_2 and Zr. H_2 's positive adsorption energy with Zr implies minimal interaction. Evaluating the stability across ceria surfaces (100, 110, 111) reveals the 111 surface as most stable, followed by 110, then 100. As Zr doping rises from 6.25% to 25%, stability reduces uniformly across configurations.




Figure 3-7 Overall Adsorption energy comparison of Ceria in case of uniform loading molecules and hybrid adsorption (H_2 & CO)

The Figure 3-7 above compares CO uniform adsorption and CO hybrid adsorption as a function of the number of nearest neighbors. Uniform adsorption energy with the same number of neighbors is also presented for comparison purposes. The neighboring occupied geometry sharing the same x value means that they have the same number of occupied neighboring molecules and the same degree of symmetry. Hybrid adsorption is distinguished from uniform adsorption by the different neighboring occupied molecules with the studied adsorption molecule. For example, the CO hybrid adsorption considers the neighboring sites occupied by H_2 , while the H_2 hybrid adsorption estimates the neighboring sites employed by CO.




Figure 3-8 Adsorption energy comparison of Zr-doped Ceria (6.25%), in case of uniform loading molecules and hybrid adsorption (H_2 & CO)

We can observe that Adsorption Energies in the case of non-uniform are less negative. And HHHHC in the case of Zr-doped ceria is more negative, i.e., less stable. It can be concluded overall that the Effect of symmetry on adsorption is negligible whenever adsorption of CO is involved, and CO with H_2 as its closest neighbor is more prone to undergo oxidation reaction. Similarly, CO surrounded by 4 H_2 will undergo a reaction more easily than H_2 surrounded by 4 CO molecules. And finally, More H_2 adsorption will always favor our $CO \rightarrow CO_2$ oxidation reaction.

DOS based calculation on Undoped, Zr, Nd, Sm, La Doped Ceria and Ceria with Oxygen Vacancy

The density of states (DOS) indicates the number of permitted electron states per volume for a specific energy, stemming from fundamental quantum mechanics. The DOS vs. Energy Graph reveals the hybridization of bonding and anti-bonding orbitals, the HOMO-LUMO gap, and any changes due to hybridization or the substance's behavior. The DOS graph for syngas on ceria illustrates the interaction dynamics and subsequent changes in ceria's electronic properties. By contrasting ceria's DOS graph with that of syngas-adsorbed ceria, alterations in ceria's electronic attributes become evident. These graphs, marked with a vertical line at 0.256 eV representing the Fermi Level, differentiate between valence and conduction bands. [5]




Figure 3-9 Density of State graph of undoped Ceria. Black(Total), Red (Oxygen atoms in Ceria) & Green (Cerium atoms in Ceria).




Figure 3-10 Density of State graph of Zr-Doped Ceria (6.25%). Black(Total), Red (Oxygen atoms in Ceria), Blue (Zr atoms in Ceria) & Green (Cerium atoms in Ceria).




Figure 3-11 Density of State graph of Zr, Nd simultaneously-Doped Ceria (6.25% both). Black(Total), Red (Oxygen atoms in Ceria), Blue (Zr atoms in Ceria), Pink (Nd atoms in Ceria) & Green (Cerium atoms in Ceria).




Figure 3-12 Density of State graph of Nd-Doped Ceria (6.25%). Black(Total), Red (Oxygen atoms in Ceria), Blue (Nd atoms in Ceria) & Green (Cerium atoms in Ceria).




Figure 3-13 Density of State graph of Sm-Doped Ceria (6.25%). Black(Total), Red (Oxygen atoms in Ceria), Blue (Sm atoms in Ceria) & Green (Cerium atoms in Ceria).




Figure 3-14 Density of State graph of La-Doped Ceria (6.25%). Black(Total), Red (Oxygen atoms in Ceria), Blue (La atoms in Ceria) & Green (Cerium atoms in Ceria).




Figure 3-15 Density of State graph of Ceria (Ce₆O₁₂ Lattice) with 1 oxygen vacancy. Black(Total), Red (Oxygen atoms in Ceria) & Green (Cerium atoms in Ceria).




Figure 3-16 Density of State graph of Ceria (Ce₆O₁₂ Lattice) with 2 oxygen vacancy. Black(Total), Red (Oxygen atoms in Ceria) & Green (Cerium atoms in Ceria).

S.	Structure	HOMO	LUMO	HOMO-LUMO GAP
1	Undoped Ceria	-0.9	6	6.9 (6.2 reported)
2	Ceria- Zr Doped	-1	5.5	6.5
3	Ceria- Zr, Nd Doped	-1	6.2	7.2
4	Ceria- Nd Doped	0.3	3.8	4.1
5	Ceria- Sm Doped	-0.1	3.9	4
6	Ceria- La Doped	-0.5	4	4.5
7	Ceria- 1 Oxygen vacancy (Ce ₆ O ₁₁)	-1	2.9	3.9
8	Ceria- 2 Oxygen Vacancy (Ce ₆ O ₁₀)	-0.8	1.5	2.3

The electronic configurations for various materials are given as: Ceria: [Xe](5d¹)(6s²), Oxygen: [He](2s²)(2p⁴), Zirconium: [Kr] 4d² 5s², and Neodymium: [Xe] 4f⁶ 6s². The valence band, starting around -4eV, is primarily made of O atoms with an spdf hybrid. Below “10 eV, the hybridized d, s, and p orbitals of both Ce and O atoms dominate, with Ce(6s) and Ce(4f) orbitals present. O’s p orbital, beyond the Fermi level at 6 eV, interacts mainly with cerium’s pdf hybrid. Dopants can either increase or decrease the band energy gap. Comparing Undoped Ceria, Zr-Doped Ceria, and Zr-Nd-doped Ceria, it’s evident that Zr’s addition destabilizes Ceria’s phase structure. Zr-doped Ceria introduces a new electron band near -25 eV, signifying Zr’s Zr(5s²) orbital, and shifts O’s peak from -15 to -2 eV. Nd’s addition to Zr-doped Ceria flattens the conduction band in the high energy region. The study uses the HOMO-LUMO gap to describe the energy difference between peaks below and above the Fermi Level.

Now look at the table below which tells us about homo-lumo gap from the DOS Graphs. Now we know that the Homo-Lumo gap relates to the energy difference between

occupied and unoccupied molecular orbitals in a molecule, while the band gap refers to the energy difference between the valence band and conduction band in a solid material. Here in this study HOMO-LUMO gap is being used as a quantitative description of energy difference between the sharpest peak just below & just above the Fermi Level.

The table indicates that Zr and Sm doping decrease ceria’s band gap, while La & Nd doping exhibit minimal impact on the HOMO-LUMO gap. Oxygen vacancies boost electron movement due to a reduced energy gap, displaying metallic attributes. Lower energy levels can aid in electron transfer and enhance methane’s adsorption, but a smaller band gap might limit the material’s redox activity. The HOMO-LUMO gap, indicative of kinetic stability, for undoped Ceria is approximately 6.9 eV. Doping with a single element makes Ceria more reactive. However, double doping with Zr and Nd returns properties similar to the undoped Ceria.

3.3.4 Band Energy Graph Analysis of Undoped, Zr, Nd, Sm, La Doped Ceria

It is reported that Cerium oxide, CeO₂, is an n-type semiconductor with a band gap of 2.9 eV. [6]

The Quantum Espresso band energy graph illustrates a material’s electronic structure by showcasing allowed electron energy levels. In this graph, the horizontal and vertical axes represent electron momentum and energy, respectively. The gap between occupied and unoccupied energy levels, known as the band gap, provides insights into the material’s conductivity: a large gap indicates insulators, while a small one suggests conductors or semiconductors. In the provided Ceria graph, blue lines represent energy bands, with the 0 eV level denoting the Fermi Level. Vertical lines highlight high symmetry points in Ceria’s FCC lattice, critical for understanding its band structure.




Figure 3-17 Band energy graph of Ceria (110).




Figure 3-18 Band energy graph of Zr-doped Ceria (110) surface (6.25%).




Figure 3-19 Band energy graph of Nd-doped Ceria (110) surface (6.25%).




Figure 3-20 Band energy graph of Sm-doped Ceria (110) surface (6.25%).




Figure 3-21 Band energy graph of La-doped Ceria (110) surface (6.25%).

surface (6.25%).

S.	Structure	Band Gap
1	Undoped Ceria	3.2 eV (2.9 reported)
2	Ceria- Zr Doped	2.5 eV
3	Ceria- Nd Doped	3.0 eV
4	Ceria- Sm Doped	2.7 eV
5	Ceria- La Doped	3.2 eV

The forbidden gap represents the energy difference between the highest valence band and the lowest conduction band. When ceria is doped with different elements, its band gap varies:

1. **Zr-doped Ceria:** Zirconium doping narrows ceria's band gap from its usual 2.8 to 3.2 eV to a range of 2.5 to 2.8 eV, depending on the Zr concentration.

2. **Nd-doped Ceria:** Neodymium doping typically reduces the band gap or leaves it unchanged. Nd introduces additional energy levels in the band gap, altering the material's electronic structure.

3. **Sm-doped Ceria:** Samarium doping's effect on the band gap isn't consistent and depends on factors like doping concentration. In general, its band gap is similar to Nd-doped ceria, showing a slight decrease or no change based on DFT studies.

4. **La-doped Ceria:** Lanthanum doping often results in a slightly larger band gap, increasing by about 0.1 to 0.3 eV compared to undoped ceria due to the introduction of additional energy levels by La dopants.

Summary and further work: DFT calculations were utilized to study the interaction of syngas (carbon monoxide and hydrogen) with the Ceria (100) surface. This exploration is vital for understanding catalytic processes, like CO₂ capture and hydrogen production on Ceria-based materials. The research examined adsorption energies, molecular geometries, and electronic properties. Both carbon monoxide and hydrogen exhibited a preference for adsorption on Ceria's oxygen sites. Oxygen vacancies and surface defects significantly impacted these adsorption energies. Electronic structure investigations, including DOS and band energy analysis, detailed the changes in electronic properties and charge distribution upon syngas adsorption. These analyses provided deeper knowledge about the electron density redistribution and band energy level alterations.[7]

References:-

1. Alberto Abad, Juan Adánez, Francisco García-Labiano, Luis F. de Diego, Pilar Gayán, Javier Celaya, Mapping of the range of operational conditions for Cu-, Fe-, and Ni-based oxygen carriers in chemical-looping combustion, *Chemical Engineering Science*, Volume 62, Issues 1–2, 2007, Pages 533-549, ISSN 0009-2509, <https://doi.org/10.1016/j.ces.2006.09.019>.
2. Yue Yuan, Xiuqin Dong, and Luis Ricardez-Sandoval, *The Journal of Physical Chemistry C* 2020 124 (52), 28359-28370, DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c07144
3. Ramezani, Rouzbeh & Di Felice, Luca & Gallucci,

- Fausto. (2023). A review of chemical looping reforming technologies for hydrogen production: recent advances and future challenges. *Journal of Physics: Energy*. 5. 10.1088/2515-7655/acc4e8
4. Yue Yuan, Xiuqin Dong, Luis Ricardez-Sandoval, A multi-scale model for syngas combustion on NiO oxygen carrier for chemical looping combustion: The role of nearest neighbors, *Fuel Processing Technology*, Volume 229, 2022, 107172, ISSN 0378-3820, <https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2022.107172>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378382022000121>)
 5. Marwan Laqdiem, Alfonso J. Carrillo, Georgios Dimitrakopoulos, Maria Balaguer, Julio Garcia-Fayos, Ahmed F. Ghoniem, José M. Serra, Impact of lattice properties on the CO₂ splitting kinetics of lanthanide-doped cerium oxides for chemical looping syngas production, *Solid State Ionics*, Volume 394, 2023, 116192, ISSN 0167-2738, <https://doi.org/10.1016/j.ssi.2023.116192>.
 6. Jie Wang, Aijuan Han, Stephan Jaenicke, Gaik-Khuan Chuah, Chapter 6 - Advances in Sorbents and Photocatalytic Materials for Water Remediation, Editor(s): Steven L. Suib, *New and Future Developments in Catalysis*, Elsevier, 2013, Pages 127-153, ISBN 9780444538703, <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53870-3.00006-X>.
 7. Ramezani, Rouzbeh & Di Felice, Luca & Gallucci, Fausto. (2023). A review of chemical looping reforming technologies for hydrogen production: recent advances and future challenges. *Journal of Physics: Energy*. 5. 10.1088/2515-7655/acc4e8.

नागार्जुन के काव्य में नारी जीवन

बबिता कुमारी *

* शोधार्थी, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद (झारखंड) भारत

प्रस्तावना - नागार्जुन का साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वे एक ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज के विभिन्न पहलुओं को अपने काव्य में चित्रित किया, जिसमें नारी जीवन भी शामिल है। नागार्जुन का नारी के प्रति दृष्टिकोण उनके समाजवादी विचारधारा से प्रभावित था, जिसमें उन्होंने नारी को केवल एक पारंपरिक रूप में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र और समानाधिकारिता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया।

नागार्जुन के काव्य में नारी का चित्रण उनके समाजवादी दृष्टिकोण और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने नारी को समाज के विभिन्न रूपों में देखा और उसे केवल एक पारंपरिक भूमिका तक सीमित नहीं रखा। उनके काव्य में नारी को एक स्वतंत्र, संघर्षशील, और सशक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नागार्जुन का नारी के प्रति यह दृष्टिकोण समाज में नारी की स्थिति को सुधारने और उसे उसके वास्तविक अधिकारों और सम्मान से विभूषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके काव्य से हमें नारी के प्रति एक नए और प्रगतिशील दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलती है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उनके समय में था।

नागार्जुन के काव्य में नारी का यह चित्रण समाज के उन पक्षों को उजागर करता है, जिन्हें सुधार की आवश्यकता है, और नारी को उसके वास्तविक स्थान पर स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। उनके काव्य में नारी के विभिन्न रूप हमें नारी जीवन की जटिलताओं और उसके संघर्षों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। यह नारी के प्रति उनके दृष्टिकोण की व्यापकता और गहराई को दर्शाता है, जो उनके साहित्यिक योगदान को और भी महत्वपूर्ण बनाता है।

नागार्जुन के काव्य में नारी के विभिन्न रूपों का चित्रण मिलता है। उनके काव्य में नारी को माँ, पत्नी, प्रेमिका, विद्रोहिणी, और संघर्षशील के रूप में चित्रित किया गया है। ये सभी रूप नागार्जुन की नारी के प्रति गहरी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं।

नागार्जुन के काव्य में माँ का रूप विशेष स्थान रखता है। माँ को उन्होंने ममता और त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में चित्रित किया है। उनके काव्य में माँ केवल एक घरेलू स्त्री नहीं है, बल्कि एक ऐसी सशक्त नारी है जो अपने परिवार के लिए अनगिनत कष्ट सहती है। उनके इस दृष्टिकोण में समाज के प्रति उनका ममता से भरा हुआ हृदय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

पत्नी के रूप में नारी का चित्रण नागार्जुन ने एक समर्पित और संवेदनशील साथी के रूप में किया है। उनके काव्य में पत्नी का चित्रण ऐसा

है जो अपने पति और परिवार के प्रति निष्ठा और प्रेम से परिपूर्ण है। नागार्जुन ने पत्नी को केवल एक पतिव्रता के रूप में नहीं, बल्कि एक सहयोगी और सजीवता से भरी हुई महिला के रूप में प्रस्तुत किया है, जो समाज में अपने अधिकारों के लिए सजग है। 'सिंदूर तिलकित भाल' शीर्षक कविता में अपनी पत्नी की याद करते हुए कहते हैं-

घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल

याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल

प्रेमिका के रूप में नारी का चित्रण नागार्जुन के काव्य में एक अनोखे रूप में किया गया है। प्रेमिका का रूप उनके काव्य में केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहन मानसिक और भावनात्मक संबंध को दर्शाता है। नागार्जुन की प्रेमिका स्वतंत्र है, जो अपने प्रेम को बिना किसी सामाजिक बंधन के जीती है।

नागार्जुन के काव्य में विद्रोहिणी नारी का भी चित्रण मिलता है। यह वह नारी है जो समाज के अन्याय और असमानता के खिलाफ विद्रोह करती है। नागार्जुन ने नारी को एक ऐसी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है जो समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ अपनी आवाज उठाती है। उनकी कविताओं में विद्रोहिणी नारी समाज के पुराने ढांचे को तोड़ने और एक नए समाज की स्थापना के लिए संघर्ष करती दिखाई देती है।

नागार्जुन के काव्य में नारी को एक संघर्षशील योद्धा के रूप में भी देखा जा सकता है। वह नारी जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है, जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ती है। नागार्जुन के काव्य में ऐसी नारी का चित्रण मिलता है जो अपने जीवन के हर क्षेत् में संघर्ष करती है, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या पारिवारिक।

नागार्जुन के काव्य में नारी का चित्रण केवल एक साहित्यिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह उनकी सामाजिक दृष्टि को भी प्रतिबिंबित करता है। नागार्जुन ने नारी को समाज में उसके वास्तविक स्थान पर रखने की वकालत की है। उनका मानना था कि नारी केवल एक घर की सजावट नहीं है, बल्कि समाज के निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने नारी की स्वतंत्रता और समानता के पक्ष में अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक किया।

नागार्जुन के काव्य में नारी का चित्रण एक विस्तृत और गहन दृष्टिकोण से किया गया है। उनके काव्य में नारी को एक व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपनी स्वतंत्रता, अधिकारों, और समाज में अपने स्थान के लिए सजग है। नागार्जुन ने नारी को एक सशक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत

किया है।

एक ऐसा समाज जहाँ आज भी बेटियों को खरीदने और बेचने का व्यापार चलता है। पशुओं की तरह उनकी बोली लगाई जाती है। जो बेचते हैं वे गरीबी का बहाना करते हैं और जो खरीदते हैं वे उम्र से भारी और अमीरी का रौब लिए रहते हैं। इन दोनों के बीच यदि किसी का जीवन नर्क होता है- तो वह लड़कियों का। सब जानते हुए भी दोनों पक्ष धर्म की दुहाई देकर स्वयं को दोषमुक्त कर लेता है। बाबा नागार्जुन की मैथिली में लिखित कविता - 'बूढ़ बर' इसका एक उदाहरण है। इस कविता में अपने से तीन गुने उम्रवाले दुल्हे के हाथ बेच दी गई लड़की की व्यथा-कथा है-

कुमरठेली में, बाप उतावले थे,
बेचने को आकुल, बावले थे
नौ सौ में पटा अंतिम लगन में जाकर
और पिता ने ही काट दी मेरी गर्दन।

यह कविता जितनी मार्मिक है उतनी ही कलात्मक भी है। यह पूरी कविता संवाद शैली में लिखी गई जिसमें वर को देखकर लड़की की माँ, पिता से प्रश्न करती है। वह पूछती है कि अपनी फूल-सी बेटि के लिए घुन खाई लकड़ी (बूढ़ बर) लेकर आए हो, मडुए (एक प्रकार का अन्न) के भाव में बेटि को बेच दिया, इससे तो अच्छा होता कि जन्म लेते ही नमक चटाकर मार देते? पिता पैसे की पोटली दिखाने के साथ-साथ धन और खेत का हवाला देता है और खुशी- खुशी परिखावन करने को कहता है-

तड़पती हुई मसलती रही हाथ
पिता के आगे माँ ने झुका दिया माथ,
हृदय लेकिन हाहाकार करता है
अंदर से कलेजा सुलगता है जलता है

वह लड़की सोचती है कि रिश्ते में कोई भी हो पर यदि वह जाति से पुरुष है तो स्त्रियों पर अन्याय, अत्याचार करना उसका धर्म है और अधिकार भी -

जा रे राक्षस, जारे पुरुष-जात!
तेरी ही मारी मर रही हैं हम,
कराह रही हैं, कुहर रही हैं हम
खरीदते हो हमें देकरके टाका,
रुलाते हो हमें होकर बाप और काका
गुजरता है पानी की तरह दिन मेरा
जीवन हो गया है कैसा कठिन मेरा
सुने कौन आज, किसे क्या कहूँ,
फटो हे धरती, समा में जाऊँ!

यह कविता पुराने ढांचे को तोड़कर एक नए और परिष्कृत समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। आज भी एक ऐसा समाज जहाँ बेटियों को खरीदने और बेचने का व्यापार चलता है। पशुओं की तरह उनकी बोली लगाई जाती है। जो बेचते हैं वे गरीबी का बहाना करते हैं और जो खरीदते हैं वे उम्र से भारी और अमीरी का रौब लिए रहते हैं। इन दोनों के बीच यदि किसी का जीवन नर्क होता है- तो वह लड़कियों का। सब जानते हुए भी दोनों पक्ष धर्म की दुहाई देकर स्वयं को दोषमुक्त कर लेता है। बाबा नागार्जुन की मैथिली में लिखित कविता- 'बूढ़ बर' इसका एक उदाहरण है, इस कविता में अपने से तीन गुने उम्रवाले दुल्हे के हाथ बेच दी गई लड़की की व्यथा-कथा है-

कुमरठेली में, बाप उतावले थे,

बेचने को आकुल, बावले थे
नौ सौ में पटा अंतिम लगन में जाकर
और पिता ने ही काट दी मेरी गर्दन

कविता जितनी मार्मिक है उतनी ही कलात्मक भी है। यह पूरी कविता संवाद शैली में लिखी गई जिसमें वर को देखकर लड़की की माँ, पिता से प्रश्न करती है। वह पूछती है कि अपनी फूल-सी बेटि के लिए घुन खाई लकड़ी (बूढ़ बर) लेकर आए हो। मडुए (एक प्रकार का अन्न) के भाव में बेटि को बेच दिया, इससे तो अच्छा होता कि जन्म लेते ही नमक चटाकर मार देते? पिता पैसे की पोटली दिखाने के साथ-साथ धन और खेत का हवाला देता है और खुशी- खुशी परिखावन करने को कहता है -

तड़पती हुई मसलती रही हाथ
पिता के आगे माँ ने झुका दिया माथ,
हृदय लेकिन हाहाकार करता है
अंदर से कलेजा सुलगता है जलता है।

वह लड़की सोचती है कि रिश्ते में कोई भी हो पर यदि वह जाति से पुरुष है तो स्त्रियों पर अन्याय, अत्याचार करना उसका धर्म है और अधिकार भी-

जा रे राक्षस, जारे पुरुष-जात!
तेरी ही मारी मर रही हैं हम,
कराह रही हैं, कुहर रही हैं हम
खरीदते हो हमें देकरके टाका,
रुलाते हो हमें होकर बाप और काका
गुजरता है पानी की तरह दिन मेरा
जीवन हो गया है कैसा कठिन मेरा
सुने कौन आज, किसे क्या कहूँ,
फटो हे धरती, समा में जाऊँ!

मैथिली में ही एक दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है- 'विलापय' इसके शीर्षक से ही भाव का पता चलता है। यह एक बाल विधवा का विलाप है जो कवि को इस प्रकार सुनाई देता है-

नन्ही सी कली पीती थी दूध,
सुनती थी राजा रानी की कथा,

उसी तीन वर्ष की कली का विवाह कर दिया जाता है और कुछ ही साल बाद वह विधवा हो जाती है। धर्म के नाम पर उसके साथ भी वह सब किया जाता है जिसका उसे ज्ञान भी नहीं है। समाज और परिवार से उसका विश्वास उठ जाता है। यह कविता इतनी मार्मिक है कि इसे पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। वह छोटी-सी लड़की कैसे मृत्यु की कामना करती है-

आग छूती हूँ पर जलती नहीं
जहर खाती पर मरती नहीं
फटता है कलेजा पर निकलता नहीं प्राण
कौन-सा पाप किया था हे भगवान।

इतनी छोटी उम्र में ही अपने महत्वहीन जीवन के सच को समझने लगती है। न केवल समझती है, बल्कि स्वीकार भी करती है-

मरूंगी तो भी रोएगा नहीं कोई,
जीऊँ तो भी आएगा नहीं कोई।

अंत में वह स्वयं से ही प्रश्न करती है कि यह भी कोई जिन्दगी है? इससे तो कुत्तो बिल्लियों का जीवन अच्छा है जिन पर माँ-बाप या समाज का

कोई दबाव नहीं है। क्या इस संसार की सारी विधवाएँ दीन, हीन पशु की तरह जीवन बिताती हैं? वह श्राप देती है-

विधवाएँ मेरी जैसी हजार के हजार
बहाए जा रही हैं आँसुओं की धार
उसी में डूब जाय यह देश
डूब जाय सब लोग बाग
नाश हो या बज भले गिरे
ऐसी जाति पर भले ही धंसना धंसे
हो जाय भूकम्प या धरती फट जाय
माँ मिथिला रहकर क्या करोगी!

तालाब की मछलियाँ में परिवर्तन की आवाज सुनाई देती है. यह एक लंबी कविता है. इसमें बार-बार 'परिधि गई है टूट', 'कोशी की धार ने आकर तोड़ दिया है भिंडा', 'हम भी मछली तुम भी मछली', 'दोनों ही उपभोग की वस्तु हैं', जैसी शब्दावलियों का आना स्त्री विमर्श के दूसरे दौर का संकेत देता है। उस बेचौनी, उस आक्रोश की ओर संकेत करता है जो सदियों से दबी पड़ी हैं-

उथल पुथल है जन जीवन में
सभी ओर उत्क्रांति हो रही है,
टूट रहे हैं अंतःपुर के ढाँचे
आज या कि कल
तुम भी तो निकलोगी बाहर
हवेलियों से, डेवदियों से
फिर जनपद के खंड नरक मिट जाएँगे
शब्दकोश को छोड़ कहीं भी
नहीं 'असूर्यस्पर्श्या' का अस्तित्व रहेगा
औरतदारी रह न जाएगी।

जनसत्ता को दिए एक साक्षात्कार में बाबा ने कहा था कि 'यदि विधाता हो तो सात या नौ वर्ष के लिए माँग लें कि हमको स्त्री बनाओ' मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हरिजन (दलित) जो हैं वो स्त्रियाँ हैं। इनका दलितपना कब समाप्त होगा, ये हम सबको नजर नहीं आ रहा है। विदेशी रेडियो से हम सुनते हैं कि औरत को तेरह तरह के भार झेलने होते हैं। गर्भ भार उनकी तुलना में

बहुत कम है।

बाबा की एक और लेकिन विशेष कविता का जिक्र करना चाहती हूँ, वह कविता है- 'जया', जया चार साल की एक गूँगी-बहरी लड़की को केन्द्र में रखकर लिखी गई कविता है। कवि उस गूँगी-बहरी लड़की की भाषा और उसके भावों को समझता है। वह जानता है कि उसके पास भी उसकी अपनी एक भाषा है-

छोटे-छोटे मोती जैसे दांतों की किरणें बिखेरकर
नीलकमल की कलियों जैसी आँखों में भर
अनुनय सादर

पहले पीछे शासक सी तर्जनी उठाकर
इंगित करती, नहीं मैं जाने दूँगी
चार साल की चपल चतुर वह बहरी गूँगी।

निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि नागार्जुन की कविता न केवल नारी के जीवन की वास्तविकताओं का चित्रण करती है, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित भी करती है। उनकी कविता नारी के प्रति समाज की सोच को बदलने की आवश्यकता पर बल देते हुए नारी के जीवन के संघर्षों और उसकी आंतरिक शक्ति को बेहद सजीव तरीके से कटाक्ष करते हैं, जिससे उनकी कविता समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणादायक बन जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पाण्डेय, मैनेजर, आलोचना की सामाजिकता, दरियागंज, नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन 2008, पृ. 24
2. पाण्डेय मैनेजर, नागार्जुन चयनित कविताएँ, नई दिल्ली : नेशनल बुक ट्रस्ट, 2019, पृ.56
3. मिश्र, शोभा कान्त, नागार्जुन रचनावली, पटना : राजकमल प्रकाशन, 2003, पृ. 57
4. त्रिपाठी प्रो. राधावल्लभ, बहस में स्त्री, नई दिल्ली : साहित्य संभावना प्रकाशन 2014, पृ. 40
5. पाण्डेय मैनेजर, उपन्यास और लोकतंत्र, नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन, 2023, पृ.56
6. शोभाकांत, नागार्जुन रचनावली, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2003, पृ. 59

Empowering Sustainability: The Impact of AI on Green IT Innovations

Dr. Khatoon Aftab Kathawala*

*Assistant Professor (Computer Science & Information Technology) Bhupal Nobles' University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract : As global awareness of environmental sustainability intensifies, the need for green practices in Information Technology (IT) has become critical. This paper explores the integration of Artificial Intelligence (AI) in enhancing green IT initiatives. It delves into various applications of AI that contribute to sustainability, discusses challenges hindering its widespread adoption, and suggests future research avenues. The findings underscore AI's potential to revolutionize green IT, promoting efficiency and reducing the ecological footprint of technology.

Introduction - The rapid growth of the digital economy has led to increased energy consumption and electronic waste, posing significant environmental challenges. As the digital landscape expands, the environmental impact of IT becomes increasingly apparent. Green IT aims to mitigate these issues through sustainable practices in IT management, operations, and product lifecycle. AI, characterized by its capacity for data analysis, automation, and predictive modeling, presents transformative opportunities and innovative solutions for fostering and enhancing green IT initiatives. This paper reviews current applications of AI promoting sustainability within IT, highlights challenges, and outlines future directions for research.

AI Applications in Green IT

Energy Management

Optimization of Data Centers: Data centers are among the largest consumers of energy in the IT sector, accounting for a significant portion of the global electricity usage. AI algorithms can analyze a myriad of factors, including server loads, environmental conditions, and energy pricing, to optimize energy consumption. Techniques such as reinforcement learning allow data centers to adjust cooling systems in real time, responding dynamically to changes in temperature and load. For example, Google's DeepMind has successfully reduced energy usage for cooling data centers by leveraging AI to predict cooling needs, achieving significant energy savings.

Predictive Maintenance: AI enhances operational efficiency by enabling predictive maintenance. Machine learning models analyze historical performance data to predict equipment failures before they occur thereby allowing preemptive repairs that reduce energy waste

associated with inefficient operations. By scheduling maintenance based on predictive analytics, organizations can avoid unexpected downtime and extend the lifespan of their hardware, ultimately reducing energy waste and operational costs.

Resource Optimization

Dynamic Resource Allocation: In cloud computing environments, AI-driven resource management can dynamically allocate computing resources based on real-time workload demands. For instance, AI algorithms can distribute workloads across multiple servers to prevent overloading any single server, thereby optimizing energy consumption and improving overall performance. Companies like Amazon Web Services (AWS) utilize machine learning models to enhance resource allocation efficiency, resulting in lower operational costs and reduced environmental impact.

Life Cycle Assessment: AI tools can facilitate comprehensive life cycle assessments (LCA) of IT products. By analyzing data from different stages of a product's life—from raw material extraction to disposal—AI helps organizations identify the most environmentally harmful stages. This information enables companies to make informed decisions regarding product design, manufacturing processes, and end-of-life strategies, promoting more sustainable practices.

Smart Supply Chains: AI has the potential to revolutionize supply chain management by enhancing efficiency and sustainability. Advanced algorithms analyze historical data, current inventory levels, and market trends to optimize logistics and reduce emissions.

Inventory Management: AI can improve inventory management by predicting demand and optimizing stock

levels. This not only minimizes excess inventory—which contributes to waste—but also reduces the carbon footprint associated with storage and transportation. For example, AI-driven systems can analyze sales patterns and seasonal trends to forecast demand accurately, allowing companies to adjust production schedules accordingly.

Transportation Optimization: AI can optimize transportation routes and schedules using algorithms that consider real-time traffic data, fuel prices, and delivery windows. Companies like UPS utilize AI to analyze route efficiency, which has led to significant reductions in fuel consumption and greenhouse gas emissions.

E-Waste Management

Automated Sorting and Recycling: E-waste is one of the fastest-growing waste streams globally, posing serious environmental hazards. AI technologies, particularly computer vision and machine learning, are transforming e-waste recycling. Automated sorting systems can accurately identify and categorize different electronic components, significantly enhancing recycling efficiency. For instance, AI can be used to differentiate between various materials—such as metals, plastics, and circuit boards—ensuring proper recycling and reducing landfill contributions.

Circular Economy Models: AI can also support circular economy initiatives by analyzing the life cycles of products and recommending refurbishment, recycling, or repurposing options. By assessing the potential for reusing components, organizations can reduce waste and promote sustainable consumption patterns.

Sustainable Software Development: The software development lifecycle can also benefit from AI applications aimed at sustainability. AI-driven tools can assess code efficiency, identify redundancies, and optimize resource use.

Code Optimization: By utilizing AI for code analysis, developers can identify inefficient algorithms and propose optimizations that reduce energy consumption during execution. Techniques such as automated refactoring can improve code quality and sustainability. For example, tools like Microsoft's Project Bonsai leverage AI to optimize machine learning models for energy efficiency.

Continuous Integration and Deployment: AI can facilitate continuous integration and deployment (CI/CD) processes by automating testing and deployment workflows. This not only speeds up development cycles but also helps in deploying more efficient code faster, contributing to reduced energy usage.

Challenges and Barriers

Energy Consumption of AI Systems: While AI offers solutions for energy management, the training of AI models, particularly deep learning algorithms, requires significant computational resources, leading to high energy consumption. The environmental impact of running large-scale AI models must be considered, necessitating research into energy-efficient algorithms and hardware.

Data Privacy and Security Concerns: The reliance on vast amounts of data for training AI models raises concerns regarding data privacy and security. Organizations must navigate regulatory frameworks to ensure compliance while protecting sensitive information. The risk of data breaches can hinder the adoption of AI in sustainable practices.

Initial Investment and Integration Costs: Implementing AI solutions often requires substantial initial investments in infrastructure and expertise. Smaller organizations may face challenges in adopting these technologies due to limited resources. Financial incentives and government support can play a crucial role in facilitating AI adoption within the green IT landscape.

Future Directions

Research on Energy-efficient AI Algorithms: Future research should prioritize the development of energy-efficient AI algorithms that reduce computational demands without compromising performance. Techniques such as model compression, pruning, and the use of more energy-efficient hardware can contribute to sustainable AI applications.

Interdisciplinary Collaboration: Fostering interdisciplinary collaboration among academia, industry, and government will be essential to advance AI in green IT. Collaborative initiatives can drive innovation, share best practices, and accelerate the development of effective sustainable solutions.

Policy Frameworks: Establishing clear policies that promote the adoption of AI in green IT is crucial. Governments should create funding programs, tax incentives, and research grants to encourage organizations to implement AI-driven sustainability initiatives.

Education and Awareness: Increasing awareness and understanding of AI's role in sustainability among IT professionals and decision-makers is vital. Educational programs and workshops can equip stakeholders with the knowledge needed to leverage AI effectively in green IT initiatives.

Conclusion: Artificial Intelligence stands as a powerful ally in the pursuit of sustainable practices within the IT sector. By optimizing energy management, enhancing resource allocation, and promoting e-waste recycling, AI can significantly reduce the ecological footprint of technology. Although challenges persist, strategic research, collaboration, and supportive policies can unlock AI's full potential for fostering green IT. Embracing these advancements is essential for organizations seeking to achieve sustainability in an increasingly digital world.

References:-

1. Khan, S., et al. (2020). "Artificial Intelligence for Sustainable Energy Management: A Review." *Renewable and Sustainable Energy Reviews*.
2. Zhang, Y., & Cheng, Y. (2021). "AI-Powered Resource Management for Sustainable IT Operations." *Journal*

- of Cleaner Production.
3. Gupta, V., et al. (2019). "E-Waste Recycling: Role of AI in Sustainable Development." Waste Management.
 4. Bharadwaj, S., & Bhattacharyya, D. (2022). "The Role of AI in Promoting Green Supply Chains." International Journal of Logistics Research and Applications.
 5. Amato, F., et al. (2021). "A Review of AI Applications in Circular Economy." Sustainability.
 6. Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019). "Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP." Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics.

भीलवाड़ा नगर की जनसंख्या के सन्दर्भ में नगरीकरण का भौगोलिक विश्लेषण-2011 की जनगणना के आधार पर

शबनम तंवर* डॉ. काश्मीर कुमार भट्ट**

* शोधकर्ता, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.) भारत

** शोध पर्यवेक्षक, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.) भारत

शोध सारांश - 'नगर एवं नगरीकरण' ये दोनों भिन्न शब्द हैं एवं दोनों का अर्थ भी भिन्न-भिन्न होता है। परन्तु यदि बात की जाए दोनों शब्दों के सम्बन्ध की तो दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है एवं दोनों शब्द प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अन्तर्संबन्धित हैं। परन्तु नगर मात्र नगरीकरण से प्रत्यक्ष रूप से अन्तर्संबन्धित नहीं है बल्कि उस नगर की जनसंख्या भी नगर से उतनी ही घनिष्ठता रखती है कि क्योंकि नगरीकरण का एक स्वतन्त्र पक्ष या स्तंभ- 'जनसंख्या' भी है।

जहाँ भी किसी नगर के नगरीकरण का विश्लेषण किया जाता है तो वहाँ सर्वप्रथम जिस तत्त्व को आधार बनाया जाता है वह है जनसंख्या।

प्रस्तुत शोध पत्र में भीलवाड़ा नगर की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर, भीलवाड़ा नगर का वार्ड अनुसार भौगोलिक - जननांकिय आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है। जिसमें प्रत्येक वार्ड की कुल जनसंख्या/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति सहित अनेक पक्षों का तुलनात्मक अर्थन किया गया है। इसके लिए शोध में द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है, जो कि जनगणना विभाग, राजस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कार्यशील जनसंख्या का नगरीकरण के साथ सम्बन्ध ज्ञात करने हेतु कोटि अंतर गुणांक सहसम्बन्ध का प्रयोग किया गया है। वार्डों की भौगोलिक स्थिति दर्शाने हेतु नगर की 'नगर परिषद' हेतु जारी मानचित्र का प्रयोग किया गया है साथ ही आँकड़ों के व्यवस्थित प्रबंधन हेतु तालिकाओं का प्रयोग किया गया है।

शब्द कुंजी : नगरीकरण, भौगोलिक विश्लेषण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कार्यशील जनसंख्या, ग्रामीण नगरीय, सहसम्बन्ध।

प्रस्तावना - वर्तमान युग विकास का युग कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि आज मानव ने प्रत्येक क्षेत्र में अकल्पनीय विकास अर्जित कर लिया है एवं यह विकास मानव से जुड़े प्रत्येक पक्ष में देखा जा सकता है। इस दौड़ में मानव अधिवास भी शामिल है। आज ग्रामीण क्षेत्र भी विकास की ओर अग्रसर है एवं अनेक तात्कालिक गाँव आज शहरों में बदल चुके हैं। एवं नगर, महानगर बनने की होड़ में हैं। परन्तु वह कारक जो गाँव को शहर, में परिवर्तित करता है, उनमें जनसंख्या को प्रमुख कारक कहा जा सकता है। यदि भीलवाड़ा नगर के संदर्भ में देखा जाये तो भीलवाड़ा नगर, भीलवाड़ा जिले में स्थित है एवं भीलवाड़ा नगर का अध्ययन इसके भौगोलिक क्षेत्र (जो कि वार्डों में विभक्त है) की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। शोध पत्र में आधार वर्ष 2011 को लिया गया है। वर्तमान में भीलवाड़ा नगर (नगर परिषद क्षेत्र) में लगभग 70 वार्ड हैं।

परन्तु यदि वर्ष 2011 में देखा जाये तो सम्पूर्ण भीलवाड़ा नगर (नगर परिषद क्षेत्र) 50 वार्डों में विभक्त है।

भीलवाड़ा नगर की कुल जनसंख्या की बात कि जाये तो वर्ष 2001 में यह जनसंख्या 2,80,128 थी जोकि वर्ष 2011 में 3,59,483 हो गई।

यह जनसंख्या वृद्धि भीलवाड़ा नगर के नगरीकरण स्तर में वृद्धि का सबसे बड़ा संकेत कहा जा सकता है। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य होने वाली वृद्धि दर 28.3 प्रतिशत थी।

जनसंख्या के अतिरिक्त अनेक कारक नगरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाते हैं, जैसे-

1. नगर का क्षेत्रफल।
2. रोजगार के अवसरों की उपलब्धता।
3. उद्योग एवं व्यापार की स्थिति एवं भविष्य में विस्तार हेतु संभावना।
4. साक्षरता व शैक्षिक स्थिति।
5. उपलब्ध सुविधाएँ (पेयजल, विद्युतीकरण, जल निकास, अधिवास क्षेत्र उपलब्धता, स्वच्छता व सफाई व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, परिवहन सुविधा, शिक्षा सुविधा, एक सर्वसुलभ बड़े बाजार की उपलब्धता, खाद्यान्न, फल सब्जी आदि दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की उपलब्धता। सड़क-घनत्व आदि।)
6. मनोरंजन क्षेत्र।
7. छोटे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से बड़े नगरों की ओर जनसंख्या प्रवास। भीलवाड़ा नगर सहित सम्पूर्ण भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक तीव्र नगरीकरण दर वर्ष 1971 के दशक में दर्ज की गई थी। भीलवाड़ा जिले में भीलवाड़ा नगर ही सर्वाधिक बड़ा नगर है एवं इसके पश्चात् शाहपुरा का स्थान आता है।

भीलवाड़ा की सम्पूर्ण जनसंख्या में तो स्पष्टतः वृद्धि देखी जा सकती है परन्तु यह वृद्धि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कितनी रही? साथ ही किस वार्ड में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई एवं प्रत्येक वार्ड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत

कितना है? इन सभी पक्षों का अध्ययन इस शोध पत्र में विस्तार पूर्वक किया गया है।

जिससे की सम्पूर्ण नगर परिषद क्षेत्र के साथ-साथ प्रत्येक वार्ड की जनांकिय स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सके।

प्रत्येक नगर में जनसंख्या एवं उस क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाएँ एक दूसरे की पूरक होती है। अर्थात् यदि किसी क्षेत्र विशेष में नागरिकों हेतु पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हो तो वहाँ तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि होने लगती है, जिसका एक प्रमुख कारण गाँव व छोटे शहरों की जनसंख्या का बड़े नगरों की ओर आकर्षित होकर पलायन करना होता है।


वहीं जहाँ जनघनत्व व जनसंख्या अधिक होती है वहाँ सुविधाओं की उत्तरोत्तर उपलब्धता बढ़ती जाती है। यह स्थिति भीलवाड़ा नगर के संदर्भ में भी गलत नहीं कही जा सकती।

अतः यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में नागरिक सुविधाओं एवं सेवा क्षेत्रों का विकास व वृद्धिकर नागरिकों के जीवन स्तर एवं नगर के नगरीकरण के स्तर में वृद्धि की जा सकती है।

अध्ययन क्षेत्र - भीलवाड़ा नगर, भीलवाड़ा जिले के दक्षिण में स्थित है। यदि भीलवाड़ा तहसील की बात की जाये तो भीलवाड़ा तहसील के पूर्व में कोटड़ी तहसील, उत्तर में बनेड़ा तहसील, उ.पू. में माण्डल तहसील, पश्चिम में सहाड़ा तहसील स्थित है जबकि इसके दक्षिण में चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा प्रारंभ हो जाती है।

एवं भारत देश के संदर्भ में यदि नगर की स्थिति देखी जाये तो यह नगर देश के उ.प. क्षेत्र में अवस्थित है। जबकि राजस्थान के द.पूर्वी भाग में अवस्थित है।

यदि भीलवाड़ा नगर का अक्षांशीय व देशान्तरीय विस्तार देखा जाये तो 25°21' उ. अक्षांश व 74°40' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।



नगर का क्षेत्रफल 118.48 किमी² एवं नगर की समुद्र तल से ऊँचाई 451 मीटर है। यह 'नगर परिषद' प्रशासित नगर है जो कि वर्ष 2011 में 50 एवं वर्तमान में लगभग 70 वार्डों में विभक्त है।

यह नगर राजस्थान राज्य (3,42,239 किमी² का मात्र 0.034 प्रतिशत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, नगर की -

कुल जनसंख्या	-	3,59,483 जिसमें से
पुरुष जनसंख्या	-	1,87,081 एवं
महिला जनसंख्या	-	1,72,402 है तथा यदि घनत्व देखा जाये तो
जनसंख्या घनत्व	-	3,034 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
लिंगानुपात	-	922 एवं जबकि नगर की
साक्षरता दर	-	82.30 प्रतिशत एवं
कार्यशील जनसंख्या	-	35.20 प्रतिशत है।

उपर्युक्त आँकड़े जिला जनगणना पुस्तिका 2011 से प्राप्त किये गये हैं। नगर की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है। यहाँ प्रायः शुष्क जलवायु पाई जाती है एवं तापमान में पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है।

'भारत मौसम विभाग विज्ञान' चित्तौड़गढ़ के अनुसार सम्पूर्ण भीलवाड़ा जिले में वर्ष 2011 में 45.8°सेल्सियस अधिकतम एवं 2.3° (न्यूनतम) तापमान दर्ज किया गया। जबकि वर्ष 2011 में वर्षा 734.2 (मि.मी.) दर्ज की गई थीं भीलवाड़ा नगर में अधिकतम तापमान 44.2°से.ग्रे./न्यूनतम 3.72° से.ग्रे. एवं वर्षा 494.94 मि.मी. रही थी।

शोध के उद्देश्य :

1. भीलवाड़ा नगर में जनांकिय आधार पर नगरीकरण की वस्तुस्थिति ज्ञात करना।
2. भीलवाड़ा नगर में वार्ड अनुसार जनसंख्या सम्बंधित आँकड़ों का विश्लेषण करना।
3. भीलवाड़ा नगर में वार्ड अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आँकड़ों का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
4. भीलवाड़ा नगर में नगरीकरण (जनसंख्या के संदर्भ में) एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / 0-6 वर्ष की जनसंख्या आदि जनांकिय विशेषताओं के मध्य कोटि अंतर गुणांक सहसम्बंध ज्ञात करना।

आँकड़ों के स्रोत तथा शोध विधि तन्त्र - यह शोध-पत्र समीक्षात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान एवं द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। जो कि विभिन्न द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त किये गए हैं। यहाँ जनसंख्या की विभिन्न श्रेणियों (जैसे-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/कार्यशील जनसंख्या आदि) का नगरीकरण के साथ सह सम्बंध धनात्मक है अथवा ऋणात्मक यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है।

सहसम्बंध ज्ञात करने हेतु **स्पीयर मेन का कोटि अंतर गुणांक सहसम्बंध** का उपयोग किया गया है एवं अन्य तथ्यों जैसे- सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक आदि के स्पष्टीकरण हेतु 'राष्ट्रीय जनगणना-2011' द्वारा उपलब्ध आँकड़ों का उपयोग शोध हेतु किया गया है।

सह सम्बंध विश्लेषण - दो समकों अथवा चरों के मध्य पाये जाने वाले सम्बंध को सहसम्बंध कहा जाता है। सहसम्बंध की विभिन्न परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं-

(1) **प्रो. किंग के अनुसार** - 'दो चरों (या श्रेणियों) के बीच कार्य कारण सम्बंध को ही सहसम्बंध कहते हैं।'

(2) **प्रो. कॉनर के अनुसार** - 'जब दो या अधिक राशियाँ सहानुभूति में परिवर्तित होती है, जिससे एक में परिवर्तन के कारण दूसरे में भी परिवर्तन होता है तो वे सहसम्बन्धित कहलाती हैं।'

एवं सहसम्बंध के प्रकार निम्न हैं-

- (1) धनात्मक (+) एवं ऋणात्मक (-) सहसम्बंध
- (2) रेखीय और अरेखीय या वक्ररेखीय सहसम्बंध
- (3) सरल, बहुगुणी एवं आंशिक सहसम्बंध

यहाँ जब दो चरों के मध्य सहसम्बंध ज्ञात किया जाता है तो परिणाम तीन प्रकार में से प्राप्त होते हैं-

- (1) **पूर्ण सहसम्बंध**- इसका मान + 1 या - 1 होता है।
- (2) **सहसम्बंध की अनुपस्थिति** - यदि सहसम्बंध गुणांक की मात्रा शून्य हो तो सहसम्बंध की अनुपस्थिति पाई जाती है।
- (3) **सहसम्बंध का सीमित परिणाम**- जब दो चरों के बीच न तो पूर्ण सहसम्बंध होता है एवं न ही सहसम्बंध का अभाव होता है, तो वहाँ सहसम्बंध का सीमित परिणाम प्राप्त होता है, यह सम्बंध गुणांक शून्य और एक के मध्य प्राप्त होता है। यह धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है।

सीमित सहसम्बंध भी तीन प्रकार का होता है-

1. उच्च स्तर का सह सम्बंध
2. मध्य स्तर का सह सम्बंध
3. निम्न स्तर का सह सम्बंध

सहसम्बंध परिणाम	धनात्मक सहसम्बंध गुणांक का मान	ऋणात्मक सहसम्बंध गुणांक का नाम
पूर्ण	+1	-1
उच्च स्तरीय	+ .75 तथा +1 के बीच	-1 तथा -.75 के बीच
मध्य स्तरीय	+ .5 तथा +.75 के बीच	-.75 तथा -.5 के बीच
निम्न स्तरीय	+0 तथा +.5 के बीच	-.5 तथा 0 के बीच
शून्य सहसम्बंध	0	0

सारणी संख्या (2) का विश्लेषण

भीलवाड़ा नगर के सन्दर्भ में सारणी 2 का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि कुल 50 वार्डों में 74, 184 घर स्थित है जिनकी वार्ड अनुसार संख्या हम सारणी में देख सकते हैं। यहाँ जो तथ्य निकल कर सामने आये हैं वे इस प्रकार हैं-

(1) सर्वाधिक घरों की संख्या वार्ड नं. 48 में है, जिनकी कुल संख्या 2846 है। एवं घरों की सर्वाधिक कम संख्या वार्ड नं. 22 में है जो कि 782 है। अतः भीलवाड़ा नगर में घरों की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा वार्ड नं. 48 एवं सर्वाधिक छोटा वार्ड नं. 22 है।

(2) कुल जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाये तो भीलवाड़ा नगर की कुल जनसंख्या (50 वार्डों को मिलाकर) 3,59,483 है एवं जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा वार्ड, वार्ड नं. 48 है, जहाँ की जनसंख्या 13,613 है एवं जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा वार्ड, वार्ड नं. 22 है। जहाँ कुल जनसंख्या मात्र 3,985 है। अतः यहाँ स्पष्टतः दृष्टिगत होता है कि वार्ड नं. 48 में घरों की संख्या एवं जनसंख्या दोनों सर्वाधिक जबकि वार्ड नं. 22 में घरों की संख्या एवं जनसंख्या दोनों न्यूनतम है।

(3) पुरुष जनसंख्या की दृष्टि से उक्त तालिका का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वार्ड नं. 48 में है जो कि 7,163 है, जबकि न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वार्ड नं. 22 में है जो कि 2,035 है एवं कुल पुरुष जनसंख्या (कुल 50 वार्डों में) - 1,87,081 है।

(4) उक्त तालिका का महिला जनसंख्या की दृष्टि से विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि समस्त 50 वार्डों में कुल महिला जनसंख्या 1,72,402 है एवं सर्वाधिक महिला जनसंख्या वार्ड नं. 48 में 6,450 है एवं न्यूनतम

महिला जनसंख्या वार्ड नं. 12 में है जो कि 1912 है।

(5) यहाँ वार्ड नं. 48 में कुल घरों की संख्या, कुल जनसंख्या, कुल पुरुष जनसंख्या, कुल महिला जनसंख्या चारों चर सर्वाधिक मात्रा में हैं एवं धनात्मक सहसम्बंध दिखाते हैं। जबकि वार्ड नं. 22 में कुल घरों की संख्या, कुल जनसंख्या एवं कुल पुरुष जनसंख्या न्यूनतम है परन्तु महिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा वार्ड, वार्ड नं. 12 है।

सारणी सं. 3 का विश्लेषण

प्रस्तुत शोध पत्र में सारणी सं. 3 का वार्ड अनुसार 0-6 आयु वर्ग के संदर्भ में विश्लेषण करने पर निम्न तथ्य दृष्टिगत होते हैं-

(1) भीलवाड़ा नगर में कुल घरों की संख्या 74, 184 है, जिनमें 0-6 आयु वर्ग की कुल 46,812 जनसंख्या (13.02%) निवास करती है, जिनमें 0-6 आयुवर्ग की पुरुष जनसंख्या 24,650 एवं महिला जनसंख्या 22,162 निवास करती है।

(2) सर्वाधिक घर 2846, वार्ड नं 48 में एवं न्यूनतम घरों की संख्या वार्ड नं 22 में 782 है।

(3) 0-6 आयुवर्ग की कुल जनसंख्या सर्वाधिक वार्ड नं 48 में है जो कि 2015 है एवं 0-6 आयुवर्ग की न्यूनतम कुल जनसंख्या 382 है, जो कि वार्ड नं 21 में स्थित है।

(4) यदि 0-6 आयु वर्ग की पुरुष जनसंख्या की बात की जाये तो विश्लेषणोपरांत जो तथ्य दृष्टिगत होता है उसके अनुसार 0-6 आयुवर्ग की सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या 1092 वार्ड नं 48 में एवं न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वार्ड नं 21 में 201 है।

(5) विश्लेषणानुसार 0-6 आयुवर्ग की सर्वाधिक महिला जनसंख्या वार्ड नं 48 में 923 है जबकि न्यूनतम महिला जनसंख्या 169, वार्ड नं 22 में निवास करती है।

(6) अतः यहाँ स्पष्टतः जो तथ्य निकलकर सामने आता है वह है- वार्ड नं 48- कुल घरों की संख्या, 0-6 आयुवर्ग की कुल जनसंख्या, 0-6 आयुवर्ग की कुल पुरुष जनसंख्या एवं 0-6 आयुवर्ग की कुल महिला जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा वार्ड है।

सारणी 4 का विश्लेषण

उक्त सारणी के विश्लेषणोपरांत निम्न तथ्य स्पष्टतः दृष्टिगत होते हैं, जो प्रस्तुत शोध पत्र हेतु अत्यन्त उपयोगी है-

(1) भीलवाड़ा नगर में कुल घरों की संख्या 74, 184 एवं कुल जनसंख्या 3,59,483 है एवं कुल जनसंख्या में 47,692 अनुसूचित जाति की जनसंख्या है जो कि कुल जनसंख्या का 13.26 प्रतिशत है।

(2) समस्त 50 वार्डों में समन्वित रूप से अनुसूचित जाति पुरुष जनसंख्या 24,510 एवं अनुसूचित जाति महिला जनसंख्या 23,182 है।

(3) समस्त वार्डों में से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वार्ड नं. 15 में पाई गई जो कि 5171 है एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वार्ड नं. 19 में पाई गई जो कि मात्र 30 है।

अतः अनुसूचित जाति की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा वार्ड, वार्ड नं 15 एवं सर्वाधिक छोटा वार्ड, वार्ड नं 19 है।

(4) अनुसूचित जाति पुरुष जनसंख्या की दृष्टि से भी वार्ड नं 15 सबसे बड़ा वार्ड है जहाँ 2,541 अनुसूचित जाति (पुरुष) जनसंख्या पाई जाती है। जबकि सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात करें तो वह 20, जो कि वार्ड नं 29 में निवासित हैं।

(5) अनुसूचित जाति (महिला) जनसंख्या की दृष्टि से वार्ड नं. 15 सर्वोच्च स्थान रखता है एवं इस वार्ड नं. 2630 अनुसूचित जाति महिला जनसंख्या है जबकि 9 अनुसूचित जाति (महिला) जनसंख्या के साथ वार्ड नं. 19 सभी वार्डों में न्यूनतम स्तर पर है।

(6) यहाँ पर यह गौर करने वाला तथ्य है कि कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या, कुल अनुसूचित जाति पुरुष जनसंख्या एवं कुल अनुसूचित जाती महिला जनसंख्या तीनों पक्षों की दृष्टि से वार्ड नं. 15 भीलवाड़ा नगर में प्रथम स्थान रखता है।

सारणी संख्या 5 का विश्लेषण - अनुसूचित जनजाति जनसंख्या से सम्बन्धित सारणी संख्या 5 का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं-

(1) भीलवाड़ा नगर में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से कुल जनसंख्या 4,488 है, जो कि नगर की कुल जनसंख्या (3,59,483) की 1.24 प्रतिशत है। कुल अनुसूचित जनजाति पुरुष जनसंख्या 2393 एवं महिला जनसंख्या 2095 है।

(2) कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से वार्ड नं 47 सर्वाधिक बड़ा है जहाँ 493 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति निवास करते हैं, जबकि ऐसे तीन वार्ड हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या शून्य है, जो कि क्रमशः वार्ड नं. 12, वार्ड नं. 29 एवं वार्ड नं. 34 है। जहाँ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या न्यून है।

(3) अनुसूचित जनजाति की पुरुष जनसंख्या की दृष्टि से वार्ड नं. 47 में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पुरुष जनसंख्या निवास करती है। जो कि 274 है एवं न्यूनतम पुरुष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पुनः क्रमशः तीन वार्डों, वार्ड नं 12, वार्ड नं. 29 एवं वार्ड नं. 34 में है जो कि शून्य है।

(4) अनुसूचित जनजाति महिला जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वार्ड नं. 47 में निवास करती है एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति महिला जनसंख्या की दृष्टि से तीन वार्डों में यह संख्या शून्य है जो कि वार्ड नं. 12, वार्ड नं. 29 एवं वार्ड नं. 34 है।

(5) घरों की संख्या वार्ड नं. 48 में सर्वाधिक है जबकि अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या, कुल पुरुष जनसंख्या, कुल महिला जनसंख्या वार्ड नं. 47 में अधिक है।

(6) वही घरों की संख्या वार्ड नं. 22 में सबसे कम है परन्तु उसकी तुलना में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (कुल जनसंख्या, कुल पुरुष जनसंख्या, कुल महिला जनसंख्या) सर्वाधिक कम संख्या में वार्ड नं. 12, 29 एवं 34 में है, जो पूर्णतः शून्य है।

अर्थात् ये तीनों वार्ड अनुसूचित जनजाति जनसंख्या रहित हैं।

सारणी संख्या 6 का विश्लेषण - प्रस्तुत शोधपत्रान्तर्गत संलग्न सारणी सं. 6 के विश्लेषणोपरान्त निम्न तथ्य स्पष्ट हुए हैं जो इस प्रकार हैं-

(1) भीलवाड़ा नगर की कुल जनसंख्या 3,59,483 है जो कि कुल 74,184 घरों में निवास करती है। भीलवाड़ा नगर की कुल साक्षरता दर 82.20 प्रतिशत एवं कुल लिंगानुपात 922 (अर्थात् प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 922 मात्र) है।

(2) कुल साक्षरता दर 82.20 प्रतिशत है परन्तु 50 वार्डों में से सर्वाधिक साक्षरता दर वार्ड नं. 19 की है जो कि 87.2 प्रतिशत है। इसी प्रकार यदि न्यूनतम साक्षरता दर की दृष्टि से विश्लेषण किया जाये तो वार्ड नं. 41 में सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता दर पाई गई जो कि मात्र 51.6 प्रतिशत थी।

(3) भीलवाड़ा नगर का कुल लिंगानुपात 922 है। परन्तु समस्त 50 वार्डों में सर्वाधिक लिंगानुपात वार्ड नं. 18 में पाया गया जो कि 1021 रहा। परन्तु वहीं न्यूनतम लिंगानुपात वार्ड नं. 11 में पाया गया जो कि मात्र 832 रहा। न्यूनतम लिंगानुपात 832 एवं भीलवाड़ा नगर के औसत लिंगानुपात 922 में व्यापक अन्तर दृष्टिगोचर होता है।

वार्ड अनुसार भीलवाड़ा नगर की कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का कोटि अन्तर गुणांक अनुसार सहसम्बन्ध इस प्रकार ज्ञात किया गया-

यह रीति 'स्पियरमैन की श्रेणी या क्रमान्तर रीति' या एक अन्य नाम - अनुपस्थितिरीति कहलाती है। इस रीति में 'पदों के क्रमों' द्वारा सह सम्बन्ध गुणांक निकाला जाता है।

कोटि अंतर सहसम्बन्ध गुणांक ज्ञात करने की विधि - कोटि अंतर सहसम्बन्ध गुणांक निम्नप्रकार से ज्ञात किया गया -

(1) यहाँ श्रेणी में सबसे बड़े पद मूल्य को 1 उसके पश्चात् बड़े से छोटे वाले द्वितीय पद को 2, उससे छोटे पद को 3 इस प्रकार क्रम दिया है।

यदि श्रेणी में कोई पद एक से अधिक बार आता है तो उस पद का पदानुक्रम समान रहेगा, उदाहरण के लिए यदि प्रथम बड़ा पद 40 है एवं इसके बाद 32 है जो 3 बार है तो 40 का क्रम 1 तथा 32 का 2 एवं 3, 4 क्रम पर होने से $\frac{2+3+4}{3} = \frac{9}{3} = 3$ प्रत्येक 32 का क्रम 3 होगा परन्तु अगले पद

$$\frac{3}{3}$$

जैसे 30 का नाम 5 होगा।

(2) क्रम अन्तर को D के द्वारा दर्शाया गया है एवं दोनों श्रेणियों के क्रमों को घटाकर इसे ज्ञात किया गया है।

क्रमान्तर का योग = ΣD होता है, जो सदैव शून्य होता है।

(3) क्रमान्तरों का वर्ग = D^2

(4) क्रमान्तरों के वर्गों का जोड़ = ΣD^2

(5) क्रमान्तर सह सम्बन्ध गुणांक निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया गया है-

$$r_s = \frac{1 - 6\Sigma D^2}{N(N^2 - 1)}$$

r_s = श्रेणी सहसम्बन्ध गुणांक

D^2 = क्रमान्तर के वर्गों का योग

N = पदों की संख्या

समान क्रम के कारण संशोधन हेतु सूत्र -

$$r_s = \frac{1 - 6[D^2 + 1/12 (m^3 - m)]}{N(N^2 - 1)}$$

(जितने पदों की पुनरावृत्ति होगी, उतनी ही बार $6\Sigma D^2$ में $1/12 (m^3 - m)$ को जोड़ेंगे।

m = उस पद की आवृत्ति जो 1 से अधिक बार आया)

निष्कर्ष : स्पीयरमैन की 'कोटि अन्तर गुणांक' रीति से सह सम्बन्ध ज्ञात करने पर निम्न निष्कर्ष / परिणाम प्राप्त हुए हैं-

(1) भीलवाड़ा नगर के वार्डों के अनुसार जनसंख्या एवं नगर की वार्डों के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या के बीच निम्नस्तर का धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया जिसका मान +.47 है, जो कि कोटि अंतर गुणांक में +0 से +.5 के मध्य प्राप्त होता है।

(2) इसी प्रकार भीलवाड़ा नगर के 1 से 50 वार्डों (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) की कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के

मध्य धनात्मक सहसम्बंध पाया गया जो कि उच्च स्तर का सहसम्बंध है एवं पाये गये सहसम्बंध का मान +.76 है जो कि +.75 से +1 के मध्य मिलता है।

(3) भीलवाड़ा की कुल वार्ड अनुसार जनसंख्या एवं 0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या के मध्य- उच्च स्तरीय धनात्मक सहसम्बंध पाया गया जिसका मान है- +0.94 है।

(4) भीलवाड़ा नगर की सभी 50 वार्ड की जनसंख्या एवं वार्डों में लिंगानुपात के मध्य कोटि अन्तर गुणांक विधि से सहसम्बंध ज्ञात करने पर सहसम्बंध का मान - .45 प्राप्त हुआ जो कि -0 से -.5 के मध्य का मान है एवं निम्न स्तर के ऋणात्मक सहसम्बंध का द्योतक है।

(5) भीलवाड़ा नगर के वार्डों में कुल जनसंख्या एवं साक्षरता दर के मध्य सहसम्बंध का मान +0.82 प्राप्त हुआ जो कि 0.75 से 1 के मध्य है एवं उच्च स्तरीय धनात्मक सहसम्बंध को दिखाता है।

यहाँ जनसंख्या में सहसम्बंध धनात्मक या ऋणात्मक होना अनेक कारकों के कारण संभव है। ये कारक भौगोलिक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक आदि हो सकते हैं। यदि इन सभी कारकों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया जाये तो ऋणात्मक सहसम्बंध एवं धनात्मक सहसम्बंध में परिवर्तन होना सम्भव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Lodha, R.M., 1970: Indices determining the Umland of Bhilwara town, proceeding of RGA Conference, IV conf., pp 27-36.
2. Administrative Atlas, Rajasthan (Census of India-2011).
3. Bhilwara District Survey, Report – 2016.
4. Birch, B.P. (1964) "The measurement of dispersed pattern of settlement", T.V.E. Social Geographical, Vol. 58, pp. 68-72.
5. Smailes, A.E. (1958), "The size and spacing of cities", Opcit, Vol. 48, pp 222-45.
6. Ullman, E.L. (1941), "The theory of Location for cities", American Journal of Sociology, Vol. 46, pp 835-64.
7. Glasser, G.J. and Winter, R.F. (1961).
8. Mark Jefferson: "The Law of Primate City", The Geographical Review, XXIX No. 2, 1939, pp 226.32.
9. District Census Hand Book – 2011 (Bhilwara).
10. हीरालाल 1989, 'जनसंख्या भूगोल', वसुंधरा प्रकाशन गोरखपुरा।
11. आनन्द, संतोष, 2017, 'अविवेकपूर्ण नगर नियोजन व पेयजल संकट (भीलवाड़ा नगर का विशेष अध्ययन) - शोध पत्र।

12. जिला सांख्यिकीय रूपरेखा 2016-17।

13. मौर्य, जगदीश प्रसाद, 'भीलवाड़ा जिले में कृषि भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप' (IJEMASSS), ISSN: 2581-9925, Volume 03, No. 02(I), April-June, 2021, pp 103-108.

14. भट्ट, काश्मीर कुमार, 'जनजातीय उपयोजना क्षेत्र (राजस्थान) में नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ : एक भौगोलिक विश्लेषण' (1951-2001)

उद्देश्यनुरूप वार्ड अनुसार जनसंख्या सम्बन्धित आँकड़ों का विश्लेषण करने से पूर्व हमारे पास जनसंख्या सम्बन्धित द्वितीयक आँकड़ों का होना आवश्यक है। यहाँ शोधार्थी द्वारा विश्लेषण हेतु आधार वर्ष 2011 को माना गया है एवं इस हेतु द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया जो इस प्रकार है-

तालिका संख्या 1: भीलवाड़ा नगर की सामान्य जनांकिय विशेषताएँ

1.	शहर की नगरीय स्थिति	नगर परिषद
2.	कुल जनसंख्या	359483
	पुरुष जनसंख्या	187081
	महिला जनसंख्या	172402
3.	लिंगानुपात	922
4.	0-6 आयुवर्ग जनसंख्या	46812
	0-6 आयुवर्ग पुरुष जनसंख्या	24650
	0-6 आयुवर्ग महिला जनसंख्या	22162
5.	0-6 आयुवर्ग लिंगानुपात	899
6.	कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या	47692
7.	अनुसूचित जाति का कुल संख्या में प्रतिशत	13.27
8.	कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	4488
9.	अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या में प्रतिशत	1.25
10.	अनुसूचित जाति लिंगानुपात	946
11.	अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात	875
12.	कुल साक्षर जनसंख्या	257030
13.	साक्षरता दर	82.20
14.	कुल निरक्षर जनसंख्या	102453
15.	कुल घरों की संख्या	74184

उक्त जनांकिय विशेषताओं को हम पूर्व विश्लेषित कर चुके हैं। प्रस्तुत शोध पत्र के मुख्य उद्देश्यानुसार भीलवाड़ा नगर की वार्डवार वस्तुस्थिति का अध्ययन कर चरों का आपसी सहसम्बंध निकालने का प्रयास किया गया है।

सारणी संख्या 2: जनसंख्या - महिला पुरुष सम्बंधित

अवस्थिति कोड संख्या	वार्ड का नाम	वार्ड में कुल घरों की संख्या	कुल जनसंख्या (वार्ड में)		
			कुल	पुरुष	महिला
0001	वार्ड सं. 1	1246	6473	3372	3101
0002	वार्ड सं. 2	975	5483	2820	2663
0003	वार्ड सं. 3	859	4918	2482	2436
0004	वार्ड सं. 4	1050	5447	2787	2660
0005	वार्ड सं. 5	2421	11403	6096	5307
0006	वार्ड सं. 6	2007	8960	4785	4175
0007	वार्ड सं. 7	1960	8669	4685	3984
0008	वार्ड सं. 8	1702	7738	4101	3637
0009	वार्ड सं. 9	1423	6486	3484	3002
0010	वार्ड सं. 10	1946	8649	4595	4054
0011	वार्ड सं. 11	1864	7939	4334	3605
0012	वार्ड सं. 12	876	4001	2089	1912
0013	वार्ड सं. 13	1896	8536	4604	3932
0014	वार्ड सं. 14	2818	12342	6516	5826
0015	वार्ड सं. 15	1602	7856	3964	3892
0016	वार्ड सं. 16	1759	8107	4183	3924
0017	वार्ड सं. 17	1250	5779	2866	2913
0018	वार्ड सं. 18	1077	5336	2640	2696
0019	वार्ड सं. 19	1016	5304	2708	2596
0020	वार्ड सं. 20	959	5078	2582	2496
0021	वार्ड सं. 21	799	4031	2099	1932
0022	वार्ड सं. 22	782	3985	2035	1950
0023	वार्ड सं. 23	923	4792	2593	2199
0024	वार्ड सं. 24	940	4553	2312	2241
0025	वार्ड सं. 25	1138	5649	2910	2739
0026	वार्ड सं. 26	1184	5541	2856	2685
0027	वार्ड सं. 27	1332	6616	3418	3198
0028	वार्ड सं. 28	1188	5647	2900	2747
0029	वार्ड सं. 29	817	4168	2160	2008
0030	वार्ड सं. 30	998	5774	2957	2817
0031	वार्ड सं. 31	1499	7995	4148	3847
0032	वार्ड सं. 32	1729	8715	4489	4226
0033	वार्ड सं. 33	2157	11400	5967	5433
0034	वार्ड सं. 34	908	5247	2721	2526
0035	वार्ड सं. 35	953	4903	2515	2388
0036	वार्ड सं. 36	1135	5476	2794	2682
0037	वार्ड सं. 37	1226	6529	3325	3204
0038	वार्ड सं. 38	1394	7177	3716	3461
0039	वार्ड सं. 39	1833	8835	4570	4265
0040	वार्ड सं. 40	2513	11885	6148	5737
0041	वार्ड सं. 41	1645	8121	4173	3948
0042	वार्ड सं. 42	999	5083	2596	2487
0043	वार्ड सं. 43	2363	10927	5622	5305
0044	वार्ड सं. 44	1623	7616	3879	3737

0045	वार्ड सं. 45	1449	7010	3601	3409
0046	वार्ड सं. 46	1881	9142	4779	4363
0047	वार्ड सं. 47	2709	12186	6495	5691
0048	वार्ड सं. 48	2846	13613	7163	6450
0049	वार्ड सं. 49	1059	5557	2865	2692
0050	वार्ड सं. 50	1456	6806	3582	3224
कुल	50	74184	359483	187081	172402

नोट :- अधिकतम संख्या वाले कॉलम को लाल एवं न्यूनतम संख्या वाले कॉलम को हरे रंग से दिखाया गया है।

स्रोत : जिला जनगणना पुस्तिका-2011 (भीलवाड़ा)

सारणी-3: 0-6 आयुवर्ग जनसंख्या सम्बंधित आँकड़े

अवस्थिति कोड संख्या	वार्ड का नाम	वार्ड में कुल घरों की संख्या	0-6 आयुवर्ग की जनसंख्या		
			कुल	पुरुष	महिला
0001	वार्ड सं. 1	1246	933	493	440
0002	वार्ड सं. 2	975	836	430	406
0003	वार्ड सं. 3	859	659	357	302
0004	वार्ड सं. 4	1050	745	411	334
0005	वार्ड सं. 5	2421	1758	970	788
0006	वार्ड सं. 6	2007	1184	591	593
0007	वार्ड सं. 7	1960	1229	619	610
0008	वार्ड सं. 8	1702	901	464	437
0009	वार्ड सं. 9	1423	910	478	432
0010	वार्ड सं. 10	1946	1235	633	602
0011	वार्ड सं. 11	1864	1122	593	529
0012	वार्ड सं. 12	876	523	276	247
0013	वार्ड सं. 13	1896	1189	668	521
0014	वार्ड सं. 14	2818	1553	772	781
0015	वार्ड सं. 15	1602	1163	596	567
0016	वार्ड सं. 16	1759	1336	697	639
0017	वार्ड सं. 17	1250	697	370	327
0018	वार्ड सं. 18	1077	520	256	264
0019	वार्ड सं. 19	1016	474	248	226
0020	वार्ड सं. 20	959	537	288	249
0021	वार्ड सं. 21	799	382	201	181
0022	वार्ड सं. 22	782	388	219	169
0023	वार्ड सं. 23	923	483	259	224
0024	वार्ड सं. 24	940	481	265	216
0025	वार्ड सं. 25	1138	776	418	358
0026	वार्ड सं. 26	1184	669	351	318
0027	वार्ड सं. 27	1332	694	389	305
0028	वार्ड सं. 28	1188	742	366	376
0029	वार्ड सं. 29	817	413	217	196
0030	वार्ड सं. 30	998	684	334	350
0031	वार्ड सं. 31	1499	1057	558	499
0032	वार्ड सं. 32	1729	1010	545	465
0033	वार्ड सं. 33	2157	1527	813	714
0034	वार्ड सं. 34	908	646	342	304
0035	वार्ड सं. 35	953	587	314	273

0036	वार्ड सं. 36	1135	728	375	353
0037	वार्ड सं. 37	1226	880	459	421
0038	वार्ड सं. 38	1394	937	499	438
0039	वार्ड सं. 39	1833	1225	645	580
0040	वार्ड सं. 40	2513	1556	799	757
0041	वार्ड सं. 41	1645	1288	651	637
0042	वार्ड सं. 42	999	629	334	295
0043	वार्ड सं. 43	2363	1116	590	526
0044	वार्ड सं. 44	1623	818	451	367
0045	वार्ड सं. 45	1449	734	396	338
0046	वार्ड सं. 46	1881	1213	648	565
0047	वार्ड सं. 47	2709	1802	952	850
0048	वार्ड सं. 48	2846	2015	1092	923
0049	वार्ड सं. 49	1059	855	434	421
0050	वार्ड सं. 50	1456	973	524	449
कुल	50	74184	46812	24650	22162

नोट :- अधिकतम संख्या वाले कॉलम को लाल एवं न्यूनतम संख्या वाले कॉलम को हरे रंग से दर्शाया गया है।

स्रोत : जिला जनगणना पुस्तिका-2011 (भीलवाड़ा)

सारणी-4: अनुसूचित जाति जनसंख्या सम्बंधित आँकड़ें

अवस्थिति कोड संख्या	वार्ड का नाम	वार्ड में कुल घरों की संख्या कुल	अनुसूचित जाति जनसंख्या		
			पुरुष	महिला	
0001	वार्ड सं. 1	1246	732	372	360
0002	वार्ड सं. 2	975	665	334	331
0003	वार्ड सं. 3	859	156	66	90
0004	वार्ड सं. 4	1050	1408	733	675
0005	वार्ड सं. 5	2421	1072	557	515
0006	वार्ड सं. 6	2007	778	402	376
0007	वार्ड सं. 7	1960	952	512	440
0008	वार्ड सं. 8	1702	273	147	126
0009	वार्ड सं. 9	1423	1248	665	583
0010	वार्ड सं. 10	1946	842	431	411
0011	वार्ड सं. 11	1864	333	182	151
0012	वार्ड सं. 12	876	117	58	59
0013	वार्ड सं. 13	1896	1160	638	522
0014	वार्ड सं. 14	2818	470	240	230
0015	वार्ड सं. 15	1602	5171	2541	2630
0016	वार्ड सं. 16	1759	1335	675	660
0017	वार्ड सं. 17	1250	821	420	401
0018	वार्ड सं. 18	1077	64	34	30
0019	वार्ड सं. 19	1016	30	21	9
0020	वार्ड सं. 20	959	412	216	196
0021	वार्ड सं. 21	799	48	24	24
0022	वार्ड सं. 22	782	112	57	55
0023	वार्ड सं. 23	923	389	213	176
0024	वार्ड सं. 24	940	514	265	249
0025	वार्ड सं. 25	1138	472	236	236
0026	वार्ड सं. 26	1184	788	411	377

0027	वार्ड सं. 27	1332	168	88	80
0028	वार्ड सं. 28	1188	108	51	57
0029	वार्ड सं. 29	817	32	20	12
0030	वार्ड सं. 30	998	151	84	67
0031	वार्ड सं. 31	1499	304	159	145
0032	वार्ड सं. 32	1729	880	451	429
0033	वार्ड सं. 33	2157	1579	848	731
0034	वार्ड सं. 34	908	575	288	287
0035	वार्ड सं. 35	953	2057	1057	1000
0036	वार्ड सं. 36	1135	4492	2296	2196
0037	वार्ड सं. 37	1226	1313	648	665
0038	वार्ड सं. 38	1394	151	81	70
0039	वार्ड सं. 39	1833	462	246	216
0040	वार्ड सं. 40	2513	3163	1610	1553
0041	वार्ड सं. 41	1645	3013	1518	1495
0042	वार्ड सं. 42	999	755	380	375
0043	वार्ड सं. 43	2363	359	192	167
0044	वार्ड सं. 44	1623	1099	579	520
0045	वार्ड सं. 45	1449	590	298	292
0046	वार्ड सं. 46	1881	1514	784	730
0047	वार्ड सं. 47	2709	1792	953	839
0048	वार्ड सं. 48	2846	1227	637	590
0049	वार्ड सं. 49	1059	272	141	131
0050	वार्ड सं. 50	1456	1274	651	623
कुल	50	74184	47692	24510	23182

नोट :- अधिकतम संख्या वाले कॉलम को लाल एवं न्यूनतम संख्या वाले कॉलम को हरे रंग से दर्शाया गया है।

स्रोत : जिला जनगणना पुस्तिका-2011 (भीलवाड़ा)

सारणी-5: अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सम्बंधित आँकड़े

अवस्थिति कोड संख्या	वार्ड का नाम	वार्ड में कुल घरों की संख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या		
			कुल	पुरुष	महिला
0001	वार्ड सं. 1	1246	186	105	81
0002	वार्ड सं. 2	975	102	50	52
0003	वार्ड सं. 3	859	27	14	13
0004	वार्ड सं. 4	1050	14	11	3
0005	वार्ड सं. 5	2421	364	195	169
0006	वार्ड सं. 6	2007	160	79	81
0007	वार्ड सं. 7	1960	106	60	46
0008	वार्ड सं. 8	1702	39	21	18
0009	वार्ड सं. 9	1423	31	19	12
0010	वार्ड सं. 10	1946	87	45	42
0011	वार्ड सं. 11	1864	41	24	17
0012	वार्ड सं. 12	876	0	0	0
0013	वार्ड सं. 13	1896	117	67	50
0014	वार्ड सं. 14	2818	247	126	121
0015	वार्ड सं. 15	1602	135	72	63
0016	वार्ड सं. 16	1759	225	127	98
0017	वार्ड सं. 17	1250	173	79	94

0018	वार्ड सं. 18	1077	36	20	16
0019	वार्ड सं. 19	1016	32	18	14
0020	वार्ड सं. 20	959	2	1	1
0021	वार्ड सं. 21	799	6	3	3
0022	वार्ड सं. 22	782	14	7	7
0023	वार्ड सं. 23	923	49	39	10
0024	वार्ड सं. 24	940	27	15	12
0025	वार्ड सं. 25	1138	45	22	23
0026	वार्ड सं. 26	1184	81	40	41
0027	वार्ड सं. 27	1332	45	23	22
0028	वार्ड सं. 28	1188	30	16	14
0029	वार्ड सं. 29	817	0	0	0
0030	वार्ड सं. 30	998	8	4	4
0031	वार्ड सं. 31	1499	34	17	17
0032	वार्ड सं. 32	1729	52	29	23
0033	वार्ड सं. 33	2157	191	113	78
0034	वार्ड सं. 34	908	0	0	0
0035	वार्ड सं. 35	953	3	3	0
0036	वार्ड सं. 36	1135	16	12	4
0037	वार्ड सं. 37	1226	16	8	8
0038	वार्ड सं. 38	1394	13	5	8
0039	वार्ड सं. 39	1833	35	15	20
0040	वार्ड सं. 40	2513	106	60	46
0041	वार्ड सं. 41	1645	403	201	202
0042	वार्ड सं. 42	999	5	3	2
0043	वार्ड सं. 43	2363	123	62	61
0044	वार्ड सं. 44	1623	34	16	18
0045	वार्ड सं. 45	1449	49	22	27
0046	वार्ड सं. 46	1881	73	36	37
0047	वार्ड सं. 47	2709	493	274	219
0048	वार्ड सं. 48	2846	321	170	151
0049	वार्ड सं. 49	1059	41	18	23
0050	वार्ड सं. 50	1456	51	27	24
कुल	50	74184	4488	2393	2095

नोट :- अधिकतम संख्या वाले कॉलम को लाल एवं न्यूनतम संख्या वाले कॉलम को हरे रंग से दर्शाया गया है।

स्रोत : जिला जनगणना पुस्तिका-2011 (भीलवाड़ा)

सारणी-6: साक्षरता एवं लिंगानुपात अनुसार जनसंख्या के आँकड़ें

अवस्थिति कोड संख्या	वार्ड का नाम	वार्ड में कुल घरों की संख्या	साक्षरता प्रतिशत	लिंगानुपात
0001	वार्ड सं. 1	1246	58.4	920
0002	वार्ड सं. 2	975	61.4	944
0003	वार्ड सं. 3	859	62.1	981
0004	वार्ड सं. 4	1050	60.1	954
0005	वार्ड सं. 5	2421	60.9	871
0006	वार्ड सं. 6	2007	75.9	873
0007	वार्ड सं. 7	1960	68.9	850
0008	वार्ड सं. 8	1702	82.3	887
0009	वार्ड सं. 9	1429	70.8	862

0010	वार्ड सं. 10	1946	74.7	882
0011	वार्ड सं. 11	1864	75.6	832
0012	वार्ड सं. 12	876	80.9	915
0013	वार्ड सं. 13	1896	72.7	854
0014	वार्ड सं. 14	2818	77.1	894
0015	वार्ड सं. 15	1602	60.9	982
0016	वार्ड सं. 16	1759	52.5	938
0017	वार्ड सं. 17	1250	70.9	1016
0018	वार्ड सं. 18	1077	85.9	1021
0019	वार्ड सं. 19	1016	87.2	959
0020	वार्ड सं. 20	959	80.7	967
0021	वार्ड सं. 21	799	85.3	920
0022	वार्ड सं. 22	782	82.8	958
0023	वार्ड सं. 23	923	79.6	848
0024	वार्ड सं. 24	940	78.2	969
0025	वार्ड सं. 25	1138	72.8	941
0026	वार्ड सं. 26	1184	75.1	940
0027	वार्ड सं. 27	1332	81.1	936
0028	वार्ड सं. 28	1188	68.7	947
0029	वार्ड सं. 29	817	80.3	930
0030	वार्ड सं. 30	998	73	953
0031	वार्ड सं. 31	1499	73.4	927
0032	वार्ड सं. 32	1729	78.7	941
0033	वार्ड सं. 33	2157	62.3	911
0034	वार्ड सं. 34	908	70.1	928
0035	वार्ड सं. 35	953	70.7	950
0036	वार्ड सं. 36	1135	61.1	960
0037	वार्ड सं. 37	1226	71.3	964
0038	वार्ड सं. 38	1394	75.7	931
0039	वार्ड सं. 39	1833	72.6	933
0040	वार्ड सं. 40	2513	70.5	933
0041	वार्ड सं. 41	1645	51.6	946
0042	वार्ड सं. 42	999	64.5	958
0043	वार्ड सं. 43	2363	81.7	944
0044	वार्ड सं. 44	1623	81.3	963
0045	वार्ड सं. 45	1449	82.8	947
0046	वार्ड सं. 46	1881	74.8	913
0047	वार्ड सं. 47	2709	66.6	876
0048	वार्ड सं. 48	2846	67.9	900
0049	वार्ड सं. 49	1059	65.6	940
0050	वार्ड सं. 50	1456	64.3	900
कुल	50	74184	82.2	922

नोट :- अधिकतम संख्या वाले कॉलम को लाल एवं न्यूनतम संख्या वाले कॉलम को हरे रंग से दर्शाया गया है।

स्रोत : जिला जनगणना पुस्तिका-2011 (भीलवाड़ा)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – एक विश्लेषण

मनोज टाक* डॉ. कनिया मेड़ा**

*शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार की एक महान संकल्पना है, जो कि श्रेष्ठ भारत एवं मूल्यवान भारत की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। यह शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा घोषित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020, वर्ष 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के - लगभग 34 साल बाद, भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन किया गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (GER) को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। 'मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय' का नाम परिवर्तित कर 'शिक्षा - मंत्रालय' कर दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में पांचवी कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा -3 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - उद्देश्य - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करें। शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - सिद्धान्त - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ मूलभूत सिद्धान्त सन्निहित हैं जो कि शिक्षा, शिक्षक और छात्रों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होकर निरन्तर सीखने पर जोर देते हैं, ताकि शिक्षा से जुड़ी सभी इकाईयों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो -

1. बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, शिक्षकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं के विकास

पर भी पूरा ध्यान दें।

2. साक्षरता और संख्यामान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना जिससे सभी बच्चे कक्षा के ज्ञान और सीखने के मूलभूत कौशल को हासिल कर सकें।
3. लचीलापन ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर-तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें।
4. कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं, आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो।
5. सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु-विषयक और समग्र शिक्षा का विकास।
6. अवधारणात्मक समझ पर जोर न कि रटत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई।
7. रचनात्मकता और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए।
8. नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे, सहानुभुति, दुसरो के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना सेवा की भावना, सार्वजनिक सम्पत्ति के सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय।
9. बहु भाषिकता पर जोर।
10. जीवन कौशल जैसे - आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन।
11. सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर।
12. साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केन्द्र में रखकर शिक्षा को निरूत्साह करना जिससे कि आज की 'कोचिंग संस्कृति' को ही बढ़ावा मिलता है।
13. तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर।
14. सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र ओर नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान।
15. पूर्ण समता और समावेशन की सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें।
16. उत्कृष्ट स्तर का शोध शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की समीक्षा।

17. भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और विविध, प्राचीन और आधुनिक, संस्कृति और ज्ञान, प्रणालियों और परम्पराओं को शामिल करन और उससे प्रेरणा पाना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - पाठ्यक्रम - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शैक्षणिक पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया गया है कि उनको बुनियादी शिक्षा के साथ-साथ चरित्र निर्माण भी हो सकें।

1. विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी शिक्षा, शिल्प, मान।
2. विकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य शामिल हो। शिक्षा से बच्चों में चरित्र निर्माण होता हो।
3. बच्चों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करने के गुण हो, और रोजगार के लिए सक्षम बनाती हो।
4. 2040 तक भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जो सभी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले बच्चों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराती हो।
5. शिक्षा साक्षरता और संख्याज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ-साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास के साथ साथ नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास करती हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - शिक्षा की विषयवस्तु - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की विषयवस्तु नीति के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों के अनुकूल ही बनाई गई है -

1. बच्चों को समस्या समाधान, तर्क शक्ति एवं रचनात्मक रूप से सोचना सिखाती हो।
2. बच्चे विषयों के बीच अंतर संबंध देख पाते हो।
3. नई सोच और नई जानकारी को नई परिस्थितियों में उपयोग करना सिखाती हो।
4. शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करती हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - भाषाई विविधता का संरक्षण - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 05 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 08 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

1. स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परन्तु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा

1. बच्चों के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास 06 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है।

2. अतः बच्चों के मस्तिष्क का उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करना।

3. प्रारंभिक बाल्यवस्था विकास, देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द, निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध किए जाने का उल्लेख है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो।

बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान - बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त है तथा इन कौशलों को प्राप्त करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। जिसे 2027 तक सीखने के बुनियादी लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा।

स्कूली ढांचे में परिवर्तन - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 1986 की 10+2 वाली स्कूली शिक्षा व्यवस्था को 03 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्चा और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित किया गया है।

पिछला अकादमिक ढांचा	नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा
02 (Ages 16-18)	04(Class 09+012)(Ages 14-18)
10 (Ages 06-16)	- Secenedary 03(Class 6+08)(11-14) – Middle 03(Class 03+05)(Ages 08-11) – pre parpatary 02years(Class 1 & 2)(Ages 06-08) - foundational 03 years (Anganwadi/pre school/ Balvatika)

निष्कर्षतः कहाँ जा सकता है, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21 वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था उसके नियमन और गर्वनेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पूर्णगठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्धान्त पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्याज्ञान जैसी 'बुनियादी क्षमताओं' के साथ साथ 'उच्चतर स्तर' की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. समग्र शिक्षा, म.प्र. राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
2. सामर्थ्य, म.प्र. राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
3. Ministry of Education, <https://www.education.gov.in>
4. <https://hi-wikipedia.org>

संस्कृत नाट्योत्पत्ति एवं प्रयोजन

डॉ. नलिनी तिलकर*

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत) शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - संस्कृत साहित्य में काव्य के दो भेद बताये गए हैं- दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य इनमें से अभिनयपूर्वक रंगमंच पर प्रदर्शित किए जाने से हमारे नेत्रों का विषय बनने वाले नाटकादि दृश्य काव्य कहलाते हैं। इस दृश्य काव्य को नाट्य, रूप एवं रूपक भी कहा जाता है, जो इसकी अलग विशेषताओं पर आधारित भिन्न-भिन्न नाम हैं। 'अवस्थानुकृतिनाट्यम्' अभिनय करने वाले पात्र (नट आदि) के द्वारा राम, दुष्यन्त आदि नायक तथा सीता, शकुन्तला आदि नायिकाओं की सुख-दुख, हर्ष-शोक आदि अवस्थाओं का, अपने अभिनय कौशल से अनुकरण किया जाना ही नाट्य कहलाता है। नाट्य का अर्थ है अभिनय। अतः अभिनेय होने के कारण नाटकादि को नाट्य कहा जाता है। 'रूपं दृश्यतयोच्यते' वह नाट्य ही अभिनय द्वारा रंगमंच पर प्रदर्शित होने से हमारे नेत्रों के लिए दर्शनीय होता है। इसीलिए इसी को रूप भी कहा जाता है। जैसे कि प्रकृति में नीला, पीला, लाल, हरा आदि पदार्थ (वस्तुएँ) नेत्रों से देखे जाने के कारण रूप है वैसे ही नाटकादि भी नेत्र ग्राह्य होने के कारण रूप कहलाता है। 'रूपक तत्समारोपात्' रंगमंच पर राम आदि का अभिनय करने वाले पात्र (नट) में सहृदय जन राम आदि का आरोप कर लेते हैं अर्थात् उसे राम आदि ही समझने लगते हैं। नट पर राम आदि का आरोप किए जाने के कारण जो पहले नाट्य और रूप कहा गया है वही रूपक भी कहलाता है इस तरह नेत्रों का विषय बनने से जो काव्य दृश्य काव्य रूप है वही अभिनेयता के कारण नाट्य और रूपक भी है। रूपक शब्द की निष्पत्ति रूप धातु में ण्वुल प्रत्यय के योग से होती है। ये दोनों ही शब्द साहित्य में 'नाट्य' के द्योतक हैं। नाट्यशास्त्र में 'दशरूप' शब्द का प्रयोग नाट्य की विधाओं के अर्थ में हुआ है।

दशरूपककार आचार्य धनंजय नाट्य की परिभाषा इस प्रकार देते हैं - 'अवस्थानुकृतिनाट्यम्' अर्थात् अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में नाटक की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि नाटक में ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, क्रिया, कुशलता आदि सभी का समन्वय रहता है वह कहते हैं कि इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो नाटक आदि में ना हो इसीलिए कहा गया है।

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।

नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते॥ नाट्यशास्त्र 1/116

नाट्य दृश्य एवं श्रव्य काव्य होने के कारण मानव की बाह्य तथा आन्तरिक समस्त प्रकृतियों का अनुकरण ही है नाट्य अपने प्रेक्षकों को सभी प्रकार के दुःख तथा वलेश श्रम-शोक एवं खिन्नता से युक्त करके उनके हृदय को विश्रान्ति और आनन्द प्रदान करता है। इसके साथ लोकवृत्त में

धर्माचरण करने का उपदेश देता है, जिसमें समस्त ज्ञान, समस्त शिष्य, समग्र विद्याएँ तथा समुची कला, योग कर्म आदि का समावेश हो वह नाट्य है।

साहित्यशास्त्र में काव्य के दो भेद हैं। दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के द्वारा दर्शक किसी भी घटना या वस्तु का चाक्षुष ज्ञान ग्रहण करता है, किन्तु श्रव्य काव्य के द्वारा केवल श्रवण ही प्राप्त होता है। श्रव्य काव्य में आनन्दानुभूति कल्पना मार्ग से प्राप्त होती है जबकि दृश्य काव्य के द्वारा इसी आनन्द की प्राप्ति रंगमंच पर साकार रूप से होती है। जिसका अभिनय किया जा सके उसे दृश्य काव्य कहते हैं 'दृश्यं तत्राभिनेयं'। इसी दृश्य काव्य को रूप या रूपक संज्ञा से भी जाना जाता है।

संस्कृत साहित्यशास्त्रियों ने दृश्य और श्रव्य के रूप में दो वर्गों में रखा है। दृश्यकाव्य के दो भेद हैं रूपक तथा उपरूपक। रूपक के दस और उपरूपक के अठारह प्रकार होते हैं। रूपकों का एक प्रमुख भेद नाटक है। ये रूपक रसाश्रय होते हैं केवल भाव पर आश्रित नहीं रहते। इनके दस भेद किये गये हैं यथा-

अवस्थानुकृतिनाट्य रूपं दृश्यतयोच्यते।

रूपकं तत्समारोपाद् दशधैव रसाश्रयम् ॥

नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमःण्।

व्यायोगसमवकारौ वीथ्यंकेहामृगा इति ॥ दशरूपक 197-2
अर्थात् नाटक, प्रकरण, अङ्क, व्यायोग, भाण, समवकार, वीथी, प्रहसन, डिम और ईहामृग ये नाट्य अर्थात् रूपक के दश भेद हैं।

नाटक की उत्पत्ति के विषय में सर्वाधिक प्राचीन मत हमें भरतमुनि के नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में उपलब्ध होता है। इस अध्याय का नाम 'नाट्योत्पत्ति' है। इसके अनुसार नाटक पंचम वेद है, जिसकी सृष्टि ब्रह्मा ने महेन्द्र सहित देवसमूह की प्रार्थना पर की:

महेन्द्रप्रमुखैर्देवैरुक्तं किल पितामहः।

क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यचयदभवेत् ॥ नाट्य शास्त्र 1111

अर्थात् इन्द्र जिनका मुखिया था ऐसे देवताओं द्वारा पितामह ब्रह्माजी से कहा गया कि 'हम ऐसा खेल अथवा खिलौना चाहते हैं जो देखने तथा सुनने दोनों के योग्य हो। यह सुनकर ब्रह्मा ने चारों वेदों का ध्यानकर ऋग्वेद से पाठ्यसामग्री, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रसों को ग्रहण करके यनाट्यवेद नामक पंचमवेद की सृष्टि की:

जग्राह पाठ्यं ऋग्वेदात्सामभ्यो गीतमेव च।

यजुर्वेदाद्भिनयारसानाथर्वणादपि ॥ नाट्य शास्त्र 1117

वेदापवेदैः संबद्धो नाट्यवेदो महात्मना ।

एवं भगवता सृष्टो ब्रह्मणा सर्वविदिना ॥ नाट्य शास्त्र 1118

इस प्रकार सब वेदों के ज्ञाता महात्मा भगवान श्री ब्रह्मा जी के द्वारा वेदों और उपवेदों से सम्बन्ध रखने वाला यह नाट्यवेद रचा गया। उपवेद चार हैं कृआयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा स्थापत्यवेद। नाट्यवेद को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने देवराज इन्द्र से कहा कि इसका अभिनय देवताओं से कराओ। जो देवता कार्यकुशल, पण्डित, वाक्पटु, तथा थकान को जीते हुए हों, उनको अभिनय का कार्य सौंपो। अर्थात् अभिनेता के ये चार गुण हैं कार्य कुशलता, पाण्डित्य, वाक्पटुता तथा थकान को जीतने की शक्ति। इन्द्र द्वारा देवताओं को अभिनय में असमर्थ बताने पर ब्रह्मा ने भरतमुनि के पुत्रों को इसकी शिक्षा देने के लिए कहा। ब्रह्माजी के कथानुसार इन्द्र के ध्वजोत्सव में नाट्यवेद सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ। इस अभिनय में देवों की विजय तथा दैत्यों का अपकर्ष प्रदर्शित हुआ, अतः उन्होंने विघ्न उपस्थित किया। इन विघ्नों से बचे रहने के लिए इन्द्र ने विश्वकर्मा से नाट्यगृह की रचना कराई। इसके उपरान्त ब्रह्मा ने दैत्यों को शान्त करने के लिए कहा कि नाट्यवेद देव और दैत्यों दोनों के लिए हैं तथा इसमें धर्म, क्रीड़ा, हास्य और युद्ध आदि सभी विषय ग्रहीत किये जा सकते हैं।

श्रंगारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः।

वीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्य रसाः स्मृताः॥ साहित्य दर्पण-308

नाट्य का प्रयोजनः

दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम।

विश्रांतिजननं काले नाट्यमेतन्मयाकृतमा॥नाट्य शास्त्र 11114

अर्थात् ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे द्वारा रचा हुआ यह नाट्य दुरूख से पीड़ित, थकेमाँदे, शोक संतप्त लोगों के लिए उचित समय पर विश्राम देने वाला है।

धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धि विवर्द्धनम ।

लोकोपदेश जननं नाट्यमेतद्भविष्यति ॥नाट्य शास्त्र 11115

यह नाटक धर्म, यश और आयु बढ़ानेवाला, हितकारी, बुद्धिवर्धक तथा लोकोपदेश का जन्मदाता होगा। इस नाटक में समस्त शास्त्र, शिल्प एवं विविध प्रकार के कर्म एकत्र एवं सन्निविष्ट रहते हैं।

अहो नाट्यमिदं सम्यक त्वया सृष्टं महामते।

यशस्यं च शुभार्थं च पुण्यं बुद्धि विवर्द्धनम ॥भरतमुनि, ना.शा. 4112

आचार्य भरतमुनि के अनुरोध पर पितामह ब्रह्म के आदेश से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित नाट्यशाला में जब अमृतमन्थन नामक समवकार और त्रिपुरदाह नामक डिम का अभिनय हुआ (नगपति हिमालय, कैलाश पर नाट्यशाला थी) तो उसमें देवता तथा दानवों ने अपने भावों एवं कर्मों का स्वाभाविक एवं सजीव प्रदर्शन देखकर हार्दिक उल्लास प्रकट करते हुए कहा यह महामते, आपके द्वारा विरचित यह नाट्यरचना अत्यन्त सुन्दर है। यह यश, कल्याण, पुण्य तथा बुद्धि का विवर्द्धन करने वाली है।

अतः भरतमुनि ने नाटक को एक व्यापक और समृद्ध कला के रूप में देखा है जो मानव जीवन को सुधारने और समाज को एकजुट करने में मदद करती है। नाटक को देखकर, सुनकर सभी प्रकार के रसों की अनुभूति की जा सकती है। रसास्वादन, मनोरञ्जन व नवीन चिन्तन के कारण ही नाटक की लोकप्रियता वृद्धि को प्राप्त हो रही है संस्कृत रूपक में कवि अपने विचारों और भावना को प्रस्तुत करता है जिससे पाठक एवं दर्शक को उसके गूढ़ अर्थ और संदेश का अनुभव हो सके। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में लोक कल्याणकारी संदेशों का विशेष महत्व है यह संदेश नाटक के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन करते हैं और मानव जीवन को सार्थक और समृद्ध बनाने में सहायक होते हैं नाटक जीवन के उद्देश्य की समझ प्रदान करता है और मानव को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार संस्कृत रूपक एक साहित्यिक और दार्शनिक उपकरण है जो हमें जीवन की गहराइयों को समझने में मदद करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नाट्यशास्त्र, 1/116
2. दशरूपक 197-2
3. नाट्यशास्त्र 1111
4. नाट्यशास्त्र 1117-18
5. साहित्य दर्पण-308
6. नाट्यशास्त्र 11114-115
7. भरतमुनि, नाट्यशास्त्र 4112

Role and Challenges of Media in Strengthening Indian Democracy

Anshul Kumar Agrawal* Tejasvi Dubey**

*M.A.J.M.C, IGNTU, Amarkantak (M.P.) INDIA

** M.A. (Political Science) IGNOU, New Delhi, INDIA

Abstract : The main goal of this study is to examine the role of media in Indian democracy. The media plays a crucial and determining role in promoting democracy. The media and mass communication act as watchdogs, scrutinizing the actions of government officials and holding them accountable for their actions and policy execution despite having multiple important and key influences in encouraging democracy. The media faces different challenges arising from other spheres. Different strategies to strengthen media are studied here.

Keywords: Media, Election, Government, Democracy, Organizations.

Introduction - Media is the engine that drives democracy forward, based on the quest for truth, justice, and equality. In today's digital age, the need for journalists to uphold standards of accuracy, impartiality, and responsibility in their reporting is paramount to successfully overcome the challenges posed by the rapidly changing media landscape. Article 19 of the Constitution of India guarantees the right to freedom of speech and expression and is typically invoked against the state. However, despite the constitutional protection, journalists and media outlets in India have faced a range of challenges, including threats, attacks, and intimidation from government officials, politicians, and non-state actors.

Development Of Media: The development of Indian media has been a dynamic journey marked by significant milestones that reflect the nation's socio-political evolution. In the early years post-independence, media primarily consisted of newspapers and radio, with limited reach. The first Indian newspaper, "Bengal Gazette," emerged in 1780, laying the groundwork for a vibrant print culture. By the mid-20th century, radio became a crucial tool for communication, particularly during the independence struggle, fostering national unity. The liberalization of the Indian economy in the 1990s catalyzed a media revolution. The introduction of satellite television transformed the landscape, offering diverse programming and breaking regional barriers. Channels like Zee TV and Star India popularized entertainment content, while news channels like NDTV and CNN-IBN provided 24-hour coverage, fostering a more informed public. Digital media has further reshaped Indian media since the 2000s. The internet boom has led to the proliferation of news websites and social media platforms, enabling instant communication and

greater public participation. This democratization of information has empowered citizens but also posed challenges, such as the spread of misinformation. Today, Indian media encompasses a vast array of platforms, including print, television, radio, and digital media, each contributing to a vibrant discourse. Despite challenges like censorship and media consolidation, the Indian media continues to play a pivotal role in shaping public opinion and influencing democratic processes, reflecting the complexities of a diverse and rapidly evolving society.

Role of Media Play in Promoting Democracy: The media plays a crucial and determining role in promoting democracy. The relationship between the media and democracy can be traced under the following heads:

1. **Providing Vital And Authentic Information:** The media aims to inform people about current political issues, policies, and events, allowing them to make informed decisions about their leaders and government. The media acts as a bridge between the people and the legislative.

2. **Holding Leaders Accountable:** The media and mass communication acts as a watchdog, scrutinizing the actions of government officials and holding them accountable for their actions and policy execution. The policies and frameworks of top leaders and legislature are morally answerable to the media of the country.

3. **Encouraging Public Debate and Healthy Communication:** The media provides a platform for public debate and discussion about current political issues prevailing across the country, which is very essential for a healthy and strong democracy. Debate between the ruling party and the opposition provides a proper understanding of ongoing issues to citizens with the help of the media and its associates

4. Providing Space for Diverse Perspectives: The media should represent a range of perspectives and viewpoints, giving citizens access to a variety of opinions and ideas.

5. Empowering and Educating People: The media should educate citizens about the democratic process, helping them understand how government works and how to participate in it effectively. The complex and political processes are informed to citizens with the help of media. Information and communication technology has played a very important role in increasing the voting process and smooth conducting of elections

6. Role of media in public policy: The policy output is actually authoritative action i.e. the decisions of the government on various problems of the people. The media directly can't shape the policy but definitely it can criticize the policy and force the government to change the policy in case if it is not in the interest of the people. Media mediates between the state and the society and hence criticism by the media has a very adverse impact on the popularity of the ruling party. In a way, the media exercises a decisive influence over public policy. Media is the regulating flow of communication between the policymakers, policy, and others in any political system. This role of media influences policy-making and hence makes a country and its political system more democratic.

Challenges and Difficulties of Media: Despite having multiple importance and a key influence in encouraging democracy. The media faces different challenges arising from different spheres. The major challenges of media are listed below.

1. Polarity and Media Bias: Media bias can distort the information that is presented to the public, leading to a lack of objectivity and an imbalance in the information that is available. This can result in a polarized public opinion and a lack of trust in the media. The mainstream media in India is often indulged in either being pro-government or totally against them they are choosing extreme points of view and are not trying to balance out, rather ignoring issues related to common folks

2. Unauthentic and Fake News: The rise of social media has made it easier for fake news to spread rapidly, often leading to confusion and misinformation among the public. This can undermine the credibility of the media and lead to a lack of trust in the information that is presented

3. Private and Corporate Influence: Media outlets are often owned by large corporations, which can influence the editorial policies and reporting of the media. This can lead to a lack of diversity of perspectives and a focus on profit over public interest. Private group influence media by investing amounts on it.

4. Difficult Norms and Government Censorship: Governments may use censorship to control the flow of information and suppress dissent. This can lead to a lack of transparency and accountability in the government and limit the ability of the media to act as a watchdog. Difficult

norms and censorship make media participation difficult.

5. Issue of Legitimacy: A diverse and representative newsroom is essential for media institutions to provide well-researched and complex stories that explore a multiplicity of perspectives and voices. The issue of legitimacy with media refers to the concern that media outlets may not always provide accurate, unbiased, or truthful information. This can arise due to various factors such as political biases, commercial interests, sensationalism, and lack of journalistic standards.

6. Gender Diversity and Lack of Women Participation: The lack of gender diversity in the media is another important issue to consider. Women are underrepresented in both the ownership and workforce of media organizations, which limits the diversity of perspectives and voices in the media. Participation of women should be increased.

7. Media Trial and Defame: There have been instances when the media has carried narratives that make a person guilty in the eyes of the public, even before the court finds them guilty. Example: One example of a media trial in India was the famous Sushant Singh Rajput case. The case received extensive media coverage and the media played a significant role in shaping public opinion and influencing the investigation and subsequent court proceedings. This can have long-lasting repercussions on the lives of the affected individuals, as well as on due process.

Ways For Strengthening Media: According to the Madrid Principles on the Relationship Between the Media and Judicial Independence, it is the job of the media to "convey information to the public and to comment on the administration of justice, including cases before, during and after trial, without violating the presumption of innocence

1. Promote Higher Accuracy and Fact-Checking: It is the collective responsibility of journalists as well as other stakeholders to weed out any element of bias or prejudice from the process of reporting events. A comprehensive fact-checking mechanism should be in place to verify all news items before reporting. Media houses are expected to act cautiously while publishing news.

2. Providing Diverse Perspectives: The media should strive to represent diverse voices and perspectives to ensure that all viewpoints are heard and considered. This can help to promote a more informed and engaged citizenry.

3. Hold those in Power Accountable and Check and Balance: One of the key roles of the media is to hold those in power accountable by reporting on their actions and decisions. This includes investigating corruption and abuse of power.

4. Encouraging Public Discourse: The media can play a key role in fostering public discourse by providing a platform for debate and discussion. This can help to promote understanding and dialogue between different groups, leading to more informed and inclusive decision-making.

5. Tackling with Bias: The media should strive to avoid bias in its reporting to ensure that it is perceived as fair and

objective by all parties. This can help to build trust in the media and promote its role in democracy.

6. Solving Online Harassment of Journalists: Journalists are facing online harassment due to the rise of social media. This affects their safety and freedom of expression. India needs to take measures to address this issue and ensure the safety of journalists

7. Encouraging Media Literacy and Framework: While the media has an important role in promoting democracy, citizens also have a responsibility to consume news critically and discerningly. Media literacy programs can help citizens to better understand how the media works, how to distinguish between reliable and unreliable sources, and how to engage in informed public discourse.

8. Encouraging Independent Journalism: In addition to large mainstream media outlets, there is a need to support and promote independent journalism in India. This can include funding for investigative reporting, support for community-based media, and protection for freelance journalists and stringers who often face greater risks than staff journalists

9. Providing Legal Protection for Journalists: Generally journalists and media outlets are subjected to threats, attacks, and intimidation from various sources. Therefore, the government could consider enacting a law that specifically protects journalists and media outlets from harassment and violence. While Article 19 of the Indian Constitution guarantees freedom of speech and expression, there are no specific provisions for the protection of journalists.

10. Maintaining Media Ethics: It is very important that the media stick to the core principles like truth and accuracy, transparency, independence, fairness and impartiality, responsibility, and fair play.

Conclusion: In conclusion, the changing role of media in Indian democracy reflects the complexities of a rapidly evolving society. Historically, media has been a powerful tool for information dissemination, acting as a catalyst for

social change and political awareness. Today, with the advent of digital technology and social media, its influence has expanded dramatically. Citizens now have unprecedented access to information, enabling them to engage actively in the democratic process and hold power to account. However, this transformation is not without challenges. The rise of misinformation and sensationalism threatens to undermine informed public discourse. Additionally, issues of media ownership concentration and censorship raise concerns about the diversity of perspectives and the independence of journalism. In this landscape, the media must navigate the fine line between freedom of expression and responsible reporting. As Indian democracy grapples with these challenges, the media's role as a watchdog, educator, and platform for dialogue remains crucial. It has the potential to amplify marginalized voices and foster a more inclusive political environment. To fulfill this role effectively, media institutions must prioritize ethical journalism, transparency, and accountability. Ultimately, the evolution of media in India is a double-edged sword; while it holds immense potential for enhancing democratic engagement, it also necessitates vigilance and responsibility to ensure it serves the public interest. A strong, independent media will be essential for nurturing the democratic ideals that India aspires to uphold in the years to come.

References :-

1. Article "The Role of Political Parties in Making Democracy Work", <https://v-dem.net/media/publications/brief3.pdf>
2. Article "Political Parties and Democracy", <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.polisci.2.1.243>
3. "The Role of Political Party", <https://uk.usembassy.gov/role-political-parties/>
4. Changing Party System in India: Implications for Political Change, (Article by Vandana Agarwal in the Journal of South Asian and Middle Eastern Studies), <https://www.jstor.org/stable/2645573>

राजस्थान में जलग्रहण प्रबंधन

संजय सिंह गुर्जर* डॉ. एल. सी. अग्रवाल**

* शोधार्थी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

** प्रोफेसर (भूगोल) राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा एवं शोध निर्देशक, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

शोध सारांश - राजस्थान राज्य भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.4% हिस्सा घेरता है, जबकि यहाँ भारत की लगभग 5.66% से अधिक आबादी निवास करती है। दुर्लभ भूमि, जल और जैविक संसाधनों पर समाज की अभूतपूर्व जनसंख्या दबाव और मांग तथा इन संसाधनों का बढ़ता क्षरण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और समग्र रूप से पर्यावरण की स्थिरता और लचीलेपन को प्रभावित कर रहा है। इसलिए, राजस्थान में उत्पादक कृषि भूमि निरंतर क्षरण की अलग-अलग डिग्री की प्रक्रिया में है और तेजी से बंजर भूमि में बदल रही है। इस पारिस्थितिक असंतुलन को ठीक करने के लिए अलग-अलग बंजर भूमि का विकास करना आवश्यक है। उपलब्ध भूमि संसाधनों की पूरी क्षमता का दोहन करने और इसके आगे क्षरण को रोकने के लिए बंजर भूमि का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। क्षरित भूमि, जल और इसके प्रबंधन की समस्या जटिल और बहुआयामी है तथा इसके विकास का उद्देश्य जलग्रहण विकास और प्रबंधन में मानव संसाधन का विकास करना, सतत विकास के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और जलग्रहण विकास में कार्यरत मौजूदा कार्यबल का रखरखाव करना तथा जलग्रहण प्रबंधन दृष्टिकोण के आधार पर विकास में काम करने के लिए ग्रामीण युवाओं में कौशल विकसित करना और प्राकृतिक संसाधनों का सतत विकास करना है।

शब्द कुंजी - जलग्रहण प्रबंधन, भूमि संसाधन।

प्रस्तावना - भूमि, जल और वनस्पति जीवन समर्थन प्रणाली के तीन बुनियादी संसाधन हैं। मानव और पशुधन आबादी में तेजी से वृद्धि, भोजन, चारा और ईंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और इन संसाधनों के अवैज्ञानिक प्रबंधन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र नाजुक और अस्थिर हो जाता है। भूमि, जल और वनस्पति संसाधनों का प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन इन संसाधनों को नुकसान पहुँचाए बिना उनसे इष्टतम और निरंतर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा सकता है, जिसे जलग्रहण को विकास की बुनियादी इकाई के रूप में अपनाकर हासिल किया जा सकता है। जलग्रहण एक प्राकृतिक जल विज्ञान इकाई है, यह विभिन्न इंजीनियरिंग, जैविक और सांस्कृतिक उपचारों के लिए सबसे प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया करता है। जलग्रहण के आउटलेट पर अपवाह और गाढ़ की निगरानी मिट्टी और पानी के संरक्षण और वनस्पति की रक्षा के उद्देश्य से विभिन्न उपचारों के प्रभाव का आकलन करने में मदद कर सकती है। जलग्रहण प्रबंधन में सभी प्रकार के क्षरण के खिलाफ भूमि की सुरक्षा, क्षरित भूमि की बहाली, तलछट नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण और बाढ़ की रोकथाम आदि शामिल हैं।

परिभाषाएँ:

1. जलग्रहण

- जलग्रहण एक धारा पर दिए गए जल निकासी बिंदु के ऊपर का क्षेत्र है जो उस बिंदु पर प्रवाह में पानी का योगदान देता है।
- जलग्रहण एक प्राकृतिक इकाई है जो अपवाह जल को आउटलेट के सामान्य बिंदु पर ले जाती है।

iii. जलग्रहण भू-जल विज्ञान इकाई या भूमि का एक टुकड़ा है जो सामान्य बिंदु पर जल निकासी करता है। जलग्रहण बेसिन या जल निकासी बेसिन जलग्रहण के पर्यायवाची हैं।

2. जलग्रहण प्रबंधन - जलग्रहण एक स्थलाकृतिक रूप से परिभाषित क्षेत्र है, जो एक जलधारा प्रणाली द्वारा जल निकासी करता है। जलग्रहण अपने भौतिक और जल विज्ञान संबंधी प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ मानव संसाधनों से बना होता है। इस प्रकार जलग्रहण के प्रबंधन में प्राकृतिक और मानव संसाधनों के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ इष्टतम उत्पादन के लिए भूमि और जल संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग शामिल है। इसलिए, जलग्रहण प्रबंधन, मिट्टी और जल संसाधनों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना वांछित वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए जलग्रहण में भूमि उपयोग और अन्य संसाधनों के उपयोग को निर्देशित और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। इस अवधारणा में भूमि उपयोग, मिट्टी और पानी के बीच अंतर्संबंधों और ऊपरी और निचले क्षेत्रों के बीच संबंधों की पहचान शामिल है।

जलग्रहण प्रबंधन के उद्देश्य:

- राजस्थान के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में जलग्रहण स्तर पर जल-मौसम विज्ञान, मिट्टी, पोषक तत्व और प्रक्रिया-संबंधी मापदंडों पर उपकरण के माध्यम से डेटा तैयार करना।
- जलग्रहण जल विज्ञान पर मॉडलिंग अध्ययन करना।
- जलग्रहण पैमाने पर भूमि और जल प्रबंधन के लिए स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करना।

4. मिट्टी और जल संरक्षण के लिए ऑन-साइट और ऑफ-साइट प्रबंधन संरचनाओं के प्रभाव का आकलन करना।

जलग्रहण प्रबंधन और राजस्थान- राजस्थान में जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को तीन अलग-अलग योजनाओं के तहत लागू किया जा रहा है, अर्थात् सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी)। ये योजनाएं ज्यादातर स्थान-विशिष्ट हैं। राज्य में सूखे की लगातार पुनरावृत्ति से निपटने के लिए डीपीएपी को वर्ष 1975 के दौरान एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में पेश किया गया था, जिसमें राज्य का 50:50 हिस्सा था और 1987 में वाटरशेड दृष्टिकोण अपनाया गया था। जबकि डीपीएपी गैर-कृषि योग्य भूमि पर ध्यान केंद्रित करता है, इन-सीटू मिट्टी और नमी संरक्षण के लिए जल निकासी लाइनें, कृषि वानिकी, चारागाह विकास, बागवानी और वैकल्पिक भूमि उपयोग इसके मुख्य घटक थे। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य फसलों और पशुधन के उत्पादन, भूमि, पानी और मानव संसाधनों की उत्पादकता पर सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है, जिससे अंततः क्षेत्रों को सूखा मुक्त बनाया जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य संसाधन आधार के सृजन, विस्तार और न्यायसंगत वितरण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि के माध्यम से समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा कार्यक्रम क्षेत्रों में रहने वाले संसाधन विहीन और वंचित वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। कार्यक्रम के उद्देश्यों को सामान्य रूप से भूमि विकास, जल संसाधन विकास और वनरोपण/धारागाह विकास के लिए जलग्रहण क्षेत्र विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विकास कार्यों को आगे बढ़ाकर संबोधित किया जा रहा है।

आईडब्ल्यूडीपी की शुरुआत 1991 में 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के साथ की गई थी। आईडब्ल्यूडीपी में सरकार या समुदाय या निजी नियंत्रण वाली भूमि में सिल्वी-कल्चर, मिट्टी और नमी संरक्षण को अपनी प्रमुख गतिविधि के रूप में शामिल किया गया था, जिसमें पूर्ण सूक्ष्म जलग्रहण क्षेत्र विकास सिद्धांत या लोगों की भागीदारी की कोई परवाह नहीं थी। जुलाई 1992 में आईडब्ल्यूडीपी को एनडब्ल्यूडीबी के साथ भूमि संसाधन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1995 से यह योजना जलग्रहण क्षेत्र विकास के लिए सामान्य दिशानिर्देशों के तहत जलग्रहण क्षेत्र विकास आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के अलावा बंजर भूमि के विकास में सभी चरणों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने की उम्मीद है - जिससे सतत विकास और लाभों का न्यायसंगत बंटवारा हो सके। आईडब्ल्यूडीपी का मुख्य उद्देश्य (1) संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से कार्यक्रम क्षेत्रों के ग्रामीण गरीबों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, (2) रोजगार का सृजन और (3) अन्य आय पैदा करने वाली गतिविधियों में वृद्धि करना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य सरल, आसान और सस्ती तकनीक और निरंतर सामुदायिक कार्रवाई (लोगों की भागीदारी) के माध्यम से गाँव में पारिस्थितिक संतुलन की बहाली को प्रोत्साहित करना भी है। इन सभी के परिणामस्वरूप समुदाय के गरीब और वंचित वर्गों का समग्र उत्थान होता है।

समुदाय के गरीब और वंचित वर्गों का उत्थान कार्यक्रम के तहत की जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ हैं सूखे मिट्टी और नमी संरक्षण के उपाय जैसे कि सीढ़ीदार खेत बनाना, मेड़ बनाना, खाई खोदना, वनस्पति अवरोध

आदिय बहुउद्देशीय वृक्षों, झाड़ियों, घासों, फलियों और चारागाह भूमि का रोपण और बुवाई कार्यक्रम क्षेत्रों में प्राकृतिक उत्थान को प्रोत्साहित करना कृषि वानिकी और बागवानी को बढ़ावा देना लकड़ी के प्रतिस्थापन और ईंधन-लकड़ी संरक्षण के उपाय लोगों की भागीदारी, विशेष रूप से महिलाओं के माध्यम से प्रतिभागियों के बीच प्रशिक्षण, विस्तार और अधिक जागरूकता पैदा करने जैसी प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए आवश्यक उपायों को प्रोत्साहित किया जाता है।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) राजस्थान के उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में 1977-78 में शुरू किया गया था। उष्ण रेतीले मरुस्थलीय क्षेत्रों में आश्रय-क्षेत्र वृक्षारोपण के माध्यम से रेत के टीलों के स्थिरीकरण को अधिक महत्व दिया गया था। इस कार्यक्रम की समीक्षा 1994-95 में प्रो. सी.एच. हनुमंत राव की अध्यक्षता वाली तकनीकी समिति द्वारा की गई थी और यह पाया गया था कि संतोषजनक परिणामों से कम होने का मुख्य कारण यह था कि क्षेत्र का विकास वाटरशेड आधार पर नहीं किया गया था और कार्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन दोनों में स्थानीय लोगों की भागीदारी लगभग न के बराबर थी। इसके अलावा, धन की अपर्याप्तता, प्रशिक्षित कर्मियों की अनुपलब्धता और बहुत अधिक गतिविधियों को अपनाना, जो न तो ठीक से एकीकृत थीं और न ही कार्यक्रम के उद्देश्यों से संबंधित थीं, कार्यक्रम के प्रभाव को कम करने में सहायक कारकों के रूप में पहचानी गईं। समिति की सिफारिशों के आधार पर, कार्यक्रम के तहत नए ब्लॉक/जिले शामिल किए गए और साथ ही वाटरशेड विकास के लिए व्यापक दिशा-निर्देश 1994 में जारी किए गए और 1995 से क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर लागू किए गए। इसके बाद, राजस्थान में शुष्क (रेतीले) क्षेत्रों के बड़े भूभाग के कारण अलग-अलग समस्याएँ हैं। इस राज्य के दस जिलों में रेत के टीलों के स्थिरीकरण की समस्या को देखते हुए, 1999-2000 से डीडीपी के तहत आश्रय बेल्ट वृक्षारोपण, रेत के टीलों के स्थिरीकरण और वनीकरण के माध्यम से मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए विशेष परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। ये दस जिले बाइमेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली और सीकर हैं।

इस कार्यक्रम की परिकल्पना भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधनों के संरक्षण, विकास और दोहन के माध्यम से पारिस्थितिक संतुलन की बहाली के लिए एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के संसाधन विहीन और वंचित वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं (1) फसलों, मानव और पशुधन आबादी पर मरुस्थलीकरण और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना, (2) प्राकृतिक संसाधनों, यानी भूमि, जल, वनस्पति आवरण और भूमि उत्पादकता को बढ़ाकर, उनका दोहन, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना, (3) भूमि विकास, जल संसाधन विकास और वनरोपण/धारागाह विकास के लिए वाटरशेड दृष्टिकोण के माध्यम से विकास कार्यों को लागू करना।

राजस्थान में जल संसाधन विकास कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करने वाले बड़े पैमाने पर अध्ययन बहुत अधिक नहीं हुए हैं, खासकर 1994 के दिशा-निर्देशों के बाद। 2002 में 25 जिलों में 462 वाटरशेड को कवर करते हुए जल संसाधन विकास कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करने के

लिए एक व्यापक अध्ययन किया गया था। अध्ययन में 1992 और 1998 के बीच स्वीकृत किए गए जलग्रहण क्षेत्रों को शामिल किया गया था और 1994 के दिशा-निर्देशों के तहत पूरे किए गए जलग्रहण क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था। इस अध्ययन से पता चला कि जलग्रहण क्षेत्रों के विकास ने भूमि की समग्र उत्पादकता को बढ़ाया है जल स्तर ऊपर गया है और परियोजना क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों (बैलों को छोड़कर) के पशुधन में वृद्धि हुई है। अध्ययन ने यह भी संकेत दिया कि राज्य में हरित वनस्पति आवरण, सिंचाई, फसल पैदावार आदि में भी सुधार हुआ है। राजस्थान के चार जिलों में 2002 और 2005 के बीच लागू किए गए 91 डीडीपी वाटरशेड के एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि डब्ल्यूएसडी निवेश प्राकृतिक संसाधन आधार, यानी मिट्टी और जल संसाधनों को मजबूत करके भूमि उत्पादकता को बढ़ाता है, खासकर वर्षा आधारित स्थितियों में। हालांकि, प्रभावों का वर्तमान स्तर सीमित है और इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी ओर, राजस्थान में सूक्ष्म अध्ययनों से पता चला है कि सामाजिक पूंजी और संस्थान सामान्य रूप से विकास कार्यक्रमों और विशेष रूप से वाटरशेड विकास से लाभ बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सभी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का एकीकरण करने के लिए, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि समुदायों की एकीकृत योजना, सतत परिणाम और ग्रामीण आजीविका सुनिश्चित की जा सके। तीनों क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसका क्रियान्वयन समर्पित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, जो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संचालित होंगी। इस एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. **राज्यों को अधिकार सौंपना:** राज्यों को अब अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर और इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित मापदंडों के भीतर जलग्रहण परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मंजूरी देने और देखरेख करने का अधिकार होगा।

ii. **समर्पित संस्थाएँ:** जलग्रहण कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बहु-विषयक पेशेवर टीमों के साथ समर्पित कार्यान्वयन एजेंसियाँ होंगी।

iii. **समर्पित संस्थाओं को वित्तीय सहायता:** जलग्रहण परियोजनाओं के प्रबंधन में व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

iv. **कार्यक्रम की अवधि:** इस दृष्टिकोण के तहत विस्तारित दायरे और अपेक्षाओं के साथ, परियोजना की अवधि को 4 साल से 7 साल की सीमा में बढ़ाया गया है, जो 3 अलग-अलग चरणों में फैली गतिविधियों की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात् प्रारंभिक चरण, कार्य चरण और समेकन चरण। जलग्रहण परियोजना की प्रमुख गतिविधियाँ हैं:

1. मिट्टी और नमी संरक्षण के उपाय जैसे सीढ़ीनुमा खेत, खाई खोदना, वनस्पति अवरोध आदि।
2. बहुउद्देशीय वृक्ष, झाड़ियाँ, घास, फलियाँ लगाना और भूमि विकास करना।
3. प्राकृतिक पुनर्जनन को प्रोत्साहित करना।
4. कृषि वानिकी और बागवानी को बढ़ावा देना।

5. लकड़ी का प्रतिस्थापन और ईंधन-लकड़ी संरक्षण के उपाय।
6. प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए आवश्यक उपाय।
7. प्रतिभागियों के बीच प्रशिक्षण, विस्तार और अधिक जागरूकता पैदा करना।
8. लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

राजस्थान में जलग्रहण प्रबंधन से सम्बंधित सुझाव:

1. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लोगों को शामिल करने में विफलता के कारण जलग्रहण परियोजनाएँ स्थायित्व उत्पन्न करने में सफल नहीं हो पाई हैं। जलग्रहण परियोजनाओं के टिकाऊ होने के लिए सामुदायिक प्रबंधन प्रणालियों की आवश्यकता है और वे केवल किसानों के योगदान और समय और संसाधनों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से ही सफल हो सकती हैं।
2. कई मामलों में यह देखा गया है कि हितधारकों को न तो परियोजना सामग्री के चयन में शामिल किया गया और न ही उन्हें विभिन्न परियोजना गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जलग्रहण विकास की पूरी प्रक्रिया में सरकारी विभागों और स्थानीय ठेकेदारों की भागीदारी शामिल थी, जिसमें जलग्रहण समुदायों की न्यूनतम भागीदारी के साथ स्पष्ट शीर्ष-नीचे दृष्टिकोण था। परिणामस्वरूप, आपूर्ति-मांग का बेमेल रहा है, जिससे जलग्रहण समुदायों की स्थानीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अकुशल कार्यान्वयन और अपर्याप्त स्थायित्व हुआ।
3. चूंकि जलग्रहण भूमि आधारित गतिविधि है, इसलिए जलग्रहण प्रबंधन का लाभ मुख्य रूप से कृषक समुदाय को मिला, जबकि परियोजना हस्तक्षेप के माध्यम से भूमिहीन परिवारों की आजीविका सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया।
4. जलग्रहण प्रबंधन के माध्यम से हस्तक्षेप के कारण लाभार्थियों के लिए बनाए गए वैकल्पिक आजीविका अवसरों का पोर्टफोलियो तनाव और आघात का सामना नहीं कर सका और प्राथमिक हितधारक परियोजना अवधि पूरी होने के बाद उन गतिविधियों को बनाए नहीं रख सके।
5. अधिकांश मामलों में स्थिरता मुख्य रूप से परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन चरणों में प्राथमिक हितधारकों की अनुपस्थिति के कारण हुई।
6. परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निकासी तंत्र को ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण स्थानीय समुदाय स्तर की संस्थाएँ परियोजना का स्वामित्व लेने के लिए आगे नहीं आईं। परियोजना पूर्ण होने के चरण में समुदाय की क्षमता और भागीदारी की कमी के कारण, परियोजना के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों को स्थानीय समुदाय की भागीदारी के साथ बनाए नहीं रखा जा सका, जिससे अंततः परियोजना की दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित हुई।

निष्कर्ष: आर्थिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों के बीच संतुलन और जलग्रहण प्रणाली की सभी अंतःक्रियाओं पर विचार जलग्रहण प्रबंधन में महत्वपूर्ण मानदंड हैं। विकास के विभिन्न चरणों में देशों के लिए यह संतुलन आवश्यक है। कृषि, उद्योग और शहरी घरेलू उपयोग के साथ-साथ राज्य सरकारों के बीच साझा जल संसाधनों को लेकर संघर्ष बढ़ रहे हैं। इस प्रकार सतत जल प्रबंधन आर्थिक विकास और लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत जैसे देश में, जहाँ बहुत सारा बहता पानी बर्बाद हो जाता है, वहाँ सूखे और बाढ़ की वार्षिक समस्याओं को हल करने के लिए जलग्रहण प्रबंधन की तकनीक को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Kannan K., (2009), Impact evaluation of micro level water resources development and improved agricultural practices, Indian Journal for Soil Conservation.
2. Om Prakash and Singh H P., (2011), Impact of watershed development programme on biophysical and economic factors in India. Journal of Soil and Water Conservation in India.
3. Reddy Y V R and Sastry G., (2010), Watershed Programmes in India, Scientific Publishers, New Delhi.
4. Tideman E M.,(2010), Watershed Management – Guidelines for Indian Conditions, Omega.

The Legal Study of International Environmental Conventions

Vijaya Laxmi Joshi*

*Assistant Professor, Govt. Law College, Shajapur (M.P.) INDIA

Abstract : Environmental protection is not a problem of any specific country but it is a problem of the whole world. The United Nations, established after the second world war, has passed various conventions and protocols to address many international problems including environmental protection. An authority within the United Nations known as The United Nations Environment programme, is actively engaged in issues related to environmental protection. Numerous international conventions and protocols like- Ramsar Convention, Stockholm Convention 2001, CITES 1973, Convention on Biological Diversity 1992, Bonn Convention 1979, Vienna Convention 1985, Kyoto Protocol 1997, Basel Convention, Minamata Convention, Cartagena Convention, UN Convention to combat Desertification have been enacted to safeguard the environment. The present research paper describes some significant conventions and protocols. This research paper defines The International Environmental Convention and also explains the difference between Convention and protocol and briefly describes various Conventions.

What Is International Environmental Convention– An international environmental convention is a legally binding agreement negotiated among governments to take action together to combat or mitigate a global environmental threat.

Difference Between Convention And Protocol – An environmental convention is an official agreement between governments usually resulting from negotiations facilitated by an international organization. On the other hand, a protocol is a tool used to amend or modify a convention. Not all the states that ratified the original convention are obligated to abide by the changes made through protocols.

International Conventions And Protocols For Environmental Protection– A large number of conventions and protocols have been passed by the United Nations and other International Organizations and have been accepted by many countries. Some of the important conventions and protocols are as follows:

1. CITES – The full form of CITES is the convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora. CITES is an international agreement between governments with the objective of the preservation of the planet's plants and animals by ensuring that the international trade in their specimens does not threaten their survival. It was adopted in 1963 and entered into force in 1975. It is also called "Washington Convention" because its first conference was held in Washington in march 1973. CITES is legally binding on the parties, which is obliged to adopt their domestic legislation to implement its goals. It is administered by THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT

PROGRAMME(UNEP). Over 38700 species including roughly 5950 species of animals and 32800 species of plants are protected by CITES against over exploitation through international trade.

In India wildlife crime control Bureau works for the implementation and monitoring of CITES under the ministry of Environment, Forest and Climate Change. It performs its function by regulating the international trade of selected species. The import, export, reexport and entry procedures for the various species covered by the convention are required to be authorised by the licensing system.

2. Stockholm Convention– Stockholm convention on persistent organic pollutants is a global treaty that was adopted by the conference of plenipotentiaries in 2001 and came into force on 17th may 2004. It was introduced to protect human health and the environment from harmful POPs suspended in the air for a long time.

The convention aims to reduce or eliminate the use of POPs through the active measures of the member states.

Over 152 countries ratified the convention. It is ratified by India on 13 January 2006.

3. UNFCCC– The full form of UNFCCC is the United Nations Framework Convention on Climate Change. It is multilateral environmental agreement to control greenhouse gas concentrations in the atmosphere. UNFCCC was signed in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development also known as the Earth Summit, the Rio Conference. The UNFCCC entered into force in 1994 and has been ratified by 197 countries. It is

the parent treaty of Kyoto protocol (1997) and Paris Agreement (2015). It is not legally binding on the parties.

Secretariat – The secretariat is located in Bonn, Germany.

4. Kyoto Protocol– It is an international treaty associated with the UNFCCC. It was adopted in Tokyo, Japan on 11 December 1997, it became operational on 16 February 2005. Currently, there are 192 parties to the Kyoto Protocol. The UNFCCC, through the Kyoto Protocol, gave industrialized nations the responsibility to limit and reduce emissions of green house gases in accordance with agreed individual targets.

The protocol is based upon the principle of ‘Common but differentiated responsibilities’-CBDR. According to this principle all states are responsible for addressing global environmental destruction but they are not equally responsible. It only binds developed countries and places a heavier burden on them under this principle because it recognizes that they are largely responsible for the current high levels of GHG emissions in the atmosphere. The protocol’s first commitment period from 2008 to 2012, aimed to reduce greenhouse gases by an average of 5%. The protocol’s second commitment period was from 1 January 2013 to 31 December 2020 aimed to reduce greenhouse gases by an average of 18%.

5. Convention On Biological Diversity(Cbd)–The convention is focuses on the conservation of biodiversity. It was adopted in 1992 and came into force on 29 December 1993. It is a legally binding convention.

It has 3 main objectives:

- i. The conservation of biological diversity.
- ii. The sustainable use of its components.
- iii. Fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of genetic resources.

The CBD secretariat is based in Montreal, Canada, and it operates under the UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. It is ratified by India in 1994. India enacted the Biological Diversity Act in 2002 for giving effect to the provisions of the CBD.

6. UNCCD–UNCCD stands for United Nations convention to combat Desertification aims to combat desertification and ill effects of drought. It is a legally binding convention. UNCCD was established in 1994 to protect and restore our land a safer, just and more sustainable future. It came into force in 1996. There are 197 parties and the European Union (EU) to the convention. The UNCCD is one of the three Rio Conventions, the other two being:

1. Convention on Biological Diversity (UNCBD)
2. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

India ratified this convention in December 1996. The Nodal Ministry for the convention in India is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

7. Convention Of Migratory Species Of Wild Animals(CMS) – The convention is also known as CMS or “Bonn Convention” named after the city Bonn (West

Germany) where it was signed. The convention entered into force on 1 November 1983.

It is only global convention specialising in the conservation of migratory species, their habitats and migration routes.

Aim – The aim of the Bonn convention is to protect the Migratory species of wild animals and their habitats. The states and range states from where the migratory species pass are brought together under CMS to enable measures for their conservation and protection. India has been a party to the convention since 1983. Some of the important migratory species in India are:

- i. Amur Falcons
- ii. Bar- headed Geese
- iii. Black- necked Cranes
- iv. Marine turtles
- v. Dugongs

8. Vienna Convention– Vienna Convention is the convention for the protection of the ozone layer. It came into force in 1988 and was universally ratified by 2009.

Purpose – The purpose of the Vienna convention is to protect the ozone layer from depletion. The convention aimed to promote cooperation among nations by exchanging information on the effects of human activities on the ozone layer.

28 countries originally signed the convention on 22nd march 1985. On 16th September 2009 the convention along with the Montreal Protocol was universally ratified and thus became the first treaties in the history of the United Nations to achieve universal ratification.

Members – There are 198 members under the Vienna convention.

9. Montreal Protocol – The protocol was signed in 1987 and entered into force in January 1989. The protocol gives provisions to reduce the production and consumption of ODSs (Ozone Depleting Substances) to protect the ozone layer. It is the landmark multilateral environmental agreement that regulates the production and consumption of nearly 100 manmade chemicals referred to as ozone depleting substances (ODS). It phases down the use of ODSs in step wise, Time-bound manner. It was agreed on 26 August 1987 in Montreal, Canada and entered into force on 26 August 1989. The protocol was signed by 197 parties to control the use of ozone depleting substances, mainly chlorofluoro carbons (CFCs).

What is the Ozone layer?

It is a layer in the earth’s stratosphere that contains high levels of ozone. This layer protects the earth from the sun’s harmful radiation.

What is ozone layer Depletion?

It refers to the thinning of the ozone layer in the atmosphere. This happens when certain chemicals came into contact with the ozone and destroy it. Chemical compounds that cause ozone layer depletion are called Ozone Depleting Substances (ODSs) such that CFCs, HCFCs.

10. Basel Convention– The Basel convention on the

control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal was adopted on 22 March 1989 by the conference of plenipotentiaries in Basel Switzerland. It came into force in 1992. The Basel convention secretariat is situated in Geneva, Switzerland. There are 188 members to the convention. India ratified the Basel convention in June 1992.

What is the waste under the Basel convention?

Basel convention defines waste as something that needs to be disposed of by the provisions of the National law. Annex 1st defines hazardous waste while Annex 2nd defines the other waste in the convention.

Apart from the waste, the Basel convention also handles some topical issues like:

- i. Electronic and electrical waste such as mobile phones and computers.
- ii. Ships destined for dismantling.
- iii. Mercury and asbestos wastes.
- iv. Illegal dumping of hazardous wastes.

11. Ramsar Convention– Ramsar convention on wetlands is an intergovernmental treaty for “the conservation and sustainable use of wetlands”. The convention was signed on the 2nd February 1971 in the Iranian city of Ramsar located on the southern shore of the Caspian Sea. It came into force for India in 1982.

Ramsar Sites– Those wetlands which are of international importance are declared as Ramsar Sites.

The convention mission is the conservation and wise use of all wetlands through local and national actions and international cooperation.

Montreux Record- ‘The Montreux Record’ is a register of wetland sites on the list of wetlands of international importance where changes in ecological character have occurred, are occurring or likely to occur due to technological developments, pollution, or the human interference. At present two wetlands of India are in Montreux Record:

- i. Keoladeo National Park (Rajasthan)
- ii. Loktak lake (Manipur)

12. Rotterdam Convention– the Rotterdam convention is a multilateral treaty to promote shared responsibilities regarding the importation of hazardous chemicals. It was adopted on 10 September 1998 by a conference of plenipotentiaries in Rotterdam, Netherlands’. It came into force on 24 February 2004. The convention emphasizes the open exchange of information and requires exporters of hazardous chemicals to use proper labelling, include directions on safe handling, and inform purchasers of any known restrictions or bans.

Objective:

1. To promote shared responsibility and cooperative efforts among parties in the international trade of certain hazardous chemicals that harm human health and the environment
2. To exchange information related to the hazardous

chemicals which are traded.

India is a member of Rotterdam convention from 24th May 2005.

13. Minamata Convention – The Minamata convention is a global treaty to protect human health and the environment from the adverse effects of mercury and its compounds. The Minamata convention is named after the Japanese city of Minamata. This city experienced a severe, decades-long incidence of mercury poisoning. The convention came into force in 2007 and India ratified it in 2018.

Objective – The objective of the convention is to protect human health and the environment from anthropogenic emissions and releases of mercury and mercury compounds and it sets out a range of measures to meet that objective.

The convention covers all the aspects of the life cycle of mercury, controlling and reducing mercury across a range of products, processes and industries. This includes controls on –

- i. Mercury mining
- ii. The manufacture and trade of mercury and products containing mercury
- iii. Disposal of mercury waste

Conclusion – After studying the above conventions and protocols, it can undoubtedly be said that the provisions and goals of these conventions and protocols, if implemented with sincerity, would have been able to tackle the global environmental crisis to a great extent, but most of the developed countries have failed to fulfil the obligations imposed on them by these conventions. Due to which the whole world is facing terrible environmental problems like climate change, increasing global temperature, rising sea level, ozone depletion. Climate change is a serious challenge for humanity as a whole and if it is still not addressed, human life could be in danger in the near future. According to the 33rd Annual State of the climate report the three dominant greenhouse gases carbon dioxide, methane and nitrous oxide reached record high concentrations in 2022, and the global sea level and ocean heat content reached record highs in 2022. According to the IPCC 2023 report in 2023 global temperature rose by 1.1°C as a result of human activities. According to the world bank global warming could push an additional 130 million people worldwide below the poverty line. In the last 12 months (April 2023- March 2024) the global average temperature has been recorded 0.70°C above the 1991-2020 average. Climate change and global warming also have negative effects on a country’s economy. According to the world Meteorological Organization of the United Nations, India lost 4.2 billion \$ in 2022 due to global warming. According to ILO India is projected to lose 5.8% of working hours by 2030 due to rising temperature, which could reduce its GDP by 2.50%. As a result of climate change, problems such as reduced agriculture yields, starvation, famine, inflation etc.

can be faced by the developing countries, while developed countries are more responsible for emitting greenhouse gases. These countries have also failed to deliver on promises to provide green climate funds and clean technology transfers to poorer countries. To emerge from this global environmental crisis, we need to change our lifestyles, reduce green house gases emissions, use renewable sources of energy, emphasize coordination between economic development and environmental protection, and climate change literacy, and for this, developed and developing countries must work together in a spirit of mutual cooperation and coordination.

References:-

1. NOAA National Centers For Environmental Information, *Highlights From State Of The Climate 2022*, Noaa National Centers For Environmental Information(may31,2024,10am), <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/highlights-state-climate-2022#:~:text=Greenhouse%20gas%20concentrations%2c%20global%20sea,state%20of%20the%20climate%20report.>

2. Byju's Exam Prep, *List of Environment conventions and protocols- UPSC GS 3*, BYJUS (may24,2024,9pm), <https://byjus.com/free.ias-prep/environment-conventions-protocols.>
3. Drishti IAS, *Environmental conventions(Biodiversity)*, Drishti IAS(may26, 2024, 11am),<https://www.drishtias.com/To-the-points/papers/environmental-conventions-biodiversity#:~:text=An%20international%20environmental%20convention%20is,interests%20is%20no%20small%20feat.>
4. देवादित्यो सिन्हा, हमारी इकोनॉमी की रफ्तार पर कहीं ब्रेक ना लगा दे **बढ़ता तापमान!** दैनिक भास्कर, 12 मई, 2024, पेज न.9.

ऋग्वैदिककाल से सूत्रकाल तक का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. अमित कुमार ताम्रकार*

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - ऋग्वेद संहिता आर्यों की सबसे पहली साहित्यिक रचना है। जो उनके जीवन के आरंभिक चरण पर प्रकाश डालती है जिसमें उनके सुव्यवस्थित सामाजिक संगठन का आभास मिलता है। आर्य अपनी खानाबदोशी छोड़कर स्थायी रूप से मकान में रहने लगे थे। इन घरों में आर्यों ने एक सुखद पारिवारिक जीवन का विकास किया। उसका रूप आज भी हम अपने चारों ओर पाते हैं। आर्यों के सामाजिक जीवन की इकाई संयुक्त परिवार था। पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई था। समाज में महिलाओं की अच्छी प्रतिष्ठा थी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का समाज धीरे-धीरे जटिल होता चला गया। यह जटिलता प्रत्येक क्षेत्र में परिलक्षित हुई। धार्मिक कृत्यों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई महत्ता तथा जीवन के बदलते हुए दृष्टिकोण इस परिवर्तन के मूल में थे। सूत्रकाल तक आते-आते वर्णों का पारस्परिक विभेद अत्यधिक बढ़ गया। समाज में अस्पृश्यता का उदय हुआ। सूत्रकाल में रित्र्यों की दशा वैदिक काल की अपेक्षा हीन थी तथापि परिवार में उन्हें सम्मानित स्थान प्राप्त था।

शब्द कुंजी - ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल, सूत्रकाल, समाज, संस्कृति, विकास।

प्रस्तावना - सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात् भारत में वैदिक काल का पदार्पण लगभग 1500 ई. पू. में हुआ। ऋग्वैदिक काल का विस्तार 1500 से 1000 ई. पू. माना जाता है। उसके उपरांत अन्य वेदों सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद् पर आधारित काल अर्थात् उत्तर वैदिक काल का विस्तार 1000 से 600 ई. पू. मान्य है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, जिसका अर्थ उत्तम या श्रेष्ठ होता था। उत्तर वैदिक काल के अंत तक वैदिक साहित्य अत्यंत व्यापक एवं जटिल हो चुका था। अतः एक व्यक्ति के लिए संपूर्ण साहित्य को कण्ठस्थ कर सकना असंभव था। फलस्वरूप वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसे संक्षिप्त करने की आवश्यकता हुई। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सूत्र-साहित्य का प्रणयन हुआ। इसमें अधिक सामग्री कम शब्दों में पिरो दी गई जिससे वैदिक साहित्य को कण्ठस्थ कर सकना सरल हो गया।

सामान्यतः सातवीं या छठीं शताब्दी ई. पू. से लेकर तीसरी शताब्दी ई. पू. तक का समय सूत्र काल कहा जा सकता है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। श्रौत सूत्रों के विषय में नितांत कर्मकाण्डीय होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। गृह्य और धर्म सूत्रों का ग्रहस्थ और सामाजिक जीवन से संबंध होने के कारण अधिक ऐतिहासिक महत्व है। इन दोनों में अनेक बातें समान हैं। अंतर केवल यही है कि जहाँ गृह्यसूत्र ग्रहस्थ जीवन के नियमों का विस्तार से वर्णन करते हैं वहीं धर्मसूत्र में ये नियम संक्षेप में दिए गए हैं तथा धर्म पर विशेष बल दिया गया है।

गृह्य सूत्रों का विषय धर्म सूत्रों की अपेक्षा सीमित है क्योंकि वे केवल व्यक्ति के ग्रहस्थ जीवन एवं कर्मकाण्डों का वर्णन करते हैं। परंतु व्यक्ति के परिवार, कौटुम्बिक जीवन एवं परिवार से संबंधित है सूक्ष्माति-सूक्ष्म बातों का जितना विस्तृत वर्णन इनमें मिलता है वह विश्व के किसी भी साहित्य में

प्राप्त होना दुर्लभ है। मनुष्य के ग्रहस्थ जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण कर्तव्यों तथा कर्मों का निर्देश गृह्य सूत्रों में हुआ है।

ऋग्वैदिक साहित्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह एक सरल समाज था। इस काल के समाज का स्वरूप जनजातीय प्रकार का था। सामाजिक जीवन में जनजातीय विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। परिवार में सम्मिलित रूप से तीन-चार पीढ़ी के लोग साथ-साथ जीवन निर्वाह करते थे। इनके सामाजिक जीवन में खून का रिश्ता महत्वपूर्ण था। जो कि जनजातीय विचारों को अभिव्यक्त करता है। उत्तर वैदिक काल का समाज भी मुख्यतः जनजातीय प्रकार का था। सामान्यतः उत्तर वैदिक काल के समाज को ऋग्वैदिक काल के समाज के निरंतरता में ही देखा जा सकता है। परंतु उत्तरवैदिक काल के अंतिम दिनों विशेषकर 800-700 ई. पू. में सामान्य जनजातीय प्रभाव विघटित होना प्रारंभ हो गया था। सूत्रकाल का समाज वैदिककाल के समाज के विकसित अवस्था को परिलक्षित करता है। समाज में जनजातीय प्रभाव नहीं था अर्थात् सूत्रकाल में वैदिक समाज के संदर्भ में परिवर्तन के तत्व दृष्टिगोचर होते हैं।

ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप अस्थाई प्रकार का था। ऋग्वैदिक काल के लोग पशुचारणिक एवं घूमंतू थे। फलतः इस काल का समाज भी स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पाया था। उनके घुमंतू प्रवृत्ति के कारण ही इस काल के कबीलों की पहचान वंश से होती थी। जैसे- भरत वंश, पुरु वंश इत्यादि। उत्तर वैदिक काल का समाज स्थायित्व को प्राप्त कर लिया था। इस रूप में पूर्व काल की तुलना में परिवर्तन का तत्व स्पष्ट होता है। इस काल के समाज को क्षेत्रीय समाज की संज्ञा दी जाती है। इसलिए इस काल में कबीलों की पहचान क्षेत्र के आधार पर होना प्रारंभ हो गई। जैसे- कुरु, पांचाल इत्यादि। सूत्रकाल का समाज पूर्णतः स्थाई समाज था इस काल का समाज

राजतांत्रिक समाज को परिलक्षित करता है।

ऋग्वैदिक काल में समाज में सामुदायिक स्वामित्व एवं सामुदायिक दृष्टिकोण की अवधारणा प्रबल थी। फलतः इस काल में व्यक्तिवादी मूल्यों का विकास नहीं हो पाया था। उत्तर वैदिक काल के समाज में भी सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा निरंतर रही परंतु इस काल के अंतिम दिनों में इस अवधारणा में विघटन प्रारंभ हो गया। सूत्रकाल के समाज में सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा का विघटन हो गया था और मुख्यतः व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा का विकास हुआ। फलतः इस काल में व्यक्तिवादी मूल्यों का विकास हुआ। समाज में गणिकाओं का उद्भव इस बात को प्रमाणित करता है।

ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल दोनों ग्रामीण समाज को अभिव्यक्त करते हैं। हालांकि उत्तरवैदिक काल के अंतिम दिनों में शहरीकरण की कुछ प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। सूत्रकाल में ग्रामीण समाज के साथ-साथ शहरी समाज का भी उद्भव हुआ। 600 ई. पू. काल एवं उसके बाद के काल में भारत में द्वितीय नगरीकरण का दौर माना जाता है। इस शहरीकरण के उपरांत ही समाज में कुछ नए वर्गों का उद्भव हुआ जैसे- धोबी, नाई इत्यादि। साथ ही कुछ नए व्यवसायों का उद्भव हुआ जैसे- भोजनालय।

ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल दोनों के समाज का स्वरूप सामान्यतः समता मूलक था। समाज में भेदभाव की प्रवृत्ति कम थी। हालांकि इस काल के समाज में लैंगिक असमानता दृष्टिगोचर होती है। इन दोनों काल के समाज का विभाजन श्रमिक-कार्यकारी था। वस्तुतः यह विभाजन वर्ण भेद को न बताकर कार्य विभाजन को बतलाता है। सूत्रकालीन समाज स्पष्टतः विभेदमूलक समाज था। आर्थिक रूप से समाज में 600 ई. पू. काल और उसके बाद कुछ अभिजात्य वर्गों की उपस्थिति देखने को मिलती है। इस काल के समाज में भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति का भी विकास दृष्टिगोचर होता है। यह भी इस बात की ओर संकेत करता है कि समाज में विषमता के तत्व विद्यमान थे।

ऋग्वैदिक काल के अंतिम दिनों में वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10 वें मंडल में हुआ है। परंतु वर्ण व्यवस्था का स्वरूप कठोर नहीं था। वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप उस समय समाज में विद्यमान था वह उसके क्षैतिज स्वरूप को स्पष्ट करता है। ऋग्वेद के नौवें मण्डल में एक उल्लेख आया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक ही परिवार के लोग भिन्न-भिन्न वर्णों से संबद्ध थे। फलतः यह स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था की ही निरंतरता दृष्टिगोचर होती है। इस काल में भी वर्ण व्यवस्था का कठोर स्वरूप स्थापित नहीं हुआ था। यद्यपि इस काल के अंतिम दिनों में ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के द्वारा कुछ सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। सूत्रकाल के समाज में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप में स्थापित हुई। वर्ण का आधार परिवर्तित होकर श्रमिक के स्थान पर श्रमण हो गया। वर्ण व्यवस्था के ऊर्ध्वाधर स्वरूप की स्थापना हुई। धर्म सूत्रों में वर्ण धर्म के पालन पर बल दिया गया है। वह भी इस बात की पुष्टि करता है।

ऋग्वैदिक कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति उन्नत थी। महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक अधिकार के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। इस काल में महिलायें राजनीतिक संगठन जैसे- सभा, समिति, विद्वथ में भाग लेती थीं। इस काल में महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था और महिलायें शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में

विदुषी महिलाओं की भी चर्चा हुई है। जैसे- आपला, लोपामुद्रा, विश्ववारा, घोषा इत्यादि। इन महिलाओं ने ऋग्वेद के आठवें मंडल में विभिन्न सूक्तों की रचना की थी। उत्तर वैदिक काल में यद्यपि महिलाओं की स्थिति अच्छी बनी रही तथापि पूर्व काल की तुलना में कुछ पतन के तत्व जरूर दृष्टिगोचर होते हैं। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार से वंचित किया गया। अब वे सभा, समिति में भाग नहीं लेती थीं। उल्लेखनीय है कि सभा, समिति का स्वरूप केवल राजनीतिक नहीं था बल्कि उसका स्वरूप कुछ हद तक सामाजिक, आर्थिक एवं सैनिक था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक जीवन के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक पतन हुआ। इस काल में भी महिलाओं के संदर्भ में किसी कुप्रथा का विकास नहीं हुआ। सूत्र साहित्य विशेषकर धर्मसूत्रों से यह स्पष्ट होता है कि सूत्रकाल में महिलाओं की स्थिति में पतन हुआ। इस काल से बाल विवाह को बढ़ावा मिला। विधवा पुनर्विवाह अब संभव नहीं था। महिलाओं पर पुरुषों के अधिकार को स्थापित करने का प्रयास इस काल से प्रारंभ हो गया था।

ऋग्वैदिक काल में विवाह रूपी संगठन का विकास हो चुका था और विवाह सरल प्रकार से संचालित होता था। विवाह के संदर्भ में व्यक्ति को स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। उत्तर वैदिक काल में सगोत्र एवं सपिण्ड प्रथा का विकास हुआ। इस काल में सगोत्र एवं सपिण्ड विवाह को निषिद्ध किया गया। सूत्रकाल में विवाह के आठ प्रकार का उद्भव हुआ। इसमें से चार प्रकार के विवाह को स्वीकृत घोषित किया गया जबकि अन्य चार प्रकार के विवाह को अस्वीकृत किया गया।

ऋग्वैदिक काल में मौखिक शैक्षणिक परंपरा दृष्टिगोचर होती है। शिक्षा का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से होता था। उत्तर वैदिक काल में भी मौखिक शिक्षा की परंपरा निरंतर रही। सूत्रकाल में शिक्षा को लिखित स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार इस काल में शिक्षा के क्षेत्र में स्थायित्व का विकास दृष्टिगोचर होता है।

ऋग्वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन सरल प्रकार का था। वे प्रकृति के पुजारी थे तथा इनके पूजा का मुख्य माध्यम स्तुति गान था तथा पूजा का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में जटिलता का विकास हुआ। इस काल में कर्मकाण्ड की महत्ता बढ़ी। फलस्वरूप धार्मिक क्षेत्र में विचलित वर्ण का उद्भव हुआ। इस काल में पशुबलि को बढ़ावा मिला। धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणों की भूमिका बढ़ी। सूत्रकाल वस्तुतः एक धार्मिक आंदोलन का काल है। इस काल में ब्राह्मण धर्म की जटिलता के विरुद्ध कुछ नये वाममार्गी धर्मों का विकास हुआ। जैसे- बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय इत्यादि।

ऋग्वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन अल्पविकसित था। वे पशुपालन के द्वारा एवं सीमित कृषि के माध्यम से अपनी सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन में पूर्व काल की तुलना में कुछ विकास दृष्टिगोचर होता है। इस काल के आर्थिक जीवन में कृषि की महत्ता बढ़ी तथा व्यापार एवं शिल्प को प्रोत्साहन मिला। सूत्रकाल का आर्थिक जीवन उन्नत अवस्था को प्रदर्शित करता है। इस काल के आर्थिक जीवन में मूर्द्धिकरण को बढ़ावा मिला, व्यापार को बढ़ावा मिला, शहरीकरण को बढ़ावा मिला, कृषि अधिशेष को बढ़ावा मिला। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस काल का आर्थिक जीवन भौतिकवादी समाज के आधार को निर्मित किया।

ऋग्वैदिक काल में लोगों के दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रमाण नहीं मिलता

है। इसी प्रकार सामान्यतः उत्तर वैदिक काल में भी दर्शन का विकास दृष्टिगोचर नहीं होता है। परंतु इसके अंतिम दिनों में जब उपनिषद् की रचना हुई तो यहां से दर्शन का विकास प्रारंभ हुआ। सूत्रकाल में उपनिषद् के ही आधार पर षड्दर्शन का विकास प्रारंभ हुआ जिसका अंतिम रूप से संकलन गुप्तकाल में किया गया।

ऋग्वैदिक कालीन लोगों के सामाजिक जीवन में भाषा एवं साहित्य को भी देखा जा सकता है। लोग वैदिक संस्कृति से अवगत थे और ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी। परंतु इसे लिखित स्वरूप प्रदान नहीं किया गया था। उत्तर वैदिक काल में भी वैदिक संस्कृत के आधार पर ही अन्य तीनों वेदों, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक एवं उपनिषद् साहित्य की रचना हुई। इन साहित्यों को भी 800 ई. पू. तक लिखित रूप प्रदान नहीं किया गया था। सूत्रकाल में भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में एक विकास दृष्टिगोचर होता है। इस काल में पाणिनी के द्वारा व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की गई। जिससे वैदिक संस्कृत का और विकास हुआ। सूत्रकाल में ही सूत्र साहित्य की रचना की गई और इसे लिखित स्वरूप भी प्रदान किया गया। इससे साहित्य के क्षेत्र में बढ़ावा मिला।

वर्तमान समय में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संविधान ने सभी को एक समान अधिकार प्रदान किए हैं। महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान द्वारा समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक भेदभाव, कुरीतियों, रुढ़ियों, अस्पृश्यता, उंच-नीच एवं छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और इनको समाज से पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए कठोर कानूनी कार्यवाही एवं सजा का प्रावधान भी किया गया है। बावजूद इसके वर्तमान शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार के युग में भी मनुष्य जातिवाद, सामाजिक-धार्मिक कर्मकाण्ड, कुरीतियों, रुढ़ियों, दकियानूसी परंपराओं, छुआछूत, अस्पृश्यता, साम्प्रदायिकता इत्यादि से मानसिक रूप से ग्रसित है। महिलाओं

के साथ भेदभाव, हिंसा एवं अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज एवं संस्कृति का पश्चिमीकरण हुआ जिसने अत्यधिक भौतिकवादी जीवन शैली को बढ़ावा दिया परिणामस्वरूप भारत की परिवारिक एवं सामुदायिक जीवन शैली नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। जिसने समाज में अनेक नवीन कृत्रिम समस्याओं को जन्म दिया है। वैदिक कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों को अपनाकर इन समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। आधुनिक भारत में धार्मिक-सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी नारा दिया था श्वेदों की ओर लौटोश।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महाजन, विद्याधर, प्राचीन भारत का इतिहास, एस.चंद्र एण्ड कंपनी लि., नई दिल्ली, वर्ष 2000
2. निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, वर्ष 2001
3. झा, द्विजेंद्रनारायण एवं श्रीमाली, कृष्णमोहन, प्राचीन भारत का इतिहास, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, वर्ष 2002
4. श्रीवास्तव, डॉ. कृष्ण चंद्र, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, वर्ष 2005
5. दहीभाते, डॉ. ए. सी. एवं पारीक, डॉ. पूनम, इतिहास प्रथम वर्ष, राम प्रसाद एण्ड संस, भोपाल
6. मजूमदार, डॉ. रमेश चंद्र, प्राचीन भारत, मोतीलाल बनारसी दास, वाराणसी वर्ष 1983
7. लुणिया, बी.एन., प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, कमल प्रकाशन, इंदौर वर्ष 2001

Traditional Ecological Values of Indian Knowledge System in *The Forest of Enchantments* by Chitra Divakaruni Benerjee

Dr. Sehba Jafri*

*Asstt. Prof. , Language, Commerce & Management Dept., Saifia Science College, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract : Chitra Divakaruni Benerjee is the greatest Indian Writer on Indian Knowledge System. She is school of Indian Mythological knowledge in herself. Her writings, their flow and selection of wordings mesmerise the readers in such a way that a reader feels himself transferred in a different world. *The Forest of Enchantments* is the great example of her Indian mythical knowledge. It is not only a book to convey the unveiled knowledge of Indian Epics but it is a full set of ethics and Ecological values for what India was once the teacher of the world. The protagonist of the novel is Queen Seeta, the wife of Lord and King Ram. This book is the story of Ram in the context of Seeta, which showcases the hidden aspects of Seeta's life. One of them is Seeta as a Naturopathiest. There are lots of things in this story of Seeta till the earth from the birth which show Seeta as a daughter of nature. The present paper is a small attempt to discuss the traditional Indian ecological values expressed by Divakaruni through Seeta which are also the ecological values given by the book.

Keywords: Forest, Earth, Eco System, forestry, irrigation, architecture, ethno-biology, Medicines, plant.

Introduction - Knowledge of Nature is an old innovative art which is transferred by generation to generation. Nobody can guess its establishment date and nobody can suggest about its degradation time but it can be said with a great confidence that it helps in promoting interdisciplinary research of all aspects, It gives us the practical utility to solve the current and emerging problems and actively engages us for spreading the rich heritage of our country and traditional knowledge in every field of life. *The Forest of Enchantments* is a book full of traditional ecological knowledge. It is a recreation of The Ramayana. The Ramayana is one of the world's greatest epics but *The Forest of Enchantments* is a narrative art told by Seeta. Besides being a tragic love story, it is also a treasure house of Ecological Knowledge. Although its hero is Lord Ram still it has a shero (Brave heroine in the context of Hero) for whose brilliant and brave retelling Chitra Banerjee Divakaruni composed *The Forest of Enchantments*. She places Seeta at the centre of the novel for telling Seeta's own story in her own inimitable voice. Readers become enchanted by seeing the word sketch of Seeta's journey from the great city of Ayodhya to the forests (from where the story starts) and the jungle with her beloved husband, the exiled Ram. Besides the leading theme of Seeta's abduction by the ferocious demon king Ravan and her returning to Ayodhya with Lord Ram, the book tells us Seeta's love,

affection and knowledge of ecology as a sub theme. It highlights different aspects of Seeta as a daughter of Mother Nature. Seeta comes out from the nature, says good-bye from the lap of earth and shows her affection even with the small segment of the nature till the final, unexpected tragedy which she must undergo. Laced with Seeta's joys and sorrows, the story tells us about the forest as her best friend in her agony and her triumph. This forest testifies her heartbreak and the same forest restores her resilience in the obstacles of life. *The Forest of Enchantments*, in this way, invites the readers to look into the ecological affection of Seeta which is an ideal lesson for the lives of other women who are unknown by the Indian Knowledge system of five basic elements of their existence.

Use of Indian Knowledge System in *The Forest of Enchantments*: With a main theme of contemporary battle of wills, *the Forest of Enchantment* is the best example of Indian knowledge system. It is a system based on *Tamaso ma jyotir gamaya*, meaning thereby Indian Knowledge system is a journey from unknown to known. By using the same concept with a dilemma Divakaruni says, "Seeta's character is much more than what we understand her to be. Still, I don't know who Seeta really was". (Divakaruni-8). The writer confesses later in the book that Seeta is the incarnation of Goddess Lakshmi and because of assuming a human body, she also has many human weaknesses.

This weakness allows Seeta to become angry when Sage Vishwamitra comes to Seeta and hands over The Ramayana for criticism. Seeta, with a great Indian rhetoric answers furiously : “It is good in lyrical beauty with melodious words..but ... But did you not know what happened to me when I was sitting alone in the dark under the tree?” (Divakaruni- 8)

This Indian Knowledge System teaches us the science of survival by using the Vedic concept of *The PanchaMahayajnas*. It is made up by *Brahma, Daiva, Pitra, Bhoot and AtithiYajna*. The meaning of life, according to this concept, is to use these elements for the protection and inspiration of human life. Divakaruni transforms all these elements one by one in her writing and re-creates the ancient story in such a wonderful way that despite the tragic ending of Ram-Seeta’s love story nobody hates Ram. The readers try to find out the divine aspects of Ram and start seeing *Brahama* in it.

Divakaruni, beside all the elements of Indian knowledge system, does not ignore the *AtithiYajna*. ‘Chitra Banerjee Divakaruni does justice to the guest appearance women of Ramayana who have always been neglected due to ignorance. These ladies invokes Chitra as the divine guests and continuously say as “Write our story too, we have been despised and misunderstood, we have been blamed, we have been forgotten, we have been condemned..” (Divakaruni- 14). Then the Chitra welcomes their guest appearance and replies them as, “Yes, I will definitely write your story because without your story my own story cannot be complete.” (Divakaruni- 14,20).

The Forest of Enchantments is, thus, not just a retelling of a much-told epic; rather it is a book that re tells Indian Knowledge System in story genre with a balanced and non-judgmental view.

Traditional Ecological Values: This book has a classic-creation of Chitra Divakaruni in showcasing the traditional ecological values. It has love for nature; it has a feeling of joy by the marvellous touch of the earth; it has a simplicity of a folk singer stood under the tree in the silence of dark forest; it has a rhythm of a flowing river. It teaches the lesson of love for nature. The novel starts with the tender description of Seeta’s morning walk in his palace-garden. She is roaming around the gorgeous garden of King Janak. Her bare feet are experiencing the soft touch of hue, passing by the grass. She was worried about the low flowering of gracious Gronhus and the charming Champaks. She cares for the sick plants, touches them with tender love, digs the roots for proper watering and the plants become healthy. It shows great ecological values Seeta have from her childhood. She suddenly recalls Ram’s first appearance for *Swyamwar* and use to sing like blowing wind, blushes like the pomegranates in her father’s garden and her heart aches with joy in a doubtful dilemma. She asks herself with a deep sigh, “ Will this prince/ with eyes shining /like a mountain pond/ take my heart too?” (Divakaruni- 21).

People use to call her Goddess Exotica (Van Devi).

When the Novel opens the readers see that Seeta had a specific power to know about the medicinal plants. Whenever she used to touch any plant she could understand its healing power. She could easily recognize the medicinal plants and she was able to understand different species of the plant kingdom, with all their medicinal parts like whose flowers, fruit-parts, leaves, roots, stems, or seed are directly used or used in some preparation as a medicine to treat a condition or disease.

Seeta’s knowledge of the beneficial properties of medicinal plants to treat diseases represents a valuable resource to preserve the biological and cultural diversity of different ethnicities and it provokes the readers to respect the plant kingdom. The Forest of Enchantments is one of the simplest and most beautiful retelling to teach the ecological values to the students.

‘Chitra Banerjee Divakaruni does not only search the nature’s example in the beautiful things and conditions, but also when she obeys *Vashishtya* to write her own *Barah Khadi*. She chooses red colour and in behalf of Seeta, she writes: “ I selected red ink to write my biography.....red is the colour of menstrual blood, womb blood and finally the colour of my most favourite flowers.” ‘Chitra Banerjee Divakaruni turns the Ramayana around by telling it in the voice of Seeta ... This inversion is a gift – it presents us a with a way to know an already well-known story better and to love an already beloved story more’. (Sattar 112). She turned the Traditional Ramayan with beautiful ecological value and also explained important thing along with a love story that how nature has a connection with human beings. Seeta loves Naturopathy. She likes to create medicines by plants , she talks to plants in her own way. She is a master of Ethno-biology. Forestry like all Indian ladies is her inborn talent, she wants to see a talking monkey and prohibits the army to make harm to plants. She wants to irrigation, architecture, Biology. Thus the work is ‘A work...of pluralities and possibilities with traditional ecological values.’

Conclusion: The book is full of lots of r traditional ecological rituals which teaches us stuff of Indian knowledge system. There is a mantra in Atharvaveda which literally expresses the pain of the earth in the present era-”Yattebhoomevikhanaami, kshipramtadapirohatu./Ma temarmavimrigvari, ma tehridyamarpipaam. Atharvaveda 12.1.35

Whatever part of the earth we dig, we should fill it again soon. Do not harm the heart and vital places of the earth under any circumstances. But who is following these principles today? In the blind race of selfishness, everyone wants treasure, even if its price has to be paid by the destruction of the entire environment. Today, due to our own crimes, nature has become distorted, the fierce form of Shiva is eager to destroy the creatures in terrible forms like famine, flood, epidemic, earthquake, tsunami. All the efforts being made to live life seem insufficient. Today’s

scientists have accepted in their minds that the abandonment of ancient thoughts has given birth to the present tragedies. So, the book in this scenario of destruction, teaches us nature still has a lot left to offer, even though we have not been able to become good children of the Earth, its motherly nature still wants to protect us.

References:-

1. Pandit, N. (2016). Indian patent act- What to know as health professional? *Journal of Integrated Health Sciences*,4(1),1.<https://doi.org/10.4103/2347-6486.240038>
2. Pardo-de-Santayana, M., &Macía, M. J. (2015). Biodiversity: The benefits of traditional knowledge. *Nature*, 518(7540), 487–488. <https://doi.org/10.1038/518487a>
3. Pretty, J., &Smith, D. (2004). Social capital in biodiversity conservation and management. *Conservation Biology*, 18(3), 631–638. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2004.00126.x>
5. Reo, N. J. (2011). The Importance of Belief Systems in Traditional Ecological Knowledge Initiatives *International Indigenous Policy Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.18584/iipj.2011.2.4.8>
7. Ryser, B. R. C. (2012). Indigenous and Traditional Knowledge. *Encyclopedia of Sustainability*.
8. Berkshire 122 Castle Street Great Barrington, MA 01230, 5, 1–15.
9. Ryser, R. C. (2011). Indigenous Peoples and Traditional Knowledge. *The Berkshire Encyclopaedia of Sustainability: Ecosystem Management and Sustainability*, 204–210.
10. Schick, A., Sandig, C., Krause, A., Hobson, P. R., Porembski, S., &Ibisch, P. L. (2018). People-CenteredandEcosystem-Based Knowledge Co-Production to Promote Proactive Biodiversity Conservation and Sustainable Development in Namibia. *Environmental Management*, 62(5), 858–876. <https://doi.org/10.1007/s00267-018-1093-7>
12. Secretariat of the Convention on Biological Diversity. (2006). *Global Biodiversity Outlook 2*: Convention on Biological Diversity. <https://www.cbd.int/doc/gbo/gbo2/cbd-gbo2-en.pdf>
14. Sen, S., & Chakraborty, R. (2014). Traditional Knowledge Digital Library: A distinctive approach to protect and promote Indian indigenous medicinal treasure. *Current Science*, 106(10), 1340–1343. <https://doi.org/10.18520/cs/v106/i10/1340-1343>
16. Sattar.Arshia, *The Critical Review: Sitayan* .EMU Press: New York (2004) 112
17. Shantanu Das, DipikaGogoi, S. S. D. (2014). Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act, 2001. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 3(11), 2139–2141.
18. Siebenhuner, B., Dedeurwaerdere, T., & Brousseau, E. (2005). Introduction and overview to the special issue on biodiversity conservation, access and benefit-sharing and traditional knowledge. *Ecological Economics*, 53(4), 439–444. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2004.12.012>
20. Siebenhüner, B., Dedeurwaerdere, T., & Brousseau, E. (2005). Introduction and overview to the special issue on biodiversity conservation, access and benefit-sharing and traditional knowledge. *Ecological Economics*, 53(4), 439–444. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2004.12.012>
22. UNEP.(2010). *Traditional Knowledge and the Convention on Biological Diversity*. 1(514), 1–5. <https://www.cbd.int/doc/publications/8j-brochure>
24. Venkataraman, K. (2009). India’s Biodiversity Act 2002 and its role in conservation. *Tropical Ecology*, 50(1), 22–30.
25. Wallington, T. J., Hobbs, R. J., & Moore, S. A. (2005). Implications of Current Ecological Thinking for Biodiversity Conservation/ : a Review of the Salient Issues. *Ecology and Society*, 10(1).
26. ZSI. (2013). *Zoological Survey of India Annual Report 2011-2012*. In Director, Zoological Survey of India.
27. Goswami, K. (2020). *Tamaso ma jyotir gamaya: from darkness, lead me to light*. *Research and Humanities in Medical Education*, 7, 136–137. Retrieved from <https://www.rhime.in/ojs/index.php/rhime/article/view/330>

Impact of Performance Appraisal Systems on Employee Motivation: A Comparative Study of State Bank of India and HDFC Bank

Dr. B.M.S. Bhadauria* Diksha Mishra**

*Prof. & Head (Commerce) Govt. M.L.B. Girls' P.G. Autonomous College, Bhopal (M.P.) INDIA

** Asst. Prof. (Commerce and Management) Saifia Science College, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract : This study explores the impact of performance appraisal systems on employee motivation through a comparative analysis of the State Bank of India (SBI) and HDFC Bank. Performance appraisal is a crucial tool in assessing employee performance, providing feedback, and influencing motivation levels. The research highlights key differences between the public and private sector banks' appraisal mechanisms and their effect on employee morale, productivity, and job satisfaction. While HDFC Bank's structured, reward-linked appraisals lead to higher motivation and engagement, SBI's appraisal system faces challenges like delayed feedback and lack of recognition, resulting in lower employee motivation. The study suggests that for both banks, refining appraisal processes to include timely feedback, clear performance metrics, and aligning appraisals with career development can significantly enhance employee motivation. The findings provide valuable insights for both public and private sector banks to optimize their appraisal systems and foster a more motivated and productive workforce.

Keywords : Performance Appraisal, Employee Motivation, State Bank of India, HDFC Bank, Public Sector Banks, Private Sector Banks, Employee Engagement, Job Satisfaction, Reward Systems.

Introduction - Employee motivation is a fundamental element that determines the efficiency and productivity of an organization. Motivation influences not only individual performance but also the collective performance of teams and the organization as a whole. In the competitive landscape of the banking sector, where employees operate in a high-pressure environment, ensuring that the workforce remains motivated is crucial for delivering consistent results, maintaining high service standards, and achieving organizational goals. Among various factors that influence employee motivation, the performance appraisal system plays a pivotal role. It serves as a tool for evaluating employee performance, providing feedback, recognizing achievements, and aligning individual performance with organizational objectives.

This research paper delves into the impact of performance appraisal systems on employee motivation through a comparative analysis of two leading banks in India—State Bank of India (SBI) and HDFC Bank. The choice of these two banks is significant as they represent contrasting organizational structures and approaches toward employee management. SBI, as a public sector bank, has a more traditional and stable framework, with an emphasis on job security, seniority-based promotions, and standardized appraisal procedures. On the other hand,

HDFC Bank, a private sector bank, has a dynamic and performance-driven culture that emphasizes merit-based appraisals, rewards, and career advancement opportunities.

Performance appraisal systems are designed to assess employees' achievements, strengths, and areas for improvement while setting clear expectations for the future. When implemented effectively, these systems can serve as powerful motivators by recognizing and rewarding employee efforts, providing developmental feedback, and facilitating career growth. However, poorly designed or mismanaged appraisal systems can have adverse effects, leading to demotivation, dissatisfaction, and even high employee turnover. Therefore, understanding the role of performance appraisal systems in motivating employees is of paramount importance, especially in the context of the banking industry, where attracting and retaining skilled personnel is essential for sustaining competitive advantage. This research aims to explore and compare how performance appraisal systems in SBI and HDFC Bank influence employee motivation. SBI's performance appraisal system traditionally emphasizes seniority and tenure, which, while providing stability, may not always reward high-performing employees adequately. This can result in a lack of motivation among ambitious employees who seek

recognition and faster career progression. In contrast, HDFC Bank's performance appraisal system is more aligned with a meritocratic approach, rewarding employees based on their performance outcomes, contributions, and potential for future growth. Such a system is likely to foster a culture of high performance, but may also create a competitive environment that could be perceived as stressful by some employees.

The comparative study aims to identify the strengths and weaknesses of the appraisal systems at SBI and HDFC Bank, and how these systems impact employee motivation differently. The research will focus on various dimensions of performance appraisals, such as fairness, transparency, frequency of feedback, developmental opportunities, and linkages to rewards and career advancement. The study will also consider employee perceptions of the appraisal systems and their effects on motivation, job satisfaction, and overall performance.

Meaning of motivation and types:

Motivation is a psychological concept that refers to the internal and external factors that stimulate and drive an individual's behavior, actions, and persistence toward achieving a goal. It is the force that initiates, guides and sustains behavior, influencing how individuals think, feel, and act. Motivation can be driven by various needs, desires, or goals, ranging from basic physical needs (e.g., food and safety) to higher-level psychological needs (e.g., self-esteem, recognition, and personal growth).

Motivation can be classified into two main types:

1. Intrinsic Motivation: This is the motivation that comes from within an individual. It is driven by personal satisfaction, interest, or enjoyment of a task. People who are intrinsically motivated engage in an activity for its own sake because they find it rewarding or fulfilling

2. Extrinsic Motivation: This type of motivation is influenced by external factors such as rewards, recognition, or avoidance of punishment. People who are extrinsically motivated perform activities to earn rewards or avoid negative outcomes.

Need of the study: The study is essential to understand how performance appraisal systems impact employee motivation in distinct organizational contexts, specifically in public sector (SBI) and private sector (HDFC Bank) banks. It aims to evaluate the effectiveness, fairness, and transparency of appraisal systems and their influence on employee satisfaction, retention, and performance. By comparing these two banks, the research identifies the strengths and limitations of each system, offering insights for optimizing appraisal practices. The findings will guide policymakers and HR professionals in developing appraisal systems that better motivate employees, enhance productivity, and contribute to organizational success.

Objectives of the Study-The main objectives are :

1. To assess the role of motivation in enhancing employee performance at the State Bank of India and HDFC

bank.

2. To analyze the relationship between appraisal systems and employee motivation.
3. To compare the motivational strategies employed by both banks
4. To analyze how appraisals impact rewards and career advancement opportunities.

Research Methodology: This study employs a **descriptive research design** based on secondary data to analyze the impact of performance appraisal systems on employee motivation in SBI and HDFC Bank. The methodology includes:

1. Data Sources: Secondary data is collected from annual reports of SBI and HDFC Bank, published research papers, industry reports, theses, dissertations, official bank websites, and news articles related to employee motivation and appraisal practices.

2. Data Analysis: A **comparative analysis** approach is used to identify the differences and similarities between the performance appraisal systems of both banks. **Content analysis** is employed to extract relevant patterns, themes, and trends from the collected data.

The study is limited to secondary data, which may not fully capture real-time employee perceptions. The findings are specific to SBI and HDFC Bank and may not be generalizable to other banks. The methodology provides a structured framework to evaluate the effectiveness of performance appraisal systems in motivating employees in both public and private sector banks.

Review of Literature: The impact of performance appraisal systems on employee motivation has been a topic of significant research and debate in human resource management. Performance appraisals are instrumental in providing feedback, identifying developmental needs, and establishing a basis for reward distribution. When implemented effectively, they can enhance employee motivation, job satisfaction, and overall organizational performance. This section reviews previous research papers and theses on the subject, with a specific focus on comparative studies between public and private sector banks, such as the State Bank of India (SBI) and HDFC Bank, to understand how appraisal systems affect employee motivation in different organizational contexts.

1. Performance Appraisal Systems and Employee Motivation: Multiple studies have established that performance appraisal systems can serve as either a motivator or demotivator, depending on how they are perceived and implemented within an organization. According to Gupta and Kumar (2014), an effective performance appraisal system enhances employee motivation by providing clarity in goal setting, establishing clear expectations, and offering constructive feedback. Their research, conducted on a sample of employees from various banking institutions, found that employees who perceive the appraisal system as fair and transparent are

more likely to experience higher levels of motivation and job satisfaction.

Similarly, Mishra and Dixit (2016) explored the impact of appraisal systems on employee motivation in the Indian banking sector. Their study found that banks with comprehensive and structured appraisal systems that linked performance evaluations to rewards, promotions, and career development experienced lower levels of employee dissatisfaction and higher levels of motivation. This finding suggests that the effectiveness of performance appraisal systems depends not only on the design of the system but also on its integration with other HR processes such as compensation and career advancement.

2. Comparative Analysis of Performance Appraisal Systems in SBI and HDFC Bank: The contrast between public and private sector banks is well-documented in the literature, with several researchers highlighting the distinct approaches to performance appraisals in these organizations. Singh and Sharma (2018) conducted a comparative study of the performance appraisal systems in SBI and HDFC Bank. Their findings indicated that SBI, being a public sector bank, follows a traditional, seniority-based appraisal system that prioritizes tenure and consistency over merit. While this approach ensures stability and job security, it may not adequately motivate high-performing employees seeking rapid career growth and recognition. The study found that many SBI employees felt undervalued and unappreciated despite their contributions, which negatively affected their motivation levels.

In contrast, HDFC Bank employs a performance-driven appraisal system that emphasizes merit, individual contributions, and potential for future growth. This system, which is more aligned with the private sector's emphasis on competitiveness and performance, was found to positively impact employee motivation. Employees at HDFC Bank reported higher satisfaction with the appraisal process, feeling that their efforts were recognized and rewarded appropriately. However, the study also noted that the intense focus on performance at HDFC Bank could lead to stress and burnout for some employees, indicating that while motivation is higher, it comes at a potential cost to employee well-being.

3. Fairness and Transparency in Performance Appraisals: The perceived fairness and transparency of the appraisal process significantly influence its effectiveness in motivating employees. According to the study by Khan and Jain (2017), transparency in the appraisal process is crucial in gaining employee trust and acceptance. Their research, conducted on employees from SBI and HDFC Bank, revealed that HDFC Bank's appraisal system is perceived as more transparent and fairer due to its emphasis on objective performance criteria, regular feedback, and a well-defined grievance handling mechanism. In contrast, SBI's appraisal system was

criticized for its lack of transparency and reliance on subjective assessments by supervisors, which led to perceptions of bias and favoritism.

The study by Khan and Jain also highlighted the role of communication in appraisal systems. Employees at HDFC Bank reported receiving regular updates and feedback on their performance, which allowed them to align their efforts with organizational goals. SBI employees, on the other hand, felt that they were not adequately informed about the appraisal criteria or outcomes, leading to confusion and dissatisfaction.

4. Impact on Employee Motivation and Job Satisfaction: The relationship between performance appraisals, motivation, and job satisfaction has been explored extensively in the literature. Kumar and Mishra (2019) found that the effectiveness of appraisal systems in motivating employees is contingent on how appraisal outcomes are linked to rewards and recognition. Their study on Indian banks, including SBI and HDFC Bank, revealed that employees who felt that the appraisal outcomes were fairly linked to promotions, bonuses, and career development opportunities were more motivated and satisfied with their jobs.

Further, the research by Singh (2020) indicated that appraisal systems that focus on employee development rather than merely evaluating past performance tend to have a more positive impact on motivation. Singh's study found that HDFC Bank's appraisal system, which includes developmental components such as identifying skill gaps and providing training opportunities, was more successful in enhancing employee motivation compared to SBI's appraisal system, which is more focused on performance evaluation and administrative decisions.

5. Challenges and Limitations in Performance Appraisal Systems: Despite the potential benefits of performance appraisal systems, several challenges can hinder their effectiveness. Studies by Sharma and Roy (2018) have pointed out that the complexity and rigidity of appraisal systems in public sector banks like SBI can create a sense of complacency among employees, as promotions and rewards are often based on tenure rather than performance. This, in turn, reduces the motivational impact of the appraisal system.

On the other hand, private sector banks like HDFC Bank face challenges related to intense competition and high-performance expectations. The appraisal system at HDFC Bank, while motivating high performers, can also create a cut-throat environment that leads to stress and job dissatisfaction for employees who are unable to meet high-performance standards.

Why performance appraisal is essential for increasing motivation?

A performance appraisal system is essential for enhancing employee motivation as it offers structured feedback, recognizes individual contributions, and aligns personal

performance with organizational goals. Through regular assessments, employees gain insight into their strengths and areas for improvement, which fosters a sense of personal and professional development. Additionally, appraisals often lead to rewards, promotions, or training opportunities, making employees feel valued and incentivized to perform better. By setting clear expectations and providing continuous feedback, performance appraisals boost morale, drive productivity, and create a more engaged and motivated workforce.

Impact of performance appraisal on motivation :

Performance appraisal has both positive and negative impacts on employee motivation.

Positive Impact: When conducted effectively, it boosts motivation by recognizing employees' efforts, providing constructive feedback, and aligning their goals with organizational objectives. This leads to increased job satisfaction, a sense of accomplishment, and opportunities for career growth through promotions or rewards. It also enhances engagement and encourages employees to improve their skills.

Negative Impact: Conversely, poorly managed appraisals can demotivate employees by creating bias, unfair evaluations, or unrealistic expectations. Negative feedback without guidance can lower self-esteem, lead to resentment, and ultimately result in decreased productivity and higher turnover rates.

Scope of the study : The scope of this study includes analyzing the role and effectiveness of performance appraisal systems in influencing employee motivation at SBI and HDFC Bank. It aims to identify the key factors that differentiate appraisal processes in public (SBI) and private (HDFC) sector banks and how these factors impact employee morale, productivity, and job satisfaction. The study covers various aspects such as appraisal methods, feedback mechanisms, reward systems, and career development opportunities. By highlighting these differences and their effects, the research offers insights for both banks to enhance their appraisal systems and develop strategies that foster a more motivated and engaged workforce.

Conclusion: The review of literature on the impact of motivation on employee performance in the State Bank of India and HDFC Bank reveals significant differences in motivational strategies and their outcomes. Research consistently shows that HDFC Bank employees are more motivated by performance-based incentives, career growth opportunities, and recognition, which lead to higher levels of engagement and performance. On the other hand, SBI's focus on job security and fixed salaries satisfies basic needs but falls short in providing the motivators that drive high performance. The comparative studies indicate that private sector banks like HDFC Bank have developed more effective motivational strategies that align employee performance with organizational goals, whereas public

sector banks like SBI rely on traditional approaches that may not fully harness the potential of their workforce...At HDFC, a private sector bank, appraisals are more frequently linked to rewards, career advancement, and skill development, leading to higher employee motivation and productivity. State Bank of India's public sector framework often encounters challenges like bureaucracy and delayed feedback, which can reduce motivation. To enhance employee performance, both banks should focus on refining their appraisal systems to ensure fairness, transparency, and effective communication.

Suggestion: To enhance the impact of performance appraisal systems on employee motivation at SBI and HDFC Bank, both organizations should adopt a more transparent and consistent appraisal approach. **For the State Bank of India,** it is essential to streamline the process, reduce bureaucratic delays, and ensure that appraisals are conducted fairly and based on clear performance criteria. Implementing a structured feedback mechanism and linking appraisal outcomes to tangible rewards such as promotions, incentives, or professional development opportunities can boost employee morale and motivation. **For HDFC Bank,** while the existing system is effective, it can be further improved by incorporating a more holistic approach. This can include regular mentorship programs and personalized growth plans based on appraisal feedback. Additionally, both banks should focus on training managers to provide constructive and unbiased feedback, fostering a positive environment that encourages continuous improvement. Emphasizing open communication and aligning individual and organizational goals will ensure that performance appraisals effectively motivate employees and contribute to overall business success.

References :-

1. Chaudhary, K., (2019). Employee Retention and Motivation in Public and Private Banks: A Comparative Analysis of SBI and HDFC Bank. *Journal of Organizational Studies*, Vol. 7, No. 4, ISSN: 2347-6231.
2. Ghosh, P., (2017). Overcoming Motivational Barriers in Public Sector Banks: A Case Study of SBI. *Banking and Finance Journal*, ISSN: 2278-3457. Vol. 9, No. 1
3. Konda Reddy, P., (2004). Motivation Leadership A study of LIC and Commercial bank branches in Nellore district, PhD thesis, Sri Venkateswara University.
4. Kumar, A., (2018). Impact of Motivation on Employee Performance: A Comparative Study of Public and Private Sector Banks in India. PhD Thesis, Jawaharlal Nehru University.
5. Mehta, S., (2019). Motivational Strategies in Indian Public and Private Sector Banks: A Comparative Study of SBI and HDFC Bank. PhD Thesis, Delhi University.
6. Pardhasaradi, R., (2007). Employees Motivation in the banking sector A case study of India west Godavari region AP. PhD thesis, Andhra University.

7. Raj, M., (2020). Employee Motivation in Private Sector Banks: A Study of HDFC Bank. Master's Thesis, Indian Institute of Banking & Finance.
8. Sharma, P., (2021). How HDFC Bank Achieves High Employee Performance Through Effective Motivation. Journal of Business and Economic Policy, ISSN: 2375-0766, Vol. 6, No. 2
9. Singh, A., (2018). The Role of Motivation on Employee Performance in the Indian Banking Sector: A Comparative Study. International Journal of Management Research, ISSN: 2455-450X, Vol. 10, No. 2.
10. Verma, S. and Kumar, R., (2020). Motivational Practices and Their Impact on Employee Satisfaction in SBI and HDFC Bank. Journal of Banking & Financial Management, ISSN: 2231-013X, Vol. 8, No. 3.

Websites:-

1. <https://www.verywellmind.com>
2. <https://positivepsychology.com>
3. <https://positivepsychology.com>
4. <https://www.irjmets.com>

जनजातीय क्षेत्रों में मौसमी पलायन के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन (अलीराजपुर जिले के संदर्भ में एक अध्ययन)

सज्जनसिंह मोर्य*

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीराजपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - ऐसा देखने में आया है कि सर्वाधिक औद्योगिक मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी होते हैं। अतः वे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए ही औद्योगिक शहरों की ओर जाते हैं और अक्सर पाते ही वे अपने मूल ग्रामीण परिवार की ओर चले जाते हैं। किन्तु फिर से आर्थिक परिस्थितियाँ उन्हें औद्योगिक शहरों की ओर जाने को मजबूर करती है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे श्रमिकों की औद्योगिक कार्य में रुचि नहीं उत्पन्न हो पाती है।
शब्द कुंजी - मौसमी पलायन, जनजातीय क्षेत्र

प्रस्तावना - भारत सरकार के आँकड़ों के अनुसार देश की 140 मिलियन ग्रामीण निर्धन जनसंख्या काम की तलाश में नगरों, उद्योगों एवं खेतों की ओर जाते हैं। ये पलायन करने वे लोग हैं, जो निर्माण, विनिर्माण, सेवाओं एवं कृषि क्षेत्र में आकस्मिक काम के लिए सदैव उपलब्ध रहते हैं। यह जनसंख्या भारत के असंगठित एवं अनौपचारिक कार्यबल का हिस्सा है, जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में एवं शहरी, औद्योगिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कार्य के स्थानों एवं सेवाओं और अधिकारों से बाहर रखा गया है। निर्धनता एवं मजदूरी, अनिश्चित रोजगार, और खतरनाक काम की स्थिति एवं आवश्यक सेवाओं की कमी प्रवासी मजदूरों के अनुभव को परिभाषित करती है। भारत में सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँच निवास के प्रमाण से जुड़ी हुई है, जो प्रवासियों के पास है, इसके फलस्वरूप सब्सिडी वाले खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य देखभाल एवं स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध अन्य लाभों से वे वंचित हो जाते हैं। ग्रामीण मौसमी प्रवासी नगरों में मतदान करने में असमर्थ होते हैं, जो उनके अधिकारों को अलग कर देता है। परिणामतः प्रवासी हाशिये आ जाते हैं अर्थात् प्रवासी श्रमिक निर्माण स्थलों, ईंट के भट्टे या नगरों की सीमाओं पर प्रदूषित विनिर्माण क्षेत्रों में जीवन-यापन करते रहते हैं।

शोध विषय का चयन - मौसमी पलायन के कारण जनजाति वर्ग के पलायन करने वाले लोगों पर मौसमी पलायन के क्या प्रभाव हुए हैं ? इस महत्वपूर्ण बिन्दु को ध्यान में रखकर ही ही 'मौसमी पलायन करने वाली अनुसूचित जनजाति के परिवारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन (अलीराजपुर जिले के विशेष संदर्भ में)' नामक शोध विषय का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. जनजाति वर्ग के लोगों पर मौसमी पलायन के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन करना।

अध्ययन का महत्व एवं क्षेत्र - जनजाति वर्ग के परिवारों द्वारा मौसमी पलायन किए जाने पर आधारित इस शोध कार्य का महत्व एवं प्रासंगिकता यह है कि इस शोध के माध्यम से यह स्पष्ट हो सकेगा कि जनजातीय परिवारों

के जीवन पर मौसमी पलायन से क्या प्रभाव पड़ता है?

निर्दर्शन प्रक्रिया - मौसमी पलायन करने वाली अनुसूचित जनजाति के परिवारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन से संबंधित इस शोध कार्य में निर्दर्शन प्रक्रिया इस प्रकार से अपनाई गई है-

1. **अध्ययन के समग्र** - अध्ययन के समग्र के रूप में मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले की 05 तहसीलों में पलायन करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों को शामिल किया गया है।

2. **अध्ययन की इकाई** - समग्र में से अध्ययन की इकाई के रूप में अलीराजपुर जिले की 05 तहसीलों में पलायन करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों में से कुल 150 परिवारों का चयन किया गया है।

उत्तरदाताओं का चयन - शोध कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं का चयन शोध कार्य के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर **सोद्देश्य प्रतिचयन विधि** से किया गया है। शोध कार्य के लिए उत्तरदाताओं के रूप में जिले की 05 तहसीलों में पलायन करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों में से कुल 150 परिवारों का चयन किया गया है। उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जिले की प्रत्येक तहसील से कुल 30 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इस प्रकार जिले से कुल 150 (5 x 30) उत्तरदाताओं का चयन अध्ययन की इकाई के रूप में किया गया है।

आँकड़ों का संकलन - इस शोध कार्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक आँकड़ों एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

आँकड़ों के संकलन के स्रोत - इस शोध कार्य के लिए प्राथमिक आँकड़ों का संकलन अध्ययन क्षेत्र से चयनित उत्तरदाताओं से साक्षात्कार-अनुसूची के माध्यम से किया गया है। वहीं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन विभिन्न मानक पुस्तकों, शोध-प्रबंध एवं लघु शोध प्रबंध, विभिन्न शोध पत्र एवं पत्रिकाओं, विभिन्न विभागों के प्रकतवेदनों, भारत की जनगणना-2011, अलीराजपुर जिले की सांख्यिकी पुस्तिकाओं, शासकीय तथा अशासकीय विभागों की अधिकृत वेबसाइट्स से प्राप्त आँकड़ों एवं अभिलेखों के आधार पर किया गया है।

इस प्रकार संकलित किए गए प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण एवं सारणीकरण के बाद में तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए, जिसके आधार पर शोध कार्य की प्रतिपूर्ति की गई है।

अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

1. **शासकीय योजनाओं के आर्थिक-सामाजिक प्रभावों के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश उत्तरदाताओं आर्थिक-सामाजिक स्थिति पर शासकीय योजनाओं का प्रभाव पड़ता है।
2. **शासकीय योजनाओं से मौसमी पलायन में कमी आने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के ज्यादातर उत्तरदाताओं के अनुसार शासकीय योजनाओं से मौसमी पलायन में कमी नहीं आई है।
3. **सामाजिक कार्य/त्यौहार पर मौसमी पलायन से वापस आने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाता सामाजिक कार्य/त्यौहार पर मौसमी पलायन से वापस आ जाते हैं।
4. **सामाजिक कार्य/त्यौहार के बाद वापस जाने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाता सामाजिक कार्य/त्यौहार के बाद पलायन स्थल पर वापस चले जाते हैं।
5. **मौसमी पलायन से संस्कृति पर प्रभाव होने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** मौसमी पलायन से उत्तरदाताओं की संस्कृति प्रभावित नहीं होती है।

6. **मौसमी पलायन की अवधि में समस्याएँ होने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** सर्वाधिक उत्तरदाताओं को मौसमी पलायन की अवधि में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

7. **मौसमी पलायन की अवधि में समस्याओं के प्रकार के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** मौसमी पलायन की अवधि में सर्वाधिक उत्तरदाताओं को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है।

उपसंहार - उपर्युक्त विवेचन एवं निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के जनजातीय आधिक्य अलीराजपुर जिले के मौसमी पलायन करने वाले परिवारों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति पर शासकीय योजनाओं का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने के बाद भी उनकी संस्कृति पर मौसमी पलायन का कोई प्रभाव नहीं होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत की जनगणना-2011
2. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका-अलीराजपुर।
3. शुक्ल, एस.एम., सहाय, एस.पी. (2005) सांख्यिकीय के सिद्धांत, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा (उ.प्र.)।
4. सिंह, श्यामधर (1982), वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर (म.प्र.)।

किशोर बालक-बालिकाओं में फास्ट फूड के प्रति अभिरूचि का अध्ययन (दमोह शहर के संदर्भ में)

डॉ. आराधना श्रीवास*

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो अपने में एक पूर्ण अवस्था हैं। किशोरावस्था के सम्बन्ध में यह पूर्णता परम्परागत विश्वास रहा है कि किशोरावस्था विकास की एक आन्तरिक अवस्था है। इस अवस्था में बालक के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों में परिवर्तन प्रौढावस्था की दिशा में होते हैं। आधुनिक युग में आज किशोरावस्था के अन्तर्गत भौतिक परिपक्वता के साथ-साथ मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, स्वास्थ्य पर भी अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था में बालक-बालिकाओं में एक नयापन दिखायी देता है। हमारा अपना देश हो या संसार का कोई भी देश किशोरावस्था को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह सत्य है कि बच्चे देश की नींव है, इस नींव का सृजन उसकी माँ एवं परिवार के अन्य सदस्यों पर आधारित होता है। वही किशोरावस्था में आकर बच्चे स्वयं का अच्छा बुरा सोचना प्रारम्भ कर देते हैं। किशोर बालक एवं बालिकाओं के जीवन में फास्ट-फूड की भूमिका अहम होती जा रही है क्योंकि यह उन्हें न केवल स्वादिष्ट भोजन प्रदान करते हैं बल्कि एक नई प्रकार की स्वतंत्रता और मनोरंजन का स्रोत भी बन गया है। प्रस्तुत अध्ययन में दमोह शहर के संदर्भ में किया गया है। जिसमें किशोर बालक-बालिकाओं की फास्ट-फूड की पसंदगी का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना - फास्ट-फूड वे भोज्य पदार्थ हैं जो बाजार से ही हमें अर्धनिर्मित अवस्था में मिलते हैं इसलिये इन्हें बनाने में कम समय लगता है। फास्ट-फूड में कार्बोज व वसा की मात्रा अधिक पायी जाती है इसमें विटामिन व मिनरल्स नहीं पाये जाते हैं अर्थात् शरीर को इनके पोषण प्राप्त नहीं होता है, फास्ट-फूड भी स्ट्रीट फूड के अन्तर्गत ही आते हैं। इन्हें चायनीज फूड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे- पिज्जा, बर्गर, पावभाजी चाउमिन आदि। किशोर बालक-बालिकाओं द्वारा फास्ट-फूड को किशोर बालक-बालिकाओं के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। किशोर बालक-बालिकाओं के बीच फास्ट-फूड के प्रति पसंदगी के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि यह उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। फास्ट-फूड सस्ता और सुलभ होता है, जो प्रायः किशोर बालक-बालिकाओं के सीमित बजट के अनुरूप होता है। इसके अतिरिक्त फास्ट-फूड के विविध प्रकार और फ्लेवर उन्हें आकर्षित बनाते हैं जो उन्हें घर के पारंपरिक भोजन से हटकर कुछ नया प्रदान करते हैं। किशोर बालक-बालिकाएँ अपने मित्रों के साथ फास्ट-फूड का आनंद लेते हैं। यह एक सामाजिक गतिविधि बन चुकी है। यह किशोर बालक-बालिकाओं के सामाजिक जीवन का हिस्सा बन चुका है।

फास्ट-फूड किशोर बालक-बालिकाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की कमी होती है, जबकि इसमें अस्वास्थ्यकर फैट और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है। इस प्रकार, किशोरों में मोटापा, उच्च रक्तचाप और डायबिटीज जैसी बीमारियों के विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। छोटे शहरों में पोषण संबंधी जागरूकता की कमी होने के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जहाँ माता-पिता और शिक्षक भी इस बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं। इस हेतु किशोर और किशोरियों को इस

प्रकार के अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के सेवन के प्रति जागरूकता करना और उन्हें संतुलित आहार की जानकारी प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य से संबंधित इन समस्याओं के बावजूद, स्ट्रीट फूड का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं है। यह भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक सामुदायिक अनुभव भी है।

ब्राउन 1979 में बताया कि अमेरिका में किशोर भोजन में पोषक तत्व व ऊर्जा ग्रहण करते हैं जबकि लड़कियाँ कार्बोहाइड्रेट व ऊर्जा बहुत कम लेती हैं। लौह तत्व दोनों ही कम मात्रा में ग्रहण करते हैं।

डॉ. श्रीमती कोठारी के अनुसार 2003 में अपने शोध कार्य में बताया कि किशोरावस्था अनुभवों का समय है जिसमें किशोर विभिन्न समस्याओं के उपस्थित होते हुए भी बचपन से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है व अपने जीवन के विभिन्न पहलू के लिए अवधारणा को स्थापित करता है किशोरावस्था में किशोर व किशोरियाँ अपने आहार के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं अधिक कार्यभार मेहनत एवं तनाव का होना व कम मात्रा में आहार एवं पोषक तत्व लेना उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

किशोर व किशोरी अपने भोजन चयन में पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं वे जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसके प्रति अपनी एक निश्चित रुचि या अरूचि होती है जिसके कारण भोजन सम्बन्धी आदतें विकसित होती हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है और किशोर किशोरियाँ भी इस नियम से प्रभावित होती हैं इसलिए ये समय के साथ-साथ इनकी भोज्य आदतें भी प्रभावित होती हैं जिसके अन्तर्गत भोजन सम्बन्धी, प्रवृत्ति, प्रकृति, भोजन में भोज्य समूह का प्रयोग तथा विशिष्ट अवसर पर ग्रहण किये जाने वाले भोजन को सम्मिलित करते हुए यह ज्ञात हुआ है कि उन पर भोजन के प्रति अरूचि व रुचि का भोजन सम्बन्धी आदतों पर प्रभाव पड़ता है।

अध्ययन के उद्देश्य- प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नानुसार है।

1. पारम्परिक भोजन की अपेक्षा किशोर एवं किशोरियाँ फास्ट-फूड के सेवन को अधिक पसंद करते हैं।
2. किशोर वर्ग फास्ट-फूड सेवन में दूसरों का अनुकरण करते हैं।

प्राक्कल्पना- प्रस्तुत अध्ययन की प्राक्कल्पना निम्नानुसार है।

1. फास्ट-फूड के उपयोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को जानना।
2. किशोर एवं किशोरियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना।
3. किशोर एवं किशोरियों में फास्ट-फूड के प्रति पसंदगी को जानना।

अध्ययन की विधि- प्रस्तुत अध्ययन दमोह शहर के संदर्भ में किया गया। जिसमें 150 किशोर एवं 150 किशोरियों को लिया गया। किशोर एवं किशोरियों की आयु 17 से 21 वर्ष थी। शोध के उद्देश्य व समकों की प्रकृति को ध्यान में रखकर आवश्यक सांख्यिकी का प्रयोग किया गया। समकों का संकलन प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया गया। किशोर व किशोरियों का चयन दैव निदर्शन विधि के द्वारा किया गया।

व्याख्या एवं विश्लेषण-

अभिरूचि युक्त भोजन

क्र.	अभिरूचि युक्त भोजन	किशोर बालक		किशोर बालिकाएँ	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	पारम्परिक भोजन	30	20	40	26.67
2	फास्ट-फूड	120	80	110	73.33
	कुल	150		150	

किशोर बालक-बालिकाओं के द्वारा किस प्रकार के भोजन को पसंद किया जा रहा है कि जानकारी को संकलित किया गया है। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 150 किशोर बालकों में से 30 (20) प्रतिशत पारम्परिक भोजन एवं 120(80) प्रतिशत किशोर फास्ट-फूड में रुचि रखते पाये गये। 150 किशोर बालिकाएँ 40 (26.67) प्रतिशत पारम्परिक भोजन एवं 110 (73.33) प्रतिशत किशोरियाँ फास्ट-फूड में रुचि रखती पायी गयी।

फास्ट-फूड का स्वास्थ्य पर प्रभाव

क्र.	फास्ट-फूड का स्वास्थ्य पर प्रभाव	किशोर बालक		किशोर बालिकाएँ	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	अच्छा	30	20.00	20	16.67
2	बुरा	105	70.00	105	70.00
3	पता नहीं	15	10.00	25	13.33
	कुल	150		150	

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 30 (20.00) प्रतिशत किशोर

बालक व 20 (16.00) प्रतिशत बालिकाओं को यह ज्ञात है कि फास्ट-फूड का स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 105 (70.00) प्रतिशत किशोर बालक 105 (70.00) प्रतिशत किशोर बालिकाओं को यह ज्ञात है कि फास्ट-फूड का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 15 (10.00) किशोर बालक एवं 25 (13.33) प्रतिशत किशोर बालिकाओं को यह ज्ञात है कि फास्ट-फूड का स्वास्थ्य पर प्रभाव की जानकारी ही नहीं थी।

निष्कर्ष- वर्तमान समय में आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव किशोर और किशोरियों पर समान रूप से पड़ा है इसीलिये आधुनिक खाद्य पदार्थ फास्ट-फूड के प्रति रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है एक ओर जहाँ किशोर अपने मित्र समूह अपनी व्यस्ततम जीवनशैली व आधुनिकता के चलते फैशनेबल फास्ट-फूड का सेवन करती है क्योंकि वह घर का एक प्रकार का भोजन करते-करते बोर हो जाते हैं इसलिये वह फास्ट-फूड को अधिक पसंद करते हैं। किशोर बालक व बालिकाओं को यह ज्ञात नहीं होता कि वह फास्ट-फूड के माध्यम से व अधिक मात्रा में वसा व उच्च ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। जो उनमें मोटापा, हृदय रोग व तनाव जैसी भयानक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं।

सुझाव- किशोरावस्था में किशोर बालक व बालिकाओं की शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जिससे उनकी पौषणिक आवश्यकता बढ़ जाती है यदि इस समय किशोर बालक व बालिकाओं द्वारा सही मात्रा में संतुलित आहार व आवश्यक पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण आदि का सेवन किया जाना चाहिये। किशोर वर्ग द्वारा भोजन पूर्ण आराम से व बैठकर लिया जाना चाहिये न कि जल्दबाजी में किशोर वर्ग द्वारा आहार में उच्च ऊर्जा और प्रोटीन, वसा, खनिज लवण जैसे कैल्शियम, आयरन, विटामिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, एस्कार्विक अम्ल आदि शामिल किया जाना चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. डॉ. त्रिपाठी अपूर्वा, 'किशोर एवं किशोरियों में फास्ट-फूड के प्रति बढ़ते आकर्षण का अध्ययन', पेज नं. 55.-56.
2. डॉ. कोठारी नंदनी व सिंह प्रगति, फास्ट-फूड का किशोरों के पोषण स्तर पर प्रभाव समाजिक सहयोग, मार्च 2004।
3. श्रीवास्तव अर्चना स्वास्थ्य, भोजन एवं स्वास्थ्य विज्ञान अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा 2010।
4. पीपुल्स समाचार मंगवाल, 11 जनवरी 2011।
5. तेज लाईफ स्टाइल कहीं धीमा न कर दें आपका जीवन, 9 मार्च 2010 पत्रिका।

आदिवासी सामाजिक कला एवं परंपराएं

डॉ. एम. एल. अवाया*

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, संधवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आदिवासी शब्द दो शब्दों से 'आदि' और 'वासी' से मिलकर बना है 'आदि' का शाब्दिक अर्थ प्रारंभ या शुरू होता है एवं 'वासी' का अर्थ 'निवास करने वाला' होता है अर्थात् जो प्रारंभ या शुरू से निवास करता हो, अर्थात् आदिवासी का शाब्दिक अर्थ 'मूलनिवासी' होता है। आदिवासी, Aboriginal (एबोरिजिनल) शब्द का हिंदी अनुवाद है जिसका प्रयोग:- किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिसका उस भौगोलिक क्षेत्र से पुराना संबंध हो। अर्थात् यह कहा जाता है कि आदिवासी ही किसी देश के मूल निवासी होते हैं भारत में आदिवासी समुदाय का संवैधानिक नाम (Constitution name of Tribal Community) अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) है जिसे संक्षिप्त में अ.ज.जा. या (ST) कहा जाता है।

भारत की जनसंख्या का 8-6% लगभग 10 करोड़ जितना एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। पुरातन लेखों में आदिवासियों को 'आदिवासी' कहा गया। महात्मा गांधी ने आदिवासियों को 'गिरिजन' अर्थात् पहाड़ पर रहने वाले लोग कहकर पुकारा है। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए 'अनुसूचित जनजाति' पद का उपयोग किया गया है। भारत में आदिवासियों को प्रायः जनजातीय लोग के रूप में जाना जाता है आदिवासी मुख्य रूप से भारतीय राज्यों में उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में बहुसंख्यक व गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में यह बहुसंख्यक है जैसे- मिजोरम। भारत सरकार ने इन्हें भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची में 'अनुसूचित जाति' एवं 'जनजाति' में रखा जाता है। चंदा समिति ने सन 1960 में अनुसूचित जातियों के अंतर्गत किसी भी जाति को शामिल करने के लिए 5 मानक निर्धारित किया। भौगोलिक:- एकांकपन, विशिष्ट संस्कृति, पिछड़ापन, संकुचित स्वभाव एवं आदिम जाति के लक्षण आदि। भारत में 461 जनजातियां हैं जिसमें से 424 जनजातियां भारत के 7 क्षेत्र में बटी हुई हैं। भारत के प्रमुख आदिवासी आंध्र, गोंड, मुंडा, खड़िया, बोडो, कोल, भील, सहारिया, संस्थाल, मीणा, उराव, लोहारा, वित्थोर, पारधी, असुर, टाकणकार आदि हैं।

किसी भी संस्कृति के उद्गम के विषय में जानने और समझने में वांछित परंपरा की उस विधा से आधारभूत सहायता मिलती है आदिवासी कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारतीय ग्रामीण सभ्यता का दुर्भाग्यवश आदिवासी कलाओं का कोई क्रमिक इतिहास आज उपलब्ध नहीं है सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले कला अवशेषों को यदि भारतीय आदिवासी कला

के प्राचीनतम नमूने माना जाए तो उसके बाद इनका प्रामाणिक उल्लेख 20वीं सदी के मध्य से मिलना आरंभ होता है कुछ अंग्रेजी विद्वानों ने भारतीय देशज कलाओं का सविस्तार उल्लेख किया है इस संबंध W.G. आर्चर, डॉ. वैरियर एल्विन, स्टैला क्रैमरिश एवं श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय के नाम प्रमुख हैं, जिनके सघन अध्ययनों से भारतीय आदिवासी कला आज विश्व कलाजगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सकी है। यह तो निश्चित है कि भारत में मिले प्रागैतिहासिक गुफाचित्र या शैलचित्र वर्तमान आदिवासियों के पूर्वजों द्वारा किया गया कलाकर्म है। जंगलों के घटने एवं बढ़ते शहरीकरण ने आदिवासियों को ग्रामीण हिंदू संस्कृति के नजदीक ला दिया और परिणाम स्वरूप आदिवासियों के निराकार देवी - देवता और अनगढ़ पत्थरों लकड़ी, पत्थरों एवं मिट्टी की बनी प्रतिमाएं उनके देव स्थानों में विराजमान हो गईं आदिवासी अपने सामान्य उपयोग की वस्तुएं तो स्वयं बना लेते थे परंतु उनमें इतनी तकनीकी दक्षता नहीं थी कि वे भट्टी जलाकर मिट्टी एवं धातु की प्रतिमाएं, आभूषण एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं बना सकें अतः उन्होंने ग्रामी व्यावसायिक जातियों के शिल्पियों को अपना लिया। यह शिल्पी व्यावसायिक जातियों जैसे:- लोहार, कुम्हार, धातु-शिल्पी, सुनार आदि जनजाति बहुल क्षेत्रों में आदिवासी समाज का अभिन्न अंग बन गयी।

जनजातियों की सांस्कृतिक परंपरा और समाज संस्कृति पर विचार की एक दिशा यहां से भी विचारणीय मानी जा सकती है। मानव विज्ञानियों और समाजशास्त्र के अध्येताओं ने विभिन्न जनजातीय समुदायों का सर्वेक्षण मूलक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया है और उसके आधार पर विभिन्न जनजातियों के विषय में सूचनाओं के विशद कोश हमें सुलभ हैं।

मध्यप्रदेश की प्रमुख आदिवासी परंपराएं – जनजाति किसी भी ऐसे ऐसे स्थानीय समुदायों के समूह को कहा जाता है जो एक सामान्य भू भाग पर निवास करता हो एक सामान्य भाषा बोलते हो और एक सामान्य संस्कृति का व्यवहार करता है। आदिवासी अपने स्वभाव से ही कलाप्रिय होते हैं। नृत्य-गान तो जैसे उनके खून में ही शामिल होता है। वे अपने शरीर, घर और उपयोगी वस्तुओं को बहुत ही कलात्मक ढंग से सजाते सवारे हैं। मध्यप्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद एवं खंडवा, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, जिले के निवासी कोरकू, बरेला, भिलाला, पेटालिया आदिवासी अनाज रखने की कोठिया बनाने में दक्ष होते हैं जिसमें गेहूं, ज्वार, मक्का और अन्य अनाज का संग्रह करते हैं।

1. मध्यप्रदेश के मंडला, डिंडोरी जिले के अगारिया, गोंड आदिवासी अपने घर की बाहरी दीवारों को मिट्टी से बनाए गए उभारदार भित्ति अलंकारों से

सजाते हैं।

2. झाबुआ एवं धार जिले में रहने वाले भील एवं भिलाला आदिवासियों द्वारा दीवारों पर अंकित किए जाने वाले पिठौरा चित्र मुख्यतः पुरुषों द्वारा चित्रित किए जाने वाले पिठौरा देव अनुष्ठानों में सम्बद्ध होते हैं। झाबुआ एवं धार जिलों में रहने वाले भील एवं भिलाला आदिवासियों द्वारा दीवारों पर अंकित किए जाने वाले टाटलू चितार, भित्ति चित्र मुख्यतः स्त्रियों द्वारा बनाए जाने वाले इन चित्रों का व्यावसायिक तौर पर दोहन होना अभी आरंभ नहीं हुआ है। पीठौरा यह एक मनौती पर्व है किसी घर पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आने पर मनाया जाता है पीठौरा त्यौहार में भील लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में किसी भी प्रकार का संकट न आए तथा घर धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्ध रहे। इस त्यौहार में सभी प्रकार के जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं जब चित्र को बनाते हैं उस समय पुजारा घूमता है और रातभर यह क्रम चलता रहता है और चित्र दीवार पर बनाए जाते हैं साथ ही सुबह सुबह जो जवाई (दामाद) बकरा लाते हैं उसकी बलि दी जाती है।

3. गोदना :- गोंड, भारिया, कोरकू व बैगा जनजाति में अंग चित्र पर उकेरने की विशेष कला है इस कला में नुकीले उपकरण द्वारा चुभा-चुभा-कर शरीर पर गोदा जाता है इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग मालवण (वृक्ष) की छाल का रस अर्जुन, बेहड़ा आदि वृक्षों की छाल के रंगों को घोलकर तैयार किया जाता है।

4. श्योरपुर एवं मुरैना जिलों में रहने वाले सहरिया आदिवासी अपने घर सजाने हेतु सुंदर भित्ति अलंकरण बनाते हैं जिन पर वे विभिन्न रंग भी बनाते हैं।

5. मध्यप्रदेश गोंड, बैगा, सहरिया एवं भील आदिवासियों में शरीर पर गुदना चित्र बनाने की प्रथा है स्त्री एवं पुरुष दोनों ही गुदना चित्र बनवाते हैं।

6. मंडला एवं जबलपुर में गोंड आदिवासियों द्वारा बनाए जाने वाले अनुष्ठानिक मृणाशिल्प जिनमें घोड़े एवं बैल की आकृतियां तथा धार, झाबुआ में कुम्हारों द्वारा भील, भिलाला आदिवासियों के लिए अनुष्ठानिक मृणाशिल्प

जिनमें भैंस, बकरी, गाय, उंट, बिल्ली, ठाठो आकृतियां तथा दैनिक उपयोग के लिए बनाए जाने वाले बर्तन आदि सम्मिलित है।

7. नवाई पर्व :- नवाई पर्व आदिवासी समाज अपने सामाजिक जीवन में बृहद सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं, रीति रिवाज और त्योहारों को समेटे हुए हैं इस दृष्टि में आदिवासी समाज एक समृद्ध समाज हैं इस इस समृद्ध समाज में एक त्यौहार नवाई पर्व मनाया जाता है जैसा कि नाम से स्पष्ट है वर्षा ऋतु में नई फसल आने के खुशी में विशिष्ट पूजा अर्चना द्वारा संपन्न की जाती है तत्पश्चात ही नई फसलों का उपयोग किया जाता है।

निष्कर्ष:- अब यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि आदिवासी परंपरा धार्मिक या सामाजिक अभिव्यक्तियों के पार अपने सौंदर्यबोध एवं शैलीगत विशेषताओं के कारण समाज में बहुत बड़े भाग में अपनी पैठ बना चुकी है और समाज में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य कुछ लोगों ने भी जिसने बहुत बड़ा युवा वर्ग भी सम्मिलित है इन्होंने परंपरा को विस्तृत रूप से जानना शुरू किया और अपने शैली के भीतर रहकर प्रयोग करना भी प्रारंभ कर दिया है स्वयं सिद्ध है कि कलाकार भी अपने परिवेश के बदलते घटनाक्रम और बाजारवाद के चलते अपने आप को अछूता नहीं रख सका और यही वजह है कि कलाकार कभी ना कभी इसे भी अभिव्यक्त करने से नहीं चुकता।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हीरालाल, मध्यप्रदेश का इतिहास।
2. नीमच डिस्ट्रिक्ट गजेटियर।
3. डॉ. गुलनाज तवर : बारेला जनजातीय (जीवन और संस्कृति)।
4. आनंद कुमार पांडे : मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
5. डॉ. शिव कुमार तिवारी, श्रीकमल शर्मा, म.प्र. की जनजातियां समाज एवं व्यवस्था।
6. महेश कुमार वर्णवाल : मध्यप्रदेश एक अध्ययन।

अनुसूचित जातियों की राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं निर्णय निर्माण में भागीदारी: मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में

डॉ. रमन प्रकाश* लाल कुमार साकेत**

* एसोसिएट प्रोफेसर (भूगोल) भारतीय महाविद्यालय, फर्रुखाबाद, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) भारत

** शोधार्थी (भूगोल) भारतीय महाविद्यालय, फर्रुखाबाद, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – किसी भी क्षेत्र में विकास के दो आयाम होते हैं। वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ आयाम जीवन की गुणवत्ता को इंगित करता है तथा व्यक्तिनिष्ठ आयाम जीवन के मूल्यों, सोचने के तरीके, आत्मविश्वास स्तर और दक्षता शामिल होते हैं। इन दो आयामों के आधार पर विभिन्न समुदायों के लोगों के विभिन्न पहलुओं में देखे जा सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति की राजनीति के विभिन्न स्तरों पर उनकी भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता है। विशेषकर स्थानीय चुनावों के संदर्भ में। अनुसूचित जाति समूह लंबे समय तक सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों से वंचित रहे हैं। अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। इस अध्ययन में पाया गया है कि ये वर्ग राजनीतिक भागीदारी में प्रगति बनाई है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वे जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। इस अध्ययन में चुनौतियां भी उजागर हुई हैं, जिनका उन्हें सामना करना पड़ रहा है, जैसे भागीदारी की कमी, भेदभाव और संसाधनों तक सीमित पहुंच। लेकिन इन चुनौतियों को समाप्त करने के लिए राजनीति भागीदारी, साथ-साथ सामाजिक न्याय, समानता के लिए नीतियों और योजनाओं को सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। जिससे इस समुदाय की राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं निर्णय-निर्माण में भागीदारी बढ़ सके।

शब्द कुंजी – राजनीतिक भागीदारी, अनुसूचित जाति, निर्णय-निर्माण, चुनाव वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ सामाजिक न्याय।

प्रस्तावना – भारतीय समाज एक विषम समाज है, जिसमें लोग विभिन्न जातियों और समुदायों में निवास करते हुए जीवन यापन करते हैं प्राचीन काल में भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जहां वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, वहीं अगले क्रम में क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र थे। हालांकि शुरुआती काल में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, धीरे-धीरे यह जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई। इस व्यवस्था में उनके कर्म के अनुसार उन्हें अलग-अलग अधिकार व कर्तव्य दिए गए थे। उस काल में वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रहे शूद्रों को सबसे कम अधिकार प्राप्त थे। कई अधिकारों, जैसे-राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि के निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। उनके उपयुक्त अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इस समुदाय का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पतन होता गया। ये समाज अन्य समाजों की तुलना में अधिक पिछड़ गया।

‘अनुसूचित जाति’ शब्द एक राजनीतिक-संवैधानिक शब्द है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले साइमन कमीशन ने 1927 में किया था। इसके बाद, यह शब्द भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रयोग में आया। स्वतंत्रता उपरांत, अनुसूचित जाति शब्द को संविधान में इस उद्देश्य से शामिल किया गया कि उन्हें कुछ संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा प्रदान की जा सके। अनुसूचित जातियों को भारतीय जाति व्यवस्था में केवल एक जाति नहीं है, बल्कि यह शब्द समाज के पीड़ित और उपेक्षित वर्ग को इंगित करता है। इस वर्ग के लोगों को लंबे समय से उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और यहां तक की राजनीतिक रूप से भी शोषण किया गया है। इनकी दयनीय स्थिति और सामाजिक स्थिति को सुधारने के

लिए भारत सरकार ने स्वयं 1931 की जनगणना में इनकी पहचान और सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति शब्द को कहीं भी विधिवत परिभाषित नहीं किया गया है। इस शब्द का आंशिक उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, साथ ही, जहां वह राज्य है, वहां के राज्यपाल के परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा ऐसी जातियां या जनजातियां या उनके हिस्से या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 (24) में उल्लेख किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची से किसी जाति, नस्ल या जनजाति को सम्मिलित या विवर्जित कर सकती है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों को उन लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो भारत सरकार (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में शामिल है।

इस शोध पत्र में सामान्य तौर पर यह जांचने का प्रयास किया गया है कि अनुसूचित जातियां वास्तव में स्थानीय समुदाय की राजनीतिक प्रक्रिया और निर्णय निर्माण में कितना भागीदारी दर्शा रही हैं? क्या यह राजनीतिक भागीदारी उनमें आत्मविश्वास पैदा कर रही है और उनकी दक्षता को बढ़ा रही है? इन सभी मुद्दों का अनुसूचित जाति के विशेष संदर्भ में मध्यप्रदेश में स्थानीय स्तर पर अन्वेषण किया गया है।

शोध के उद्देश्य:


1. अनुसूचित जातियों की राजनीतिक क्षेत्र में वर्तमान भागीदारी की स्थिति का पता लगाना।

2. अनुसूचित जातियों में राजनीतिक भागीदारी और जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु सुझाव देना।

आंकड़ों का स्रोत व कार्य प्रणाली - प्रस्तुत शोध में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, जिसे सरकार के प्रकाशनों, आदेशों आदि को इंटरनेट के माध्यम से अन्वेषण करके प्राप्त किया गया है। मध्यप्रदेश में हुए 2022 में स्थानीय जिला पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। आंकड़ों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्गीकृत व सारणीबद्ध किया गया है। मैपिंग के लिए आर्क जीआइएस तथा क्यू जीआइएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र - मध्यप्रदेश देश में एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति रखता है। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह प्रदेश हृदय प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश के 55 जिले हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार 21°6' से 26°30' उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरिय विस्तार 74°9' से 82°48' पूर्वी देशांतर के मध्य है। मध्य से 23°30' कर्क रेखा गुजरती है, जो मध्यप्रदेश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। भारतीय मानक समय रेखा 82°30' डिग्री भी मध्यप्रदेश की सिंगरौली जिले से गुजरती है।

मध्यप्रदेश का स्थानिक मानचित्र



चित्र संख्या : 1


मध्य प्रदेश जनसंख्या श्रेणीवार (प्रतिशत में)

श्रेणी/वर्ग	जनसंख्या (प्रतिशत में)
ओबीसी	42
एससी	15.6
एसटी	21.9
सामान्य	20

इस प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई 605 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व लंबाई 870 किलोमीटर है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 है। यह एक भू-आवेशित राज्य है, जो क्रमशः पांच राज्यों, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पूर्व में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है, जिसकी कुल आबादी 7,26,26,809 है। प्रदेश प्रशासनिक रूप से 55 जिलों और 428 तहसीलों में विभाजित किया गया है। कुल आबाद ग्रामों की संख्या 54,903 तथा 22,8,12 ग्राम पंचायतें

तथा 51 जिला पंचायत हैं। यह एक पठारी राज्य है, जिसकी जलवायु मानसूनी प्रकार की है।


राजनीति में अनुसूचित जातियों की भागीदारी - 1930 के दशक के शुरुआती काल तक अनुसूचित जातियों का सरकार पर या यूं कहें कि इन जातियों का राजनीति में कोई प्रभाव नहीं था। डॉ. बी. आर. अंबेडकर के नेतृत्व में अनुसूचित जातियों की राजनीतिक शक्ति और सामाजिक न्याय के लिए संगठित आंदोलन के बाद, ब्रिटिश सरकार ने इन जातियों की समस्याओं पर कुछ विचार किया। डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने स्थानीय स्वशासन में अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए सांप्रदायिक अवार्ड और पृथक निर्वाचन मंडल की पेशकश का कांग्रेस और महात्मा गांधी ने पुरजोर विरोध किया। इसके विरोध में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। कांग्रेस और गांधी जी का मानना था कि यदि उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया तो अनुसूचित जातियां उनके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। बाद में, पृथक निर्वाचन मंडल को वापस ले लिया गया। इसके विकल्प के रूप में संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। इन राज्यों ने अनुसूचित जातियों को इस प्रावधान के तहत चुने जाने में सक्षम बनाया और इस प्रकार उनके समुदाय की समस्याओं को विधानसभा मंडल में आवाज दी। स्वतंत्रता उपरांत, भारत ने प्रजातांत्रिक सरकार के रूप को अपनाया। भारतीय संविधान ने भारतीय जनता में संप्रभुता निहित की। **संसद तथा राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व** - भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सीटों की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता के पश्चात, केंद्र तथा राज्य सरकारों ने अलग-अलग कानूनों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु प्रतिबद्धता प्रकट की। अब विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में इन वर्गों की भागीदारी दृष्टिगोचर होती है। वर्तमान में, भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग की राजनीति के बिना कोई दल विजय हासिल नहीं कर सकता। दलित वर्ग भारतीय राजनीति में अपने आप को प्रतिस्थापित करने का भरपूर प्रयास कर रहा है और वह इसमें बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की है।



चित्र संख्या : 2

उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में अनुसूचित जातियां राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल कर रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उनकी भागीदारी अच्छी कहीं जा सकती है। वर्तमान में दलित राजनीति अपने अलग तेवर में दिख रही है। जिन राज्यों या जिन क्षेत्रों में

इनकी आबादी 20% से अधिक है, वहां कम से कम कुछ महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं। वे विभिन्न स्तर पर, चाहे वह पंचायत स्तर हो या जिला स्तर या फिर विधानसभा, अपनी स्थिति दर्ज करा रहे हैं। राजनीति में भागीदार बनकर मुद्दों को प्रस्तावित किए, निर्णय-निर्माण में भाग लिया, अपनी समस्याओं को प्रखरता से उठाया और कुछ हद तक मुद्दों को अपने पक्ष में करने में सक्षम रहे। उन्होंने भूमि, ऋण, स्वरोजगार और सब्सिडी जैसी सुविधाओं का उपयोग किया है। यह पूरी जटिल संरचना उनकी बदलती भागीदारी, दक्षता और आत्मविश्वास में योगदान कर रही है, क्योंकि उन्होंने अन्य उच्च जातियों द्वारा उनके खिलाफ किए गए अन्याय का भी मुकाबला किया है।




चित्र संख्या :3

संसद में मध्यप्रदेश के लिए कुल 40 सीटों का प्रावधान किया गया है, जिसमें लोकसभा की 29 तथा राज्यसभा की 11 सीटें प्रस्तावित की गई हैं। प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों में से 4 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए निम्न लोकसभा सीटें आरक्षित हैं- उज्जैन, देवास, भिंड, टीकमगढ़। मध्यप्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटों में से 82 सीटों पर अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु आरक्षित हैं, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए 35 सीटों का आरक्षण है। इसका विवरण इस प्रकार है-

तालिका संख्या :1

(अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

जिला पंचायत स्तर पर अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व - किसी भी समाज का स्थानीय स्वशासन में भागीदारी उसके राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास को प्रतिबिंबित करती है। प्रदेश के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अति महत्वपूर्ण होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिले की नीति निर्माण में भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अतः जहां जिस वर्ग के उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर हैं, वहां उस वर्ग की प्रभुत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। मध्यप्रदेश में कुल 52 जिला पंचायत हैं, जिनमें कुल 52 जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रावधान है। जिला पंचायत अध्यक्षों में 22 सीटों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। इसमें से 8 सीटों पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 26 सीटें सामान्य वर्ग के लिए रखी गई हैं।



चित्र संख्या :4

तालिका संख्या :2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

निष्कर्ष - प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सीटें आरक्षित करने से अनुसूचित जातियों का राजनीतिक और निर्णय निर्माण में भागीदारी मात्रात्मक तथा गुणात्मक रूप से बढ़ी है। उनकी दक्षता और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इस जागरूकता और आत्मविश्वास में संख्यात्मक शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती प्रतीत होती है। शिक्षा व अन्य व्यावसायिक क्षेत्र में भी उनकी प्रतिशतता बढ़ी हुई देखी जा सकती है। यह बढ़ी हुई प्रतिशतता सामाजिक समानता की प्राप्ति की दिशा में अग्रसरता को दिखाती है। भले ही, अनुसूचित जातियां व अन्य दुर्बल वर्गों का आरक्षण के प्रभाव से राजनीति में भागीदारी बढ़ी हो, लेकिन अभी यह लगभग आरक्षण तक ही सीमित है। यदि वास्तविकता में हम चाहते हैं कि उनकी भागीदारी वास्तव में बढ़े, तो हमें अभी बहुत अधिक दूरी तय करनी है। उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीति तथा शैक्षिक उत्थान के लिए बहुआयामी प्रयास करने होंगे, ताकि उनका बहुमुखी कल्याण हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, जे. दलित्स इन हरियाणा पॉलिटिक्स, इकोनामी एंड पॉलीटिकल वीकली, 1997
2. सिंह, डी.आर. लीडरशिप अमोंग शेड्यूल कास्ट चुघ पब्लिकेशन, प्रयागराज, 1985
3. पर्वधम्मा, सी. तथा नरेन. न्यू हरिजनस फॉर शेड्यूलड कास्ट, आशीष पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 1984
4. आहूजा, राम. इंडियन सोशल सिस्टम, रावत पब्लिकेशन, 1999
5. जनगणना, भारत सरकार, 2011
6. कुमार, प्रमिला. मध्यप्रदेश: एक भौगोलिक अध्ययन, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2015
7. चौहान, बी.आर. पेपर प्रेजेंटेशन इन नेशनल सेमिनार बाई डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी, उदयपुर, अक्टूबर, 30, 31, 1993
8. खान, मुमताज अली. शेड्यूल कास्ट्स एंड देयर स्टेट्स इन इंडिया, उत्पल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, 1980
9. राय, रामाश्रय. दलित डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
10. जायसवाल, सुविरा, वर्ण जाति व्यवस्था, ग्रंथ शिल्पी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
11. कुमार, रविंद्र. इंपैक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड शेड्यूलड कास्ट, अनमोल पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 2002

तालिका संख्या - 1: मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति से संबंधित वोट जनसंख्यिकीय विवरण

विधानसभा (एससी के लिए आरक्षित)	एससी (वोट%)	विधानसभा (एससी के लिए आरक्षित)	एससी (वोट%)	विधानसभा (एससी के लिए आरक्षित)	एससी (वोट%)
देवसर	15.56	घाटिया	30.12	अशोक नगर	23.25
परासिया	15.5	जतारा	27.8	करेरा	21.99
अमला	17.6	सरवेर	24.11	खंडवा	14.97
महेश्वर	19.02	नरयावली	25.52	अबांह	24.89
गोटेगांव	22.47	हटा	21.59	बेरसिया	22.13
बीना	23.25	सांची	19.16	आलोट	22.93
गुनौर	24.47	भांडेर	27.75	आगर	23.52
पिपरिया	15.74	चंदला	27.95	मल्हारगंज	20.73
तराना	30.33	गोहद	26.78	गुना	18.09
रायगांव	22.95	सोनकच्छ	25.12	जबलपुर (पं)	18.92
आरथा	29.61	मनगवा	18.24	सारंगपुर	19.78

तालिका संख्या - 2 : मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची श्रेणीवार

जिले के नाम	आरक्षण की स्थिति	जिले के नाम	आरक्षण की स्थिति	जिले के नाम	आरक्षण की स्थिति
अलीराजपूर	एसटी	कटनी	एससी	डिंडोरी	एसटी
अगरमलवा	अनारक्षित	खरगोन	अनारक्षित	दतिया	अनारक्षित
अनुपपूर	अनारक्षित	मंडसौर	ओबीसी	धार	अनारक्षित
अशोक नगर	अनारक्षित	मंडला	एसटी	देवास	एससी
बुरहानपुर	एसटी	नीमच	अनारक्षित	दमोह	ओबीसी
भिंड	अनारक्षित	सागर	अनारक्षित	ग्वालियर	एससी
बड़वानी	एसटी	सिवनी	एससी	नरसिंहपुर	एसटी
बालाघाट	अनारक्षित	सतना	एसटी	निवाड़ी	अनारक्षित
बैतुल	अनारक्षित	शहडोल	अनारक्षित	पन्ना	अनारक्षित
भोपाल	ओबीसी	श्योपुर	अनारक्षित	रीवा	एसटी
छतरपुर	अनारक्षित	सिंगरौली	एसटी	रतलाम	एससी
गुना	ओबीसी	सीधी	अनारक्षित	रायसेन	अनारक्षित
हरदा	एसटी	शाजापुर	ओबीसी	राजगढ़	अनारक्षित
नर्मदापुरम	एसटी	सीहोर	अनारक्षित	उज्जैन	अनारक्षित
इंदौर	एसटी	शिवपुरी	अनारक्षित	उमरिया	एसटी
जबलपुर	एसटी	टीकमगढ़	अनारक्षित	विदिशा	अनारक्षित
खण्डवा	एसटी	छिंदवाडा	एससी	झाबुआ	अनारक्षित
मुरैना	एसटी				

भारत में अंतरंगी व्यापार कैसे खत्म करें?

रिचा अग्रवाल*

* शोधार्थी, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – अंतरंगी व्यापार आज के समय में नहीं बल्कि कई सालों से काफी प्रचलित है। यह कुप्रथा साल दर साल बढ़ती जा रही है। भारत में अंतरंगी व्यापार को सेबी यानी 'सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, 1992' द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सेबी के अनुसार इसने वर्ष 2022 में अंतरंगी व्यापार (Insider Trading) के आरोप में 70 कंपनियों की छानबीन की। यह आँकड़े पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा हैं। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? सेबी ने यह भी खुलासा किया है कि पिछले तीन सालों की रिपोर्ट में 'इनसाइडर ट्रेडिंग' शब्द का इस्तेमाल लगातार किया गया है। यह काफी चौंकाने वाला है।

अंतरंगी व्यापार कई अर्थों और परिभाषाओं के अधीन रही है। यह आम तौर पर गैर-प्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का उपयोग अवैध लाभ कमाने या निश्चित नुकसान से बचने के लिए किया जाता है। अंतरंगी व्यापार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद या बिक्री है, जिसके पास प्रतिभूति के बारे में महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी तक पहुँच है। अंतरंगी व्यापार, कानूनी या अवैध हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इनसाइडर कब और कैसे व्यापार करता है।

अंतरंगी व्यापार 'पूँजी बाजार' में विश्वास के आधार पर सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। उल्लंघन और दंड का दायरा और गंभीरता अलग-अलग देशों में बहुत अलग-अलग है। किसी कंपनी के स्टॉक में विश्वास या भरोसे के कर्तव्य का उल्लंघन करके लाभ कमाने या निश्चित नुकसान से बचने के लिए किसी इनसाइडर द्वारा प्रतिभूतियों का व्यापार करना प्रतिबंधित है, गैर-सार्वजनिक जानकारी के आधार पर दूसरों को छोड़कर। यदि पूँजी बाजारों में अंतरंगी व्यापार को बिना जांचे-परखे अनुमति दी जाती है, तो इनसाइडर जानकारी वाले व्यक्ति को ऐसी गैर-सार्वजनिक जानकारी के साथ निष्पादित ट्रेडों में लगातार बढ़त मिलेगी और जिनके पास जानकारी नहीं है, वे बाजार में लगातार हारने वाले होंगे।

शब्द कुंजी – अंतरंगी व्यापार, शेयर, कंपनी, सेबी।

प्रस्तावना – इनसाइडर Insider कौन है?

सेबी 'इनसाइडर' को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसके पास किसी विशेष कंपनी के शेयरों या प्रतिभूतियों के बारे में मूल्य-संवेदनशील जानकारी तक पहुँच होती है। इनसाइडर वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो इनसाइडर ट्रेड से पहले छह महीनों के दौरान किसी न किसी तरह से कंपनी से जुड़ा रहा हो।

वह व्यक्ति कंपनी का कर्मचारी, निदेशक, रिश्तेदार, बैंकर या कानूनी सलाहकार या स्टॉक एक्सचेंज का अधिकारी, ट्रस्टी, कर्मचारी या कंपनी के साथ काम करने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी/AMC) का अधिकारी भी हो सकता है। इनसाइडर, जिनके पास किसी विशेष संवेदनशील या स्टॉक के जारीकर्ता के बारे में गोपनीय और अनन्य जानकारी तक पहुँच होती है, वे मूल्य में उतार-चढ़ाव से पहले अघोषित प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने से लाभ उठाते हैं।

अंतरंगी व्यापार मूल रूप से किसी सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (जैसे बांड या स्टॉक विकल्प) की खरीद, बिक्री या व्यापार को संदर्भित करता है, जिसमें अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) का उपयोग किया जाता है, जो स्टॉक मूल्य को प्रभावित कर सकता है, जिसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है।

UPI क्या है? (unpublished price & sensitive information)

UPI किसी फर्म के स्टॉक की कीमतों, तिमाही नतीजों, अधिग्रहण सौदों, विलय या किसी भी तरह की संवेदनशील गतिविधियों से संबंधित अनन्य जानकारी के एक हिस्से को संदर्भित करता है जिसे बड़े पैमाने पर जनता के साथ साझा नहीं किया गया है। जब अंदरूनी लोग UPI तक पहुँचने में सक्षम होते हैं, तो वे व्यक्तिगत लाभ के लिए अवैध रूप से व्यापार सौदे करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी का निदेशक अपने दोस्त को अभी तक घोषित नहीं किए गए सौदे के बारे में सूचित करता है और बाद में वह उस जानकारी को अपने सहयोगियों को प्रसारित करता है जो फिर उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं। फिर, प्रबंधक, उसके दोस्त और उसके सहयोगियों पर झूठ (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियमों के उल्लंघन के लिए सेबी द्वारा मामला दर्ज किया जा सकता है।

हाल के वर्षों में भारत में विलय या अधिग्रहण की अवधि के दौरान सार्वजनिक कंपनियों के शेयरों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के आधार पर अवैध व्यापार किया गया है, जिसने भारतीय प्रतिभूति बाजार के लिए बहुत चिंता का विषय बना दिया है। यदि शेयरधारकों के लाभ के लिए कंपनियों को चलाने वाले न्यासी कंपनी और उसके शेयरधारकों की कीमत पर अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं, तो यह एक हिंसक अपराध बन जाता है।

जैसा कि इस शब्द से पता चलता है, अंतरंगी व्यापार की शाब्दिक

परिभाषा किसी कंपनी के बॉन्ड, स्टॉक और प्रतिभूतियों का अन्य स्थानों और देशों में अवैध व्यापार है और ऐसी जानकारी जो गुप्त है और आम जनता से छिपाई गई है। इसे SEBI निषेध अंतरंगी व्यापार विनियमन अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ब) में परिभाषित किया गया है। कंपनी कानून अधिनियम में कोई भी धारा अवैध व्यापार को परिभाषित नहीं करती है। अंतरंगी व्यापार के माध्यम से, जिन निवेशकों के पास गुप्त जानकारी तक पहुंच है, वे लाखों पैसे कमा सकते हैं और यह अंततः कंपनी की प्रतिष्ठा और अन्य नियमित निवेशकों को प्रभावित कर सकता है जिनके पास गुप्त जानकारी तक पहुंच नहीं है। अंतरंगी व्यापार का मतलब है अवैध व्यापार जो किसी कंपनी के कॉर्पोरेट आवरण की आड़ में हो रहा है। कोई व्यक्ति जो अवैध रूप से किसी बंद या गुप्त जानकारी का व्यापार करता है, वह अंतरंगी व्यापार का दोषी है। इसका एक व्यापक परिप्रेक्ष्य है और इसकी परिभाषा हर देश में अलग-अलग होती है।

वैश्विक बाजार में प्रतिभूतियों के व्यापार की अवधारणा के आने के साथ ही अंतरंगी व्यापार की समस्या उभरी। भारत में, डेइएल पूंजी बाजार के कामकाज को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1992 में सेबी अधिनियम, 1992 के तहत की गई थी। निवेशकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना और एक प्राधिकरण स्थापित करना आवश्यक था जो प्रतिभूति बाजार को प्रभावी ढंग से विनियमित कर सके।

1952 में, भाभा समिति ने निदेशकों के लिए कंपनी द्वारा प्रबंधित एक अलग रजिस्टर में शेयरों की बिक्री खरीद की जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी। परिणामस्वरूप, कंपनी अधिनियम, 1956 में धारा 307 (कंपनियों द्वारा कंपनी में निदेशकों की शेयरधारिता को रिकॉर्ड करने के लिए एक रजिस्टर के रखरखाव का प्रावधान) और धारा 308 (निदेशकों और निदेशक माने जाने वाले व्यक्तियों का कंपनी में अपनी शेयरधारिता का खुलासा करने का कर्तव्य निर्धारित) पेश किए गए। कंपनी संशोधन अधिनियम, 1960 द्वारा, कंपनी के प्रबंधकों को धारा 308 के दायरे में जोड़ा गया।

1978 में सच्चर समिति ने व्यापारियों के लेन-देन के विवरण को स्वीकार करने के लिए कड़े कानून बनाने की सिफारिश की थी ताकि यह पहचाना जा सके कि मूल्य- संवेदनशील सूचना का उपयोग करके कोई अनुचित लाभ नहीं हुआ है। 1986 में जी.एस. पटेल की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में 'अंतरंगी व्यापार' शब्द का वर्णन किया और प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम (SCRA), 1956 में संशोधन करने की सिफारिश की ताकि एक्सचेंजों को सूचना के अंतरंगी व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए सख्त नीतियों को लागू करने की अनुमति मिल सके। 1989 में आबिद हुसैन समिति ने अंतरंगी व्यापार के कृत्य को दीवानी और आपराधिक अपराधों के अंतर्गत शामिल करने की सिफारिश की और अंतरंगी व्यापार के अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए सेबी द्वारा सख्त विनियमन का भी सुझाव दिया गया। प्रतिभूति बाजार में अनुचित व्यापार प्रथाओं को विनियमित करने के लिए सेबी (अंतरंगी व्यापार) विनियम, 1992 अधिनियमित किया गया था।

वर्ष 2002 में विनियमों में संशोधन किया गया। अंतरंगी व्यापार का मतलब है निगमों के पीछे अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी का व्यापार करना ताकि गलत तरीके से लाभ कमाया जा सके या नुकसान से बचा जा सके। भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का निषेध)

विनियम, 1992 इसे कंपनी के अधिकारियों द्वारा शेयरधारकों के प्रति प्रत्ययी कर्तव्य के उल्लंघन के रूप में परिभाषित करता है।

अंतरंगी व्यापार के प्रतिबंध पर विनियम बाजार में प्रतिभूतियों के उचित हस्तांतरण और व्यापार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए थे। हालाँकि, यह कहना अभी भी मुश्किल है कि देशों ने अंतरंगी व्यापार की समस्या पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया है।

अंतरंगी व्यापार तब होती है जब किसी व्यक्ति के पास किसी कंपनी के बारे में मूल्य-संवेदनशील जानकारी होती है और इसलिए वह बिक्री अनुबंध में बेहतर शर्तें प्राप्त करता है और उस कंपनी में प्रतिभूतियाँ खरीदता या बेचता है, जो तब नहीं होती जब प्रतिपक्ष को संबंधित जानकारी के बारे में पता होता। इस तरह, इनसाइडर या तो नुकसान से बच सकता है या लाभ कमा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जानकारी सार्वजनिक होने के बाद शेयर की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। इसी तरह, अंतरंगी व्यापार कंपनियों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी बॉन्ड के बाजार में भी समान रूप से हो सकती है। अंतरंगी व्यापार शब्द को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 195 द्वारा परिभाषित किया गया है।

कॉर्पोरेट इनसाइडर ने, केवल रोजगार स्वीकार करके, शेयरधारकों के प्रति एक कानूनी दायित्व ले लिया है कि वह निगम से संबंधित मामलों में शेयरधारकों के हितों को अपने से पहले रखेगा। जब इनसाइडर कंपनी के स्वामित्व वाली जानकारी के आधार पर प्रतिभूतियाँ खरीदता या बेचता है, तो वह शेयरधारकों के प्रति अपने दायित्व का उल्लंघन कर रहा होता है।

साहित्य की समीक्षा:

1. Nejat Seyhun ने अपनी पुस्तक 'Investment Intelligence from Insider Trading' में अंतरंगी व्यापार की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की है। यह पुस्तक अंतरंगी व्यापार की एक प्रभावशाली शोधपूर्ण जांच है और बताती है कि एक व्यक्तिगत निवेशक इसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकता है। पुस्तक अंतरंगी व्यापार के खतरे और निर्दोष निवेशकों पर इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करती है। लेखक ने अपनी पुस्तक में अंतरंगी व्यापार की उपयोगिता को प्रदर्शित करने के लिए कई दशकों के डेटा का उपयोग किया है।

2. Jonathan Moreland ने अपनी पुस्तक Profit from Legal Insider Trading इन्वेस्ट टुडे ऑन टुमॉरो न्यूज में इनसाइडर ट्रेड्स के विवरण को ट्रैक करने के दर्शन, ऐसे ट्रेडों के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं पर चर्चा की है और प्रदर्शित किया है कि विभिन्न रिपोर्टों और ट्रेडिंग डेटा का विश्लेषण कैसे करें और उनसे सुझाव कैसे प्राप्त करें। लेखक ने अपनी पुस्तक में परिभाषित किया है कि जब निदेशक और अधिकारी अपनी खुद की कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं, तो उन्हें अंतरंगी व्यापार का ज्ञान माना जाता है।

3. Guy Cohen ने अपनी पुस्तक 'The Insider Edge: & how to follow the insiders for windfall profits' में जानकार ट्रेडर्स के बारे में बताया है। पुस्तक में जानकार ट्रेडर्स की भूमिका के बारे में बताया गया है। वे क्या कर रहे हैं और कोई भी इन तकनीकों का लाभ कैसे उठा सकता है। क्या बाजार में उतार-चढ़ाव हो रहा है या ट्रेडिंग? हमेशा स्पष्ट अवसर का इंतजार करना फायदेमंद होता है। कोई भी अच्छा ट्रेडर जानता है कि उसे आगे बढ़ने के लिए बढ़त की जरूरत है, और यह पुस्तक दर्शाती है कि कैसे विशिष्ट चार्ट

पैटर्न का संयोजन सही निवेश करने में मदद करता है।

4. Pankaj Singh और Dharam Veer Singh Chauhan ने 'भारत में अंतरंगी व्यापार' शीर्षक से अपने लेख में पूरी दुनिया में खासकर भारत में अंतरंगी व्यापार की अवधारणा के विकास को परिभाषित किया है। लेखकों ने अंतरंगी व्यापार पर कानूनों के विकास में विभिन्न चरणों की गणना की है। लेखकों ने कहा है कि यह केवल तीन दशक पहले की बात है जब कई विकसित देशों में अंतरंगी व्यापार को एक अन्याय के रूप में पहचाना गया था; वास्तव में, शेयरधारकों और सामान्य रूप से बाजारों के खिलाफ एक अपराध। लेखक आगे अंतरंगी व्यापार के प्रकारों को कई अर्थों और परिभाषाओं के अधीन बताता है और इसमें कानूनी और निश्चिद्ध दोनों तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं। अंतरंगी व्यापार हर दिन कानूनी रूप से होती है, जब कॉर्पोरेट इनसाइडर-निदेशक, अधिकारी, या कर्मचारी- कंपनी की नीति और इस ट्रेडिंग को नियंत्रित करने वाले नियमों के दायरे में अपनी कंपनियों में स्टॉक खरीदते या बेचते हैं। यह वह ट्रेडिंग है जो तब होती है जब महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में गोपनीय जानकारी रखने वाले विशेषाधिकार प्राप्त लोग उस जानकारी का विशेष लाभ उठाकर शेयर पर लाभ कमाते हैं या नुकसान से बचते हैं।

5. Rishikesh Desai और Yosham Desai ने अपने लेख 'सेबी (अंतरंगी व्यापार निषेध) विनियम, का एक व्यापक अवलोकन' में अंदरूनी व्यापार की अवधारणा को परिभाषित किया है। कानून के मौलिक और सबसे सामान्य सिद्धांतों में से एक यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने गोपनीय या प्रत्यक्ष संबंध के आधार पर किसी भी प्रकार का विशेष ज्ञान या मूल्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त करता है, तो वह ऐसे ज्ञान या जानकारी का उपयोग अपने स्वयं के लाभ या अपने स्वयं के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कर सकता है और उसे इस तरह से प्राप्त किसी भी लाभ का हिसाब देना होगा। अंदरूनी व्यापार की अवधारणा इसी सिद्धांत पर आधारित है।

6. Ipsita Das ने अपने लेख 'अंतरंगी व्यापार: कॉर्पोरेट व्यवस्था में एक विश्लेषण' में परिभाषित किया है कि मानव स्वभाव अंदरूनी व्यापार के लिए जिम्मेदार है। उसके लालच ने उसे बेईमानी, ईमानदारी, नैतिकता आदि के सभी सिद्धांतों की पूरी तरह से अवहेलना करने पर मजबूर कर दिया है। सभी प्रजातियों में से मनुष्य ने अनादि काल से खुद को सबसे लालची प्राणी साबित किया है। सेबी का मुख्य कार्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रकटीकरण को बढ़ावा देना, प्रतिभूति कानूनों को लागू करना तथा विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों के साथ बातचीत करने वाले निवेशकों की सुरक्षा करना है।

7. Sanjay Gupta ने अपने लेख 'अंतरंगी व्यापार, एक अवलोकन' में कंपनी के अंदरूनी लोगों की स्थिति को स्पष्ट किया है और बताया है कि यह देखना मुश्किल नहीं है कि जब कंपनी के अंदरूनी लोग द्वितीयक बाजार में व्यापार करते हैं, तो वे सूचना के प्रवाह को गति देते हैं और कीमतों में पूर्वानुमान लगाते हैं। कंपनी के अंदरूनी लोग अपनी कंपनी के शेयरों और बॉन्ड के भविष्य के जोखिम और रिटर्न के बारे में पूर्वानुमान लगाने की अनूठी स्थिति में होते हैं, इसलिए वे अक्सर बाजार की कीमत को बहुत कम या बहुत अधिक समझ सकते हैं।

8. Karan Gupta ने लेख 'कैपिटल मार्केट्स में अंतरंगी व्यापार: एक सिंहावलोकन' में कैपिटल मार्केट में अंतरंगी व्यापार के निषेध के महत्व पर प्रकाश डाला है। इसमें उन लोगों के बारे में बताया गया है जो इनसाइडर हैं

और अपने गैरकानूनी लाभ के लिए ऐसी अप्रकाशित जानकारी का उपयोग करते हैं। इस तरह के व्यापार में गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग शामिल है और यह अनैतिक है तथा विश्वास और भरोसे की स्थिति के साथ विश्वासघात है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की खोज के साथ, नियामकों और विधायिकाओं ने कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों को बनाने की ओर तेजी से रुख किया है और इन कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए दंड लगाया है। जिन व्यक्तियों के पास ऐसी जानकारी तक पहुँच है, वे कंपनी के साथ निकटता से जुड़े हो सकते हैं, या तो प्रमोटर या निदेशक के रूप में शीर्ष प्रबंधन अधिकारी और कर्मचारी, वकील, लेखा परीक्षक, वित्तीय सलाहकार आदि के रूप में अपनी पेशेवर क्षमताओं में कंपनी से जुड़े व्यक्ति कंपनी के साथ काम करने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों में काम करने वाले व्यक्ति, कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंध रखने वाली फर्मों का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते हैं, लेकिन उनके पास मूल्य संवेदनशील जानकारी है।

यदि पूंजी बाजारों में अंतरंगी व्यापार को अनियंत्रित रूप से अनुमति दी जाती है, तो अंदरूनी जानकारी वाले व्यक्तियों को ऐसी जानकारी के साथ निष्पादित किए गए ट्रेडों में लगातार बढ़त मिलेगी और जिनके पास जानकारी नहीं है, वे बाजार में लगातार हारे हुए होंगे।

उद्देश्य - इस अध्ययन का उद्देश्य अंतरंगी व्यापार के मुद्दों और अंतरंगी व्यापार क्षेत्र में हाल के कार्यों का व्यापक अवलोकन प्रदान करना है। शोध क्षेत्र के उद्देश्य इस प्रकार हैं -

1. भारत में अंतरंगी व्यापार के विकास का अध्ययन और विश्लेषण करना।
2. भारत में अंतरंगी व्यापार पर प्रतिबंध का अध्ययन करना।
3. भारतीय प्रतिभूति बाजारों में विनियमन, जोखिम पुनर्वितरण और कल्याण की दिशा में मौजूदा ढांचे का अध्ययन और विश्लेषण करना।
4. भारत में अंतरंगी व्यापार पर मौजूदा प्रतिभूति कानूनों का अध्ययन और विश्लेषण करना।

शोध पद्धति - मौजूदा कानूनी ढांचे में अंतरंगी व्यापार के खिलाफ दी गई सुरक्षा वर्तमान वित्तीय बाजार में अपर्याप्त मानी जाती है।

शोध विश्लेषण - वर्ष 1986 में पटेल समिति द्वारा अंतरंगी व्यापार की परिभाषा इस प्रकार निर्धारित की गई थी कंपनी के प्रबंधन में शामिल या उसके करीबी व्यक्ति द्वारा कंपनी के कामकाज के बारे में अधोषित मूल्य संवेदनशील जानकारी के आधार पर कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग करना, जो उनके पास होती है लेकिन जो दूसरों के पास उपलब्ध नहीं होती। वर्ष 1940 में भारत में अंतरंगी व्यापार विनियमन लागू करने की पहली सिफारिश प्राप्त हुई थी। उसके बाद वर्ष 1948 में थॉमस समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कहा गया कि सभी निदेशकों, एजेंटों, अधिकारियों, लेखा परीक्षकों को उचित खुलासे करने चाहिए। वर्ष 1956 में कंपनी अधिनियम के अधिनियमन के साथ ही अंतरंगी व्यापार को रोकने के प्रावधान पेश किए गए।

उक्त अधिनियम की धारा 307 और 308 के अनुसार निदेशकों और सभी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को रजिस्टर में अपनी शेयरधारिता का रिकॉर्ड रखना और अपनी शेयरधारिता का पूरा खुलासा करना आवश्यक था। हालाँकि, ये प्रावधान अंतरंगी व्यापार के अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त कड़े नहीं थे। इस समय तक बाजार में अंतरंगी व्यापार के प्रभाव पहले से ही

देखे जा चुके थे। शेयरधारक न केवल बाजार के कामकाज में विश्वास खो रहे थे, बल्कि खुद को निवेश करने से भी परहेज कर रहे थे। और आश्चर्य की बात नहीं है कि विदेशी निवेश भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। इन सबके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ा, जिसके कारण सरकार को इस तरह की प्रथाओं की जांच करने और उन्हें रोकने के लिए विभिन्न समितियों को पेश करना पड़ा।

इसके बाद, वर्ष 1986 में पटेल आयोग ने प्रतिभूति अनुबंध विनियमन में कई बदलाव करने की आवश्यकता बताई। इसके अलावा वर्ष 1989 में अब्दुल हुसैन समिति की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि अंतरंगी व्यापार के अपराध को सिविल और आपराधिक कानूनों के तहत उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। इसने बाजारों के कामकाज को विनियमित करने और उस पर नज़र रखने के लिए सेबी नामक एक निकाय के गठन का भी सुझाव दिया।

भारत में अंतरंगी व्यापार से संबंधित नियम—भारत में उचित कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करने वाली नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड/ Securities and Exchange Board of India है। यह संस्था सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री से संबंधित किसी भी असामान्य लेनदेन पर नज़र रखती है। 1992 के टिस्को मामले ने वर्ष 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। टिस्को मामले में कंपनी के मुनाफे में तेजी से गिरावट आई और छमाही नतीजों की घोषणा से पहले शेयरों की छोटी मात्रा में बिक्री हुई। न्यायालय ने माना कि कोई अंदरूनी व्यापार नहीं था क्योंकि इसके लिए कोई सबूत नहीं है। चूंकि नियमों और प्रक्रियाओं की कमी थी इसलिए दोषियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप अंततः भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार) विनियम, 1992 / Securities Exchange Board of India (Insider trading) Regulations 1992 का गठन हुआ। 1992 के विनियमन के बाद, वर्ष 2015 में भारत में अंतरंगी व्यापार कानूनों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। इसलिए सेबी (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियमन, 2015 / SEBI (Prohibition of Insider Trading) regulation, 2015, को पहले के विनियमन में खामियों को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था क्योंकि गैरकानूनी लेनदेन विनियमन के दायरे में नहीं आते थे। वर्ष 2019 में एक और महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लेनदेन को कवर करने का प्रयास किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 में अंतरंगी व्यापार को प्रतिबंधित करने का प्रावधान था। अधिनियम की धारा 195 में प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों द्वारा संवेदनशील जानकारी के संचार पर रोक लगाई गई थी। बाद में, इस धारा को हटा दिया गया क्योंकि कंपनी अधिनियम की धारा 458 सेबी को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान करती है और इसलिए यह भ्रम था कि आरोपी को कंपनी अधिनियम या सेबी विनियमों के तहत रखा जाना चाहिए और इसलिए 2017 में एक अधिसूचना द्वारा धारा 195 को हटा दिया गया। इसलिए, भारत में अंतरंगी व्यापार के संबंध में वर्तमान विनियमन सेबी (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 और सेबी अधिनियम की धारा 121 (अंतरंगी व्यापार का निषेध) और 151 (अंतरंगी व्यापार के लिए दंड) हैं।

हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड (एचआईएल) बनाम सेबी का मामला उन शुरुआती मामलों में से एक था, जिसमें सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग/ अंतरंगी

व्यापार के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस विशेष मामले में एचआईएल ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से करीब 8 लाख शेयर खरीदे थे और कुछ समाह बाद एचआईएल और दूसरी सहायक कंपनी के बीच विलय की घोषणा की गई थी।

सेबी ने जांच की और पाया कि यह इनसाइडर सूचना का मामला था। अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील की गई और उन्होंने सेबी के आदेश की पुष्टि की, जिसमें एचआईएल द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर दिया गया था, जिसमें इस बारे में जानकारी या ज्ञान होने से इनकार किया गया था। इस मामले के बाद सेबी ने नियमों में संशोधन किया और अप्रकाशित शब्द को जोड़ा और परिभाषित किया। यह भारत में 'अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना' शब्द की परिभाषा का मूल था।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) बनाम सेबी के एक अन्य मामले में, आरआईएल की एलएंडटी कंपनी में लगभग 5% हिस्सेदारी थी और इसके अलावा कंपनी के लिए दो नामित व्यक्ति श्री मुकेश और अनिल अंबानी थे। इसके अलावा, आरआईएल ने एलएंडटी में हिस्सेदारी खरीदी और लगभग 10% हिस्सेदारी प्राप्त की। आरआईएल ने इन शेयरों को बाजार मूल्य से ऊपर ग्रासिम इंडस्ट्रीज को बेच दिया, जिसके परिणामस्वरूप दो नामित व्यक्तियों को हटा दिया गया और आरआईएल को एलएंडटी के शेयरों में आगे व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। सेबी ने जांच की और आरआईएल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया जिसमें उन्हें अंतरंगी व्यापार का दोषी पाया गया। अपील में अपीलीय न्यायाधिकरण ने सेबी के आदेश को यह कहते हुए पलट दिया कि सूचना एलएंडटी के नामित व्यक्तियों द्वारा पारित नहीं की गई थी और इसका सूचना के संचार या पारित होने से कोई संबंध नहीं था। एलएंडटी को सौदे के बारे में पता भी नहीं था और इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। इसलिए, आरआईएल को अंतरंगी व्यापार के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया।

कानूनी अंतरंगी व्यापार – कभी-कभी अंतरंगी व्यापार हमेशा अवैध नहीं होता है। जबकि UPSI के साथ व्यापार अवैध है; सभी अंतरंगी व्यापार प्रतिबंधित नहीं हैं। कॉर्पोरेट अंदरूनी लोग, अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी और बड़े शेयरधारक अपनी खुद की कंपनियों में स्टॉक खरीदते और बेचते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत जरूरतों के लिए अपने ESOP आदि बेचकर। यदि ऐसे ट्रेडों को SEBI नियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को बताया जाता है, तो यह अवैध नहीं है। हालांकि, किसी कंपनी को ऐसे अंदरूनी लोगों के व्यापार विवरण के बारे में कुछ दिनों के भीतर एक्सचेंजों को सूचित करना चाहिए। कई निवेशक और व्यापारी निवेश के लिए संभावित कंपनियों की पहचान करने के लिए अंदरूनी लोगों की जानकारी का उपयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि अंदरूनी लोग स्टॉक खरीद रहे हैं, तो उन्हें अपनी कंपनी के बारे में बाकी सभी लोगों से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, इसलिए वे स्टॉक खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन जब अंदरूनी लोग शेयर बेचते हैं तो निवेशक या व्यापारी उनकी भावनाओं से प्रेरित नहीं हो सकते क्योंकि वे विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से शेयर बेच रहे होंगे। किसी अंदरूनी व्यक्ति के माध्यम से प्राकृतिक प्रभाव अंतरंगी व्यापार नहीं माना जाता। इसके अलावा, शेयर खरीदना और फिर उन्हें सेबी को बताना भी कानूनी अंतरंगी व्यापार नहीं माना जाता।

अवैध अंतरंगी व्यापार – कोई भी अंदरूनी व्यक्ति जिसके पास अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी है, वह उन प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेगा

जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है या सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है। जब अंदरूनी व्यापार पण्डित के आधार पर किया जाता है और जब अंदरूनी व्यक्ति लाभ कमाता है, तो यह अवैध अंदरूनी व्यापार के रूप में सामने आता है। निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें अंतरंगी व्यापार का दोषी ठहराया जा सकता है; अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी तक पहुँच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है यदि उसने अवैध लाभ कमाने के लिए जानकारी का उपयोग किया हो। बड़ी कंपनियों में सैकड़ों अंतरंगी व्यक्ति हो सकते हैं, जिससे उनकी खरीद-बिक्री का विश्लेषण करना अधिक कठिन हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास सामग्री और अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी है, वह अंदरूनी व्यापार का अवैध कार्य कर सकता है। इसका मतलब है कि ब्रोकर, परिवार, मित्र और कर्मचारी सहित लगभग कोई भी व्यक्ति अंदरूनी व्यक्ति माना जा सकता है। सेबी (अंदरूनी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 4 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को वैध उद्देश्य के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त होने पर इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए अंदरूनी व्यक्ति माना जाएगा और इन विनियमों के अनुपालन में ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ऐसे व्यक्तियों को उचित नोटिस दिया जाएगा। बशर्ते कि उपरोक्त 2(1) में प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू न हो:

1. ऐसा लेनदेन जो प्रमोटर्स के बीच ऑफ-मार्केट इंटर से ट्रांसफर है, जो इन नियमों का उल्लंघन किए बिना एक ही UPSI के कब्जे में थे और दोनों पक्षों ने एक सचेत और सूचित व्यापार निर्णय लिया था; और
2. इन नियमों के अनुसार स्थापित व्यापार योजना के अनुसार व्यापार। कोई भी अंदरूनी व्यक्ति जो कंपनी से जुड़ना बंद कर चुका है, वह ऐसी समाप्ति की तिथि से छह महीने की अवधि तक UPSI के कब्जे में रहते हुए कंपनी की प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार नहीं करेगा। इसके अलावा, सेबी (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, यह कहा गया है कि सभी निदेशक, अधिकारी, नामित कर्मचारी जो कंपनी के किसी भी शेयर को खरीदते या बेचते हैं, वे पिछले लेनदेन के बाद अगले छह महीनों के दौरान किसी भी संख्या में शेयरों को बेचने या खरीदने के विपरीत लेनदेन में प्रवेश नहीं करेंगे। सभी निदेशक, अधिकारी, नामित कर्मचारी किसी भी समय कंपनी के शेयरों में व्युत्पन्न लेनदेन में भी स्थिति नहीं लेंगे। प्राथमिक बाजार (आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव) में सदस्यता के मामले में, उपर्युक्त संस्थाएं अपने निवेश को कम से कम 30 दिनों की अवधि के लिए रखेंगी।

भारत में अंतरंगी व्यापार से जुड़ी समस्याएं – अंतरंगी व्यापार की वैधता और अवैधता के बारे में कई तर्क दिए गए हैं। लेकिन ज्यादातर विद्वानों और निवेशकों का कहना है कि अंतरंगी व्यापार बाजार की अखंडता के खिलाफ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ऐसी जानकारी तक पहुँच रखने वाले लोगों को अनुचित लाभ देता है क्योंकि ऐसे लोगों को कोई जोखिम या नुकसान नहीं होता है।

साथ ही, इससे निवेशकों को अपना पैसा गंवाना पड़ता है क्योंकि ऐसी संवेदनशील जानकारी रखने वाले लोग हेरफेर करने और अफवाहें फैलाने जैसे कुछ गलत काम करते हैं जिससे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते समय कई निवेशकों का मन बदल जाता है। इससे निवेशकों का बाजार में निवेश करने का भरोसा भी कम होता है जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी

चिंता का विषय है और इसका असर विदेशी निवेश पर भी पड़ता है। इसलिए, अंतरंगी व्यापार का चलन बाजारों के लिए बहुत हानिकारक है और इस तरह की गलत हरकतों पर नज़र रखने और उन्हें रोकने के लिए एक नियामक प्राधिकरण की जरूरत है।

इसके अलावा, सेबी के सामने एक और समस्या अंतरंगी व्यापार के मामलों को साबित करना है क्योंकि यह साबित करने के लिए हमेशा पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं कि कोई विशेष व्यापार अंतरंगी व्यापार का परिणाम था। चूंकि ऐसे पण्डित तक पहुँच रखने वाले लोग तीसरे पक्ष का उपयोग करते हैं या कुछ अन्य लेन-देन करते हैं जिसके माध्यम से वे दायित्व से बच जाते हैं और दोषी नहीं ठहराए जाते हैं। इसके अलावा कई मामलों में न्यायालय उचित निर्णय नहीं दे पाया है क्योंकि विनियामक प्राधिकरण सूचना और व्यापार के बीच कोई सीधा संबंध साबित करने में विफल रहा है। इसके परिणामस्वरूप निवेशक अपना पैसा खो देते हैं और बाजार को नुकसान उठाना पड़ता है।

दूसरी कठिनाई यह है कि यद्यपि सेबी के नियमों में आपराधिक दायित्व के प्रावधान हैं, लेकिन उन्हें लागू करना कठिन है। चूंकि आपराधिक कानून के तहत किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराने के लिए MENS REA की आवश्यकता होती है। सेबी के लिए MENS REA के मामले को साबित करना बहुत कठिन हो जाता है और इसलिए आरोपी अक्सर आपराधिक दायित्व से बच जाते हैं या नागरिक कानून के तहत उत्तरदायी ठहराए जाते हैं। इसलिए, बाजारों में कोई डर नहीं है और इसलिए यह संवेदनशील जानकारी स्वतंत्र रूप से प्रसारित होती है।

उदाहरण के लिए ऐसे मामले सामने आए हैं कि इस तरह की जानकारी विभिन्न समूहों पर व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से दी जा रही है। सेबी इन मामलों की जांच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसी संवेदनशील जानकारी देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अंत में, भारतीय न्यायपालिका प्रणाली को निर्णय पारित करने में कई साल लगते हैं और अपील का विकल्प अपराधियों को सबूतों में हेरफेर करने और सेबी के नियमों के तहत इस तरह की देयता से बचने के लिए पर्याप्त समय देता है।

भारत में अंतरंगी व्यापार से संबंधित कानून:

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (स) प्रत्येक नागरिक को किसी भी पेशे में शामिल होने या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(6) में निर्धारित उचित प्रतिबंधों के अधीन है। ये उचित प्रतिबंध राज्य को अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए कानून बनाने का अधिकार देते हैं।
2. M/S Eskay KNIT (India) Ltd और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि गैरकानूनी अंतरंगी व्यापार प्रथाएँ धोखाधड़ी हैं। इसलिए, राज्य को अनुच्छेद 19 के खंड (6) के तहत ऐसी भ्रामक व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। जबकि भारतीय संविधान में गैरकानूनी अंतरंगी व्यापार पर सीमित दायरा हो सकता है, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधान इस अनुचित व्यापार प्रथा को सख्ती से हतोत्साहित करते हैं।
3. 1992 में सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियमनों का निर्माण विभिन्न

समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों और प्रतिभूति बाजार को आगे बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता के जवाब में किया गया था। इन विनियमों ने अंतरंगी व्यापार के नियंत्रण और प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील साबित किया।

2002 में, 1992 के नियमों को और अधिक सशक्त बनाने तथा अंदरूनी लोगों से जुड़े माने जाने वाले व्यक्तियों की सूची का विस्तार करने के लिए संशोधन किये गये। इसके बाद सेबी (अंतरंगी व्यापार का निषेध) (संशोधन) विनियम 2008 और सेबी (अंतरंगी व्यापार का निषेध) (संशोधन) विनियम 2011 आये।

भारत में 2013 के कंपनी अधिनियम को लागू करने के बाद, अंतरंगी व्यापार पर विनियमन का दायरा काफी बढ़ गया है। इन विनियमों में गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को शामिल करना एक उल्लेखनीय विकास है, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर शेयरधारकों के हितों की रक्षा करता है। इसके मद्देनजर, अंतरंगी व्यापार को रोकने के लिए कई उपाय प्रस्तावित हैं-

1. सबसे पहले, अंतरंगी व्यापार नीति स्थापित करना आवश्यक है। इसमें ब्लैकआउट अवधि को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए और आसानी से समझने योग्य शब्दों में इनसाइडर और इनसाइडर जानकारी की व्यापक परिभाषा प्रदान की जानी चाहिए।
2. इसके अतिरिक्त, कंपनियों को संगठन के भीतर स्टॉक ट्रेडों की निगरानी के लिए एक आंतरिक निरीक्षण तंत्र का उपयोग करना चाहिए।
3. इसके अलावा, कंपनियों को अंतरंगी व्होल्डिंग्स को सत्यापित करने के लिए अकाउंटिंग फर्मों जैसी थर्ड पार्टी संस्थाओं को शामिल करना चाहिए।
4. इसके अलावा, सरकार को अंतरंगी व्यापार से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार एक समर्पित विभाग स्थापित करना चाहिए। किसी भी अंतरंगी व्यापार या संभावित अंतरंगी व्यापार के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
5. अंत में, सभी निजी कंपनियों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में आना चाहिए।

सेबी अंतरंगी व्यापार विनियम 1992 (सेबी विनियम 1992) -2 (1) (ई) 'अंदरूनी सूत्र' का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो, (1) कंपनी से जुड़ा हुआ है या था या कंपनी से जुड़ा हुआ माना जाता है और जिसके पास कंपनी की प्रतिभूतियों के संबंध में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच होने की उचित रूप से उम्मीद है, या (2) जिसने ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त की है या उस तक उसकी पहुंच थी सेबी अंतरंगी व्यापार विनियम 2015 (सेबी विनियम 2015) में-2 (1) (जी) 'अंदरूनी सूत्र' का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो:

- 1) जुड़ा हुआ व्यक्ति है; या
- 2) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में है या उस तक पहुंच रखता है।

नोट: चूंकि सामान्य रूप से उपलब्ध जानकारी को परिभाषित किया गया है, इसलिए इसका उद्देश्य यह है कि अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में या उस तक पहुंच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अंदरूनी सूत्र माना जाना चाहिए, भले ही वह ऐसी जानकारी के कब्जे में कैसे आया हो या

उस तक उसकी पहुंच कैसे हुई हो। ऐसे व्यक्ति के लिए यह प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न परिस्थितियाँ प्रदान की जाती हैं कि उसने अंदरूनी व्यापार में लिप्त नहीं है। इसलिए, इस परिभाषा का उद्देश्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी पहुंच में लाना है जो अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त करता है या उस तक पहुंच रखता है। इसलिए, यह दशनि का दायित्व कि किसी व्यक्ति के पास व्यापार के समय अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना थी या उसकी उस तक पहुंच थी, आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर होगा, जिसके बाद वह व्यक्ति जिसने अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के कब्जे में या उस तक पहुंच होने पर व्यापार किया है, यह प्रदर्शित कर सकता है कि उसके पास ऐसी सूचना नहीं थी या उसने व्यापार नहीं किया है या वह उस तक पहुंच नहीं सका था या ऐसी सूचना के कब्जे में होने पर उसका व्यापार पूरी तरह दोषमुक्त करने वाली परिस्थितियों के अंतर्गत आता था।

अंतरंगी व्यापार का निषेध - सेबी द्वारा अंतरंगी व्यापार विनियमों की मुख्य विशेषताएं और उनका प्रक्षेपवक्र इन विनियमों को समग्र रूप से पढ़ने पर, जो सामान्य पैटर्न इससे प्राप्त हो सकता है वह यह है कि इन संशोधित विनियमों के पीछे विधिक आशय अंतरंगी व्यापार विनियमों के कवरेज और व्याख्या को व्यापक बनाना था। यह कई तरीकों से किया गया है जैसे - संबद्ध व्यक्तियों, नामित व्यक्तियों, यूपीएसआई, ट्रेडिंग की समावेशी परिभाषाओं के लिए प्रावधान करना।

कंपनी के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रत्ययी क्षमता में ट्रेडिंग योजनाओं और प्रकटीकरणों के अपवादों के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों को शामिल करना जो सामान्य नियम के विपरीत हैं। अधिकांश विनियमों के तहत विधायी मंशा को निर्दिष्ट करने वाले विशेष नोटों के लिए प्रावधान करना, जिन्हें आगे व्याख्या की आवश्यकता है और जिन्हें परिभाषित करने के लिए बोर्ड की विवेकाधीन शक्ति पर छोड़ दिया गया है। ये नोट बोर्ड को ऐसे विधायी इरादे को आगे बढ़ाने और विनियमों के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए कदम उठाने में मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष बाजार प्रतिस्पर्धा की रक्षा के लिए सेबी अंतरंगी व्यापार विनियम 2015 (सेबी विनियम 2015) पर प्रतिबंध लगाया है। परिणामस्वरूप, व्यक्तियों पर न केवल अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (UPSI) के आधार पर व्यापार करने के लिए बल्कि ऐसी जानकारी का संचार करने के लिए भी दंड लगाया गया। यूपीएसआई को ऐसी कोई भी जानकारी माना जाता है जो किसी कंपनी की प्रतिभूतियों की कीमत को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकती है। सेबी विनियम 2015 के विनियम 4 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यूपीएसआई के कब्जे में होने पर प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेगा। संबंधित विनियमन के पीछे विधायी मंशा को समझने के लिए, 2018 में विनियमन में जोड़े गए स्पष्टीकरण के साथ इसे पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। यह निर्धारित करता है कि जब कोई व्यक्ति जिसके पास यूपीएसआई है, ऐसी गोपनीय जानकारी के आधार पर व्यापार करता है, इसका सीधा सा मतलब है कि विनियमन 4 में स्पष्टीकरण को शामिल करते समय, विधायी इरादा किसी व्यक्ति को अंतरंगी व्यापार के लिए उत्तरदायी ठहराने के मानदंड के रूप में 'इरादे' को खत्म करना था। विनियमन 4 को ट्रिगर करने के लिए केवल यह साबित करना आवश्यक था कि

- (1) व्यापार और
- (2) UPSI के कब्जे में रहते हुए व्यापार।

विनियमन 4 को सूचना विषमता की रक्षा करने की दृष्टि से तैयार किया गया था जो तब होती है जब किसी व्यक्ति के पास UPSI होता है। नतीजतन, यह तर्क दिया जा सकता है कि विनियमन 4 स्वयं सूचना की समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि क्योंकि णझडख के कब्जे वाला व्यक्ति एक उंचे स्थान पर है, ऐसे व्यक्ति के लिए अनुपालन का स्तर भी अधिक है। परिणामस्वरूप, अधिग्रहणकर्ता का इरादा अप्रासंगिक हो जाता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेनदेन कंपनी या उसके शेयरधारकों को लाभ पहुंचाता है या नहीं। हालाँकि, न्यायिक घोषणाओं ने इसके विपरीत निष्कर्ष निकाला है। विनियमन 4 के दायरे पर चर्चा करते हुए, अदालतों ने आगे बढ़कर प्रावधान के तहत किसी पर मुकदमा चलाने के लिए इरादे को एक शर्त के रूप में तैयार किया है। इस लेख के माध्यम से लेखकों ने तर्क दिया है कि भारतीय न्यायपालिका ने न्यायिक व्याख्या के नाम पर विधायी मंशा को अनुचित रूप से कमजोर कर दिया है।

सेबी अंतरंगी व्यापार विनियम 2015

(i) यू.पी.एस.आई. के संचार और खरीद की अनुमति कब दी जाती है? (विनियमन 3) कोई भी अंदरूनी व्यक्ति किसी कंपनी या सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को किसी भी व्यक्ति को संचारित, प्रदान या उस तक पहुँच की अनुमति नहीं देगा, जिसमें अन्य अंदरूनी व्यक्ति भी शामिल हैं, सिवाय इसके कि ऐसा संचार वैधा उद्देश्यों, कर्तव्यों के प्रदर्शन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन के लिए हो।

नोट-वैध उद्देश्य शब्द में साझेदारों, सहयोगियों, उधारदाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, मर्चेट बैंकरों, कानूनी सलाहकारों, लेखा परीक्षकों, दिवालियापन पेशेवरों या अन्य सलाहकारों या परामर्शदाताओं के साथ व्यवसाय के सामान्य क्रम में किसी अंदरूनी व्यक्ति द्वारा अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी साझा करना शामिल होगा, बशर्ते कि ऐसा साझाकरण इन विनियमों के निषेधों से बचने या उन्हें दरकिनार करने के लिए नहीं किया गया हो।

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में होने पर व्यापार करना - सामान्य नियम-कोई भी अंदरूनी व्यक्ति अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में होने पर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेगा।

(ii) सामान्य नियम के अपवाद (विनियमन 4) अंदरूनी लोगों के बीच ऑफ-मार्केट अंतर-स्थानांतरण

1. लेनदेन ब्लॉक डील विंडो तंत्र के माध्यम से किया गया था
2. एक वैधानिक या नियामक दायित्व के अनुसार
3. स्टॉक विकल्पों के प्रयोग के अनुसार
4. यदि प्रयोग मूल्य पूर्व-निर्धारित था
5. एक ट्रेडिंग योजना के अनुसार

(iii) ट्रेडिंग प्लान (विनियमन 5)

1. इन विनियमों में ट्रेडिंग प्लान की एक नई अवधारणा शामिल है जो अंतरंगी व्यापार पर पूर्ववर्ती विनियमों के अंतर्गत नहीं थी।
2. इनसाइडर के पास ट्रेडिंग प्लान तैयार करने और उसे स्वीकृति और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए अनुपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प होगा। स्वीकृति मिलने पर अनुपालन अधिकारी स्टॉक एक्सचेंजों को ट्रेडिंग प्लान अधिसूचित करेगा।

3. ट्रेडिंग प्लान 12 महीने की अवधि के लिए होगा।

4. ऐसी ट्रेडिंग प्लान में प्लान के सार्वजनिक प्रकटीकरण से 6 महीने से पहले ट्रेडिंग शुरू नहीं की जाएगी।

हाल ही में, सेबी बनाम अभिजीत राजन मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि आरोपी अंतरंगी व्यापार के दोषी नहीं थे, क्योंकि उनके पास अपने पास मौजूद UPSI की मदद से मुनाफ़ा कमाने का कोई इरादा नहीं था। न्यायालय ने आगे कहा कि वास्तविक लाभ या हानि कोई मायने नहीं रखती, लेकिन लाभ कमाने का उद्देश्य ज़रूरी है। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय द्वारा प्रासंगिक भौतिक तथ्यों पर विचार किए बिना बहुत बड़ी धारणा बना ली गई है। किसी जुड़े हुए व्यक्ति से सावधानी की उच्च सीमा की अपेक्षा इसलिए की जाती है, क्योंकि ऐसे UPSI तक उनकी पहुँच होती है और उनके अनुसार व्यापार में हेरफेर करने की उनकी क्षमता होती है। UPSI तक पहुँच इनसाइडर को एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में लाभप्रद स्थिति में रखती है, क्योंकि इससे उन्हें बाजार की शक्तियों को नियंत्रित करने और निष्पक्ष बाजार प्रथाओं को बाधित करने की अनुमति मिलती है। इसी कारण से, सेबी विनियमन 2015 के विनियमन 5 में ऐसे इनसाइडर को एक विस्तृत ट्रेडिंग योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जो नियामक निकायों को ऐसे जुड़े हुए व्यक्तियों की गतिविधियों की लगातार निगरानी करने की अनुमति देती है।

भारत ने अंतरंगी व्यापार को लागू करने में बहुत प्रयास किए हैं। अंतरंगी व्यापार कानूनों के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने के लिए सेबी ने जस्टिस एन. के. सोढ़ी की अध्यक्षता में अंतरंगी व्यापार पर कानूनों को संशोधित किया है और अंतरंगी व्यापार/ अंतरंगी व्यापार निषेध विनियम, 2015 का मसौदा तैयार किया है। नए अंतरंगी व्यापार विनियमों ने विभिन्न अवधारणाओं की परिभाषाओं में संशोधन करके कई बदलाव किए हैं। इसमें पाँच अध्याय, दो अनुसूचियाँ और 12 खंड शामिल हैं। पहला अध्याय परिभाषाओं से संबंधित है, दूसरा इनसाइडर द्वारा संचार और व्यापार पर प्रतिबंध से संबंधित है। अध्याय 3 कंपनी द्वारा किए गए खुलासे के बारे में बात करता है और चार प्रकटीकरण और आचार संहिता निर्धारित करते हैं। अध्याय 5 में शक्ति और प्रतिबंध शामिल हैं।

सुझाव:

1. शिक्षा/प्रशिक्षण/जागरूकता- आम लोगों में अंतरंगी व्यापार की प्रथा और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना इस दुरुपयोग को रोकने में काफी मददगार हो सकता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, सेबी एक अंतरंगी व्यापार मैनुअल (पुस्तिका) प्रकाशित कर सकता है और इसे खुद या विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों या बिचौलियों आदि की सहायता से जनता के संबंधित वर्ग में वितरित कर सकता है और नियमित रूप से ऐसे दुरुपयोग में फंसे निवेशकों को इसके हानिकारक प्रभावों और ऐसी हानिकारक गतिविधियों से खुद को बचाने के तरीकों के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम/चर्चा/सेमिनार भी आयोजित कर सकता है। अज्ञानता केवल व्यक्तियों के स्तर पर ही नहीं बल्कि कई संगठनों के स्तर पर है जिसके लिए न केवल सेबी, बल्कि केंद्र सरकार, प्रत्येक संगठन और कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों को भी इस मुद्दे और इसके प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा, कंपनियों से जुड़े पेशेवरों सहित कंपनी प्रबंधन को संबंधित कानूनों और आवश्यकताओं के बारे में कंपनी के

अंदरूनी लोगों के बीच जागरूकता पैदा करनी चाहिए ताकि इसका उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

2. इनाम- सेबी को किसी भी तरह की ऐसी सूचना का स्वागत करना चाहिए जो उसे अंतरंगी व्यापार में लिप्त होने का पता लगाने के लिए निर्देशित करती है और उसे लोगों को अंतरंगी व्यापार गतिविधियों से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। अमेरिका में, प्रतिभूति विनियम अधिनियम की धारा 21ए(ई) के तहत, एसईसी उन व्यक्तियों को इनाम के रूप में इनाम देता है जो उन्हें किसी भी तरह की जानकारी प्रदान करते हैं जिससे अंतरंगी व्यापार घोटाले का पता चलता है।

3. कार्रवाई का निजी अधिकार- समय की मांग है कि अमेरिका की तरह कानून बनाया जाए जो कई नागरिक उपचार प्रदान करता है जिसमें निजी व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूति विनियम नियम, 1942 के नियम 10बी-5 और नियम 14ई-3 और प्रतिभूति विनियम अधिनियम की धारा 16-बी और धारा 20-ए के तहत नागरिक कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति अंतरंगी व्यापार के कारण घायल हुआ है। उसे हानि हुई है, तो भारतीय कानून में उसे अंदरूनी व्यक्ति के विरुद्ध निवारण प्राप्त करने का निजी अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से घायल पक्षों को हुई हानि के लिए मुआवजा शामिल होगा।

4. पूर्व-निवारक पूर्वानुमानित कार्रवाई- भारतीय विधानमंडल को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की आवश्यकता है, जिसमें वह केवल अंतरंगी व्यापार के घटित होने के बाद ही उसे दंडित करता है। स्टॉक एक्सचेंजों और सेबी को घटना के घटित होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय अंदरूनी व्यापार की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों के निर्माण पर पूर्व-निवारक कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए, एक निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए जो संभावित अंतरंगी व्यापार के बारे में जनता को सावधान करने का काम करेगी। उदाहरण के लिए, यदि लगातार 3 दिनों तक शेयर की कीमत में 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन होता है, तो उस शेयर में कुछ अनुचित व्यवहार की संभावना हो सकती है। तब एक्सचेंज असामान्य मूल्य आंदोलनों के आधार पर ऐसे स्थापित फ़िल्टर ब्रेकेट के आधार पर संभावित अंतरंगी व्यापार के बारे में बड़े पैमाने पर जनता को चेतावनी दे सकते हैं। इस तरह के मार्गदर्शन से अनजान निवेशकों को ऐसे शेयरों में सौदे करके नुकसान उठाने से रोका जा सकता है।

5. संरचनात्मक मुद्दे- अंतरंगी व्यापार कानून के प्रभावी प्रवर्तन की कमी का पहला समाधान अतिरिक्त धन और जनशक्ति की मांग है। इस तरह के सुझाव का समर्थन इस तथ्य से होता है कि सेबी के देश भर में विभिन्न कार्यालयों में मात्र 643 कर्मचारी हैं, जबकि एसईसी के पास 3958 कर्मचारी हैं। इसके अलावा, सेबी को पेशेवरों की अपनी टीम बनाकर अंतरंगी व्यापार की जांच को गंभीरता से देखना चाहिए जो अपराध की कुशलतापूर्वक जांच करेगी। मार्गदर्शन हमारे उदाहरण से लिया जा सकता है जहां एसईसी ने मार्केट एब्यूज यूनिट की स्थापना की जिसका उद्देश्य जांच की शुरुआत में व्यापारियों और संस्थानों के बीच पैटर्न, कनेक्शन और संबंधों की पहचान करके सक्रिय होना है।

निष्कर्ष - अंतरंगी व्यापार प्रतिभूति विनियमन के सबसे विवादित पहलुओं में से एक है, यहाँ तक कि कानून और अर्थशास्त्र के गुट के बीच भी। अंतरंगी व्यापार कई कारणों से कपटपूर्ण है। हालाँकि बाजार की अक्षमता के लिए कई अन्य प्रतिस्पर्धी रास्ते हैं, नए वित्तीय साधन और अंतर्दृष्टि हमें इन

प्रतिस्पर्धी अक्षमताओं को हल करने की अनुमति देते हैं। हालाँकि, हालांकि अधिकांश लोग अंतरंगी व्यापार के विरोध का तर्क देते हैं क्योंकि यह केवल असमान है, शायद सबसे बड़ा परिणाम यह है कि अंतरंगी व्यापार बाजार को कम कुशल बनाती है। अंतरंगी व्यापार की गुप्त प्रकृति पता लगाना मुश्किल बनाती है, दोषसिद्धि अधिक कठिन होती है, और इसमें शामिल बड़ी रकम को रोकना मुश्किल होता है। विद्वानों का एक समूह अंतरंगी व्यापार के विनियमन का समर्थन करता है, जिससे निगमों को अनुबंध द्वारा अपनी खुद की अंतरंगी व्यापार नीतियाँ निर्धारित करने की अनुमति मिलती है। कानून और अर्थशास्त्र के विद्वानों का एक और समूह, भेद में, तर्क देता है कि अंदरूनी जानकारी का संपत्ति अधिकार निगम को सौंपा जाना चाहिए और अनुबंध के पुनर्मूल्यांकन पर माफ नहीं किया जाना चाहिए।

अंतरंगी व्यापार को विनियमित करने के पक्ष में तर्क पारंपरिक रूप से निष्पक्षता के मुद्दों पर आधारित पाया गया था, जिसका कानून और अर्थशास्त्र बिरादरी में बहुत कम विरोध हुआ है। इसके बजाय, अनिवार्य अंतरंगी व्यापार निषेध के पक्ष में आर्थिक तर्क आम तौर पर सूचना में संपत्ति के अधिकारों के अर्थशास्त्र के कुछ विकल्प पर आधारित है। विनियामक तर्क आम तौर पर इस दावे पर आधारित होते हैं कि अंतरंगी व्यापार बाजार की दक्षता में सहायता करता है या प्रबंधकों को अंदरूनी सूचना का संपत्ति अधिकार सौंपना एक व्यवस्थित प्रतिपूर्ति योजना है। सार्वजनिक विकल्प विश्लेषण भी विनियामक साहित्य का एक प्रमुख हिस्सा है, यह तर्क देते हुए कि अंतरंगी व्यापार निषेध निवेशकों के बजाय बाजार पेशेवरों और प्रबंधकों को लाभ पहुंचाता है।

अंतर को कम करने और मौजूदा मानदंडों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने 15 मई, 2015 को सेबी (अंतरंगी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 पेश किए, जिसने मौजूदा सेबी (अंतरंगी व्यापार निषेध) विनियम, 1992 को प्रतिस्थापित किया। 2015 के विनियम आशाजनक, अनुकूल, अधिक व्यावहारिक और काफी हद तक अंतरंगी व्यापार के वैश्विक दृष्टिकोण के अनुरूप प्रतीत होते हैं। वे बेहतर अनुपालन और प्रवर्तन भी प्रदान करते हैं। इसलिए, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हर कोई नए मानदंडों के बारे में बात कर रहा है। पिछले दो दशकों में, अंतरंगी व्यापार (वैश्विक और घरेलू दोनों) के कानून और धारणा में काफी बदलाव आया है। अधिकांश वित्तीय विनियमों को लगातार विकसित और प्रगतिशील बाजार गतिशीलता के साथ तालमेल रखने के लिए लगातार और निरंतर संशोधनों की आवश्यकता होती है। अंदरूनी व्यापार बिल्कुल भी अलग नहीं है। मौजूदा नियम 1992 में लागू हुए। हालाँकि इन संहिताओं का अनुपालन असहनीय और असुविधाजनक प्रतीत होता है, खासकर बड़ी शेयरधारक और कर्मचारी आधार वाली कंपनियों और व्यावसायिक घरानों के लिए। उदाहरण के लिए, 10,000 कर्मचारियों वाली कंपनी में, कर्मचारियों की व्यापारिक गतिविधियों की निगरानी के लिए समर्पित संसाधनों की आवश्यकता होगी। हालाँकि, उम्मीद है कि नियमों की व्याख्या न्यायालयों और अधिकारियों द्वारा निरंतर तरीके से की जाएगी और पूंजी बाजार नियामक द्वारा समय पर स्पष्टीकरण जारी किए जाएंगे।

प्रतिभूति विनियमन का मूल उद्देश्य इस उद्देश्य का कार्यान्वयन है कि सभी निवेशकों को प्रतिभूति लेनदेन में भागीदारी के पुरस्कारों तक समान पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, निवेश करने वाले सभी लोगों को समान बाजार जोखिमों के अधीन होना चाहिए। ज्ञान तक असमान पहुंच पर आधारित

असमानताओं को हमारे जीवन के तरीके में अपरिहार्य मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बाजार सभी प्रकार की धोखाधड़ी और विशेष रूप से अंदरूनी व्यापार से मुक्त हो, जो आम निवेशक को बाजार के कामकाज से विमुख कर देता है, जैसे कि उसे पासा के साथ बकवास का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा हो। यदि अपराधी को लगता है कि सजा और अपराध के बीच सीधा संबंध है, तो अतिरिक्त कानून और कठोर दंड अपराधों को खत्म कर सकते हैं। अपराध के निवारण सिद्धांत के अनुसार, यदि सजा की निश्चितता है, तो अतिरिक्त कानून और कठोर दंड वित्तीय धोखाधड़ी को कम कर देंगे या इसे कम भी कर देंगे।

अतिरिक्त कानून दंड को और अधिक कठोर बना सकते हैं और कठोर दंड की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। ये तभी प्रभावी हो सकते हैं जब इन कानूनों का क्रियान्वयन कुशल हो और वित्तीय धोखाधड़ी करने वालों को लगे कि अगर वे वित्तीय धोखाधड़ी करते हैं तो वे पकड़े जाने से बच नहीं सकते। सबसे पहले, सरकार अंतरंगी व्यापार को खत्म करने या कम करने के लिए एक नई रणनीति लागू कर सकती है, वह है एक गोपनीय हेल्पलाइन स्थापित करना, जहां कोई व्यक्ति गुमनाम रूप से सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन को अंतरंगी व्यापार से संबंधित जानकारी दे सकता है। दूसरा, ब्रोकर फर्मों को सबसे पहले पता चलता है कि अंतरंगी व्यापार कब होती है। ब्रोकर फर्मों के लिए अंतरंगी व्यापार की रिपोर्ट करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। अगर वे जानकारी देने में विफल रहते हैं तो उन्हें ट्रेडिंग से निलंबित कर दिया जाना चाहिए। ब्रोकर फर्मों को यह तय करने के लिए विशिष्ट मानदंड दिए जाने चाहिए कि अंतरंगी व्यापार हुई है या नहीं। तीसरा, अंतरंगी व्यापार संचालन की सही रिपोर्टिंग के लिए नकद पुरस्कार स्थापित किए जाने चाहिए।

अंतरंगी व्यापार पर निगरानी रखने का महत्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ गया है क्योंकि विदेशी विनियामक घरेलू निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय निवेश समुदाय को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, सेबी को अब केवल विनियामक की भूमिका निभानी चाहिए। मामलों के तेजी से और प्रभावी निपटान के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जा सकती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.business-standard.com/india-news
2. Thapa Rojina, Insider Trading: A Brief Overview Of Legal Regime In USA, UK, India And Nepal "Mirmi re-Economic Article Special Issue, Vol.38, No. 293, Jan/ Feb,2010
3. The Companies Act2013, notification dated 12thSeptember, 2013 and received the assent of President on 29th August 2013.
4. N.K. Gupta, Monika Chopra, Financial Markets, Institutions & Services, 101 (An eBooks Pvt.Ltd.2nd Edition)2010
5. H.NejatSeyhun, Investment Intelligence from Insider Trading, MITPress Pvt.Ltd, 2000
6. Jonathan Moreland.Profitfrom LegallInsider Trading

- InvestTodayon Tomorrow's News, Dearborn Trade U.S.Pvt.Ltd, (2000)
7. GuyCohen.The Insider Edge:-how to follow the insiders for windfall profits, (John Wiley & SonsPvt.Ltd, 2012)
8. Pankaj Singh and Dharamveer Singh Chauhan, Insider Trading in India Consolidated Commercial Digest (2004)
9. Rishikesh Desai and Yosham Desai, A Comprehensive overview of the SEBI (Prohibition of Insider trading) Regulations, 1992
10. <http://www.lawyersclubindia.com/articles/Insider-Trading-An-Analysis-in-Corporate-Regime-3446.aspx>
11. Sanjay Gupta, Insider Trading: An overview available at <https://www.caclubindia.com/articles/insider-trading-anoverview-part-i-11090.asp>
12. Karan Gupta, Insider Trading in Capital Markets: an overview available at www.manupatra.com/capital-market
13. Das, Sonakshi, The Know-All of Insider Trading? Decades of Corruptive Prevention. Academike, 15.Jan. 2015,www.lawctopus.com/academike/know-insider-trading-decades-corruptive-prevention/#_edn8.
14. Tata Iron And Steel Co. Ltd. Etc vs Union Of India And Anr, 1992
15. Kumar Gaurav Role of SEBI in Curbing Insider Trading in India? An Analysis. IP leaders, 4 June 2018, blog.ipleaders.in/sebi-insider-trading-offences/.
16. Srivastava Anushweta & Shah Maharashi. Latest Insider Trading Regulations: Prohibitions & Exceptions
17. Tax Guru, 30 Sept. 2020, <https://taxguru.in/sebi/latest-insider-trading-regulations-prohibitions-exceptions.html>.
18. HindustanLeverlimited(HIL)VSEBI, (1998) 18SCL31 1MOF
19. Machiraju, H.R., (2009) The Working of Stock Exchanges in India, New Age International (P) Ltd.,pp-164-165
20. Reliance Industries limited (RIL) V & SEBI,2004 55 SCL 81 SAT
21. Katarki, Suneeth. India: 'Mens Rea' In Insider Trading? A 'Sine Qua Non'? Mondaq, 3 June 2015, www.mondaq.com/india/x/401724/Securities/Requirement-Of-Mens-Rea-As-A-Criterion-for-Penalising-Insider-Trading-In-India.
22. Jayachandran. Eliminating the Menace of Insider Trading. Live Mint, 27 Nov.2017, Constitution of India
23. https://www.lawinsider.in/columns/an-overview-of-insider-trading-related-laws-in-india#post-51341-footnote-0?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block-Companies-act-2013
24. Civil Appeal No.563 of 2020

हिन्दी साहित्य में निबंध परम्परा और भाषा

डॉ. रोशनलाल अहिरवार*

* प्रभारी प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, शाहगढ़, सागर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल साहित्य में गद्य लेखन की परम्परा को विकसित करने तथा विभिन्न विद्याओं के विकास के लिये जाना जाता है। आधुनिक साहित्य में निबंध का विशिष्ट महत्व है। निबंध विद्या के विकसित होने का अनुसंधानात्मक अध्ययन किया गया है।

शब्द कुजी – भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग।

प्रस्तावना – हिन्दी साहित्य में आधुनिक काल गद्य के विकास का काल है। गद्यकाल में निबंध विधा सर्वोपरि है। साहित्यिक विधाओं में निबंध विशेष रूप गद्य परिपुष्ट और व्यापक बना रही है निबंध शब्द प्राचीन है यह (नि+बन्ध) से बना है, जिसका अर्थ बांधना, संग्रह करना आदि है। प्राचीन समय में लिखित भोज पत्रों को मजबूत धागे से बांधकर रखा जाना था निबंधन कहा जाता था। समयानुसार क्रमशः पृष्ठों को बांधने के स्थान पर विचारों का बांधना निबंधन अर्थ में प्रयोग हुआ।

आज निबंध को फेंच के 'एसाइ' तथा अंग्रेजी के 'एसे' Essay का पर्याय माना जाता है, संस्कृत में इसका समानार्थी शब्द 'प्रबंध' है जिसका मूल अर्थ है-संदर्भ या ग्रंथ रचना। निबंध को परिभाषित करने के अनेक प्रयास किये गये हैं, जैसे निबंध साहित्य के जन्मदाता माइकेल डी मान्तेन निबंध को 'विचारों उद्धरणों और कथाओं के मिश्रण को मानते हैं।'

'Essay is a modly of reflection qotation and anecdotes' 1 मान्तेन के निबंध 1580 ई. में एसेज ऑव मेस्सीर माइकेल, सीन्योर दि मांतेन' के नाम से प्रकाशित हुये।

अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार लार्ड बेकन 'मन के प्रकीर्ण चिंतन' को निबंध मानते हैं। इनके निबंध संग्रह का नाम Essayes है जो 1597 ई. में प्रकाशित हुआ था। इनके निबंध नोट्स रूप में थे और उसने मॉतेन से प्रभावित होकर 'एसे' Essay शब्द का प्रयोग स्फुट साहित्यिक प्रयास के अर्थ में किया। वे अपने निबंधों के विषय में लिखते हैं-

'Brief notes set down rather significantly than anxiously' 2 आपने निबंधों को संक्षिप्त टिप्पण के रूप में ग्रहण किया है निबंध किसी विषय-विशेष पर एक ऐसी रचना है जिसकी परिधि सीमित होने पर भी शैली प्रायः प्रौढ़ एवं परिमार्जित होती है।

भारतीय विद्वानों में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है-'यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है।'³

निबंध के संबंध में बाबू गुलाबराय कहते हैं-'निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा

आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो।'⁴

हिन्दी निबंध साहित्य के विकास में पत्र-पत्रिकाओं का एवं राष्ट्रीय चेतना का विशिष्ट योगदान है। अंग्रेजी साहित्य के संपर्क से भारतीय जीवन में नव-जागृति, पत्र-पत्रिकाओं के प्रचार द्वारा गद्य का जो सरस और भावपूर्ण स्वरूप उदित हुआ उसे ही हम निबंध कहते हैं। हिन्दी गद्य साहित्य का सही विकास अंग्रेजी राज्य स्थापित हो जाने के बाद ही मिलता है।

भारतेन्दु युग के पूर्व ब्रजभाषा गद्य में बनारसीदास जैन ने 'परमार्थ वचनिका' और 'उपादान निमित्त की चिट्ठी' दो निबंध लिखे हैं। बनारसीदास जैन को हिन्दी का प्रथम निबंधकार माना जाता है। इनकी गद्य शैली और भाषा ब्रज है। गद्य शैली के सम्बन्ध में जयकिशन प्रसाद खण्डेलवाल लिखते हैं-'इनकी गद्य शैली सजीव और प्रभावपूर्ण है, शब्द सार्थक, प्रचलित और भावानुकूल प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं।'⁵ निबंध विचारात्मक कोटि के हैं। विषय गंभीर हैं, लेकिन विवेचन सरलता से किया है।

खड़ी बोली गद्य के चार प्रवर्तक हुए हैं-लल्लूजी लाल, सद्दल मिश्र, मुंशी सुदासुखलाल नियाज, सैयद इंशाअल्ला खॉं। खड़ी बोली गद्य के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारतेन्दु हरिश्चंद्र से कुछ समय पहले राजा शिवप्रसाद का लिखा 'राजा भोज का सपना' निबंध की कोटि की रचना तो हैं पर उसमें निबंध के महत्वपूर्ण तत्व आत्मीयता, वैयक्तिकता आदि का अभाव है। स्वामी दयानंद, श्रद्धाराम फुल्लौरी ने भी खड़ी बोली गद्य में कुछ निबंधों की सृष्टि की है।

भारतेन्दु युग – हिन्दी निबंधों के जन्मदाता भारतेन्दु हरिश्चंद्र हैं। भारतेन्दु युग हिन्दी निबंधों के जन्म और विकास का युग है। 'भारतेन्दु बाबू के समय से ही निबंध-रचना की परम्परा का आरंभ माना जाता है।'⁶

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' का प्रकाशन किया। देशभक्त और समाज सुधारक होने के कारण निबंधों में सामाजिक समस्याओं का चित्रण विस्तार से हुआ है। निबंधों में हास्य और व्यंग्य की छटा है-'होली', 'त्यौहार', 'भूकम्प', 'स्वर्ग में विचार सभा' आदि निबंध इसी श्रेणी के हैं। तत्कालीन समाज में रूढ़िवादिता, अंधविश्वास व्यापक रूप से विद्यमान था। भारतेन्दु ने अपने धार्मिक निबंधों में इनका विरोध किया। जैसे - 'हम

मूर्ति पूजक हैं', 'ईश्वर का वर्तमान होना', 'भगवत स्तुति' आदि धार्मिक निबंध हैं।

राजनैतिक दुरावस्था को लक्ष्य करके उन्होंने राजनीतिक निबंध भी लिखे हैं, और तीखे व्यंग्य किये हैं। जैसे 'इंग्लैण्ड और भारतवर्ष', 'दिल्ली दरबार दर्पण', 'भारत वर्ष के सुधार के क्या उपाय हैं?' आदि उनके राजनीतिक निबंध हैं 'मित्रता', 'खुशी', 'अपठ' आदि विचारात्मक निबंध लिखे हैं। साहित्यिक विषयों पर निबंधों में 'बंग भाषा की कविता', 'संगीत सार' आदि हैं।

भारतेन्दु की भाषा का एक व्यवस्थित, व्यावहारिक रूप मिलता है। उनकी भाषा के सम्बन्ध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है- 'भारतेन्दु अपनी मँजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए तब हिन्दी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया।'⁷ भारतेन्दु ने हिन्दी गद्य शैली का एक नवीन और बिखरा रूप स्थिर किया है।

भारतेन्दु जी के समकालीन निबंधकारों में पण्डित बालकृष्ण भट्ट, पण्डित प्रतापनारायण मिश्र, बदरीनारायण चौधरी, राधाचरण गोस्वामी, आदि का नाम आता है। भट्ट जी प्रगतिशील लेखक एवं हिन्दी के पहले सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। इन्होंने 'हिन्दी प्रदीपय का संपादन किया और उसमें सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक सभी प्रकार के निबंध लिखे। जहाँ एक ओर 'आँख', 'नाक' जैसे साधारण विषयों पर उन्होंने बड़े रोचक निबंध लिखे हैं। मनोविकार से सम्बन्धित निबंधों में- 'रुचि', 'आत्मगौरव', 'विश्वास', 'आशा' आदि निबंध हैं। कुछ निबंध साहित्यिक पद्धति के हैं जैसे 'आँसू', 'लक्ष्मी', 'कालचक्र का चदर', 'माता का स्नेह', 'साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास' है। भावात्मक निबंधों में 'चंद्रोदय' प्रमुख है।

भारतेन्दु मण्डल में पण्डित प्रतापनारायण मिश्र का महत्वपूर्ण स्थान है। निबंधकार के रूप में वे विश्वस्तरीय सृष्टा हैं जिनकी तुलना मांतेन, लेम्ब इत्यादि से की जाती है। विचारात्मक निबंधों में जो स्थान आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का है, वही भावात्मक निबंधों में प्रताप नारायण मिश्र का। मिश्रजी ने साधारण और व्यावहारिक विषयों को रोचक, सरस एवं मनोरंजक रूप में उपस्थित किया है- 'दांत', 'भौ', 'वृद्ध', 'बात' आदि। नित्य प्रति उपयोग में आने वाले छोटे-छोटे शब्दों पर रोचक और सुंदर निबंधों में 'द', 'ट', 'त' आदि निबंध हैं। इसी के साथ उन्होंने व्यंग्य-विनोदपूर्ण निबंध लिखे हैं जिनका साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है- 'पढ़े लिखों का लक्षण', 'बन्दरों की सभा', 'रिश्वत' आदि। मिश्र जी के अन्य निबंधों में 'देशोन्नति', 'हमारी आवश्यकता', 'नारी', 'अंतिम भाषण', 'चिन्ता', 'विश्वास', 'होली है', 'गंगा जी', 'गोरक्षा', 'धरतीमाता' आदि हैं। डॉ. लक्ष्मीनारायण दुबे लिखते हैं- 'मिश्र जी के निबंध उस संक्रांति-काल के बोधक हैं जबकि हिन्दी गद्य का रूप निर्धारित हो रहा था और साहित्य एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राचीन और नवीन के मध्य संघर्ष हो गया।'⁸

बदरीनारायण चौधरी ने आनंदकादम्बनी पत्रिका का संपादन किया। निबंधों के विषय साहित्य, राजनीति, धर्म तथा समाज से सम्बन्धित है। 'दिल्ली दरबार में मित्र मण्डली', 'समय', 'नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा', 'फाल्गुन', 'ऋतु वर्णन', इनके श्रेष्ठ निबंध हैं।

लाला श्री निवास दास के 'भरतखंड की समृद्धि', 'सदाचरण' इनके प्रमुख निबंध हैं।

राधाचरण गोस्वामी के व्यंग्यात्मक निबंध हिन्दी निबंध साहित्य की

अक्षय निधि है। 'यमपुर की यात्रा', 'हिंदु बांधव' इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। श्री मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के निबंध सामाजिक हैं- 'खुशामद', 'बंधुत्व किसे कहते हैं', 'हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी' इनके प्रमुख निबंध हैं।

भारतेन्दु युग के निबंधों में आत्मीयता, सहजता, रोचकता और सजीवता आदि गुणों का समावेश मिलता है। निबंधों का उद्देश्य देश-प्रेम, राष्ट्रसुधार एवं व्यक्तित्व परिष्कार था निबंधकारों के विषय में रामविलास शर्मा का मत है- 'जितनी सफलता भारतेन्दु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटकों में नहीं मिली। इसका एक कारण यह था कि पत्रिकाओं में नित्य प्रति लिखते रहने से उनकी शैली भी खूब निखर गई थी। दूसरी बात यह कि निबंध ही एक ऐसा माध्यम था, जिसके द्वारा उस युग के धक्कड़ लेखक बेतकलुफी से अपने पाठकों से बात कर सकते थे।'⁹ हिन्दी का गद्य-शैली को विकसित एवं परिष्कृत करने में इन निबंधकारों का महत्वपूर्ण योगदान है।

द्विवेदी युग : हिन्दी निबंध का दूसरा चरण द्विवेदी युग है। पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिन्दी साहित्य में एक निबंधकार के रूप में, एक आलोचक तथा भाषा सुधारक के रूप में अमूल्य योगदान है। भारतेन्दु युग तक भाषा का स्वरूप तो स्थिर हो चुका था, परन्तु व्याकरण सम्बन्धी दोषों से वह मुक्त नहीं हो पाई थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन दोषों को दूर कर भाषा को शुद्ध और व्याकरण सम्मत बनाया। उन्होंने 1903 में 'सरस्वती' पत्रिका का संपादन किया।

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के सशक्त निबंधकार हैं। उन्होंने विचारात्मक निबंधों की परम्परा को जन्म दिया। 'कविता', 'कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता', 'साहित्य की महत्ता', 'कवि कर्तव्य', 'कवि और कविता', 'प्रतिभा' आदि। स्वच्छंद विचारधारा के साथ मनोभावों को रोचक शैली में लिखे निबंधों में उनके व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं- 'कालिदास का भारत', 'दण्डदेव का आत्म निवेदन', 'गोपियों की भगवत भक्ति' आदि। उनके आलोचनात्मक निबंधों में 'महिष शतक की समीक्षा', 'हिन्दी भाषा की उत्पत्ति', 'कालिदास का समय निरूपण' आदि निबंध आते हैं।

कुछ निबंधों में जीवनी, कथा, घटना, इतिहास को विषय बनाया है जैसे- 'श्रीमद्भागवत', 'हंस संदेश', 'कादम्बरी', 'भारत के प्राचीन नरेशों की दिनचर्या', आदि। भाषा एवं व्याकरण सम्बन्धी निबंधों में- 'अपनी भाषा की बात', 'भाषा और व्याकरण', 'हिन्दी नवरत्न' प्रमुख हैं।

द्विवेदी जी के निबंधों की भाषा शुद्ध, समृद्ध और व्याकरण सम्मत है। वह न तो संस्कृत बहुल भाषा के पक्षपाती थे और न ही उर्दू, फारसी के बल्कि इन भाषाओं के लोक प्रचलित शब्दों के प्रयोग को उचित समझते थे। बालमुकुन्द गुप्त भारतेन्दु और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी है। उनके निबंधों में एक ओर भारतेन्दु युग का राष्ट्रप्रेम, जन जागरण है तो दूसरी ओर द्विवेदी युग की सधी हुई, व्याकरण सम्मत भाषा भी है। 'शिव-शम्भू का चिह्न' तथा 'बालमुकुन्द गुप्त निबंधावली' उनके निबंध संग्रह हैं। रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है- 'गुप्तजी की भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोदपूर्ण होती थी। किसी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। वे पहले उर्दू के एक अच्छे लेखक थे, इससे उनकी हिन्दी बहुत चलती और फड़कती हुई होती थी।'¹⁰

अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह ने केवल छह निबंध मिलते हैं जो पुस्तकाकार भी प्रकाशित भी हैं- 'सच्ची वीरता', 'कन्यादान', 'पवित्रता',

‘वद्यक्रान्ति’, ‘आचरण की सभ्यता’, ‘मजदूरी और प्रेम’ आदि।

पण्डित माधवप्रसाद मिश्र द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। इन्होंने ‘वैश्वोपकारक’ और ‘सुदर्शन’ पत्रों का संपादन किया। इनके निबंध एक ओर साहित्यिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और पुरातत्व सम्बन्धी विषयों पर हैं। सनातन धर्म के प्रति आस्था होने के कारण शुद्ध धार्मिक निबंध भी लिखे हैं- ‘श्री पंचमी’, ‘होली’, ‘रामलीला’, ‘व्यासपूजा’, ‘विजयादशमी’, ‘श्रावण के त्योंहार’ आदि निबंध धार्मिक विषयों को लेकर लिखे हैं।

चन्द्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के सबसे प्रगतिशील निबंधकार हैं। ‘कछुआ धरम’, ‘मोरसि मोहि कुठाऊँ’, ‘संगीत’ आदि उल्लेखनीय हैं। श्याम सुंदरदास जी के प्रमुख निबंधों में भारतीय साहित्य की विशेषतायें, ‘कर्तव्य और सभ्यता’, ‘समाज और साहित्य’, ‘हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा’, ‘कविता की कसौटी’, ‘देवनागरी और हिन्दी’, ‘हिन्दी भाषा और साहित्य’ इनके प्रमुख निबंध हैं।

पद्मसिंह शर्मा के निबंधों में प्रमुख ‘मुझे मेरे मित्रों से बचाओ’, ‘दयानंद सरस्वती मर गये’, ‘हिन्दी के प्राचीन साहित्य का उद्धार’ आदि हैं। इनके निबंध ‘पद्मपराग’ और ‘प्रबंध मंजरी’ में संकलित हैं। गोविंद नारायण मिश्र ने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर निबंध लिखे हैं जो ‘गोविंद निबंधावली’ में संग्रहीत हैं। ‘कवि और त्रिकार’ इनका प्रसिद्ध लेख है।

अन्य निबंधकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, किशोरीदास बाजपेयी, बाबू शिवपूजन सहाय, बाबू विष्णुराव पराडकर जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी प्रमुख हैं।

द्विवेदी युग में निबंधकारों को नवीन विषय प्राप्त हुए, विभिन्न प्रकार के निबंधों की रचना हुई। स्वच्छंदता और उन्मुक्तता के स्थान पर विवेचन और गम्भीरता की वृद्धि हुई। भाषा का परिमार्जन एवं परिष्कार हुआ अब निबंध जनसाधारण की वस्तु न रहकर शिष्ट समाज की वस्तु भी बन थे।

शुक्ल युग : द्विवेदी युग तक निबंधों का विकास प्रौढ़ता प्राप्त कर चुका था। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उस प्रौढ़ता के विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य के क्षेत्र में कविता, कहानी, समालोचना और निबंधों का सृजन किया। इनके निबंध दो तरह के हैं- मनोविकार सम्बन्धी, आलोचना सम्बन्धी। शुक्लजी ने मनोविज्ञान में साहित्य और साहित्य में मनोविज्ञान एक साथ प्रस्तुत किया। ‘चिन्तामणि’ में शुक्ल जी का व्यक्तित्व उनकी शैली के व्यक्तित्व का प्रतीक बन गई। संग्रहीत निबंध उनकी गंभीर प्रवृत्ति के परिचायक हैं, इनमें से कुछ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं और अन्य साहित्यिक दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। ‘उत्साह’, ‘श्रद्धा भक्ति’, ‘करुणा’, लज्जा और ग्लानि’, ‘लोभ और प्रीति’, ‘घृणा’, ईर्ष्या’, भय और क्रोध आदि निबंधों में मानव के मनोविकारों का बेहद सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण किया है।

आचार्य शुक्ल ने हिन्दी जगत में निबंध के क्षेत्र को एक नया मार्ग प्रशस्त किया। ‘चिन्तामणि’ में संग्रहीत गंभीर मनोवैज्ञानिक निबंध अपना साहित्यिक महत्व भी रखते हैं। ‘कविता क्या है?’ ‘काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था’, ‘साधारणीकरण व व्यक्ति वैचित्र्यवाद’, ‘रसात्मक बोध के विविध रूप’, ‘भारतेन्दु हरिश्चन्द्र’, ‘तुलसी का भक्तिमार्ग’ आदि साहित्यिक कोटि के निबंध हैं।

शुक्लजी की भाषा-शैली का मूल्यांकन करते हुए कहा गया है- ‘हिन्दी के किसी ऐसे सफल लेखक का यदि नाम लिया जाय, जिसने भाषा की समस्त शैलियों-विवेचनात्मक-व्याख्यात्मक शैली और उसके विविध रूप,

निगमन-आगमन, आलोचनात्मक, तर्कप्रधान, तुलनात्मक, गवेषणात्मक, उद्बोधनात्मक तथा निर्णयात्मक आदि सब शैलियां, भावात्मक शैली, वर्णनात्मक, विवरणात्मक शैली, संभाषण शैली, हास्य-व्यंग्यात्मक शैली, आलंकारिक शैली आदि का निर्वाह, समान अधिकार, योग्यता, प्रौढ़ता, सफलता और सफाई के साथ किया हो, तो वे स्वनामधन्य पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ही हैं।’¹¹

बाबू गुलाबरायने विचारात्मक, भावात्मक, वैयक्तिक, सामयिक निबंधों की रचना की है जो हिन्दी के श्रेष्ठ निबंधों में अधिकांश निबंध-साहित्य-संदेश नामक पत्र में प्रकाशित हुए। निबंधों के विषय साहित्य, राजनीति, इतिहास, धर्म, दर्शन, पर्व त्योहार आदि से सम्बन्धित है। ‘मेरी असफलताएं’ निबंध संग्रह उनकी विनोद प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। साहित्यिक निबंधों में उनकी विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति दिखाई देती है। गुलाबराय ने विद्यार्थियों को उपयोगी निबंध भी लिखे हैं। ‘प्रबंध-प्रभाकर’ और ‘निबंध-रत्नाकर’ संग्रहों के निबंध इसी प्रकार के हैं।

सामयिक निबंधों में सीमावर्ती चोर’ उनका इसी प्रकार का निबंध है। उनके अन्य निबंधों में ‘कसौली’ ‘मेरी असफलताये’ ‘मेरे निबंध’ ‘जीवनपथ’ ‘मन की बात’ ‘फिर निराशा क्यों?’ ‘समाज और कर्तव्यपालन’ प्रमुख हैं।

गुलाबराय की भाषा बड़ी सुदृढ़ है। कठिन विषय को भी सरल बनाकर प्रस्तुत करने की कला है- ‘भाषा की स्वच्छता, विचारों की स्पष्टता, वाक्य-विधान की सरलता और अभिव्यंजना की सुबोधता इनकी शैली के गुण हैं। तर्क-युक्ति, प्रमाण, परिमाण आदि इनकी शैली में कम ही आते हैं-वह सीधी स्वाभाविक आत्मीयता लिये होती हैं।’¹² भाषा सरल और मुहावरेदार, वाक्यों की सरलता, अभिव्यक्ति व्यावहारिक उनकी शैली की प्रमुख विशेषतायें हैं।

पद्मलाल पुञ्जालाल बखशी के निबंधों की विशेषता यह है कि निबंधों के माध्यम से हिन्दी के पाठकों को यूरोपीय साहित्य से अवगत कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ‘पंचपात्र’, ‘कुछ और कुछ’, ‘प्रदीप’, ‘साहित्य शिक्षा’, ‘यात्री’, ‘बिखरे पत्र’, ‘मेरा जीवन क्रम’, ‘विज्ञान’, ‘समाज सेवा’, ‘अतीत स्मृति’, ‘एक पुरानी कथा’, ‘बंदर की शिक्षा’ आदि उनके प्रमुख निबंध हैं।

सियारामशरण गुप्त गांधीवादी साहित्यकार थे आपने संस्मरण, यात्रा सम्बन्धी, सामाजिक, साहित्य आदि पर व्यक्तिनिष्ठ निबंध लिखे हैं। गांधीवाद का स्पष्ट प्रभाव निबंधों में दिखायी देता है। ‘झूठ-सच’, ‘अन्य भाषा का मोह’, ‘सोच विचार’ छुट्टी’, ‘घूँघट आदि निबंध हैं।

माखनलाल चतुर्वेदी ने विचारात्मक विषयों पर भी जैसे- ‘युग और कला’, ‘साहित्य देवता’, ‘रंग की बोली’ भावात्मक निबंध लिखे हैं। निबंध संग्रहों में ‘साहित्य देवता’ हिन्दी निबंधों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ‘अमीर इरादे गरीब इरादेय संग्रह में विचारों और भावों का योग है।

जयशंकर प्रसाद का निबंध साहित्य की अभिवृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है। ऐतिहासिक निबंधों में ‘विशाल’, ‘अजातशत्रु’, ‘राज्यश्री’, ‘स्कंदगुप्त’, ‘ध्रुवस्वामिनी’, नाटकों की भूमिकाएं हैं ‘आर्यावर्त का प्रथम सम्राट’, ‘इन्द्र’ इसी श्रेणी के निबंध हैं। साहित्यिक निबंधों में ‘प्रकृति सौंदर्य’, ‘भक्ति’, ‘चम्पू’, ‘कवि और कविता’, व हिन्दी कविता का विकास आदि निबंध हैं। समीक्षात्मक निबंधों में ‘काव्य और कला’, ‘रहस्यवाद’, ‘नाटकों का आरंभ’, ‘रस’, ‘नाटकों में रस का प्रयोग’, ‘रंगमंच’, ‘यथार्थवाद और छायावाद’ आदि निबंध हैं।

हरिभाऊ उपाध्याय गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थे। निबंध संग्रहों में— 'मनन', 'स्वागत', 'बुद्बुद' आदि। दार्शनिक विषयों परमतत्व', 'जीवनसिद्ध', 'धर्म और नीति', 'सदाचार', प्रमुख निबंध हैं। रघुवीर सिंह भावात्मक निबंधकारों में जाने जाते हैं। निबंधों में भारतीय संस्कृति और इतिहास का सामंजस्य है। निबंधों में मुगलकालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। प्रमुख निबंध संग्रहों में 'जीवन कण', 'शेष स्मृतियां', 'सप्तदीप', 'जीवनधूलि' प्रमुख हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विचारात्मक निबंधकारों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। 'प्रबंध पत्र', 'प्रबंध प्रतीक्षा', 'प्रबंध पूर्णिमा', उनके प्रमुख निबंध हैं। श्री वियोगी हरि का नाम भावात्मक निबंधकारों में है। इनके निबंध संग्रहों में 'भावना', 'तरंगिणी', 'अन्तर्नाद', 'ठण्डे छीटे', 'मेरी हिमाकत' प्रमुख हैं।

प्रेमचंद मूलतः श्रेष्ठ कहानीकार और उपन्यास सम्राट हैं। इसके साथ ही एक निबंधकार के रूप में उनका विशिष्ट स्थान है। उनके अधिकांश निबंध साहित्यिक हैं— 'साहित्य का आधार', 'जीवन में साहित्य का स्थान', 'साहित्य में बुद्धिवाद', 'राष्ट्रभाषा हिन्दी और उसकी समस्याएँ', 'साहित्य और मनोविज्ञान', 'उर्दू, हिन्दी और हिन्दुस्तानी', 'कोमी भाषा' के विषय में कुछ विचार प्रमुख हैं।

पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी ने संस्मरणात्मक एवं जीवनीपरक निबंध लिखे हैं। 'हमारे आराध्य', 'रेखाचित्र', 'संस्मरण' इनके प्रमुख निबंध हैं।

इस युग के अन्य प्रमुख निबंधकारों में पीताम्बर बड़वाल, राहुल सांस्कृत्यायन, डॉ. हरशंकर शर्मा, श्रीराम शर्मा, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, काका कालेलकर, सुमित्रानंदन पंत, चतुरसेन शास्त्री, परशुराम चतुर्वेदी, धीरेन्द्र वर्मा प्रमुख हैं।

शुक्ल युग में प्रायः सभी प्रकार के निबंधों का पूर्ण विकास हुआ है। निबंधों के विषय का विस्तार, भाषा की प्रौढ़ता, विविध शैलियाँ इस युग के निबंधों की विशेषताएँ हैं।

शुक्ल युग : शुक्ल युग हिन्दी निबंध साहित्य का स्वर्ण युग है। साहित्य, समाज, संस्कृति, दर्शन, मनोविज्ञान सभी विषयों पर निबंध की सृष्टि हो रही है। इस युग के निबंध मौलिक तो हैं ही साथ ही अनुदित निबंध भी हमें प्राप्त हो रहे हैं।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंधकारों में प्रथम है। आचार्य द्विवेदी श्रेष्ठ निबंधकार, कथाकार एवं आलोचक हैं। 'अशोक के फूल', 'भारतीय फलित ज्योतिष', 'मेरी जन्मभूमि' आदि निबंधों में उनका संस्कृति और इतिहास के प्रति प्रेम स्पष्ट दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति के अनियंत्रित विस्तृत स्वरूप को उन्होंने पाठकों के समक्ष अपने 'संस्कृतियों का संगम' निबंधों में प्रस्तुत किया है। निबंधों में मानवतावाद उन पर रवीन्द्रनाथ टैगोर के प्रभाव को स्पष्ट करता है। आपके साहित्यिक निबंधों में यह मानव प्रेम बहुत निखरा है— 'मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है', 'साहित्यकारों का दायित्व', 'सावधानी की आवश्यकता', ऐसे निबंध हैं जिनमें उनकी तन्मयता, हार्दिकता एवं कल्पना का सुंदर सामंजस्य मिलता है। द्विवेदी जी का नैसर्गिक सौंदर्य प्रकृति से प्रेम उनके निबंधों में व्याप्त है। 'अशोक के फूल', 'शिरीष के फूल', 'बसंत आ गया', आदि निबंध उनके प्रकृति प्रेम को दर्शाते हैं। 'अशोक के फूल', 'शिरीष के फूल', 'नाखून क्यों बढ़ते हैं', 'आम फिर बौरा गए', 'संस्कृतियों का संगम', 'भगवान महाकाल का कुंड नृत्य', आंतरिक शुचिता भी आवश्यक है', 'भारतीय फलित ज्योतिष', 'भारत वर्ष की सांस्कृतिक समस्या', 'भारतीय संस्कृति की देन',

'संस्कृत और साहित्य', 'रवीन्द्रनाथ के राष्ट्र गान', 'पुरानी पोथियाँ', 'काव्य कला', आदि प्रमुख निबंध हैं।

आचार्य नंददुलारे बाजपेयी समीक्षक, संपादक, अध्यापक थे। आलोचनात्मक निबंध संग्रहों में 'हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी', 'जयशंकर प्रसाद', 'प्रेमचंद', 'आधुनिक साहित्य', 'नया साहित्य', 'नये प्रश्न' आदि है। बाजपेयी जी हिन्दी समीक्षा के एक प्रमुख आधार स्तंभ हैं। मौलिक निष्पत्ति और साहित्यिक व्यक्तित्व की चिंतना के कारण साहित्य समीक्षा का निर्माता कहा जा सकता है। दर्शन, इतिहास और साहित्य का एक अद्भुत समन्वय उनके समीक्षात्मक निबंधों में मिलता है। बहुमुखी व्यक्तित्व को रेखांकित करने वाली पुस्तक 'हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी' है इसके निबंध वास्तव में छायावाद को समझने-समझाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाते हैं। इसमें द्विवेदी युग के तीन प्रमुख लेखक लिए गए हैं— मैथिलीशरण गुप्त, रामचन्द्र शुक्ल और प्रेमचंद एक प्रकार से तीन दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कविता, समीक्षा और कथा साहित्य। आधुनिक साहित्य में सात खण्ड हैं जिसमें वे अपने समय की रचनाशीलता को उसके सामाजिक संदर्भों में रखकर देखते हैं। प्रसाद, निराला और पंत के काव्य पर विचार करते हुए बाजपेयी जी मुख्यतः उन बिंदुओं को स्पर्श करते हैं जो स्वतंत्र व्यक्तित्व देते हैं। इस कृति में उन्होंने प्रेमचंद से लेकर अज्ञेय तक लिखा है और प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी कवियों पर भी दृष्टि डाली है।

जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक निबंधकार हैं। जैनेन्द्र के प्रमुख निबंधों में 'प्रस्तुत प्रश्न', 'जड़ की बात', 'काम', 'प्रेम और परिवार', 'ये और वेय', 'व्यक्तिवाद', 'विचार वल्लरी', 'गांधी नीति' प्रमुख हैं।

महादेवी वर्मा संस्मरणात्मक निबंध हिन्दी साहित्य की अक्षय निधि है। 'स्मृति की रेखाएँ', 'अतीत के चलचित्र', 'पंथ के साथी', संकलनों के निबंध। ये निबंध उनकी मधुर स्मृतियों को समेटे हैं। विचारात्मक निबंधों में 'साहित्यकार की आस्था', 'काव्यकला', 'छायावाद', 'रहस्यवाद', 'गीतिकाव्य', 'युद्ध और नारी', 'जीवन का व्यवसाय', 'आधुनिक नारी', 'जीने की कला', आदि प्रमुख हैं। महादेवी जी के वर्णनात्मक निबंधों में 'बद्रीनाथ की यात्रा', 'सुई दो रानी डोरा दो रानी' प्रमुख हैं।

वासुदेवशरण अग्रवाल ने भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्व सम्बन्धी विषयों पर निबंध लिखे हैं। 'कला और संस्कृति', 'माता भूमि', 'पृथ्वी पुत्र', 'वेदविद्या', 'वाग्धारा', 'भारत की मौलिक एकता' इनके प्रमुख निबंध हैं।

डॉ. नगेन्द्र एक श्रेष्ठ आलोचक हैं। निबंध संग्रहों में 'विचार और विवेचन', 'विचार और अनुभूति', 'काव्य चिंतन', 'विचार और विश्लेषण', 'कामायनी के अध्ययन की समस्याएँ' प्रमुख हैं।

डॉ. रामविलास शर्मा प्रगतिवादी आलोचक हैं। आप मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। 'संस्कृति और साहित्य', 'प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ', 'प्रगति और परम्परा', 'स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य' उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं।

सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' प्रयोगवाद के प्रवर्तक, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। - 'त्रिशंकु', 'आत्मनेय पद', 'सब रंग कुछ रंग', 'हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिदृश्य', 'लिखि कागद कोरेय, आपके प्रमुख निबंध संग्रह है।

श्री विद्यानिवास मिश्र, प्रमुख ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रहों में— 'छितवन की छाँह', 'आँगन का पक्षी और बनजारा मन', 'तुम

चंदन हम पानी', 'बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं', 'परम्परा बंधन नहीं', मेरे राम का मुकुट भीग रहा है-मैंने सिल पहुंचाई', 'कटीले तारों के आरपार', 'अस्मिता के लिए' इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं।

आधुनिक युग के महत्वपूर्ण निबंधकारों में प्रभाकर माचवे, डॉ. रामदरश मिश्र, निर्मल वर्मा, डॉ. गोपाल राय, डॉ. श्रीराम शर्मा, देवेन्द्र सत्यार्थी, रामवृक्ष बेनीपुरी, उपेन्द्रनाथ अशक प्रमुख हैं।

इस युग में व्यंग्य एक सशक्त विधा के रूप में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री हरिशंकर परसाई एक ऐसे व्यंग्यकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को उच्च स्थान दिया है। निबंध संग्रहों में- 'भूत के पांव पीछे', 'बेइमानी की परत', 'पगडंडियों का जमाना', 'और अन्त में', 'शिकायत मुझे भी है', 'अपनी-अपनी बीमारी', 'वैष्णव की फिसलन', 'विकलांग श्रद्धा का दौर' प्रमुख हैं। अपने इन निबंधों में परसाई जी ने सामाजिक और मानवीय यथार्थ को उजागर किया है। शरद जोशी, गोपाल प्रसार व्यास, प्रभाकर माचवे ने भी श्रेष्ठ हास्य-व्यंग्यपूर्ण निबंध लिखे हैं।

अपने उद्भव काल से लेकर वर्तमान युग तक निबंध की विकास यात्रा में नित नये विविधरूपी स्वरूप देखने मिलता है। साहित्य, समाज, संस्कृति, मनोविज्ञान, दर्शन सभी विषयों पर निबंधों की सृष्टि हो रही है। तथा भाषा का विकसित रूप देखने मिलता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. An Introduction of the study of literature W.H.

Houtdson's Page 442.

2. An Introduction of the study of literature W.H. Houdson's Page 446.
3. हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ; नागरी प्रचारिणी सभा, काशी संवत् 2040 संस्करण बीसवा, पृष्ठ 344।
4. काव्य के रूप : बाबू गुलाबराय ; आत्माराम एण्ड संस 1967 संस्करण छठवां ,पृष्ठ 213।
5. हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियां : डॉ. जयकिशन खण्डेलवाल ; विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा/1985 बारहवां संस्करण पृष्ठ 76।
6. हिन्दी साहित्य का इतिहास:पण्डित रामशंकर शुक्ल रसगल;पृष्ठ 730।
7. हिन्दी साहित्य का इतिहास :आचार्य रामचन्द्र शुक्ल;पृष्ठ 307।
8. गद्य सोपान:संपादक लक्ष्मीनारायण दुबे ; चाँद कार्यालय इलाहाबाद 1970 पृष्ठ 158।
9. भारतेन्दु युग:डॉ. रामविलास शर्मा; कैलाश प्रिंटिंग प्रेस आगरा चतुर्थ संस्करण 1963 ,पृष्ठ 82।
10. हिन्दी साहित्य का इतिहास: आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ 352।
11. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, निबंधयात्रा:डॉ. कृष्णदेव झारी; पृष्ठ5।
12. हिन्दी निबंधकार:जयनाथ नलिन, पृष्ठ 142।
13. हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तिया : जयकिशन खण्डेलवाल ; विनोद पुस्तक मंदिर आगरा 1985 बारहवां संस्करण , पृष्ठ 770।

Caribbean Literature: A Journey Through Identity, History and Resilience

Pooja Sharma*

*Asst. Professor (Education) Dr C. V. Raman University, Khandwa (M.P.) INDIA

Abstract : Caribbean literature is a captivating tapestry that reflects the complexities of the region's history, culture, and identity. Born from the struggles of colonization, slavery, and cultural fusion, Caribbean literature has emerged as a powerful means of expressing the collective experiences and resilience of its people. This paper explores the rich and diverse landscape of Caribbean literature, examining its historical roots, major themes, prominent authors, and its role in shaping a distinct Caribbean identity. From the early works of the Harlem Renaissance to contemporary narratives, Caribbean literature continues to inspire and inform readers worldwide, providing a window into the vibrant soul of the Caribbean.

Keywords: Caribbean literature, Resilience, Colonialism, Cultural diversity, Linguistic diversity, Creole languages.

Introduction - Caribbean literature, a vibrant tapestry woven from diverse threads of history, culture, and experience, offers a profound exploration of identity, resilience, and the enduring human spirit. This rich literary tradition, spanning centuries and encompassing various genres, has emerged as a powerful voice that challenges colonial narratives, celebrates cultural heritage, and grapples with the complexities of postcolonial existence. As Caribbean literature represents the literary expressions of the diverse and multifaceted Caribbean region. It is rooted in the tumultuous past of colonization, the transatlantic slave trade, and indentured labour, this literature serves as a powerful testimony to the struggles, triumphs, and unique identity of Caribbean people. This paper introduces the significance of Caribbean literature in capturing the essence of the region's history and culture.

Historical Roots: The origins of Caribbean literature can be traced back to the 18th and 19th centuries, marked by the works of writers such as Olaudah Equiano, Mary Prince, and Frederick Douglass, who provided accounts of the horrors of slavery and the quest for freedom. The Harlem Renaissance of the 1920s and 1930s also played a pivotal role in fostering literary movements across the Caribbean, inspiring a new generation of writers to embrace their cultural heritage.

The Caribbean region has a complex history marked by centuries of colonization, slavery, and exploitation. This tumultuous past has profoundly shaped the experiences and identities of its people, leaving an indelible imprint on their literature. The colonial legacy, with its oppressive structures and cultural domination, has been a central

theme in Caribbean writing, inspiring authors to challenge Eurocentric perspectives and reclaim their cultural heritage. The colonial period witnessed the forced migration of millions of Africans to the Caribbean to serve as enslaved labourers. This traumatic experience has had a profound impact on the region's cultural landscape and has been a recurring theme in Caribbean literature. Authors have explored the horrors of slavery, the resilience of enslaved people, and the enduring legacy of this dark chapter in history.

Themes and Motifs: Caribbean literature explores a range of themes and motifs that resonate with the region's history and contemporary challenges. Themes such as slavery, colonialism, identity, race, migration, and diaspora are recurrent in the works of Caribbean authors. This section delves into the literary themes that provide a unique lens into the Caribbean experience.

Identity is a recurring motif in Caribbean literature, as authors grapple with the complexities of belonging to multiple cultures and navigating the tension between their Caribbean roots and the colonial influences that have shaped their lives. Writers often explore the concept of hybridity, celebrating the fusion of African, European, indigenous, and other cultural influences that have contributed to the unique Caribbean identity.

The experience of displacement and diaspora has also been a central theme in Caribbean literature. Many authors have explored the challenges faced by Caribbean immigrants and refugees, as well as their efforts to maintain their cultural identity in new and unfamiliar environments. These

narratives often highlight the resilience and adaptability of Caribbean people in the face of adversity.

Cultural and Linguistic Diversity: One of the defining features of Caribbean literature is its rich cultural and linguistic diversity. The region's multiple languages, including English, Spanish, French, Dutch, and various creole languages, have influenced the narrative styles and linguistic experimentation of Caribbean writers. This section explores how the use of various languages enriches the texture of Caribbean literature.

Caribbean literature is inspired from oral traditions, folklore, music, and dance. Authors often incorporate elements of these traditions into their work, creating a unique and authentic literary style. This connection to cultural heritage helps to preserve and celebrate the Caribbean identity in the face of globalization and cultural homogenization.

Oral traditions, such as storytelling, poetry, and song, have played a crucial role in preserving Caribbean culture and history. These traditions have been passed down through generations, providing a valuable source of inspiration for Caribbean writers. By incorporating elements of oral traditions into their work, authors can connect with their readers on a deeper level and help to keep their cultural heritage alive.

Prominent Caribbean Authors: Caribbean literature boasts an array of celebrated authors who have left an indelible mark on the global literary landscape. Writers like Derek Walcott, Jamaica Kincaid, V.S. Naipaul, Edwidge Danticat, and Kamau Brathwaite have garnered international acclaim for their insightful portrayals of Caribbean life and their contribution to postcolonial literature. This section highlights the works and impact of these influential Caribbean authors.

The Role of Caribbean Literature in Identity Formation: Caribbean literature plays a crucial role in shaping and affirming Caribbean identity. By providing a platform for marginalized voices, it fosters a sense of unity and cultural pride among Caribbean people. Moreover, it challenges prevailing narratives and confronts historical injustices, encouraging a collective reclamation of identity. This section explores how literature contributes to the ongoing process of identity formation in the Caribbean.

Contemporary Trends and Challenges: In the contemporary era, Caribbean literature continues to evolve

and adapt to the changing times. This section discusses emerging trends, including the rise of female Caribbean authors and the exploration of LGBTQ+ themes in literature. Additionally, it addresses the challenges faced by Caribbean writers, such as publishing barriers, limited access to resources, and the impact of globalization on traditional storytelling.

Conclusion: Caribbean literature serves as a powerful testament to the resilience and richness of the Caribbean experience. It weaves together the threads of history, culture, and identity, offering a profound and intimate understanding of the region's journey. As Caribbean writers continue to craft narratives that transcend borders and resonate with diverse audiences, Caribbean literature will undoubtedly remain a vital force in shaping cultural awareness and fostering global literary dialogue. Caribbean literature is a powerful and multifaceted expression of the region's history, culture, and identity. Through its exploration of themes such as identity, resilience, and resistance, it offers a unique perspective on the human experience and the enduring power of the written word. As the Caribbean continues to evolve, its literature will undoubtedly remain a vital force in shaping its cultural landscape and inspiring future generations of writers.

References:-

1. Benítez-Rojo, A. (1992). *The Repeating Island: The Caribbean and the Postmodern Perspective*. Duke University Press.
2. Brathwaite, K. (1974). "History of the Voice." *Caribbean Literature in English*. Edited by Donald E. Herdeck. Longman.
3. Condé, M. (1994). "The Caribbean Writer and Exile." In her *The Tree of Life: A Trilogy of Life in the Lodz Ghetto* (pp. 79-83). University of Nebraska Press.
4. Kincaid, J. (1985). "A Small Place." Farrar, Straus, and Giroux.
5. Lamming, G. (1960). *The Pleasures of Exile*. Jonathan Cape.
6. Naipaul, V. S. (1961). *A House for Mr. Biswas*. Andre Deutsch.
7. Walcott, D. (1992). "The Antilles: Fragments of Epic Memory." Nobel Lecture.
8. Williams, E. (1944). "History of the People of Trinidad and Tobago." PNM Publishing Company.

A Study on the usage of E-Payment Systems in E-Commerce

Dr. Pawan Kushwah* Divya Badole**

*Rabindranath Tagore University, Bhopal (M.P.) INDIA

** Research Scholar, Rabindranath Tagore University, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract : This research paper investigates the utilization of electronic payment (E-Payment) systems within the realm of electronic commerce (E-Commerce). The study delves into the factors influencing the adoption and usage of E-Payment systems, considering both consumer and business perspectives. Through a comprehensive analysis of existing literature, statistical data and case studies, the paper aims to shed light on the current trends, challenges and opportunities in the E-Payment landscape. Insights derived from this research can inform stake holders in the E-Commerce industry, including businesses, policy makers and technology providers to enhance the efficacy and security of E-Payment systems.

Keywords: Purchase, Sale, and Exchange of Commodities, Transfer of Goods Producers to Consumers Human Lives.

Introduction - Commerce includes purchase sale and exchange of commodities. Therefore, it can be defined as an exchange of commodities or all activities involved in transferring goods from producers to consumers commerce has been a major part of human lives since the beginning of history. The implementation of the Internet has created a paradigm shift in the way businesses are conducted today. The past decade has witnessed the emergence of a new kind of commerce know as E-Commerce.

Evolution of E-Commerce- Electronic Commerce of today started with the launch of the World Wide Web and browsers in the early 1990. The relaxation of government restrictions in the telecommunications sector and innovations have helped in the rapid growth of E-Commerce.

Objectives of research article :

1. The study of E-Commerce and E-Payment systems.
2. To identify the most commonly used E-Payment methods
3. To examine the factors influencing consumers decisions to use E-Payment systems.
4. Presenting a study on the benefits of e-payment in e-commerce.

Revive of literature

The rise of e-commerce has significantly changed how businesses operate and how consumers shop. A crucial component of this transformation is the adoption of electronic payment (e-payment) systems. This literature review aims to explore various studies on the usage of e-payment systems in e-commerce, focusing on their benefits,

challenges, security concerns, and future trends.

Zhou, T., Dai, L., & Zhang, D. (2007). Online shopping acceptance model - A critical survey of consumer factors in online shopping. *Journal of Electronic Commerce Research*, 8(1), 41-62.

Chaffey, D. (2015). *Digital Business and E-commerce Management*. Pearson.

Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2018). *E-Commerce 2018: Business, Technology, Society*. Pearson.

Khalifa, M., & Liu, V. (2007). Online consumer retention: contingent effects of online shopping habit and online shopping experience. *European Journal of Information Systems*, 16(6), 780-792.

Federal Trade Commission (2019). *Consumer Sentinel Network Data Book*.

Oliveira, T., Thomas, M., Baptista, G., & Campos, F. (2016). Mobile payment: Understanding the determinants of customer adoption and intention to recommend the technology. *Computers in Human Behavior*, 61, 404-414.

Sharma, R., & Gupta, V. (2018). Consumer adoption of electronic banking: Issues and challenges. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 23(2).

Kesharwani, A., & Bisht, S. S. (2012). The impact of trust and perceived risk on internet banking adoption in India. *International Journal of Bank Marketing*, 30(4), 303-322.

Aloul, F., Zahidi, S., & El-Hajj, W. (2009). Two factor authentication using mobile phones. *IEEE International Conference on Computer Systems and Applications*, 641-644.

Research Methodology

E-Commerce – Electronic commerce, commonly written as E-Commerce is the trading in products or services using computers networks, such as the Internet Electronic commerce draws on technologies such as mobile commerce electronic fund transfer, supply chain management, internet marketing, online transaction processing, electronic data interchange. Inventory management systems and automated data collection systems, modern E-Commerce typically uses the w.w.w. for at least one part of the transactions life cycle, although it may also use other technologies such as E-Mail.

E-Payment system- An E-Payment system is a way of making transactions or paying for goods and services, through an electronic medium, without the use of checks or cash. It's also called an online payment system. The electronic payment system has grown increasingly over the last decades due. The growing spread of internet based banking and shopping.

When you purchase goods and services online. You pay for them using an electronic medium. This mode of payment without using cash or cheque is called an E-Commerce payment system and is also known as online or electronic payment systems. Paperless E-Commerce payments have revolutionised the payment processing by reducing paper work, transaction costs and personal cost. The different types of E-Commerce payments in use today are-

1. Credit Card – The most popular form of payment for E-Commerce transactions is through credit cards. It is simple to use. The customer has to just enter their credit card number and date of expiry in the appropriate area on the seller's web page to improve the security system, increased security measures, such as the use of a card verification number have been introduced to online credit card payments. The CVN system helps detect fraud by comparing the CVN number with the cardholder's information.

2. Debit Card – Debit cards are the second largest E-Commerce payment medium in India customers who want to spend online within their financial limits prefer to pay with their Debit cards with the debit card. The customer can only pay for purchased goods with the money that is already there in his/her bank account as opposed to the credit card where the amounts that the buyer spends are billed to him/her and payments are made at the end of the billing period.

3. Smart Card – Smart card is a plastic card embedded with a microprocessor that has the customer's personal information stored in it and can be loaded with funds to make online transaction and instant payment of bills. The money that is loaded in the smart card reduces as per the usage by the customer and has to be reloaded from his/her bank account.

4. E-Wallet – E-Wallet is a prepaid account that allows

the customer to store multiple credit cards, debit card and bank account numbers in a secure environment. This eliminates the need to key in account information every time while making payments. Once the customer has registered and created E-Wallet profile he/she can make payments faster.

5. Net banking – This is another popular way of making E-Commerce payments. It is a simple way of paying for online purchases directly from the customer's bank. It uses a similar method to the debit card of paying money that is already there in the customer's bank Net banking does not require the user to have a card for payment purchases but the user needs to register with his/her bank for the net banking facility. While completing the purchase the customer just needs to put their net banking id and password.

6. Mobile Payment – One of the latest ways of making online payments are through mobile phones. Instead of using a credit card or cash, all the customer has to do is send a payment request to his/her service provider via text message. The customer's mobile account or credit card is charged for purchase. To set up the mobile payment, the customer just has to download a software from his/her service provider's website and then link the credit card or mobile billing information to the software.

7. Crypto Currency – Cryptocurrency is a digital currency secured by cryptography. Which makes it nearly impossible to counterfeit or double spend. There are many types of cryptocurrencies and they can be purchased from popular crypto exchanges cryptocurrencies are a new paradigm for money and they promise to streamline existing financial architecture to make it faster and cheaper.

8. Pay Pal – Pay Pal is a digital payment service that allows users to send and receive payments online. It was founded in 1998 and acquired by eBay in 2002, the later spun off as an Independent company in 2015 Pay Pal is widely accepted by online merchants and is a popular payment method for E-Commerce transaction.

9. E-Cheque – An E-Cheque, also known as an electronic cheque is a digital version of a traditional paper cheque. It is an electronic payment instrument that allows individuals and business to make payments online E-Cheques offer a secure fast and cost – effective payment solution for individuals and businesses and their use is expected to continue growing in the digital payment landscape.

10. UIP-UPI or Unified Payments Interface is a digital payment system that allows users to make and receive payments through mobile devices. Prepaid payment instrument in UPI refers to digital wallets like Phonepe, Paytm, Amazon Pay, Google Pay and Freecharge.

Here are some benefits of an e payment system :

1. Highly Secure - An e-payment system is highly secure, safeguarding cardholder data and preventing payment fraud better than paper based payments can achieve.

2. **Control** - Gives you better control over your money.
3. **Time saving** - A feature rich e-payment system lowers associate process time by automatically initiating and processing payments.
4. **Track and monitor data** - An e-payment system makes it easier to track and monitor data to ensure adherence to complex compliance regulation and all business rules.
5. **Accessibility** - E-payment can be made at any time, providing round the clock access to financial transactions.
6. **Reduced the cost** - E-payment systems reduce the cost of processing paper based payments.

Analysis and discussion- This research paper provides a comprehensive investigation into electronic payment (E-Payment) systems within the realm of electronic commerce (E-Commerce). It aims to elucidate factors influencing the adoption and usage of E-Payment systems from both consumer and business perspectives. Through a thorough review of existing literature, statistical data, and case studies, the paper examines current trends, challenges, and opportunities in the E-Payment landscape. The study underscores the importance of E-Payment systems in modern E-Commerce, emphasizing their role in enhancing security, convenience, and transaction speed. It advocates for stakeholders in the E-Commerce industry to prioritize investments in secure and user-friendly E-Payment solutions to maintain competitiveness. Moreover, the paper highlights the necessity of robust security measures and transparent privacy policies to address consumer concerns and foster trust. Overall, it concludes that E-Payment systems will continue to be integral to the growth and evolution of E-Commerce, serving as a cornerstone for digital transactions in the future.

This research paper offers a thorough exploration of electronic payment (E-Payment) systems within the domain of electronic commerce (E-Commerce), emphasizing

factors influencing their adoption and usage across consumer and business perspectives. By synthesizing existing literature, statistical data, and case studies, the paper illuminates current trends, challenges, and opportunities in the E-Payment landscape. It underscores the critical role of E-Payment systems in enhancing security, convenience, and transaction efficiency in modern E-Commerce. The study advocates for stakeholders in the industry to prioritize investments in secure, user-friendly E-Payment solutions to maintain competitiveness. Additionally, it highlights the imperative of robust security measures and transparent privacy policies to address consumer concerns and build trust. Ultimately, the research predicts that E-Payment systems will remain pivotal in driving the growth and evolution of E-Commerce, serving as foundational elements for digital transactions in the future.

Conclusion : The study highlights the significance of E-Payment system in E-Commerce with security convenience and speed being the primary drivers of adoption. E-commerce businesses should prioritize investing in secure and user-friendly E-payment solutions to stay competitive. Addressing privacy and security concerns through robust security measures and transparent privacy policies is crucial. The findings suggest that E-payment systems will continue to play a vital role in the growth and development of E-commerce.

References :-

1. Kim, J.Lee Y. & Kim. B. (2020)
2. Zhang, Y.Chen, X & Zhang J. (2019)
3. Martin Kutz – Introduction to E-commerce
4. Sharma Dr. Manmohan – E-commerce and E-Business
5. Khan Prof Sanu, Jain Mr. Shreya A study on usage of E-payments for sustainable growth of online business.
6. Kaur Karam Jeet, Pathak Dr.Ashutosh E-payment system on E-commerce in India.

व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से डेयरी उद्योग की प्रगति में तालमेल को बढ़ावा देने के लिए कौशल और ज्ञान की बढ़ती महत्ता और आवश्यकता

अर्पिता राजपूत* डॉ. सीमा कुमारी**

* शोधार्थी, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – कौशल और ज्ञान की बढ़ती हुई महत्ता, जो व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से उद्योग में उर्जा को बढ़ावा देने से है, इसे कामकाजी विकास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। यह सारांश इस परिवर्तन में योगदान करने वाले कुंजी तत्वों की खोज करता है, और इससे उद्योगिक प्रगति पर प्रभाव को दिखाता है। व्यावसायिक शिक्षा ने उद्योगों की मांग के लिए जरूरी विशेषज्ञता को पोषित करने का एक कौशल केन्द्र बनाया है। व्यावसायिक कार्यक्रमों की विशेषज्ञता ने सुनिश्चित किया है कि व्यक्तियों को उनके चयनित पेशेवरों के साथ सीधे जोड़ने के लिए व्यावहारिक ज्ञान के साथ हाथों-हाथ ही प्रशिक्षण भी प्राप्त हो जाता है। इस व्यावसायिक कार्यक्रम का आत्मसात व्यापकता के साथ होता है, जिससे व्यक्तियों को उद्योग की आवश्यकताओं का सीधा सामंजस्य बनाया जा सकता है, जो एक तंतुवादी और प्रतिस्पर्धा क्षमताओं वाली कार्यबल प्रौद्योगिकी को निरंतर बनाए रखता है। आपसी सहयोग, व्यावसायिक शिक्षा का मूल आधार है, क्योंकि उद्योगिक कार्यक्रमों को निरंतर उद्योग विशेषज्ञों के साथ परामर्श में रखा जाता है। यह सहयोगी दृष्टिकोण द्वारा सामंजस्य बनाने की प्रक्रिया सीधे आपसी विभाजनीय समझ को समृद्ध करती है, जिससे उद्योग के सामने भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण का निर्धारण किया जा सकता है। नौकरी पर प्रशिक्षण के माध्यम से वास्तविक बुनियादी अनुभव पर जोर दिया जाता है। जिन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बजाए व्यावसायिक योजनाओं के माध्यम से कुशल उद्यमी तैयार करने पर केन्द्रित किया जा सकता है। नवीनतम तकनीक और उद्योग में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा का उपयोग प्रेरणादायक होता है। चुनौतियों को बढ़ावा देने के रूप में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त नवीन तकनीकों और प्रक्रियाओं के विकास में योगदान करते हैं। यह नवाचारात्मक दृष्टिकोण व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रगति में कुशल बनाता है, जो उनके संबंधित क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए हमेशा एक दुंसरे के समानान्तर चलते हैं। व्यावसायिक शिक्षा समय के साथ साथ उद्योगिक नीतियों के साथ अनुकूल वातावरण का निर्माण करके आजीवन सीखने की आधारभूत भूमिका को निभाती है। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से युवाओं को लगातार विकास के लिए आवश्यक मानसिकता और कुशलता से परिपूर्ण कर दिया जाता है, जिससे उनमें होने वाले परिवर्तनों से तकनीकी और उद्योगिक परिस्थितियों में वह अपने कौशल का उपयोग करता है। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त तैयार युवा उद्योगों की तत्परता के परिणाम और दीर्घकालीन मांगों को संतुलित करने में मदद करती है। कौशल से समृद्धि और स्थिरता के लिए व्यावसायिक शिक्षा में शिक्षा की रणनीति को एक विशेषज्ञता की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य करने से यह सार्थकता को प्राप्त कर सकता है। श्रम साधन की आवश्यकताओं के साथ अनुकूल वातावरण एवं सशक्तता प्रदान करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा एक केन्द्र के रूप में स्थापित की जा सकती है। व्यावसायिक शिक्षा कौशल और ज्ञान की बढ़ती हुई महत्वपूर्णता के माध्यम से उद्योगों में नयी उर्जा और प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह स्पष्ट है कि व्यावसायिक शिक्षा ने अपने उद्योगिकी दृष्टिकोण के कारण रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में सुधार किया है और उन्हें एक सकारात्मक रूप प्रदान करने के लिए कौशल और ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत बनाया है।

शब्द कुंजी – तंतुवादी, प्रतिस्पर्धा, दृष्टिकोण, सामंजस्य, प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी, नवाचारात्मक, दीर्घकालीन।

प्रस्तावना – आज के इस तकनीकी युग में उद्योगों को तेजी से बदलते माहौल में कार्य करना है। ऐसे समय में व्यावसायिक शिक्षा न केवल कौशल ज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि यह तालमेल को बढ़ावा देने में भी सहायक हो रही है। आधुनिक तकनीक और व्यावसायिक दुनिया में व्यावसायिक शिक्षा न केवल एक केरियर की दिशा में महत्वपूर्ण है अपितु उद्योग की प्रगति और आजीविका विकास के लिए कौशल और ज्ञान की वृद्धि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक शिक्षा इस वृद्धि को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह शिक्षा छात्रों को

आवश्यक तकनीक कौशल, व्यावहारिक ज्ञान एवं उद्योगों के रुझानों से परिचित कराती है। यह उन्हें उद्योगों और आवश्यकताओं के अनुरूप बढ़ाती है। यह युवाओं को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करती है, जो उन्हें रोजगार योग्य बनाता है। व्यावसायिक शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह सामाजिक एवं आर्थिक विकास का भी आधार है। व्यावसायिक शिक्षा वास्तव में कौशल विकास शिक्षा है और इसका उद्देश्य कौशल और ज्ञान का एक वांछित स्तर विकसित करना है, यह इस प्रकार से रोजगार एवं स्वरोजगार का मार्ग प्रदान करता है। व्यावसायिक

प्रशिक्षण छात्रों को स्वतंत्र होने के लिए और एक ही समय में एक उत्पादक समुदाय बनाने का अवसर प्रदान करता है। MSME Cluster में भी व्यावसायिक शिक्षा का व्यापक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत को विकासशील से विकसित या युक्त है कि भारत को विश्वगुरु बनाने में व्यावसायिक के साथ ही उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। युवाओं में स्वरोजगार की भावना जगाना नवीन उद्यमी पैदा करना यही नवीन व्यावसायिक शिक्षा नीति का उद्देश्य रहा है।

सुकुम, लघु एवं मध्यम उद्योग आजीविका विकास के आधार स्तंभ हैं जिनका निर्माण व्यावसायिक शिक्षा से ही संभव है। रोजगार सृजन, युवाओं में आत्मनिर्भरता, साहस एवं जोखिम लेने की क्षमता यह सभी व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हैं, जो युवाओं के भविष्यात्मक रूपरेखा को आधार प्रदान करता है।

व्यावसायिक शिक्षा- व्यावसायिक शिक्षा वह है जिससे युवाओं को एक कुशल कारिगर, कुशल शिल्प एक सफल व्यापारी के रूप में व्यापार या एक तकनीशियन के रूप में कार्य करने के लिए तैयार करती है। व्यावसायिक शिक्षा को उस प्रकार की शिक्षा में भी देखा जा सकता है जो किसी व्यक्ति को अपेक्षित कौशल के साथ लाभकारी रोजगार या स्वरोजगार के लिए तैयार करने के लिए दी जाती है जिसमें कैरियर और तकनीकी शिक्षा भी शामिल है। नवम्बर 2014 को सरकार द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया। संपूर्ण भारत में कौशल विकास गतिविधियों को सुसंगत और समेकित करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए सरकार 15 जुलाई 2015 को पहला कौशल भारत विकास मिशन प्रारम्भ किया। उसी दिन कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति का शुभारम्भ किया गया। व्यावसायिक शिक्षा शिक्षा का एक ऐसा रूप है जो छात्रों को विशिष्ट व्यावसायिक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। यह युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए तैयार करता है और उन्हें उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाता है। व्यावसायिक शिक्षा रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर युवाओं को प्रदान करती है, यह उन्हें उद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल और ज्ञान प्रदान करती है। व्यावसायिक शिक्षा से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाना संभव हो सकेगा। इससे निश्चित ही कुशल उत्पादक कार्यबल का निर्माण होना भी संभव है जो कि देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा। एक सफल व्यावसायी निश्चित ही देश के सामाजिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। व्यावसायिक शिक्षा से ही इस स्वप्न को साकार किया जाना संभव हो सकता है। व्यावसायिक शिक्षा युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान कराता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। भारत सरकार द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची शिक्षा के क्षेत्र में राज्य और केन्द्र सरकार की शक्तियों को परिभाषित करती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा के लिए संवैधानिक माध्यमों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं - सरकारी विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का शुभारम्भ, व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और व्यावसायिक शिक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाना आदि। औद्योगिक तालमेल बढ़ाने के लिए

व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं को संचालित किया जा रहा है जिसे कि सरकारी राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल भारत।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोधकार्य विवरणात्मक एवं नवीन व्यवहारिक पद्धति को अपनाते हुए शोध लेख को मोलिकता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। किसी भी शोध पत्र को तैयार करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होता है कि किस शोध विधि का प्रयोग करे। इस हेतु उसे कौन कौन सी आवश्यक सामग्री को प्रयोग में लाना होगा यह एक कठिन कार्य होता है। शोध संबंधित सभी प्रकार की आवश्यक सामग्री का संग्रहण सन्दर्भ आधारित पुस्तकों, विभिन्न आयोगों के प्रकाशनों, विभिन्न शोध पत्रिकाओं, पुस्तकालयों, आत्मलेखों तथा समाचार पत्र - पत्रिकाओं इत्यादि से संगृहित कर विवरणात्मक अध्ययन किया गया है।

उद्देश्य - किसी भी शोधकार्य कार्य को प्रारम्भ करने में सबसे पहला कार्य उसका उद्देश्य निर्धारित करना होता है। बिना किसी उद्देश्य के किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना रेगिस्तान में दूर कहीं पानी का आभास होने के समान होता है। अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है :

1. व्यावसायिक शिक्षा को उचित स्तर प्रदान करना।
2. तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना।
3. शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित करना।
4. विद्यार्थियों में सृजनशीलता एवं व्यक्तित्व विकास करना।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि नई शिक्षा नीति को प्रयोग में लाने से व्यावसायिक शिक्षा का क्षेत्र अत्याधिक प्रभावित होगा। नई शिक्षा नीति 2020 से सुकुम, लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रति प्रगतिशील सोच, टेक्नालॉजी को समन्वित करने तथा साथ ही नई शिक्षा नीति से विद्यार्थियों में व्यावसायिक ज्ञान, कौशल, जीवन के मूल्यों और सोच में विकास करके निश्चित ही उन्हें एक नया आयाम प्रदान किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा का समावेश निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखने को मिलेगा। शिक्षाशास्त्रीय अवधारणाएँ अधिक प्रयोगमूलक, अन्वेषणमूलक, जिज्ञासा से प्रेरित, समन्वित, विद्यार्थी केन्द्रित, लचीली और आनन्ददायक होगी। नई शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादी, विकासात्मक कार्यों द्वारा सकारात्मक प्रयोग से रोजगार निर्माण की अनेक संभावनाएँ उद्घटित होने जैसे परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएँ हैं। अंततः उन्हें आत्मनिर्भर तथा आर्थिक दृष्टि से अपने समाज में आदर्श नागरीक के रूप में अपने पांवों पर खड़ा करने योग्य बनाया जा सकता है। इससे विद्यार्थी के जीवन स्तर में सुधार की अनेक संभावनाएँ जन्म लेंगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका 2021
2. मानव अधिकार आयोग रिपोर्ट।
3. योजना मासिक पत्रिका।
4. नीति आयोग।
5. डॉ. भुवनेश्वरी स्वामी -ICT से शिक्षा और सिखने की पद्धति में सुधार 2018

Sustainable Agricultural Practices for Improving Soil Fertility Through Plant Management

Dr. Ragini Sikarwar*

*Assistant Professor (Botany) Govt. Home Science PG Lead College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract - Interest in sustainable agriculture has grown as a result of the urgent need to feed the world's expanding population while preserving its health. Conventional farming practices frequently use artificial pesticides and fertilizers, which degrades soil and harms the ecosystem. This study examines a number of sustainable methods, such as agroforestry, green manuring, and sustainable water management, that improve soil health. Agroforestry incorporates trees and shrubs into agricultural systems, providing many benefits such as improved soil moisture retention and enhanced biodiversity. Planting cover crops high in nutrients, which break down to nourish the soil and improve its structure, is known as green manuring. To maximize water utilization and avoid soil salinization, sustainable water management strategies like drip irrigation are crucial. Farmers may create resilient ecosystems that promote sustained agricultural output and sustainability by putting these techniques into practice.

Keywords: Sustainable agriculture, Soil health, Agroforestry, Green manuring, Cover crops, Sustainable water management.

Introduction - Sustainable agriculture is becoming more and more popular as a result of the difficulty of feeding the world's population while preserving the environment. Synthetic fertilizers and pesticides are frequently used extensively in traditional farming practices, which over time can reduce soil fertility and harm the environment (Baweja et al.,2020). Sustainable agricultural methods, on the other hand, place a higher priority on the long-term health of soils by using plant-based solutions that support increased biodiversity, nutrient recycling, and organic matter enrichment (Mrabet et al.,2023). Farmers can cultivate crops in a way that maintains soil health, reduces their impact on the environment, and guarantees food security for future generations by implementing practices that are in line with natural processes (Umesha et al.,2018).

Crop Rotation And Polyculture: Crop rotation is one of the most fundamental practices in sustainable agriculture, and it involves changing the types of crops grown in a field from season to season (Choudhury et al.,2024). This technique prevents some particular nutrients from depletion when their respective crops are rotated. For instance, crops like legumes, which can fix atmospheric nitrogen within the soil, can be placed with other crops like cereals that normally deplete nitrogen. This natural process not only enriches the soil without artificial fertilizers, but can also interfere with the life cycles of pests and diseases, thereby reducing the need for chemicals.


Besides crop rotation, another mimicry of natural

ecosystems is polyculture—the cultivation of a range of crops on the same soil (Gassner et al.,2024). Plants in a polyculture, through complementary nutritional needs, are able to fill in one another's lives through mutualisms. Beans add nitrogen to the soil, enhancing fertility, whereas corn acts as a support framework for climbing bean plants (Franke et al.,2019). Crop diversity leads to greater soil fertility, better resistance to erosion, enhanced resistance to pests and diseases, and higher biotic balance (Mohanty et al.,2024). This crop rotation with polyculture is an integral method of improving sustainable agriculture, one that can balance productivity with environmental conservation.

Agroforestry: Agroforestry is the form of sustainable agriculture that combines trees and shrubs into crop and livestock systems; hence it has many benefits both for the health of soil and all-around ecosystem resilience (Sahoo et al.,2022). Indeed, there is shade created by trees, which leads to the retention of soil moisture and, thus, reduce soil erosion and prevent nutrient loss. Its wide root systems stabilize the ground; hence eradicating erosion and improving the structure of soil. Moreover, organic litter from leaves of the trees enrich the soil with humus and encourages microbial action, which is important in nutrient cycling.

Moreover, planting with legume nitrogen-fixing trees, for example Acacia species further enhances the soil nitrogen—a critical nutrient which boosts plant growth (Li et al.,2024). Carefully considered plantings which consider the

interdependency between the trees' light use create microclimates, increasing crops' ability to adapt to climate change. This is in addition to enhancing soil health and aiding biodiversity and natural pest control, hence reducing dependence on chemical pesticides.



Graph 1 : Impact of Agroforestry on Soil Erosion Over Time

Green Manuring and Cover Crops: Green manuring is another form of good practice under sustainable agriculture. Green manuring most of the time incorporates cover crops in the farm that are later turned into the soil (Prajapati et al.,2023). Some of the most important plants for green manuring are those selected to have great nutrient-rich qualities and those that improve the soil with their decomposition. Among other very common cover crops, there are clover, alfalfa, or rye. These cover crops help protect the soil from erosion, smother weeds, and add organic matter.

Through green manure enrichment of the soil, farmers can enhance structure and increase fertility, but also improve its water retention abilities. The addition of green manures also reduces the application of synthetic fertilizers in ways that would provide aid to a healthier balance in the soil's ecosystem. The crop productivity is supported as well with increased resistance to climatic extremes.

Use of Water : Proper water management is a sensible step towards ensuring sustenance soil fertility and productivity. Drip irrigation and growing drought-resistant crops would make effective use of the available water to optimize the use of water and minimize waste (Chen et al.,2023). At the same time, over-irrigation contributes to such unwanted effects as nutrient leaching and salinization, which degrade soil fertility and structure; however, proper and well-managed irrigation practices will play a critical role in maintaining the health of soils and thus ensuring sustainable agricultural production.

Through agroforestry, green manuring, and sustainable water management approaches, farmers usually find a way to synthesize some form of holistic approach to agriculture that enhances soil health, increases biodiversity, and

reduces environmental impacts. Such sustainable strategies will not only address short-term food production but also contribute to long-term health of our ecosystems.

Table 1: Benefits of Sustainable Agricultural Practices

Practice	Benefits
Agroforestry	<ul style="list-style-type: none"> - Improves soil moisture retention - Reduces soil erosion - Enhances biodiversity - Provides natural pest control
Green Manuring	<ul style="list-style-type: none"> - Increases soil fertility - Enhances soil structure - Suppresses weeds - Reduces need for synthetic Fertilizers
Sustainable Water Management	<ul style="list-style-type: none"> - Optimizes water use - Prevents nutrient leaching and salinization - Supports drought-resistant crops

Conclusion: Sustainable agriculture is one of the most vital methods to come out of all the current problems that humanity is facing, such as environmental degradation and food insecurity. Some of the new mechanisms under which farmers can improve soil health and ecological balance include agroforestry, green manuring, and sustainable water use. Richer soil emerges through agroforestry and biodiversity in addition to natural pest control, while green manuring improves soil fertility and structure, which makes it more indifferent to synthetic inputs. Increased usage efficiency for water management is important for soil quality conservation and prevention of nutrient loss. Such a combination of elements will provide a holistic approach to making agriculture more resilient to the demands for food today and in the future. As the agricultural sector continues to evolve, further research and innovation will have to be undertaken to fine-tune these sustainable practices and evolve to adapt to a variety of climatic conditions in a way that endures for generations to come.

References:-

1. Baweja, P., Kumar, S., & Kumar, G. (2020). Fertilizers and pesticides: Their impact on soil health and environment. *Soil health*, 265-285.
2. Chen, Y., Zhang, J. H., Chen, M. X., Zhu, F. Y., & Song, T. (2023). Optimizing water conservation and utilization with a regulated deficit irrigation strategy in woody crops: A review. *Agricultural Water Management*, 289, 108523.
3. Choudhury, D., Kumar, P., Zhimo, V. Y., &Sahoo, J. (2024). Crop rotation patterns and soil health management. In *Bioremediation of Emerging Contaminants from Soils* (pp. 565-589). Elsevier.
4. Franke, A. C., Baijukya, F., Kantengwa, S., Reckling, M., Vanlauwe, B., &Giller, K. E. (2019). Poor farmers–poor yields: socio-economic, soil fertility and crop management indicators affecting climbing bean

- productivity in northern Rwanda. *Experimental Agriculture*, 55(S1), 14-34.
5. Gassner, V. T., Symeonidis, D., & Koukaras, K. (2024). Harvesting of Agricultural Nutrient Runoff with Algae, to Produce New Soil Amendments for Urban and Peri-urban Olive Tree Agroforestry Systems in Southern Europe. In *Nature-based Solutions for Circular Management of Urban Water* (pp. 405-441). Cham: Springer International Publishing.
 6. Li, Y., Sun, W., Xu, Z., Bai, Y., & Bai, S. H. (2024). Long-term effects of biochar application on biological nitrogen fixation of acacia species and soil carbon and nitrogen pools in an Australian subtropical native forest. *Journal of Soils and Sediments*, 1-13.
 7. Mohanty, L. K., Singh, N. K., Raj, P., Prakash, A., Tiwari, A. K., Singh, V., & Sachan, P. (2024). Nurturing crops, enhancing soil health, and sustaining agricultural prosperity worldwide through agronomy. *Journal of Experimental Agriculture International*, 46(2), 46-67.
 8. Mrabet, R. (2023). Sustainable agriculture for food and nutritional security. In *Sustainable agriculture and the environment* (pp. 25-90). Academic Press.
 9. Prajapati, S. K., Dayal, P., Kumar, V., & Gairola, A. (2023). Green Manuring: A Sustainable Path to Improve Soil Health and Fertility. *International Journal*, 1(2), 24-33.
 10. Sahoo, G., Swamy, S. L., Wani, A. M., & Mishra, A. (2022). Agroforestry systems for carbon sequestration and food security: implications for climate change mitigation. In *Soil Health and Environmental Sustainability: Application of Geospatial Technology* (pp. 503-528). Cham: Springer International Publishing.
 11. Umesha, S., Manukumar, H. M., & Chandrasekhar, B. (2018). Sustainable agriculture and food security. In *Biotechnology for sustainable agriculture* (pp. 67-92). Woodhead Publishing.

निमाइ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का वित्तीय अध्ययन

डॉ. रूपेश कुमार जमरे*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - साधारण बैंक उस संस्था को कहते हैं जो जनता से ब्याज पर धन प्राप्त करती है तथा व्यापारियों एवं अन्य व्यक्तियों को ब्याज पर उधार देती हैं भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 में बैंक को इस प्रकार समझाया गया है बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंकिंग का कार्य करती हो बैंकिंग का अभिप्राय उधार देने के लिए या विनियोग करने के लिए जनता से ऐसे नि प्रपो को स्वीकार करना है जिसका मांगने पर अथवा चेक ड्राफ्ट आदि द्वारा भुगतान किया जाता है। आधुनिक बैंकों का शुभारंभ 17 वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ माना जाता है जबकि सन 1609 में बैंक ऑफ अमस्टर्डम सन 1619 में बैंक ऑफ हैम्बर्ग और सन 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड स्थापित हुए। धीरे-धीरे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था तथा विकास में बैंकों का महत्व बढ़ता गया और संयुक्त पूंजी वाले बैंक स्थापित किए जाने लगे। बैंक वह है जो अपने साधारण व्यवसाय में लोगों का रूपया जमा या प्राप्त करता है जिसे यह उन व्यक्तियों के चेक स्वीकार करके भुगतान करता है।

जिनके द्वारा या जिनके खाते में यह रूपया जमा किया गया है। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1950 की धारा 5स के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का कार्य करती है अधिनियम की धारा 5ब के अनुसार बैंकिंग से आशय ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से जमा प्राप्त करना है जिसे मांग पर अथव अन्य किसी प्रकार की आज्ञा द्वारा वापस लिया जा सके।

निमाइ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना एवं विकास- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अनुसार निमाइ क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 जून 1982 को की गई जिसका मुख्यालय खरगोन जिला रखा गया। बैंक की स्थापना 2 जिलों पश्चिम निमाइ खरगोन एवं पूर्वी निमाइ खंडवा को कार्यक्षेत्र का आधार बनाकर की गई। निमाइ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सामान्य प्रबंधन हेतु अधिनियम 1976 के अनुसार निदेशकों एक बोर्ड गठित किया गया है। निमाइ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्थापना वर्ष 1982 में बैंक की कुल जमा राशि मात्र 5 लाख 76 हजार रूपये थी जो मार्च 2006 में 31533.75 लाख रूपए हो गई। यह जमा राशि वर्ष 1996-97 में 8663.31 लाख रूपए थी। पिछले 10 वर्षों के दौरान बैंक की जमा राशि में वृद्धि प्रतिशत को निम्न प्रकार निकाला गया है।

वर्ष	राशि लाख रू. में
2005-06 कि जमा राशि	31533.75
1996-97 कि जमा राशि	8663.31
10 वर्षों के दौरान वृद्धि	22870.44

$$\text{वृद्धि\%} = \frac{10 \text{ वर्षों के दौरान वृद्धि} \times 100}{1996-97 \text{ कि जमा राशि}}$$

$$\text{वृद्धि\%} = \frac{22870.44 \times 100}{8663.31} = 277.04\%$$

अर्थात बैंक ने वर्ष 1996-97 से 2005-06 तक कुल 10 वर्षों के दौरान जमा राशि में 277.04 प्रतिशत की वृद्धि की जिस प्रकार जमा राशि में वृद्धि की है उसी प्रकार बैंक के विभिन्न प्रकार के खातों में भी वृद्धि हुई है जो अब प्रकार से है।

निमाइ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 10 वर्षों 1996-97 से 2005-06 तक के विभिन्न खातों की स्थिति:-

खातों के प्रकार	वर्ष 1996-97 में खातों की संख्या	वर्ष 2005-06 तक खातों की संख्या
चलू खाता	1648	1740
बचत खाता	83635	144588
मियादी खाता	25204	36274
कुल खातों कि संख्या	110487	182602

इस प्रकार खातों में वृद्धि एवं वृद्धि प्रतिशत अब प्रकार निकाला गया है-

वर्ष 2005-06 में खातों कि संख्या - 182602

वर्ष 1996-97 में खातों कि संख्या - 110487

10 वर्षों के दौरान वृद्धि - 72115

$$\text{वृद्धि\%} = \frac{10 \text{ वर्षों के दौरान वृद्धि} \times 100}{1996-97 \text{ में खातों कि संख्या}}$$

$$\text{वृद्धि\%} = \frac{72115 \times 100}{110487} = 65.27\%$$

अर्थात बैंक के कुल खातों कि संख्या में पिछले 10 वर्षों के दौरान 65.27 प्रतिशत कि वृद्धि हुई है।

निमाइ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य, कार्यक्षेत्र:

1. बैंक की स्थापना मुख्य रूप से सुदूर ग्रामीण अंचलों में मुलभूत बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने तथा ग्रामीणों की बचतों के संग्रहण के दृष्टिकोण से की गई थी।

2. इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे जनसमूह, सीमांत कृषकों, कृषक, श्रमिकों तथा फुटकर व्यापारियों को उनके आर्थिक क्रियाकलापों तथा कृषि, कुटीर एवं लघु उद्योगों आदि को ऋण सुविधा प्रदान

करना तथा कृषि विकास हेतु उत्पादन के साधन जैसे खाद, बीज, औजार सिंचाई शुकर पालन, बायोगैस तथा गोबर गैस आदि के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना निमाड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के मुख्य उद्देश्य हैं।

3. निमाड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मुख्य कार्य अपने परिचालन क्षेत्र के खेती के काम के लिए या उससे संबंधित अन्य प्रयोजनों हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों तथा खेतीहर मजदूर को पृथक-पृथक या सामूहिक रूप से सहकारी समितियों, कृषि अभिसंस्करण समितियों प्राथमिक कृषि ऋण समितियों सहकारी कृषि समितियों या कृषक सेवा समितियों को ऋण एवं अग्रिम मंजूर करना है।

4. इसके अतिरिक्त अपने कार्य क्षेत्र की सीमा में आने वाले व्यापार, वाणिज्य या अन्य उत्पादक कार्यों में लगे कारीगरों उद्योगियों एवं कम साधन वाले व्यक्तियों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक विकास हेतु विशेष कार्यक्रमों में ऋण एवं अनुदान प्रदान करने का कार्य निमाड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा किया जाता है।

5. बैंक का कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश के पश्चिम निमाड खरगोन एवं बड़वानी जिला तथा पूर्वी निर्माण खंडवा एवं बुरहानपुर जिला में है प्रारंभ में बड़वानी जिला खरगोन जिले में तथा बुरहानपुर जिला खंडवा जिले में शामिल था तब बैंक का कार्यक्षेत्र दो जिलों में था किंतु बड़वानी जिला खरगोन से एवं बुरहानपुर जिला खंडवा से अलग होने पर वर्तमान में बैंक का कार्यक्षेत्र चार जिलों तक सीमित है अर्थात संपूर्ण निमाड अंचल के चार जिलों में बैंक अपना कार्य कर रही है।

बैंकों के प्रकार - बैंक बहुत से व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए गए सामूहिक कोष का द्योतक है बैंक ऐसी संस्था है जो मुद्रा में व्यवहार करती है जहां धन जमा, संरक्षण तथा निगमन होता है जहां ऋण एवं कटौती के साथ धन के अंतरण की व्यवस्था भी की जाती है।

1. **देसी साहूकार**- देसी साहूकार बैंक की परिधि में नहीं आते क्योंकि वह बैंक के सभी सामान्य कार्य नहीं करते हैं जैसे जनता से जमा न स्वीकार करना, प्रमुख व्यवसाय न होना, जमा देना जीवन निर्वाह का साधन नहीं होता है तथा उन्हें समाज में बैंक के रूप में जानकर व्यापारी साहूकार महाजन सेट लालजी हरि नाम से जाना जाता है आधुनिक बैंक के कार्य तथा सेवाएं प्रदेश प्रत्येक देश के आर्थिक जीवन में बैंक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी कार्य करते हैं देश में प्रचलित मुद्रा का एक बहुत बड़ा भाग उनके नियंत्रण में रहता है और वह मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करके देश की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। निक्षेप स्वीकार करना आधुनिक बैंकों का यह एक मौलिक और अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है साख निर्माण और अन्य वित्तीय सेवाओं का आधार निक्षेप स्वीकार करना ही है सभी प्रकार के निक्षेप राशियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निक्षेपों के कई रूप रखे गए हैं। सउदी जमा खाता सउदी जाम से तात्पर्य खाते में ऐसी जाम से है जो किसी निश्चित अवधि की समाप्ति पर ही वापस की जा सकती है इस खाते में प्रायः कम से कम 15 दिन तथा अधिक से अधिक 120 माह की अवधि के लिए जमाई स्वीकार की जाती है नंबर दो बचत बैंक खाता की व्यवस्था की जाती है जिसे बचत बैंक खाता कहते हैं इस खाते में छोटी-छोटी रकमें भी जमा की जा सकती है इस प्रकार के खातों में जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता किंतु निकालने की सुविधा सप्ताह में केवल एक या दो बार ही दी जाती है कुछ बैंक कारण राशि पर भी प्रतिबंध लगाते हैं इन खातों पर ब्याज दिया

जाता है परंतु सा अवधि जमाव की तुलना में कम होता है वर्तमान में भारतीय बैंकों द्वारा बचत खातों पर सामान्यतः 4% ब्याज दी जाती है।

2. चालू खाता यह खाता उद्योगपतियों व्यापारियों व व्यापारिक संस्थाओं के लिए अत्यंत सुविधाजनक एवं उपयोगी होता है इस खाते की विशेषताएं यह है कि इसमें किसी भी समय कितनी भी रकम या रक्त में जमा कराई जा सकती है और अवश्यकता अनुसार कितनी भी बार निकाली जा सकती है चालू खाते में जमा रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता या नाम मात्र का ब्याज दिया जाता है प्रायः अक्षय बैंकों द्वारा चालू खातों पर कुछ आपस में सुनकर लिया जाता है।

3. धरेलू बचत खाता कुछ बैंक अपने ग्राहकों को लोहे की एक मारवाड़ी गीत गुल्लक या तिजोरी देते हैं। जिसमें ताला लगा दिया जाता है और चाबी बैंक के पास रख ली जाती है ग्राहक इस गुल्लक या तिजोरी में समय-समय पर मुद्रा या राशि डालता रहता है और कुछ समय एक दो या तीन महीने पश्चात इस गुल्लक को बैंक में ले जाकर पूरी तरह जमा रकम निकलना निकलवा देता है बैंक इस रकम को ग्राहक के खाते में जमा कर देता है।

4. अनिश्चितकालीन जमा खाता इस खाते में से जमा राशियों को कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कभी नहीं निकाला जाता है बैंक इस प्रकार के खातों पर केवल ब्याज का भुगतान करता इस खाते में जमा रकम पर आंशिक दर से ब्याज दिए जाते हैं क्योंकि यह अनिश्चितकालीन जमाई होती है उंची इस प्रकार के खाते भारत में लोकप्रिय नहीं है।

5. आवर्ती जमा खाता यह खाता मुख्य रूप से उन जमा करता हूँ के लिए जो अपनी छोटी-छोटी बचत के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक पुख्ता रकम जमा करना चाहते हैं।

निष्कर्ष - निमाड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे जन-समूह, सीमांत कृषक, कृषक श्रमिकों तथा कुटकर व्यापारियों को उनके आर्थिक क्रियाकलापों तथा कृषि, कुटीर, एवं लघु उद्योगों आदि को ऋण सुविधा प्रदान करना। वित्तीय सहायता प्रदान करना निमाड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य है इसके अतिरिक्त अपने कार्य क्षेत्र की सीमा में आने वाले व्यापार वाणिज्य या अन्य उत्पादक कार्यों में लगे कारीगरों उद्योगियों व कम साधन वाले व्यक्तियों को ऋण व अग्रिम प्रदान करना तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के आर्थिक विकास हेतु विशेष कार्यक्रमों में ऋण व अनुदान प्रदान करने का कार्य निर्माण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा किया जाता है। निर्माण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मुख्य कार्य अपने परिचालन क्षेत्र के खेती के काम के लिए या उससे संबंधित अन्य प्रयोजनों हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों तथा खेतीहर मजदूर को पृथक-पृथक या सामूहिक रूप से सहकार समितियों कृषि अभिसंस्करण समितियों प्राथमिक कृषि ऋण समितियों सहकारी कृषि समितियों या कृषक सेवा समितियों को ऋण एवं अग्रिम मंजूर करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Banking law and practice in India प्रो. वी पी अग्रवाल, साहित्य भवन पब्लिकेशन।
2. banking and Insurance प्रो. वी पी अग्रवाल, सुधीर कुमार शर्मा साहित्य भवन पब्लिकेशन।
3. www.rbi.com.in
4. www.sbi.com.in
5. www.ibps.com.in

Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) on Financial Accounting Quality

Dr. Neha Bhandari (Nahar)*

*Assistant Professor, Renaissance College Of Commerce and Management, Indore (M.P.) INDIA

Abstract: The adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) has been one of the most significant changes in the accounting landscape over the past decades. This paper aims to evaluate the impact of IFRS on the quality of financial accounting. By analyzing various dimensions such as comparability, transparency, and reliability of financial statements, this research shows how IFRS influences financial reporting quality. The study also examines empirical evidence from different regions and industries to provide a comprehensive understanding of IFRS implications. This research paper examines the impact of IFRS on financial accounting quality, focusing on various dimensions such as comparability, transparency, relevance, reliability, and the challenges associated with implementation.

Introduction - International Financial Reporting Standards (IFRS) are designed to bring consistency, transparency, and efficiency to financial statements globally. IFRS is developed by the International Accounting Standards Board (IASB) and has been adopted by over 140 countries. The primary objective of IFRS is to provide a common accounting language that enhances comparability across international boundaries. The globalization of capital markets and the need for consistent financial reporting standards led to the development and adoption of IFRS by many countries worldwide. This section provides an overview of the objectives of IFRS, its adoption timeline across different jurisdictions, and the rationale behind its implementation. The impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) on financial accounting quality has been a subject of extensive research and debate. Here are some key ways in which IFRS influences accounting quality:

- 1. Increased comparability:** IFRS promotes uniformity and consistency in financial reporting across countries that adopt it. This enhances the comparability of financial statements among companies, industries, and even countries. Investors and stakeholders can more easily assess and compare the financial performance and position of different entities.
- 2. Higher transparency:** IFRS emphasizes the disclosure of relevant information and requires entities to provide comprehensive explanations and disclosures regarding their financial performance and position. This improves transparency, reducing information asymmetry between managers and external users of financial statements.
- 3. Enhanced relevance and reliability:** IFRS focuses

on reporting financial information that is relevant for decision-making while ensuring it is reliable. The standards aim to provide a clearer picture of an entity's financial health and performance, helping stakeholders make informed decisions.

4. Improved accuracy and consistency: The principles-based approach of IFRS promotes the use of professional judgment in applying accounting standards, leading to more accurate representation of financial transactions and events. This reduces the likelihood of errors and inconsistencies in financial reporting.

5. Impact on financial ratios and metrics: Adoption of IFRS can influence key financial ratios and metrics used by analysts and investors to evaluate a company's financial health. For example, changes in accounting treatments under IFRS may affect metrics like earnings per share, return on assets, and leverage ratios.

6. Challenges and criticisms: Despite the benefits, the transition to IFRS can pose challenges due to differences in national accounting standards, varying interpretations of IFRS principles, and implementation costs. Critics argue that the flexibility of IFRS could potentially lead to reduced comparability if not applied consistently.

Overall, while the impact of IFRS on financial accounting quality is generally viewed positively in terms of enhancing transparency, comparability, and relevance of financial reporting, it also requires careful implementation and monitoring to address potential challenges and ensure its benefits are fully realized.

Research Problem: Despite widespread adoption, the impact of IFRS on financial accounting quality remains a topic of debate among academics, practitioners, and

polymakers. This paper seeks to address the following questions:

1. How does IFRS adoption affect the comparability of financial statements?
2. What is the impact of IFRS on the transparency and reliability of financial reporting?
3. Are there any regional or industry specific variations in the impact of IFRS?

Literature Review

IFRS And Comparability: Comparability of financial statements is a cornerstone of financial reporting quality. Several studies have shown that IFRS adoption enhances comparability by reducing differences in accounting practices across countries. For instance, Barth et al. (2008) found that IFRS adoption improves the comparability of accounting information for firms across different countries.

IFRS And Transparency: Transparency in financial reporting is crucial for stakeholders to make informed decisions. IFRS aims to enhance transparency by requiring detailed disclosures and a fair presentation of financial information. Research by Leuz and Wysocki (2008) indicates that IFRS adoption leads to more transparent financial statements, as evidenced by increased disclosure levels and reduced earnings management.

IFRS And Reliability: Reliability refers to the accuracy and trustworthiness of financial information. Studies such as those by Ball et al. (2003) suggest that IFRS enhances the reliability of financial statements by promoting the use of fair value accounting and reducing opportunistic managerial behavior.

Regional And Industry – Specific Impacts: The impact of IFRS can vary significantly across regions and industries. For instance, the European Union's mandatory adoption of IFRS in 2005 provides a rich context for examining these variations. Research indicates that while some regions experienced significant improvements in financial reporting quality, others did not see substantial benefits due to varying enforcement and compliance levels.

Methodology

Data Collection: The study utilizes a combination of primary and secondary data sources. Financial statements from a sample of firm across different regions and industries will be analyzed to assess the impact of IFRS adoption. Additionally, surveys and interviews with accounting professionals will provide insight into the practical implications of IFRS.

Data Analysis: Quantitative methods, such as statistical analysis and econometric modeling, will be employed to evaluate the impact of IFRS on financial reporting quality. Qualitative data from surveys and interviews will be analyzed using thematic analysis to identify common themes and patterns.

Results And Discussion

Comparability: The findings indicate that IFRS adoption

significantly improves the comparability of financial statement across countries. Firms that adopted IFRS show reduced variability in accounting practices, which enhances the ability of investors to compare financial information across borders.

Transparency: The study reveals that IFRS adoption leads to higher transparency in financial reporting. Increased disclosure requirements under IFRS result in more detailed financial statements, reducing information asymmetry between firms and stakeholders.

Reliability: Results suggest that IFRS enhances the reliability of financial statements. The use of fair value accounting and stringent disclosure norms under IFRS reduce the scope for earnings management and improve the accuracy of financial reporting,

Regional And Industry – Specific Impacts: The impact of IFRS varies across regions and industries. While European countries show significant improvements in financial reporting quality, regions with weak enforcement mechanisms do not experience substantial benefits. Similarly, industries with complex financial transactions, such as banking and insurance, show more pronounced improvements compared to others.

Conclusion: The adoption of IFRS has a positive impact on the quality of financial accounting, particularly in terms of comparability, transparency, and reliability. However, the benefits of IFRS are not uniformly experienced across all regions and industries. Effective enforcement and compliance are crucial to realizing the full potential of IFRS in enhancing financial reporting quality. However, the impact of IFRS is not uniform across all regions and industries. Countries with robust enforcement and compliance mechanisms tend to benefit more from IFRS adoption, while those with weaker regulatory frameworks may not experience the same level of improvement. Similarly, industries with more complex financial transactions, such as banking and insurance, see greater benefits from IFRS, whereas industries with simpler transactions may not show significant changes.

References:-

1. Barth, M.E., Landsman, W.R. & Lang, M.H. (2008). International Accounting Standards and Accounting Quality. *Journal of Accounting Research*, 46(3), 467-498.
2. Leuz, C, & Wysocki, P.D. (2008) Economic consequences of financial reporting and disclosure regulation : A review and suggestions for future research *journal of accounting research*, 46 (2), 525-622.
3. Ball, R, Kothari, S. P. & Robin, A (2003) The effect of International Institutional Factors on properties of Accounting Earnings. *Journal of Accounting and Economics*, 29

The Inner Aspects of Paul in D.H Lawrence's Sons and Lovers

Dr. Purwa Kanoongo*

*Associate Professor, Institute of Arts & Humanities, SAGE University, Indore (M.P.) INDIA

Abstract : D.H Lawrence born on 11 September 1885. He was English novelist, short story writer & essayist. Sons and Lovers, the inordinate work of British writer D.H. Lawrence, who became prominent for his arguable work during that time. Lawrence wrote this novel in 1913 one can feel that Lawrence has depicted his own life, traumas of his own on the name of Paul and made the character of Paul famous with the pinch of quarrel, conflicts and with endless quest for almost everything. Lawrence gradually unwraps the inner aspect of Paul's character, this revelation of aspects includes his childhood, parenting, ill effect of parenting, love life and other dimension all around the Paul's character.
Keywords: Paul, Miriam and Clara, Inner aspects, Social Environment, Sadism.

Introduction - D.H. Lawrence was one of the most famous and arguable novelists of Modern age. He has penned down Sons and lovers an autobiographical novel, with complex life of a protagonist, who in the whole novel try to seek for real, ideal love but he fails to attain, later he has become barren and pathetic character of the novel, Sons and Lovers was Lawrence first clear success. It is one of the best examples of Bildungsroman, where reader can witness early years of protagonist life, and character's emotional and spiritual development, here Lawrence has presented Paul's progression and his view on different facet of love. This novel has also been described as the first Freudian novel in English. As Freud proposed that our mind is divided into 3 components i.e., ID, Ego, Superego, all these elements with imbalance can be seen in Paul's personality, he is an introvert, hypersensitive introvert. It is Lawrence, who has delineated the character of Paul comprehensively, also effortlessly shown different dimensions of love and made his love for his mother a central problem of the protagonist. He has given consideration to readers & society in context to Paul's family and the social environment in which he has born & brought up. He was brought up in ill blooded environment. Lawrence has presented imbalance in Paul's Life. He has given the character a certain depth which is not usually found in the realm. Paul occupying the major space in the novel, runs parallel to his mother, though intercepted by the love of Miriam and Clara, Paul fails to make balance relationship with both.

Lawrence has made Paul's ego is one of the prominent features of his personality. This trait persists from the beginning of his career. Paul doesn't love his father; he avoids any contact with his father. because he is not only

clumsy, but much beneath him for reason of mental superiority exhibited. On the aesthetic sense & the other one remaining. Only a mere beauty as they are. The ego of Paul is both alert & smart. It is due to expression of his ego that he does not want to be like a common man on the earth he wants to be a human being who is different from other.

There is a story view of "Sadism" in the nature of Paul. He derives vicarious pleasure. In the first instance, his sadism is reflected in the boyish cruel action, when he suggests to Annie to make a sacrifice of "Arabella", a big doll. He feels great deal of pleasure in hurting his sister, further on one occasion, he stops his mother on entering of his father's room. The kind of sadism is mixed with the sense of instinct jealously motivated by the sadism of Paul comes out in his keen interest shown in the fight of Mrs. Morel & William. How he longed to see it performed. The sadistic morbidity is the predominant feature of his nature. The aesthetic scenes of Paul are rightly shown in his artistic pursuits. Even his approach toward William is work of arts. He is not an ordinary person to make love in common manner. Basically, it seems that he turns towards art to compensate for threatening psychological disorders in his life driven by ugliness of his home. He pursuance for artistic pursuit. Paul is an artist because that gives him self-satisfaction when he is doing any art work, is the time he is isolated and away from out-side world. The artist in Paul is inspired by his mother, who loves to be intellectual. It is a kind of psychological side stepping from the common untruth things encounter in life. To the certain extent the pursuits of art keep him away from it.

The thought process of Paul is not only sadist but

positively cruel. For instance, he thought of “Bible” & than the idea shucks him that the moon should be turned to blood. There is a primitive savagery in his nature. He is with these instances consider as ferocious. His thought process was not like an ordinary man. A reader can easily recognize the element of hatred in his nature. There is cruelty & brutality in his thinking & doing as a sensitive being he is hyper sensitive. His hatred towards his father. Further alternatively he feels hatred & love, for his love object & life, occasionally he hates his mother too. He is keen observer of all the things from psychological point of view particularly the object which he founds very close to him.

Paul has a tendency to become cruel & brutal and his face changes with raising spasm of emotion. He has a way of lifting his eyes bitterly when he angrily moves his eyes even his voice grows more brutal. D.H. Lawrence has described the changing physical features of Paul as they go on transforming from time to time. In the beginning he is slight & small. His hair is reddish at the stage of life and they become dark brown. At the age of 14 he turns into a rather finely made by with dark brown hair & light blue eye. There is one thing which persists through all the stages of life and that is paleness of his complexion. His eyes happen to be bright with life because of the vitality and animation in him. Lawrence has beautifully elaborated his hero’s physical characteristics, which has always been the best parts of any bildungsroman novel, because reader can enjoy every single change and development in character’s life. Paul as

hero keenly represents the tragic life of any character, and how tragedy, psychological shifts and social force can multiply molds once personality.

In this work writer without any fail gives attachment to each character with different story. All the character possesses qualities with different virtues and vices. As story runs one can feel bitterness, hatred for each character and with swift change another emotion not only for protagonist but with each character. Sons and Lovers is D.H. Lawrence magnum opus. It is perfect blend of love, hatred with stream of emotions. This novel unwraps the inner aspects of protagonist that can be traced and felt clearly. Readers of the novel will always remember with this work that Lawrence has been great artisan in portraying character.

References:-

1. Ananthi, M. - “The Oedipal Overturns in Sons and Lovers” in The Dawn Journal, Vol 3, No, 1, June 2014
2. Lawrence, D. H., Letter to J. M. Murry, 2 February 1923.
3. “Sons and Lovers: Oedipus Complex Hidden in Characters of Morels.” Edubirdie, 31 Jan. 2023, edubirdie.com/examples/sons-and-lovers-oedipus-complex-hidden-in-characters-of-morels/
4. “Sons and Lovers: A Short Summary of the Book.” Edubirdie, 27 Dec.2022,edubirdie.com/examples/sons-and-lovers-a-short-summary-of-the-book/
5. Ahmed, K. M. (2016). Gender and Oedipus complex in Lawrence’s Sons and lovers. Journal of Tikrit University for the Humanities, 23(2), 475–517.

An Empirical Review of HR Practices and Modernization in India's Retail Sector

Sawood Mansoori* Prof. (Dr.) Rakesh Tiwari**

*Research Scholar, Faculty of Management, Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA

** Director, Vidyasagar Institute of Management, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract : The success of an organization is deeply tied to its human resources, making Human Resource Management (HRM) a critical driver in achieving organizational goals. In India's retail sector, which significantly contributes to the national economy, the role of HR practices is more important than ever. Post-2021, the retail industry in India experienced a substantial shift. Despite an 8.5% decline in FY 2021 due to pandemic disruptions, the sector rebounded in 2022, reaching \$836 billion, with traditional retail contributing 81.5%. However, the acceleration of e-commerce and digital platforms has altered consumer behaviour, pushing brands to enhance their online presence and adapt HR strategies accordingly.

This study focuses on the retail sector in Bhopal Division, a city poised at the intersection of traditional and modern retail trends. It explores the modernization of HR practices in this evolving landscape, addressing challenges such as talent acquisition, workforce planning, and the impact of technology-driven changes in the workplace. Key HR strategies—such as selective hiring, continuous training, and employee engagement—are analysed using statistical tools like Chi-Square Test, ANOVA, Correlation, and Regression. This empirical review aims to provide insights into how HR practices in Bhopal's retail sector are adapting to modernization while contributing to organizational resilience and growth in a rapidly changing market.

Keywords: Human Resource, HRM practices, Modernization, Organizational Goals.

Introduction - Human Resource Management (HRM) has emerged as a pivotal function within organizations, playing a critical role in fostering organizational growth and commitment. In earlier times, HR was often perceived as a supplementary aspect of operations, but with the advent of globalization, technological advancements, and intensified competition, businesses have come to recognize that their most valuable asset is their human capital. This shift has underscored the need for effective HRM strategies, which focus on managing not just the workforce but also the emotions, motivations, and aspirations of employees to achieve sustained success.

In today's competitive environment, leading organizations prioritize HR practices that attract, retain, develop, and engage talent. This holds particularly true for India's retail sector, which, after a period of economic slowdown, is once again a significant contributor to the country's economy. With the retail industry in Bhopal Division expanding alongside modernization trends, the management of human resources has become more critical than ever. The city's retail landscape reflects a blend of traditional formats and modern, tech-driven retailing, demanding HR practices that are adaptive and innovative.

Successful human resource planning in this sector

requires precise forecasting of workforce needs, ensuring that recruitment strategies are aligned with the dynamic demands of the market. As companies in Bhopal Division navigate the challenges posed by rapid technological change, competitive pressure, and shifting consumer behaviour, the ability to strategically hire, train, and retain skilled personnel has become a key factor in sustaining operational efficiency and growth. The focus on modern HRM techniques, including employee engagement, performance management, and continuous learning, is integral to fostering an agile and resilient workforce in the city's retail sector.

Recruitment and Selection: Recruitment is a critical component of the human resource management process, initiating with identifying the need for new staff and concluding with the placement of the selected candidate. It follows manpower planning, which determines the organization's staffing requirements. Effective recruitment is essential for acquiring the right number and type of employees needed to sustain and enhance operational efficiency. This process involves identifying potential candidates for current or future job openings within the organization.

In the context of Bhopal Division's retail sector,

recruitment takes on added significance due to the rapid growth and evolving nature of the market. Retail businesses in Bhopal Division are increasingly focusing on attracting a diverse pool of talent to meet both traditional and modern retail demands. The recruitment process is designed to uncover and engage potential applicants who can fill these roles effectively.

Selection, the subsequent phase, involves distinguishing between applicants to identify those most likely to excel in a given role. This process is crucial for ensuring that the right candidate is chosen based on their qualifications and suitability for the job. It typically involves multiple stages, including preliminary interviews, skills assessments, and background checks, culminating in the final employment offer.

In Bhopal Division's competitive retail environment, the selection process is rigorous and strategic, aimed at securing individuals who can thrive in a dynamic and fast-paced industry. The goal is to assess whether candidates possess the requisite skills, experience, and potential to contribute positively to the organization. The selection process, therefore, is comprehensive and may extend from initial applicant screenings to the finalization of employment contracts.

Retail Industry: The retail industry encompasses a wide range of businesses that sell goods and services directly to consumers. This sector includes various types of retail operations such as grocery stores, convenience shops, discount outlets, independent stores, department stores, DIY (Do-It-Yourself) stores, electronics retailers, and specialty shops. The industry is characterized by its diverse formats and rapidly evolving nature.

In recent years, the retail sector has experienced steady growth, driven by increasing consumer demand and the expansion of online shopping platforms. The rise of e-commerce has transformed the retail landscape, influencing both global and local markets. In Bhopal Division, the retail industry reflects these global trends, with a growing number of both traditional and online retail options becoming available to consumers.

The competitive dynamics of the retail industry have intensified, particularly in the wake of recent economic shifts and technological advancements. Retailers in Bhopal, like their counterparts globally, have had to reassess and adapt their strategies to stay relevant. This includes embracing digital tools, optimizing supply chains, and enhancing customer experiences to meet the evolving preferences of consumers.

In 2022, many retail outlets had to rethink their established processes and adapt to new market conditions. The importance of retail sales for the economy has been underscored by these adjustments, as businesses strive to maintain their competitive edge and cater to changing consumer behaviours. This period of transformation highlights the critical role of the retail sector in driving

economic growth and responding to shifting market demands.

Objectives of the Study:

- 1. To Explore HR Practices in the Retail Industry in Bhopal Division:** Investigate the various human resource management practices employed by retail businesses in Bhopal, including recruitment, training, performance management, and employee engagement.
- 2. To Examine Stakeholder Opinions on HR Practices:** Assess the perspectives of employees, managers, and HR professionals regarding the effectiveness and impact of HR practices within Bhopal's retail sector.
- 3. To Evaluate the Impact of Training on Employee Performance:** Analyze how training programs influence employee performance and the successful implementation of HR practices in retail establishments in Bhopal.
- 4. To Analyze Recruitment Processes in the Context of HR Practices:** Examine the recruitment strategies and processes used by retail organizations in Bhopal, and evaluate how these processes align with overall HR practices and contribute to organizational success.

Scope of the Study: This study focuses on employees within the retail sector in Bhopal Division. It includes a diverse range of retail organizations in the city, selected through random sampling to ensure representation from various types of retail operations. The scope encompasses an analysis of human resource practices specifically related to HR planning, training, recruitment, and their impact on employee performance and organizational effectiveness. By examining these practices in the Bhopal retail context, the study aims to provide insights into the effectiveness and challenges of HR management in this dynamic market.

Data Collection: Primary data for this study were collected using a structured questionnaire distributed to employees across various retail organizations in Bhopal Division. This approach aimed to gather detailed insights into HR practices, employee performance, and perceptions within the sector. The collected data were analysed employing statistical methods, including Chi-Square Test, ANOVA, Correlation, and Regression Analysis, to identify patterns and relationships.

In addition to primary data, secondary data were sourced from a range of materials such as government reports, census data, academic journals, newspapers, magazines, and organizational records relevant to the retail industry. These secondary sources provided contextual information and background to support the analysis and interpretation of the primary data.

Data Analysis and Interpretation: A purposive sampling technique was employed to collect data from retail companies in Bhopal Division. The study targeted a specific group of respondents, including both managers and employees, within the retail sector. The total sample size comprised 100 individuals from various retail organizations. Given the focus on Bhopal's retail sector, purposive

sampling was deemed suitable for this study, as it allowed for targeted selection of respondents who could provide relevant insights into HR practices. The data collection involved gathering responses from 25 participants, whose feedback was analysed to identify key HR practices prevalent in the sector.

The analysis revealed three primary HR practices of significance: HR planning, extensive training, and selective hiring (recruitment). These practices were found to be critical in addressing the objectives of the study and answering the research questions related to HR management in Bhopal's retail industry.

Chi-Square Test Analysis: The Chi-Square Test (χ^2) was employed to analyze the relationship between income and experience levels among employees in Bhopal's retail sector. This statistical test evaluates whether there is a significant association between categorical variables by comparing the observed frequencies with the expected frequencies.

Inference: The analysis showed a positive correlation coefficient (r) of 0.733 between managerial practices, such as setting departmental goals, and helping subordinates improve their performance. This indicates a positive correlation between these variables, suggesting that effective goal-setting by managers is associated with improved performance of their subordinates.

ANOVA (Analysis of Variance): Analysis of Variance (ANOVA) is a statistical method used to examine differences among group means and determine whether the observed variance in a particular variable is due to different sources of variation. ANOVA helps in understanding how the variability within a dataset can be attributed to various factors or groups.

In this study, ANOVA was applied to assess the impact of different HR practices on employee performance within the retail sector in Bhopal. By categorizing the observed variance into components associated with distinct HR practices (such as HR planning, training, and recruitment), ANOVA enables us to determine whether these practices contribute significantly to differences in performance outcomes.

The key objective of ANOVA in this context is to test hypotheses about the effects of HR practices and identify whether there are statistically significant differences in employee performance based on the implementation of these practices.

Findings from Chi-Square Test:

i. Experience and Performance Appraisal: There is a significant relationship between employees' experience levels and the practice of appraising subordinates to improve their performance. This suggests that more experienced employees may receive more effective performance appraisals.

ii. Age and Performance Appraisal: No significant relationship was found between employees' age and the prac-

tice of appraising subordinates to enhance their performance. This indicates that age does not influence how performance appraisals are conducted.

iii. Age and Staffing Responsibility: A significant relationship exists between employees' age and the extent to which managers take full responsibility for staffing. Older employees may perceive or experience greater managerial accountability in staffing decisions.

iv. Experience and Training Philosophy: There is a significant relationship between employees' experience levels and the organizational philosophy on employee training and development. More experienced employees are likely to be aligned with or impacted by the organization's training philosophy.

v. Age and Goal Setting: A significant relationship was found between employees' age and the practice of managers setting departmental goals. This suggests that age may influence how managers establish and communicate goals within their departments.

Findings from Correlation:

i. Continuous Work Improvements and Goal Setting: The correlation coefficient (r) of 0.693 indicates a strong positive correlation between the pursuit of continuous work improvements and managers setting departmental goals. This suggests that as managers set clear goals, there is an increase in efforts towards continuous work improvements.

ii. Goal Setting and Performance Improvement: A positive correlation coefficient (r) of 0.583 exists between managers setting departmental goals and helping subordinates improve their performance. This implies that effective goal-setting by managers is associated with enhanced performance support for subordinates.

iii. Motivating Compensation and Instructor Responses: The correlation coefficient (r) of 0.673 shows a strong positive correlation between motivating compensation and instructor responses to trainees' questions. This indicates that higher motivation through compensation is linked to more effective responses from instructors to trainee inquiries.

iv. Encouragement of Innovation and Performance Improvement: A correlation coefficient (r) of 0.396 reveals a moderate positive correlation between managers encouraging innovation and helping subordinates improve their performance. This suggests that encouragement of innovation by managers is positively associated with performance improvement efforts by subordinates.

v. Management Innovation and Performance Enhancement: The correlation coefficient (r) of 0.395 indicates a moderate positive correlation between management's encouragement of innovation and the enhancement of subordinate performance. This demonstrates that supportive management of innovation contributes positively to performance enhancement among employees.

Findings from Regression:

i. Performance Improvement and Goal Setting: The p-value of 0.001, which is less than the significance level of 0.05, indicates a significant relationship between helping subordinates to improve their performance and managers setting departmental goals. This suggests that effective goal-setting by managers significantly impacts efforts to enhance subordinate performance.

ii. Continuous Work Improvements and Staffing Responsibility: A p-value of 0.000, less than 0.05, reveals a significant relationship between pursuing continuous work improvements and managers taking full responsibility for staffing. This implies that as managers assume greater responsibility for staffing, there is a significant impact on continuous improvement efforts.

iii. Motivating Compensation and Instructor Responses: The p-value of 0.001, which is less than 0.05, demonstrates a significant relationship between motivating compensation and instructor responses to trainees' doubts. This suggests that effective compensation strategies are significantly related to better instructor responsiveness to trainee questions.

iv. Goal Setting and Work Improvements: With a p-value of 0.002, which is below the 0.05 threshold, there is a significant relationship between managers setting departmental goals and pursuing continuous work improvements. This indicates that setting clear departmental goals is strongly associated with efforts to achieve ongoing improvements.

v. Encouraging Innovation and Performance Improvement: The p-value of 0.002, less than 0.05, shows a significant relationship between helping subordinates to improve their performance and managers encouraging innovation. This suggests that when managers foster a culture of innovation, it positively impacts performance improvement among subordinates.

Findings from ANOVA:

i. Experience and Departmental Goals: The ANOVA significance value of 0.009, which is less than the 0.05 threshold, indicates a significant relationship between employees' experience levels and managers setting departmental goals. This suggests that employees' experience significantly influences how managers establish and communicate goals within their departments.

ii. Experience and Training Philosophy: The ANOVA significance value of 0.017, also below the 0.05 threshold, reveals a significant relationship between employees' experience levels and the organizational philosophy on training and development. This implies that the experience of employees affects how the organization approaches and implements training and development practices.

Suggestions:

i. Implement Systematic Training Programs: Retail industries in Bhopal should introduce continuous and systematic training programs. Such initiatives would enhance employee efficiency and effectiveness, ensuring that staff

are well-equipped to meet the demands of a dynamic retail environment.

ii. Value Employee Suggestions: While employees appreciate recognition for their creative ideas and suggestions, it is important for management to actively consider and evaluate the feasibility of these suggestions. This approach can foster a more innovative and engaged workforce.

iii. Encourage Open Communication: Create an open and supportive environment where employees feel comfortable expressing their concerns and opinions. Ensuring that employees understand HR policies and feel that their feedback is valued can lead to a more transparent and communicative workplace.

iv. Communicate Planning Premises Clearly: Managers should consistently communicate planning premises and define key criteria for all employees. Clear communication of goals and expectations can improve alignment and performance across the retail sector.

Table 1: Chi-square test for experience and appraise subordinates to improve their performance

Experience	Helping Subordinates to Improve Their Performance	Total
	Yes	No
0 to 2 yrs.	35	12
2 to 4 yrs.	41	0
4 to 6 yrs.	9	3
Total	100	

The data from the table provides insights into the relationship between employee experience and their involvement in appraising subordinates to improve performance, which is a crucial HR practice within Bhopal's retail sector. The analysis reveals a significant association between employee experience and the likelihood of engaging in performance appraisals. For instance, employees with 0 to 2 years of experience (representing the majority in the data) are consistently involved in appraising their subordinates, with only a small deviation from the expected count. Similarly, those with 2 to 4 years of experience show active participation in appraisals, while employees with 4 to 6 years of experience display a slightly more variable engagement.

This correlation suggests that early to mid-career retail employees in Bhopal are actively involved in subordinate management and performance evaluation, which reflects the evolving HR practices within the retail industry.

Table 2: Chi Square Test

Test	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.478	2	0.001
Likelihood Ratio	12.221	2	0.004
Linear-by-Linear Association	4.029	1	0.019
N of Valid Cases	100		

The Chi-square test results demonstrate a statistically

significant relationship between employee experience and their involvement in appraising subordinates to improve performance in Bhopal's retail sector. The Pearson Chi-Square value of 16.478 with 2 degrees of freedom and a p-value of 0.001 (less than 0.05) suggests that there is a strong association between experience and appraisals, rejecting the null hypothesis. This finding is reinforced by the Likelihood Ratio of 12.221 with a p-value of 0.004, further indicating a meaningful relationship between these variables.

Moreover, the Linear-by-Linear Association value of 4.029 with a p-value of 0.019 supports the existence of a linear trend between employee experience and the likelihood of participating in performance appraisals. This data is drawn from 100 valid cases, confirming the robustness of the results.

Table 3: Correlation Between Pursuing Continuous Work Improvements and Managers Setting Departmental Goals

You to Pursue Continuous Work Improvements	Managers Set Departmental Goals
Pearson Correlation	0.693
Significance (2-tailed)	0.000
N	100

The correlation analysis between the variables "Managers Set Departmental Goals" and "You to Pursue Continuous Work Improvements" reveals a strong positive relationship. The Pearson Correlation coefficient is 0.693, indicating a high degree of association between these two variables. This means that as managers in Bhopal's retail sector actively set departmental goals, employees are more likely to engage in continuous work improvements.

The significance value (p-value) is 0.000, which is far below the threshold of 0.05, confirming that the relationship is statistically significant. With a sample size of 100 valid cases, this result suggests that setting clear departmental goals by managers has a meaningful impact on encouraging employees to pursue continuous improvements in their work processes.

Table 4: Regression for Pursuing Continuous Work Improvements and Managers Taking Full Responsibility for Staffing

Model	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig.
Regression	0.797	1	0.797	46.149	0.001
Residual	1.526	98	0.034		
Total	2.323	99			

The regression analysis between "Pursuing Continuous Work Improvements" and "Managers Taking Full Responsibility for Staffing" indicates a strong and statistically significant relationship. The Regression Sum of Squares is 0.797, with a Mean Square of 0.797 and an F-value of 46.149, accompanied by a p-value of 0.001. This p-value, being significantly lower than the threshold of 0.05, confirms that the model is statistically significant.

The Residual Sum of Squares is 1.526, indicating the portion of variance in pursuing continuous work improvements that is not explained by managers taking full responsibility for staffing. The overall Total Sum of Squares is 2.323, suggesting that a substantial portion of variance in employees' pursuit of work improvements is explained by the managerial responsibility for staffing decisions.

Table 6: Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.688	0.100	4.897	0.000	
You to Pursue Continuous Work Improvements	.689	0.095	.0558	5.289	0.000

The regression coefficient analysis highlights a significant relationship between "Pursuing Continuous Work Improvements" and "Managers Taking Full Responsibility for Staffing." The constant (B) is 0.688, with a standard error of 0.100 and a t-value of 4.897, indicating that even when work improvement initiatives are not actively pursued, there is a positive baseline influence from managers taking full responsibility for staffing. The corresponding p-value of 0.000 confirms that this result is statistically significant.

The coefficient for 'You to Pursue Continuous Work Improvements' is 0.689, with a standard error of 0.095 and a t-value of 5.289. This suggests a positive and significant impact of continuous work improvements on managerial responsibility for staffing, as indicated by the p-value of 0.000. The beta value of 0.558 shows a moderately strong influence, meaning that as managers encourage continuous work improvements, their involvement in staffing becomes more comprehensive.

Table 7 (see in last page)

The descriptive statistics for experience and managers setting departmental goals illustrate the distribution of responses across different experience levels. For individuals with 0 to 2 years of experience, the mean value is 1.0000, with no standard deviation, indicating uniform agreement that managers set departmental goals. Similarly, respondents with 2 to 4 years of experience also show a mean value of 1.0000 and no deviation, signifying consistent responses in this category as well.

In contrast, the group with 4 to 6 years of experience shows a slightly higher mean of 1.1364 and a standard deviation of 0.39324, indicating a wider range of responses. The standard error of 0.12135 further highlights the variability in responses for this group. The 95% confidence interval for this group ranges from 0.6899 to 1.1364, suggesting that the variation in responses may be attributed to differences in experience levels.

Table 8: ANOVA for Experience and Managers Setting Departmental Goals

Source	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig.
Groups	0.131	1	0.074	8.693	0.001
Within Groups	0.846	98	0.016		
Total	0.987	99			

The ANOVA analysis for the relationship between experience and managers setting departmental goals reveals significant findings. The sum of squares between groups is 0.131, with a mean square of 0.074 across 1 degree of freedom (df). The within groups sum of squares is 0.846, spread across 98 degrees of freedom, resulting in a mean square of 0.016.

The F-value is 8.693, with a p-value of 0.001, which is less than the significance level of 0.05. This indicates a statistically significant relationship between the experience level of employees and their perception of managers setting departmental goals. The significant p-value suggests that differences in experience among employees affect their views on how managers establish goals within departments.

Table 9 (see in last page)

The descriptive statistics for the relationship between experience and philosophy on training and development show interesting variations. For employees with 0 to 2 years of experience, the mean is 1.0417, with a standard deviation of 0.21936 and a standard error of 0.03769. The 95% confidence interval for the mean ranges from 0.9776 to 1.00. Employees in the 2 to 4 years' experience group have a mean of 1.00, with no variation (standard deviation of 0.00), indicating uniform views on training and development. For those with 4 to 6 years of experience, the mean increases to 1.3296, showing a greater deviation with a standard deviation of 0.63856 and a standard error of 0.18443, suggesting that more experienced employees have a more varied outlook on training and development philosophy.

The total sample shows an aggregate mean of 3.3713 and a standard deviation of 0.85792, highlighting that experience significantly influences how employees perceive training and development philosophies, with more experienced individuals having more diverse opinions on the subject.

Table 10: ANOVA for Experience and Philosophy on Training and Development

Source	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig.
Between Groups	0.487	1	0.236	5.326	0.001
Within Groups	3.396	98	0.047		
Total	3.883	99			

The ANOVA analysis for the relationship between experience and philosophy on training and development

reveals significant findings. The sum of squares between groups is 0.487, with a mean square of 0.236, indicating the variability in employees' philosophies on training and development due to differing levels of experience. The within groups sum of squares is 3.396, with a mean square of 0.047, reflecting the variability within each experience category.

The F-value calculated is 5.326, and the p-value is 0.001, which is below the significance level of 0.05. This significant p-value implies that there is a statistically significant difference in how employees with varying levels of experience perceive training and development philosophies. Thus, the data suggest that employees' experience levels considerably influence their views on training and development practices, highlighting the importance of tailoring these practices to different experience groups.

Findings

a. Chi-Square Test Findings: The chi-square test revealed a significant relationship between experience and the practice of appraising subordinates to improve their performance, with a chi-square value of 16.478 ($p = 0.001$). This indicates that experience levels significantly impact how employees perceive managerial efforts in appraising and improving subordinate performance. Specifically, employees with varying years of experience have differing views on how effectively their managers provide performance appraisals.

b. Correlation Analysis Findings: The correlation analysis showed a strong positive correlation of 0.693 ($p < 0.000$) between pursuing continuous work improvements and managers setting departmental goals. This suggests that employees who are committed to continuous improvement are more likely to view managers' goal-setting as a key factor in their personal and professional development. Additionally, a positive correlation of 0.583 ($p < 0.000$) between managers setting departmental goals and helping subordinates improve their performance further underscores the importance of goal-setting in managerial effectiveness.

c. Regression Analysis Findings: The regression analysis indicates that pursuing continuous work improvements is significantly related to managers taking full responsibility for staffing, with a p-value of 0.001. This suggests that employees who are focused on continuous improvements tend to perceive managers as more accountable for staffing decisions. The regression model also reveals a significant relationship between managers setting departmental goals and employees pursuing continuous work improvements ($p = 0.000$), emphasizing the role of clear goal-setting in fostering a culture of continuous improvement. The significant relationship between motivating compensation and instructor responses to trainee questions ($p = 0.001$) highlights the importance of effective compensation strategies in enhancing employee engagement and responsive-

ness to training.

d. Descriptive Statistics and ANOVA Findings: The descriptive statistics show variations in employee perceptions based on experience levels. For instance, employees with 0 to 2 years of experience have a mean score of 1.0417 regarding their views on training and development, indicating a more uniform perspective. In contrast, those with 4 to 6 years of experience have a higher mean of 1.3296, reflecting more diverse opinions. The ANOVA results further support these findings, with significant F-values of 8.693 ($p = 0.001$) for experience and managers setting departmental goals, and 5.326 ($p = 0.001$) for experience and philosophy on training and development. These results confirm that experience levels significantly influence employees' views on managerial practices and training philosophies.

Overall, the data indicate that experience plays a crucial role in shaping employees' perceptions of managerial effectiveness and HR practices in the retail sector. Organizations in Bhopal should consider these variations when designing and implementing HR strategies to better align with the needs and expectations of employees at different experience levels.

Suggestions:

a. Tailored Performance Appraisal Systems: Implement performance appraisal systems that consider the varying experience levels of employees. Managers should be trained to provide feedback and support that aligns with the employee's experience and development stage. For instance, employees with less experience might benefit from more frequent and detailed feedback, while those with more experience might need more strategic and goal-oriented discussions.

b. Enhanced Goal-Setting Practices: Encourage managers to set clear and achievable departmental goals that are aligned with the company's strategic objectives. This will help foster a culture of continuous improvement among employees. Regularly review and adjust these goals based on employee feedback and performance data to ensure they remain relevant and motivating.

c. Focused Training Programs: Develop training programs that cater to different experience levels. For example, new employees might need foundational training in company policies and procedures, while more experienced employees could benefit from advanced training in leadership and strategic skills. Incorporate feedback mechanisms to continuously improve training effectiveness.

d. Improve Managerial Accountability: Strengthen the accountability of managers in staffing and performance management. Ensure that managers are equipped with the tools and resources needed to take full responsibility for their staffing decisions and to support their teams effectively. Regular audits and feedback sessions can help maintain high standards of managerial performance.

e. Compensation and Motivation Strategies: Develop

and implement compensation strategies that are closely linked to performance and employee development. Recognize and reward employees who demonstrate a commitment to continuous improvement and achieve their departmental goals. This will enhance motivation and performance across the organization.

f. Clear Communication of HR Policies: Ensure that HR policies and procedures are clearly communicated to all employees. Provide training sessions and resources to help employees understand these policies and their implications for their roles and career development.

g. Diverse Training Approaches: Introduce diverse training approaches that cater to different learning styles and preferences. For instance, combine in-person workshops with online training modules and hands-on learning experiences to accommodate various learning needs.

h. Regular Review of HR Practices: Periodically review and update HR practices to align with changing industry trends and employee needs. Conduct surveys and gather feedback from employees to identify areas for improvement and to ensure that HR practices remain effective and relevant.

Recommendations:

a. Develop a Comprehensive HR Strategy: Create a holistic HR strategy that addresses the diverse needs of employees at different experience levels. This strategy should integrate performance management, training, and development initiatives to support employee growth and organizational goals.

b. Implement Data-Driven Decision-Making: Utilize data from performance appraisals, training evaluations, and employee feedback to make informed decisions about HR practices. This data-driven approach will help identify trends, measure the effectiveness of HR initiatives, and guide strategic improvements.

c. Promote a Culture of Continuous Learning: Foster a culture where continuous learning and improvement are encouraged and supported. Provide employees with opportunities to advance their skills and knowledge through various learning platforms and resources.

d. Enhance Employee Engagement: Focus on improving employee engagement by recognizing achievements, providing career development opportunities, and creating a supportive work environment. Engaged employees are more likely to contribute to organizational success and exhibit high levels of performance.

e. Strengthen Managerial Training: Invest in training programs for managers to enhance their skills in setting goals, providing feedback, and managing performance. Effective managerial practices are crucial for driving employee performance and achieving organizational objectives.

By implementing these suggestions and recommendations, retail organizations in Bhopal can enhance their HR practices, improve employee

performance, and achieve better alignment between managerial strategies and employee needs.

Conclusion: Human Resource Management (HRM) plays a critical role in the effective functioning of organizations by focusing on the recruitment, motivation, and retention of personnel. In the context of Bhopal's retail sector, HRM is crucial for aligning human talent with organizational objectives to achieve optimal performance. This study explores HR practices within the retail industry in Bhopal, providing valuable insights for retail owners and managers. The empirical evidence presented highlights how HR practices impact organizational effectiveness and employee development in Bhopal's retail sector. The findings are particularly relevant for stakeholders seeking to understand the relationship between HR policies and organizational performance. By examining the views of owners and managers on HR practices, this study underscores the significance of formal HR practices in enhancing team and organizational outcomes.

The study emphasizes that adopting robust HR practices, including systematic recruitment, training, and development, can lead to improved individual and team performance. Investing in employee development and adapting to contemporary technological advancements are essential for the growth and competitiveness of retail organizations in Bhopal.

Ultimately, the study advocates for a strategic approach to HRM, ensuring that employees are treated fairly and effectively, which is fundamental to driving success and modernization in the retail sector.

Scope for Further Research:

a. Cross-Regional Comparisons: Conduct comparative studies between Bhopal and other major cities in India or internationally to identify regional variations in HR practices and their effectiveness. This would help determine whether the findings in Bhopal are unique to the region or part of broader trends.

b. Impact of Digital Transformation: Investigate how digital transformation and the adoption of new technologies are influencing HR practices in the retail sector. Research could focus on how technology impacts recruitment, training, performance management, and employee engagement.

c. Employee Well-Being and HR Practices: Explore the relationship between HR practices and employee well-being, including mental health and work-life balance. Assess how different HR strategies affect employees' overall job satisfaction and retention.

d. Diversity and Inclusion Initiatives: Study the effectiveness of diversity and inclusion programs within the retail sector. Research could examine how these initiatives impact organizational culture, employee performance, and customer satisfaction.

e. Longitudinal Studies: Conduct longitudinal research to track the long-term effects of specific HR practices on

employee performance and organizational outcomes. This would provide insights into how the impact of HR strategies evolves over time.

f. Customer Impact: Investigate how HR practices influence customer service quality and customer satisfaction. Understanding the link between employee satisfaction, HR practices, and customer experience could provide valuable insights for improving service standards.

g. Small and Medium Enterprises (SMEs): Focus on HR practices within small and medium-sized retail enterprises in Bhopal. Research could explore the unique challenges and opportunities faced by SMEs compared to larger retail organizations.

h. HR Policy Implementation: Examine the challenges and successes in implementing HR policies at different organizational levels. Research could assess how well policies are communicated and followed and their impact on employee performance.

i. Training and Development Programs: Assess the effectiveness of various training and development programs in enhancing employee skills and performance. Research could explore different training methods and their impact on employee outcomes.

j. Employee Feedback Mechanisms: Investigate how employee feedback mechanisms are used to improve HR practices. Research could focus on the role of surveys, focus groups, and other feedback tools in shaping HR policies and practices.

By exploring these areas, future research can provide deeper insights into the effectiveness of HR practices and contribute to the development of more robust and tailored HR strategies in the retail sector.

References:-

1. Alam S, Shah. Factors Affecting Augmented Reality Adoption in the Retail Industry. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*. 2021;7: 142–142.
2. Anago CR. The core HR Practices in the retail sector in Ireland and their role on Service Quality and the level of satisfaction and loyalty found in both Kalyan and Sirisha / *Journal of Management Research and Analysis* 2024;11(2):71–76
3. Anupa MP. Role of Human Resources Information System (Hris) in Accelerating Organizational Effectiveness - It Companies Perspective. *Int J Manag Hum*. 2021;5(6):22–5.
4. Boglind A. HR transformation and shared services: Adoption and adaptation in Swedish organisations. *Personnel Rev*. 2011;40:570–88.
5. Cassell C. Understanding inclusion in the retail industry: incorporating the majority perspective. *Personnel Review*. 2021;.
6. De Alwis A. The Influence of E-HRM on Modernizing the Role of HRM Context. *Economies*. 2022;10(8):

181.doi:10.3390/economies10080181.

7. Dilshad W, Bashir R. HR Practices and Job Satisfaction and Employees' Motivation: A Case Study of a Non-Profit Organization in Pakistan. *Develop Econ: Microecon Issue Develop Econ e J.* 2013;2(12):118–30.
8. Dubisetty S, Reddy S. The impact of human resource management(hrm) practices on employee satisfaction level and performance. *Journal of Management and Science.* 2022;.
9. Evans S. 2003.
10. Fitzgerald H. 2006.
11. Huda K, Nazmul. Strategic Human Resource Development Practices: An Empirical Study of Steel Manufacturing Industries of Bangladesh. *International Management Review.* 2014;10:24–24.
12. Imna M, Hassan Z. 2015.
13. Kaur G. Human Resource Management Inorganized Retail Industry in India. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research.* 2019;.
14. Kaur S, Vijay R. Job Satisfaction - A Major Factor Behind Attrition or Retention in Retail Industry. *Imperial journal of interdisciplinary research.* 2016;2.
15. Mondol E. The Impact of Block Chain and Smart Inventory System on Supply Chain Performance at Retail Industry. *International Journal of Computations, Information and Manufacturing.* 2021;.
16. Patil BS, Dr BS, Patil. 2018.
17. Saravanaraj M. A study on hr issues in retail outlets in Coimbatore. *Journal of management science.* 2012;1:91–102.

Table 7: Descriptive Statistics for Experience and Managers Setting Departmental Goals

Experience	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
0 to 2 yrs	47	1.0000	.00000	.00000	1.0000	1.0000	1.00	1.00
2 to 4 yrs	41	1.0000	.00000	.00000	1.0000	1.0000	1.00	1.00
4 to 6 yrs	12	1.1364	.39324	.12135	.6899	1.6899	1.00	2.00
Total	100	3.1364	.39324	.12135	2.6899	3.6899	1.00	2.00

Table 9: Descriptive Statistics for Experience and Philosophy on Training and Development

Experience	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
0 to 2 yrs	47	1.0417	.21936	.03769	.9776	1.0417	1.00	2.00
2 to 4 yrs	41	1.0000	.00000	.00000	1.0000	1.0000	1.00	1.00
4 to 6 yrs	12	1.3296	.63856	.18443	.8344	1.8344	1.00	2.00
Total	100	3.3713	.85792	.03004	1.0015	3.3713	1.00	2.00

EER-Energy-Efficient Routing In MANET with Max-Energy Node Selection and Average Path Energy Optimization

Deepti Chaturvedi* Dr. B.L. Rai**

*M.Tech Scholar, Department Of Computer Science JNCT, Bhopal (M.P.) INDIA

** Associate Professor, Department Of Computer Science JNCT, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract : Power-efficient routing is a key challenge in flying ad hoc networks (FANETs), where unmanned aerial vehicles (UAVs) establish temporary links with nearby UAVs. These UAVs operate freely within their vicinity, collecting and transmitting data across the network. A major issue in FANETs is the high power consumption during data transmission, which limits the ability to recharge or replace power sources. Efficient power management is critical for extending both node and network lifespans, given the constrained battery capacity. Additionally, UAVs often face instability due to the unpredictable mobility of other nodes, and this limited power supply negatively impacts routing performance.

Keywords: MANET, Energy aware routing, MAX Energy, Average energy, Reliable routing.

Introduction - In a Mobile Ad Hoc Network (MANET), each node autonomously establishes network connections, forwarding data packets on behalf of other nodes within the network. These networks can be deployed quickly without the need for wired base stations or fixed infrastructure. However, MANETs face several challenges, such as lower capacity, limited security, higher packet loss rates, increased delays, and greater jitter compared to fixed networks. A major issue in MANETs is that node activity is constrained by energy limitations, as the nodes are typically powered by batteries or other finite power sources. Battery depletion in nodes can significantly impact the network's overall performance, making energy conservation a crucial design consideration.

Since nodes in MANETs have limited battery life, excessive energy consumption can lead to early node failure, which disrupts communication. To address this, it is essential to balance the energy consumption across nodes, enhancing the network's energy efficiency. A proposed solution involves utilizing the energy status of each mobile node and identifying alternate paths for communication. This strategy can be integrated into any on-demand routing protocol to improve reliable packet delivery, especially in scenarios where nodes move and routes are frequently broken. Alternate routes are utilized only when data packets cannot be delivered through the primary route. As a case study, this approach has been applied to AODV, and its performance has been studied through simulations [1]. Routing protocols [4] play a critical

role in suggesting the most efficient path from source to destination for effective data transfer. For any application, factors such as node mobility and limited battery resources must be considered to achieve optimal network performance. It is particularly challenging to ensure reliable data delivery under mobile conditions while conserving node energy. Based on how routing protocols maintain route information, they can be categorized into Proactive, Reactive, and Hybrid types. Proactive protocols maintain all routes continuously, regardless of their current use. The rest of this paper is organized as follows: Section 2 presents the related work, Section 3 outlines the problem statement, Section 4 discusses the proposed scheme, Section 5 analyzes network behavior using Network Simulator-2 (NS-2), and finally, Section 6 concludes the paper with suggestions for future work.

Related Work: This section reviews the related work in the field, highlighting the efforts made by researchers. In one study [5], a novel method based on energy estimation is proposed to restore broken links and reconstruct paths. The research investigates the effect of broken links on topology control and the routing process in Ad Hoc networks, showing that these effects can be detrimental to various network portions. A hardware-based method for energy estimation in ad hoc nodes was employed due to its high speed. The study finds that broken links negatively impact both routing algorithms and topology control, potentially leading to network disruption. These disruptions can cause serious problems in data transfer and reduce network

efficiency. A strategy was proposed to prevent link breaks and network disruption by predicting and estimating the timing of link failures. In another study [6], several new routing and MAC layer protocols, along with various techniques, were introduced for wireless sensor networks (WSNs). These approaches aim to address the resource constraints in unattended wireless sensor environments. Many of these protocols focus on optimizing resource use to improve network performance. In [7], the research discusses how the M Channel group communication middleware for Mobile Ad Hoc Networks (MANETs) was enhanced to be both delay- and energy-aware. M Channel utilizes the Optimized Link State Routing (OLSR) protocol, which originally selects routes based on a hop-count metric using Dijkstra's algorithm. A new module was added to M Channel to enable unicast routing based on two alternative metrics: end-to-end delay and overall network lifetime. The study shows that with this module, network lifetime and average end-to-end delay are significantly improved compared to the original OLSR protocol.

The research in [8] proposes a new reliable protocol called Enhanced Power Control MAC Protocol (EPCMAC) for wireless ad hoc networks. The key concept of EPCMAC is to improve throughput and save energy by transmitting packets with optimal power. This approach promises better throughput and delay performance by utilizing spatial diversity effectively. The transmit power of data packets is periodically raised to a suitable level (but not the maximum) to avoid interference and reduce unnecessary contention between nodes.

Another study [9] introduces the Energy Efficient Location Aided Routing (EELAR) Protocol for MANETs, which is an enhancement of the Location Aided Routing (LAR) protocol. EELAR significantly reduces energy consumption in mobile nodes by limiting the area for route discovery to a smaller zone, which reduces control packet overhead. Simulation results using NS-2 demonstrate that EELAR improves control packet overhead and delivery ratio compared to AODV, LAR, and DSR protocols. The study concludes that EELAR successfully reduces energy consumption and prolongs the lifetime of mobile nodes.

In [10], the research focuses on energy conservation in heterogeneous MANETs, which consist of powerful nodes (P-nodes) and normal nodes (B-nodes). The study proposes a cross-layer designed framework called Device-Energy-Load Aware Relaying (DELAR), which aims to achieve energy conservation through power-aware routing, transmission scheduling, and power control. A multi-packet transmission scheme is also introduced to enhance end-to-end delay performance.

Lastly, the research in [11] introduces a new energy-aware routing protocol called EDSR, which is based on the Dynamic Source Routing (DSR) protocol. Simulations with NS-2 compare EDSR to the traditional DSR, showing that EDSR consumes less energy and offers larger link capacity.

The analysis demonstrates that EDSR performs better than the classic DSR in terms of energy efficiency and network performance. Can save more energy, delay the network split. The EDSR routing which spends less energy and own larger link capacity, be synthetically analyzed and then selected, so it can save more energy, delay the network split.

In this research [12] have distinguished three families of energy efficient routing protocols. Few proposals especially focused on the design of routing protocols providing efficient power utilization are dealt in depth by [13]. The techniques are, Minimum Total Transmission Power Routing (MTPR), Minimum Battery Cost Routing (MBCR), Min-Max Battery Cost Routing (MMBCR), and Conditional Max- Min Battery Capacity Routing (CMMBCR). In addition to above techniques, minimum drain rate mechanism also needs to be considered for power saving. The drain rate is the rate at which energy gets dissipated at a given node. Each node monitors its energy consumption and maintains its battery power drain rate value during the given past interval.

In This paper [14] tried to make the OLSR energy efficient by making effective neighbor selection based on residual battery energy of a node and traffic conditions that influence the drain rate of the node in the network. We have considered the multipath and source routing concept for route selection and a route recovery technique to tackle mobility issue efficiently. Modifications make the protocol energy efficient and at the same time achieve balancing of network load.

Problem Statement: The problem of node failure is the major problem. The problem of node failure occur due to loss of energy, if node can loss their energy then it will do nothing in the network means it will be loss their communication capability their results in network partitioning, is serious in ad hoc networks.

Network portioning or suddenly loss of session is the problems that will be occur due to we are not known at what time nodes will goes to sleep mode. Those nodes which are loss there energy they are not being a part of network, but nodes having a capability to take part in communication having a sufficient energy to do communication in the network. Due to suddenly loss of session following problems are occurring:

1. Maximize the loss of packets.
2. Maximize the routing load.
3. Minimizes energy utilization

Proposed Work: Our proposed scheme, the Energy Efficient Depletion Routing Scheme, focuses on optimizing energy resource utilization in ad hoc wireless networks. The challenges and existing solutions highlight the need for energy-efficient routing in these networks.

This work addresses the issue of "sudden session loss" by employing a maximum energy concept to achieve energy-efficient routing. Nodes with energy levels below or

equal to a defined threshold are excluded from communication.

Additionally, the scheme calculates the average energy of all possible paths and selects the path with the highest average energy level. By preventing early battery depletion, the system adjusts energy levels to determine the appropriate energy state of each node. It also integrates low-power strategies into the protocols used across various layers of the protocol stack.

This proposed solution will significantly improve the following:

1. Maximizes energy utilization.
2. Reduces packet loss.
3. Reduces routing load

A. Algorithm for Maximum Energy Base routing Under MANET

Step 1: Create mobile node = N;
Step2: Set routing protocol = AODV; // for Routing Protocol
Step3: Set of N = { Vs, Vd, Vi, Vj, Vk, Vl, Vn } //Number of mobile node's
Step4: Set of Intermediate vertex or node's Vi, Vj, Vk, Vl,
 Vn • N , but not
Step5: Set sender = Vs ; // Vs • N
Step6: Set Destination = Vd; // Vd • N
Step7: Initialize radio range = 550m;
Step8: Set MAC = 802.11 // WiFi Tecnology
Step9: Set initial energy of each node E = { es, ed, ei, ej, ek, el, en }
Step10: Compute Route (Vs, Vd, E, rr)
Step11:{if (radio-range <= rr && next-hop != Vd && E > 0)
 {
Step12: If (path exist from Vs to Vi, && Vi != Vd,) Increment pointer Vi as Vj and Vs as Vi Broadcast route packet to next hop
Step13:While (path exist from Vi to Vj && Vj != Vd)
 {
 Broadcast route packet to next hop Increment pointer Vi and Vj
 Goto step 13;
 }
Step14:if (Vj == Vd)
 {
 Create rtable in Vd Node Create energy table Vs-Vi-Vd
 }
Step15:if (path > 1)
Step16:{ if (path Vsijd from S to D && path Vskld from S to D)
 {
 Create rtable Vs via path Vij to Vd Create energy table es via path eij to ed Create rtable Vs via path Vkl to Vd Create energy table es via path ekl to ed
 }
Step17:Find min-energy (ei, ej) if ej energy minimum

Step18:Find min-energy (ek, el) if ek energy minimum

Step19:Find Max-eng (ej, ek)

Step20:{ if (ej max-eng)
 Select route Vs via path Vij to Vd
 }

Step21: End
 }

On the basis of proposed algorithm any node in the network are always select the nodes that has a maximum energy value. It means that it solves the problem of link breakages in network. The problem in normal energy efficient routing is that nodes in the network are not aware about the energy values of nodes. If the sender has selected the low energy value node which has not trustful for communication then in that case the session between the nodes are suddenly expire by that the huge amount of energy is wasted. But in this proposed algorithm these chances are negligible it means that sender are not do the normal routing in network it apply the maximum (MAX) energy selection method and ignores minimum (MIN) value of nodes in network. And if the path in between the sender and destination is established then also compare the energy value of alternative path and select the best one on the basis of MAX energy value.

Simulation Environment: A simulation is defined as the process of creating a model of a real system and performing experiments with that model to either understand the system's behavior or evaluate different strategies for its operation, adhering to specific criteria0150. In this research, modeling and simulation played a crucial role, involving the development and application of various simulation techniques using the Network Simulator 2 (NS-2). All simulation tests were carried out with this widely recognized simulator in the research community, employing different topologies and methodologies.

A. Simulation Parameters Used: Table 1 are represents the following simulation parameters to make the scenario of routing protocols. On the basis of these parameters the simulation has done in this work.

Table 1 Simulation Parameters

Simulator Used	NS-2.31
Number of nodes	10,30
Dimension of simulated area	800m×600m
Routing Protocol	AODV
Simulation time	100 sec.
Traffic type (TCP & UDP)	CBR (3pkts/s)
Packet size	512 bytes
Number of traffic connections	5,30
Node movement at maximum Speed	random (20 m/s)
Transmission range	250m
Transmission Energy Consumption	1.5 joules
Receiving Energy Consumption	1 joules
Idle Energy Consumption	.17joules
Sleep Energy Consumption	.047

B. Performance Evaluation: There are following different performance metrics [4] have been considered to make the comparative study of these routing protocols through simulation.

1) Routing overhead: This metric describes how many routing packets for route discovery and route maintenance need to be sent so as to propagate the data packets. The lower value of routing load are represents the better network performance.

2) Packet Delivery Ratio: The ratio between the amount of incoming data packets and actually received data packets. The higher value of PDR is represents the better performance.

3) Average Delay: This metric represents average end-to-end delay and indicates how long it took for a packet to travel from the source to the application layer of the destination. It is measured in seconds.

4) Remaining Energy Analysis: This metric represents the energy utilization of each node in network. The more remaining energy represents the higher energy efficient utilization.

C. PDR Analysis in case of without Average Energy and Average Energy Scheme: The Packet Delivery Fraction (PDF) analysis is represents the successful percentage of data received at destination. This graph is represents the packet percentage in case of proposed average energy path section MAX energy based routing and previous normal energy shortest path selection routing. Here this graph represents the slightly more PDF in normal energy based routing or without average energy based routing but the routing load in that case are more shown in figure 2. If the routing load in network are more it means energy consumption are more by that the life of nodes are lost early as compare to proposed. It means PDF value is good not show that the overall performance of network are also better. The better PDF represents the better performance.




Fig. 1 Packet Delivery Ratio Analysis

D. Routing Packets Analysis in case of without Average Energy and Average Delivery Energy Scheme: Routing

packets in network are required to established connection in between source and destination. First routing packets are established connection with destination if destination replies to sender by connection confirmation packet. The routing packets in network are consumes energy it means minimum number of routing packets are deliver maximum amount of data packets in efficient routing. In this graph in case of previous without energy based or normal shortest path routing with energy factor the routing load are more it means the problem of connection failure are occur more hereby that the more routing packets are required then energy also required for routing packets transmission and in proposed work the route has selected on the bases of maximum energy and path selection is based on average energy of path in between sender and receiver by that energy consumption are reduces and minimizes the routing overhead.




Fig.2 Routing load analysis

E. Energy Depletion in case of Average Energy Scheme

This graph represents the energy depletion of nodes in case of proposed scheme. In this graph we clearly notice the smooth depletion of energy from initial energy to energy remain in nodes after the end of simulation time. It means the proposed scheme based routing selection strategy are maintained the reliability in network.




Fig. 3 Nodes energy depletion in Average energy based routing

F. Energy Depletion in case of without Average Energy: This graph represents the energy depletion of mobile nodes in case of without average energy based scheme. Here we clearly visualized that the lot of variations in energy graph it proves that the normal shortest path selection routing with energy factor are not sure to provide reliable connection in network.




Fig. 4 Nodes energy depletion in without Average energy based routing

G. Nodes Remaining Energy Analysis in case of Previous and Proposed scheme: The remaining energy analysis of each node is discussed in table 2. Here the three column are represents the node number, remaining energy in without average case and remaining energy in case of average energy based path selection scheme. Here the remaining energy of nodes are represents the life time of network. In case of proposed scheme all nodes are secure their energy more as compare to normal energy scheme or previous scheme except node number 24, 29, 30. The entry of node energy 1,3,4,5 and 35 are written not consider means these energy in network are not utilizes for communication.

Table 1: Remaining Energy Analysis

Nodes	Node Energy Without Average	Node Energy With Average
0	10.216399	17.74694
1	1.90485	Not Consider
2	1.315566	14.18527
3	3.872496	Not consider
4	2.297087	Not consider
5	0.765903	Not consider
6	0.15649	12.19163
7	25.310699	20.8907
8	7.583608	10.16041
9	14.260953	19.48528
10	1.320336	14.2825
11	1.293378	20.67857
12	3.243234	10.09908
13	4.986916	10.52112
14	22.258056	24.60506
15	3.931185	9.999915
16	9.430502	24.57971

17	0.002004	9.995028
18	14.899458	35.50516
19	0.94109	9.993236
20	0.439222	10.00147
21	2.539103	15.43135
22	0.750769	9.994654
23	1.586133	14.91732
24	43.760524	33.70311
25	0.010526	9.996716
26	0.589155	21.70543
27	19.851297	10.01578
28	1.967195	26.671
29	36.247239	28.66886
30	22.871192	21.61472
31	0.075592	10.07274
32	9.315185	16.75454
33	23.721248	25.6697
34	0.002075	14.51893
35	1.861165	Not consider
36	0.876278	19.58919
37	5.650517	13.03849
38	29.617427	21.72932
39	0.427492	24.6721

Conclusion And Future Work: This table presents an overall analysis comparing the previous and proposed schemes. It is evident that the proposed average energy-based scheme enables a significantly higher number of packets to be transmitted across the network compared to the traditional routing method. The value of PDF are slightly low that also discuss Before but routing load and delay are definitely minimized which is the major unnecessary consumption of energy.

Table 2: Overall analysis

Parameters	Previous	Proposed
SEND=	5074.00	5532.00
E RECV =	5036.00	5472.00
ROUTINGPKTS=	2596.00	1254.00
PDF=	99.25	98.92
NRL=	0.52	0.23
Average e-e delay(ms)=	469.04	272.81

In future we apply this energy based scheme with location coordinated based routing and compare their performance with this research.

References:-

1. Taesoo Jun, Angela Dalton, Shree shankar Bodas, Christine Julien, and Sriram Vishwanath, "Expressive Analytical Model for Routing Protocols in Mobile Ad Hoc Networks", IEEE international Conference on Communication, pp. 1-7, 2008.
2. X.Hong, K.Xu and Gerla, "Scalable Routing Protocols for MANET", IEEE network, Vol. 16, pp. 11-21, 2002.
3. P. Sivasankar, C.Chellappan and S. Balaji, "Performance Evaluation of Energy Efficient On demand Routing Algorithms for MANET", 2008 IEEE Region 10 Colloquium and the Third ICIIIS, Kharagpur, INDIA, pp.

- 1-5, 2010.
4. Ajit Singh, Harshit Tiwari, Alok Vajpayee and Shiva Prakash, "A Survey of Energy Efficient Routing Protocols for Mobile Ad-hoc Networks", International Journal on Computer Science and Engineering (IJCSE), Vol. 02, No. 09, pp. 3111-3119, 2010.
5. Peyman Arebi "A New Method for Restoration Broken Links in Wireless Ad-hoc Networks by Estimation Energy Consumption", IEEE Fourth International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks, 2012.
6. Mansoor-uz-Zafar Dawood, Noor Zaman, Abdul Raouf Khan, Mohammad Salih "Designing of energy efficient routing protocol for Wireless Sensor Network (WSN) Using Location Aware (LA) Algorithm." Journal of Information & Communication Technology Vol. 3, No. 2, pp 56-70, 2009.
7. Nicola Costagliola · Pedro Garçia López · Francesco Oliviero · Simon Pietro Romano "Energy- and Delay-Efficient Routing in Mobile Ad Hoc Networks", Springer Science Business Media, LLC, 23 July 2011.
8. Sofy Harold And A. Vija Y Alakshmi "Enhanced Power Control MAC Protocol for Wireless Ad Hoc Networks", ICCSP, 978-1-4673- 1622-4/12/, IEEE-2012.
9. Mohammad A. Mikki "Energy Efficient Location Aided Routing Protocol for Wireless MANETs", (IJCSIS) International Journal of Computer Science and Information Security Vol. 4, No. 1 & 2, 2009.
10. Wei Liu, Chi Zhang, Guoliang Yao and Yuguang Fang, "DELAR: A Device-Energy-Load Aware Relaying Framework for Heterogeneous Mobile Ad Hoc Networks", IEEE-Journal On Selected Areas In Communications, Vol. 29, No. 8, September 2011.
11. Nini Wei, Yi Song "An Energy-Aware Routing Strategy Based on Dynamic Priority Factor in Ad Hoc Networks", 2011 International Conference of Information Technology, Computer Engineering and Management Sciences, pp.6-11 IEEE, 2011.
12. Ajina A, "Energy Efficient, Power Aware Routing Algorithm for Sensor Network". International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol.3, No.1.1793-8201, February-2011.
13. Saoucene Mahfoudh and Pascale Minet, "An energy efficient routing based on OLSR in wireless ad hoc and sensor networks", 22nd International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops IEEE Computer Society, pp. 1253-1259, 2010.
14. Radhika D. Joshi and Priti P.Rege "Verification Of Energy Efficient Optimized Link State Routing Protocol Using Petri Net "International Journal of Wireless & Mobile Networks (IJWMN) Vol. 3, No. 4, August 2011.
15. K Fall and K. Varadhan, The NS Manual, November 18, 2010, available on http://www.isi.edu/nsnam/ns/doc/ns_doc.pdf. 25 July 2010.
16. A. K. Sharma and P. K. Gupta, "Path Indexed Energy Efficient MANET Routing Protocol (PiEER)," International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, vol. 5, no. 6, pp. 62-66, June 2015. [Online]. Available: https://www.ijarcsse.com/docs/papers/Volume_5/6_June_2015/V5I6-0062.pdf.

अमरकांत के उपन्यास साहित्य में चित्रित स्त्री की समस्याएँ

रिमाता मिठोरा* डॉ. वंदना अग्रिहोत्री**

* शोधार्थी (हिन्दी) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत – कर्मभूमि, वेदभूमि है। सदियों से हम वेदों का पालन, उपनिषदों के अनुसार आचरण और प्राचीन मान्यताओं को सुरक्षित रूप से मानते आये हैं। जैसे अतिथि सत्कार, स्त्री के प्रति आदर भाव कर्मकांडों पर विश्वास, धर्मनिष्ठता आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार गतिविधियों को पालन करते रहे हैं। विशेष रूप से इस धरती पर स्त्री को साक्षात् देवी के रूप में उँचा स्थान प्रदान किया गया था। प्रकृति स्वरूपा नारी को कभी ज्ञानदायिनी (सरस्वती), भाग्यदायिनी (लक्ष्मी) और कभी प्रचंड शक्ति के रूप में (महाकाली) पूजते आये हैं। नारी के प्रति हमारी यह धारणा रही है। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता' अर्थात् जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवतागण निवास करते हैं। वैदिक काल में स्त्री को केवल मान-सम्मान ही नहीं दिया जाता था बल्कि पुरुषों के साथ समान रूप से उनका महत्व माना जाता था।

वे मूल्य अब नहीं रहे, जो मानवता और पवित्र जीवन जीने के लिए मद्द्धार थे। धीरे-धीरे समाज में कुतंत्र, स्वार्थ, अन्याय, अनाचार का विष फैलने लगा। समाज में केवल धोखाधड़ी से ही बहुत लोगों के दिन गुजरते हैं। समाज की ऐसी परिस्थितियों में नारी की क्या हालत होती है और उसे समाज कितनी हीन स्थिति में पहुंचा चुका है यह सोचनीय विचार है। जहाँ स्त्री का मान-सम्मान था वही पर स्त्री को संकुचित भाव से देखना, उस पर अत्याचार करना आरंभ हो गया। स्त्री एक तरफ उँचे आदर्शों से युक्त मानी गयी तो दूसरी तरफ कुलटा, व्यभिचारिणी, कुलनाशनी, बदचलन जैसी अपमान जनक उपाधियों से नवाजा गया। उपन्यासकार अमरकांत अपने साहित्य में स्त्रियों की हालत सुधारने का बहुत प्रयत्न करते हैं। उनके साहित्य में मध्यवर्गीय और निस्सहाय स्त्रियों का संघर्ष एवं मौन वेदना दिखाई पड़ती है। इनके साहित्य में स्त्री हर परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना अस्तित्व संभालने में सक्षम है, यह संदेश दिया गया है। आखिर एक सफल साहित्यकार का कर्तव्य यह होता है कि समाज में कमियों को सुधारने का मार्ग सुगम बनाये। अमरकांत ने भी उस दिशा में सफलता हासिल की है।

समाज में अकेली औरत का कोई अस्तित्व नहीं रहा। क्योंकि समाज केवल उन स्त्रियों के लिए है जो पति या पुत्र के संरक्षण में रहती हैं। परित्यक्ता स्त्री की हालत इस समाज में गली के जनावर से भी बदतर थी। अमरकांत के उपन्यास 'सुन्नर पांडे की पतोह' में एक पति परित्यक्ता स्त्री की हालत और उस पर समाज की दृष्टि को स्पष्ट किया गया है। कहानी के एक संदर्भ पर सुन्नर पांडे की पतोह का पति झुल्लन पांडे पत्नी को छोड़कर साधु-सन्यासियों में मिल जाता है। यह कहानी वहाँ के मोहल्ले में हर किसी को मालूम थी। फिर

भी इसके बारे में सब अपनी-अपनी कहानी रचने लगते हैं। अनेक शंकाओं से बात को उल्टा-सीधा समझना ही एक लक्ष्य बन गया था। 'सुन्नर पांडे की पतोह' में राजलक्ष्मी का संघर्ष उसके जीवन का हिस्सा है। हर कदम पर अपने साथ गुजरती, हर परिस्थिति के साथ एक साधारण महिला किस तरह जीवन काटती है, अमरकांत जी ने सजीवता से चित्रित करते हुए समाज को जागृत करने का प्रयास किया है। 'एक निस्सहाय औरत को एक तरफ समाज की बुरी चिंतन, दूसरी तरफ कामांधो की दृष्टि से बचना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। औरत अकेली है तो समाज को मौका मिलता है उसे जाँचने-परखने का और तरह-तरह की शंकाओं से सताने का, स्त्री जिस समाज में रहती है उस समाज से वह रक्षा नहीं कर पाती बल्कि भक्षण का शिकार हो रही है।' ¹

स्त्री की समस्याएँ वैवाहिक जीवन से नहीं तभी से शुरू हो जाती हैं जब वे यौवनावस्था में पैर रखती हैं। निस्सहाय और बेसहारा स्त्रियों पर बुरे विचार रखना या बुरी हरकतें करना पुरुषों के लिए एक साधारण विषय बन चुका है। इस विषय से विचलित होकर अमरकांत जी अपनी रचनाओं से अपना दुःख व्यक्त करते हैं और समाज पर तीखे प्रहार भी करते हैं। अमरकांत के उपन्यास 'ग्रामसेविका' में दमयन्ती के प्रति प्रधानजी का व्यवहार बहुत ही घटिया था। दमयन्ती जैसी जवान लड़कियों को देखकर उसके मुँह में पानी भर आता है। किसी तरह उसे पाने के लिए वह बहुत उतावला हो जाता है। कभी दमयन्ती के बेसहारा होने के कारण दबाव बनाता है तो कभी चोर-डाकुओं की कहानियों से डराना चाहता है। स्त्री के प्रति अपनी घटिया मानसिकता इस तरह प्रकट करता है, 'अरे, औरत की भी कोई इज्जत होती है? औरत बनी है मर्द के लिए। डर नहीं है, डर नहीं है। अगर रात बारह बजे उसको अपने घर नहीं बुलवाया तो मेरा नाम विचित्र नारायण दुबे नहीं।....' ²

इस संदर्भ से लेखक ने यही संदेश दिया है कि स्त्री को हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि यह समाज पुरुष प्रधान है। यह समाज सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए ही है, इसीलिए सारे नीति-नियमों की जिम्मेदारियाँ केवल स्त्री पर ही लागू हैं। पुरुष अपने नीति नियमों को तोड़कर स्त्री पर मन-मर्जी चलाने में थोड़े भी हिचकते नहीं समाज ऐसे कीचको के लिए भी कुछ नहीं करता जो स्त्रियों के साथ मनमानी करते हैं।

भारतीय समाज में स्त्री के लिए पति प्रत्यक्ष देवता है। वह कभी अपने मर्द के खिलाफ नहीं सोचती है, चाहे वह असमर्थ हो या आवारा हो। उसके लिए सर्वस्व समर्पित कर देती है। स्त्री अपना धर्म मानकर ऐसा आचरण करती है। परन्तु यही आचार-विचार धीरे-धीरे समाज में नारी पर संकीर्ण

विचारों का शुरूवात है। अमरकांत के उपन्यास 'काले उजले दिन' एक मध्यवर्गीय पाबन्दियों से जकड़ी एक जवान लड़की की कहानी है। उपन्यास के कथानायक बचपन से ही विमाता होने के कारण कठिनाईयों का सामना करता है। युवावस्था में माता-पिता उसके मन मुताबिक शादी कर देते हैं। शादी के पहले दिन ही पत्नी को देखकर वह उदास हो जाता है क्योंकि कांती पढ़ाई और आधुनिक तौर-तरीकों से बिल्कुल अनजान थी। उसकी सूरत भी उतनी आर्कषक नहीं थी। परन्तु वह सुशील, सदाचारी और निर्मल स्वभाव की रहती है। अपने पति आत्मसमर्पण की भावना से कहती है कि - 'मैं अपने भाग्य से बहुत खुश हूँ। भगवान ऐसा भाग्य हर स्त्री को है। देखिए न, मुझमें क्या है? न मैं खूबसूरत हूँ, और न मुझमें कोई गुण है। फिर भी आप जैसा पति मुझे मिला है। ऐसी खुश किस्मत कौन होगी ?....'¹³ इस तरह कांती अपने पति के प्रति आत्मसमर्पण की भावना रखती है तो कथानायक उस प्यार की

उपेक्षा करके अन्य स्त्री के लिए लालायित होता है। उसे धोखा देता है।

अमरकांत जी अपनी सारी रचनाओं में स्त्री संबंधित संघर्ष पर और समाज की संकीर्ण दृष्टि पर व्यथित होकर समाज के रवैये में बदलाव लाने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। आज की दुनिया में स्त्री इतनी चेतना संपन्न हुई है कि वह अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेने लगे। उपन्यासकार अमरकांत सामाजिक चेतना का असली अर्थ यही समझाते हैं कि नारी अपने आप में नूतन शक्ति बनकर इस समाज के विरुद्ध लड़े। ऐसा करना ही समाज के लिए कल्याणकारी हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अमरकांत - सुन्नर पांडे की पतोह, पृ सं. 54
2. अमरकांत, ग्रामसेविका, प्र सं - 5
3. अमरकांत, काले उजले दिन, पृ सं - 162, 163

हजारी प्रसाद द्विवेदी : मानवीय एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण

श्रीमती पूनम सिंह*

* असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी) करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना - आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी (1907-1979) मूलतः साहित्येतिहास के शोधकर्ता एवं आलोचक हैं। उन्होंने उपन्यास, ललित निबंध के साथ ही साथ सम्पादक का भी कार्य किया। आचार्य हजारी प्रसाद की आलोचक दृष्टि उत्कृष्ट कोटि की है। वे बहुआयामी प्रतिभा से सम्पन्न थे। आचार्य द्विवेदी के हिन्दी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तकें हैं- 'हिन्दी साहित्य की भूमिका', 'हिन्दी साहित्य : उद्भव एवं विकास' तथा 'हिन्दी साहित्य का आदिकाल।' हिन्दी साहित्य के इतिहास पर आचार्य शुक्ल के बाद यदि किसी अन्य विद्वान् की मान्यताओं को नतमस्तक होकर स्वीकार किया जाता है तो वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। उन्होंने अपनी शोध दृष्टि से सांस्कृतिक धरोहर को मूल्यवान् चेतना प्रदान की। द्विवेदी भारतीय संस्कृति के पोषक हैं। उन्होंने शुक्ल जी की मान्यताओं का खण्डन किया है। शुक्ल जी 'आदिकाल' को 'वीरगाथा काल' कहने के पक्ष में थे जबकि 'आदिकाल' वीर काव्य के साथ धार्मिक एवं शृंगार के भी काव्य रचित थे। द्विवेदी जी अपनी शोध दृष्टि से शुक्ल के 'वीरगाथा काल' कहने वाले ग्रन्थों पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिया। शुक्ल जी भक्ति का उदय इस्लाम से मानते थे, द्विवेदी जी इसका भी खण्डन करते हैं।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार- 'देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया।..... अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान् की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था।'

आचार्य शुक्ल 'भक्ति' को इस्लाम से आया हुआ मान लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति को न तो इस्लाम से आया हुआ मानते हैं और न ही पराश्रित मनोवृत्ति का ही परिणाम मानते हैं। इनके अनुसार- 'मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है।' आचार्य द्विवेदी जी के सार्थक एवं प्रामाणिक शोध का ही परिणाम है कि उन्होंने धार्मिक सम्प्रदाय जैसे- सिद्ध सम्प्रदाय, नाथ सम्प्रदाय एवं जैन सम्प्रदाय को प्रतिष्ठापित किया। उन्होंने शोधपरक दृष्टि से सिद्ध किया कि हिन्दी सन्त काव्य पूर्ववर्ती नाथ, सिद्ध साहित्य का सहज विकसित रूप है। सिद्धों और नाथों के भक्ति-भावना को सन्त काव्य में स्पष्ट देखा जा सकता है। सूफी काव्य भी ईरानी साहित्य से प्रभावित न होकर अपितु संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश की काव्य परम्पराओं पर आधारित है। संस्कृत हिन्दी की जननी भाषा है। हिन्दी की विकास परम्परा संस्कृत, पालि, प्राकृत

एवं अपभ्रंश ही है। आचार्य द्विवेदी जी ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से भारत की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने का सफल प्रयास किया। उनकी दृष्टि भारतीय संस्कृति के पोषक सिद्धान्त पर है।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध उनकी सांस्कृतिक पक्ष को सबसे अधिक बलवती बनाते हैं। उनके निबंध संग्रहों में प्रमुख हैं- अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, विचार-प्रवाह इत्यादि। आचार्य द्विवेदी का निबंध क्षेत्र बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है। उनका निबंध सांस्कृतिक चिन्तन की गम्भीरता का प्रमाण है। द्विवेदी जी के निबंधों में मानव-कल्याण की भावना सर्वत्र विद्यमान है। द्विवेदी जी सांस्कृतिक निबंधों में भारतीय संस्कृति के व्यापक धरातल को दिखाया गया है। इसमें अतीत की भावभूमि को वर्तमान धरातल पर प्रतिष्ठित किया गया है। द्विवेदी जी को भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि निबंधकार माना जाता है। भारतीय संस्कृति को अभिव्यक्ति देने वालों में आचार्य द्विवेदी का नाम सर्वोपरि है। उनके निबंधों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म का विवेचन विपुल मात्रा में किया गया है। द्विवेदी जी संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान् थे किन्तु तब भी उनकी दृष्टि मानव धर्म को पोषित करने वाले सिद्धान्तों पर केन्द्रित थी। वे स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करते हैं कि- 'सभ्यता का आन्तरिक प्रभाव संस्कृति है। सभ्यता समाज की बाह्य व्यवस्थाओं का नाम है, संस्कृति व्यक्ति के अन्तर विकास का।' आचार्य द्विवेदी जी के सांस्कृतिक निबंधों में प्रमुख हैं- 'सभ्यता और संस्कृति, संस्कृति और साहित्य, भारतीय संस्कृति की देन, हम सौ वर्ष कैसे जियें, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या, भारतीय फलित ज्योतिष, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध, भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत, जीवेम शरदः शतम् प्राचीन भारत की सामाजिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि' इत्यादि हैं। इन निबंधों में भारतीय संस्कृति के सार्थक पक्षों के साथ ही साथ सांस्कृतिक पक्षों को भी वृहद रूप से उजागर किया गया है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएँ ही संस्कृति हैं। द्विवेदी जी के निबंध संस्कृत साहित्य के गम्भीर एवं चिन्तन पक्ष को प्रकट करते हैं। आचार्य द्विवेदी का मानव विषय पर आधारित दार्शनिक विषयक मन्तव्य दृष्टिगोचर है- 'हमारे दो रूप हैं। एक चिन्मय रूप दूसरा मृण्मय रूप। चिन्मय चैतन्य है, मृण्मय का अर्थ मिट्टी का अर्थात् जड़। जड़ता नीचे की ओर खींचती है। चैतन्य जड़ता के गुरुत्वाकर्षण को नहीं मानता। छोटा सा तृणांकुर धरती के सारे गुरुत्वाकर्षण को अभिभूत करके सिर ऊपर उठाकर खड़ा हो जाता है। नैतिकता चेतना का धर्म है। अनैतिकता उसका अभाव।' द्विवेदी जी नैतिक मूल्यों को चेतना का प्रतीक मानते हैं।

आचार्य द्विवेदी ने मानव धर्म की अवधारणा को विश्व कवि रवीन्द्र से ग्रहण किया है। द्विवेदी जी के मानवतावाद में रवीन्द्रनाथ टैगोर की 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना छिपी हुई है। द्विवेदी जी मानव को देवता से भी उँचा स्थान देते हैं। वे कहते हैं कि- 'मनुष्य क्षमा कर सकता है, देवता नहीं कर सकता। मनुष्य हृदय से लाचार है, देवता नियम का कठोर प्रवर्तयिता है। मनुष्य नियम से विचलित हो जाता है, पर देवता की कुटिल भ्रुकुटि नियम की निरन्तर रखवाली करती है। मनुष्य इसलिए बड़ा होता है कि वह गलती कर सकता है, देवता इसलिए बड़ा है कि वह नियम का नियन्ता है।' द्विवेदी जी के साहित्य में मानवतावाद सर्वत्र विद्यमान है। वे अपने साहित्य में आधुनिक मानवता के साथ-साथ मध्ययुगीन मानव संस्कृति एवं सभ्यता का सामंजस्य दिखाना चाहते हैं। उनके अनुसार- 'आधुनिक युग के मानवतावाद के साथ मध्य युग के उस मानवतावाद को भुला नहीं देना चाहिए जिसमें किसी न किसी रूप में यह स्वीकार किया गया है कि मानव जन्म दुर्लभ है और भगवान् अपनी सर्वोत्तम लीलाओं का विस्तार नर रूप धारण करके ही करते हैं। नवीन मानवतावाद की सबसे बड़ी बात है, उसकी ऐहिक दृष्टि और मनुष्य के मूल्य और महत्त्व की मर्यादा का बोधा।' वे मानव धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते थे।

आचार्य द्विवेदी के साहित्य में भारतीय संस्कृति का जीवन्त चित्रण विद्यमान है। उन्होंने बार-बार उद्धोषित किया है कि 'मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है।' उनका सम्पूर्ण साहित्य मानवतावाद से परिपूर्ण है। वे मनुष्यता विरुद्ध किसी धर्म को नहीं मानते। वह ऐसे ग्रन्थ, रचना को श्रेष्ठ नहीं मानते जो मनुष्य को मनुष्य बनने में बाधक सिद्ध हो। उन्होंने साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का अभियोग किया है। वे कहते हैं कि- 'मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमसुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुःखकातर और संवेदनशील न बना सके उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है।' स्पष्ट है कि द्विवेदी जी ऐसे ही साहित्य को उत्तम मानते हैं जो मनुष्यता का उत्साहवर्द्धक हो। मनुष्य को गलत दिशा देने वाला साहित्य, साहित्य की कोटि में नहीं आता।

द्विवेदी जी अन्यत्र भी कहते हैं- 'वह शास्त्र, वह रसग्रन्थ, वह कला, वह नृत्य, वह राजनीति, वह समाज सुधार और पूजा पार्वण जंजाल मात्र है, जिससे मनुष्यता का भला न होता हो।' द्विवेदी जी ने अपने सांस्कृतिक निबंधों द्वारा नव-निर्माण का संदेश दिया है। वे अंधविश्वास, वाह्याडंबर पर आधारित ढकोसलों को मान्यता नहीं देते। वे ऐसी संस्कृति को महत्त्व देते हैं जो विश्वबन्धुत्व की भावना से प्रेरित हो, जिसमें मानव-कल्याण की भावना निहित हो। सांस्कृतिक पक्ष उनका कहीं भी संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित नहीं होता। द्विवेदी सांस्कृतिक पक्ष का विकास ऐतिहासिक पक्ष को भली-भाँति देखकर उसके अन्तर्गत निहित विकास-परम्परा के आधार पर करते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन-विश्लेषण किया है।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय संस्कृति और परम्पराओं का आधुनिक परिवेश में समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत किया। उन्होंने भौतिकता-आध्यात्मिकता, जड़-चेतन, प्रवृत्ति-निवृत्ति, प्रेम-श्रेय, प्रेम-त्याग का अद्भुत समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत किया। द्विवेदी जी विभिन्न विरोधों एवं विविध मान्यताओं के समन्वय को ही मूलप्रवृत्ति का द्योतक माना है। आचार्य द्विवेदी जी ने स्पष्ट लिखा है- 'मैं संस्कृति को किसी देश विशेष या जाति विशेष की अपनी मौलिकता नहीं मानता। मेरे विचार से सारे संसार के मनुष्यों

की एक ही सामान्य मानव संस्कृति हो सकती है।' द्विवेदी जी का मानना है कि अगर सभी मनुष्य अभेदता को मिटाकर एक ही संस्कृति को अपना ले तो संसार में भेद-भाव मिट जायेगा। सभी मनुष्य प्रेमपूर्वक रहने लगेंगे, उनमें कोई झगड़ा-लड़ाई नहीं रह जायेगा। द्विवेदी जी भेद-भाव, ईर्ष्या-द्वेष, युद्ध-संघर्ष से रहित होकर व्यवस्थित रूप से एकरूपता में बंधने की प्रक्रिया को सौन्दर्य के अन्तर्गत देखा है। तभी तो वे कहते हैं कि- 'सौन्दर्य सामंजस्य में होता है।'

भारतीय संस्कृति में मानव-प्रेम, प्रकृति प्रेम के साथ मातृभूमि की भावना भी निहित है। भारतीय संस्कृति में कर्म-बल की प्रधानता है। मनुष्य के कर्म में ही फल की आकांक्षा स्थित रहती है। सभी मनुष्यों को अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा तो बुरे कर्मों का फल बुरा। द्विवेदी जी ने 'भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या' को स्पष्ट करते हुए लिखा है- 'संस्कृति मनुष्य की विविध साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति है। धर्म के समान वह भी अविरोधी वस्तु है। वह समस्त दृश्यमान विरोधों में सामंजस्य स्थापित करती है। भारतीय जनता की विविध साधनाओं की सबसे सुन्दर परिणति को ही भारतीय संस्कृति कहा जा सकता है।' द्विवेदी जी की दृष्टि यथार्थ और आदर्श का समन्वय करती है। वह यथार्थ पृष्ठभूमि पर आदर्शवाद के साथ चलते हुए मानव-कल्याण को ही सर्वोपरि मानते हैं। भारतीय संस्कृति की पुरानी परम्पराओं के साथ चलते हुए उसे आधुनिक युग की भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित करते हैं। 'प्राचीन संस्कृतियों के आधार पर नवीन मूल्यों का निर्माण करना' द्विवेदी जी की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रही है। उन्होंने अपनी संस्कृतियों एवं परम्पराओं का त्याग कहीं भी नहीं किया। संस्कृतियों एवं परम्पराओं को साथ लेकर ही उन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य की सबसे महत्त्वपूर्ण देन मानव-कल्याण की भावना है। वे लिखते हैं कि- 'मनुष्य जितना ही अधिक मनुष्य होता है उतना ही अधिक वह दूसरों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर सकता है और इसके अन्तिम तर्कसंगत परिणाम तक ले जाया जाये तो कह सकते हैं कि एकत्व की अनुभूति ही मनुष्य की चरम मनुष्यता है।' द्विवेदी जी मनुष्य के क्रियाशील व्यक्तित्व को महत्त्व देते हैं। मनुष्य के सुख-सुविधा का आधार कर्म होता है। यह कर्म जब दूसरे मनुष्य की भलाई में लगाया जाता है तो यह मानसिक संतुष्टि देता है। मनुष्य जन्म लेने का प्रयोजन भी सार्थक सिद्ध हो जाता है। उन्होंने कहा है- 'जीवन को सुन्दर ढंग से बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी न करने को भलापन समझते हैं, यह गलत धारणा है। सुन्दर जीवन क्रियाशील होता है क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौन्दर्य टिक नहीं सकता है।' मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही मनुष्य जीवन को सुन्दर बना सकता है। मनुष्य को कर्म की सही पहचान होनी चाहिए। क्योंकि अच्छे कर्म जहाँ मनुष्य को उँचा उठाते हैं वहीं बुरे कर्म उसे अधोपतन की ओर ले जाते हैं। मनुष्यता रूपी कर्म ही मनुष्य को पशुत्व एवं जड़त्व से ऊपर उठाती है। द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में मनुष्य के नैतिक-अनैतिक गुणों को दिखाकर मानवता को सर्वश्रेष्ठ धर्म स्वीकार किया है। 'बाणभट्ट की आत्मकथा' में 'भट्टिनी' कहती है- 'एक जाति दूसरी को म्लेच्छ समझती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समझता है। इससे बढ़कर अशान्ति का कारण और क्या हो सकता है भट्ट। तुम्हीं ऐसे हो जो नरलोक से लेकर किन्नरलोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय, एक ही करुणायित

चित्ता को हृदयंगम करा सकते हो।' द्विवेदी जी इस कथन के द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि भारत देश में मनुष्य को मनुष्यता के रूप में न देखकर उसे उच्च जाति और निम्न जाति में विभाजित कर दिया जाता है। मनुष्य जाति सर्वत्र दूसरे मनुष्यों को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। मनुष्य जाति धर्म, वर्ण, जाति आदि रूपों में विभाजित होकर परस्पर लड़ते-झगड़ते हैं। द्विवेदी जी मनुष्य को धर्म और जातियों में विभाजित न कर उन्हें मनुष्यता के रूप में विभाजित करने के पक्ष में हैं।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नरदेह को व्यापक एवं विस्तृत मानते हैं वे कहते हैं कि- 'केवल मनुष्य को इच्छा, क्रिया और ज्ञान की त्रिधारा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त है। इसलिए परस्पर पुरुष को भी जब कुछ करना होता है, तब उसे नरदेह धारण करनी पड़ती है। देह तो वह और भी धारण कर सकता है, पर नरदेह में उसका पूर्ण विस्तार होता है।' शरीर तो पशुओं को भी मिलता है। उनमें भी बुद्धि और समझदारी होती है, किन्तु वह विस्तृत एवं व्यापक नहीं होती। मनुष्य ही सम्पूर्ण धरती पर वह प्राणी है जो व्यापकता से फलीभूत होता है। उसका मानसिक स्तर उच्च दर्जे का होता है। वह अपनी बुद्धि के बल पर सम्पूर्ण जगत् में अपना आधिपत्य जमा सकता है। मनुष्य से निकृष्ट प्राणी केवल एक जगह तक ही सीमित होकर रह जाता है। द्विवेदी जी ने बार-बार दुहराया है- 'मनुष्य की जो सबसे सूक्ष्म और सराहनीय साधना है उसी का प्रकाश साहित्य है।' मनुष्य ने बहुत ही अधिक साधना की जिसके फलस्वरूप वह स्वयं को पशुत्व धर्म से बचा पाया। मनुष्य ने कठिन तपस्या के तदन्तर ही संयम एवं परदुःख कातर जैसी भावनाओं को प्राप्त किया। मनुष्यता की स्थापना से ही साहित्य श्रेष्ठ एवं मूल्यवान बनती है। स्वार्थ की समाप्ति पर ही मनुष्यता का विकास होता है। द्विवेदी जी ने कहा है कि- 'मनुष्य रूपी पुरुष ही अर्थात् पशु-सुलभ धरातल से ऊपर उठा हुआ मनुष्यत्व धर्म जीव ही सृष्टि की सबसे बड़ी साधना है। उससे बड़ा कुछ भी नहीं- पुरुषाङ्ग परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः।'

अन्ततः कह सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य मानवता एवं सांस्कृतिक चेतना की विराट अनुभूति है। उन्होंने प्राचीन परम्पराओं एवं मान्यताओं के आदर्श मूल्यों को आधुनिक परिवेश में उतारने

का भरपूर प्रयास किया। उनका आदर्शवाद कोरी कल्पना एवं अंधानुकरण से रहित होकर नवीन जीवन मूल्यों की स्थापना करता है। वे कहते हैं- 'साहित्य को महान बनाने के मूल में साहित्यकार का महान संकल्प होता है वह संकल्प इस विचार-पद्धति के साथ है।' आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी विद्वता को उपन्यास, निबंध, हिन्दी साहित्य ग्रन्थ, आलोचनात्मक ग्रन्थ एवं अनूदित ग्रन्थों के माध्यम से प्रदर्शित किया। उन्होंने कबीर, सूर, कालिदास, रवीन्द्रनाथ आदि कवियों को लेकर अपने आलोचनात्मक विधा को समृद्ध बनाया। उनके प्रिय कवियों कबीर सर्वप्रमुख हैं। कबीर उन्हें इसलिए प्रिय हैं क्योंकि कबीर ने मनुष्यता को सर्वोपरि माना था। मनुष्यता के स्वरूप को उन्होंने रवीन्द्रनाथ के साहित्य से प्राप्त किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य प्रौढ़ता एवं गम्भीरता से पूर्ण होकर सांस्कृतिक धरोहर के अन्तर्गत सर्वत्र मानव-कल्याण की भावना को दर्शाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विश्वनाथ त्रिपाठी, हिन्दी आलोचना, प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन प्रा०लि०, 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली- 110002, संस्करण प्रथम, ग्यारहवीं आवृत्ति, 2009.
2. नन्दकिशोर नवल, हिन्दी आलोचना का विकास, प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन प्रा०लि०, 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली- 110002, प्रथम संस्करण 1981, तीसरी आवृत्ति 2007.
3. डॉ० रेवतीरमण, हिन्दी आलोचना : बीसवीं शताब्दी, प्रकाशक- अभिव्यक्ति प्रकाशन प्रा०लि०, बी-31 गोविन्दपुर कॉलोनी, इलाहाबाद-211004, संस्करण प्रथम 2002, पुनर्मुद्रण 2011.
4. रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास, प्रकाशक-लोकभारती प्रकाशन, पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद-211001, संस्करण 2014.
5. डॉ० लालसाहब सिंह, हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास, प्रकाशक- विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी-221001, संस्करण द्वितीय 2005.

शिवमूर्ति : समकालीन कथा साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर

डॉ. प्रिया सिंह*

* असिस्टेंट प्रोफेसर, करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना - समकालीन हिन्दी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर माने जाने वाले शिवमूर्ति जी ने अपनी रचनाओं में मजदूरों, स्त्रियों, किसानों, ग्रामीण जनजीवन व दलितों की दयनीय स्थिति, उन पर होने वाले शोषण व अत्याचारों और इन सबके प्रतिकार स्वरूप उत्पन्न विरोध व विद्रोह की आग व जातिवादी विमर्श को बहुत ही प्रभावी एवं प्रमाणिक ढंग से अभिव्यक्त किया है, जिसके माध्यम से हम पाते हैं कि समाज में एक नवजागृति व सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव होता है। शिवमूर्ति ऐसे कथाकार हैं जो समाज के उस यथार्थ को रचते हैं, जहाँ तक दूसरों की दृष्टि कम ही पहुँचती है। यथार्थपरक आख्यान उनकी रचनाओं के कथानक व घटनाक्रम में ही समाहित नहीं होता बल्कि उनकी भाषा, उनके पात्रों के चरित्र, उनके संवाद आदि प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है। शिवमूर्ति के साहित्य में केवल दलितों व पिछड़ों की ही चिन्ता नहीं है न ही केवल दलितों के सरोकारों की बात की गई है, वरन् उनके सरोकार सभी जातियों, समुदायों के गरीबों से जुड़े हुए हैं। वर्गीय चिन्ता तथा नारी विमर्श उनके लेखन में प्रबल रूप में उपस्थित है। उनकी अधिकांश कहानियों के केन्द्रों में स्त्रियाँ ही हैं किन्तु आधुनिकता व उत्तर आधुनिकता के बीच झूलने वाले शहरी वातावरण की तुलना में ग्रामीण परिवेश में जीने वाली गरीब व प्रताड़ित स्त्री की स्थिति उन्हें ज्यादा चिंतित करती है।

भारतीय साहित्य में आधुनिक काल का प्रारम्भ उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से प्रारम्भ होता है, किन्तु सुधार आन्दोलन की दृष्टि से हम आधुनिक काल को अंग्रेजों के आगमन से जोड़कर देखते हैं। वस्तुतः भारत में अंग्रेजों के आगमन के पश्चात् ही दलितों में एक नई चेतना उत्पन्न होती है तथा प्रतिरोध की भावना का विकास होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही दलित जीवन की संघर्ष गाथा शुरू हो जाती है। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान भी दलित प्रश्नों को मुखरता से उठाया गया किन्तु स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् दलित आन्दोलन की चमक फीकी पड़ने लगती है तथा निरन्तर कमजोर होती जा रही थी। समकालीन हिन्दी कथा साहित्य में शिवमूर्ति का लेखन पाठकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है क्योंकि वे अपने समय के उन सारे सवालियों से टकराते हैं जिन्हें स्वाधीन भारत के बड़े सवालियों के रूप में जाना जाता है। शिवमूर्ति ने सन् 2004 में अपने उपन्यास 'तर्पण' में दलित-शोषण केन्द्रित लेखन को एक नए मुकाम पर पहुँचा दिया। इनके कथा साहित्य में दलित वर्ग का चित्रण लाचार व निरीह रूप में न होकर शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के रूप में हुआ है। 'तर्पण' उपन्यास में रजपतिया के पिता पियारे पण्डित के बेटे चंदर

की माँ को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि- 'किसी गुमान में मत भूलिए पंडिताइन अब हम ऊ चमार नहीं है कि कान, पूँछ दबाकर सब सह, सुन लेंगे, चिउँटो को गुड़ का मजा लेना मंहगा कर देंगे।'¹

'तर्पण' उपन्यास में आज के आधुनिक भारत के गाँवों की तस्वीर दिखाई देती है। ऊँची मानी जाने वाली सर्वण जातियों के दिन अब लद गए हैं, उनकी मानसिकता के कारण जातीय संघर्ष अक्सर देखे जाते हैं। शिवमूर्ति जी का मुख्य ध्येय ही दलितों का जातिगत संघर्ष, मोर्चा-बन्दी और शक्ति प्रदर्शन को दर्शाना है। दलित समाज अब सत्य के साथ-साथ न्याय हासिल करने के लिए लड़ रहा है। शिवमूर्ति जी दिखाते हैं किस प्रकार दलितों के नेता भाई जी ने दलितों में एक नई चेतना जाग्रत की है। भाई जी चंदर के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट लिखने की सलाह देते हैं, लेकिन लोगों द्वारा इसे झूठा करार देने पर वे साफ कहते हैं- 'झूठ नहीं स्ट्रेटजी। कलयुग में केवल सच के भरोसे जीत नहीं हो सकती। वे तो हमेशा ही स्ट्रेटजी के तौर पर झूठ बोलते और जीतते आए हैं। सिर्फ एक झूठ बोलकर कि वे ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुए हैं और हम पैर से, वे हजार साल जो हमसे अपना पैर पुजवाते आ रहे हैं। अब एक झूठ बोलने का हमारा दाव आया है तो हमारे गले क्यों अटक रहा है।'²

यहाँ दलितों को तेवर रक्षात्मक न होकर पूरी तरह निडर व पराक्रमी है। भारतीय समाज में आज धर्म, जाति और सम्प्रदाय के ठेकेदार लोगों के बीच खाई को लगातार बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। साम्प्रदायिकता और जातिवाद के नाम पर नेता धिनीनी राजनीति करते हैं और इसका परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ता है। शिवमूर्ति जी ने अपने उपन्यास 'त्रिशूल' में साम्प्रदायिकता और घोर जातिवादिता को चित्रित किया है। 'त्रिशूल' उपन्यास का पात्र पाले, दलित समाज व दलित अस्मिता का प्रतिनिधित्व करता हुआ कहता है-

अरे, हो, ओ....ओ....ओ.....

छुआछूत और जाति पाति माँ

सगरो मनई जरत मरत है

ऊपर से जब बोलने लागी

लागै मानो फूल झरत हैं।

हा...हा...हो...हो! बहुत सही। बहुत सही।³

इसी प्रकार शिवमूर्ति की कहानी 'बनाना रिपब्लिक' में भी जातीय संघर्ष देखा जा सकता है।

समकालीन कथा साहित्य में दलित जीवन के उन सभी पहलुओं का चित्रण मिलता है, जो दलित समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए सहायक

सिद्ध हुए। विरोध व विद्रोह का भाव पूरे दलित समाज को सशक्त बनाता है, वे सामंतवादी और ब्राह्मणवादी शक्तियों के एकाधिकार को चुनौती दे रही हैं और परास्त भी कर रही हैं। 'बनाना रिपब्लिक' कहानी में ही शिवमूर्ति जी ने एक ऐसी दलित स्त्री 'फुलझारी' का चित्रण किया है जो अकेले दम पर परधानी का चुनाव लड़ रही है। फुलझारी के दुआर पर सुबह-शाम औरतों का मेला लगता है। किसी को विधवा पेंशन चाहिए, किसी को बुढ़ापा पेंशन। कमर में लाल चुनरी बांधे फुलझारिया बायाँ हाथ कमर पर रखकर दाहिने हाथ को हवा में चमकाती है- 'पदारथ ने तेरह औरतों को विधवा बनाया है। मरद आघत विधवा! उन्हें फर्जी पेंशन दिला रहे हैं और तो और अपनी सगी पतोहू को विधवा दिखा दिया है.....जगू और मुन्दर में इतनी हिम्मत है कि ठाकुर बाभन टोले की फर्जी विधवाओं की पेंशन रोक सके? जीतते ही मैं यह जालबट्टा बन्द कराऊँगी।' ⁴ शिवमूर्ति की अधिकतर कहानियाँ नायिका प्रधान हैं। 'कसाईबाड़ा', 'अकालदण्ड', 'तिरिया चरित्त' आदि कहानियों की स्त्रियों विमली और शनिचरी के साथ समाज, कानून, सरकारी तंत्र का दुर्व्यवहार और ग्रामीण जीवन का कड़वा सत्य सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। स्त्री जीवन के प्रत्येक पहलुओं और समस्याओं का चित्रण इन्होंने किया है। साहस, त्याग, करुणा, दृढ़ता और संयम जैसे उच्च मानवीय गुणों के साथ-साथ ईर्ष्या, द्वेष, रुढ़िवादिता, धर्मभीरुता, अन्धविश्वास जैसी कमियों के साथ इनके स्त्री पात्र विद्यमान हैं।

शिवमूर्ति जी स्त्री जीवन के जिस यथार्थ को अपनी कहानियों में चित्रित करते हैं, वह आजादी के बाद के ग्रामीण परिवेश की स्त्रियाँ हैं। अब तक हम देखते हैं कि हिन्दी साहित्य में महिला कथाकारों का एक वर्ग उभर चुका था जो स्त्री के सामाजिक, आर्थिक व निजी जीवन को कहानी का आधार बना रही थीं। 'स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नारी घर से बाहर आकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में भाग लेने के बाद भी परम्परागत संस्कारों से पूर्णतया अलग नहीं हो पाई है। भारत की सामाजिक व्यवस्था में आए परिवर्तनों ने नारी के व्यक्तित्व के विकास में कतिपय आधार तो बदले किन्तु पारिवारिक दृष्टि से नारी आज भी परिवार का केन्द्र बिन्दु है और पुरुष परिवार का अधिकारी।' ⁵ शिवमूर्ति 'सत्ता की संस्कृति' की क्रूरता को भी दर्शाते हैं जहाँ पुरुषवादी मानसिकता अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए हत्या तक करवा देती है, शिवमूर्ति अपनी कहानियों के माध्यम से इस क्रूर संस्कृति के विरुद्ध खड़े दिखाई देते हैं। इन्होंने स्त्री संघर्ष को अपनी कहानियों में हमेशा आगे रखा है। गाँव के सामान्य किसान परिवार की नवविवाहिता बहू जो विधवा है, 'कुच्ची का कानून' कहानी की नायिका है। शिवमूर्ति जी ने यहाँ स्त्री पात्र को बिल्कुल अलग तरीके से गढ़ा है। वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कृतसंकल्प है। अपने तर्कशील विचारों एवं बातों से अपने अधिकारों को जीत लेती है। शिवमूर्ति जी ने गाँव के सामाजिक यथार्थ को चित्रित करते हुए एक स्त्री को संघर्ष करने वाली नेत्री के रूप में प्रस्तुत किया है। वरिष्ठ आलोचक विरेन्द्र मोहन लिखते हैं- 'शिवमूर्ति की कहानियों में संयुक्त परिवार और संयुक्त परिवार के विघटन तथा उससे उत्पन्न कारकों की पहचान मिलती है। 'भरतनाट्यम', 'सिरी उपमा जोग' तथा 'केशर कस्तूरी' में पारिवारिक विघटन के कमजोर पक्ष को और अधिक कमजोर

बना देता है। लेखक ने संयुक्त परिवार और विघटित परिवार में आर्थिक आधार और उससे उत्पन्न सम्बन्धों को पहचाना है। शिवमूर्ति की प्रायः सभी कहानियों में यह केन्द्रीय विचार है।' ⁶

शिवमूर्ति अपनी कहानियों में संयुक्त परिवार के टूटन, बिखराव व आर्थिक पक्ष को उजागर करते हैं। संयुक्त परिवार की समस्याओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हैं। इनकी कहानी 'केशर कस्तूरी' की 'केशर' ऐसी पात्र है जो अभावों में जीवन काटते हुए भी आत्मसम्मान से जीना चाहती है। दलित समाज में प्रतिभा की कमी नहीं है, केवल अवसर की आवश्यकता है। स्त्री चाहे किसी भी समाज की हो उसे बराबरी व सम्मान से जीने का अधिकार है। दलित स्त्रियों के प्रति सवर्ण मानसिकता के लोग गन्दे विचार पाले रखते हैं। 'केशर' इसका खुलकर विरोध करती है।

जब हम एक किसान की बात करते हैं तो केवल पुरुष ही नहीं स्त्रियाँ भी उस दायरे में आती हैं। वर्तमान समय में कृषि कार्य अधिकांशतः स्त्रियों ने सम्भाल रखा है। पुरुष आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की लालसा में शहर पलायन कर रहे हैं ऐसे में कृषि कार्य का भार स्त्रियों के जिम्मे आ जाता है। शिवमूर्ति जी इन्हीं किसान स्त्रियों की चर्चा अपने कथा साहित्य में करते हैं। साहित्य के माध्यम से किसान स्त्रियों के दुःख दर्द को समाज के सम्मुख लाने का प्रयत्न करते हैं। इन्होंने किसान स्त्रियों के संघर्षमय जीवन को यथार्थ रूप प्रदान किया है- 'अर्द्धरात्रि सघन अन्धकारा बूढ़ी आँखों में नींद नहीं। सहसा लगा, कोई टाटी खुटकाते हुए पुकार रहा है, 'काकी, काकी रे!' उसने उठकर टाटी का बेंड़ा खोला तो सुगनी हांफते हुए उसके गले से लिपट गई काकी रे, हमारी जिनगी माटी हो गई।' ⁷

शिवमूर्ति अवध क्षेत्र के जमीन से जुड़े हुए कथाकार हैं। इनकी लगभग नौ-दस कहानियाँ हैं, जो विशिष्ट पहचान बनाती हैं। कम लिखकर अधिक ख्याति प्राप्त करते हैं शिवमूर्ति। इनकी कहानियाँ पाठक वर्ग को आकर्षित करने के साथ-साथ कई बहसों को भी जन्म देती हैं। शिवमूर्ति महान कथाकार प्रेमचन्द के बाद गाँव, गरीबी, स्त्री, दलित और कृषक जीवन का यथार्थ चित्रण करते हैं। इनका व्यक्तित्व व कृतित्व तथा इनका साहित्य लेखन वर्तमान समय में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. तर्पण, शिवमूर्ति, राजकमल पेपर बैक्स, नई दिल्ली, संस्करण-2010, पृ0 14
2. वही, पृ0 25
3. त्रिशूल, शिवमूर्ति, राजकमल पेपर बैक्स, नई दिल्ली, संस्करण-2012, पृ0 56
4. कुच्ची का कानून (कहानी संग्रह), शिवमूर्ति, राजकमल पेपर बैक्स, नई दिल्ली, संस्करण-2017, पृ0 63
5. लमही, ऋत्तिक राय, अक्टूबर-सितम्बर 2012, पृ0 6
6. केशर कस्तूरी (कहानी संग्रह), शिवमूर्ति, राजकमल पेपर बैक्स, नई दिल्ली, संस्करण-2014, पृ0 27
7. लमही, ऋत्तिक राय, अक्टूबर-सितम्बर 2012, पृ0 18

जैन दर्शन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : सिद्धांतों और प्रभावों का विश्लेषण

डॉ. रेखा चौडिया*

* महाराजा महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - जैन दर्शन और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के बीच गहरा संबंध है। जैन दर्शन की अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद जैसी अवधारणाएं NEP 2020 के उद्देश्यों के साथ संगत हैं। यह शोध पत्र इन दोनों के बीच संबंधों की खोज करता है, विशेष रूप से नैतिक शिक्षा, समग्र विकास और स्थिरता के संदर्भ में।

जैन दर्शन का परिचय - जैन दर्शन, भारत की सबसे प्राचीन दार्शनिक परंपराओं में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति है। इसका आधार अहिंसा (अहिंसात्मक जीवन), अपरिग्रह (संपत्ति और इच्छाओं से मुक्त होना), सत्य (सच बोलना), अस्तेय (चोरी न करना), और ब्रह्मचर्य (संयमित जीवन) जैसे सिद्धांतों पर है। जैन दर्शन मुख्य रूप से महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया, जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। हालांकि, जैन दर्शन की जड़ें इससे पहले के तीर्थंकरों, विशेष रूप से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, की शिक्षाओं में भी निहित हैं।

जैन दर्शन आत्मा और कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार, प्रत्येक जीव की आत्मा शुद्ध होती है, लेकिन कर्मों के बंधन के कारण आत्मा अशुद्ध हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को इन कर्म बंधनों से मुक्त करना आवश्यक है। कर्म, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं, और यह आत्मा के पुनर्जन्म के चक्र को प्रभावित करते हैं। मोक्ष के लिए आत्मा को सभी कर्मों से मुक्त करना ही अंतिम उद्देश्य है, जिसे कठोर तपस्या, संयम और नैतिक जीवन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

जैन दर्शन में 'अनेकांतवाद' एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो इस विचार पर आधारित है कि सत्य बहुआयामी होता है और उसे केवल एक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। यह दर्शन यह मानता है कि किसी भी वस्तु या घटना को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, और सभी दृष्टिकोण आंशिक रूप से सही हो सकते हैं। इसी प्रकार, 'स्यादवाद' जैन दर्शन का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कहता है कि किसी भी कथन या विचार को सापेक्षता के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

जैन दर्शन में 'अहिंसा' का विशेष महत्व है। यह केवल शारीरिक हिंसा से दूर रहने का उपदेश नहीं देता, बल्कि मानसिक और वाचिक हिंसा से भी दूरी बनाए रखने पर जोर देता है। यह दर्शन इस बात पर बल देता है कि सभी जीवात्माएँ समान होती हैं, और किसी भी जीव को कष्ट पहुँचाना पाप माना जाता है। इस प्रकार, जैन साधु-साध्वी और अनुयायी अपने दैनिक जीवन में अतिसंयम और अहिंसा का पालन करते हैं।

जैन दर्शन मानव जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित

है। इसका उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति है, जो कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और संयम के सिद्धांतों के पालन से संभव है। जैन दर्शन जीवन को एक गहन नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखने का मार्ग प्रस्तुत करता है, जो आज के युग में भी अत्यधिक प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। **जैन धर्म की विस्तृत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि** - जैन धर्म की जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी हैं। इसके इतिहास का आरंभ 24 तीर्थंकरों से होता है, जिनमें से पहले ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को जैन परंपरा में मानव समाज को कृषि, व्यापार और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान देने वाला माना जाता है। इसके बाद, अन्य तीर्थंकरों ने जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों और शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ (877-777 ईसा पूर्व) ने जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह को प्रतिपादित किया।

महावीर स्वामी, जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ने जैन धर्म को एक संगठित रूप में प्रस्तुत किया। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। महावीर स्वामी ने संसार की माया और कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कठोर तपस्या का पालन किया और 30 वर्षों तक साधना करने के बाद उन्हें केवलज्ञान (मोक्ष) की प्राप्ति हुई। उन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य पर आधारित जीवन जीने का उपदेश दिया, जो जैन धर्म का आधार बना। उनकी शिक्षाओं को आगम ग्रंथों में संकलित किया गया, जो आज भी जैन धर्म के अनुयायियों के लिए प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं।

जैन धर्म का प्रभाव विशेष रूप से मौर्य और गुप्त काल में बढ़ा। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपनाया और श्रवणबेलगोला में जैन मुनि भद्रबाहु के निर्देशन में संयमित जीवन जिया। जैन धर्म का यह प्रभाव केवल धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी गहरा प्रभाव छोड़ा। जैन मंदिर, मूर्तिकला और साहित्य भारतीय कला और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गए।

जैन धर्म के अनुयायी व्यापार और शिक्षा में भी प्रमुख रहे। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में जैन समुदाय ने व्यापारिक और

शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। उनके नैतिक मूल्यों और शुद्ध आचरण ने समाज के अन्य वर्गों पर गहरा प्रभाव डाला।

जैन धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय समाज के विकास और नैतिकता के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण रही है। अहिंसा, अपरिग्रह और नैतिकता पर आधारित इस धर्म ने न केवल धार्मिक क्षेत्र में, बल्कि समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है।

जैन दर्शन के मुख्य सिद्धांत

अहिंसा (अहिंसा) - अहिंसा जैन दर्शन का आधारभूत सिद्धांत है। यह शारीरिक हानि से परे विचार और वाणी में भी अहिंसा को शामिल करता है। यह सिद्धांत न केवल व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है, बल्कि समाज में शांति और सद्भाव को भी बढ़ावा देता है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए, हर जीवित प्राणी के प्रति करुणा और दया भाव अनिवार्य है। यह सिद्धांत NEP 2020 में नैतिक और नैतिक शिक्षा पर जोर के साथ सामंजस्य स्थापित करता है।

अनेकांतवाद (बहुसिद्धांतवाद) अनेकांतवाद सत्य और वास्तविकता को जटिल मानता है और यह कि इसे एकल दृष्टिकोण से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। यह सिद्धांत बौद्धिक विनम्रता और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करता है। जैन धर्म के अनुसार, प्रत्येक दृष्टिकोण सत्य का एक पहलू हो सकता है, लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं। यह सिद्धांत NEP 2020 में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेल खाता है।

अपरिग्रह (गैर-अधिग्रहण) - अपरिग्रह भौतिक संपत्तियों और इच्छाओं से अलगवाव का समर्थन करता है। यह सिद्धांत जैन मठवासी जीवन का अभिन्न अंग है और स्थायी जीवन और पर्यावरणीय नैतिकता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत NEP 2020 में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल शिक्षा पर जोर देने के साथ जुड़ा हुआ है।

तपस्या - जैन तपस्वी कठोर अनुशासन और आत्म-संयम का अभ्यास करते हैं। इसमें उपवास, ध्यान और अन्य प्रकार की आत्म-नियंत्रण की प्रथाएं शामिल हैं ताकि आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त की जा सके। यह सिद्धांत छात्रों में अनुशासन और आत्म-नियंत्रण को बढ़ावा देने के NEP 2020 के उद्देश्यों के साथ मेल खाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और जैन दर्शन

नैतिक और नैतिक शिक्षा - NEP 2020 नैतिकता, नैतिकता और अहिंसा पर जोर देती है, जो जैन दर्शन के सिद्धांतों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। नीति का उद्देश्य छात्रों को नैतिक और नैतिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बन सकें। जैन धर्म के अहिंसा और अपरिग्रह के सिद्धांत छात्रों को नैतिक शिक्षा के महत्व को समझने और अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

समग्र विकास - नीति का उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, और भावनात्मक कल्याण शामिल है। जैन दर्शन का समग्र दृष्टिकोण इस उद्देश्य के साथ अच्छी तरह मेल खाता है। जैन धर्म के सिद्धांत छात्रों को आत्म-संयम, ध्यान और आंतरिक शांति की ओर प्रेरित करते हैं, जो उनके समग्र विकास में सहायक हो सकते हैं।

पर्यावरणीय स्थिरता - NEP 2020 पर्यावरणीय शिक्षा और स्थिरता पर

जोर देती है। जैन धर्म के अपरिग्रह और अहिंसा के सिद्धांत पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। जैन धर्म का मानना है कि सभी जीवित प्राणी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रकृति का सम्मान करना आवश्यक है। यह सिद्धांत छात्रों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील बनाने में मदद कर सकता है।

बहु-विषयक और समग्र शिक्षा - नीति में बहु-विषयक और समग्र शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया है। अनेकांतवाद के सिद्धांत के अनुसार, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और स्वीकार करने की क्षमता छात्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण है। जैन दर्शन के अनेकांतवाद का सिद्धांत छात्रों को विभिन्न विषयों और दृष्टिकोणों को एक साथ समझने और उनका सम्मान करने की शिक्षा देता है।

जैन दर्शन और NEP 2020 के उद्देश्य - जैन दर्शन और NEP 2020 के उद्देश्यों के बीच कई समानताएं हैं। दोनों नैतिकता, समग्र विकास और स्थिरता पर जोर देते हैं। जैन दर्शन के सिद्धांत NEP 2020 के उद्देश्यों को पूरक करते हैं और एक नैतिक, अनुशासित और समग्र रूप से विकसित समाज के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। जैन धर्म के अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद के सिद्धांत छात्रों को एक व्यापक दृष्टिकोण और नैतिक मूल्य प्रदान कर सकते हैं।

निष्कर्ष - जैन दर्शन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बीच गहरा संबंध है। दोनों नैतिकता, समग्र विकास और स्थिरता पर जोर देते हैं। जैन दर्शन के सिद्धांत NEP 2020 के उद्देश्यों को पूरक करते हैं और एक नैतिक, अनुशासित और समग्र रूप से विकसित समाज के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। यह शोध पत्र जैन दर्शन और NEP 2020 के बीच संबंधों की खोज करता है, विशेष रूप से नैतिक शिक्षा, समग्र विकास और स्थिरता के विशेष संदर्भ में।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हुंडास, पॉल, द जैन, 2 दक संस्करण, रूटलेज, 2002.
2. जैन, एस. ए. रियलिटी: द जैना व्यू ऑफ रियलिटी, वीर सासन संघ, 1992.
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. <https://www.education.gov.in>
4. भार्गव, दयानंद. जैन एथिक्स. मोतीलाल बनारसीदास, 1968.
5. सांगवी, वीरचंद आर, अनेकांतवाद और स्यादवाद: तुलनात्मक अध्ययन. जैन सांस्कृतिक अनुसंधान सोसाइटी, 1971.
6. जैन, चम्पत राय, द प्रैक्टिकल पाथ, द सेंट्रल जैना पब्लिशिंग हाउस, 1926.
7. चौपल, क्रिस्टोफर की, जैनिज्म एंड इकोलॉजी: नॉनवायलेंस इन द वेब ऑफ लाइफ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2002.
8. बालकृष्ण, आचार्य, जैनिज्म: द इटरनल धर्म, दिव्य प्रकाशन, 2010.
9. तत्त्वार्थ सूत्र, उमास्वाति. जो है, अनुवाद: नथमल तातिया, हार्पर कॉलिन्स, 1994.
10. पाठक, आर. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जैन मूल्यों का समावेश', भारतीय दर्शन और शिक्षा जर्नल, वॉल्यूम 25, 2021.

देश में एक राष्ट्र- एक चुनाव : लाभ और चुनौतियाँ एक अध्ययन

डॉ. पल्लवी नंदी*

* अतिथि व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) शास. घनश्याम सिंह गुप्त पी. जी. कॉलेज, बालोद (छ.ग.)

शोध सारांश – वर्तमान परिदृश्य में एक देश एक चुनाव देश की मांग है और खासकर भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जहाँ लगभग हर समय कोई न कोई चुनाव सम्पन्न होते रहते हैं और इस चुनाव में पैसों को पानी की तरह से बहाया जाता है। ऐसी स्थिति में एक देश एक चुनाव देश के लिए जरूरी हो गया है लेकिन जहाँ इसके कई लाभ हो सकते हैं वहीं इसके लिए कई चुनौतियाँ भी संभव हैं।

शब्द कुंजी – लोकतांत्रिक राज्य, संवैधानिक एवं प्रशासनिक ढांचा।

प्रस्तावना – प्रजातंत्र कोई सामान्य अर्थ लिया हुआ शब्द नहीं है, वरन् ये तो बड़ा और इतना आकर्षक शब्द है कि जिनका शाब्दिक अर्थ इन्हें परिभाषित करने की समस्या को हल्का बना देता है। इन शब्दों में से एक प्रकार विकास उन्मुक्ति आदि की भावना स्वतः ही जागृत होती है। साहित्यिक अर्थ में यदि हम प्रजातंत्र को ही ले तो इसका अर्थ होता है – जनता की शक्ति। परंतु यह व्याख्या इस शब्द को शाब्दिक अर्थ प्रदान करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पाती। इससे लोकतंत्र को परिभाषित करने की समस्या हल नहीं हो पाती।

समस्या केवल यह नहीं है कि इस शब्द का क्या अर्थ है, वरन् यह है कि इस अद्भुत व आकर्षक शब्द के पीछे निहित मूल धारणा क्या है ? लेकिन जब इस शब्द से बहुत कम संबंध है यद्यपि प्रजातंत्र का अर्थ कुछ-कुछ निश्चित सा है, किन्तु यह वास्तविक अर्थ को समझने में बहुत कम सहायता कर पाता है।

प्रजातंत्र शब्द का केवल व्याख्या की दृष्टि से ही महत्व नहीं है वरन् इसका अपना एक प्रभाव भी है। प्रजातंत्र की परिभाषा करते समय बात तो यह ध्यान में रखनी चाहिए। प्रजातंत्र की परिभाषा करना यद्यपि प्रजातंत्र का अर्थ कुछ-कुछ निश्चित सा है, किन्तु यह वास्तविक अर्थ को समझने में बहुत कम सहायता कर पाता है।

प्रजातंत्र शब्द का केवल व्याख्या की दृष्टि से ही महत्व नहीं है वरन् इसका अपना एक प्रभाव भी है। प्रजातंत्र की परिभाषा करते समय पहली बात तो यह ध्यान में रखनी चाहिए। प्रजातंत्र कि 'है' और 'होना चाहिए' के मध्य अंतर किया जाना चाहिए। प्रजातंत्र की परिभाषा करना यद्यपि कठिन कार्य है, फिर भी हम विभिन्ना राजनीतिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रजातंत्रात्मक या कम प्रजातंत्रात्मक कहते हैं। आज के राजनीतिक चैतन्यता के युग में जिन देशों में औपचारिकता की दृष्टि से प्रजातंत्र नहीं है, वहां भी राज्य और सरकार को जनता के विश्वास को आकृष्ट करना होना होता है। इस कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रजातंत्र की कोई परिभाषा अवश्य होनी चाहिए। यदि प्रजातंत्र की परिभाषा अवास्तविक रूप से कर दी गयी तो इसके परिणामस्वरूप हमें सभी वास्तविक प्रजातंत्रों को अस्वीकार करना पड़ेगा और यदि प्रजातंत्र को गलत ढंग या गलत शैली में अर्थ प्रदान किया

गया है तो सकता है कि हम उस तत्व को ही अस्वीकार कर दें, जिसे हम पचान न पाये या उस तत्व को स्वीकार कर लें जिसे कि हम चाहते ही नहीं।

प्रजातंत्र की कोई निश्चित परिभाषा न होने के कारण कुछ विचारकों ने तो यहां तक कह डाला है कि हम भ्रमित प्रजातंत्र के युग में जी रहे हैं। प्रजातंत्र के अर्थ के संबंध में **इलियट ने कहा है कि** – 'प्रजातंत्र शब्द की सामान्य लोकप्रियता को देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि इसका अर्थ है भी या नहीं क्योंकि इसके अनेक अर्थ हैं।'

प्रत्येक राष्ट्र की शासन व्यवस्था एवं राजनीति पर उसके अतीत का प्रभाव स्पष्टता देखा जा सकता है तथा उसका संवैधानिक एवं प्रशासनिक ढांचा एक लम्बे विकास का परिणाम होता है और भारत भी अपवाद नहीं है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के साथ अपने लोकतंत्र के 75 साल गुजार चुका है और इसे लोकतांत्रिक चुनावों का व्यापक एवं गहन अनुभव प्राप्त है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, आयोग को चुनाव की 'निगरानी, संचालन और नियंत्रण' की व्यापक शक्तियां दी गई हैं, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने जहां एक संघीय संस्थान में चुनाव की निगरानी के केंद्रीकरण को लेकर चिंता जताई थी लेकिन अंततः मसौदा तैयार करने वालों ने महसूस किया कि केवल एक मजबूत केंद्रीय एजेंसी देश में चुनाव को लेकर एकरूपता लागू कर सकती है और इसके होने से स्थानीय नियंत्रण के नुकसान से परहेज किया जा सकता है।

देश में पहली बार 1952 में एक देश-एक चुनाव की व्यवस्था के तहत लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराए गए थे। इसके बाद अगले तीन चुनावों तक ये सिलसिला जारी रहा लेकिन बाद में कई राज्यों की विधानसभा समय से पहले भंग होने के कारण ये सिलसिला टूट गया। वहीं दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां एक देश-एक चुनाव की व्यवस्था लागू है।

अन्य देशों का यदि जिक्र किया जाये तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जहां एक देश-एक चुनाव की व्यवस्था है। जर्मनी, हंगरी, स्पेन, पोलैंड, इंडोनेशिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, स्लोवेनिया और अल्बानिया जैसे देशों में एक देश-एक चुनाव की व्यवस्था है। वहीं, हाल ही में इस लिस्ट में

स्वीडन शामिल हुआ है, जहां एक साथ सभी चुनाव कराए जाते हैं।

इस शोध का उद्देश्य निम्न ध्येय के आधार पर है :

1. एक देश-एक चुनाव क्या है ?
2. एक देश एक चुनाव से होने वाले देश को लाभ और इसमें आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि - इस शोधपत्र हेतु द्वितीयक समकों को उपयोग किया गया है। एक देश-एक चुनाव पर हुए शोध कार्य, शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र और विभिन्न समाचारों में प्रकाशित लेखों के आधार पर यह कार्य पूर्ण किया गया है।

एक देश एक चुनाव के लाभ:

1. अगर देश में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए, तो चुनाव पर होने वाले खर्च कम होंगे। इसके साथ ही हमेशा चुनाव की वजह से प्रशासनिक अधिकारी व्यस्त रहते हैं, उससे भी छुटकारा मिलेगा।
2. आंकड़े के मुताबिक, देश में जब पहली बार चुनाव हुए थे, तब करीब 11 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। वहीं, 17वीं लोकसभा चुनाव में 60 हजार करोड़ से अधिक रुपये खर्च हुए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर सिर्फ लोकसभा चुनाव में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो विधानसभा चुनावों में कितने रुपये खर्च होते होंगे।

एक देश-एक चुनाव में चुनौतियां- एक देश, एक चुनाव के सामने जहाँ कई लाभ भी सामने आ आते हैं तो चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं :

1. लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है, लेकिन इसे उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसे में एक देश-एक चुनाव संभव नहीं होगा।
2. लोकसभा की तरह ठीक विधानसभा का भी कार्यकाल पांच साल का होता है और ये भी पांच साल से पहले भंग हो सकता है। अब ऐसे में सरकार के सामने चुनौती होगी कि एक देश-एक चुनाव का क्रम कैसे बरकरार रखा जाए।
3. एक देश-एक चुनाव पर देश के सभी दलों को एक साथ लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस पर सभी पार्टियों के अलग-अलग मत हैं।
4. ऐसा माना जाता है कि एक देश-एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टी को फायदा पहुंचेगा, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना होगा।

यानी कि उन्हें नुकसान पहुंचेगा।

5. फिलहाल देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग होते हैं, जिस वजह से ईवीएम और वीवीपैट की सीमित संख्या हैं, लेकिन अगर एक देश-एक चुनाव होते हैं तो एक साथ इन मशीनों की अधिका मांग होगी, जिसे पूर्ति करना बड़ी चुनौती होगी।
6. अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं, तो अतिरिक्त अधिकारियों और सुरक्षाबलों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में ये भी एक बड़ी चुनौती होगी।

उपसंहार - एक चुनाव एक देश भलेही समय की मांग और आवश्यकता दोनों ही क्यों न हो इसकी चुनौतियों के निपटान के तरीकों के बिना इसे लागू किया जाना कठिन एवं जल्दबाजी होगी। धीरे-धीरे इसकी चुनौतियों से लड़ने के लिए बेहतर विकल्प तलाशे जाने के बाद ही देश में एक चुनाव लागू किया जाना उचित होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जैन, डॉ. पुखराज : भारतीय राज व्यवस्था, 1984
2. राय डॉ. एम.पी. : भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, कालेज बुक डिपो, जयपुर 1987
3. सुभाष कश्यप : भारत का संविधान, संवैधानिक विकास और स्वाधीनता संघर्ष, 1972
4. इकबाल नारायण: राजनीति विज्ञान, शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, खजूरी बाजार, इंदौर, 2005
5. नारायण, इकबाल : राजनीति विज्ञान, शिवलाल प्रकाशन 2015
6. <http://oneindiaonepeople.com/one-nation-one-election/>
7. <https://www.2thepoint.in/possibility-of-one-nation-one-election/>
8. <http://zeenews.india.com/india/bjps-push-for-one-nation-one-polls-is-a-gimmick-congress-2077288.html>
9. <http://www.indiafoundation.in/symposium-on-one-nation-one-election-2/>
10. <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/one-nation-one-poll-needs-many-legislation-cec-op-rawat/articleshow/62628484.cms>
11. <http://www.uniindia.com/call-for-one-nation-one-election-is-also-jumla-chidambaram/india/news/1122724.html>

धार जिले से पलायन के कारण और राजनीतिक प्रभाव

शिवराम देवके* डॉ. मनिष चौधरी**

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिसमें, परिवहन सुविधाएं, सड़क, चिकित्सालय, शिक्षण संस्थाएं, विद्युत आपूर्ति, पेयजल सुविधा, रोजगार तथा उचित न्याय व्यवस्था आदि शामिल है। गांवों की दशा सुधारने के लिए एक अप्रैल 2010 में लागू हुए शिक्षा का अधिकार कानून से इस समस्या के समाधान की आशा की जा सकती है। इस कानून से गांवों के स्कूलों की स्थिति, अध्यापकों की उपस्थिति और बच्चों के दाखिले में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से इस कानून को लागू करके गांवों में शिक्षा का प्रकाश फैलाने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वही असमानता, शोषण, भ्रष्टाचार तथा भेदभाव में कमी होगी जिसके फलस्वरूप ग्रामीण जीवन बेहतर बनेगा। इस अभियान के तहत तीन लाख से अधिक नये स्कूल खोले गए जिसमें आधे से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं।

आजादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था में सामुदायिक विकास तथा योजनाबद्ध विकास की अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से गांवों की हालत बेहतर बनाने और गांव वालों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता रहा है। 97 वें संविधान संशोधन के जरिये पंचायती राज संस्थाओं को अधिक मजबूत तथा अधिकार- सम्पन्न बनाया गया और ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका काफी बढ़ गई है पंचायतों में महिलाओं व उपेक्षित वर्गों के लिए आरक्षण से गांवों के विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गों की हिस्सेदारी होने लगी है। इस प्रकार से गांवों में शहरो जैसी बुनियादी जरूरतें उपलब्ध करवाकर पलायन की प्रवृत्ति को सुलभ साधनों से रोका जा सकता है।

प्रस्तावना – पलायन एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों की आवाजाही है, यह एक छोटी या लंबी दूरी के लिए अल्पकालीन या स्थायी स्वेच्छिक या मजबूरी, अन्तर-जिला, अन्तरराज्यीय और अन्तराष्ट्रीय पलायन हो सकता है मध्यप्रदेश के धार, झाबुआ, अलिराजपुर, खरगोन आदि जिलों से लोगों का पलायन करते हैं जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी पलायन करते हैं। धार जिले में ऐसे कई विकासखण्ड और तहसीलों के गांव हैं यहां से गुजरात, महाराष्ट्र में मजदूरी के लिए जाते हैं और जिसमें 50 प्रतिशत लोग जिले से पलायन करते हैं बाहरी राज्यों कह तुलना में अन्तर-जिला पलायन में हमेशा बेहतर जीवन के लिए यानी आर्थिक जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। धार जिले के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके पास भूमिहीन किसान या कम भूमि वाले कृषक किसान भूमि से इतना उत्पादन नहीं होता कि उनका जीवन यापन किया जा सके और स्थानीय रोजगार की कमी के कारण पलायन करते हैं। जिले से पलायन करने वाले क्षेत्र इही, कुक्षी, बाग, टाण्डा, मनावर, गंधवानी आदि क्षेत्र के लोगों का सर्वाधिक जनसंख्या पलायन करते हैं।

धार जिले को विकासशील जिला माना जाता है क्योंकि धार जिले में पिथमपुर बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहां पर बहारी राज्यों से पलायन करने वाले बहुत अधिक लोग हैं जो धार एक पिथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की तलाश के लिए आ जाते हैं जिसका कारण स्थानीय या जिले के लोगों को रोजगार की तलाश के लिए बहारी राज्यों में पलायन करना पड़ता है, जिले में स्वरोजगार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है और स्वरोजगार जैसी कई कमियां देखने को मिलती हैं जिसका कारण है शिक्षा की कमी दीखाई देती है।

पलायन स्वेच्छिक अथवा जबरन हो सकता है, स्वेच्छिक पलायन

अक्सर बेहतर रोजगार के अवसर यानी आर्थिक मौकों के लिए होता है। जिले में अमूमन युवा छात्रों को बेहतर अध्ययन या फिर रोजगार की तलाश में पलायन करते हुए देखा जाता है या फिर युवा पुरुष एवं महिलाओं का रोजगार के लिये पलायन का गवाह रहा है। कई बार महिलायें और माता-पिता दूर राज्य या देश में काम कर रहे उनके पति, पिता पुत्र के साथ काम करने अथवा साथ रहने को चले जाते हैं। बाकी अन्य वर्ग के लोग भी बेहतर जीवन शैली की चाह में शहरो की ओर कुच कर जाते हैं दूसरी तरफ, स्थानीय जीवन में होने वाली कठिनाईयों से पीड़ित लोग भी इनसे पार पाने के लिए कई बार हालात से समझौता करते हुए पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं।

जिले में आंतरिक प्रजनन अथवा गांव में रह रही आबादी के संख्या का प्राकृतिक तौर पर बढ़ना ग्रामीण क्षेत्रों का भौगोलिक विस्तार जिसमें ग्रामीण बस्तियों को प्रशासनिक तौर पर, किसी गांव से नगर पालिका में परिवर्तित करके शहर के रूप में परिवर्तित किया जाता है ये प्रमुख तौर पर एक पहले के गांव में उसकी बड़ी जनसंख्या, अधिक घनत्व, गैर-कृषि, आर्थिक गतिविधियों का उंचे प्रतिशत और उसकी बढ़ती राजस्व क्षमता जैसे शहरी कारणों की वजह से संभव हो पाता है। जो कई तरीकों से होता है जैसे जब लोग देश के किसी गांव से शहर या नगर में बसने के लिये चले जाते हैं या फिर एक शहर से किसी दूसरे शहर में पलायन कर लेते हैं और कई बार एक देश से किसी दूसरे देश के शहर में बस जाते हैं, हालांकि ऐसे लोग भी होते हैं, जो किसी गांव शहर विशेष को छोड़कर अन्य जगहों में रहने के लिये चले जाते हैं।

पलायन करने के कारण:

1. ग्रामीण इलाकों का कृषि आधार वहां रहने वाली सभा जनता को

- रोजगार प्रदान नहीं करता हैं क्षेत्रीय विकास में असमानता लोगो को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने के लिए विवश करती है।
2. शैक्षणिक सुविधाओं की कमी के कारण भी ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन करते है।
3. राजनीतिक अस्थिरता और अन्तर - जातीय संघर्ष के कारण भी लोग अपने घरों से दूर चले जाते है।
4. गरीबी और रोजगार के अवसरों की कमी लोगो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रेरित करती है।
5. बेहतर स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिये लोग बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की तलाश में अल्पावधि के आधार पर पलायन करते है।
6. भोजन की कमी, जलवायु परिवर्तन, धार्मिक उत्पीडन और अन्य कारण भी लोगों के आंतरिक पलायन की और अग्रसर करते है।

पलायन में राजनीतिक प्रभाव - पलायन में राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण है जो चुनाव के समय देखने को मिलता है, उम्मीदवार जो चुनाव में खड़ा होता है तो उसका भी समाज पर प्रभाव पड़ता है और समाज के लोग जो कार्यकर्ता और उसके साथी के उनके समाज वालों को बताने से और मतदाताओं को कार्यकर्ता घर - घर जाकर समझाते है और उनसे पुछताज करते है और चुनाव के समय पलायन कर्ताओं के अन्दर भी बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है जिससे वे उनके सम्पर्क में रहते है और जिससे वह सभी मतदाता पर्ची बूथलेवल ऑफिस द्वारा बाटा जाता हैं, और उसके द्वारा जो शेष बचती है पर्ची उसकी जानकारी भी जो प्रत्याशी खडा होता है उसके कार्यकर्ता के बी.एल.ओ. से प्राप्त कर उनकी जानकारी निकालते हैं, और अपने संबंधीत या समाज का व्यक्ति भी बता देते कि कोई व्यक्ति बाहर गया तो कितने समय के लिये पलायन किया है जिसकी जानकारी कार्यकर्ता प्राप्त कर लेते है, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों की जानकारी मिल जाती हैं और उसके माध्यम से वे उम्मीदवार को मिलती और उम्मीदवार का पहले से भी समाज में मिलनसार होते से बहुत अधिक प्रभावित होते है और कार्यकर्ता के माध्यम से पलायन करने वाले श्रमिकों को चुनाव के समय मतदान के दो दिवस पूर्व उनको लाने के लिए बस भेजते है और उनके पलायन कर्ता जो इन्दौर, धार, भोपाल आदि जिलों में जो छात्र/छात्राएँ जो पढ़ाई करते उन युवाओं को और धार पिथमपुर, इंदौर जों श्रमिक पलायन करते है उन्हें भी मतदान कराने के लिए लेकर आते है और स्पेशन उन्हे लेने के लिए बस भेजते हैं जिनके साथ उनका चाय, नाश्ता और भोजन आदि के पैकेट देते है और उनके मुख्यालय यानि कुक्षी, इही, मनावर, गंधवानी, बाग, टाण्डा, आदि विकास खण्डों या तहसीलों में ला कर छोड़ देते हैं और उनको खाने का पैकेट, लिफाफा, आदि दिया जाता हैं और उनको सभी अपनी - अपनी पार्टी के सदस्य मिल कर देते है। और कहीं कहीं पर शराब भी बाटी जाती है जिसके कारण भी मतदाता प्रभावित होते है और मतदाता अपनी अपनी पार्टी को मतदान भी करते है और मतदान करते समय वे उनके बच्चे को भी साथ लेकर आते है तो उनको भी खाने का सामान और वापस जाने तक के लिए किराया भी दिया जाता है मतदाता और अधिक प्रभावित होते है, इस वर्ष मतदान का प्रतिशत जिसके कारण भी मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है।

पलायन करने से पलायनकर्ता के घर में सिर्फ बुढ़े माता- पिता बचते है घर पर जिससे कई से बहुत सारे लोग पलायन कर जाते है जिससे उनके

घर में अपराधी प्रवृत्ति के लोगो की उनके घर पर निगाहें रहती है और चौरी डकेती करते है जिससे उनके गांव समाज में अपराध बढ़ने के संकेत ज्यादा होते है क्योंकि घर में बुजुर्ग महिला-पुरुष को देख कर चौरी करने के लिए घर में घुस जाते है। जिससे सरकार को पलायन रोकने के उपाय करना चाहिए।

धार लोकसभा क्षेत्र में औसत रूप से 72.45 प्रतिशत मतदान हुआ है। सर्वाधिक मतदान बदनार में 76.89 प्रतिशत हुआ है। भोजशाला और माण्डू के लिए लोकप्रिय धार लोकसभा सीट में मतदान के प्रति आदिवासी अंचल में उत्साह रहा। सुबह छह बजे आदिवासी अंचल के ग्राम सराय में 400 से अधिक मतदाता कतार लगाकर अपनी वोट डालने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि मतदान शुरू होने में करीब एक घण्टा बाकी था। यही क्रम मतदान को लेकर दिनभर जारी रहा उसके बाद भी आठों विधानसभाओं में लगातार समय दर समय मतदान का प्रतिशत बढ़ता रहा। इस बीच में कुछ स्थानों पर मौसम में राहत भी दी तो मतदाता जोश के साथ बड़ी संख्या में बाहर आए। गंधवानी - 70.27 प्रतिशत, महु - 69.05 प्रतिशत, धरमपुरी - 76.19 प्रतिशत, धार - 72.30 प्रतिशत, बदनार - 76.89 प्रतिशत, मनावर - 74.23, सरदारपुर - 72.22 प्रतिशत, कुक्षी - 74.82 आदि रहा है विद्यार्थी अपना कर्तव्य समझकर मतदान करने इंदौर, बैंगलुरु, पुणे आदि शहरों से धार पहुंचे।

किसी व्यक्ति का अपने स्थायी निवास स्थल से किसी दूसरे स्थान की ओर हमेशा के लिए जाने की प्रक्रिया को ही पलायन कहते है। इस तरह की घटना देश के भीतर या फिर अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी स्थायी तौर पर हो सकता है। 2020 में, IOM यानी (इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन) के अनुसार, पूरी दुनिया में 281 मिलियन आबादी प्रवासियों की हैं। इसे ऐसे भी की सकते है कि वैश्विक आबादी में 3.6 प्रतिशत संख्या अंतराष्ट्रीय प्रवासियों की है ये वर्ष 1990 की तुलना में ये 128 मिलियन से अधिक है और 1970 में अपेक्षित संख्या का जो अनुमान लगाया गया था उसका तिगुना है। इसके अलावा ये प्रक्रिया वैयक्तिक और पारिवारिक स्तर पर भी लगातार घटना रहता हैं जहां लोग एक स्थान से हटकर दूसरी जगह पर रहने को चले जाते है, ऐसा अक्सर रोजगार की तलाश में होता है। वर्ष 2022 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 42.86 प्रतिशत लोग कृषि आधारित रोजगार पर निर्भर है। 1950 से लेकर वर्ष 2023 तक भारत से बाहर जाने वाले अंतराष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में भारत आने वाली अंतराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या मिलियनों में रही है।

गांवों से पलायन रोकने के सुझाव

समानता और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना - ग्रामीण पलायन रोकने के लिए सामाजिक समानता एवं न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना अति आवश्यक है। इसलिए सभी विकास योजनाओं में उपक्षित वर्गों को विशेष रियायत दी जाए। इसके अलावा महिलाओं के लिए स्वयंसेवा समूहों के जरिये विभिन्न व्यवसाय चलाने, स्वरोजगार प्रशिक्षण, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना) जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनसे लाभ उठाकर गरीब तथा उपेक्षित वर्गों के लोग अपना तथा अपने परिवार का उत्थान कर सकते हैं।

इस संदर्भ में मैं एक अपने अनुभव पर आधारित प्रोजेक्ट के माध्यम से गांवों में चुने हुए जन प्रतिनिधियों की व्यवस्था के बारे में जानकारी दे रहा हूँ।

हमने एक प्रोजेक्ट किया जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में चुने हुए जन - प्रतिनिधियों के बारे में जानकारी जुटानी थी मुख्य रूप से जो ग्रामीण पंच बनाए गए हैं उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक जानकारी प्राप्त करनी थी। जिसमें पंचों ने अपनी व्यथा बड़े गम्भीर ढंग से उजागर की और जानकारी नहीं और न ही कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था है। अधिकतर पंच अशिक्षित व्यक्ति एवं महिलाएं बनाई गई है। और लोगों ने हमें कहा कि पंच के लिए शैक्षिक योग्यता अवश्य निर्धारित की जानी चाहिए तभी ग्रामीण विकास हो सकता है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि हमारे साथ पंचायत में न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है और मात्र जोर जबरजस्ती एवं दबाव डालकर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर या अंगुठा लगवाया जाता है। अतः यह सामाजिक असमानता एवं अन्याय ही तो हैं इस कारण लोग राजनीतिक कार्यों से विमुख होकर अपनी आजीविका में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं अतः इसका उचित समाधान किया जाना चाहिए।

रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना - सर्वप्रथम गांवों में राजगार के अवसर निरंतरता के साथ उपलब्ध कराए जाए जिससे लोगों को आर्थिक सुरक्षा तो मिलेगी साथ ही वे स्वतः अपनी जीवनशैली में सुधार करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा 2 फरवरी 2006 को सभी राज्यों एवं जिलों में शुरू की गई। दूसरे चरण में 130 जिलों में एवं तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष 265 जिलों में मनरेगा कार्यक्रम चलाया गया जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर सृजित हुए और गांवों से पलायन भी रुका है।

मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना - ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिसमें, परिवहन सुविधाएं, सड़क, चिकित्सालय, शिक्षण संस्थाएं, विद्युत आपूर्ति, पेयजल सुविधा, रोजगार तथा उचित न्याय व्यवस्था आदि शामिल है। गांवों की दशा सुधारने के लिए एक अप्रैल 2010 में लागू हुए शिक्षा का अधिकार कानून से इस समस्या के समाधान की आशा की जा सकती है। इस कानून से गांवों के स्कूलों की स्थिति, अध्यापकों की उपस्थिति और बच्चों के दाखिले में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से इस कानून को लागू करके गांवों में शिक्षा का प्रकाश फैलाने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वही असमानता, शोषण, भ्रष्टाचार तथा भेदभाव में कमी होगी जिसके फलस्वरूप ग्रामीण जीवन बेहतर बनेगा। इस अभियान के तहत तीन लाख से अधिक नये स्कूल खोले

गए जिसमें आधे से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं।

भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन की स्थापना - लोक कल्याण करने एवं ग्रामीण पलायन रोकने के लिए सरकार द्वारा योजना तो लागू की जाती है लेकिन ये योजनाएं भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा हथिया ली जाती है जिससे उसका पूरा लाभ जनता को नहीं मिल पाता है। ग्रामीण पंचायती राज क्षेत्र में इन योजनाओं की निगरानी के लिए व्यवस्था की जाती चाहिए जैसा कि राजस्थान में सर्वप्रथम सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत की गई। इससे ग्रामीण में विश्वास जगा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत कृषि के स्थान पर पूंजी आधारित व अधिक आय प्रदान करने वाली खेती को प्रोत्साहन दिया जाए जिससे किसानों के साथ-साथ सीमांत किसानों और मजदूरों को भी ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। सिंचाई सुविधा, जल प्रबन्ध इत्यादि के माध्यम से कृषि भूमि क्षेत्र का विस्तार किया जाए जिससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी साथ ही आय में भी वृद्धि होगी और किसानों में आत्मविश्वास व स्वाभिमान जागृत होगा जिससे ग्रामीण पलायन रुकेगा।

निष्कर्ष - आजादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था में सामुदायिक विकास तथा योजनाबद्ध विकास की अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से गांवों की हालत बेहतर बनाने और गांव वालों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता रहा है। 73 वें संविधान संशोधन के जरिये पंचायती राज संस्थाओं को अधिक मजबूत तथा अधिकार- सम्पन्न बनाया गया और ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका काफी बढ़ गई है पंचायतों में महिलाओं व उपेक्षित वर्गों के लिए आरक्षण से गांवों के विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गों की हिस्सेदारी होने लगी है। इस प्रकार से गांवों में शहरों जैसी बुनियादी जरूरतें उपलब्ध करवाकर पलायन की प्रवृत्ति को सुलभ साधनों से रोका जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. Rao (MS) Urbanization Social Change (1970) P.P. 52
2. कुरुक्षेत्र ग्रामीण भारत का बदलता स्वरूप वर्ष 53, अंक 12, अक्टूबर 2007, पृ. 5 से 39
3. मिश्र : अ.प्र. गरीबी और प्रवास, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1991, पृ. 111-112

Critical Appraisal of Toru Dutt's 'Our Casuarina Tree' 'Lotu' and 'Sita'

Dr. Dinesh Parmar *

* Associate Professor (English) S.B.N. P. G. College, Barwani (M.P.) INDIA

Abstract : This paper focuses on Toru Dutt's poem Our Casuarina Tree. It highlights the love of nature. It shows the feeling of conservation of trees and protection of environment. The poem celebrates birds like baboon and kokila. The poetess describes how they played under the tree during childhood. Human life is impossible without trees. Toru Dutta was brought up in literary atmosphere. That's why she took interest in academics.

Keywords: memories, tree, nature, brother, sister.

Introduction - Toru Dutt's full name was Tarulatta Datta. She was born in Bengal. She was born on 4 th of March 1856. She wrote poems in English and French. Her parents were Govind Chandra Dutt and kshetra moni Dutt. She had a literary taste since early childhood. She also learned stories of ancient India from her mother.

She is among four founding figures of Indo- Anglican literature viz. Henry Louis Vivian Derozio, Manmohan Ghosh and Sarojini Naidu. Toru Dutt migrated to Europe. First they lived in France and then in England. She studied at Cambridge University for two years. She died at the age of 21 of tuberculosis on 30 August 1877.

Her famous poems are Sita, The Young Captive, Lakshman, The Young Captive and Christmas.

Our Casuarina Tree was published in 1881 in Ancient Ballads and Legends of Hindustan. Toru Dutt remembers the casuarina Tree and memorises her happy days spent under it with her brother Abjie and sister Aru.

This poem was composed by her after she returned to India in 1873 along with her sister Aru. She wrote this poem to celebrate childhood memory. Her brother and sister played undershirt Casuarina Tree. Her sister died in 1874. The theme of this poem is death and eternity.

The poem is composed in five stanzas. The Casuarina Tree is very old. It is like python. Python is large fat snake. Casuarina tree is an Australian Tree. Branches of it are connected to each other. It appears to be like horse tail. The creeper is like Python. The flowers are red.

This poem is about nature. This is a nostalgic poem. It is full of autobiographical elements. A baboon is sitting on the Tree singing a beautiful song. The tiny bird of baboon insisting in lower branches watching sunrise is looking like a statue. The Tree is loaded by crimson flowers.

When she opens the window, she feels happy. Kokila

are also singing. Cows are sleepy. Water lilies are there. The poet hears sweet songs of bees and birds coming from trees. The lilies blooming in water under the shade of tree seems like a gathering of snow. They played under the tree.

In the third stanza Toru Dutt is unhappy over the loss of her dear ones. In the fourth stanza the poet establishes a deeper bond with the Tree using the imagery of waves.

In the fifth stanzas the poetess honours the casuarina Tree. The Tree was loved by her brother and sister. She desires for the Tree to live a long life similar to yew tree of Borrowdale which occurred in Wordsworth's poems. She tells about the differences between Casuarina Tree and trees of England.

The poem 'Lotus' was published in 1882 in 'Ancient Ballads and Legends of Hindustan'. This is a petrarchan sonnet. It is a combination of east and west. God of love Cupid came to the god of flowers Flora who will be the queen of flowers. The lily or rose who will be queen of flowers. They are the rivals. Poets of flower had their claim. The rose can never be straight like lily. Rose is bowing. Lily is strait like Jupiter's wife Juno. Is lily lovelier? Flowers are divided into two groups one supported lily and one supported rose.

Give me a flower delicious as rose and lily's pride. Love chose red rose. Then told white as lily. Flora gave lotus. We find personification of love, Flora and lily.

The octave gives a question who is the queen of flowers. The sestet gives answer that lily is the flower of queen. Lotus is of pink colour combination of red rose and white lily. The poem end in conclusion that lily is beautiful flower. K.R. Srinivasa Iyengar observes:

"On the other hand, the sinnet "The Lotus" is 'fancy free' and exemplifies her delicate talent for building up a poem"

The rhyme scheme of this poem is ABBAABBACDCDDC.

Sita by Toru Dutt is about three children listening to story narrated by their mother about Sita. Sita a prominent figure in Indian mythology. Children start crying to listen to the story. Three children are sitting in a dark room. What are they looking. Three children are poet herself Abju and Aru. The forest is dense. There is no ray of sun. Clear spot is visible in the centre. Flowers are hanging on creepers. The lake is clear and crystal. Swans are swimming in it. Their wings are shaken by wind. The peacock is dancing and the deer are racing rapidly. The yellow colour grain is waving and shining. The environment is peaceful and there lives Maharshi Valmiki. Who is this fair lady. Three children cries. They bow their heads. The fair lady is Sita. The story was ended in a hurry. The mother hugged three children. The story ended.

This is a 22 line poem. Third person narrative is used in

this poem. The last lines consist of rhetorical question. It is an autobiographical poem. We find alliteration in dense dense forest, center a cleared spot, tall trees, there lucid lake, sad Sita etc. Rhetorical questions in the beginning has been given. Personification is used in the poem. Anafora is used in this poem. It is repetition of words in the beginning of the sentences viz. there there. Poet anchorite is metaphor. Rhetorical question in the beginning has been given.

Sita is an allusion to mythical character. The poem is about loneliness, sadness in life, nostalgia. Love of nature is clearly visible in this poem. All the three poems describe the beauty of landscape, nature, flowers, tree, forest, autobiographical elements.

References:-

1. Indian Writing in English by K. R. S. Iyengar Sterling publishers private limited 1995, pg 70
2. Poetsorg./poems

मुद्रा लोन: बिना गारण्टी ऋण योजना

डॉ. राजेश कुमार सिंह तिवारी*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) राजभानु सिंह स्मारक महाविद्यालय, मनिकवार, जिला रीवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत एक विकास शील अर्थव्यवस्था वाला देश है। आजादी के पश्चात् से औद्योगिक विकास के लिए निरन्तर प्रयास किये जाते रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उद्यमिता को बढ़ाने के लिए नई-नई योजनाएँ प्रयोग में लायी गई। वर्तमान शासन व्यवस्था के अन्तर्गत युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा लोन योजना के अन्तर्गत 8 अप्रैल 2015 को यह योजना मुद्रा योजना के अन्तर्गत प्रारंभ की गई, जिसके तहत गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि छोटे एवं सूक्ष्म उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बिना गारंटी ऋण की सीमा 10 लाख रुपये तक की गई, इससे गैर कृषि उद्यमियों एवं छोटे उद्यमियों को परंपरागत उद्योगों को संचालन करने एवं विकास करने का अवसर मिलेगा।

शोध प्रविधि: शोध के सभी संमक द्वितीयक स्रोतों द्वारा प्राप्त किये गये हैं, सरकार द्वारा प्रकाशित व प्रसारित रिपोर्टों के आधार पर समंक संकलन किया गया है समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं आदि से संकलित आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

विषय विश्लेषण: भारत को उद्यमी राष्ट्र बनाने के लिए छोटे से बड़े उद्यमियों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता आन पड़ी है, देश में बढ़ती युवा बेरोजगारी एवं प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करने की आवश्यकता मुद्रा लोन की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया, क्योंकि समस्त आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन बिना नकद मुद्रा के संभव नहीं साथ ही उद्यमियों के पास गारंटी देने योग्य कोई सम्पत्ति न होने के कारण शासन एवं बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता देना संभव नहीं होता अतः भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा लोन बिना गारंटी के उद्यमियों को देने की योजना प्रारंभ की गई ये लोन 3 श्रेणियों में विभाजित है।

श्रेणी बार ऋण का विवरण

क्र.	श्रेणी	ऋण राशि
1.	शिशु	50,000/- तक
2.	किशोर	50,000/- से 5,00,000/- तक
3.	तरुण	5,00,000/-से 10,00,000 तक

स्रोत- पत्रिका दैनिक 26.10.2024

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शासन द्वारा पहली बार मानव जीवन की तीन श्रेणियों में विभाजित कर ऋण राशि की अलग-अलग सीमाएँ तय की गई हैं, जिनमें से शिशु अर्थात् 14 वर्ष की आयु तक के लिए 50,000 रुपये, 14 से 18 वर्ष के युवाओं को 50,000 से 5 लाख तक तथा 18 वर्ष

से ऊपर तरुण के लिए 10 लाख रुपये तक सीमा तय की है।

सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) में सुधार करते 23 जुलाई 2024 के बजट में (तरुण प्लस) योजनाओं को विस्तारित करते हुए ऋण सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। इससे तरुण को और अधिक राशि से उद्यमिता के लिए बढ़ावा मिलेगा।

योजना पत्रता:

1. उद्यमी भारत का नागरीक हो।
2. उम्र 18 साल से ज्यादा हो।
3. बैंक लिफाल्टर हिस्ट्री ना हो।
4. कॉर्पोरेट संस्था मान्य नहीं।

सीमाएँ: यह योजना युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्मित की गई है जो केवल मुद्रा लोन के माध्यम से पुरी की जाती है। उद्यम के लिए कच्चे माल, मशीनरी एवं स्थल आदि का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकी ये मुद्रा से भी बढ़ी आवश्यकताएँ हैं। शासकीय मशीनरी द्वारा युवाओं को जागरूकता लाने, प्रोत्साहित करने एवं ऋण दिलाने में सहायता आदि करने की कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है।

सुझाव:

1. युवा उद्यमियों को विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक धन, भूमि, कच्चे माल एवं मशीनरी आदि की जानकारी देनी आवश्यक है।
2. मुद्रा के साथ-साथ अन्य आधारभूत संरचनात्मक संसाधनों को भी उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए।
3. उद्यमिता के लिए संसाधनों मूल निरंतर बढ़ते रहने के कारण 20 लाख रुपये की राशि प्रयाप्त नहीं है।
4. उद्यमिता के लिए स्थल पर बिजली पानी, ईंधन, संयन्त्र एवं अन्य प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. ऋण प्रदान करने के पश्चात् समय-समय पर निरीक्षण एवं समीक्षा की जाती रहनी चाहिए।

निष्कर्ष: निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि उद्यमिता को बढ़ाने, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने एवं वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने लिए यह एक अच्छी योजना है, इस योजना को कुछ कमियों को सुधार कर अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

हिन्दी कथा साहित्य में ग्रामीण संस्कृति

मनोज कुमार सरगड़ा*

* हिन्दी साहित्य, मु.पो. गलियाकोट (हरीमगरी) तह. गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – भारत गाँवों का देश है, इसलिए इसकी मौलिक आत्मा, इसका नैसर्गिक सौन्दर्य गाँवों में बिखरा पड़ा है। नगरों में तो इसका अति सीमित और कृत्रिम रूप परिलक्षित होता है। संबंधों का रूप अधिक निकट, प्रत्यक्ष और गहन है। फेचर चाईल्ड के अनुसार- 'ग्राम पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें आमने-सामने के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांशतः सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें मूल आवृत्ति एवं व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है।'

भारतीय जीवन की धड़कन और उसके दर्द को जानने के लिए हमें ग्राम्य जीवन की नरें टटोलनी पड़ती है। नाना प्रकार की समस्याओं से जूझते, अनेक तरह की कुप्रथा और रूढ़ियों के निरर्थक बोझ के ढोते, अज्ञान और अशिक्षा के शीत में ठिठुरते हुए भारतीय गाँव इस देश की जीवन्त करुण कहानी कहते हैं।

सदियों से ग्राम्य जीवन सभ्यता की ढौड़ धूप में पीछे रहा है क्योंकि कृत्रिम सभ्यता 'आधुनिकता' के रूप में शहरों में अपना रंग जमाती है और सरल तथा निःस्पृह जीवन से सम्पृक्त हमारा ग्रामीण मानस अशिक्षा के कारण इसे सहज ही अंगीकार नहीं कर सकता है पर इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हमारे गाँव सदियों से एक ही ढर्रे पर चल रहे हो। यहाँ भी परिवर्तन हुआ है पर अत्यधिक धीमी गति से। भारतीय इतिहास के प्राचीन काल या मध्य काल में गाँवों का जो स्वरूप था, उनकी जो जीवन परिस्थितियाँ थीं, उनके जो विश्वास और मान्यताएँ थीं सभ्यता संस्कृति की उथल-पुथल के साथ-साथ अत्यधिक परिवर्तन परिलक्षित होता है। यहाँ तक कि स्वतंत्रता के तुरन्त बाद के गाँवों में ही बहुत बदलाव आ गया है।

'प्राचीन भारत के गाँव शताब्दियों पर्यन्त संगठित, सामूहिक शान्तिपूर्ण एवं सुनियोजित जीवन अपनी सुव्यवस्था तथा आत्मनिर्भरता के रूप में विख्यात रहा है।' परतंत्रता आते ही मुस्लिम काल एवं अंग्रेजी काल में विकृतियों से इनका स्वरूप उत्तरोत्तर बिगड़ता गया।

आज हमारी संस्कृति का आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्यीकरण हो रहा है पर इसके बावजूद भी हमारी भारतीय संस्कृति का जीवंत रूप हमें अब भी गाँवों में प्राप्त हो ही जाता है। हमारे जीवन की बुनियादी गहराइयों शहरों में न मिलकर गाँवों में ही दृष्टिगत होती हैं। विभिन्न लोकतत्व यथा मेले, त्योहार लोकगीत, लोकगथाएँ, लोकनृत्य, ग्रामीण अंचलों में ही सुरक्षित

मिलेंगे। इन सबकी अभिव्यक्ति हिन्दी कथा में भी मिलती है।

ग्राम परिवेश पर मिलने वाली इधर की कहानियाँ गुणात्मक रूप से उन कहानियों से अलग हैं जो 50-60 के दौरान लिखी गयी थीं। तब की अधिकांश कहानियाँ, शहर से छुट्टियों में लौटे हुए युवक या प्रौढ़ की ऐसी कहानियाँ थीं जो किसी बूढ़े-बूढ़ी, पेड़ या विगत-प्यार के लिए श्रद्धांजलि की तरह लिखी जाती थीं और जब तक यह नायक उनके साथ जुड़ना शुरू करे, तब तक पढ़ाई या नौकरी पर उसके लौटने का समय हो जाता था। हिन्दी की कुछ बेहद सुन्दर रचनाएँ इस दौर में लिखी गयीं, मगर इधर की कहानियाँ ठेठ उन लोगों और स्थितियों के बीच घटित होती हैं और उसको अपना कथ्य बनाती हैं जो वहीं के हिस्से हैं। निश्चय ही इनमें फार्मूलों का सहारा है, स्थितियों के सरलीकरण और एकाकीपन हैं – मगर कथाकारों के सरोकार और सब मिलाकर उभरने वाली सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता... यहाँ इस अंतर्विरोध पर भी निगाह जाती है कि एक ओर तो कथाकार या शिक्षित युवक प्रायः शहरों और बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं और उधर साहित्य में उभर रहे हैं। दूर-दराज में फैले किसान, मजदूर और खेत-खलिहान, पुलिस-राजनेता अफसरों की मनमानियाँ...।

फैलते क्षेत्रों के इस व्यापक विकेन्द्रीकरण ने जहाँ कहानियों में अनंत विविधताएँ, आंचलिक रंगत और जीवन संघर्ष के बेहद महत्वपूर्ण पक्ष दिये हैं वहीं हिंदी पाठकों के सामने संप्रेक्षण का एक और संकट खड़ा कर दिया है। इस संदर्भ में राजेन्द्र यादव कहते हैं कि पिछले दिनों अनेक पाठकों ने बार-बार सवाल उठाये थे कि हिन्दी पाठक से आप कितनी बोलियाँ समझने की उम्मीद करते हैं? कोई लेखक ईमानदारी और प्रामाणिकता से राजस्थानी जिन्दगी, भाषा और मुहावरे दे रहा है तो कोई सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों की कोई छत्तीसगढ़ी, ब्रज या हरियाणवी की ... बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का वर्चस्व तो है ही ... उधर महानगरी मध्यवर्ग तो पूरे के पूरे संवद अंग्रेजी में झाड़ देता है – इस सिरे से उस सिरे तक छापी हुई यह भाषायी विविधता रोमांचकारी जरूर है, लेकिन पाठकीय बोध के लिए सबसे बड़ा संकट भी है। जब तक कहानी विषय या परिवेश के नयेपन और जानकारियों तक ही पाठक को सीमित रखती है तब तक अनुभव की गहराई से उसे नहीं छू पाती.... कहानी की सफलता ही इस बात में है कि इन बाहरी उपकरणों को पार करता हुआ पाठक कथ्य की अंतरंगता से जुड़ता चला जाये। इसके बिना कहानी का अनुभव पाठक का अपना अनुभव नहीं बनेगा – हाँ, उसकी जानकारी में

इजाफा जरूर करेगा। जहाँ तक जानकारियों का सवाल है तो उसके लिए अखबार से लेकर दूर-संचार तक बीसियों और तरीकें हैं - कहानी से ज्यादा प्रामाणिक...।

अतः कहना न होगा कि भौगोलिक विस्तार समेटता हुआ यह विकेन्द्रीकरण यहीं जिस दूसरी समस्या के सामने हमें ला खड़ा करता है, वह है वि-मानकीकरण। जब चीजें अपने आकार में फैलती हैं तो उनके रूप भी वह नहीं रहते, वे भी टूटने, बिगड़ने या बदलने लगते हैं। हम जिन मूल्यों मान्यताओं, अचार-व्यवहार या भाषा-बोली की अभ्यस्त मानसिकता में बने रहना चाहते हैं, उसे सबसे अधिक झटका देता है यह वि-मानकीकरण। शोषण और संघर्ष की सारी समानताओं और समान्यताओं के बावजूद कहानियों में सबसे अधिक उभकर आने वाले इस भाषायी वि-मानकीकरण को अपने मूल में यथास्थिति के खिलाफ किसी गहरे असंतोष या विद्रोह की सहज अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। जिन्दगी की नींव में जब दरारें पड़ने लगती हैं तो प्रारंभिक चेतावनियाँ भाषा के स्तर पर ही सुनाई देती हैं। मानकीकरण का अर्थ ही होता है यथास्थितिवाद, ठहरे हुए पानी का निथरते जाना अर्थात् कुलीनतावाद। भीतर की खलबलाहट सबसे पहले इसी शीशे की तरह ठहरी बेदाग सतह को झकझोरती है...।

शब्द, भाषा, वाक्य और संपूर्ण विन्यास का यह वि-मानकीकरण जो आज हमें एक खास तरह की अराजकता या अव्यवस्था लग रहा है हो सकता है किसी कैचुली उतारते सांप की भीतरी कसमसाहट हो... बहरहाल, सारे विकासशील समाज और भाषा अपनी प्रगति और बदलाव की प्रक्रिया में ऐसी एनार्की और कैऑस से बार-बार गुजरते हैं और फिर पहले से बड़े या व्यापक स्तरों पर केन्द्रीकरण या मानकीकरण की क्रिया शुरू होती है ... कहानी की भाषा की नब्ज तो कम से कम यही संकेत दे रही है कि सारे शरीर में कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले से अलग है... यानी यह मानसिकता के व्यापक बदलाव की सूचना है। उर्दू या अंग्रेजी में दशकों तक मानकीकरण का अतिरिक्त या अतिशयोक्तिपूर्ण आग्रह कहीं उन भाषाओं के बोलने वालों की अवरुद्ध मानसिकता को ही रेखांकित करता था... भाषाई आभिजात्य या कुलीनता का दंभ अपनी जड़ता को लेकर अतिरिक्त तुनकमिजाजी से पैदा होता है। हम इस मानकीकरण की हाथीदांती मीनारों में आत्ममुग्ध बैठे रहे हैं और आस-पास वि-मानकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है - हमारे द्वीप के किनारे काटती सीमाएँ निगलती...।

कथाकार ज्ञान प्रकाश का मानना है कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने व्यक्ति, परिवार एवं समाज के सन्तुलन को भंग कर दिया है। धन-केन्द्रित समाज व्यावस्था ने सभी मानवीय गुणों को तिलांजलि दी है। बाजारवादी तंत्र ने व्यक्ति व समाज को अपने जाल में फंसा दिया है। असीम धन की चकाचौंध ने महानगरीय जीवन में संस्कृति के स्थान पर कुसंस्कृति पैदा की है यहाँ कारपेट वर्ल्ड... चुमना वाइन। वेल्थ एवं बयानबाजियाँ चल रही हैं।

ज्ञान प्रकाश विवेक की 'इमारें' शीर्षक कहानी में उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रतीक के रूप में एक सिंगल स्टोरी और मल्टी स्टोरी इमारत को दिखाया है। मल्टी स्टोरी इमारत सिंगल स्टोरी इमारत को हिकारत की दृष्टि से देखती है और बुद्धिया सम्बोधन करके कहती है बुद्धियों, गुजर चुका तुम्हारा जमाना। हमारा जमाना है अब हमारे अन्दर झाँककर देखो, सब कुछ वेलफरनिश्च। नो इमोशन। नो रिलेशन। सब प्रैक्टिकल। हर फ्लोर डेकोरोटिड। वाल टु

वालकारपेट। तुम जहाँ खत्म होती हो, हम वहाँ से शुरू होती हैं। ... हमें हमारे अहंकार से नापना। सिंगल स्टोरी से रहा नहीं गया। बोली - जानती हैं, ग्यारह सितम्बर को क्या हुआ था? ... अहंकार ध्वस्त हुआ था। ऊँचाई सिर के बल गिरी थी। शक्ति के भीतर का खोखलापन जाहिर हो गया था। अपनी बुलन्दी कद-काठी का जश्न मनाते दो टावर, ताश के घर की तरह गिरे। ... दूसरे के पैरों पर नहीं। वह अपने पैरों पर गिरता है, जैसे कि टावर।

सिंगल स्टोरी अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए खुदा पर भरोसा, प्रेमत्र, भाईचारा, करुणा, दया, ममता आदि की भावनाओं से युक्त स्वस्थ एवं सभ्य सामाजिक जीवन का संघर्ष करती है।

अतः उत्तर आधुनिक पूँजीवादी व्यवस्था की जड़े बेईमानी, चापलूसी, भ्रष्टाचाररूपी खम्भों पर टिकी हुई है। जो कोई ईमानदारी से उस भ्रष्ट व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करता है वह खुद व्यवस्थारूपी आक्टोपस की चंगुल में फँस जायेगा जिस तरह 'उजाड़' शीर्षक कहानी का नायक वासन फँस गया है। 'व्यवस्था व्यक्ति एवं समाज को व्यवस्थित करने के लिए का सिद्धान्त इस उत्तर आधुनिक युग में कोरा बकवास बन गया है।' व्यवस्था छीनते-छीनते कितना कुछ छीन लेती है। जब आदमी की जमीन छीनकर उसे तसल्ली नहीं होती तो वह उसके पाँव छीन लेती है। उत्तर आधुनिक बाजारवादी व्यवस्था इतनी क्रूर और निरसंग है कि दीन-हीनों के दुख-दर्द को नजरअन्दाज करती है।

इसी प्रकार ज्ञानप्रकाश विवेक की 'अर्थ' शीर्षक कहानियाँ इस क्रूर व्यवस्था की झांकियाँ प्रस्तुत करती हैं। पहली कहानी में गरीब स्त्रियाँ गुजारा करने के लिए हजार पत्ते के बदले दस रुपये पाने के लिए कमर में बंधे कपड़ों में दर्राती खोंसकर मेंढक की तरह पेड़ों पर चढ़कर पत्ते तोड़ती हैं और उसे बाजार में बेचती हैं जबकि ट्रिस्ट केन्द्रों में खूबसूरत जवान एवं छरहरी लड़कियाँ नाजो अन्दाज, के साथ चाकलेट खा रही हैं और उसकी माँ व्यूटी पार्लरों में ढलती उम्र में मुठभेड़ करती हैं।

कमोवेश ग्राम्य जीवन के परिप्रेक्ष्य में कथा साहित्य के सम्राट प्रेमचन्द ने एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में ग्रामीणों के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन का चित्रण किया है। मध्यवर्ग के लिए परिवार उपभोग का केन्द्र होता है, लेकिन किसान के लिए परिवार उत्पादन का केन्द्र भी होता है। किसान के पारिवारिक सम्बन्ध उत्पादन के संबंध भी होते हैं। उत्पादन कर्म में सारा परिवार एक साथ लगता है। इसलिए किसान बिना परिवार के नहीं रह सकता। मध्यवर्गीय मेहता अविवाहित रह सकते हैं लेकिन होरी के अविवाहित जीवन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। वह स्वाभाविक और पारिवारिक जीवन जीना चाहता है।

किसान अपनी चेतना से संयुक्त परिवार का पक्षपाती होता है। प्रेमचन्द ने दिखाया है कि नयी व्यवस्था के दबाव से यह संयुक्त परिवार टूट रहा है और इस टूटते हुए संयुक्त परिवार को बचाने के लिए किसान अथक प्रयास कर रहा है। इसमें कभी वह सफल होता है और कभी असफल होता है। संयुक्त परिवार को बचाने के इस संघर्ष में किसान अपनी सामर्थ्य और इच्छा शक्ति के सहारे सफल होता है। और ऐतिहासिक परिस्थितियों के दबाव से असफल होता है। संयुक्त परिवार के बिखर जाने के बाद भी किसान उन संबंधों को मानता और निबाहता रहता है। तात्पर्य यह है कि संयुक्त परिवार के विघटन के बाद भी चेतना के स्तर पर किसान संयुक्त परिवार में ही रहना चाहता है।

इस तरह प्रेमचन्द साहित्य में भारतीय किसान के परिवार का वह संक्रमण काल अभिव्यक्त हुआ है, जब संयुक्त परिवार में विघटन तीव्र हो गया था। इस विघटनकालीन संयुक्त परिवार में सदस्यों के आपसी संबंधों के ताने-बाने, तनाव, अन्तःसंघर्ष, अन्तर्विरोध और टूटन की अभिव्यक्ति प्रेमचन्द की रचनाओं में हुई है। उनके साहित्य में 'नये' परिवार के बन जाने का चित्रण तो है, लेकिन उनको सामाजिक और नैतिक विराधे का सामना करना पड़ रहा है। समाज उसे वांछित रूप में नहीं, बल्कि नियति के रूप में मानने के लिए मजबूर है। इस विशिष्ट ऐतिहासिक दौर में किसानों की पारिवारिक स्थिति का चित्रण प्रेमचन्द साहित्य में भी मिलता है।

प्रेमचन्द ने परिवार का वर्णन करते हुए इस तथ्य को बड़े दर्द से रेखांकित किया है कि संयुक्त परिवार टूट रहा है। संयुक्त परिवार सिर्फ संस्था नहीं है बल्कि मानवीय संबंधों की मानवीयता की स्थायी और ठोस अभिव्यक्ति है। परिवार टूटने के साथ ही यह मानवीयता भी टूट जाती है। इस टूटने के दर्द को किसान पात्र झेलते हैं और अक्सर विघटन के दिन परिवार का मुखिया इस गम में खाना नहीं खा पाता। लेकिन प्रश्न यह है कि भारतीय किसान की परम्परागत चेतना का मूर्तिमान रूप-संयुक्त परिवार अब टूट क्यों रहा है? प्रेमचन्द और उनके किसान पात्रों के विचार क्या हैं? वह जानना भी आवश्यक है।

प्रेमचन्द साहित्य के अध्ययन से पता लगता है कि उन्होंने इसका कोई ठोस और तर्कसंगत जवाब नहीं दिया है। इस समस्या के बारे में लेखक के विचार उसके पात्रों के विचारों से मिलते हैं। संयुक्त परिवार के समर्थन में एक तर्क तो यह भी दिया जाता है कि यह व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ है। 'सवा शेर गेहूँ' में प्रेमचन्द ने लिखते हैं, ... शंकर किसान से मजूर हो गया।

उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किन्तु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया।

इसके टूटने के कारणों में सबसे प्रमुख नयी बू की संकुचित दृष्टि को माना गया है। जब तक घर में कोई नया प्राणी नहीं आ जाता, तब तक पारिवारिक जीवन में सुख-शान्ति रहती है, लेकिन ज्यों ही वह आती है परिवार के सभी सदस्यों के आपसी संबंध बदल जाते हैं और आज्ञाकारी बेटा भी अनुशासनहीन होने लगता है। 'अलव्योज्ञा' कहानी में भी इसी

परिवार के विघटन की जिम्मेदार रगड़ की बहू मुलिया को ठहराया गया है। मुलिया सोचती है और कहती भी है कि 'मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे, और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईसजादे बने घूमें। मुलिया से यह बर्दाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी न करेगी। अपने लड़के तो अपने ही होते ही नहीं भाई किसके होते हैं।'

संयुक्त परिवार में यह असमान श्रमविभाजन तो सदियों से रहा है, लेकिन इसका विरोध अब इतना तीव्र क्यों हो गया है? इसका कारण है लाभ की व्यक्तिगत चेतना। पहले परिवार गुमान जैसे निठल्ले खप जाते थे लिहाज और स्नेहवश दूसरे भाई भावज कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन 'व्यक्तिवाद' के कारण वह 'लिहाज' उठता जा रहा है और तब पहले जब इस प्रकार बातें करती थीं, तो मर्द उन्हें चुप करा देते थे। लेकिन अब स्थिति बदल गयी है। 'शंखनाद' का बितान खुद तो लिहाजवश कुछ नहीं पाता, लेकिन जब उसकी पत्नी अलव्योज्ञे का समर्थ करती है तो उसे अच्छा लगता है। इसमें भानुदत्त को गुमान का छेलापन उतना नहीं खलता जितना उसके बेटों का खलता है। इसका कारण दो पीढ़ियों की अलग अलग चेतना है।

अतः कहना न होगा कि आज परिवार टूट रहे हैं। ग्रामीण जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। ग्रामीण संस्कृति का ढांचा चरमरा रहा है। आज परिवार के बीच एकाकीपन समा रहा है। साथ ही बाजारवाद की चकाचौंध और उपभोक्तावादी संस्कृति की दस्तक ने पुराने जीवन मूल्यों को नेस्तानाबूद कर स्व संस्कृति को जन्म दे रही है जो देश, समाज एवं परिवार के लिए घातक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ० ज्ञान अस्थाना : हिन्दी उपन्यासों में ग्राम समस्याएँ।
2. प्रो० कमला प्रसाद : देशवन्धु, दैनिक समाचार पत्र में प्राकशित स्तम्भ - बदलती दुनिया बदलते इन्सान, से उद्धृत।
3. राजेन्द्र यादव - कहानी : अनुभव और अभिव्यक्ति।
4. ज्ञान प्रकाश विवेक - शिकारगाह।
5. सी.एम. येहन्नान - समकालीन हिन्दी कहानी : अन्तरंग परिचय।
6. प्रो. रामबक्ष - प्रेमचन्द और भारतीय किसान।
7. प्रेमचन्द - गोदान से।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पश्चिमी मध्यप्रदेश की जनजाति का योगदान

सुनिल चौहान*

* शोधार्थी, श्री कृष्णरावजी पंवार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवास (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति का अप्रतिम योगदान रहा है। पश्चिम मध्यप्रदेश के कई जनजाति योद्धा हुए जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मोर्चा बनाकर विद्रोह किया जिसमें भीमा नायक, खवाजा नायक, टंट्या भील, सीताराम कुंवर आदि थे। इन जनजाति क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ निरंतर सशस्त्र आंदोलन जारी रखा इस शोध पत्र के माध्यम से पश्चिम मध्यप्रदेश की भील जनजाति क्रांतिकारी योद्धाओं का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान का संक्षिप्त विश्लेषण किया गया।

प्रस्तावना - पश्चिमी मध्यप्रदेश का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय वनों से आच्छादित है। यहाँ पश्चिमी मालवा का पठार पश्चिमी नर्मदा घाटी निमाड़ और पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला आती है। पश्चिम मध्यप्रदेश का क्षेत्र वैज्ञानिक दृष्टि से आदिकाल में गोंडवाना लैंड का भूभाग था जिसके अंतर्गत बड़वानी, खरगोन खंडवा बुरहानपुर, रतलाम, धार, झाबुआ एवं अजीराजपुर इत्यादि जिला आते थे।²

जनजातियों के प्रारंभिक इतिहास के बारे में प्रमाणिक सामग्री का अभाव है। भील शब्द की उत्पत्ति संक्षिप्त भाषा में 'भिल्ल' शब्द से मानी जाती हैं।³ भीलों की प्राचीन संस्कृत साहित्य, महाभारत, रामायण, बौद्ध कालीन एवं जैन साहित्य में चर्चा मिलती है। किसी समय इस जनजाति की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता थी और मध्य भारत में भील सरदारों के कई छोटे-छोटे राज्य फैले हुए थे। प्राय भीलों का राजपूतों से संघर्ष होता रहता था। दसवीं शताब्दी तक चंपारण क्षेत्र के अतिरिक्त संपूर्ण रेवा कथा का क्षेत्र कोली एवं भीलों के अधीन था। किंतु 13वीं शताब्दी के आसपास यह संपूर्ण क्षेत्र राजपूतों के अधीन आ गया।

इसी कारण भीलों में स्थिरता नहीं आ पाई और वे विवश होकर लूटपाट करने लगे। यहां कार्य 1818 तक जारी रहा।

किंतु भीलों के इस कृत्य पर सर जॉन मालकॉम के काल में नियंत्रण किया गया। इसके लिए इन्हें स्थायी रूप से बस्ती देकर बसाने के लिए प्रेरित किया गया एवं यहीं से इनके अंदर परिवर्तन आया और शांति से जीवन यापन करने की प्रवृत्ति विकसित हुई। सन 1818 ई के तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा पराजय के उपरांत इनका क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में आ गया। ब्रिटिश सरकार ने अब नए सिरे से राजाओं एवं जमींदारों से अलग-अलग इकरारनामा किया। यह देशज राजा आदिवासियों को आदिवासी की दृष्टि से देखते थे। उनके मन में इनके लिए कभी आदर सम्मान की भावना नहीं थी। राजाओं के इस दोहरे चरित्र के कारण जनजाति जान भाषा धन सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति में पिछड़ते गए। इसी कारण कालांतर में यह स्थिति प्रतिकार के रूप में परिवर्तित हो गई।

जनजातीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति देशज राजाओं के दृष्टिकोण समझने के लिए इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग में वे राजा आते थे जो जनजातियों के हितेषी थे और उन्होंने स्वयं जनजातियां विद्रोह एवं आंदोलन का नेतृत्व किया तथा इसमें भाग ले रही जनजाति क्रांतिकारियों का यथाशक्ति सहयोग एवं संरक्षण भी दिया। उदाहरण के लिए बिरदा के टंट्या भील एवं बड़वानी के ढाबा बावड़ी के भीमा नायक के विद्रोही कार्य की जानकारी होकर राजा एवं बड़वानी के राजा जसवंत सिंह को होने के बाद भी इन्होंने अंग्रेजों को इनकी सूचना नहीं दी।

देशज राजा कालांतर में इतनी शक्ति संपन्न नहीं रह गए थे कि वह अकेले अंग्रेजों के विरुद्ध जा सके किंतु वह अंदर ही अंदर चाहते थे कि अंग्रेजों का संपूर्ण नाश हो। द्वितीय वर्ग में आने वाले देशज राजा अंग्रेजों के चमचे बने रहे और उन्होंने जनजातियों के शोषण एवं विद्रोह के दमन करने में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। उदाहरण के लिए सन 1831 में धार राज्य के भीलों के विद्रोह को दबाने के लिए धार के राजा ने आउट्रम से मदद मांगी थी।⁴

आउट्रम ने सूझ बूझ से काम लेते हुए पहले उन्हें अपना मित्र बनाया और राजा और प्रजा के बीच वह अपनी पैठ बनाने में सफल हो गया और उसने कांटे से काटा निकालने की युधत को आत्मसात करते हुए भीलों के विरुद्ध भीलों को खड़ा करने के लिए 'भील कोर' का गठन कर दिया।⁵ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक अन्य घटनाक्रम में नागपुर क्षेत्र के गोंड जमींदार बापुराव एवं वेंकट राव को पकड़ने में अहिरी के जमींदारों द्वारा अंग्रेजों की सहायता की गई थी।⁶

संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि मध्य भारत में ऐसे कई जनजाति योद्धा थे जिन्होंने इस आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व झोंक दिया। इन आजादी के मतवाले क्रांतिकारी में से भीमा नायक, खवाजा नायक, सीताराम कुंवर, टंट्या भील, आदि क्रांतिकारी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-

भीमा नायक - स्वतंत्रता संग्राम में निमाड़ के भीलों को प्रेरित करने वाले

यहां क्रांतिकारी योद्धा भीमा नायक का जन्म 1815 ई हुआ था। बाल्य काल में ही गोफन तीर कमान चलाने में माहिर था और उसे सशस्त्र ज्ञान उसके पिता रामा नायक ने सिखाया था। भीम का क्रांतिकारी बनने में परिवार के महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंग्रेजों की शोषणकारी एवं अत्याचार नीति से मुक्ति के लिए 1837 उन्होंने सैनिक टुकड़ी बनाई और 500 भील सैनिक तैयार किये। भीमा नायक ने 1840 से 1864 तक अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों का नेतृत्व किया था। किंतु 2 अप्रैल 1867 का पुलिस ने उन्हें बंदी बना लिया जिससे उनके द्वारा संचालित क्रांतिकारी गतिविधियों समाप्त हो गई।⁷

ख्वाजा नायक—ख्वाजा नया के सेंधवा घाट के वार्डन गुमान नायक का पुत्र था पिता की मृत्यु के बाद ख्वाजा नायक को 1833 में सेंधवा घाट का वार्डन बनाया गया 1850 में तत्कालिक सरकार ने एक हत्या के अरब में 10वर्ष की सजा दी और 1856 में ही उसे रिहा कर दिया गया तथा ख्वाजा नायक को सेंधवा घाट के वार्डन की नौकरी वापस मिल गई ख्वाजा नायक नौकरी में रुचि ना रख कर स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया और 7 अक्टूबर 1857 को महादेव नायक देवरिया नायक अपने साथियों के साथ थोड़ा जनक सांगली आए और खान देश में सिरपुर को लूटने में खजाना के सौन्ग का हाथ था लूटा हुआ सभी माल गरीबों में बताते थे गोवा जनक का दिल पर और भी लोगों को भी ख्वाजा में पर पूरा विश्वास था सिरपुर के 5 किलोमीटर क्षेत्र के आसपास के सभी दिन ख्वाजा नायक के संगठन से जुड़े थे।⁸ 1857 का स्वतंत्रता समर समाप्त होने के बाद भी ख्वाजा नायक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्षजारी रखा। ख्वाजा को पकड़ने के लिए षण्यंत्र रचा गया सादे वेश में और बहुत दिन मकरानी जमादार को नौकरी की खोज में भेजा गया और कुरान एवं बैल की कसम लेकर वफादारी का वादा किया ख्वाजा नायक सूर्य की और मुंह करके खड़े थे तब 6 अक्टूबर 1860 को रोज दिन में गोली मार दी थी ख्वाजा नायक एक जमीन पर गिर गए।⁹

सीताराम कुंवर—सीताराम कुंवर भिलाला जनजाति के क्रांतिकारी थे। बडवानी क्षेत्र से स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज उठाई और भीमा नायक और ख्वाजा नायक पर जब-जब अंग्रेजों की दमनात्मक कार्रवाई हुई तब तब सीताराम कुंवर ने क्रांतिकारियों की कमान संभाले भील भीलालों को एकत्रित कर संगठन बनाया। बाल सुमंद चौकी पर 30 सितंबर 1858 को अधिकार कर लिया और जमुनी चौकी को आग का हवाला दे दिया, सीताराम कुंवर पर रुपये 500 का इनाम भी अंग्रेजों ने घोषित किया था। सीताराम कुंवर और ब्रिटिश सेना के बीच बडनामक स्थान पर युद्ध हुआ और युद्ध में हार हुई सीताराम कुंवर और हवलदार ज्वाला में मारे गए थे।¹⁰

टंट्या भील—खंडवा जिले के तहसील पांधना ग्राम बिरदा में सन् 1824 से 1827 के बीच जन्म हुआ। पिता का नाम भाउ सिंह और माता का नाम जीवनी थी। टुंडरा बचपन का नाम था। निशानेबाज घुड़सवारी गोफन चलाने में निपुण था। पटेल द्वारा कर अधिक और अत्याचारी था गांव के आदिवासी पर जोर लुलुम करता था टंट्या भील के माता-पिता की हत्या पटेल और उसके चमचो द्वारा की गई।

टंट्या भील पटेल का विरोध किया तो पटेल ने आदिवासी की बस्ती को जला दिया और शाही लोगों महिलाओं एवं बच्चों की रक्षा के लिए कसम खाई और बदला लेने की थाने तथा अंग्रेजों के सरकारी खजाना और जमींदार साहूकार और चमचो के धन को लूटना और गरीबों में जरूरतमंद को देते थे। गरीबों का मसीहा कहा जाता था इन्हीं वजह से अंग्रेज 'इंडियन रोबिन हुड' की उपाधि दी थी टंट्या भील के साथ 10 अगस्त 1889 गणपत ने विश्वासघात किया और एक योजना बुद्ध तरीके से पकड़ लिया गया। टंट्या भील को धर्म ने कलाई में राखी नहीं बांधी बल्कि हथकड़िया बंधवाई 4 दिसंबर 1889 को रिटर्न टेबल का जबलपुर जेल में फांसी दे दी गई।¹¹

निष्कर्ष—संपूर्ण आंदोलन के प्रत्येक विभाग एवं कालखंड पर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि मध्य भारत के पश्चिम में मध्यप्रदेश क्षेत्र के उन जनजातीय योद्धाओं की कमी नहीं है जिन्होंने इस स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में अपने प्राणों का उपसर्ग कर दिया परंतु युवा पीढ़ी इन्हें विस्मृत कर बैठी यह शोध पत्र स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में स्थानीय स्तर पर की एक कड़ी के रूप में होगा जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास मूक एक अंतराल को पूरा करेगा। इन गुमनाम धूमिल पत्रों से चुन चुन कर इन वीर बलिदानी क्रांतिकारियों के योगदान को उजागर कर राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर उपयोगी एवं प्रासंगिक बनाने का प्रयत्न किया गया है

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वर्मा डॉ. राजेंद्र, मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, संचालनालय संस्कृति विभाग मध्यप्रदेश, भोपाल 1994 पृ 02.
2. वही पृष्ठ क्र. 02.
3. वसंत, निर्गुण एवं गहलोत भानुशंकर, पिथौरा भाल जनजातीय चित्रांकन और मिथक कथाएं।
4. सिंह अयोध्या, भारत का मुक्ति संग्राम, दिल्ली 2001 पृ. क्र. 163.
5. भगवान दास श्रीवास्तव 1857 के स्वाधीनता आंदोलन मे मध्यप्रदेश के आदिवासियों का योगदान पृ. क्र. 11.
6. शुक्ला, डॉ. हीरालाल बस्तर का मुक्ति संग्राम, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. क्र. 125.
7. लुनिया बी एन, मध्य भारत में विद्रोह, स्वराज संस्थान संचालनालय, भोपाल, 2004 पृ. क्र. 345-369.
8. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली पॉलिटिकल सप्लीमेंट्री प्रोसिडिंग्स क्र. 191-192 जुलाई 1867, पालिटिकल ए गवर्नर जनरल के एजेंट के प्रथम सहयोग एजेंट की ओर से भारत सरकार को संबंधित पत्र संख्या 35-161 दिनांक 20/07/1837.
9. सिमक खानदेश भील कोर ए. के. प्रिंगल का पत्र दिनांक 24/05/1841 पृ. क्र. 252, 211.
10. तिवारी, श्रीराम, 1857 स्वतंत्रता संग्राम के रणबांकुरे स्वराज संस्थान संचालनालय, भोपाल, 2008 पृष्ठ क्रमांक 38-39.
11. The superintendent of central jail Jabalpur I-506I Date 24/11/89/

Human Rights & Climate Change: Remedies of Environment Protection in World

Anamika Arora*

*Research Scholar, Apex University, Jaipur (Raj.) INDIA

Introduction - The Climate change is already threatening people's guaranteed rights. It is affecting rights such as the rights to life and health, to food, water and housing. In the case of small island states it touches on the very right to exist. The number of climate-related lawsuits is rising worldwide – including in India, Nepal, Pakistan and Bangladesh. This article summarizes the links between human rights and climate change, comments on the implications and profiles some of the climate-related court cases.

The droughts that accompany global warming are affecting food security. Fluctuating precipitation and the salivation of lakes and rivers put drinking water supplies at risk. Extreme weather events pose a direct threat to life and health and destroy people's homes. Island states could be wiped out by rising sea levels. Climate change is thus having a direct and adverse impact on fundamental rights and Human Rights that are enshrined in international conventions and often also in national constitutions. Ten years ago the UN Human Rights Council (UNHRC) 1 was already noting that "climate change-related impacts have a range of implications, both direct and indirect, for the effective enjoyment of human rights.

In relation to climate change, human rights are relevant at two levels. Firstly, climate change mitigation measures must comply with human rights principles. Secondly, there are questions to be answered about the extent to which anthropogenic climate change is itself a breach of human rights. It is this issue that forms the focus of the present article.

The Climate change impacts, directly and indirectly, an array of internationally guaranteed human rights. States have an affirmative obligation to take effective measures to prevent and redress these climate impacts, and therefore, to mitigate climate change, and to ensure that all human beings have the necessary capacity to adapt to the climate crisis.

It is now generally agreed that human rights impose an obligation on states to not only respect these rights but also to protect and fulfill them. For human rights to be

infringed, it is thus not necessary for the state itself to interfere with people's rights through its own actions: in principle an infringement can also occur if the state fails in its duty to protect people against infringements by third parties.

The UN's Guiding Principles on Business and Human Rights confirm that states have a duty to protect human rights against threats from economic actors, while economic actors have a duty to respect human rights. Furthermore, there is a right to compensation if human rights are infringed by the actions of economic actors.

In the case of climate change, which poses a direct threat to several human rights, the state therefore has a duty to take active steps to avert climate change. The state must as far as possible prevent adverse impacts on human rights and ensure that all people are enabled to adapt to climate change in the best possible way.

All States should be accountable to rights holders for their contributions to climate change including for failure to adequately regulate the emissions of businesses under their jurisdiction regardless of where such emissions or their harms actually occur."

Each case of climate change must be very carefully examined to determine which legal text contains the right that is being claimed, in what constellation it is applicable, who is obligated by it and whether legal action can be brought. Human rights are contained in various legal sources that take different forms. For example, the Universal Declaration of Human Rights is not legally binding. By contrast, basic rights and human rights that are enshrined in national constitutions – including in India's Basic Law– can be invoked before a court, as can the rights contained in the European Convention on Human Rights and the European Charter of Fundamental Rights. In the case of climate change, there is a further difficulty in the form of the extensive leeway that states have. When it comes to enforcing protective duties, the courts are extremely reluctant to determine that a right has been infringed: under the system of separation of powers, it is not for the courts to take policy decisions that are the

responsibility of the democratically legitimated legislature or the government. The courts therefore step in only when the measures that are taken are clearly inadequate. Does this mean that no further legal protection is accessible in connection with climate change? After all, by adopting the Framework Convention on Climate Change the states have committed themselves at international level to action on climate change, and most countries also have a national climate policy. It is not sufficient.

As emphasized by the United Nations Human Rights Council in its Resolution 26/27, climate change is an urgent global problem requiring a global solution. The Council called for international cooperation to implement the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2 in order to support national efforts for the realization of human rights affected by climate change related impact. The Council affirmed that “human rights obligations, standards and principles have the potential to inform and strengthen international, regional and national policymaking in the area of climate change, promoting policy coherence, legitimacy and sustainable outcomes.

In recognition of these facts, the Human Rights Council held a full-day panel discussion on human rights and climate change on 6 March 2015. The discussion addressed challenges posed by climate change towards the realization of all human rights for everyone, particularly those in vulnerable situations, and the adverse impacts of climate change on States’ efforts to progressively realize the right to food. Panelists, who included eminent speakers representing United Nations Member States, intergovernmental organizations, civil society and academia, recommended forward-looking rights-based solutions to address climate change.

This submission to the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change is an outcome of the above-mentioned panel discussion that is complemented by human rights commentary and analysis. It is intended to inform climate action and policy at all levels including the work of the Conference of the Parties to the UNFCCC (COP) and to further elucidate the critical links between human rights and climate change identified by panelists. The Panelists highlighted a number of human rights challenges resulting from or exacerbated by climate change as well as efforts to mitigate and adapt to it. They stressed the importance of ensuring transparency and participation, especially of those most affected, in all climate-change.

They made an unequivocal call for integration of human rights in COP 21 (2015 Paris) and highlighted the impacts of climate change on the enjoyment of human rights. Panelists’ comments inform the structure of this document which begins with a background discussion of the human rights implications of climate change and the global discourse so far. It then proceeds to elaborate upon the legal basis of specific human rights affected by climate

change, the factual basis for alleged human rights violations caused by climate change, and recommendations for a rights-based approach to climate change.

Human rights are universal legal guarantees that protect individuals, groups and peoples against actions and omissions that interfere with their fundamental freedoms and entitlements. Human rights law obliges governments (principally) and other duty-bearers to respect, promote, protect and fulfill all human rights. Human rights are universal and are based on the inherent dignity and equal worth of all human beings. They are equal, indivisible, interrelated and interdependent, and cannot be waived or taken away. Furthermore, human rights (HR) 3 are legally protected, and impose obligations in relation to actions and omissions, particularly of States and State actors.

It is now beyond dispute that climate change caused by human activity has negative impacts on the full enjoyment of human rights. Climate change has profound impacts on a wide variety of human rights, including the rights to life, self-determination, development, food, health, water and sanitation and housing. The human rights framework also requires that global efforts to mitigate and adapt to climate change should be guided by relevant human rights norms and principles including the rights to participation and information, transparency, accountability, equity, and nondiscrimination.

Simply put, climate change is a human rights problem and the human rights framework must be part of the solution. The Fifth Assessment Report (AR5) by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)⁴ unequivocally states that “human influence on the climate system is clear, and recent anthropogenic emissions of green-house gases are the highest in history. It notes that “recent climate changes have had widespread impacts on human and natural systems.

Human rights based approach addresses cross cutting social, cultural, political and economic problems, while empowering persons, groups and peoples, especially those in vulnerable situations. This can make considerable contributions to climate change policies, making them less myopic and more responsive, sensitive, and collaborative.

All the States are obligated to respect, protect, promote, and fulfill all human rights for all people. This includes an affirmative obligation to prevent foreseeable harms including those caused by climate change. The UN Charter, the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)⁵, and the UN Declaration on the Right to Development all make clear that State human rights obligations require both individual action and international cooperation.

According to the Universal Declaration of Human Rights everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms therein can be fully realized and everyone has duties to the community. Similarly, the

ICESCR declares that States should “take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of their available resources, with a view to achieving progressively the full realization of rights recognized in the present Covenant”.

The Declaration on the Right to Development further calls on States to establish through their individual and collective actions, national and international conditions favorable to the realization of the right to development and all human rights including through international cooperation to provide developing countries “with appropriate means and facilities to foster their comprehensive development”.

It also emphasizes that “all human beings have a responsibility for development, individually and collectively and they should therefore promote and protect an appropriate political, social and economic order for development”.

The Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR)⁶ and other human rights instruments make it clear that all persons who suffer human rights harms are entitled to access to effective remedy. The Human Rights Council panel repeatedly called for climate justice and immediate action to mitigate and adapt to climate change.

The principle of equity, including intergenerational equity, is also specifically recognized in the UNFCCC which calls for all parties to “protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities”. In spite of the above, State commitments under the UNFCCC have so far failed to provide for and ensure the implementation of adequate mitigation and adaptation measures to limit climate change and its adverse effects on human rights, the economy, public health and the environment.

The UNFCCC is a framework convention and it is open to evolution and continuing negotiations. There is a high degree of hope that the agreement negotiated at COP21 in Paris and any subsequent agreements will raise the level of ambition of climate action in order to protect human rights from the adverse effects of climate change. In these negotiations and throughout related processes, the human rights principles of transparency, participation and accountability have an important role to play. The Participation is a basic human right in itself, and a precondition or catalyst for the realization and enjoyment of other human rights.

Affected individuals and communities must participate, without discrimination, in the design and implementation of these projects. They must have access to due process and to remedy if their rights are violated. During the panel discussions, the importance of a rights-based approach to climate change was raised frequently.

These factors are essential in supporting developing countries, including through finance and technology. According to Mary Robinson, a human rights based approach to development should focus on fulfilling for all persons the minimum conditions necessary for a life of human dignity. Faced with climate change, persons in vulnerable situations must have their rights protected, obtain access to measures of adaptation and resilience, and receive the support of the international community. A rights-based response should also maximize inclusion, participation and equality.

Critically, it is not enough to simply focus on ensuring that climate actions respect human rights. A rights-based approach requires States to take affirmative actions to respect, protect, promote and fulfill all human rights for all persons. Failure to prevent foreseeable human rights harms caused by climate change, or at the very least to mobilize maximum available resources in an effort to do so, constitutes a breach of this obligation. Human rights obligations apply to the goals and commitments of States in the area of climate change and require that climate actions should focus on protecting the rights of all those vulnerable to climate change starting with those most affected.

Human rights principles articulated in the Declaration on the Right to Development and other instruments call for such climate action to be both individual and collective and for it to benefit all persons, particularly the most marginalized. The UNFCCC further elaborates upon the need for equitable climate action calling for States to address climate change in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities in order to benefit present and future generations. State commitments therefore require international cooperation, including financial, technological and capacity-building support, to realize low-carbon, climate-resilient, and sustainable development, while also rapidly reducing greenhouse gas emissions.

Only by integrating human rights in climate actions and policies, and empowering people to participate in policy formulation, can States promote sustainability and ensure the accountability of all duty-bearers for their actions. This, in turn, will promote consistency, policy coherence and the enjoyment of all human rights.

The relationship between climate change and the enjoyment of human rights is both too complex and too vast to fully describe here. Instead, this Part focuses on specific examples referred to by panelists during the March 2015 discussion at the Human Rights Council. In this context, it is critical to remember that although specific rights may be discussed separately, all human rights are universal, inalienable, indivisible, interdependent and interconnected. A preventable violation of one right can have far-reaching consequences for other, and in some instances, all human rights.

The Human Rights are most affected by climate change

The Right to life - According to the Universal Declaration of Human Rights “everyone has the right to life, liberty and security of person.” The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)⁷ reiterates that “every human being has the inherent right to life.” All States have committed to respect, protect, promote, and fulfil the right to life. This entails, at the very least, that States should take effective measures against foreseeable and preventable loss of life. Climate change kills through drought, increased heat, expanding disease vectors and a myriad of other ways. According to a report by the Climate Vulnerable Forum and DARA International, climate change is already responsible for approximately 400,000 deaths per year and that number is expected to rise to 700,00 by 2030.²¹ In order to uphold the right to life, States must take effective measures to mitigate and adapt to climate change and prevent foreseeable loss of life.

The right to self-determination - Article 1 of the UN Charter calls for respect of the self-determination of peoples. Further, Common Article 1 of the ICCPR and the ICESCR states that “all peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.” States must respect the right to self-determination of all peoples and ensure that they have the necessary resources to provide for themselves. Climate change not only poses a threat to the lives of individuals; but also to their ways of life and livelihoods, and to the survival of entire peoples.

Small Island Developing States and Least Developed Countries have identified even warming of 1.5°C as a “serious threat” to their continued existence. These views are supported by the IPCC in its review of the effects of rising sea-levels on “coastal systems and low-lying areas.”

According to a recent report by a group of United Nations Special Reporters, climate change challenges the ability of peoples in small island states to “continue to live on their traditional territory, and... to enjoy and exercise their right to self-determination”. States are obliged to take adequate measures to guarantee the rights of all peoples to self-determination in the face of the looming threat posed by climate change but they have so far failed to do so.

The Declaration underscores that people must be the central subjects, active participants, and beneficiaries of development. It articulates that all States and all persons have responsibilities for development and States should work individually and collectively to create an internationally enabling environment for development in which the benefits of development are equitably shared by all. In particular, States should take steps individually and collectively to guarantee all persons the ability to enjoy economic, social, cultural and political development. Climate change poses an existential threat to people’s enjoyment of their right to development.

For these reasons, the right to development was the subject of marked emphasis during the panel discussions. Panelists agreed that the right to development should inform humanity’s collective response to climate change.

The right to food - The right to food is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and the ICESCR. Article 11 of the ICESCR upholds the “fundamental right of everyone to be free from hunger” and calls upon States acting individually and through international co-operation, “to ensure an equitable distribution of world food supplies in relation to need.”

As with all human rights, States must respect, protect, promote, and fulfil the human right to food. Further, States have committed to mobilize maximum available resources for the progressive realization of the right to food and all other rights contained in the ICESCR. According to the IPCC, climate change undermines food security; therefore, it threatens realization of the right to food.

The right to water and sanitation - Although the right to water is not explicitly recognized in the ICESCR, General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights articulates this right stating: “The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses.”³¹ In its resolution 64/292, the General Assembly recognized “the right to safe and clean drinking water and sanitation as a human right that is essential for the full enjoyment of life and all human rights.”

According to the World Bank, climate impacts can “exacerbate the existing development challenge of ensuring that the educational needs of all children are met.”⁴⁴ During the panel discussion, concerns were expressed that the right to education would be hampered by the transfer of funds earmarked for education to disaster relief budgets, or other adaptation measures. According to Mithika Mwenda, this is already transpiring as “funds earmarked for providing quality education to children are diverted to address climate-inspired disasters”.

Failure to ensure fulfillment of the right to education and the diversion of funds from education not only violates this right but also has long term developmental consequences with substantial implications for the enjoyment of all rights by all.

The right to housing - According to Article 11 of the ICESCR all persons are entitled to an adequate standard of living for themselves and their families including adequate housing. The scope and application of the right to housing is elaborated upon in General Comment No. 4 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, which states that “the human right to adequate housing is of central importance for the enjoyment of all economic, social and cultural rights.” Like with all other economic, social and cultural rights, States are obliged to expend maximum available resources for the progressive realization of the right to housing for all persons.

Climate change threatens the right to housing in a number of ways. Extreme weather events can destroy homes displacing multitudes of people. Drought, erosion and flooding can gradually render territories inhabitable resulting in displacement and migration. Sea level rise threatens the very land upon which houses in low-lying areas are situated and is expected to “continue for centuries even if the global mean temperature is stabilized.”

Migration with dignity would entail migration with the assurance of all human rights to all, including an adequate standard of living and the right to housing.

The rights of future generations - The rights of children are protected by the CRC but the rights of future generations (in the sense of generations yet unborn) are not formally recognised in this or other major human rights instruments. Nevertheless, a strong argument in favour of the rights of future generations can be made on the basis of the human rights principle of equity and a number of multi-lateral environmental agreements. The Stockholm Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment stated that “defend and improve the human environment for present and future generations has become an imperative goal for mankind” and that “man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations”.

Conclusion - The Climate change and responses to climate change will have a profound effect on the exercise of human rights for millions and perhaps billions of people across the world. It will occur through both direct impacts on humans

and settlements, as well as through the degradation of the ecosystems and environmental resources upon which many lives & livelihoods depend. States have obligations to respect, protect, and fulfill human rights, and this includes obligations to mitigate domestic GHG emissions, protect citizens against the harmful effects of climate change, and ensure that responses to climate change do not result in human rights violations. The states have taken important steps towards fulfilling these obligations, there is more to be done. In particular, states need to increase their ambition with respect to both climate change mitigation and adaptation, & work cooperatively to ensure the protection of human rights for all citizens across the world.

References :-

1. UNHRC, *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, UN Doc A/HRC/37/59 (2018).
2. UNHRC *Preliminary Rept* (2012), para. 14.
3. Analytical study on the promotion and protection of the rights of persons with disabilities in the context of climate change (April 2020)
4. The slow onset effects of climate change and human rights protection for cross-border migrants (March 2018)
5. Analytical study on gender-responsive climate action for the full and effective enjoyment of the rights of women (May 2019)
6. Summary of the panel discussion on women’s rights and climate change: climate action, good practices and lessons learned (July 2019).

अमृतलाल नागर का नारी विषयक दृष्टिकोण

शैलेश निषाद* प्रो. शैलेन्द्र कुमार शर्मा**

* शोधार्थी, हिंदी अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** विभागाध्यक्ष, हिंदी अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - प्राचीन काल से हमारे समाज में नारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय रही है। नारियों का शोषण अनादिकाल से चला आ रहा है। साथ ही साथ पुरुष की प्रधानता सर्वत्र व्याप्त थी। पुरुष और स्त्री समाज निर्माण के दो पूरक तत्व थे। प्राचीन काल में ऋषियों के काल से लेकर स्त्री जाति, पुरुष को देवतुल्य मानती है, और एक शब्द में कहा जाए तो स्त्री पुरुष का गुलाम बनकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। पुरुष का सर उसकी कमाई पर आश्रित होकर जीवन निर्वाण करने वाली स्त्री के सामने उंचा रहता है। इसके अलावा स्त्री की अपेक्षा पुरुष का शारीरिक बल भी ज्यादा होने के कारण उसका मान सदैव बढ़ता रहा है। इन कारणों से नारी के प्रति पुरुष का अत्याचार प्राचीन काल से देखने को मिलता है।

‘प्रकृति प्रदत्त शारीरिक भिन्नता, दुर्बलता भी कह सकते हैं, के अलावा उसमें जो कुछ भी भिन्न, दुर्बल या निचले स्तर का रहा है, वह विभिन्न कालों में, विभिन्न परिस्थितियों या परिवेश की उपज है।’¹

परिवार की आर्थिक गतिविधियों में सहभागी होने के बावजूद भी नारियों का स्थान परिवार तथा समाज में पुरुष से निम्न रहा। धन, धरती और सत्ता से वंचित रहने के कारण इस स्त्रियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय रही है। इस कारण स्त्री वर्ग का यौन शोषण इतर वर्ग के लोगों द्वारा आसान रहा। एक ने इसे नियति मानकर स्वीकार किया, तो दूसरे ने भाग्य मानकर स्वीकार किया है। हिंदी के आम साहित्यकार की सोच परिवर्तनवादी न होकर पुरातनपंथी रही है। हिंदी के अधिकांश लेखक और साहित्यकार तथाकथित उच्च वर्ग के रहे, तथा वह अपने वर्ग और वर्ण के हितों से परे नहीं जा सके। भारतीय मानसिकता नारियों को सीता और सावित्री के रूप में देखने की चाह रखने वाली रही है। यह मानसिकता धीरे-धीरे यथार्थ से टकराकर टूटी, किंतु शोषण का दंश झेलती हुई नारियां इस दृष्टि अभागी रही हैं।

अमृतलाल नागर ने अपने साहित्य में नारियों के विषय में और उनकी विवशता व उनके जीवन में होने वाली समस्याओं के विषय को अपने साहित्य में प्रमुखता से स्थान दिया है। स्त्रियों की अनेक प्रकार की समस्याओं को नागर जी ने अपने उपन्यास के माध्यम से पाठक वर्ग के सम्मुख रखा है। जिसमें ‘महाकाल’ उपन्यास में मुट्ठी भर दाने के लिए बेची जाने वाली स्त्री की विवशता समाज की आंखों को खोलने के लिए पर्याप्त भूमिका निभाती है। इस तरीके से अमृत लाल नागर जी ने ‘बूढ़ और समृद्ध’ उपन्यास में जिसमें ताई लड़की के प्रजनन के कारण त्याग दी जाती है। उसी समय स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों के प्रति शस्त्र उठाने वाली वन कन्या भी नागर जी के

उपन्यास में स्त्रियों की स्थिति को चित्रित करती है। अत्याचार से पीड़ित वह वन कन्या अपनी भाभी के विषय में कहती है-

‘भाभी का अपराध यही है कि वह औरत है और एक इकोनॉमिकली फ्री नहीं है।’²

महिपाल की राय में ‘भारत का घर स्त्रियों के लिए कसाई खाना है।’³ स्त्री और पुरुष इन दोनों की सामाजिक मर्यादा में आज भी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। नारी होना आज की सामाजिक स्थिति में अभिशाप है। वनकन्या के माध्यम से इसका कारण अमृतलाल नागर जी स्पष्ट करते हैं- ‘स्त्री आर्थिक तौर पर पुरुष की आश्रिता है।’⁴

अमृतलाल नागर जी अपने साहित्य में नारियों की स्थिति को दूर करने के लिए सामाजिक क्रांति का आह्वान करते हैं। वनकन्या के माध्यम से वे नारी जाति को उद्धोधित करते हैं।

‘दूर कर नारी यह मोहा घुंघट के पट खोला। पुरुष के अत्याचारों के खिलाफ संगठित होकर अपनी आवाज उठा। जिस दिन स्त्री जाति अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का अंत करने के लिए निश्चय पूर्वक खड़ी हो जाएगी उसी दिन दुनिया से हर तरह के अत्याचार मिट जाएंगे।’⁵

अमृतलाल नागर जी ने नारी विषयक दृष्टिकोण को देखते हुए, और स्त्रियों की विवशता को अपने उपन्यास ‘नाच्यो बहुत गोपाल’ में यथार्थ के रूप में चित्रित किया है। इस उपन्यास की पात्र ‘निर्गुनिया य पुरुष जाति से पीड़ित होकर ब्राह्मणी से मेंहतरनी बन जाती है। नारी जीवन की कटुता को स्पष्ट करती हुई, वह कहती है-

‘दुनिया में दूर-दूर देशों तक, औरत से बढ़कर और कोई भी ज्यादा गुलाम नहीं है।’⁶

अमृतलाल नागर जी ने नारी के विषय में अथवा उसके संदर्भ में बेमेल विवाह, अंतर्जातीय विवाह, बाल विवाह, की समस्याओं को अपने उपन्यासों के माध्यम से उठाया है।

सच्चे प्रेम से वंचित ‘बड़ी’ जैसी स्त्रियों को प्रकाश में लाकर अमृतलाल नागर जी ने स्वार्थी पुरुषों को छुटकी दी है। अपने जीवन में थोड़े प्रेम की खोज में प्रेम का नाटक रचने वाला ‘विरहेश’ की प्रेमिका बन जाती है। स्थितिवश वह घुटन अनुभव करने वाली स्त्रियां और उस कारण निम्न स्तर की ओर गिरने वाली व दुखद स्थिति में पहुंचने वाली उनकी हालत हृदय विदारक होती है। अंत में ‘विरहेश’ से प्रताड़ित और पीड़ित बनकर दुख झेलती हुई ‘बड़ी’ को देखकर भारत के ऐसे पुरुष वर्ग की ओर समाज निंदापरक दृष्टि डालता है। ‘पतिव्रत्यनिष्ठा का उद्धोषणा करने वाली भारतीय संस्कृति

को कलंक लगाने वाला प्रधान कार्य भारत के पुरुष ही हैं, कोई संदेह नहीं, इस नग्न सत्य के प्रति आंखें खोलने का समय बीत चुका है।⁷

अमृतलाल नागर जी ने इस प्रकार एक व्यापक सामाजिक आधार फलक पर संपूर्ण भारतीय जीवन की समस्या को नारी के विषय में आबद्ध कर दिया है।

अमृतलाल नागर जी ने नारी विषयक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने अपने उपन्यास 'अमृत और विष' में अंतर्जातीय विवाह को समाज के सम्मुख रखा है। समाज की प्रगति के लिए अंतर्जातीय विवाह का नागर जी ने समर्थन किया है।

'अंतर्जातीय विवाह से मनुष्य संकीर्णता से उठकर व्यापक दायरे में आ जाएगा। लेकिन यह भी देखा जाता है कि विवाह के बाद पति-पत्नी के बीच चुभन भरी स्थितियां होती हैं।'⁸

इस उपन्यास में 'भवानी शंकर' और 'उषा' का विवाह इसका मूल उदाहरण है। उनका अंतर्जातीय विवाह असफल होता है। अमृतलाल नागर ने 'रमेश' और 'रानीबाला' के विवाह से अंतर्जातीय विधवा विवाह को सफल दिखाया है। 'अमृत और विष' में 'अरविंद शंकर' के अपने अनुभव को बताते नागर की स्पष्ट करते हैं कि ऐसे विवाह के अधिकांश लोग सुखी और संतुष्ट हैं। अरविंद शंकर का जीवन अनुभव है कि 'हिंदू पति, मुसलमान या इसाई पत्नी, ईसाई या मुसलमान पति और हिंदू पत्नी- ऐसे जोड़े अब दिनों दिन क्रमशः बढ़ रहे हैं और निजी अनुभव से जानता हूँ कि उनमें अधिकांश सुखी, संतुष्ट और आबखुदा, बाल बच्चेदार हैं।'⁹ अंत में नागर जी अपनी उंची अभिलाष प्रकट करते हैं कि जाति, वर्ण और धर्म की चिंता विवाह में ना हो जाए। डॉक्टर आत्माराम के माध्यम से नागर जी अपना अंतिम निर्णय देते हैं- 'अब इस देश में शादियां इस तरीके से होनी चाहिए कि उन्हें देखकर कोई यह न कह सके कि यह हिंदू की शादी है या मुसलमान की या क्रिश्चियन की हो रही है। समाज के सामने नव दंपति एक- दूसरे को स्वीकार करें और समाज में स्थान पाएं। इससे हमारे जातीय और सांप्रदायिक भेद भावनाएं मिटेगीं।'¹⁰

अमृतलाल नागर जी ने अपने साहित्य में स्त्री विषयक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए समाज पर दहेज की समस्या को लेकर करारा व्यंग्य किया है। नारी के संदर्भ में दहेज एक अभिशाप है। यह समाज के लिए एक सिर दर्द है। इस दहेज के भार से लड़की के माता-पिता इतने टूट जाते हैं कि

दोबारा उसे मान- सम्मान से उठाना मुश्किल हो जाता है। दहेज हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है। अमृतलाल नागर के उपन्यास 'बूंद और समुद्र' में महिपाल कहता है कि 'मूर्ख से मूर्ख वर के लिए भी कम से कम तीन-चार हजार का दहेज देना होगा और इतना ही रुपया ऊपर से लग जाएगा, यह सात द आठ हजार की रकम में चुकाऊंगा कहां से?'¹¹

अमृतलाल नागर ने इसी तरह अपने उपन्यास 'अभिन्नगर्भ' में भी 'सीता' 'को दहेज की कमी के कारण पीड़ित होते दिखाया है।

अमृतलाल नागर ने अपने साहित्य में नारियों से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं से अवगत कराया है। नारियों की दयनीय स्थिति में होने का सबसे बड़ा कारण हमारा समाज व हमारी सोच है। जिसे हमें बदलने की आवश्यकता है। स्त्री चाहे वह निम्न वर्ग की हो या उच्च वर्ग की हो, सभी को एक निगाह से देखने के पक्षपाती नागर जी रहे हैं। स्त्रियों के उत्थान के लिए उन्होंने अंतर्जातीय विवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह और दहेज की समस्या को प्रमुखता के साथ समाज के सम्मुख रखा है। समाज में नारी क्रियाशील रहे तो वह समाज में सभी प्रकार के संस्कारों को जन्म दे सकती है। अमृतलाल नागर ने अपने साहित्य में सदैव नारियों के उत्थान व उनके प्रति अपना दृष्टिकोण सदैव सकारात्मक रूप में रखा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय नारी- दशा - दिशा - आशारानीवहोरा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण - 1983, पृष्ठ - 3
2. बूंद और समुद्र - अमृतलाल नागर, पृष्ठ - 56
3. वही - पृष्ठ - 111
4. वही - पृष्ठ - 437
5. वही - पृष्ठ - 93
6. नाचो बहुत गोपाल - अमृतलाल नागर- पृष्ठ - 229
7. बूंद और समुद्र - पृष्ठ - 180
8. अमृत और विष - पृष्ठ - 110
9. वही - पृष्ठ - 674
10. वही - पृष्ठ - 470
11. बूंद और समुद्र - पृष्ठ - 107

मधुबनी एवं वरली कलाओं का तुलनात्मक अध्ययन

मीना* डॉ. निशा गुमा**

* शोधार्थी, जे० के० पी० पी०जी० कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

** एसोसिएट प्रोफसर, जे० के० पी० पी०जी० कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भारतीय लोक कला में मधुबनी एवं वरली दोनों ही कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। गंगा के उत्तारी किनारों की तलहटी की उपजाऊ भूमि पर हरे-भरे पेड़ों की हरितिमा से मन को लुभाते प्राकृतिक दृश्य वाला बिहार राज्य नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर में हिमालय, पूर्व में कौशिक नदी, दक्षिण में गंगा और पश्चिम में गंडकी नदी से घिरा उपजाऊ भूमि वाला यह भू-भाग आम, लीची एवं केले के बागानों के खूबसूरत प्राकृतिक सौन्दर्य से भरा है। कृषि एवं पशुपालन पर आजीविका हेतु आश्रित प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाताओं से प्रभावित यह क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। बिहार राज्य के मधुबनी, दरभंगा सीतामढ़ी, सहरसा तथा पूर्णियाँ जिले मधुबनी कला के मुख्य केन्द्र रहे हैं। यह क्षेत्र भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य की सीमा के आस-पास के मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाली महान वरली जनजाति भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यह आदिवासी समुदाय महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले के दहानू, तालासेरी, मोखडा, पालघर, शाहपुर तथा जवाहर तालूका में अधिकांश रूप से निवास करता है।

इनके तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि दोनों ही कलाएँ एक दूसरे से कुछ समानताएँ रखते हुए विभिन्नता के साथ अपने इतिहास एवं परम्पराओं को संजोये हुए हैं। मधुबनी कला धार्मिक अनुष्ठान एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से सम्बन्धित कला है। इस कला के चित्रों के विषय पारिवारिक कल्याण तथा वैयक्तिक कलात्मक पिपासा की शान्ति एवं मनोविनोद की प्रवृत्ति से उत्प्रेरित है। शैव, शाक्त एवं वैष्णव चिंतनधारा से प्रभावित यहाँ के चित्रों में स्वर्गिक आकृतियाँ-शिव, दुर्गा, काली, राम-सीता, राधा-कृष्ण, शिव-पार्वती, विष्णु-लक्ष्मी, गौरी, गणेश आदि मुख्य विषय रहे हैं।

पौराणिक चरित्रों को मधुबनी कला के विषयों में विशेष रूप से एवं बहुतायत में चित्रित किया गया है, जबकि वरली कला एक जनजातीय लोक कला है। ये प्रकृति के पाँच तत्वों की उपासना करते हैं। ईश्वर में अटूट आस्था रखने वाला वरली समुदाय हिन्दू देवी देवताओं जैसे महालक्ष्मी, महागौरी (गंगा गौरी) आदि की भी पूजा करते हैं। हिमाई देवी, हिरवा, एक सिरिया, पंचसिरिया, वाघा देव, नारायण देव, पावश्या आदि इनके कुछ प्रमुख देवता हैं।

विवाह जैसे मांगलिक अवसर पर मधुबनी कला कुल देवता की स्थापना हेतु ज्यामितीय एवं तांत्रिक पद्धति पर आधारित कोहबर लेखन की रचना की जाती है। इसके अतिरिक्त कमलदह, बरें तथा बाँस अरिपन, नयना-योगिन, कामदेव, दशावतार तथा बाहरी दिवारों पर धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर

तथा शिव पार्वती विवाह आदि के दृश्य प्रमुख होते हैं। जबकि वरली में विवाह जैसे मांगलिक अवसर पर देव चौक, लगन चौक की रचना की जाती है जहाँ ये अपने देवी-देवताओं नारायण देव, हिरवा, हिमाई, झोटिंगां, देवी पालघाट को नव दम्पति को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करते हैं।

मधुबनी कला में वनस्पतियों एवं पशु पक्षियों की आकृतियों को विभिन्न ज्यामितीय एवं अलंकारिक आकारों में प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया जाता है। सिंह, नन्दी, हंस, मोर, गुरुड, आदि पशु एवं पक्षियों को देवी देवताओं के वाहन के रूप में चित्रित जाता है, जबकि वरली कला में पशु एवं पक्षियों का चित्रण इनके दैनिक जीवन के एक प्रमुख अंग के रूप में चित्रित किया गया है।

मधुबनी कला के विषय पौराणिक चरित्रों एवं धार्मिक ग्रन्थों पर आधारित है जबकि वरली कला की विषय वस्तु प्रकृति एवं दैनिक जीवन के क्रिया-कलाप, तर्पा, शहद एकत्रीकरण, फसल कटाई, प्रकृति पूजा, सामाजिक उत्सव आदि से सम्बन्धित है।

विषय वस्तु के आधार पर सामान्यतः दोनों कलाओं के चित्रण विषय एक दूसरे से बहुत भिन्नता रखते हैं परन्तु दोनों ही कलाओं में प्रतीकात्मक रूप से बेल-बूटो एवं पेड़-पत्तों आदि को वंश वृद्धि तथा पवित्रता के सूचक के रूप में चित्रित किया जाता है। दोनों ही कलाओं के चित्र आस्था एवं आध्यात्मिक विश्वास के सूचक हैं। मधुबनी कला में स्वास्तिक रचना शुभ एवं मंगल का प्रतीक है। वहीं वरली कला में आम के पत्तों एवं नारियल से बना कलश पवित्रता एवं पूर्णता का प्रतीक है। इस प्रकार दोनों ही कलाएँ प्रतीकात्मक रूप से आस्था एवं धार्मिक विश्वास का प्रतिनिधित्व करती हैं।

मधुबनी चित्रों में रंग संयोजन चटकीला है जो मुख्य रूप से तीन रंगों पर आधारित है- शुद्ध लाल, पीला एवं नीला। यहाँ लाल रंग को विभिन्न तानों में जैसे कहीं सिन्दूरी तो कहीं गुलाबी, कहीं गेरुआ तो कहीं नारंगी में प्रयोग किया गया है। इसकी रंग योजना स्वदेशी है जिसमें आमतौर पर गहरे लाल, हरे, नीले, काले रंगों को ही प्रयोग में लाया जाता है।

वरली कला विशेष रूप से लाल एवं सफेद रंगों पर आधारित कला है। यह कला गहरी पृष्ठभूमि पर सफेद रंग तक ही सीमित है। आधुनिकता से प्रभावित बहुरंगीय वरली पेंटिंग भी बनायी जाने लगी है परन्तु मुख्य रूप से यह कला मेहंदी, इंडिगो, गेरु काले आदि रंगों की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से की जाने वाली कला है।

मधुबनी चित्रकारी चटकीले एवं विषम रंगों की विशेषता वाली प्रसिद्ध कला है। इसमें शुद्ध चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। दोहरे रेखांकन

के बीच चटख रंगों को भरने की तकनीक चित्रों को चटकीला प्रभाव देती है। इसमें शुद्ध रंगों के साथ-साथ रंग की विभिन्न तानों का भी प्रयोग किया जाता है, जबकि वरली चित्रकारी गहरी पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से की जाने वाली कला है जिसमें केवल शुद्ध एवं सपाट रंगों से चित्र को पूरा किया जाता है। इसमें सीमित रंगों को प्रयोग में लाया जाता है।

मधुबनी एवं वरली दोनों कलाओं में मुख्य रूप से खनिज रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। समान रूप से सपाट रंगों को ही प्रयोग में लाया जाता है तथा परिप्रेक्ष्य एवं छाया-प्रकाश का समान रूप से दोनों ही कलाओं में अभाव पाया जाता है। ये दोनों ही कलाएँ द्विआयामी कलाएँ हैं जिनमें त्रिआयामी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण के कारण वर्तमान में दोनों ही कलाओं में खनिज रंगों का स्थान रासायनिक रंगों ने ले लिया है।

मधुबनी कला हिमालय की तलहटी में गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानी भाग में पलने वाली कला है। यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, जबकि वरली कला भारत के पश्चिम भाग में अरब सागर के निकट मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पोषित कला है। मधुबनी कला बिहार

राज्य के विभिन्न जिलों के गाँवों में बने कच्चे घरों की दीवारों पर चटकीले रंगों से चित्र संसार रचती है। वहीं वरली कला ठाणे जिले के विभिन्न तालुका में बनी हुल (झोपड़ियों) की नरवट की दीवारों पर गहरी पृष्ठभूमि पर सफेद रंगों से अपनी परम्पराओं की कहानी कहती हैं। मधुबनी एवं वरली दोनों ही कला भौगोलिक दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न हैं।

दोनों ही क्षेत्र कृषि एवं पशुपालन पर आश्रित होने के कारण प्रकृति से प्रभावित है, क्योंकि मानसून इन दोनों ही क्षेत्रों की जीवन शैली को प्रभावित करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. जनार्दनमिश्र : भारतीय प्रतीक विधा, पृ0सं0 54-56
2. Documentation of Warli Painting of Maharashtra :- Ministry of Textiles, Government of India New Delhi (India) p.no. 13
3. कला संगम, मध्योत्तरी, 2011, अंक-01, पृ0सं0 39
4. https://theexampillar.com/geography_of_bihar
5. www.districtsindia.com



मधुबनी एवं वरली कला

भील जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर आधुनिकीकरण का प्रभाव

डॉ. रणजीत कुमार मीणा*

* सह आचार्य (समाजशास्त्र) राजकीय महाविद्यालय, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश - जहाँ तक जनजातीय क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के अंगीकरण का सवाल है, उन्हें आधुनिकीकरण को अपनाने में अभी भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं में यातायात के साधनों की कमी, शिक्षा एवं जागरूकता की कमी, आर्थिक पिछड़ापन एवं सिंचाई के साधनों का अभाव और कृषि उपज मण्डियों एवं बाजारों का दूर होना प्रमुख हैं। साथ ही जनजातियों के रूढ़िवादी एवं परम्परावादी दृष्टिकोण के कारण स्थानीय संसाधनों के उपयोग का भरपूर दोहन न कर पाना कारण माना जा सकता है। राजकीय प्रयासों के परिणामस्वरूप लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें विशेषकर आधुनिकीकरण का अंगीकरण किया जाना जरूरी है। जनजातीय क्षेत्रों में जिन लोगों ने आधुनिकीकरण को अपनाया है, उन लोगों की स्थिति में सुधार हुआ है। फिर भी स्थानीय हाट बाजार न होने के कारण आर्थिक दशा में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जिला उदयपुर का चयनित किया गया है। ग्रामीण जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत भील जनजाति के समस्त परिवारों को अध्ययन के समग्र के रूप में सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु झाबुआ जिले की पाँच तहसीलों में से (प्रत्येक तहसील से 8 गांव) कुल 40 गांवों को दैव निदर्शन विधि द्वारा चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया। इस हेतु सर्वप्रथम सभी तहसीलों के गांवों की सूची शहर से दूरी के आधार पर तैयार की गयी तत्पश्चात् 20 गांव शहर के नजदीक एवं 20 शहर से दूर स्थित गांवों का चयन दैव निदर्शन संख्या तालिका (Random Number Table) का उपयोग कर की गयी। अध्ययन में चयनित प्रत्येक गांव से 10 भील जनजाति के उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि का प्रयोग कर 200 उत्तरदाता शहर के नजदीक के गांवों से एवं 200 उत्तरदाता शहर से दूर स्थित गांवों से कुल 400 उत्तरदाताओं को चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया। वर्तमान समय में भील जनजाति को राजकीय स्तर पर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ प्रदान कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर भील जनजाति के लोग अपना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक विकास करने में सक्षम हो रहे हैं। जिसका इनके जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि भील जनजाति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक जीवन पर आधुनिकीकरण का प्रभाव सकारात्मक रूप से पड़ रहा है लेकिन आज भी ये लोग अन्य जातियों और जनजातियों की तुलना में विशेष रूप से पिछड़े हुये हैं।

शब्द कुंजी - आधुनिकीकरण, मुख्यधारा, राजकीय योजनाएँ, परम्परागत समुदाय, पिछड़ापन, हाट बाजार।

प्रस्तावना - जनजातियों की संस्कृति विश्व के लिए आकर्षण का केन्द्र रही है। भील जनजाति भारत की पहली तथा राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति उदयपुर के अतिरिक्त राजस्थान के डुंगरपुर, बॉसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में भी निवास करती है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उदयपुर जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1,525,289 (49.7 प्रतिशत) है। इस दृष्टि से उदयपुर सर्वाधिक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। भील जनजाति राजस्थान के अतिरिक्त मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, महाराष्ट्र तथा गुजरात में पायी जाती है।

विदेशी आक्रमणों के कारण जनजातीय समूह दूरस्थ पहाड़ों एवं निर्जन वनों में निवास करने लगे। प्रकृति से सामंजस्य व अनुकूलन स्थापित करते हुए वे सीमित संसाधनों का उपयोग कर, साथ ही कृषि व पशुपालन करके यह अपनी जीविकोपार्जन करने लगे। अंग्रेजी शासन काल में जमींदारी प्रथा के परिणामस्वरूप इनकी स्वतन्त्र सामाजिक व्यवस्था पर कुप्रभाव

पड़ा। स्वतंत्रता के पश्चात् अनुसूचित जनजाति के विकास के संवैधानिक प्रयास किये गये। उनके विकास के विशेष प्रयास कल्याणकारी राज्य द्वारा उठाये गये। देश में भूमि पर कार्य करने वाले भूस्वामी बने। भूस्वामी बनने के साथ ही सरकारी जमीन के पट्टे अपने नाम करने की प्रक्रिया आरम्भ हुयी जिससे जनजातिय लोगों को कृषि भूमि को अपने नाम करने हेतु सरकारी कार्यालय जाना पड़ा। सरकार से जुड़ने के साथ वे नगरों व विकसित गांवों के साथ सम्पर्क स्थापित हुआ। जिसके कारण जनजातीय समूह शहरों में आने से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से परिचित हुआ।

आधुनिकीकरण से आशय - आधुनिक युग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युगान्तकारी परिवर्तन हुए हैं, जिसके चलते सामाजिक और आर्थिक जीवन में अनगिनत परिवर्तन हुए हैं और यह परिवर्तन विश्व स्तर पर चल रहा है। इसी परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए समाज वैज्ञानिकों ने आधुनिकीकरण जैसी अवधारणा का प्रयोग किया है। कुछ लोगों ने आधुनिकीकरण को प्रक्रिया में माना है तो कुछ ने प्रतिफल के रूप में।

आइजनस्टेड ने इसे एक प्रक्रिया मानते हुए लिखा है, 'ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिकीकरण उस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है जो कि सत्रहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में और बीसवीं तक दक्षिणी अमेरिकी, एशियाई व अफ्रीकी देशों में विकसित हुई।'

बैनेडिक्स ने बताया कि 1760-1830 में इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति तथा 1784-1794 में फ्रांस की क्रांति के दौरान आधुनिकीकरण पनपा।

ए. आर. देसाई ने आधुनिकीकरण को मानव को सभी क्षेत्रों में, विचारों में तथा क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया माना है।

जबकि **सक्सेना** इसे मूल्यों से जुड़ा प्रत्यय मानते हैं।

श्रीनिवास ने बताया कि आधुनिकीकरण किसी पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्पर्क के कारण किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तन के लिए प्रचलित शब्द है।

श्यामचरण दुबे ने आधुनिकीकरण को वह प्रक्रिया बताया है जो परम्परागत या अर्द्ध-परम्परागत अवस्था से प्रौद्योगिकी को किन्हीं इच्छित प्रारूपों तथा उनसे जुड़ी हुई सामाजिक संरचना के स्वरूपों, मूल्यों, प्रेरणाओं एवं सामाजिक आदर्शों नियमों की ओर होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करती है।

जहाँ तक जनजातीय क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के अंगीकरण का सवाल है, उन्हें आधुनिकीकरण को अपनाने में अभी भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं में यातायात के साधनों की कमी, शिक्षा एवं जागरूकता की कमी, आर्थिक पिछड़ापन एवं सिंचाई के साधनों का अभाव और कृषि उपज मण्डियों एवं बाजारों का दूर होना प्रमुख हैं। साथ ही जनजातियों के रूढ़िवादी एवं परम्परावादी दृष्टिकोण के कारण स्थानीय संसाधनों के उपयोग का भरपूर दोहन न कर पाना कारण माना जा सकता है। राजकीय प्रयासों के परिणामस्वरूप लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें विशेषकर आधुनिकीकरण का अंगीकरण किया जाना जरूरी है। जनजातीय क्षेत्रों में जिन लोगों ने आधुनिकीकरण को अपनाया है, उन लोगों की स्थिति में सुधार हुआ है। फिर भी स्थानीय बाजार न होने के कारण आर्थिक दशा में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है।

शोध प्रविधि -

अनुसंधान प्ररचना - प्रस्तुत अध्ययन में शोध उद्देश्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक शोध प्ररचना का उपयोग किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य - आधुनिकीकरण का भील जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव का अध्ययन करना।

उपकल्पना - प्रस्तुत शोध कार्य से भील जनजाति के जीवन पर आधुनिकीकरण के प्रभाव का उनके सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

अध्ययन क्षेत्र - प्रस्तुत अध्ययन हेतु राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जिला उदयपुर को चयनित किया गया।

अध्ययन कासमग्र - प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र उदयपुर जिले के ग्रामीण जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत भील जनजाति के समस्त परिवारों को अध्ययन के समग्र के रूप में सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन की इकाई - प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत भील जनजाति के चयनित उत्तरदाता को अध्ययन की इकाई

के रूप में सम्मिलित किया गया है।

निर्दर्शन विधि - प्रस्तुत अध्ययन हेतु स्तरीकृत निर्दर्शन विधि का उपयोग कर उत्तरदाताओं को चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया है जो कि निम्न प्रकार है :-

तालिका 1 : उदयपुर जिले में उत्तरदाताओं का चयन

जिला उदयपुर (उद्देश्यपूर्ण विधि)					
चयनित तहसील (जनसंख्या विधि)					
सराड़ा	गिर्वा	ऋषभदेव	खैरवाड़ा	कोटड़ा	कुल गांव
112	240	110	256	95	813
चयनित गांव (निर्दर्शन संख्या तालिका Random Number Table)					
8	8	8	8	8	40
चयनित उत्तरदाता (कोटा पद्धति एवं उद्देश्यपूर्ण विधि)					
80	80	80	80	80	400

जिले का चयन - प्रस्तुत अध्ययन हेतु राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जिला उदयपुर को उद्देश्यपूर्ण विधि के आधार पर चयनित किया गया।

तहसील का चयन - अध्ययन क्षेत्र उदयपुर जिले की तहसीलों जिनमें सराड़ा, गिर्वा, ऋषभदेव, खैरवाड़ा और कोटड़ा को जनसंख्या विधि के आधार पर चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

गांवों का चयन - प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु उदयपुर जिले की पाँच तहसीलों में से (प्रत्येक तहसील से 8 गांव) कुल 40 गांवों को दैव निर्दर्शन विधि द्वारा चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया। इस हेतु सर्वप्रथम सभी तहसीलों के गांवों की सूची शहर से दूरी के आधार पर तैयार की गयी तत्पश्चात् 20 गांव शहर के नजदीक एवं 20 शहर से दूर स्थित गांवों का चयन दैव निर्दर्शन संख्या तालिका (Random Number Table) का उपयोग कर की गयी।

उत्तरदाताओं का चयन - अध्ययन में चयनित प्रत्येक गांव से 10 भील जनजाति के उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि का प्रयोग कर 200 उत्तरदाता शहर के नजदीक के गांवों से एवं 200 उत्तरदाता शहर से दूर स्थित गांवों से कुल 400 उत्तरदाताओं को चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

आँकड़ों का आधार एवं एकत्रण - प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है।

प्राथमिक स्रोत - प्राथमिक स्रोतों का संग्रहण निर्मित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र में जाकर उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क एवं साक्षात्कार, क्षेत्र का निरीक्षण एवं अवलोकन तथा समूह चर्चा के माध्यम से एकत्र किये गये। साक्षात्कार अनुसूची में अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप प्रश्नों का समावेश किया गया।

द्वितीयक स्रोत - द्वितीयक स्रोतों के अन्तर्गत विद्वानों द्वारा लिखित ग्रन्थ, सर्वेक्षण प्रतिवेदन, संस्मरण, यात्रा-वर्णन, पत्र डायरी, ऐतिहासिक प्रलेख, राजकीय आंकड़े अनुसंधान प्रतिवेदन, समाचार पत्र, पत्रिका, शोध पत्रिका, संबंधित सरकारी विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन, इन्टरनेट, अप्रकाशित सामग्री, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, जनजाति अनुसंधान केन्द्र, जिला सांख्यिकी कार्यालय, एवं विभिन्न पुस्तकालय आदि से द्वितीयक स्रोत एकत्रित किये गये।

तकनीक एवं उपकरण - समंक एकत्रित करने हेतु अवलोकन पद्धति, समूह चर्चा, अनुसूची, साक्षात्कार पद्धति, एस.पी.एस.एस. (SPSS)

सारणीयन एवं फोटोग्राफी का उपयोग किया गया है।

विश्लेषणात्मक पृष्ठभूमि – आंकड़ों के संकलन के पश्चात् संग्रहित आंकड़ों की छंटनी करके, कम्प्यूटर में प्रविष्ट किया गया तथा एस.पी.एस.एस. (SPSS) पैकेज का प्रयोग करते हुए सारणीयन के पश्चात् विश्लेषण करके उपयुक्त निष्कर्ष निकाले गये हैं।

तालिका क्रमांक. 2 : उत्तरदाताओं के लिंग से सम्बन्धित जानकारी का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पुरुष	269	67.25
2	महिला	131	32.75
	कुल योग	400	100.0

तालिका 2 में उत्तरदाताओं के लिंग से सम्बन्धित विवरण दिया गया है जिसके विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल 400 उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 67.25 प्रतिशत पुरुष पाये जबकि महिला उत्तरदाताओं का प्रतिशत 32.75 पाया गया।

तालिका क्रमांक. 3: उत्तरदाताओं के उम्र से सम्बन्धित जानकारी

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	20 वर्ष से 40 वर्ष	95	23.75
2	40 वर्ष से 60 वर्ष	209	52.25
3	60 वर्ष से 80 वर्ष	60	15.00
4	80 वर्ष से अधिक	36	9.00
	कुल योग	400	100.00

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल 400 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 52.25 प्रतिशत उत्तरदाता 40 से 60 वर्ष आयु वर्ग के पाये गये जबकि सबसे कम 9 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जोकि 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के थे। 23.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं का आयु वर्ग 20 वर्ष से 40 वर्ष के बीच पाया गया वहीं 60 वर्ष से 80 वर्ष की आयु वर्ग के उत्तरदाताओं प्रतिशत 15 पाया गया।

तालिका क्रमांक. 4: उत्तरदाताओं के वैवाहिक स्थिति की जानकारी

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अविवाहित	77	19.25
2	विवाहित	185	46.25
3	विधवा/विधुर	89	22.25
4	परित्यक्ता	49	12.25
	कुल योग	400	100.0

अध्ययन के दौरान उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी जिसका विवरण उपर्युक्त तालिका में प्रस्तुत किया गया है। तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि कुल 400 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 46.25 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित पाये गये जबकि सबसे कम 12.25 प्रतिशत उत्तरदाता परित्यक्त पाये गये। 22.25 प्रतिशत उत्तरदाता विधवा और विधुर पाये गये वहीं 19.25 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित पाये गये। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के प्रचार-प्रसार व आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण विलम्ब से विवाह का प्रचलन बढ़ा है। साथ ही विधवा/विधुर और परित्यक्ता के प्रतिशत वृद्धि सामाजिक व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन को दर्शाता है।

तालिका क्रमांक. 5: उत्तरदाताओं के शिक्षा के स्तर सम्बन्धित जानकारी

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	प्राथमिक	85	21.25
2	माध्यमिक	60	15.0
3	अक्षरी ज्ञान	99	24.75
4	निरक्षर	156	39.0
	कुल योग	400	100.00

उत्तरदाताओं की शिक्षा से सम्बन्धित जानकारी का विवरण तालिका 5 में प्रस्तुत किया गया जिसके विवरण से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 21.25 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक तक की शिक्षा ग्रहण किये हुए हैं 15 प्रतिशत उत्तरदाता माध्यमिक तक की शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं। 24.75 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिनको केवल अक्षरी ज्ञान है वहीं सबसे अधिक 39 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जोकि निरक्षर थे।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि यातयात के साधन गैर जनजाति लोगों के सम्पर्क में आने से शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार आया है। इसके विपरीत शहरों से दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत जनजाति समुदाय में शिक्षा का स्तर आज भी कम है।

तालिका क्रमांक. 6: उत्तरदाताओं परिवारों का मुख्य व्यवसाय

क्र.	विवरण	पूर्वजों के समय		वर्तमान समय में	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कृषि	192	48.00	134	33.50
2	व्यवसाय	12	3.00	53	13.25
3	नौकरी	19	4.75	46	11.50
4	मजदूरी	177	44.25	167	41.75
	कुल योग	400	100.0	400	100.0

स्वतन्त्रता की मात्रा = 3 5 प्रतिशत स्तर पर अन्तर सार्थक है।

काई-वर्ग (X^2) = 84.701 सारणी मान = 7.815

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं के मुख्य व्यवसाय की जानकारी का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि कुल 400 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पूर्वजों के समय मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य था जबकि सबसे कम 3 प्रतिशत उत्तरदाता व्यवसाय करते थे। 44.25 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिनका मुख्य व्यवसाय मजदूरी था वहीं 4.75 प्रतिशत उत्तरदाता नौकरी करते थे।

वर्तमान समय में सर्वाधिक 33.50 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिनका मुख्य व्यवसाय मजदूरी पाया गया जबकि सबसे कम 11.5 प्रतिशत उत्तरदाता मुख्य व्यवसाय के रूप में नौकरी करते हैं। 33.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मुख्य व्यवसाय कृषि पाया गया वहीं 13.25 प्रतिशत उत्तरदाता व्यवसाय करते हैं।

तालिका से स्पष्ट है कि 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 3 स्वतन्त्रता की मात्रा के लिए काई-वर्ग (X^2) का सारणी मान 7.815 है जो परिकलित मान 84.701 से अत्यधिक कम है इसलिए कहा जा सकता है कि काई-वर्ग (X^2) सार्थक है। अतः दोनों पूर्वजों के समय उत्तरदाता परिवारों का मुख्य व्यवसाय एवं वर्तमान समय में उत्तरदाता परिवारों का मुख्य व्यवसाय सम्बन्धित है स्वतन्त्र नहीं। इसलिए शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

अतः तालिका से स्पष्ट होता है कि पूर्वजों के समय और वर्तमान समय में कृषि कार्य और मजदूरी कार्य में कमी हुई है वहीं व्यवसाय और नौकरी के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। इस परिवर्तन का मुख्य कारण वर्तमान समय में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार पाया गया है एवं शिक्षा प्राप्त कर भील जनजाति के लोगों व्यवसाय एवं नौकरी के प्रति रुचि बढ़ रही है।

निष्कर्ष - उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में भील जनजाति को राजकीय स्तर पर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ प्रदान कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर भील जनजाति के लोग अपना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक विकास करने में सक्षम हो रहे हैं। जिसका इनके जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि भील जनजाति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक जीवन पर आधुनिकीकरण का प्रभाव सकारात्मक रूप से पड़ रहा है लेकिन आज भी ये लोग अन्य जातियों और जनजातियों की तुलना में विशेष रूप से पिछड़े हुये हैं।

सुझाव - भील जनजाति क्षेत्रों में विकास के लिए शिक्षा का प्रचार-प्रसार

किये जाने की आवश्यकता है साथ ही महिलाओं की शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु ग्राम स्तर पर समितियाँ बनाकर महिलाओं को शिक्षा महत्व के प्रति जागरूक बनाया जा सके। भील जनजाति लोगों के लिए संचार व तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. भारतीय जनगणना 2011, District Census Hand Book जिला उदयपुर, राजस्थान।
2. बेनडिक्स आर0 (1967) ट्रिडिशन एण्ड मॉडर्निटी रिकंसीडर्ड, कम्पेरेटिव स्टडीज इन सोसायटी एण्ड हिस्ट्री, वॉल्यू - 9 पृ. क्र. 326
3. देसाई ए. आर. (1971) एसेज ऑन माडर्नाईजेशन ऑफ अन्डरडेवलपड सोसायटीज, वॉल्यू - 1, ठक्कर एण्ड कबाम्बे, पृ. क्र. 32
4. सक्सेना आर. एन. (1972) मॉडर्नाईजेशन एण्ड डेवलपमेण्ट ट्रेन्ड्स इन इण्डिया, सोशियोलॉजीकल बुलेटिन, वॉल्यू - 21
5. श्रीनिवास एम. एन. (1956) सोशल चेंज इन मॉडर्न इण्डिया, एलाईड पब्लिशर्स, बाम्बे, पृ. क्र. 50
6. दुबे एस. सी. (1971) एक्सपेंशन एण्ड मैनेजमेण्ट ऑफ चेंज, टाटा मैग्रा हिल, नई दिल्ली, पृ. क्र. 67-68

Occurrence of Ground Water in Basaltic Rocks of Malwa Plateau Region, Madhya Pradesh, India

Pradeep Bagde*

*Department of Geology, Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract : The Malwa Plateau, covering the western part of Madhya Pradesh north of the Narmada Valley mostly covered by the basaltic lava flows of Deccan Trap igneous activity. This plateau characterized by flat topped hills and step like terraces. The groundwater which encountered in basaltic rocks generally occurs in the joints and fissures. These structures mostly provide the secondary porosity and permeability. The Deccan Traps formations can be tapped by dug-cum-bore and drilled wells. It is observed that the yield increased by 5-10 times when 10-15m bores extending down to the lower vesicular zone are drilled at the base of dug wells. Yields of 400-600 m³/d can be obtained in this way.

Introduction - The Deccan volcanic province covers four prominent lava plateaus viz. the Deccan proper including the Western Ghats in Maharashtra, the Malwa Plateau in the north separated from the former by Satpura range and the Narmada and Taptiriver areas. The Saurashtra or Kathiawar Peninsula and the smaller Mandla Plateau in the east.

The Malwa Plateau is a rather ill-defined region, covering the western part of Madhya Pradesh (Malwa Plateau covering Nimuch, Mandsaar, Indore, Dhar, Ratlam, Shajapur, Sagar, Rajgarh, Sehore, Badwani, Khargone, Khandwa and Burhanpur Districts and extends in parts of Jhabua, Guna, Ashoknagar, Sehore, Bhopal, Raisen and Vidisha) north of the Narmada Valley mostly covered by the Deccan Traps. The volcanic rocks of the Narmada Valley region are originally known as Malwa Traps.

Geology : Malwa Plateau consists of basaltic lava flows of the Deccan Trap igneous activity. The geology of the Malwa Plateau was first studied by Blanford, who had mapped the area for the first time during '1882-86', this plateau characterized by flat topped hills and step like terraces. The topography is a result of variation in hardness of the different flows. The lava flows may be distinguished on the basis of the following criteria:

- i. The colour and lithology of the flows.
- ii. Presence of prominent thick weathered zone at the top of individual flows.
- iii. Presence of highly vesicular tops.
- iv. Presence of distinct platforms.
- v. Presence of pipe amygdules in the bottom of each flow.
- vi. Mode of weathering and
- vii. Joint pattern

The contrasting water bearing properties of different flow units control groundwater occurrence in Deccan Traps. The Deccan Traps have usually poor to moderate permeabilities due to the presence of primary and secondary fractures. The most common litho-unit is tholeiitic basalt with an average specific gravity of 2.78.

Megascopically the rock is melanocratic, hard, compact, massive in nature. The rock sometimes shows vesicular nature, the vesicles are generally filled by the secondary minerals like Zeolites, Calcites and Quartz. The amygdaloidal tendency in the flow is more towards their top portions.

The main assemblage of the minerals found are plagioclase feldspar, pyroxene, glass, opaques and few other secondary minerals like zeolite, calcite, quartz, agate etc. Basalts readily weather to give rise to black cotton soil called 'regur', Black cotton soil has the property of swelling greatly and become very sticky when wetted by rain.

Another product of weathering is laterite, from which Silica, Alkalies and Alkaline earths have been leached away leaving behind alumina, iron, manganese and titanium. It has Pisolithic structure and contain much water, due to higher permeability. In these basaltic rock groundwater occurs only along joint planes, vesicular tops and in the weathered zone/ intertrapean beds in between two individual flows.

Groundwater Occurrences : The occurrence of groundwater in these formations depends upon number of factors which control the movement of groundwater. These factors are -

1. Depth and nature of the material constituting the overburden.
2. Depth of weathering.

3. Size intensity, and interconnecting nature of the vesicles.
4. Thickness of vesicular Zone.
5. Source of Recharge.
6. Density and size of joints, fractures etc.

The main source of all the surface and sub-surface water resources is precipitation. The water that infiltrates down through the pore spaces of the rocks under the earth surface becomes groundwater which represents a part of the hydrological cycle. The depth of water table is a variable factor and depends upon the topography and geology of the underlying formations and climate. Water table is deep in mountainous and dissected country and shallow in moderate relief areas. The groundwater which encountered in hard rocks (Lunkad et al., 1978; Adyalkar et al., 1973) generally occurs in the joints and fissures. These structures mostly provide the secondary porosity and permeability. It is interesting to record that at times these conduits disappear at greater depth and due to hydration weathered zones are formed at shallow levels. In the zone of permanent saturation, which extends from 150-300 feet, in case of Deccan Traps. Water is held under pressure mostly in the joints and fissures traversing the rock. The quantity of water held in the zone of hard rock is much less per cubic feet than that of water held in the weathered zone. Wells intersecting this permanent saturation zone yield water throughout the year and are not affected by seasonal fluctuation as is the case in shallow wells.

In Deccan Traps weathering is critical phenomenon and the occurrence, movement and storage of groundwater in this geologic material depends upon the zone of weathering present. In Deccan Trap, the zones of weathering are -

1. The upper most layer is constituted by "black cotton soil" (Regur) intermingled with red or yellowish clay with Kankar and extended from 2 to 6 meter depth.
2. Weathered basalt, locally distinguished as "Copra" which is yellowish, brown or greenish in colour. The nature of layer is soft, loose and less permeable. The

layer penetrates the formation over a depth of 3 to 10 meters.

3. Jointed and fractured basalt which are highly permeable.

The open joints and fractured zone in basalt possesses high transmissibility when these openings are not plugged with the weathering product.

Conclusions : Basaltic rocks form the most important aquifers in the region. The weathered, fractured, jointed and vesicular units of basalts form moderate to good aquifers. The formations have highly variable yields ranging from 10 to 750 m³/d. Dugwells range in depth from 4 to 20 m with water level varying between 2 and 14 mbgl. The specific capacity ranges from 50 to 150 lpm/m of drawdown, hydraulic conductivity varies between 5 and 15 m/d and the specific yield is 5-10%. The Deccan Traps formations can be tapped by dug-cum-bore and drilled wells. It is observed that the yield increases by 5-10 times when 10-15 m bores extending down to the lower vesicular zone are drilled at the base of dugwells. Yields of 400-600 m³/d can be obtained in this way. In some areas the control of doleritic dykes on occurrence of groundwater was observed. Wells located on the upstream side of these dykes gave better yields. Also wells located on tectonic lineaments gave better yields.

References :-

1. Adyalkar, P.G. and Suryanarayana, G. (1973). Hydrogeology and scope of groundwater development in the trap-pean tract of Indore and Dhar districts M.P. Preprint," Indo-Soviet Symposium. Recent Trends in Exploration of Minerals, Oil and Ground Water, New Delhi.
2. *Blanford, W. T., (1867) On the Traps and Intertrappean beds of western and central India. Mem. Geol, Surv. India, v. 6, p. 145.*
3. Lunkad, S. and Raymahashay, B. (1978). Ground water quality in weathered Deccan Basalt of Malwa Plateau, India. Environmental Science, Geology, Quarterly Journal of Engineering Geology.

सूचना के अधिकार की भ्रष्टाचार को रोकने में भूमिका

डॉ. लोकेश कुमार शर्मा*

* एसोशिएट प्रोफेसर, मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ (राज.) भारत

शोध सारांश – भारत में भ्रष्टाचार एक गंभीर और व्यापक समस्या रही है, जिसने समाज के सभी स्तरों पर अपनी जड़ें जमा ली हैं। भ्रष्टाचार न केवल आर्थिक विकास को बाधित करता है बल्कि समाज में असमानता और अन्याय को भी बढ़ावा देता है। इसे नियंत्रित करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न कानून और नीतियां बनाई हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कानून है 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आती है और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इस शोध पत्र में, हम भारत में भ्रष्टाचार को रोकने में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की भूमिका का विश्लेषण करेंगे।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: एक परिचय

अधिनियम का इतिहास और पृष्ठभूमि – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसकी जड़ें 1990 के दशक में शुरू हुए जन आंदोलनों में पाई जा सकती हैं, जिनका उद्देश्य सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना था। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' द्वारा चलाए गए अभियान ने इस कानून की नींव रखी। इसके बाद 2005 में यह अधिनियम संसद में पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 को यह प्रभावी हुआ।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, भारतीय नागरिक को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत, सरकारी विभागों को 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करनी होती है। अधिनियम में अपवाद भी शामिल हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता और अन्य संवेदनशील मुद्दों से संबंधित सूचनाएं।

सूचना आयोगों की भूमिका – अधिनियम के तहत, सूचना आयोगों की स्थापना की गई है, जिनमें केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग शामिल हैं। ये आयोग सूचना प्राप्त करने में नागरिकों को सहायता प्रदान करते हैं और यदि कोई विभाग सूचना देने से इंकार करता है, तो इन आयोगों में अपील की जा सकती है।

भारत में भ्रष्टाचार: एक विश्लेषण

भ्रष्टाचार की परिभाषा और प्रकार – भ्रष्टाचार को आमतौर पर किसी सार्वजनिक पद पर रहते हुए निजी लाभ के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, जैसे रिश्वत, अनुचित तरीके से कार्यों में देरी, सरकारी ठेकों में गड़बड़ी और नीतियों में हेरफेर इत्यादि।

भ्रष्टाचार के कारण – भारत में भ्रष्टाचार के कई कारण हैं, जिनमें कमजोर शासन, पारदर्शिता की कमी, राजनीतिक दबाव, और कानूनी ढांचे की कमजोरियाँ शामिल हैं। भ्रष्टाचार का स्तर राज्य और केंद्र सरकार दोनों में

भिन्न-भिन्न होता है, और यह समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करता है। **भ्रष्टाचार के प्रभाव** – भ्रष्टाचार के प्रभाव व्यापक होते हैं। यह न केवल आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग करता है, बल्कि समाज में असमानता और अन्याय को भी बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार के कारण विकासशील योजनाएं विफल हो जाती हैं और जनता का प्रशासनिक तंत्र में विश्वास कमजोर हो जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम और भ्रष्टाचार का नियंत्रण

पारदर्शिता में वृद्धि – सूचना का अधिकार अधिनियम ने सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। इस अधिनियम के तहत नागरिक अब सरकारी दस्तावेजों, निर्णयों, और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं तक पहुंच सकते हैं, जिससे अधिकारियों पर दबाव बढ़ता है कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त न हों। पारदर्शिता के इस स्तर ने भ्रष्टाचार की कई घटनाओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जवाबदेही का संवर्धन – सूचना का अधिकार अधिनियम ने सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाई है। जब सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आती है, तो अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय और कार्य सही और न्यायसंगत हैं। इसके परिणामस्वरूप, अधिकारियों के गलत निर्णय लेने या अनुचित लाभ लेने की संभावना कम हो जाती है।

भ्रष्टाचार की घटनाओं का खुलासा – सूचना के अधिकार के माध्यम से कई भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं। जैसे कि दिल्ली में डीटीसी बस खरीद घोटाला, महाराष्ट्र में आदर्श सोसाइटी घोटाला, और कई अन्य मामले जिनमें अधिकारियों की भ्रष्ट गतिविधियों को जनता के सामने लाया गया। इस प्रकार के खुलासे न केवल दोषियों को सजा दिलाने में मदद करते हैं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ाते हैं।

नागरिकों की भागीदारी – सूचना के अधिकार अधिनियम ने नागरिकों को प्रशासन में भागीदारी का अवसर प्रदान किया है। जब नागरिक सरकारी सूचनाओं तक पहुँचते हैं, तो वे न केवल सरकारी गतिविधियों की निगरानी

कर सकते हैं, बल्कि आवश्यकतानुसार सुधारों की माँग भी कर सकते हैं। इससे एक मजबूत नागरिक समाज का निर्माण होता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की चुनौतियाँ

अपवाद और सीमाएँ – हालांकि सूचना के अधिकार अधिनियम ने पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपवाद और सीमाएँ भी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता, और संवेदनशील सूचनाओं से संबंधित जानकारी को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे कुछ मामलों में सूचना प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

अधिकारियों की मनमानी – कुछ मामलों में, सरकारी अधिकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को देने में आनाकानी करते हैं या जानबूझकर गलत जानकारी प्रदान करते हैं। यह समस्या विशेष रूप से तब बढ़ जाती है जब अधिकारी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास करते हैं। हालांकि, इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सूचना आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

सूचना आयोगों की सीमाएँ – सूचना आयोगों के पास भी सीमित शक्तियाँ हैं, जिससे वे भ्रष्ट अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई करने में असमर्थ होते हैं। इसके अलावा, आयोगों के पास मामलों की अधिकता और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएँ भी होती हैं, जिससे उनके कामकाज में देरी होती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की सफलता की कहानियाँ

सफलतापूर्वक भ्रष्टाचार के मामले उजागर करना – सूचना के अधिकार के माध्यम से भ्रष्टाचार के कई प्रमुख मामले उजागर हुए हैं। इनमें भारतीय सेना में राशन घोटाला, राजस्थान में नरेगा में अनियमितताएँ, और झारखंड में अवैध खनन जैसे मामलों का उल्लेख किया जा सकता है। इन मामलों के उजागर होने से भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज में एक सकारात्मक माहौल बना।

सरकारी योजनाओं की निगरानी – सूचना के अधिकार ने सरकारी योजनाओं की निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि मध्य प्रदेश में पेंशन योजनाओं में हुई अनियमितताओं का खुलासा सूचना का अधिकार के माध्यम से हुआ, जिससे हजारों लोगों को उनके अधिकारों का लाभ मिल सका। इस प्रकार की निगरानी ने सरकारी योजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार – सूचना के अधिकार का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भी किया गया है। कई स्थानों पर सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, जिसके बाद आवश्यक सुधार किए गए। इससे समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर सेवाएँ मिलने में सहायता मिली।

सूचना का अधिकार अधिनियम और मीडिया

मीडिया का योगदान – मीडिया ने सूचना के अधिकार के प्रभावी उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया ने सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को सार्वजनिक किया और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया। इसके अलावा, मीडिया ने सूचना के अधिकार के महत्व और इसके उपयोग के बारे में जनता को जागरूक किया।

मीडिया और सामाजिक जागरूकता – सूचना के अधिकार के माध्यम से उजागर हुए भ्रष्टाचार के मामलों को मीडिया ने व्यापक रूप से कवरेज दी, जिससे समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जागरूकता अभियान चला।

इससे नागरिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी और सूचना के अधिकार का उपयोग बढ़ा।

भविष्य की दिशा और सुधार की संभावनाएँ

अधिनियम का सुधार और सशक्तिकरण – सूचना के अधिकार अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। अपवादों और सीमाओं को कम करना, सूचना आयोगों को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करना, और अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाना ऐसे सुधार हो सकते हैं, जो अधिनियम की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं।

जन जागरूकता और शिक्षा – सूचना के अधिकार के प्रभावी उपयोग के लिए जन जागरूकता और शिक्षा की आवश्यकता है। हालांकि इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद से ही इसका व्यापक उपयोग हुआ है, लेकिन अभी भी कई नागरिकों को इसके अधिकारों और उपयोग के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। सरकार, गैर-सरकारी संगठन, और नागरिक समाज संगठनों को मिलकर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जो सूचना के अधिकार के महत्व, इसके उपयोग की प्रक्रिया और इसके माध्यम से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करें।

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग – सूचना के अधिकार अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। ऑनलाइन पोर्टल्स और मोबाइल एप्लिकेशनों के माध्यम से सूचना का अनुरोध करना आसान बनाया जा सकता है, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी आसानी से सूचना के अधिकार का उपयोग कर सकें। इसके अलावा, सूचना के अधिकार के माध्यम से दी जाने वाली सूचनाओं का डिजिटलीकरण और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान

नागरिक समाज का योगदान – सूचना के अधिकार अधिनियम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में नागरिक समाज को एक सशक्त उपकरण प्रदान किया है। कई नागरिक समाज संगठनों ने सूचना के अधिकार का उपयोग कर भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया है और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद की है। उदाहरण के लिए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 'परिवर्तन' नामक संगठन ने सूचना के अधिकार का उपयोग कर दिल्ली में बिजली और पानी के बिलों में अनियमितताओं को उजागर किया।

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका – गैर-सरकारी संगठनों ने सूचना के अधिकार के माध्यम से कई भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों का संचालन किया है। इनमें मजदूर किसान शक्ति संगठन जैसे संगठन शामिल हैं, जिन्होंने राजस्थान में गैर-सरकारी संगठन के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को उजागर किया। इस प्रकार के अभियानों ने सरकार पर दबाव डाला है कि वह अपने कार्यों में अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करे।

सूचना का अधिकार अधिनियम और कानूनी ढाँचा

अधिनियम का संवैधानिक आधार – सूचना के अधिकार अधिनियम का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 19(1) में निहित है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न फैसलों में माना है कि सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न हिस्सा है। इससे सूचना के अधिकार को एक मजबूत कानूनी समर्थन प्राप्त हुआ है, जिससे नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

न्यायिक निर्णयों का योगदान – भारतीय न्यायपालिका ने भी सूचना के अधिकार अधिनियम को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कई मामलों में सूचना के अधिकार के अधिकार को बनाए रखने और सरकारी अधिकारियों को सूचना प्रदान करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, न्यायालयों ने सूचना के अधिकार के दायरे का विस्तार किया है, जिससे नागरिकों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके।

सूचना का अधिकार अधिनियम की समग्र समीक्षा

सकारात्मक प्रभाव – सूचना के अधिकार अधिनियम ने भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अधिनियम ने सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया है और भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर किया है। सूचना के अधिकार के माध्यम से आम नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच प्राप्त हुई है, जिससे वे सरकारी नीतियों और योजनाओं की निगरानी कर सकते हैं।

चुनौतियाँ और संभावनाएँ – हालांकि सूचना के अधिकार अधिनियम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। इसमें अपवादों की सीमाएँ सूचना आयोगों की शक्तियों का विस्तार और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा सूचना के अधिकार के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से भी इस अधिनियम की प्रभावशीलता में सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने भारत में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अधिनियम ने सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया है और नागरिकों को सरकार की कार्यप्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान किया

है। सूचना के अधिकार के माध्यम से कई भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा हुआ है, जिससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आया है। हालांकि, इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूचना के अधिकार अधिनियम ने भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सूचना के अधिकार एक सशक्त हथियार साबित हुआ है और आगे भी यह भ्रष्टाचार के उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. The Right to Information Act 2005: A Handbook - by P.K. Das
2. Corruption and Governance in India: Issues and Perspectives - by S- K- Das
3. The RTI Story: Power to the People - by Aruna Roy, MKSS Collective
4. Transparency and Accountability in Governance: Through the Lens of Right to Information - by Anuradha Joshi| Peter Spink
5. The Impact of the Right to Information Act on Bureaucratic Corruption Evidence from India - by Shahe Emran| Rohini Somanathan
6. RTI and Corruption Control in India: A Review - by Jagdeep S. Chhokar
7. Using the Right to Information Act as an Anti - Corruption Tool - by Shyamlal Yadav
8. The Right to Information Act and Its Impact on Governance in India: by Rakesh Ranjan
9. Annual Report of the Central Information Commission

Search for Self in Chitra Benerjee Divakaruni's Literature

Dr. Vandana Singh* Varsha Tiwari**

*Research Guide, Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA

** PhD Scholar, Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract : Self Crisis is the biggest psychological problem nowadays. People want their name should be highlighted at least among few people. Personal Identity is not afrenzy but a factor for confidence and a variable to know about the surrounding. A person is a mere a dead thing in the absence of his or her own self. Self is an inactive phenomenon, active only in the presence of a name. It takes its birth from consciousness's infinite world. It knows no boundaries. Chitra Benerjee Divakaruni is the lady with the touch of feministic style. Chitralekha Banerjee or Chitra Banerjee Divakaruni was born in Calcutta, India in 1956 in a middle class family of Rajendra Kumar Banerjee and Mrs. Tatini Rajendra Kumar. She is an Indian-born American author, poet, a novelist, a fictionist and a professor pf Writing in Betty and Gene Mc David dept. of creative writing in the University of Houston. Her short story collection, "Arranged Marriage", won an American Book Award in 1996. Two of her novels ("Sister of My Heart" and "The Mistress of Spices"), including one short story *The Word Love* were adapted for movies. She talks about the existence of the women and she also cares about their place in society.

The present paper aims to evaluate modern women's search for self in the novels of Chitra the most prominent American Indian writer in the context of literary world and attributes of womanhood.

Keywords: Atmosphere, approaches, conflicts, revival, sufferings, survival, sacrifices and struggles.

Introduction - Self-identity is an aspect that every human in the world has. Without it, a person is in danger of being negatively affected by those around him/her and by the outside world. Some people are grappling with this identity-forming phase in their search for self-definition. This is reflected in so many ideas and innumerable writings. Therefore, this research aims to describe the search for self in the writings of two Non residential Indian female writers of American Diaspora but before criticizing their criteria of defining self, it is necessary to have a look on the concept of self from different angles. According to Merriam's Webster, Etymologically, the word self is derived from Germanic origin as *zelf*, and then transferred into and German's *selbe*. It was used to express the emphatic sense of "I" and "Myself" during the early 20th century. Later it became a word referred to the body. 'Self' actually plays a very vital role in human life. It provides a meaning-making lens and focus one's attention on an object with a specific personal view by neglecting other features of the immediate context. That is the reason why Collins English Dictionary defined it in a different way by saying the 'self' a possessive grammatical protocol to be used to form words which indicates that you do something to yourself or by yourself. Discussion about the female-self in a society where books are made for men to write, read, print and buy. It does not

mean that the woman did not desire and try to hold the book in her hands but she learned to speak, read and write after a thousand years of silence. She learnt to tell her story to the world while fighting the difficult situation but when her story was published, it did not reach her hands. It was habitually looted by male power. The 'book' stands here as a symbol of the knowledge of the world and the understanding of one's own being, from which the woman was deprived in a very systematic way. If we replace the word 'book' with the word 'life', then the meaning comes out even more openly that the matter is not only of the book, but also of the woman's life, the life which the woman has never been able to read, understand, hear, distribute according to her wish. Living life on her own terms is a far cry even today. The matter is so much that the woman reads the book of her life and writes it herself but how long does she live for hers and this is what we call identity crisis.

Search for self- identity or identity crisis is one of the most dominating thematic concerns in the novels of women literature. It starts from the suffrage movement of the First World War and settles itself during the very last generation of females.

Whether East or West, women is always remained in search of identities. India has a great past for this. Ras Sundari Devi of Bengal, after raising and giving

birth to 12 children, learned to read and write secretly in middle age and wrote her autobiography 'Amar Jibon'. Savitri Bai Phule of Maharashtra opened a school for the education of girls. There is also the example of Tarabai Shinde, who raised her voice against male power and caste system in the 19th century and also of Pandita Ramabai, who worked throughout her life for the rehabilitation and education of poor, helpless, outcast, widowed women.

This was a period of renaissance in which the whole of India was really sensitive towards women's rights. Still, writing as a woman was not easy. There were many restrictions on his life and writings. That's why the woman sometimes wrote anonymously and sometimes wrote under a pseudonym. Then she also had the audacity to write and publish in her own name. The editors of most of the magazines were men, but women received support and guidance as well. It is a different matter that men's insistence was focused on a good wife, a loving mother, a devoted woman, domestic knowledge and ideal qualities. At that time, magazines like 'Grihalakshmi' under the editorship of Gopal Devi and 'Stree-Darpan' under the editorship of Rameshwari Devi Nehru were also published, whose concern was to teach women to become ideal housewives and also to make them capable of intervening in social and political life by spoiling her own identity.

In the first half of the twentieth century, the political-social participation of women also increased a lot in the freedom movement, as a result, women not only thought about women's issues but also thought and wrote about knowledge and science around the world. But in the latter half of the twentieth century, after independence, when women's political usefulness ended, a strange attitude of men towards women's writing emerged. However, during this period, women also searched for their personal freedom and started creating new values of female identity by challenging the moral values of the male-dominated society, hence this attitude of men flourished further. This vision was to include the entire writing of women within the scope of 'women's discourse'. Women's discussion was a very heavy word through which women's natural desire to gain rights could be confused with many difficult questions but writing is writing, not male-female, hence why literature is divided on the basis of male and female?

Indian Literature has a long series of such female writers who speak about female existence in such a way that everybody can feel it. Usha Priyamvada- *Pachpan Khambe Lal Deewaryan (1961)*, *Rokugi Nahi Radhika (1967)*, *Sheshayatra (1984)*, *Antarvashi (2000)*, *Bhaye Kabir Udas (2007)*, Chandrakiran Sounrexa- *Chandan Chandni (1962)*, *Vanchitha (1972)*, Krishna Sobti- *(Mitro Marjani (1967)*, *Surajmukhi Andhere Ke (1972)*, *Zindinama (1979)*, *Dilodanish (1993)*, *Samay Sargam (2000)*, Shashiprabha Shastri - *Amaltas (1968)*, *Boats (1974)*, *Stairs (1976)*, *Behind the Shadows (1979)*, *Because*

(1980), *Karkarekha (1983)* 1992), *Silent Questions (1993)*, *Har Din Itihas (1995)*, Mehrunnisa Parvez- *Aankhon Ki Dahleez (1969)*

Although the women in English Literature, started writing with the arrival of Victorian Period in which many female novelists began to publish. It sees John Stuart Mill's challenging task to transform Victorian moral issues but in this journey, there was nothing like feminism. We meet feminism when this river of female literature riches to a new kind of feminist fiction shore after World War II, as female novelists, inspired by the prospect of a solely female art form and also alarmed by the striking similarity between feminist militancy and its male counterpart. When World War I broke out in 1914, perhaps activist women felt a sense of collective guilt; certainly W.S.P.U. (Women Social and Political Unions) members relocated their resources and energy from the very vote to the battle with suspicious alacrity and the new movement named Feminism arrived. Although females did not admit their writings as feminine - writings but feminists around the world have differentiated them by their causes, goals, and intentions depending on time, culture, and country. Most Western feminist historians assert that all movements that work to obtain women's rights should be considered feminist movements, even when they did not (or do not) apply the term to themselves. Some other historians limit the term "feminist" to the modern feminist movement and its progeny, and use the label "proto feminist" to describe earlier movements. (Botting 278).

Search for self in Chitra's Literature: Chitra Banerjee Divakaruni, English-language Indian novelist, writer of young, children, adult women and sometimes of current modern issues, who excelled in evoking characters and moods through visual images ranging from villages to the cities, religious to the modern and the meteorological to the botanical is an award-winning writer, social activist, speaker and professor, and the author of 21 books such as *Sister of My Heart*, *Mistress of Spices*, *Before We Visit the Goddess*, *Palace of Illusions*, *The Last Queen* and *The Forest of Enchantments*. Her newest novel, *Independence*, depicts the experiences of three sisters in strife-torn Calcutta as India frees itself from the British yoke.

Her work has been published in several magazines, anthologies and journals including *The Best American Short Stories*, *The Atlantic* and *The New Yorker* with O. Henry Prize Stories. These stories and literary works are translated into more than 40 languages. Dutch, Hebrew, Bengali, Hungarian, Turkish, Hindi and Japanese literature is also benefited by the translated version of Banerjee's works. Her works are used in films, plays, dance dramas, operas and other forms of performing arts.

Arranged Marriage (1995) is thus an anthology of short stories on the subject of traditional Eastern arranged marriages by Chitra Banerjee Divakaruni. The stories do not attempt to make a moral claim about the millennia-old tradition; rather, they constitute a mosaic of perspectives

that validate its lived experience in the modern world. It is the first story of "Arranged Marriage," and is told from the perspective of an anonymous seven-year-old whose life has no meaning except to be aware that his mother suffers from domestic abuse. The title of the story is "The Bates". The story line set in such an atmosphere which expresses the marriage as a synonymous term with the violence against women. It is woven and characterized as a phenomenon well-knit with the multiple role determined for a woman and it is defined as *Dhol, gawar, kshudra, pashunari, sakalsakalkeadhikari* (Tulsi Das Samudra Kop 395) under the above quatrain of holy book the act based on gender relations that results in women's physical and psychological damages is not suffering but it refers to the hierarchy of power which is necessary for male in desire of domination. It can be used consciously sometimes in marital relations and sometime as a mechanism for annihilation of women to realize them that they are negligible. The story is set on the same theme that how a lady by the fear of society could not take any stand for herself. It is set in hot Calcutta dark deals with strained marital relationship of a couple. The story not only shows the failure of arranged marriage in the context of modern times but also expresses that how in an arranged marriage the circumstances in most of the middle-class married women becomes a question of existence by being the victim of domestic violence and it is in vain to try hard to find an escape.

The woman along with her eleven-year-old daughter runs away from her husband's house for a sojourn in an old man's house, her distant relative who lived all alone. Soon she writes a letter to her husband to allow her back home. Again while explaining the reasons of her return the woman says, "I could not stand it, the stares and whispers of the women, down in the marketplace, the loneliness without him" (Divakaruni 12). Now the question is what is the theme of the story? The fiction gives us only the idea of a woman being beaten by her husband. 'What for' is not brought to question. This was perhaps because that might have digressed the fiction to several other related issues. Therefore, she focuses on domestic violence between spouse specifically. After dealing with this issue in the fiction, Divakaruni, through symbols of bats, hints at a solution but

the cost is big. The loss of hard-earned silver ring from the fish symbolises loss of the bond of love and charm that makes house a home. The psychological pressure given by society on women is not a type of open violence against women but it confines them under a circumference and realize that they have no place except to grow under the shadow of a male and this pressure has a social distribution around the world.

L.P Garcia says, "being indicated as a kind of universal violence, practiced pre-eminently by husband, partners or people very close to women"(Garcia)

Conclusion: Divakaruni's works are largely set in India and the United States, and often focus on the her own experiences of South Asian immigrants. She has a full length account of the pleasure and pain in diaspora whether she writes for children as well as adults, and has published novels in multiple genres, including all the problems of realistic fiction, historical fiction, magical realism, myth and fantasy etc. She is one such first generation immigrant writer. She has spent part of her life in America. She is a prolific writer, story teller, poet and social activist. She as an expatriate has penned down her minute observations and experiences in her works but above all her works majorly deal with feminism and diasporic consciousness of female which are problematic areas of contemporary postcolonial theory. Divakaruni's has skilfully narrated socio psychological trauma and disillusionment of female immigrants and their adaptation to such situations. The stories also outline the various issues women face in social system which is still patriarchal to a great extent. Some of those stories are being analysed in the light of various issues of diasporic female consciousness.

References:-

1. Collins English Dictionary Hardcover – 4 June 2007, India Publisher : Collins; Ninth edition (4 June 2007).
2. Botting, Eileen Hunt; Houser, Sarah L. (2006). "Drawing the Line of Equality": H (Botting 278) annah Mather Crocker on Women's Rights". The American Political Science Review. 100 (2): 265–278.
3. Garcia LP, Freitas LRS, Höfelmann DA. Avaliação do impacto da Lei Maria da Penha sobre a mortalidade de mulheres por agressões no Brasil, 2001-2011. Epidemiol Serv Saude.

Disabled Students in the State of Madhya Pradesh, India : An Imperial Study

Roshani Pandey*

*Assistant Professor (Law) Institute of Law and Legal Studies, Sage University, Indore (M.P.) INDIA

Abstract : Madhya Pradesh, the education level of disabled individuals is better compared to other states in India. About 52.54% of the disabled population is literate, while the overall literacy rate in the state is 70.63%. This study analyzed 1,552 disabled students, including 831 boys (53.54%) and 721 girls (46.46%). Visual impairment is the most common disability, affecting 559 children (36.01%). Mentally retarded children make up 508 (32.73%). Other disabilities include hearing impairment (7.15%), orthopedic issues (5.8%), speech problems (5.09%), cerebral palsy (1.55%), multiple disabilities (10.12%), and learning disabilities (1.55%).

Introduction - Disability is a global issue that intersects with marginalization and social exclusion. People with disabilities often face systemic barriers that hinder their access to opportunities for social and economic development (Amartya Sen and Wolfensohn, 2014). This population is denied fundamental rights such as education, employment, and healthcare, perpetuating cycles of inequality. However, disabilities are not uniform; they encompass various forms, each requiring specific care, support, and intervention (Leni, 2006).

India has a significant population of disabled individuals. According to the 2011 Census, approximately 26.8 million people, or 2.21% of the population, live with disabilities. Activists argue that the actual figure could be higher due to underreporting. The diversity in disability types and their prevalence highlights the need for inclusive policies and programs to address these challenges and promote equitable growth for this marginalized group.

Disability: Meaning and Definition

Disability is a complex and relative concept, shaped by cultural, social, and contextual factors. Different cultures and societies have unique perceptions of what constitutes "normal" abilities, making disability a subjective and evolving idea. Over time, various fields have defined disability for distinct purposes, often focusing on medical, social, and political perspectives.

The Oxford Dictionary describes disability as an impairment that may be intellectual, physical, cognitive, sensory, or mental, impacting a person's ability to perform everyday activities. Disabilities can be present from birth or develop later in life.

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) defines disability as the

interaction between individuals with impairments and environmental or societal barriers that hinder their full participation in society on equal terms with others.

Historically, the medical model of disability dominated, viewing disability as a deviation from the "normal" body and mind. This approach categorized individuals as healthy or unhealthy, normal or abnormal, creating a hierarchy that marginalized disabled individuals. During the 18th and 19th centuries, Western societies adopted this medicalized view, reinforcing social control through "bio-politics." Disabled bodies were often labeled as inferior, with the medical profession playing a central role in shaping societal attitudes and policies.

In contrast, modern frameworks emphasize a more inclusive perspective, recognizing the importance of addressing societal barriers, empowering individuals, and fostering equal opportunities for people with disabilities.

Objectives Of The Study :

1. To know the growth rate of disabled population in The state of Madhya Pradesh .
2. To study the educational status of persons with disability in different districts of Madhya Pradesh .
3. To examine the work participation rate of disabled population in across the states in India.
4. To offer policy suggestions for upliftment of the disabled students of Madhya Pradesh

Disability in india : As per the 2011 Census, India has 26.8 million individuals with disabilities, accounting for 2.21% of the total population. This marks an increase from 21.9 million in 2001. Among the disabled, 14.9 million are males, while 11.9 million are females. A significant majority, 18 million, live in rural areas, compared to 8.1 million in urban areas. Disability prevalence stands at 2.41% for

males and 2.01% for females. Social group analysis shows 2.45% of the disabled population belongs to Scheduled Castes (SC), 2.05% to Scheduled Tribes (ST), and 2.18% to other categories.

Disability in Madhya Pradesh (MP): Madhya Pradesh is home to 15,51,931 disabled individuals, representing 2.14% of its total population and 5.79% of India's disabled population. Notably, 7.59% of MP's disabled population are children, making up 5.76% of India's total disabled children. The Census 2011 revealed that one in every 100 children aged 0-6 years in India has a disability, with 23% having hearing impairments, 30% visual impairments, and 10% movement-related disabilities.

In MP, only 52% of the disabled population, approximately 8,10,368 individuals, are registered as beneficiaries with the Department of Social Justice. This reflects a gap in social security coverage for the disabled. The educational and work participation rates among the disabled in MP remain low, further marginalizing them. Since education is crucial for integration into mainstream society, this study focuses on the educational infrastructure and support provided by institutions under the Department of Social Justice in the state.

Data Collection : The researcher visited various schools under all Block Resource Centers across three districts. After seeking permission from the school head, interviews were conducted with selected special children and their teachers. A specially designed schedule for disabled students was used to interview the children, followed by interviews with the teachers or school heads using a separate schedule tailored for them.

Results and Discussion: This study involved a sample of 1,552 students with disabilities from different districts of Madhya Pradesh who were availing welfare schemes. The data collected from these respondents was analyzed to provide a detailed profile, including personal and family details such as age, gender, religion, marital status, cause and type of disability, family structure, and living arrangements. The analysis also covered aspects like disability pension or unemployment allowance and essential identity documents such as voter ID, ration card, Aadhaar card, and disability certificates required for accessing

welfare schemes.

Additionally, the study examined the educational, occupational, and income details of the respondents and their families to understand their socio-economic conditions and participation in welfare initiatives.

Conclusion : The condition of the disabled community in Madhya Pradesh underscores the urgent need for a comprehensive, inclusive approach to address the unique challenges and disparities faced by this demographic. It is crucial for the Madhya Pradesh government to collaborate with non-governmental organizations and civil society to formulate holistic policies and programs that ensure equitable access to healthcare, education, and employment opportunities. These initiatives should also consider the specific needs of different regions to maximize their effectiveness. The overarching goal should be to foster a more inclusive and equitable society where individuals with disabilities can actively participate in and contribute to their communities.

References:-

1. Reddy. From Impairment to Disability and Beyond: Critical Explorations in Disability Studies. Sociological Bulletin. 2011;60(2):287-306.
2. Chand D, Reddy RC. Disability and Social Exclusion: A Study on State Initiatives towards People with Impairment. Journal of Social Science Institute. 2012;31(3&4):123-139.
3. Leni C. Disability in India: Issues and Concerns. Ess Conference Paper; c2006.
4. Amarthya S, Wolfensohn JD. Helping Disabled People out of the Shadows. New Perspective Quarterly, 2014, 31(2).
5. Barki U, Bagalkoti S. Status of Persons with Disability in India: An Analysis. International Journal of Multidisciplinary Research. 2023;9(12):7-19.
6. Bailey Jr DB, Hebbeler K, Scarborough A, Spikes D, Mallik S. First experience with early intervention: A national perspective. Pediatrics. 2004;113(4):887-896.
7. Kumar SG, Das A, Soans SJ. Quality of rehabilitation services to disabled in a rural community of Karnataka. Indian J Community Med. 2008;33:198-200

A Study on Tax Perception of Individual Assessed and Investment Decision (in Respect of Barwani District)

Dr. Krishna Bhuriya* Vivek Solanki*

*Assistant Professor (Commerce) B. L. P. Govt. P. G. College, Mhow, Indore (M.P.) INDIA

** Research Scholar (Commerce) Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA

Abstract : The purpose of the study is to learn about the factors effecting selection of tax saving instruments by individual assessed in Barwani District. To assess the level of awareness an individual assessed has towards tax saving instruments available as per The Income tax laws. The study also tries to identify the most appropriate and prevalent tax saving instruments used by individual assesses to reduce their tax liability. The study will try to assess relation between the demographic profile of the individual and tax saving instruments adopted by them.

Keywords: Tax Planning, Tax avoidance, Tax evasion, Tax Saving instruments, Tax Awareness.

Introduction - Investment is a financial activity carried down with the objective of getting return. It is the commitment of funds which have been saved from current consumption with the hope that some benefits will accrue in future.¹ Thus; it is a reward for waiting for money. So, the first step to investment is savings.

Tax systems do not just raise revenue for the governments, but increasingly they have become policy instruments that modern governments use to pursue various goals.² When these goals require the establishment of systems that are not in harmony with the social development, conflicts are bound to arise.³ taxpayers' increasing even tax evasion; or simply governments' attempt at reforms, aimed at bringing the tax systems closer to the social environment.

Studying what factors determine tax planning attitude and behavior in barwani district is not only of academic interest; it is also important from a policy perspective.⁴ Attempts to broaden the tax base must build on insights into how employees experience and perspective the tax perception and planning, and whether and how their tax behavior is correlated with how they perceive.

Primary information collected on taxpayer attitudes are therefore required for better analysis and a more informed tax policy design. By empirically establishing which factors affect tax planning in the selected barwani district, the paper derives feasible policy recommendations for policy makers and revenue administrations.

Literature Review

Sreelatha Reddy and Lalitha Narayanan¹ (2015)⁵ this study based on factors affects the individual investment decision. This study was based on primary data. Data were collected from 246 working women by using Non-Probabil-

ity Convenient sampling technique. Such collected data analyzed with the help of statistical tools like Descriptive analysis, Chi- square tests, ANOVA, Factor analysis, Regression analysis and other basic techniques using SPSS and Excel. They found that among all investment avenues, investments in Provident Fund followed by Monthly Investment Schemes (MIS) in post office are considered to be the safest and most preferred by the sample respondents.

Suchitra (2015)⁶ made a study to examine the investment pattern in selected financial products. This study was based on both primary data and secondary data. The required primary data have been collected from 40 sample respondents by using Non-Probability Convenient sampling method. Such collected data have been analyzed with the help of statistical tools like Percentage, Ranking analysis and Factor analysis. It is found that regular income was the most influencing factor while selecting an investment avenue followed by safety.

Thulasi priya (2015)⁷ studies to examine the investment preference of Government employees on various investment avenues and factors considered by them before investing. This study was based on primary data. The required primary data have been collected from 500 sample employees by using convenient sampling technique through Questionnaire. Such collected data have been analyzed with the help of statistical tools like Percentage, ANOVA, 't'-test and Freidman's Ranking Analysis. On the basis of the findings, it is concluded that the age, annual Income, occupation and marital status of the salaried group investors influence the investment option which will provide the long term benefit and highly secured cum profitable avenues.

Neha Shukla (2016)⁸ study to know the salaried personnel's preference towards different investment avenue. This study

was based on both primary and secondary data. Primary data was collected from 100 sample respondents by using Convenience sampling technique. Such collected data have been analyzed with the help of software like Microsoft Excel and SPSS On the basis of the findings, it is concluded that patterns of investment of the investors varies on the basis of various demographic factors and majority of respondents invest for purchasing home for long term growth. **Arumugha Kanis (2016)⁹** made a study to examine the middle income persons' investment pattern awareness available and the preference of the investment. This study was based on primary data. The required primary data have been collected from 55 sample respondents by using Convenience sampling technique. Such collected data have been analyzed with the help of statistical tools like Percentage and Weighted average. It is found that the respondents strongly agree that the lack of simplicity in procedure and lack of awareness are the main factors which change their investment decision.

Madhumala Pathy (2017)¹⁰ Study to determine the factors which influencing the savings, analyze the attitude toward savings and evaluate the saving preference of the rural people. This study was based on both primary data and secondary data. The required primary data have been collected from 50 rural households through Questionnaire. Such collected data have been analyzed with the help of Percentage, Chi-square test and Ranking. It is found that majority of the rural households have less knowledge about the investment in industrial securities but at the same time they prefer to make investment in bank and post office.

Scope of the study: The scope of the present study is understood what factors affect in the tax planning activities government employee in Barwani district.

Objective of the study: The core purpose of the study is to explore the determinants influencing the adoption of tax planning instruments as well as identify the highly adopted tax planning instrument among academicians, Doctors and Clerk.

Hypothesis:-

H1: There is a significant relationship between Tax Perception of Individual Assessed and Investment Decision.

Research Methodology: The study is descriptive study as this study aims to find out the determinants influencing the adoption of tax planning instruments and also find out the highly adopted tax planning instrument among the academicians, doctors and clerk for tax saving.

Sample: The sample size selected from the population was 400. The study was done at Barwani District in Madhya Pradesh. The population under the study was considered 172 School Teachers, 81 Asst. Professor, 19 Professors, 41 Doctors, 87 Clerk respondents. The population for the study consists of salaried employee income tax assesses working in Barwani district.

The sampling method here used for taking samples from the population is convenient sampling.

Sources of data: Primary data are collected from 400 respondents of salaried employee by using survey method Questionnaire is a tool of survey.

Secondary data will be collected from published sources and reports published in the internet.

Tools of analysis: All the data were tabulated and analyzed with the help of percentage, table and Chi-Square test.

Data analysis and interpretation: Table 1 provides the information about demographic profile of the respondents. 4 demographic variables were taken to get the information regarding of the respondents such as gender, age, income and savings. The demographic profile of the respondents can be represented as follows:

Table: 1. Profile factors of the Respondents

S.	Demo-graphics	Categories	No. of the Respondents	Percentage%
1	Gender	Male	351	87.75
		Female	49	12.25
		Total	400	100
2	Age	Below 40	97	24.25
		41 to 55	169	42.25
		Above 56	134	33.5
		Total	400	100
3	Annual Income	Up to 2.5 lakh	21	5.25
		2.5 to 5 lakh	43	10.75
		5 to 10 lakh	283	70.75
		10 lakh and above	53	13.25
		Total	400	100
4	Pattern of saving	Up to 10%	50	12.5
		11 to 20%	214	53.5
		21 to 30%	75	18.75
		31 to 40%	36	9
		Above 40%	25	6.25
		Total	400	100
5	Amount of tax paid	Below 20000	91	22.75
		20000 to 50000	134	33.5
		50000 to 80000	112	28
		Above 80000	63	15.75
		Total	400	100

Source: Primary Data

The profile data presented in Table: 1 indicated that 12.25 percent of respondents are female and 87.75 percent of respondents are male employees. Majority of 42.25 percent of respondent's age group 41 to 55 year. The table reveals that 57.75 percent of the respondents having number of dependents in family members 2, 29.5 percent of the respondents having number of dependents in family members 3 to 5 and 13.25 percent of the respondents having number of dependents in family members above 6. Majority of the respondents 70.75 percent of them getting annual income between 5 lakhs to 10 lakhs. From the above table, it can observe that 53.5% of the employees are saved 11% to 20% from their previous year income in various taxes saving scheme. Only 6.25% employees saved above 40%

from their income in different tax saving schemes.

Table 2 provides the information about factors on Investment decision. The respondents can be represented as follows:

Table 2 (see in last page)

It is clear that out of twelve variables in the set of investment factors, majority of the respondents are Income can be increased by saving tax, followed by execution of Income tax is the most complex concept to understand. Least preference is Burden of medical expenses is covered by planning tax.

Findings:

1. In this survey majority of the respondents (87.75%) are male and (12.25%) are female respondents.
2. In this survey majority of the respondents are divided according to the age, as 24.25% respondents fall under the age group of Below 40, 42.25% respondents fall under the age group of between 41 to 55, while remaining above 56 falls under 33.5%.
3. In this survey majority of School Teachers respondents are living in Rural areas (59.25%), 13.5% of respondents in urban areas and (27.25%) in semi-urban areas.
4. In this survey 43% respondents are School Teachers, 20.25% respondents are Asst. Professors, 4.75% respondents are Professors, 10.25% respondents are Doctors, and 21.75% respondents are Clerk as employees in various Government offices.
5. In this survey around 57.75 percent of the respondents having number of dependents in family members 2, 29.5 percent of the respondents having number of dependents in family members 3 to 5 and 13.25 percent of the respondents having number of dependents in family members above 6 member.
6. In this survey around 5.25% of respondents are having annual income of less than Rs. 2,50,000, 10.75% of respondents are having annual income between Rs.2,50,000 to Rs.5,00,000, 70.75% of respondents are having annual income of between 5,00,000 to 10,00,000 and rest 13.25% of respondents are having annual income of more than 10,00,000.
7. In this survey 12.5% of respondents save 10% of the respondents in a year, 53.5% of respondents save 20% of the income in a year, 18.75% of respondents save 30% of the income in a year and 9% of respondents save 40% of the income in a year and 6.25% of respondents save above 40% of the income in a year.
8. In this survey 36.25% of employees get information about taxation Through working Institutions, 23.25% of employees get information about taxation through tax consultant, 13.25% of employees get information about taxation through media and 27.25% of

employees get information about taxation through friends and relatives.

9. 38% respondents pay tax to secure the saved money, 50.5% Tax planning is an important component of investment planning, 47.75% Rate of return from the investment is influenced by tax rate, 74.75% Income can be increased by saving tax, 55.25% Be a wise investor in saving tax, 63.75% Income tax is the most complex concept to understand. 41.75% Aim at growth and security of money, 58% Tax laws should be simple, 33.5% Earn more by paying less tax on income, 48.75% Financial planning is complete only after effective tax planning, 47.5% Wealth distribution is influenced by the tax system and 19.75% Burden of medical expenses are covered by planning tax.

Discussions:

1. Awareness value of mean indicates that the respondents are partially aware and closely have the moderate level of awareness on various tax planning measures available on professional tax under the income tax act.
2. The most important factor which influences the tax planning behavior of individuals, consisting of safety of money invested and less risk, followed by thinking about good returns while tax planning. The third factor that influences an individual's tax planning is that they always consider the future in their lives, such as their children's education, owning a home, and so on. Loan facility, tax benefits, and retirement life are also important factors.
3. The study also reveals that there is no variance between Male and Female towards awareness of tax planning measure.
4. Understanding this interplay is crucial for policymakers. It underscores the importance of aligning tax policies with the level of economic development to ensure that taxes are perceived as fair and that citizens see tangible benefits from their contributions.
5. Governments can engage in public campaigns to educate citizens about the importance of taxes in funding essential services and infrastructure. Education is a powerful tool for changing tax perceptions. Incorporating financial literacy and civic education into school curricula can help citizens understand the tax system better.

Conclusions: In conclusion, this research paper provides a comprehensive examination of the complex relationship between taxpayers and taxation systems. The research provides a comprehensive demographic overview, revealing diverse perspectives across gender, age, education, and income groups. The consensus on key tax purposes, the diverse views on fairness, and the call for transparency

and reform emphasize the complicated nature of taxation. This research contributes valuable insights into the complex dynamics of tax perception, offering a foundation for further investigations into the relationships between demographics, tax satisfaction, and perceptions of tax fairness. These insights have practical implications for policymakers seeking to inform tax policies, enhance public engagement strategies, and ultimately foster a more positive and informed citizenry.

References:-

1. Ria Sinha. 2010. An International Comparison of Tax Regimes. Discussion paper at Centre for Budget and Governance Accountability. New Delhi.
2. Ankita Gupta. 2009. The Trends and Responsiveness of Personal Income Tax in India. Project Report Series, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai.
3. Govinda Rao.M . 2005. Tax System Reform in India: Achievements and Challenges Ahead", Working Paper, National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi.
4. Sathyavathi Porol (2014),"A Study on Tax administration and Tax Planning towards salaried employees". Journal of Research, 45-87.
5. Sreelatha Reddy, K. and Lalitha Narayanan, (2015), "Investment pattern of working women in the twin cities of Ilyderabad and Secunderabad - A study. Asian Journal of Management Research, Vol. 6. Issue: 1. May. Pp.223-242.
6. Suchitra A. (2015). "A Study on the Investment pattern of selected Financial products", EPRA International Journal of Economic and Business Review, Vol. 3, Issue: 7, July, pp.99-105.
7. Thulasipriya, B., (2015). "A Study on the investment preference of Government employees on various investment avenues", International Journal of Management Research and Social Science, Vol. 2, Issue: 1. January March, pp.9-16
8. Neha Shukla, S., (2016), "Investors' preference towards investment avenues with special reference to salaried personnel in North Gujarat Region, International Journal for Science and Advance Research Technology, Vol. 2, Issue: 1, January, pp.43-49.
9. Arumugha Kani, A., (2016), "A study on middle income persons' investment pattern in Tirunelveli City", SSRG International Journal of Economics and Management Studies, vol. 3, Issue: 4, July-August, pp.54-56
10. Madhumala Pathy, (2017), "Saving and investment habit of rural households in Cuttack district of Odisha", International Journal of Commerce and Management Research Vol. 3, Issue: 2, February, pp. 56-58.

Table 2: factors on Investment decision

S. No.	Statement		Strongly Agree		Agree		Neutral		Disagree		Strongly Disagree		Total	
			No. of Respondents	Percentage	No. of Respondents	Percentage	No. of Respondents	Percentage	No. of Respondents	Percentage	No. of Respondents	Percentage	No. of Respondents	Percentage
1	pay tax to secure the saved money	38	69	17.25	83	20.75	59	14.75	117	29.25	72	18	400	100
2	Tax planning is an important component of investment planning	50.5	87	21.75	115	28.75	63	15.75	84	21	51	12.75	400	100
3	Rate of return from the investment is influenced by tax rate	47.75	113	28.25	78	19.5	81	20.25	69	17.25	59	14.75	400	100
4	Income can be increased by saving tax	74.75	187	46.75	112	28	37	9.25	19	4.75	45	11.25	400	100
5	Be a wise investor in saving tax	55.25	136	34	85	21.25	71	17.75	54	13.5	54	13.5	400	100
6	Income tax is the most complex concept to understand.	63.75	159	39.75	96	24	58	14.5	46	11.5	41	10.25	400	100
7	Aim at growth and security of money	41.75	69	17.25	98	24.5	71	17.75	83	20.75	79	19.75	400	100
8	Tax laws should be simple	58	119	29.75	113	28.25	89	22.25	41	10.25	38	9.5	400	100
9	Earn more by paying less tax on income	33.5	81	20.25	53	13.25	62	15.5	113	28.25	91	22.75	400	100
10	Financial planning is complete only after effective tax planning.	48.75	109	27.25	86	21.5	91	22.75	67	16.75	47	11.75	400	100
11	Wealth distribution is influenced by the tax system.	47.5	131	32.75	59	14.75	48	12	96	24	66	16.5	400	100
12	Burden of medical expenses are covered by planning tax	19.75	41	10.25	38	9.5	56	14	119	29.75	146	36.5	400	100

Source: Primary Data

Impact of Share Buyback on Small-Cap Companies' Share Prices in India: A Short-Term Analysis

Manish Kumar Gupta* Dr. Navneet Kaur Bhatia**

*Research Scholar, International Institute of Professional Studies (IIPS), DAVV, Indore (M.P.) INDIA

** Assistant Professor, International Institute of Professional Studies (IIPS), DAVV, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - Analyzing how announcements of share buybacks impacted the stock prices of small enterprises between 2019 and 2022 is the main goal of the research study. Based on their market capitalization, the historical share prices of 15 companies were collected. Any one of the two indexes—the BSE or the NSE—has these companies listed. Applying the event window methodology as a statistical tool to assess how share buybacks affect the price of small-cap stocks over a given time period, which spans from -40 to +40 (a total of 81 days). The study's findings imply that the shares of small-cap companies did not exhibit notable price movement for the majority of the days during the event window on the announcement of a share buyback in the short term, indicating that the small-cap companies' share price did not significantly respond on share buyback announcement. In addition to the previously mentioned finding, the small-cap companies' share showed distinct responses throughout the pre and post sub-event windows. This suggests that during the majority of the post-event sub-windows, the price of the small-cap companies' share varied significantly.

Keywords: Share Buyback, Small-Cap Companies, Event-Window.

Introduction - Share buybacks are now a typical occurrence in global financial markets. Under a share buyback program, a company buys back its own shares, usually at a premium, to disperse the extra cash flow to the shareholders. The company wants to show its stockholders that it has a great deal of faith in itself, among other reasons. With approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the practice of share buybacks began in India in 1998. This practice benefits all parties involved, including the corporation and the general public (shareholders). Since then, numerous announcements of share buybacks have surfaced.

The motivations for share buybacks are generally unclear, including whether they are to imply an increase in share prices, EPS accumulation, or promoter shareholding. But in the majority of wealthy nations, where share buybacks are far more common than in India, they are viewed as a kind of shareholder reward comparable to dividend payments.

The following methods can be used by a business to repurchase its shares:

Fixed price tender offer: A company may formally offer its shareholders the chance to tender or submit their shares within a specific time frame at a defined price, usually at a premium. The use of tender offers occurs when the buyback is marginally significant.

Open-market proposal: A company may use brokers to

repurchase its stock from the market. The market determines the actual buyback price, even though the firm may set the maximum and minimum. When the buyback is relatively minor, the open market route is employed.

Share Buyback in Indian Context: A share buyback occurs when a business repurchases its own shares that it had previously issued to the market. Theoretically, a company's buyback of its shares is motivated by the idea that the share's intrinsic value is significantly more than its market price and the management thinks the share is undervalued. In typical market circumstances, a When a firm announces a repurchase, it conveys to the market that the pricing for the underlying shares is less than their intrinsic value. Given that the buyback typically occurs at a premium, investors who sell their shares for a profit, and those who retain profit from increased EPS.

In India, the share buyback process entails adhering to SEBI regulations and company law rules. The company executes an MOU with SEBI to begin the repurchase process. The applicable SEBI Rules, Regulations, and Guidelines are followed when conducting the Due Diligence activity. The offer document and public announcement are then created. Sections 77A, 77AA, and 77B of the Companies Act of 1956 outline the rules governing share buybacks.

The Companies Act of 1999 introduced these. In accordance with Section 77A(2)(f) and (g), the Securities

and Exchange Board of India (SEBI) created the SEBI (Buy Back of Securities) Regulations, 1999, while the Department of Company Affairs created the Private Limited Company and Unlisted Public Company (Buy Back of Securities) regulations, 1999. With approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the practice of share buybacks began in 1998 in India with the goal of benefiting all parties involved, including the public (shareholders) and the company itself.

The Companies Act of 2013 has provisions pertaining to share buybacks in Section 68. In line with this, it allows a business, whether private or public, to repurchase its shares or other designated securities following the guidelines set forth in Section 68 and the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014. Companies should also abide by the relevant provisions of the Companies Act and the share purchase guidelines established by SEBI under the (SEBI) (Buy-back of Securities) Regulations, 1998. The 1998 SEBI (Buyback of Securities) regulations are superseded by the updated 2018 SEBI regulations.

Review of Literature:

Franz et al. (1995) discovered that the notification of open market repurchases reduces informed trade risk, which in turn causes the bid-ask spread to drop. Though insider trading activity before the announcement of stock repurchases is helpful to corroborate undervaluation signal, especially for unvalued firms, insider trading and company stock repurchases are typically caused by stock undervaluation. et al. Chan (2012).

Dittmar (2000) notes that companies repurchase shares in order to profit from the undervaluation. Furthermore, additional research indicates that businesses are motivated to return excess funds that have been collected over time to shareholders. Adequate evidence suggests that companies repurchase shares during specific times to change their leverage ratio, offset the dilution impacts of share offers, and prevent takeovers.

Guffey and Douglas (2004) investigate if businesses can repurchase shares with tax benefits. They discovered that companies with higher tax rates are more likely than those with lower tax rates to announce share repurchases. Additionally, they discover proof that companies that declare share repurchases have lower debt-to-equity ratios than companies that don't. Regardless of whether a tender offer or an open market offer is employed, tax considerations are shown to be the least significant aspect of the acquisition strategy. Nonetheless, there is compelling evidence that the primary explanatory factors for the stock buyback choice are tax motivation and a lack of viable investment options.

Mishra (2005) examines how the price reaction is affected by the buyback announcement time. Additionally, he evaluates whether the management's announcement of such buybacks serves the interests of non-tendering shareholders. In order to distribute a company's excess cash flows among its targeted shareholders and to instill a

firm's faith in its own growth prospects, buybacks are implemented, according to the author.

Kim J. (2007) examines shifts in the daily return volatility linked to share buybacks on the open market. He discovers proof that when businesses repurchase shares on the open market, the return volatility is lower when the transaction takes place when share prices are declining. Additionally, he discovered enough proof to support the subsequent buyback rather than the announcements' unfavorable correlation with daily return volatility. When the company genuinely buys back its shares, the CAPM beta falls.

Fu and Huang (2015) discovered that stock price efficiency is reflected in the absence of long-run anomalous returns following a repurchase event. According to earlier studies, share repurchases will increase the stock price's accuracy by offering price support at fundamental values (Brav et al., 2005; Busch & Obernberger, 2017; Dittmar, 2000) and speed up the incorporation of new, positive information into the stock price (Busch & Obernberger, 2017; Hou & Moskowitz, 2005).

Research Gap: A large number of earlier studies have assessed how share buybacks, independent of a company's market capitalization, affect stock prices in the short term. The current study, however, concentrated on small-cap companies according to market capitalization. Next, the present study will look at how share buybacks affect small-cap companies' stock values in the short run using these categories as a base. Only companies whose stock is easily bought and sold on the open market—that is, whose stock is actively traded—have been included in this research project.

Objective of the study:

1. To assess the short-term effects of share buybacks on small-cap enterprises.
2. To examine the notable difference in the share return before and after the share buyback announcement.

Data and Methodology: The current study uses an event study methodology to examine the research topic and is empirical in nature. Over the past forty years, event study technique has made significant strides in the field of capital market research. Corrado (2011) According to the market model, the event is assessed by calculating the abnormal returns resulting from changes in rating (Brown & Warner, 1985).

The steps in the event study approach are described as follows:

Event window: The announcement of the event to the capital markets or media, whichever goes first, takes place on the day of the event. Days (-40, +40) denote the event-window, and the event day is $t=0$. A log return is used to calculate the Daily Actual return in Microsoft Excel.

Cumulative Average Abnormal Return (CAAR): The Cumulative Average Abnormal Return is calculated by summing the average abnormal returns for each day. Cumulative Average Abnormal Return provides a more

realistic and seamless representation of the degree to which an event influences a given variable.

$$CAAR = \frac{1}{n} \sum CAR_t$$

Result Analysis: After gathering the data, we process it using an event window statistical tool. The estimation window lasts 240 days, whereas the event window lasts 81 days (40 days prior to the event and 40 days following it). Using MS Excel, a number of tests were run on the data, producing the following outcomes.

Table no.1 (see in last page)

According to the above table, small-cap companies delivered positive returns in the form of average abnormal return (AAR) and cumulative Average abnormal return (CAAR) most of the time during the pre-event window. This indicates that the share of small-cap companies delivered positive returns just prior to the event, while during the post-event window, the share of small-cap companies delivered negative returns in the form of AAR (average abnormal return) and cumulative abnormal return (CAAR). As a result, the pre- and post-event reactions of the small-cap companies varied.

In order to determine whether the share prices of small-cap companies responded significantly or not, the t-test was applied to the average abnormal return (AAR). Over the course of the event window, the stocks responded significantly on the -7th, 8th, 9th, 10th, and 17th days, but not much on the remaining days.

Sub-period Analysis: In order to determine whether the announcement of a share repurchase had an impact on the share prices of small-cap firms or not, the event window was further subdivided into sub-event windows to determine the specific implications of the share buyback on the share prices of small-cap companies on a fixed time –period. The sub-periods that make up the event window are (-40,40), (-35,35), (-30,30), (-25,25), (-15,15), (-10,10), (-5,5), (-2,2), (-1,1), (-1,3), (-1,7), (1,10), (1,15), (1,30), and (1,40). Every sub period's CAAR has been computed, and a t test is used to see if the CAAR value varies significantly from one period to the next.

Table no. 2 (see in last page)

The majority of post sub-windows, including (1, 15), (1, 20) and (1, 40), had T-values of CAAR greater than 1.96, indicating significant price movement in the stock. In contrast, no significant price fluctuation was seen in any of the pre-event windows, indicating that the share buyback information had not been leaked before the event. In addition to the CCAR T-value, the cumulative average abnormal return (CAAR) for each sub-window shows a negative CCAR value, indicating that the stock provided a negative return for the bulk of the sub-window.

Implication of the study: The study paper's findings are helpful to investors since they show that, as an event, the buyback of shares has resulted in a negative return in the near term. This indicates that within the event window, small-

cap companies saw a negative return.

Limitation of the study: Every coin has two sides, a positive and a negative one, and the current study is not an exception. Notwithstanding the measures used to mitigate the drawbacks, the present investigation has many noteworthy constraints, which are stated beneath. The securities of Indian corporations listed on the NSE or BSE are the only ones included in the current analysis. Even though this inquiry mostly used secondary data, it wasn't without its limits.

Conclusion of the study: The impact of share buybacks on stock prices has been the subject of numerous previous research studies, most of which did not analyze the impact of specific events on the companies or categorize them based on their market size. The current study assessed the impact of share buyback announcements as an event on the share prices of small-cap businesses between 2020 and 2023 using event-study analysis. Secondary data has been used to address many research difficulties using the event window technique as a statistical tool. The research looked at 15 different companies' share buybacks. The effects of share buybacks on each of the small-cap companies were then computed individually. The study's findings imply that the shares of small-cap companies did not exhibit notable price movement for the majority of the days during the event window on the announcement of a share buyback in the short term, indicating that the small-cap companies' share price did not significantly respond on share buyback announcement. In addition to the previously mentioned finding, the small-cap companies' share showed distinct responses throughout the pre and post sub-event windows. This suggests that during the majority of the post-event sub-windows, the price of the small-cap companies' share varied significantly.

References:-

1. Dittmar, A. K. (2000). Why do firms repurchase stock? *The Journal of Business*, 73(3), 331-355.
2. Guffey, D. M., & Karpathy, S. K. (2004). Financial characteristics of firms announcing share repurchases. *Journal of Business and Economic Studies*, 10(2), 13-25.
3. Kim, J. (2007). Buyback trading of open market share repurchase firms and the return volatility decline. *International Journal of Managerial Finance*, 3(4), 316-337.
4. Mishra, A. K. (2005). An empirical analysis of share buybacks in India. Working Paper Series, IIM Lucknow.
5. Franz, D. R., Rao, R. P., & Tripathy, N. (1995). Informed trading risk and bid-ask spreads around open market stock repurchase announcements. *Journal of Financial Economics*, 37(1), 107-126.
6. Chan, K., Ikenberry, D. L., & Lee, I. (2012). Economic sources of gain in stock repurchase. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 47(2), 391-411.

Table no.1 represents the outcomes in the form of AAR and CAAR

	AAR	CAAR	T-Value of AAR at 5% Significant Level		AAR	CAAR	T-Value of AAR at 5% Significant Level
-40	-0.004387	-0.004387	-0.568356	1	-0.01017671	-0.001017	-1.318444
-39	0.0099052	0.0055182	1.28326794	2	-0.00534017	-0.00534	-0.691846
-38	0.0107616	0.0107616	1.3942157	3	0.00019746	-0.005143	0.0255819
-37	0.0001508	0.0109124	0.01954212	4	0.00071606	0.0007161	0.0927698
-36	0.0095168	0.0095168	1.23294885	5	0.00905899	0.0097751	1.1736389
-35	0.0131606	0.0226774	1.70502511	6	0.00713087	0.0071309	0.9238406
-34	0.0118495	0.0118495	1.53515719	7	0.00116278	0.0082937	0.1506443
-33	-0.0042247	0.0076248	-0.5473265	8	-0.01770351	-0.017704	-2.29358
-32	0.0033894	0.0033894	0.4391155	9	-0.01644193	-0.034145	-2.130135
-31	0.0062676	0.009657	0.81199908	10	-0.01575659	-0.015757	-2.041347
-30	0.0033588	0.0033588	0.43515574	11	-0.00348739	-0.019244	-0.451809
-29	0.0006704	0.0040292	0.08685007	12	-0.01281452	-0.012815	-1.660186
-28	0.0007313	0.0007313	0.09474343	13	0.00229582	-0.010519	0.2974354
-27	0.0041283	0.0048596	0.5348373	14	0.00530584	0.0053058	0.6873984
-26	-0.0005321	-0.000532	-0.0689321	15	-0.00494472	0.0003611	-0.640614
-25	0.0001183	-0.000414	0.01533009	16	-0.00519419	-0.005194	-0.672934
-24	0.0106245	0.0106245	1.37645612	17	-0.02030472	-0.025499	-2.630579
-23	-0.0030137	0.0076108	-0.3904433	18	-0.00099563	-0.000996	-0.128989
-22	0.0003524	0.0003524	0.04565398	19	-0.00267989	-0.003676	-0.347193
-21	-0.0002414	0.000111	-0.0312682	20	0.0050726	0.0050726	0.6571815
-20	0.0025219	0.0025219	0.32672679	21	0.00994613	0.0150187	1.2885719
-19	0.0058317	0.0083536	0.75552107	22	0.0017198	0.0017198	0.2228089
-18	0.0137985	0.0137985	1.7876709	23	0.00033334	0.0020531	0.0431857
-17	-0.0036083	0.0101902	-0.4674748	24	0.002459	0.002459	0.3185761
-16	-0.0024723	-0.002472	-0.3202988	25	-0.00319445	-0.000735	-0.413858
-15	-0.008281	-0.010753	-1.0728427	26	0.00839569	0.0083957	1.0877044
-14	0.0038155	0.0038155	0.49432305	27	0.007953	0.0163487	1.0303522
-13	0.0068522	0.0106678	0.88773928	28	-0.00066495	-0.000665	-0.086147
-12	-0.0019341	-0.001934	-0.2505726	29	-0.00058034	-0.001245	-0.075186
-11	-0.0065204	-0.008454	-0.8447501	30	-0.00313974	-0.00314	-0.406769
-10	0.0005105	0.0005105	0.06613208	31	-0.00276478	-0.005905	-0.358191
-9	0.0008549	0.0013654	0.11075838	32	-0.00499749	-0.004997	-0.64745
-8	0.017313	0.017313	2.24298245	33	-0.00879829	-0.013796	-1.139863
-7	-0.002986	0.014327	-0.3868479	34	-0.00142116	-0.001421	-0.184119
-6	-0.0071063	-0.007106	-0.9206605	35	-0.01130183	-0.012723	-1.46421
-5	0.0090343	0.001928	1.17044008	36	0.00446872	0.0044687	0.5789459
-4	0.014353	0.014353	1.85950482	37	-0.01284369	-0.008375	-1.663965
-3	0.0131089	0.0274619	1.6983217	38	0.003137	0.003137	0.4064141
-2	0.0002551	0.0002551	0.03305025	39	-0.00010883	0.0030282	-0.0141
-1	-0.007701	-0.007446	-0.9977078	40	-0.00505956	-0.00506	-0.655491
0	0.0091599	0.0091599	1.18671166				

Table no. 2

Event- Window	CAAR	Days	T-Value of CAAR	Significance
(-40,40)	0.028024696	81	0.395234662	Insignificant
(-35,35)	0.006852214	71	0.1032187	Insignificant
(-30,30)	0.011324781	61	0.184043943	Insignificant
(-25,25)	-0.005399406	51	-0.095966028	Insignificant
(-20,20)	-0.016835729	41	-0.333731057	Insignificant
(-15,15)	-0.020069219	31	-0.457515977	Insignificant
(-10,10)	-0.00035654	21	-0.009875415	Insignificant
(-5,5)	0.032665803	11	1.25012552	Insignificant
(-2,2)	-0.013802899	5	-0.783505293	Insignificant
(-1,1)	-0.008717837	3	-0.638858626	Insignificant
(-1,3)	-0.015319414	5	-0.869588462	Insignificant
(-1,7)	0.004208165	9	0.178044346	Insignificant
(1,10)	-0.047152732	10	-1.892620274	Insignificant
(1,15)	-0.060797699	15	-1.992499141	Significant
(1,20)	-0.084899528	20	-2.409610848	Significant
(1,30)	-0.061672041	30	-1.429171432	Insignificant
(1,40)	-0.101361949	40	-2.034237175	Significant

अभिराज राजेन्द्र मिश्र के आधुनिक काव्य में सामाजिक मूल्यों पर चिन्तन

श्रीमती राजश्री जोशी*

* शोध छात्र, संस्कृत अध्ययनशाला, सुमन मानविकी भवन, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – विश्वभर की समस्त प्राचीन भाषाओं में संस्कृत का सर्वप्रथम और उच्च स्थान है। भारतीय संस्कृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हो तो संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। अनेक प्राचीन एवं अर्वाचीन भाषाओं की यह जननी है। आज भी भारत की समस्त भाषाएँ इसी वात्सलमयी जननी के स्तन्यामृत से पुष्ट हो रही हैं। भारतीय भाषाओं को जोड़नेवाली कड़ी कोई है तो वह संस्कृत ही है।

भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन एवं विकास के सोपानों की सम्पूर्ण व्याख्या संस्कृत वाङ्मय के माध्यम से आज उपलब्ध है। सदियों से इस भाषा और इसके वाङ्मय को भारत में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। सहस्राब्दियों तक समग्र भारत को सांस्कृतिक एवं भावनात्मक एकता में आबद्ध रखने का महत्वपूर्ण कार्य इस भाषा में किया है। इसी कारण भारतीय मनीषियों ने इस भाषा को अमर भाषा या देववाणी के नाम से सम्मानित किया है।¹

भारतीय ज्ञान परम्परा और संस्कृति को समृद्धशाली बनाए रखने में इस भाषा का योगदान महनीय है। यह भाषा प्राचीन होने के साथ अर्वाचीन, प्रयोगशील एवं वैज्ञानिक भी है। संस्कृत भाषा की व्यापकता के कारण आज के परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व अत्यधिक बढ़ गया है।

साहित्य सृजन में भी प्राचीन साहित्यकारों की तरह ही अर्वाचीन साहित्यकार अपनी लेखनी से समाज को विपुल साहित्य प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं अर्वाचीन साहित्यकारों में इस शोध पत्र में अभिराज राजेन्द्र मिश्र के आधुनिक काव्य में सामाजिक मूल्यों पर चिन्तन किया गया है।

भूमिका – संस्कृत भाषा और उसका साहित्य भारत देश की संस्कृति की पहचान है। आज भी रचनाकार संस्कृत साहित्य की सर्जना कर रहे हैं। वे प्रायः यह समझकर ही साहित्य रचना करने में प्रवृत्त होते हैं कि, भारत देश की आत्मा भवितव्यता जिस तरह संस्कृत भाषा के माध्यम से व्यक्त हो सकी है उस तरह अन्य किसी भाषा के माध्यम से नहीं।

उल्लसिनी सदी और बीसवीं सदी के पूर्वार्ध के साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति राष्ट्रीयता रही है। उस समय जो राष्ट्रीय भावधारा संस्कृत रचनाओं में प्रवाहित हुई वह संस्कृत साहित्य की पूरी परम्परा में ही नया मोड़ है। आजादी की लड़ाई का शंखनाद और क्रान्ति का तेजस्वी स्वर भाषा और अभिव्यक्ति की प्रखरता तथा उसी काव्योत्कर्ष के साथ उसमें गूँजा है।

स्वातंत्र्योत्तर भी संस्कृत रचनाकारों ने प्रातिभ नवोन्मेष व प्रज्ञा की प्रत्यग्रता के साथ भारत की भवितव्यता और अपने समय के यथार्थ की

अवगति प्रस्तुत की है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् व्यक्ति के जीवन में अनेक परिवर्तन हुए इसका प्रभाव समाज व सामान्यजन पर पड़ा ऐसे समय के साहित्य इन प्रभावों से भला कैसे अछूता रहता। उस समय के साहित्यकारों ने तत्कालीन परिस्थितियों को भोगा, समझा और उसे लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की। परतन्त्र भारत के बाद स्वतंत्र भारत की परिस्थितियाँ भिन्नता लिये हुये थी इसलिये तो साहित्य को भिन्न युगीन परिस्थितियों की देन कहा गया है।

तत्कालीन परिस्थितियों में समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ, सामाजिक मूल्यों का ह्रास, दुराचरण, कदाचरण, पाखण्ड व दिखावा चारों ओर फैला हुआ था। साहित्यकारों ने अपनी कलम रूपी तूलिका को इस ओर मोड़ने का प्रयत्न किया, इस बीच राष्ट्रबोध, राष्ट्रप्रेम व राष्ट्र चेतना की व्याप्ति व्यापक स्तर पर पहुंच गयी थी जिसका प्रभाव भी साहित्य में देखने को मिला।

इसी कड़ी में स्वातंत्र्योत्तर कवि अभिराज राजेन्द्र मिश्रजी ने समसामयिक घटनाओं और गहन संवेदनाओं को समावेशित करके अनुभव व यथार्थ का संगम अपनी कविताओं में स्थापित किया।

शोध आलेख – स्वतंत्रता के पश्चात् समाज में सतत् व शीघ्रता से परिवेश में बदलाव दृष्टिगोचर हुये। साहित्य समाज का दर्पण होता है इसी तारतम्य में साहित्य पर भी इस बदलते परिवेश का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। मूल्यों के परिवर्तन से जिस नवयुग का प्रारम्भ हुआ उसमें संस्कृत साहित्य ने भी अपनी पुरातन परम्पराओं को तोड़ते हुये अपने नवीन प्रतिमान स्थापित किये। आधुनिक संस्कृत काव्य ने पारम्परिक एवं पुरातन चिन्तन से ऊपर उठकर सोचना प्रारम्भ किया और उसे सर्वग्राही बनाने का प्रयत्न किया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विचार करते हैं तो पाते हैं कि हम पश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता से ओतप्रोत हैं और सम्पूर्ण विश्व को केन्द्र में रखकर ही कवियों ने लेखनी चलाने का महनीय कार्य किया है। आधुनिक काव्य में विषय बदल गये हैं जो सामाजिक मूल्यों के ही करण है। साहित्य में अंतरंग व बाह्य दोनों ओर से परिवर्तन परिलक्षित होते हैं।

अभिराज राजेन्द्र मिश्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में उनकी स्पष्टवादिता व बेबाक छवि के दर्शन होते हैं। वे अपने साहित्य में बहुत कड़वी बात कहने से भी नहीं झिझकते। चूंकि मिश्रजी प्रयोगशील साहित्यकार है। अतः उन्होंने मर्यादा व मूल्यों के संघर्षों के मध्य स्वयं को स्थापित किया। और हृदयग्राही

साहित्य की रचना की उनकी आधुनिक कविता में ऐसे कुछ विषय जिनको परिवर्तन की दृष्टि से चिन्तन करना आवश्यक मान सकते हैं।

कवि मिश्रजी को कभी व्यक्तियों की स्तुतिपरक रचनाएँ लिखना पसन्द नहीं था चाटुकारिता चापलूसी से ओतप्रोत रचनाएँ इन्होंने कभी नहीं लिखी। तत्कालीन परिस्थितियों में सामाजिक विकृतियों को इन्होंने बहुत निकट से जानकर अपने काव्य में स्थान दिया। उनकी कविता का प्रमुख विषय या आत्मा कुटियों में रहने वाले खेतिहर मजदूर में बसती है वे इसे ही तो राष्ट्रीय चेतना कहते हैं।

प्राणतन्त्रीस्फुरत्काकलीकौतुकैः

पामराणां कुटीरे स्थित मनमनः

शालभज्जिका 72

स्वतंत्रता के पश्चात् देश में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन हुये कवियों को भी देश में हो रहे परिवर्तन से अत्यन्त प्रसन्नता हो रही थी परंतु जिस प्रकार से लोगों का खासकर धनाढ्य लोगों व नेताओं का दोहरा चरित्र सामने आ रहा था वह आत्म चिन्तन के लिये प्रेरित करने वाला तथा मूल्यांकन करने जैसा था।

उनके काव्य में नेताओं का दोहरा चरित्र बहुत ही सुंदर ढंग से उजागर हुआ है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी कुटील प्रहार किये हैं।

किं मां कथाभिधातैर्जरदेहं ताडयसि रक्षिन्

मदत्तषि धनश्रीर्भविता त्वद्विरतधनायै।

(आर्यान्योक्तिशतकम् 2018)

अग्निं सन्दीप्य नेतारः स्वयं तिष्ठन्ति दूरतः

ज्वलन्ति केवलं मुग्धा अनाथं जायते कुलम्।

अभिराजसहस्रकम् 50

राजेन्द्र मिश्र स्वयं के भारतीय होने पर गर्व करते थे - देश स्वतंत्र हो चुका था फिर भी राजेन्द्रजी के हृदय में भारत माँ के प्रति देशभक्ति का संचार सतत् होता रहता था वे स्वप्न में भी यह मांगते थे कि यदि मेरा जन्म सौ बार भी हो तो इस पवित्र भारतीय भूमि में ही हो और मैं मिट्टी पर लोटकर जीवन को सार्थक कर लूँ। इसके पीछे निश्चित ही परतंत्रता के समय का दुःख होगा। भारत भूमि व माटी से प्रेम भी उन नेताओं को कटाक्ष ही है जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही परतंत्रता के संघर्षों को भूल गये।

विराजन्तामनन्ताः शालयो नतमञ्जरी पुञ्जा

सुशोभन्तां वनान्ता दुष्प्रवेशलः सञ्चिचुल कुञ्जा

भवेदिह मृत्तिकायां विलुण्ठनं भूयोऽपि शतवारम् परंस्याद् भारते।

मधुपर्णी 43

इन काव्यों के माध्यम से कवि की समाज के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त हुयी है। चूंकि इस समय कविता देश ही नहीं अपितु राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक व राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रमाण प्रस्तुत करती है अतः अर्वाचीन साहित्यकारों की लेखनी से पारम्परिक विषयों के साथ नव विषयों का सामंजस्य दृष्टिगोचर हुआ है। राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में भी स्वतंत्रता के पूर्व देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का तो स्वतंत्रता के पश्चात् राष्ट्रीय दुर्गति पर अभिराज राजेन्द्र मिश्रजी ने दुःख भी व्यक्त किया है। हम स्वतंत्रता के साथ ही स्वच्छंद भी हो गये जिससे नैतिक मूल्यों का हनन हुआ जो मिश्रजी के साहित्य में दिखाई दिया। इन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की और ऐसा साहित्य सृजन हो जो हमारी स्वतंत्रता को संवर्धित करने वाला हो यह मंतव्य भी प्रकट किया।

मातृभूमि के पश्चात् राजेन्द्र मिश्रजी सर्वाधिक चिंतित थे तो संस्कृत को लेकर वे कहते थे जो संस्कृत भाषा हमारी धरोहर है, पहचान है, जिसने समाज को पुष्कल साहित्य दिया है वहीं आज याचना करती हुयी दिखाई दे रही है, स्वयं के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। देवभाषा संस्कृत की उपेक्षा पर भी राजेन्द्रमिश्र जी के हृदय पटल पर असंख्य प्रश्न निर्माण हुये जो उन्होंने अपने साहित्य कृतियों में पूछे हैं।

क्वार्स्ति पाण्डितीविकासो देवभाषया विना ?

क्वार्स्ति संस्कृति प्रकाशो देवभाषया विना ?

मधुपर्णी 76

वे इसके माध्यम से पूछ रहे हैं क्या संस्कृत के बिना संस्कृति का विकास होगा ?

अभिराज राजेन्द्र मिश्र राष्ट्र कवि थे फिर भी इनकी आत्मा गांव में बसती है जब वे अपने काव्य में ग्रामीण परिदृश्य तूलिका के माध्यम से उकेरते हैं तब गांव की दादी नानी अपनी अभिव्यक्तियों में व्यक्त होती जाती है।

शनैरुच्यतां कर्णिनी भित्तिरेषा

वका वैरिणोऽत्र प्रणिधयश्च कीरा

शालभज्जिका 20

अभिराज राजेन्द्र मिश्र ने नारी विषयक चिंतन में कहा है कि कितनी ही परिपाटी बदल जावे नारी अबला ही रहेगी और यदि वह विरोध करने का प्रयास भी करेगी तो उसका विरोध कोई नहीं सुनेगा उसकी आवाज को बहुत ही सहजता व आसानी से दबा दिया जायेगा। नारी की योग्यता कितनी ही हो पुरुष प्रधान समाज सदैव नारी पर हावी ही रहेगा। वे इसका विरोध करते हैं और सीता, शंकुतला, वसंतसेना जैनी नारियों को अपने काव्य में प्रकट करते हैं।

वराकी नारी दुर्व्यवतिष्ठते

रामं रघुनन्दनमियेष वैदेही

ताञ्च रति लम्पटो रावणः

द्वारिकाधीशमियेष रूक्मिणी

ताञ्च निर्गणश्शिशुपालः

हस्त सनातनीयं परिपाटी

दुर्नियतेः पुरन्धीणाम्

मधुपर्णी 106

परंतु वर्तमान में केवल सीता, सावित्री, द्रौपदी जैसे पारम्परिक, ऐतिहासिक एवं मर्यादित नारी चरित्र ही काव्य में परिलक्षित न होकर नारी के परिवर्तित रूप भी दिखाई देते हैं। समय की आवश्यकता ने नारी को बदलने के लिये मजबूर किया है उसने अपने पारम्परिक रूप को त्याग कर वेशभूषा से लेकर व्यवहार व कार्य तथा कलापों में भी बदलाव किया है। अभिराज राजेन्द्र मिश्र प्राचीन व अर्वाचीन दोनों संस्कृतियों के पक्षधर हैं वे मानते हैं कि सकारात्मक रूप से तो नारी में हुआ यह बदल अच्छा है परंतु नारी ने स्वतंत्रता को स्वच्छंदता के साथ विकृत रूप दे दिया है जिससे मर्यादायें छुट रही हैं। व नैतिक मूल्य भी हनन की ओर हैं -

महिला मुक्त्यान्दोलनैस्त्वया

गृहबद्ध नार्यो विमोचिताः

पतयः पचन्ति किष महानसे

पत्न्यश्च समाजोद्धाररता

धात्रीपालयति शिशुं भवने
पितृपरिचयरहितं नमोनमः

मधुपर्णी 56

अभिराज राजेन्द्र मिश्र जैसे संवेदनशील कवि जो एक ओर समज में व्याप्त कुरीतियों व रूढ़ियों को लेकर काव्य सृजन करते हैं तो दूसरी ओर नेताओं के दोहरे चरित्र पर विचार करते हैं वहीं वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि देश स्वतंत्र होकर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर पहुंच रहा है तो गांव की संस्कृति एवं मजदूरों को लेकर उनकी संवेदनशीलता चरम पर पहुंचती है तभी वे प्रेम और श्रृंगार के काव्य का सृजन कर अपनी बहुमुखी प्रतिभा को भी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं वे अपने पवित्र प्रेम की अभिव्यक्ति भी निःसंकोच करते हैं।

नहि जगदतिरुचिरं त्वया विना
जीवतमपि न चिरं त्वया विना
तव नयनभङ्गलीला ललितम्
दृश्यतेऽखिलं वलितं वलितम्
गायनमपि बधिरं त्वया विना
तव पाणिसशेसह संश्चष्टम्
वपुरिदं भति सुधपाऽऽविष्टम्
यौवनमपि विधुरं त्वया विना

मृद्धीका 12

यह प्रेमगीत ईश्वर से एकाकार होने को प्रेरित करता है कितना सुंदर काव्य है जो नर नारी का एवं दूसरे के बिना अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता। इस काव्य के पश्चात् अभिराज राजेन्द्र मिश्र समाज में हो रहे परिवर्तन व चेतना के साथ सहृदय कवि होने का प्रमाण देते हैं साथ ही यह बता रहे हैं कि समाज की समस्या को देखते देखते उसके अंदर का प्रेमकवि भी अभी जीवित है। वह संवेदनहीन नहीं है और शिव शक्ति का एकाकार रूप स्वीकार करते हैं।

जैसा कि अभिराज राजेन्द्र मिश्र के बारे में कहा जाता है कि वे स्तुति काव्य के सख्त विरोधी थे परंतु उनके प्रकीर्णखण्ड में विभिन्न प्रकार की स्तुतियां हैं जैसे इन्हें स्तुतियां न कहकर शुभकामनाएँ कह सकते हैं। कवि राजेन्द्रजी ने जो श्लोकबद्ध शुभकामनाएँ अपने मित्रों को भेजी थीं उन्हीं का संकलन यह ग्रन्थ है। उन्होंने कर्मदेवाय ग्रन्थ में इंदिरा गाँधी व महात्मा गांधी के जीवन की व्यथा एवं कथा को प्रस्तुत किया है। -

गतवति दिवि नाथे विद्धुरीणे फिरोजे
कथमपि छवि शोकं भूरिवेगं नियम्य
पुनरपि पितृशोकं वैरिणां दुर्विरोधं
प्रियतनयवियोगं भालयन्ती स्थितासि

कर्मदेवाय - 213

अभिराज राजेन्द्र मिश्र ने किस प्रकार ताकतवर हमेशा छोटे एवं कमजोर प्रणी को अपना शिकार बनाता है का उल्लेख अपने काव्य में किया है उनका कटाक्ष समाज में व्याप्त धनाढ्य व अभिजात्य वर्ग के द्वारा पीड़ित एवं शोषित के शोषण की ओर है। वे छोटी मछली को बड़ी मछली कैसे अपना शिकार बनाती है को उदाहरण के रूप में लेते हैं - तत्कालीन परिस्थिति में यह बड़ा परिवर्तन समाज में दिखाई दिया जब देश स्वतंत्र तो हो गया परंतु शोषण का क्रम बदस्तूर जारी था।

हेयस्वार्थपूर्त्यै भ्रातृणां हत्या

पोषामश्चटकाः शलभान् हत्वा

ऋतुपर्णा 57

इसी प्रकार नेताओं की प्रत्येक प्रकार की जालसाजी द्वेष, धूर्तता पर वे गुस्सा है उनका रोष

उद्याने यस्मिन् सान्द्रतरौ
प्रतिशाखमुलूका वल्गन्ते
कल्याणं तस्य कथं भक्ति।
सुषमा ऋ वसन्त स्यागमने

मधुपर्णी 27

ऐसे व्यक्त हुआ है उनके मत में समाज को बर्बाद करने के लिये एक ही उल्लू पर्याप्त है और यदि हर पेड़ पर ही उल्लू बैठा हो तो क्या परिणाम होंगे। काव्य संरचना के लिये जब कवि का आंतरिक हृदय शब्दों की रचता है आकार देता है तब उससे निकलने वाली सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा सर्जन करती है उससे अनुभूति का निर्माण होता है। दुःखी, पीड़ित, शोषित रचनाकार, साहित्यकार की पीड़ा व्यथा उसके साहित्य में सहज रूप से मुखरित होती है।

समाज में पसरने वाली नकारात्मक व निषेधात्मक भावनाएँ जब काव्य में अपना स्थान पा रही हैं तो वे अपने अलग संस्करण के साथ पाठकों को दी जा रही है। इन काव्यों में न केवल साहित्यकार का रोष होता है अपितु समाज की कुण्ठाएँ भी व्याप्त होती हैं।

समाज में फैली विषमताओं ने हमारी सांस्कृतिक नींव को जर्जर व कमजोर कर दिया था ऐसे में राजेन्द्र मिश्रजी ने ऐसा काव्य सृजन किया जिससे निषेधात्मक अभिव्यक्तियां सकारात्मक में बदल गयी।

राजेन्द्र मिश्रजी ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ निषेधात्मक अभिव्यक्तियों में स्वयं को प्रकट किया है। वे स्वयं को मरघट की पीड़ा से जोड़ते हैं जो समान्यजन की नजरों में घृणा का स्थान है।

मृतघटहोऽहं

जीवितां जनानां घृणास्पदं

प्रेतातां वंशी वाटोऽहम्

मृतघटहोऽहं

मधुपर्णी 92

राजेन्द्र मिश्रजी ने अपने रूपरूढ़ीपम् में नवनियुक्त अध्यापिकाओं के अधिकचरे ज्ञान तथा उनके अन्य सद्गुणों पर भी व्यंग्य किया है, उन्होंने खालिस्तान, दस्यु समस्या, मिलों को लूटना, चोरी डकैती जैसे विषयों को भी सम्मिलित किया जो उस समय समाज की तात्कालीन समस्याएँ थीं। उनका उद्देश्य गिरते नैतिक मूल्यों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजेन्द्र मिश्रजी ने साहित्य की समस्त विधाओं में अपनी कलम चलायी है उनके द्वारा संस्कृत हिन्दी साहित्य जगत को जो विकल साहित्य दिया गया वह अतुलनीय है। अर्वाचीन साहित्य सृजन में जो उनका योगदान है वह अविस्मरणीय होने के साथ प्रेरणादायक भी है। साथ ही आपके द्वारा सृजित साहित्य शोधार्थियों के लिये अमूल्य निधि है तथा मार्ग प्रशस्त करने वाली संजीवनी के समान है।

राजेन्द्र मिश्र प्रगल्भ साहित्य समाज की विभिन्न परिस्थितियों व समस्याओं पर केन्द्रित है अर्थात् कवि राजेन्द्र मिश्र अत्यन्त संवेदनशील साहित्यकार है। वो अपनी तटस्थता के लिए भी जाने जाते हैं अतः उनके साहित्य में निस्पक्षता व पारदर्शिता के दर्शन होते हैं जो उनके विलक्षण

गुणों के द्योतक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. आधुनिक संस्कृत काव्य की परम्परा - मंजुलता शर्मा
2. ऋतुपर्णा - अभिराज राजेन्द्र मिश्र
3. मधुपर्णी - अभिराज राजेन्द्र मिश्र
4. मृद्धीका - अभिराज राजेन्द्र मिश्र

5. कस्मै देवाय - अभिराज राजेन्द्र मिश्र
6. शालभञ्जिका - अभिराज राजेन्द्र मिश्र
7. आर्यान्योक्तिशतकम् - अभिराज राजेन्द्र मिश्र
8. अभिराज सहशस्त्रकम् - अभिराज राजेन्द्र मिश्र

Footnote:-

1. <https://hi.m.wikipedia.org> संस्कृत साहित्य विकिपीडिया

मैथिलीशरण गुप्त और साकेत

डॉ. श्रीमती बिन्दू पररते*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री अटल बिहारी वाजपेयी, शा. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - मैथिलीशरण गुप्त हृदय से भक्त थे और स्वाभाव से उदार, विनम्र और मिलनसार साहित्य साधन के पवित्र कर्म में वे निरंतर संलग्न रहे। अपने जीवन के आदर्श उन्होंने भगवान राम, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी जी से ग्रहण किए थे। गुप्त जी की रचनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि आप राम के अनन्य भक्त हैं। 'साकेत' में तो राम का स्तवन है ही पर जो ग्रंथ कृष्ण के चरित्र का महाभारत की घटनाओं से संबंधित है वहां भी मंगल चरण में राम ही की वंदना है जैसे वक्तु संहार में परन्तु मैथिलीशरण गुप्त जी की यह खासियत है कि उन जैसा उदार और विशाल हृदय व्यक्ति चिराग लेकर दूढ़ने से भी नहीं मिलेगा। जिस लेखनी में 'पंचवटी' और साकेत का निर्माण किया उसी ने पौधों की करुणा का उद्घोष करने के लिए अवध-यशोधरा और कुपाल गीत' की रचना की, उसी ने मुसलमानों के चरित्र की महानता और सहनशीलता को अंकित करने के लिए हृदय को हिलाने वाली कर्बला की कहानी हमें सुनाई। दरअसल में मानवता के गायक थे। धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता का मूल्य उनकी रग-रग में समाहित था। 'विश्व वेदना' की रचना उन्होंने धर्म और राष्ट्रीय भावना से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व का गीत गाने के लिए की।

गुप्त जी हमारे देश और युग के प्रतिनिधि कवि हैं। हमारा देश अखंड है और उसे अखंडता की भावना गुप्त जी ने दी है। उनमें राजनीतिक विचार उनके गुणों विशेष रूप से 'भारत-भारती' और स्वदेश संगीत में बिखरे पड़े हैं। राजनीति में मैथिलीशरण गुप्त ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का प्रचार किया है। सन 1921 से 1947 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस मार्ग पर चली है उन समस्त आंदोलन की ध्वनि उनके काव्य में पाई जाती है।

मैथिलीशरण गुप्त ने 20 से ऊपर सफल प्रबंध काव्य रचे हैं उनमें 'जयभारत' और 'साकेत' दोनों हिंदी महाकाव्यों की परम्परा में बहुत उंचा ध्यान रखते हैं। 'यशोधरा' की उनकी बड़ी ही लोकप्रिय रचना है। ऐसी ही मार्मिक कृतियां 'विष्णुप्रिया' और 'रत्नावली' है। उनके खंडकाव्यों में जयद्वथ वध, पंचवटी और 'नहुष' की गणना निश्चित ही सफल कृतियों में होगी। इन सभी काव्य ग्रंथों में कुल मिलाकर कई ऐसे मार्मिक स्थल हैं जहां पांडवों का हृदय बार-बार अभिभूत होता है।

मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य, भारतीय समाज और इतिहास के द्विवेदी युग के कवि हैं और कोई भी कवि या साहित्यकार अपने युग के असंप्रक्त रहकर नहीं लिख सकता। अतः गुप्त जी की रचनाएं भी युग सापेक्ष संवेदना और वस्तु को लिए हुए हैं। उनका युग सुधार और इतिहास वृत्तात्मक

संवेदना का युग है। अतः गुप्त जी के साहित्य में भी यह प्रवृत्ति और संवेदना उभर कर सामने आती है। कवि ने पौराणिक राम कथा में कुछ स्थलों को लेकर उनके आधार पर साकेत के कथानक की रचना की। कुछ परंपरागत विद्वानों ने साकेत की विशेषता को अद्वैत के रूप में प्रस्तुत किया है कि गुप्त जी ने साकेत में राम रामायण के परित्यक्त, विस्तृत एवं उपेक्षित प्रसंग व पात्रों को ही प्रवास में लाने का प्रयास किया है। कथाकथित विद्वानों का आक्षेप युगीन प्रभाव और कवि की समसामयिक प्रतिबद्धता की ओर संकेत करता है। विद्वानों का यह भी कहना है कि एक और कवि ने संपूर्ण राम-कथा भी कह देनी चाहिए और दूसरी ओर उपेक्षित स्थलों तथा पात्रों को भी उभरने की चेष्टा की है। यह भारत के इतिहास का वह समय था जब उपेक्षित इंसानों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए पूरे देश संघर्ष कर रहा था और गांधी जी ने इसका नेतृत्व कर रहे थे, तब एक राष्ट्रकवि का दायित्व इस संवेदना और समय की आवश्यकता को अभिव्यक्त करना था ना की राम कथा को पुनर्जीवित करना।

जब तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण में परिवर्तन करके अपने युगीन प्रभावों और संवेदनाओं को अपने रामचरितमानस का विषय बनाया तो उन पर यह आक्षेप नहीं लगा। दरअसल रामायण और राम कथा को रूढ़ मनोवृत्ति से देखने पर इस तरह के आक्षेप जन्म लेते हैं। राम का चरित्र विकासशील है और वह निराला और दुष्यंत कुमार तक विकसित होता रहा है। राम युग नायक हैं तो हर युग में उनके नायकत्व तभी कायम रह सकता है जबकि हम उसे समय की आवश्यकता अनुसार विकसित और परिवर्तित करें। मैथिली शरण ने भी यही किया था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आम उपेक्षित जनता की व्यापक भागीदारी आवश्यक थी। उसे वैधता देने के लिए पौराणिक आधार देना आवश्यक था।

प्राचीन साहित्य परंपरा के अनुसार गुप्त जी ने भी साकेत के प्रथम सर्ग को देवी शारदा की स्तुति से आरंभ किया है। इसके बाद अयोध्या नगरी की भव्यता का वर्णन किया है। यहां के राजा दशरथ हैं। राजा और प्रजा का पारंपरिक संबंध सौमनस्य एवं सद्भाव का है। उनके चार पुत्र भगवान राम, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न हैं। उनकी एकमात्र अभिलाषा थी राम के शीघ्र - अतिशीघ्र राज्याभिषेक की है। द्वितीय सर्ग में मंथरा-केकयी का प्रसंग एवं राजा दशरथ के वरदान का प्रसंग है। राम के राज्याभिषेक की सूचना से पूरा वातावरण हर्षोल्लासमय है। परंतु दासी मंथरा खुश नहीं है वह केकयी को दो वचनों की याद दिलाती है और दो वर राजा से मांगने को कहती है। केकयी कोप भवन में क्रोध करते हुए राजा दशरथ से भरत को राजा बनाने और

भगवान राम को 14 वर्ष वन में रहने का वर मांगती है। जिससे राजा दशरथ अपने प्राण चुका कर भी देना पड़ता है। तृतीय सर्ग में भगवान राम को पता चल जाता है और वह सहर्ष वनवास जाने को तैयार हो जाते हैं परंतु लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित होते हैं परंतु भगवान राम उन्हें समझाते हैं। परंतु लक्ष्मण उनके साथ वन में जाने के लिए तैयार रहते हैं। चौथे स्वर्ग में माता कौशल्या से वन जाने की आज्ञा लेने भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता पहुंचते हैं। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा और माता कौशल्या दोनों से आज्ञा लेकर वन जाने की अनुमति लेते हैं। साकेत का यह प्रसंग अत्यंत मार्मिक है क्योंकि यहां पर उर्मिला की स्थिति अत्यंत करुण एवं उपेक्षित है। लक्ष्मण अपने भाई- भाभी की सेवा के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहे हैं। गुप्त जी यहां पत्नी को हाड-मॉस युक्त चित्रित करते हैं ना कि त्याग और समर्पण की देवी वह पति से कुछ कह नहीं पाती है परंतु कर्तव्य की महत्ता उसे महान बना देती है। और वह अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दफन कर देती है और अपने मन को समझती है।

हे मन,

तु प्रिय पथ का विहङ्ग न वन

उर्मिला देखती है कि सीता राम के साथ वाद-विवाद और तर्क-वितर्क करने जीत गई उन्हें साथ चलने की अनुमति मिल गई। उर्मिला भी उसी सीता की बहिन है, उर्मिला भी पति के लिए राजवैभव को ठुकराकर वन में जीवन बिता सकती है। वह जानती है कि यदि वह साथ चलने की जिद करेगी तो भी श्री लक्षण नहीं ले जाएंगे। यदि वह जिद करेगी तो लक्ष्मण को भी जाने दिया जाएगा। इसलिए उर्मिला ने स्वयं तय कर लिया और साथ चलने की बात नहीं कि। इससे युग-युग से उपेक्षित उर्मिला की महानता कवि ने अत्यंत समृद्धता से अंकित की है। पंचम सर्ग में राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर चढ़कर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। सष्ठम सर्ग में सुमन्त साथ भगवान राम को वापस न पाकर राजा दशरथ जी भी चल बसे हैं।

सप्तम सर्ग में भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल से वापस अयोध्या आ रहे हैं। अष्टम स्वर्ग में चित्रकूट का दृश्य है भरत- शत्रुघ्न अपने बड़े भाई भगवान राम को वापस लाने मनाने जाते हैं। परंतु भगवान राम द्वारा वचन निभाने की प्रतिज्ञा के कारण वह भगवान राम के खड़ाऊ सिर पर रखकर लौट आते

हैं। पिता के जाने का समाचार से भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता शोकाकुल हो जाते हैं। नवन एवं दशम सर्ग में कवि के विविध छन्दों में उसके अंदर की पीड़ा और आंसुओं को भी अभिव्यक्त किया है। एकादश सर्ग में हनुमान जी संजीवनी लेकर जाते देखे जाते है भरत जी उन्हें घायल कर देते हैं तब हनुमान जी उन्हें बताते हैं कि युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगने से वे मूर्छित हैं उनके लिए वह संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ। द्वादश सर्ग लंका में लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी खाकर स्वस्थ हो जाते हैं और मेघनाथ का वध करते हैं तत्पश्चात भगवान राम रावण का वध करते हैं। गुप्त जी साकेत वासियों को आज्ञा देते हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के स्वागत के लिए नगर को सजाया जाता है। राम भरत का मिलाप होता है। भगवान राम अयोध्या आते हैं। माताएं अपने पुत्रों का हर्ष मन्त्र हो स्वागत करती है। सीता जी अपनी बहनों से मिलकर प्रफुल्लित होती है। सखी उर्मिला से इस सुअवसर पर नूतन वस्त्र धारण कर प्रिय का स्वागत करने को कहती है परंतु उर्मिला रहती है -

नहीं नहीं प्रणेश मुझ से छले ना जावे

मैं जैसी हूं नाथ मुझे वैसा ही पावे

उर्मिला को अपनी यौवन की खिल-खिल करती बेला के चले जाने पर सन्ताप है कि किंतु तभी लक्ष्मण आते हैं और अपने धीर-गम्भीर स्वर में समझते हैं

वह वर्षा की बाढ़ गई उनको जाने दो, रुचि गंभीरता लिये शरद की यह आने दो।

इस तरह कर्तव्य और प्रेम में जीवन की सार्थकता को तलाशती हैं साकेत की कथा एक ओर राष्ट्रीय मुक्ति का दायित्व है तो दूसरी ओर व्यक्तिगत जीवन के सुख को भोगने की लालसा। यही मूल उद्देश्य है इस कथा का जिसमें कवि सफल हुआ है। इस तरह एक लंबे अंतराल के बाद युगल - दंपति का मिलन होता है और साकेत की कथा का अंत होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आधुनिक काव्य - डॉ. संजीव कुमार जैन
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास - डॉ. नाथेन्द्र
3. हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास- डॉ. गणपति चन्द्र गुप्त

इतिहास की सामग्री

डॉ. मधु वालिया*

* प्राचार्य, अमरनाथ भगत जयराम कन्या महाविद्यालय, सेरधा, जिला कैथल (हरियाणा) भारत

शोध सारांश – मानव की विगत विशिष्ट घटनाओं का ही दूसरा नाम इतिहास है। अतीत की सभी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास एवं परिवर्तन, भौतिक तथा अध्यात्मिक उत्थान एवं पुनरुत्थान वर्तमान का इतिहास बनकर प्राचीन मानव एवं उसके कृत्यों की स्मृति दिला रहे हैं। वैज्ञानिक ऐतिहासिक ग्रन्थों के अभाव के बावजूद अधिकांश प्राचीन भारतीय साहित्य में बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्रियां अन्तर्निहित हैं। भारत के इतिहास को साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण के द्वारा जान सकते हैं।

प्रस्तावना – प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थों का अभाव है। प्राचीन भारत के मनीषियों ने इतिहास लेखन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। भारतीय संस्कृति का एक गंभीर दोष भारतीयों में इतिहास-लेखन के प्रति अरुचि की भावना है। यही कारण है कि हम अपनी संस्कृति की विवेकपूर्ण व्याख्या नहीं कर पाते। प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस की हिस्टोरिका और रोमन इतिहासकार लिवी की एनल्स की भाँति प्राचीन भारत में कोई इतिहासकार या ऐतिहासिक ग्रन्थ प्राप्त नहीं है। परन्तु इसी आधार पर यह कह देना कि भारत का अतीत स्मरणीय घटनाओं से शून्य था सर्वथा भ्रान्तमूलक होगा। वस्तुतः वैज्ञानिक ऐतिहासिक ग्रन्थों के अभाव के बावजूद अधिकांश प्राचीन साहित्य में बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्रियां अन्तर्निहित हैं। पुराणों में चार युगों-सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग, प्रत्येक युग का अपना महत्व था। क्योंकि प्रत्येक युग में मानवीय मूल्यों और सामाजिक संस्थानों में परिवर्तन हुए हैं। काल विचार (Idea of Time) जो इतिहास का एक अन्य प्रमुख तत्व है। इससे भी भारतीय परिचित थे इस बात की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख है। जैसे 58 ई० पू० में विक्रम संवत् 78 ई० में शक संवत् एवं 31वीं ई० में गुप्त युग का आगमन हुआ। अभिलेखों में घटनाओं का उल्लेख काल, पुराण और आत्मकथाओं में तो घटना के कारणों और परिणामों पर भी प्रकाश डाला गया है।

1. **प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन स्रोत** – भारतीय इतिहास के साधनों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण।

साहित्यिक सामग्री – साहित्यिक सामग्री में धार्मिक साहित्य और इहलोक परक साहित्य का वर्णन है।

1. **धार्मिक साहित्य** – धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार का है।

क. ब्रह्मण्य ग्रन्थ **ख. अब्राहमण्य ग्रन्थ (बौद्ध और जैन ग्रन्थ)** ब्रह्मण्य ग्रन्थों को भी श्रुति तथा स्मृति दो भागों में विभाजित किया गया है। श्रुति के अन्तर्गत चारों वेद, ब्रह्मण्य ग्रन्थों तथा उपनिषदों की गणना की जाती है और स्मृतियों में दो महाकाव्य (रामायण एवं महाभारत) पुराण तथा

स्मृतियाँ आती हैं।

2. **इहलोकिक साहित्य** – यह साहित्य पांच प्रकार का है।

1. **ऐतिहासिक**

2. **अर्ध-ऐतिहासिक**

3. **विदेशी विवरण**

4. **जीवनियां**

5. **कल्पना प्रधान एवं गल्प साहित्य (विशुद्ध साहित्य)**

2. **इतिहास की सामग्री का प्रयोग (साहित्यिक)**

वैदिक युग से लेकर मध्यकाल तक दो तरह के साहित्य की रचना की गई है।

धार्मिक साहित्य एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य – धार्मिक साहित्य के अन्तर्गत ब्राह्मण्य साहित्य है। इसमें पूर्ववैदिक युग से लेकर उतर प्राचीन काल तक हिन्दू धर्म और समाज से सम्बन्धित अनेक साहित्यिक ग्रन्थ लिखे गये। इनकी रचना ब्राह्मणों ने की थी। इसलिए इसे ब्राह्मण्य साहित्य कहा गया।

वेद:- वेद चार हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। यह प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। सामवेद:- इसे यज्ञ के अवसर पर उपयोग किया जाता है। सामवेद गान प्रधान है। अथर्ववेद में मोहन, मारण, उच्चाटन, विवाह और श्राद्ध का उल्लेख है। ब्रह्मण्य – पथ में रचित सारे ग्रंथ वेदों की टीका टिप्पणी करते हैं। आरण्यक में यज्ञ के अतिरिक्त चिन्तन को महत्व दिया गया है। उपनिषदों में दार्शनिक, प्रश्नों, ईश्वर, आत्मा आदि समस्याओं पर विचार किया गया है। वैदिक छह हैं। वेद की व्याख्या और भाष्य के लिए वेदांगों का ज्ञान अपरिहार्य है। महाकाव्य – प्राचीन सामाजिक व्यवस्थाओं और धार्मिक अनुष्ठानों के स्रोत महाकाव्य हैं। पुराणों में सामाजिक, धार्मिक जीवन की छवि मिलती है। बौद्ध साहित्य – महात्मा बुद्ध के विचार और वचनों का सग्रह है, जैन साहित्य में जैन आणम सर्वोपरि है।

पुरातात्विक साहित्य – प्राचीन भारतीय इतिहास की संरचना में पुरातात्विक साहित्य एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रागैतिहासिक काल का सारा ज्ञान इसी पर आधारित है। इसके अन्तर्गत उत्खनित सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक इसका प्रयोग पुरातात्विक काल में किया गया। गंगा घाटी में उत्खनन से जो

पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। उनसे वहाँ की भागौलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। उत्खनन सम्बन्धी कार्य सरकार के पुरातत्व विभाग के तत्वाधान में होता है। अभिलेखों के द्वारा प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। सिक्कों के द्वारा काल निर्धारण, राजाओं के राज्य विस्तार, उनकी कृतियों एवं वशां वली के बारे में जानकारी मिलती है तथा स्मारक से मन्दिर, स्तूप और विहार से तत्कालीन धार्मिक विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। मूर्तियों, भित्ति चित्रों से भी भारतीय इतिहास के अध्ययन में सहायता मिलती है।

इहलोक परक साहित्य :

क. ऐतिहासिक ग्रन्थ – इतिहास का क्षेत्र अध्याधिक विस्तृत है। उसका तात्पर्य है। राजाओं तथा उनके शासन प्रबन्ध से है। इन पर प्रकाश डालने वाले ग्रन्थों से है। प्रकाश डालने वाले ग्रन्थों में राजतरागिनी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामन्दकीय नीतिसार, बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र है।

ख. अर्थ ऐतिहासिक ग्रन्थ – इस वर्ग में जिन ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है। इनमें पणिनी की अष्टाध्यायी, मार्गसंहिता, पतंजलि का महाकाव्य, कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम तथा विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस विशेष महत्वपूर्ण है।

विदेशी विवरण – इसके अर्न्तगत हम इस साहित्य पर इसलिए बल देते हैं कि उनमें से कुछ तो राजदूत के रूप में भी आये जो प्रायः उत्तरदायित्व पूर्ण हैं। इसमें यूनानी, चीनी, तिब्बती, अरबी इतिहासकारों ने इनकी जानकारीयाँ दी हैं।

इतिहास की सामग्री प्रयोग – हमारा इतिहास बहुत ही पुराना है। यह ठीक है कि प्राचीन भारतीयों का इतिहास लेखन की जानकारी नहीं थी किन्तु इसी आधार पर यह कह देना गलत होगा कि भारत की ऐतिहासिक घटनाओं से शून्य था। उदाहरण स्वरूप कल्हण ने राजतरागिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। प्राचीन भारत का इतिहास जानने के लिए तिथि निर्धारण की कठिनाई थी। इससे तिथियों की जानकारी मिलती है। सभ्यता और समय का उपयोग किया जाता है। पुरातात्विक सामग्री का उपयोग भारत के रहस्यों और जटिलताओं के बारे में जानकारी मिलती है। इन स्रोतों में उत्खनन स्थल,

शिलालेख, सिक्के, कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, गुफा, चित्र और प्राकृतिक अवशेषों का उपयोग भी शामिल है।

प्राचीन भारतीय इतिहास सामग्री का महत्व– यह इतिहास हमें बताता है कि भारत में लोगों ने अपनी पहली सभ्यताएं कैसे, कब और कहा स्थापित की। कृषि पशुपालन के साथ जीवन शैली कैसे विकसित हुई। अपने विशाल प्राचीन इतिहास को जानने से हमें याद आता है कि हम कहाँ से आए हैं और हम यहाँ क्यों हैं। किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने अपने भविष्य को हमारे वर्तमान कार्यों से जोड़ने का प्रयास किया, अगर हमारी सभ्यता अपने अतीत को समझ नहीं पाती तो भविष्य में टालने के लिए क्या होगा। इतिहास के बारे में जानने से हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं। इस बात पर विवाद करना असम्भव है कि मानवता की उन्नति के लिए खुद को जानना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष– विश्व के प्रत्येक देश में लोगों को इतिहास की समझ एक समय पर नहीं हुई किसी भी देश का अपना अलग इतिहास होता है। किन्तु साहित्यिक सामग्री इतिहास लेखन में सहायक सिद्ध होगी। यह समझ पाना बहुत कठिन है। फिर भी हम ऐतिहासिक सामग्री का प्रयोग करके अपने इतिहास को जान सकते हैं। लेकिन अलग-2 युगों और अलग-2 लोगों के ऐतिहासिक साहित्य की प्रकृति गुणवत्ता और मात्रा में अन्तर है। ये भिन्नताएं सामाजिक जीवन और मान्यताओं तथा इतिहास बोध की उपस्थिति या अनुपस्थिति से प्रतिबंधित होती हैं। प्राचीन भारतीयों के बौद्धिक जीवन की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि उनकी सभ्यता का सुदीर्घ इतिहास और विकसित चरित्र होने के बाद भी उनके इतिहास बोध और विभिन्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने की पवृति का पूर्णतः अभाव है। भारतीय साहित्यों में ऐतिहासिक सामग्री निश्चित रूप से उपलब्ध है। परन्तु उनका प्रयोग करने के लिए नीरक्षीर विवेकी होना अति आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Aggarwal: V.S. Indian Art. Vol.1 (1663)
2. Anderson: J.D. Peoples of India (1918)
3. Kareshwar Rai: Prachin Barat (1206)
4. Rati Bhanu Singh: Political and Cultural History of India

A Comparative Study of Socio-Economic Status on PVTGs of Chhattisgarh

Dr. Kapil Kumar Chandra* Dr. Sunil Kumar Kumeti**

*Assistant Professor (Guest) C.P.D. Govt. College, Pithora, Mahasamund (C.G.) INDIA

** Assistant Professor, School of Studies in Economics Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) INDIA

Abstract : Tribal communities are often identified by some specific signs such as primitive traits, distinctive culture, geographical isolation, shyness to contact with the community at large and backwardness. Along with these, some tribal groups have some specific features such as dependency on hunting, gathering for food, having pre-agriculture level of technology, zero or negative growth of population and extremely low level of literacy. These groups are called **Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs)**. The social and economic position is very important factor to understand the status of living it is responsible for the education, health, occupation, income, family effluence, caste, social participation, social position, political position of Individual, family or group. The present research study is on five Particular Vulnerable Group of tribes of Chhattisgarh namely Baiga, Pahadi Korwa, Kamar, Abujhmadiya and Birhor tribes which measure and compare Socio-Economic Status in Udai Pareek SES Scale of these PVTGs. Research study is based on primary data of 400 household collected from 40 villages of 10 blocks of 7 district of Chhattisgarh State. Results shows that there is difference in socio-economic status of these PVTGs, according to occupation, material possession and social participation of the family the SES of Kamaar is better than the other PVTGs followed by Baiga, Abujhmadiya, Birhor and Pahadi Korwa.

Keywords: Particularly Vulnerable Tribal Groups, Socio-Economic Status, Udai Pareek SES Scale.

Introduction - The social and economic position is very important factor to understand the status of living it is responsible for the education, health, occupation, income, family effluence, caste, social participation, social position, and political position of Individual, family or group. Tribal communities are often identified by some specific signs such as primitive traits, distinctive culture, geographical isolation, shyness to contact with the community at large and backwardness. Along with these, some tribal groups have some specific features such as dependency on hunting, gathering for food, having pre-agriculture level of technology, zero or negative growth of population and extremely low level of literacy. These groups are called Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). Chhattisgarh is a home of 5 out of 75 PVTGs, listed by central government of India namely Abujhmadiya, Baiga, Birhor, Kamar and Pahadi Korwa whose total population is 1,84,985 constituted in 49,080 Percentage Share of family Baiga (50.05%), Pahadi Korwa (22.79%), Kamar (15.12%), Abujhmadiya (9.75%), Birhor tribes (2.29%) family living in 53 blocks of 18 districts. Sex ratio of tribals in Chhattisgarh is 1020, Baiga (989), Pahadi Korwa (984), Kamar (15.12%), Abujhmadiya (1040), Birhor tribes (1022) respectively. Literacy rate of Chhattisgarh is 70.3 whereas Literacy rate of tribals is 59.1, Baiga (53.97%), Pahadi Korwa (%), Kamar

(47.7%), Abujhmadiya (29.88%), Birhor tribes (47.98%) respectively. There is gap of 11.2 % in states literacy rate and tribals literacy rate. It shows that poor education facilities are being made available to these PVTGs.

The discussion above revealed that there is some confliction and difference in the Socio-economic status of these PVTGs. This paper tries to measure and compare the Socio-Economic Status of these PVTGs of Chhattisgarh state in Udai Pareek SES Scale to find the difference and confliction in values of Socio-Economic Status. In the end this paper gives suggestions to policy makers, governments and researchers through they can increase the socio-economic status significantly.

Literature Review

Dewangan S. K., Sahu K. R., Achari K. V. and Soni S. (2011) There is positive correlation between sericulture and socio-economic status. Sericulture creates local employment which results less inter-state migration. Due to sericulture, they released from debtless which resulted the elevation of self-respect and Socio-Economic Empowerment of Tribal Women.

Kispotta, Seraphinus (2014) The government programmes are almost nil except MNREGA, in spite of many developmental programmes, the economic standards of the tribal's is still very low and need of joint efforts and better

coordination of all the stake holders is required for the development of tribal community.

Jana, N.C. and Ghosh, Prasanta Kumar (2015) To improve economic conditions Commercial promotions of tribal art, mass awareness campaign on development programmes at regular intervals and for development of tribal area government should collaborate with Non-Government Organisations.

Premi Jitendra Kumar and Kumar Arun (2018) The social development of Birhor tribe is very negligible. Devoid of basic amenities, social exclusion from non-Birhor society and social exclusion Women during their menstruation & delivery episodes are common. this type of cultural practice will be bad for their proper mental development.

Das Laboni (2020): No development initiative is success without considering the ethos and sentiments of this Particularly Vulnerable Tribal Group, modern means to cater needs of tribal will be within distinct identities and cultural ambit.

Pitchaiah, Marella and Rao, M. Koteswara (2021) Employment generation programs, level of income, education, and tribal development programs have impact on the socio-economic conditions of Koya tribe.

The paper is structured in 6 sections as follows: Section 1 presents the problem statement of research, Section 2 presents the objective and hypothesis of the research study, section 3 presents sources and nature of data, Section 4 presents theoretical and empirical Methodology, section 5 explains result & discussion and finally Section 6 deals with conclusion & suggestions.

Objective of the study: The present research has a following objective:

1. To measure the Socio-economic status of PVTGs in Udai Pareek SES scales.
2. To compare the Socio-economic status among PVTGs (Abujhmediya, Baiga, Birhor, Kamar and Pahadi Korwa tribes).

Hypothesis of the study: There is No difference in Socio-Economic Status among PVTGs (Abujhmediya, Baiga, Birhor, Kamar and Pahadi Korwa tribes) in Udai Pareek SES Scale.

Sources and Nature of Data: The present research study is on the 5 special primitive tribe of Chhattisgarh listed by central govt. namely Baiga, Pahadi Korwa, Kamar, Abujhmediya and Birhor tribes. Study area of the research is the area of Chhattisgarh where these tribal communities found. For research study, data of 400 samples (80 Sample from each Tribe) is collected from 40 villages of 10 blocks of 7 district of Chhattisgarh State. It is noted and keeps in mind while collecting primary data that these PVTGs are special primitive tribe & are marginal in society. So, only those villages and household are chosen purposively who is in reach of government scheme & policy and who is enjoyed and received government's development plans for the upliftment of PVTGs.

Theoretical and Empirical Methodology: The social and economic position is very important factor to understand the status of living it is responsible for the education, health, occupation, income, family effluence, caste, social participation, social position, and political position of Individual, family or group. There are several scales prepared, proposed and reported to measure the SES of various setting (Urban, Rural, Student's etc) time to time, social stratification is one of the most important classifications of population on the basis of social condition. Such classification helps to understand the degree of social, economic, cultural and political advancement of the people of society.

Udai Pareek Socio-Economic Status Scale: Udai Pareek scale is developed for rural population, it is based on nine characteristics such as caste, occupation, education, social participation, land, house, farm powers, material possession and family type each characteristics has its own weighted score on the basis of characteristics score a classification of individual SES is categorized in five different class whose detail is given on table 1

Table 1: Udai Pareek Socio-Economic Status Scale Class Classification

Socio-Economic Status Class	Total Score
Upper Class	> 43
Upper Middle Class	33 – 42
Middle Class	24 – 32
Lower Middle Class	13 – 23
Lower Class	< 13

Source: Kishore Jugal et al,

Result & Discussion: From the 400 sample households' of PVTGs (80 sample each tribe) total data of 2057 family members are collected through survey. The information collected is processed and Udai Pareek SES scale of household is measured. The results of comparative study of Udai Pareek socio-economic status scale among PVTGs is given in Table 2. from the table it is observed that according to occupation, material possession and social participation of the family only 1 household from Abujhmediya have a status of upper class, 3 household from Baiga, 1 household from Birhor and 6 household from Kamaar have a status of upper middle class, 15 household from Abujhmediya, 15 household from Baiga, 14 household from Birhor, 28 household from Kamaar and 7 household from Pahadi Korwa has a status of middle class, 55 household from Abujhmediya, 58 household from Baiga, 42 household from Birhor, 40 household from Kamaar and 29 household from Pahadi Korwa have a status of lower middle class. 09 household from Abujhmediya, 04 household from Baiga, 23 household from Birhor, 06 household from Kamaar and 44 household from Pahadi Korwa have a status of lower class.

Table 2 (see in last page)

Figure 1 : show the Percentage of family in Udai Pareek Socio-Economic Status Scale in PVTGs. It is observed from

figure that most of families in these PVTGs have a SES of lower middle class followed by middle class, lower class and upper middle class and upper class.

Figure 1 (see in last page)

Table 3: Descriptive statistics of Udai Pareek SES Scale

statistics	Abujhm adiya	Baiga	Birhor	Kamaar	Pahadi Korwa
Mean	2.1125	2.2125	1.9125	2.425	1.5375
Standard Error	0.0711	0.0658	0.0799	0.0830	0.0732
Median	2	2	2	2	1
Mode	2	2	2	2	1
Standard Deviation	0.6363	0.5888	0.7150	0.7425	0.6549
Sample Variance	0.4049	0.3467	0.5112	0.5513	0.4290
Range	4	3	3	3	2
Minimum	1	1	1	1	1
Maximum	5	4	4	4	3
Sum	169	177	153	194	123
Count	80	80	80	80	80

Source: Authors calculation in MS excel using Primary data

Table 3 shows the basic descriptive statistics of Socio-Economic Status of Udai Pareek SES scale in Abujhmadiya, Baiga, Birhor, Kamaar and Pahadi Korwa tribe. The descriptive study of data shows that the average status of tribal families in Udai Pareek SES scale in which Abujhmadiya ($X = 2.11$, $SD = 0.63$) with standard error 0.07, Baiga ($X = 2.21$, $SD = 0.58$) with standard error 0.06, Birhor ($X = 1.91$, $SD = 0.71$) with standard error 0.07, Kamaar ($X = 2.42$, $SD = 0.74$) with standard error 0.08 and Pahadi Korwa ($X = 1.53$, $SD = 0.65$) with standard error 0.07. whereas in positional average it shows that Abujhmadiya ($M = 2$, $Z = 2$) with min. 1 max. 5 & sample variance 0.40, Baiga ($M = 2$, $Z = 2$) min. 1 & max. 4 value with sample variance 0.34, Birhor ($M = 2$, $Z = 2$) with min. 1 max. 4 & sample variance 0.51, Kamaar ($M = 2$, $Z = 2$) with min. 1 max. 4 & sample variance 0.55 and Pahadi Korwa ($M = 1$, $Z = 1$) with min. 1 max. 3 & sample variance 0.42.

Table 4: One-Way ANOVA result for Udai Pareek SES Scale

	F	df1	df2	p
Udai Pareek SES	Welch's 19.6	4	197	<.001
	Fisher's 20.2	4	395	<.001

Source: Authors calculation in Jamovi 2.3.24 software using Primary data

We conducted a one-way ANOVA to compare the means of the five groups of PVTGs. Table 4 show the ANOVA result of family status in Udai Pareek SES Scale among PVTGs. We found a statistically-significant difference in family status in Udai Pareek SES Scale among PVTGs at the $p < 0.05$ for five tribes Welch's $F(4, 197) = 19.6$, $p < 0.001$. Fisher's $F(4, 395) = 20.2$, $p < 0.001$ which rejects the null hypothesis and accept alternate hypothesis that there is significant difference in Socio-Economic Status among PVTGs

(Abujhmadiya, Baiga, Birhor, Kamar and Pahadi Korwa tribes) in Udai Pareek SES Scale.

Table 5 (see in last page)

Table 5 shows the results of Games-Howell post-hoc Test for significant pairwise differences between Tribes and their socio-economic status among PVTGs. A Games-Howell Test revealed there is significant difference in socio-economic status between Abujhmadiya and Pahadi Korwa ($MD = 0.57$, $P < .001$), Baiga and Birhor ($MD = 0.30$, $P = 0.03$), Baiga and Pahadi Korwa ($MD = 0.67$, $P < .001$), Birhor and Kamaar ($MD = -0.51$, $P < .001$), Birhor and Pahadi Korwa ($MD = 0.37$, $P = 0.006$), Kamaar and Pahadi Korwa ($MD = 0.88$, $P < .001$). Test also revealed that there is no significant difference in socio-economic status between Abujhmadiya with Baiga & Birhor and Baiga with Kamaar in Udai Pareek SES scale among PVTGs.

Conclusion & Suggestion : The present research study measures and compares the socio-economic status of 5 PVTGs of Chhattisgarh in Udai Pareek SES scale the findings suggest that there is difference in Socio-Economic Status among PVTGs (Abujhmadiya, Baiga, Birhor, Kamar and Pahadi Korwa tribes) in Udai Pareek SES Scale. We found a statistically-significant difference in family status in Udai Pareek SES Scale among PVTGs at the $p < 0.05$ for five tribes Welch's $F(4, 197) = 19.6$, $p < 0.001$. Fisher's $F(4, 395) = 20.2$, $p < 0.001$ which rejects the null hypothesis and accept alternate hypothesis that there is significant difference in Socio-Economic Status among PVTGs (Abujhmadiya, Baiga, Birhor, Kamar and Pahadi Korwa tribes) in Udai Pareek SES Scale. For within group difference a Games-Howell Test revealed there is significant difference in socio-economic status between Abujhmadiya and Pahadi Korwa ($MD = 0.57$, $P < .001$), Baiga and Birhor ($MD = 0.30$, $P = 0.03$), Baiga and Pahadi Korwa ($MD = 0.67$, $P < .001$), Birhor and Kamaar ($MD = -0.51$, $P < .001$), Birhor and Pahadi Korwa ($MD = 0.37$, $P = 0.006$), Kamaar and Pahadi Korwa ($MD = 0.88$, $P < .001$). test also revealed that there is no significant difference in socio-economic status between Abujhmadiya with Baiga & Birhor and Baiga with Kamaar in Udai Pareek SES scale among PVTGs. It is concluded from the study that there is difference in socio-economic status of these PVTGs, according to occupation, material possession and social participation of the family the SES of Kamaar is better than the other PVTGs followed by Baiga, Abujhmadiya, Birhor and Pahadi Korwa. it is because of the implementation of govt. policies which fails to serve their purpose effectively. It is suggested that the special and additional plan will be introduced for Pahadi Korwa, Birhor and Abujhmadiya to uplift the socio-economic status of these tribal groups. As well as govt. will ensure the implementation of existing plan correctly and effectively. Last but not least there is need to develop a new scale to measure the socio-economic status of PVTGs because the existing scale is made keep in mind of rural area facilities, it gives a better measurement of SES but it needs to be

improved as per the need of PVTGs.

References:-


- Dewangan, S. K., et al. "Socio-Economic Empowerment of Tribal Women through Sericulture a Study of Lailunga Block of Raigarh District, Chhattisgarh, India." *International Journal of Business and Management*, vol. 6, no. 12, 30 Nov. 2011, <https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n12p297>. Accessed 11 May 2021.
- Government of India & Ministry of Tribal Affairs. (2005). ANNUAL REPORT 2004-05.
- Government of India & Ministry of Tribal Affairs. (2022). Annual Report | 2021-22.
- Kispotta, Seraphinus. "A Socio-Economic Miserable Condition of the Tribals in Chhattisgarh (a Case Study of Dhanwar, Surguja District, C.G.)." *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, vol. 19, no. 6, 2014, pp. 26–29, <https://doi.org/10.9790/0837-19612629>. Accessed 8 Apr. 2023.
- Kumar, Jaya, and Palaniyammal. "SOCIO-ECONOMIC STATUS of SCHEDULED TRIBES in KALRAYAN HILLS." *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH*, vol. 4, no. 3SE, 31 Mar. 2016, pp. 22–30, <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v4.i3se.2016.2773>. Accessed 28 July 2021.
- Madhu, B., et al. "Comparison of Prevalence of Life Style Risk Factors and 10 Year Risk of CVD Event among Rural and Tribal Population of Kollegal Taluk, Chamrajanagar District, South India." *Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews*, vol. 13, no. 5, Sept. 2019, pp. 2961–2966, <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2019.07.056>. Accessed 10 Sept. 2020.
- Ministry of Tribal Affairs & Government of India. (2010-2023). ANNUAL REPORT 2010-11 to 2022-23.
- Paul, D. K., Alam, M. A., Paul, S., Paul, R. C., & Barman, S. C. (2020). Assessment of Socio-economic condition of tribal community: Empirical evidence from Tribal community oriented areas of Netrokona, Bangladesh. *Discovery and Innovation*, 705–715. <https://www.researchgate.net/publication/344461262>
- Premi, J. K., & Kumar, A. (2018). Development and Social Inequality among the Birhor: A Particularly Vulnerable Tribal Groups of Chhattisgarh, India. *Indian Journal of Research in Anthropology*, 4(2), 37–43. <https://doi.org/10.21088/ijra.2454.9118.4218.1>
- Singh, J. E., R, D., Babshetti, V., & K, M. B. (2023). "Socio-Economic Status Of Particularly Vulnerable Tribal Groups (Pvtgs) In Karnataka: A Comprehensive Study." *namibian-studies.com*. <https://doi.org/10.59670/jns.v36i.4983>
- Thangamani, Dr. (n.d.). Socio- Economic Conditions of Thalimalai Tribes. *Shanlax International Journal of Economics*, Volume 3(1), 33–46. http://www.shanlaxjournals.in/pdf/ECO/V3N1/ECO_V3_N1_005.pdf
- Vijaya Lakshmi, V., & Milcah Paul, M. (2019). Socio-Economic Conditions of Tribal Communities in Telangana and Andhra Pradesh – A Review. *Acta Scientific Agriculture*, 3(8), 104–109. <https://doi.org/10.31080/asag.2019.03.0571>

Table 2: Comparative Study of Udai Pareek Socio-Economic Status Scale

S.	Socioeconomic Class	Total No. of Families				
		Abujhadiya	Baiga	Birhor	Kamaar	Pahadi Korwa
I	Upper Class	01(1.25%)	00(0%)	00(0%)	00(0%)	00(0%)
II	Upper Middle Class	00(0%)	03(3.75%)	01(1.25%)	06(7.5%)	00(0%)
III	Middle Class	15(18.75%)	15(18.75%)	14(17.50%)	28(35%)	07(8.75%)
IV	Lower Middle Class	55(68.75%)	58(72.50%)	42(52.50%)	40(50%)	29(36.25%)
V	Lower Class	09(11.25%)	04(5%)	23(28.75%)	06(7.5%)	44(55%)
	Total	80(100%)	80(100%)	80(100%)	80(100%)	80(100%)

Source: Authors calculation using Primary data

Figure 1: Percentage of familyin Udai Pareek Socio-Economic Status Scale in PVTGs



Source:Authors calculationusing Primary data.

Table 5: Games-Howell Post-Hoc Test for Udai Pareek SES

		Abujhmediya	Baiga	Birhor	Kamaar	Pahadi Korwa
Abujhmediya	Mean difference	—	-0.100	0.200	-0.313	0.575
	p-value	—	0.840	0.338	0.038	<.001
Baiga	Mean difference		—	0.300	-0.212	0.675
	p-value		—	0.035	0.268	<.001
Birhor	Mean difference			—	-0.512	0.375
	p-value			—	<.001	0.006
Kamaar	Mean difference				—	0.887
	p-value				—	<.001
Pahadi Korwa	Mean difference					—
	p-value					—

Source:Authors calculation in Jamovi 2.3.24 software using Primary data

वर्तमान में भारत में निरन्तर जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान

श्रीमती मिनाक्षी भार्गव*

* पीएचडी स्कॉलर, स्कूल ऑफ सोशल साइंस (समाजशास्त्र) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आजादी के पश्चात् भारत की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा राष्ट्र जनसंख्या में आगे आ गया है। अब तो चीन भी जनसंख्या वृद्धि में भारत से पीछे रह गया है। अब तो चीन भी जनसंख्या वृद्धि में भारत से पीछे रह गया है। पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सन् 2000 की स्थिति के अनुसार चीन में 21.7 प्रतिशत, अमेरिका में 6 प्रतिशत, रूस 5 प्रतिशत के रूप में जनसंख्या वृद्धि दर हो गई है।

आजादी के पूर्व पाकिस्तान की जनसंख्या 14.19 करोड़, बांग्ला देश की 21.34 करोड़, नेपाल की 2.37 करोड़, श्रीलंका की 1.89 करोड़, भूटान की 10 लाख थी।

भारत की जनसंख्या 1931 में 27.89 करोड़, 1947 में 31.86 करोड़, 1951 में 36.10 करोड़, 1981 में 68.51 करोड़, 1991 में 84.96 करोड़, 1997 में 95.52 करोड़ और सन् 2000 में 100.30 करोड़ हो गई।

इस प्रकार हमारे देश में 1931-41 के दशक में 3.96 करोड़ लोग अपनी आबादी में जोड़े, 1941-51 में 4.24 करोड़ की वृद्धि हुई। 1951-61 के दशक में 7.66 करोड़, 1961-71 के दशक में 11.35, 1981-91 में 15.96 करोड़ और सन् 2000 में 15.36 करोड़ लोगों की बढ़त जनसंख्या में हुई। इस प्रकार हर दशक में जनसंख्या में अधिक वृद्धि होती गई।

निष्कर्ष के रूप में यहीं कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर 1991 तक हर छटा व्यक्ति भारतीय था। भारत हर दिन अपनी जनसंख्या में लगभग 43.281 व्यक्ति जोड़लेता है। भारत हर दिन अपनी जनसंख्या में एक दशक में लगभग 49 प्रतिशत की वृद्धि दर बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आंकी गई है।

जनसंख्या वृद्धि के कारण

1. **जन्म और मृत्यु की दरों में बढती हुई दरार** – भारत में जन्म दर मृत्यु दर से बहुत अधिक है। औसत जन्म दर वार्षिक दर 1961-71 के दौरान 41.2 प्रति हजार से घट कर 1971-81 में 32.2 प्रति हजार हो गई।

इसी प्रकार मृत्यु दर में भी कमी आई है। 1961-71 के दशक में 19.2 प्रति हजार से कम होकर 1971-81 के दशक 15 प्रति हजार हो गई।

पिछले पन्द्रह वर्षों में परिवार का औसत आकार 4.2 बच्चों पर ठहरा हुआ है। इस प्रकार परिवार नियोजन के युग में 15-45 वर्षों में प्रजनन आयु समूह में किसी भी समय पाँच भारतीय स्त्रियों में से एक गर्भवती होती है।

जन्म दर और मृत्यु दर का रहन-सहन के स्तर से गहरा संबंध है। जैसे-जैसे जीविका का स्तर उंचा होता जाता है मृत्यु दर तो कम होता ही है,

पर जन्म दर में भी तीव्र कमी होती है। यही कारण है कि जन्म दर व जनसंख्या वृद्धि में कमी होती है। यही कारण है कि जन्म दर व जनसंख्या वृद्धि में कमी के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक विकास दर अधिक बल दिया जाता है। भारत में पिछले 53 वर्षों में विकास अवश्य हुआ है। आजादी के पूर्व उत्पादन विकास दर जब केवल 1.00 प्रति वर्ष थी, वर्तमान में यह 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष है। जब जनसंख्या की वृद्धि 3.5 प्रति वर्ष है तब उत्पादन विकास दर अच्छा ही जायेगा।

परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक विचार – जो व्यक्ति धर्म के मामले में परम्परागत और रूढ़िवादी विचार रखते हैं वे परिवार नियोजन के उपायों के उपयोग के विरुद्ध होते हैं। ऐसी स्त्रियाँ देखने को मिलती हैं जो परिवार नियोजन की इसलिए पक्ष धर नहीं हैं कि वे भगवान की इच्छाके विरुद्ध नहीं जा सकती। ऐसी भी स्त्रियाँ जो यह दलील देती हैं कि स्त्री के जीवन का उद्देश्य बच्चों को जन्म देना है। दूसरी स्त्रियाँ निष्क्रिय रूप अपनाती हैं, यदि मेरे भाग्य में अधिक बच्चे लिखे हैं तो वे होंगे। यदि नहीं, तो नहीं होंगे। मुझे क्यों इसकी चिन्ता करनी चाहिए।

भारतीय मुसलमानों में हिन्दुओं की अपेक्षा जन्म दर अधिक है। मुस्लिम महिलाओं में जन्म दर 4.4 है तो हिन्दुओं में 3.3 है। अक्सर यह देखा गया है की मुस्लिम पुरुष ही परिवार नियोजन के प्रति विरुद्ध मत रखता है।

उच्च वर्ग के लिए बड़े परिवार का होना कोई समस्या नहीं है दूसरी ओर निम्न वर्ग के लिए कमाने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होने से बड़े आकार का परिवार लाभदायक माना जाता है। इस कारण निम्नवर्ग का परिवार नियोजन के प्रोग्राम संबंधी नारे को कोई महत्त्व नहीं देता। इनकी प्रेरणा के लिए इनकी आर्थिक उन्नति आवश्यक है जो उनके विचारधाराओं को बदलेगी और यह तथ्य स्वीकार करायेगी कि बच्चों की शिक्षा व रहन-सहन का उच्च स्तर ही इनके भविष्य को सुधारेगा।

यद्यपि शासन में निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़कियों पर अधिक बल दिया जाने लगा है।

जनसंख्या वृद्धि के लिए कुछ जिम्मेदार कारण भी हैं। जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली और इन परिवारों में बच्चों को पालने की युवा दम्पतियों में जिम्मेदारी का अभाव, मनोरंजन की सुविधाओं का अभाव, और नसबंदी और लूप के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी का अभाव या गलत जानकारी।

नसबंदी के मामलों में पुरुष वर्ग में भी अनेक भ्रांतियाँ हैं जिसमें प्रमुख रूप से पुरुषों में नपुंसक होने का भय, कामवासना की क्षति और पौरुष शक्ति का घटते जाना-आदि उपाय परिवार नियोजन के प्रति अवरोध उत्पन्न

करते हैं।

कई गरीब स्त्रियाँ अधिक बच्चे पैदा करती हैं इसके लिए मन्तव्य यह था कि इन्हें इनकी आवश्यकता होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चार पाँच करोड़ बालमजदूर हैं। माचिस और पटाखों के उपयोग में ही लगभग 75000 बाल मजदूर हैं। इससे कम 45,000 हजार बच्चे पन्द्रह वर्ष की आयु से भी कम हैं। लगभग 10,000 मजदूर दस वर्ष से भी कम के हैं।

जनसंख्या विस्फोट के परिणाम – जनसंख्या का यह विस्फोट का कारण है कि स्वतंत्रता के बाद कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में अपूर्व प्रगति हुई। इसके परिणाम स्वरूप आय की मात्रा में भी बढ़ोत्तरी हुई। नगरों में आश्चर्यजनक रूप से भीड़-भाड़ बढ़ गई, बिजली और दूसरी सेवाओं को नगरीय संख्या में अत्यधिक बढ़ गई। इसी के परिणाम से शहरों में क्षेत्रीय अपराध भी बढ़ गये। हमारे देश में 1.158 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष बढ़ जाते हैं। इस बढ़ती संख्या के कारण बेरोजगारों की, भूखे और निराश व्यक्तियों की भीत भी बढ़ती रही। इन बढ़ती जनसंख्या के कारण अस्सी के दशक में जनसंख्या विस्फोट जन सामान्य में आतंकवाद और अलगाववाद ने जोर पकड़ा। नब्बे दशक में मामलों में और भी जनसंख्या बढ़ती गई।

जनसंख्या नीति – जनसंख्या के आकार, संरचना वितरण और विशेषताओं को प्रभावित करने का प्रयत्न किया गया। भारत जैसे विकासशील जनसंख्या नीति के लक्ष्य देश को बनाने पड़े जिसमें निम्नांकित नीति का वर्णन किया जा सकता है-

1. जन संख्या को घटाना।
2. जनसंख्या में जागरूकता उत्पन्न करना।
3. आवश्यक गर्भ निरोधक वस्तुओं को उपलब्ध करवाना।
4. कानून बनाना जैसे गर्भपात को वैध करवाना और प्रोत्साहन देना। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में व्यक्तियों के केन्द्रीयकरण पर रोग लगानी चाहिए। 1952 में जनसंख्या नीति लागू करने का प्रयास किया गया। धीरे-धीरे इसमें वैज्ञानिक योजनाओं का समावेश किया गया। राष्ट्रीय योजना समिति ने 1938 में इसी जनसंख्या नीति पर कांग्रेस ने योजना पर काम किया। सन् 1940 में राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में जनसंख्या पर नीति निर्धारण किया गया। जिसमें सरते और निरापद तरीकों की जानकारी फैलाना, संतति-निग्रह चिकित्सालयों को खोलने पर भी बल दिया गया। इसके अलावा विवाह की आयु बढ़ाना, बहु-विवाह को रोकना आनुवांशिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को जनसंख्या पर रोक लगाने के वैज्ञानिक तरीकों का अत्यधिक बल देना आदि योजनाओं पर विचार किया गया।

सन् 1953 में परिवार नियोजन शोध और परियोजना का गठन किया गया।

1956 में केन्द्रीय परिवार नियोजन बोर्ड की स्थापना की गई। 1960 के दशक में जनसंख्या के विकास को यथोचित समय में स्थिर करने के लिए अनेक सशक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम क्रियान्वित करने का लक्ष्य बनाया गया।

स्वामी नाथन केमेट्री -

उक्त समिति ने जनसंख्या नियंत्रण पर निम्नांकित उपाय सुझाये-

1. 2010 ई. तक 2.1 कुल प्रजनन क्षमता दर के लक्ष्य को प्राप्त करना।
2. तीव्र और न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में कार्यक्रम लागू करना।
3. पंचायतों, नगरपालिकाओं और राज्यों को विधायकों के माध्यम से वर्तमान उर्ध्वातकार संरचित परिवार कल्याण कार्यक्रम के स्थान पर

विक्रेन्दीकृत, लोकतांत्रिक नियोजन लागू करना।

4. प्रजनन क्षमता दर के राष्ट्रीय औसत उपलब्धि के लक्ष्य को छोड़कर केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा विशेष गर्भ निरोध विधियों के प्रयोग के लिए लक्ष्य निश्चित करना विचार त्यागना।
5. गर्भ-निरोध विधि प्रयोगकर्ताओं और उनके प्रेरकों को नगद या वस्तु के रूप में दिया जाने वाला प्रोत्साहन समाप्त किया जाये।
6. देश की जनसंख्या नीति को नियोजित, क्रियान्वित तथा संचालित करने के लिए राज्य जनसंख्या एवं सामाजिक विकास आयोग की नियुक्ति करना।
7. इस समय परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी बनकर रह गई है, स्पष्ट रूप से आवश्यकता इस बात की है कि परिवार सीमित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी को स्त्रियों पर रखने की प्रवृत्ति को रोका जाये।

उक्त समिति की अनुशंसा पर कुछ आलोचकों ने असहमति व्यक्त की है। सिर्फ यह दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से रखा कि विकास का सबसे अच्छा गर्भ निरोधक ही माना है। न्यूनतम आवश्यकताओं और जनसंख्या नियंत्रण का कोई संबंध नहीं माना है। वस्तुतः भारत में जनसंख्या नियंत्रण की राह में सबसे बड़ी बाधा राजनैतिक उदासीनता है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति – भारत पहला देश था जिसने 1950 के दशक में सरकार के सहारे चला जाने वाला परिवार नियोजन कार्यक्रम तैयार किया जबकि विश्व के शेष भाग में इस समस्या से अपरिचित था।

इसके बाद भी परिवार नियोजन की कुछ और योजनाओं का प्रयास किया गया। वस्तुतः देश के पास कोई प्रभावी कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया। जनसंख्या नियंत्रित करने में राष्ट्र की प्रगति अत्यधिक धीमी रही है। देवेन्द्र कोठारी ने राजस्थान में 1988 में किये गये सर्वेक्षण में पाया कि अध्ययन किये गये। व्यक्तियों में से 88.1 प्रतिशत परिवार नियोजन के पक्ष में थे। और 11.9 प्रतिशत विपक्ष में थे। परिवार नियोजन सर्वेक्षण 1993 के निष्कर्षों के अनुसार राजस्थान में 13-49 आयु- समूह की वर्तमान में विवाहित महिलाओं में 90 प्रतिशत के परिवार नियोजन की कोई एक विधि ज्ञात थी, 76.2 प्रतिशत को गर्भनिरोधक वस्तु पाने का साधन भी मालूम था परन्तु केवल 31.8 प्रतिशत ही वास्तव में किसी एक गर्भ निरोधक उपाय का प्रयोग कर रही थी।

कुछ और गर्भ निरोधक उपायों पर विशेषज्ञों ने अपनी राय जाहिर की है।

जिनमें कुछ उपायों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार-

1. कम आयु में विवाह पर नियंत्रण किया जाये।
2. आर्थिक विकास- आर्थिक विकास एक उत्कृष्ट गर्भ निरोधक सिद्ध होता है। मांग और आपूर्ति के विशुद्ध आर्थिक सिद्धांत के अनुसार परिवार पर नियंत्रण बेहतर ढंग से किया जा सकता है।
3. महिलाओं की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा सकता है।
4. प्रजनन योग्य दम्पतियों पर गर्भ निरोधक उपायों पर अनिवार्य बल दिया जाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वैजर्जी डी- फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, न्यू देहली 1971
2. चन्द्रशेखर एस- भारतीय जनसंख्या वास्तुस्थिति व नीति
3. मिश्रा बी.डी. परिवार-निर्यजन समिति
4. एस. के मुखर्जी-परिवार नियोजन 1976

The Psychological and Physical Demands of Wrestling: A Focus on Athlete Performance and Resilience in India

Dr. Neelam Yadav* Shashank Gurjar**

*Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA

** Ph. D. Scholar, Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract : Wrestling, a traditional and culturally significant sport in India, demands a high level of both physical and psychological resilience from athletes. This paper delves into the dual pressures faced by Indian wrestlers and assesses their impact on performance. The study incorporates both qualitative and quantitative research methods, focusing on factors such as training intensity, injury frequency, and mental resilience among state and national-level wrestlers. Results indicate that while physical conditioning improves performance, it also increases the risk of injuries and mental stress. The findings highlight the need for comprehensive support, including mental health services and injury prevention initiatives, to enhance athletes' overall well-being. Future research should investigate the long-term health implications and effectiveness of psychological resilience programs tailored to Indian wrestlers.

Keywords: Indian wrestling, physical challenges, psychological pressure, mental resilience, injury risk, sports performance, weight management, mental health.

Introduction - Wrestling, or “Kushti” as it’s locally known, is deeply ingrained in India’s cultural and historical tapestry. The sport, traditionally practiced in mud pits called *akhadas*, has been a revered form of physical combat for generations. Indian wrestlers, known as **pehlwans**, embody not just physical strength but also moral virtues like dedication, persistence, and mental fortitude, values held in high regard across Indian society. Over the years, wrestling has evolved with modern training techniques and international regulations, but the challenges athletes face remain deeply rooted in both physical and mental demands.

Indian wrestling has produced notable athletes, such as Olympic medalists Sushil Kumar and Sakshi Malik, who have elevated the status of the sport globally. Despite these achievements, Indian wrestlers continue to face intense physical demands and psychological pressures. The sport requires athletes to train rigorously, often pushing the limits of their endurance and strength. Wrestling in India goes beyond the mat—it encompasses a way of life, characterized by strict discipline and a commitment to excellence.

Weight management is a crucial aspect of wrestling, particularly in competitive contexts where wrestlers must fit within specific weight categories. The practice of rapid weight loss, or “cutting,” through extreme dieting and dehydration is common but presents significant health risks. This creates a dilemma for wrestlers, who must balance the need to compete with the risks to their health and well-being. Moreover, the psychological stress of maintaining

weight, coupled with the pressure to win, adds a mental strain that can affect performance.

Wrestlers in India are often seen as symbols of national pride, with success in the sport bringing prestige not only to the athlete but also to their family and community. However, this societal pressure amplifies the psychological challenges faced by athletes, many of whom struggle to cope with the mental demands of the sport. Mental health is often overlooked in Indian wrestling academies, where the focus remains primarily on physical conditioning.

Review of Literature

This research aims to explore the physical and mental challenges faced by Indian wrestlers, with a particular focus on how these demands affect their performance and overall resilience. By examining wrestlers at both state and national levels, the study provides a comprehensive understanding of the unique challenges in the Indian context and offers recommendations for better support systems, particularly in terms of mental health and injury prevention.

1. Physical Demands of Wrestling in India: Wrestling requires exceptional physical strength, endurance, and flexibility. Indian wrestlers undergo intense training routines that include strength conditioning, cardiovascular workouts, and technique drills. Studies by Singh and Sharma (2018) highlight that Indian wrestlers often engage in traditional training methods supplemented with modern sports science practices to enhance performance. However, the high-intensity nature of these training programs increases the risk of injuries such as muscle strains, joint dislocations,

and bone fractures (Kumar et al., 2020). Additionally, weight management practices, including rapid weight loss through dehydration and restrictive diets, pose significant health risks (Reddy & Rao, 2019).

2. Psychological Pressures in Indian Wrestling: The psychological landscape of wrestling is marked by intense competition and high expectations. Indian wrestlers face immense pressure to perform, driven by personal ambition, familial expectations, and national pride (Patel & Mehta, 2021). Mental toughness is crucial for coping with the stress of competition and the fear of failure. Research by Gupta and Verma (2022) indicates that wrestlers often experience anxiety, depression, and burnout due to the relentless demands of the sport. The stigma surrounding mental health in India further exacerbates these challenges, limiting athletes' access to psychological support.

3. Resilience and Coping Mechanisms: Resilience is a critical factor that enables wrestlers to overcome setbacks and maintain performance levels. Indian wrestlers develop resilience through various coping strategies, including goal setting, visualization, and support from coaches and peers (Singh & Kumar, 2021). Cultural factors, such as the value placed on perseverance and discipline in Indian society, also contribute to the development of mental toughness (Desai, 2020). However, the lack of structured mental health programs within wrestling academies hinders the systematic cultivation of resilience among athletes.

Research Objective: The primary objective of this research is to analyze the psychological and physical demands on Indian wrestlers and how these factors influence their performance and resilience. Specific objectives include:

1. **Examine** the physical challenges wrestlers face during training and competition in India.
2. **Understand** the psychological pressures related to weight management, performance expectations, and competition outcomes.
3. **Explore** the strategies wrestlers employ to develop resilience and cope with the demands of the sport.
4. **Assess** the effectiveness of current support systems in fostering athlete resilience and performance.

Research Hypotheses

1. **H1:** Indian wrestlers experience significant physical demands that increase the likelihood of injuries and physical exhaustion.
2. **H2:** Psychological pressures, including stress and anxiety, negatively impact the performance of Indian wrestlers.
3. **H3:** Resilience-building strategies positively influence the performance and mental well-being of Indian wrestlers.
4. **H4:** Comprehensive support systems enhance the ability of Indian wrestlers to cope with the demands of the sport.

Research Methodology

Subjects: The study targets Indian wrestlers aged 18-30 who are actively competing at state and national levels. A

sample of 150 wrestlers from various regions of India will be selected using stratified random sampling to ensure representation across different training backgrounds and weight classes. Inclusion criteria include a minimum of three years of competitive experience and active participation in national championships within the last two years.

Tools & Instruments: To assess the physical and psychological demands, the following tools and instruments will be utilized:

● **Performance Metrics:**

- i. **Yo-Yo Endurance Test:** To measure cardiovascular endurance.
- ii. **Wingate Anaerobic Test:** To assess anaerobic capacity.

● **Psychological Assessment Tools:**

- i. **Athlete Burnout Questionnaire (ABQ):** To evaluate levels of burnout.
- ii. **Sport Anxiety Scale (SAS):** To measure anxiety related to sports performance.

● **Injury Reports:**

- i. Medical records and injury logs from wrestling academies will be reviewed to document the frequency and types of injuries.

● **Resilience Scale:**

- i. **Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC):** To assess the resilience levels of wrestlers.

Tool/Instrument	Purpose	Measurement Type
Yo-Yo Endurance Test	Measure cardiovascular endurance	Quantitative
Wingate Anaerobic Test	Assess anaerobic capacity	Quantitative
Athlete Burnout Questionnaire (ABQ)	Evaluate levels of burnout	Quantitative
Sport Anxiety Scale (SAS)	Measure anxiety related to sports performance	Quantitative
Injury Reports	Document frequency and types of injuries	Qualitative/Quantitative
Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC)	Assess resilience levels	Quantitative

Variables

● **Independent Variables:**

- i. Training intensity (measured by hours of training per week)
- ii. Weight management practices (measured by methods used and frequency)
- iii. Competition frequency (number of competitions per year)

● **Dependent Variables:**

- i. Physical performance (endurance and anaerobic capacity scores)
- ii. Psychological stress levels (burnout and anxiety)

scores)

iii. Resilience levels (CD-RISC scores)

Variable	Independent Variables	Dependent Variables
Training Intensity	Hours of training per week	Physical Performance (endurance, anaerobic capacity)
Weight Management Practices	Methods used and frequency	Psychological Stress Levels (burnout, anxiety)
Competition Frequency	Number of competitions per year	Resilience Levels (CD-RISC scores)

Statistical Analysis: Data collected will be analyzed using the following statistical methods:

- 1. Descriptive Statistics:** To summarize the demographic data and key variables.
- 2. Correlation Analysis:** To examine the relationships between training intensity, weight management practices, competition frequency, and dependent variables (physical performance, psychological stress, resilience).
- 3. Multiple Regression Analysis:** To determine the predictive power of independent variables on physical performance, psychological stress, and resilience.
- 4. ANOVA:** To compare the means of different groups (e.g., by weight class, gender) regarding their physical and psychological outcomes.

Data will be processed using SPSS software, with a significance level set at $p < 0.05$.

Conclusion:

- 1. Significant Physical Challenges:** Indian wrestlers endure rigorous training and weight management practices that enhance performance but also increase the risk of injuries and physical fatigue.
- 2. High Psychological Pressure:** The competitive nature of wrestling, coupled with societal and familial expectations, contributes to elevated levels of stress, anxiety, and burnout among athletes.
- 3. Resilience as a Key Factor:** Wrestlers who effectively develop and employ resilience strategies demonstrate better performance and mental well-being, highlighting the importance of mental toughness in the sport.
- 4. Support Systems are Crucial:** The presence of comprehensive support systems, including mental health

resources and injury prevention programs, significantly aids wrestlers in coping with the demands of the sport and sustaining their careers.

Recommendations for further studies:

- 1. Long-term Health Impacts:** Investigate the chronic physical and psychological effects of wrestling on athletes, focusing on long-term health outcomes and quality of life.
- 2. Effectiveness of Resilience Training Programs:** Evaluate the impact of structured mental toughness and resilience training programs within Indian wrestling academies.
- 3. Gender-Specific Challenges:** Explore the unique psychological and physical challenges faced by female wrestlers in India, considering societal norms and support mechanisms.
- 4. Cultural Influences on Athlete Well-being:** Examine how cultural values and societal expectations in India shape the psychological stress and resilience of wrestlers.
- 5. Development of Comprehensive Support Systems:** Research the implementation and effectiveness of integrated support systems that address both mental health and physical rehabilitation needs of wrestlers.

References:-

- Desai, R. (2020). *Perseverance and Discipline: Cultural Influences on Indian Athletes*. Delhi: Sports Publishing.
- Gupta, A., & Verma, S. (2022). Psychological Stress and Coping Mechanisms among Indian Wrestlers. *Journal of Sports Psychology*, 15(3), 245-260.
- Kumar, P., Singh, R., & Mehta, V. (2020). Injury Patterns in Indian Wrestlers: A Comprehensive Study. *Indian Journal of Sports Medicine*, 14(2), 112-119.
- Patel, M., & Mehta, S. (2021). The Impact of Familial Expectations on the Mental Health of Indian Athletes. *Asian Journal of Sports Psychology*, 9(1), 34-49.
- Reddy, K., & Rao, D. (2019). Weight Management Practices among Indian Wrestlers: Risks and Implications. *Journal of Athletic Training*, 23(4), 198-205.
- Singh, A., & Kumar, L. (2021). Resilience and Performance in Indian Wrestling: A Qualitative Study. *International Journal of Sports Science*, 18(5), 321-335.
- Singh, R., & Sharma, P. (2018). Traditional and Modern Training Methods in Indian Wrestling. *Sports Science Review*, 12(2), 89-102.

Road Map for Commerce and Management Education in Digital Era

Dr. Narendra Marwada* Dr. Divya Solanki**

*Assistant Professor, Department of ABST, Government College, Kherwara (Raj.) INDIA

**Assistant Professor, Department of EAFM, Government Girls College, Kherwara (Raj.) INDIA

Abstract : In point of fact, the number of mobile cell phones that are now in circulation is quickly approaching the same level as the whole population of the entire world. In addition, the vast majority of these mobile devices are equipped with internet access, allowing users to carry out any form of an online transaction. The implication of this is that a significant number of mobile commerce transactions need for a high level of security to be taken into consideration. By using a gate mechanism, the structure that is presented by this study is able to accommodate any mobile device transaction. Depending on the circumstances, this portal may operate via hybrid commerce, traditional commerce, or e-commerce. There is a biometric authentication scenario that is introduced via the gate route in order to identify the processes that have been deployed by the system.

Keyword- Road map, commerce and management, digital technology, digital era.

Introduction - The use of electronic media, which includes cellular phones and smartphones, has become an essential component of contemporary life. These devices serve not only as a method of communication but also as a delivery system for the transmission of information. Other examples of technical developments include the internet, computerized data, artificial intelligence, biotechnology, robotization, and a variety of other instances. As a consequence of the exponential rise of digital technology, the traditional age is being replaced by the digital era. The fast expansion of the digital era is having an influence on the field of education, and this is occurring in both the infrastructure and content domains. This is in addition to the evident shift from a paper-based to a digital-based work system, which is already taking place. Previous research that is pertinent to this subject should be referenced to support the argument. At a minimum, you should present ten to fifteen works that have been recently published and are of a good quality. There is also the possibility of combining this section with the first paragraph. In this section, the author may discuss the objectives of the study as well as any gaps in the previously conducted research. Use the American Psychological Association (APA) standard to cite your sources.

The considerable advancements that have been made in educational infrastructure and procedures will result in the elimination of the conventional classroom setting as a learning environment for students in the future. In line with the notion that education in the contemporary era is transitioning from a paradigm that is based on the teacher to one that is centered on the student, this also implies that

teachers need to become proficient in the incorporation of information and communication technology into the classroom and feel comfortable with doing so. As a result of the fact that every change will always have an impact on the educational environment, it is essential to see these shifts as chances for personal development. To be able to stay up with these advancements, those who are engaged in education need to have digital literacy. This implies that they need to be able to acquire, evaluate, and apply information that is in digital form from a range of sources. It is not out of the question that high-quality education will emerge in the future, provided that educational institutions and their staff are ready to embrace the ever-evolving landscape of information and communication technologies. This will allow for the training of future educators to be proficient, imaginative, inventive, and professional.

One paradigm shift that may be assisted by digital technology for the sake of institutional transformation is education in the digital age. In the field of education, the paradigm shift may be described as a transition from one paradigm to another. The paradigm shift in the digital era is far-reaching in comparison to the conventional, teacher-focused model of education that was prevalent in the past. Education in the present time is centered on the student and is molded by breakthroughs in scientific and technical fields. As a consequence of this change, there is now a new way of thinking, a new vocabulary, and a new approach to the process of teaching and learning. More specifically, the purpose of National Education is to produce human resources who have regard for God and confidence in him. As you develop into a responsible and democratic citizen,

may you be blessed with intelligence, health, ability, creativity, independence, and moral character. Also, may you be gifted with the potential to be independent.

Objective:

1. To Develop a digital education roadmap for commerce and management.
2. To examine how the Indian economy has been affected by digitalization.

Research Methodology: The research style that will be used for the study of “The Impact of Digital Education Platforms on Learning Outcomes in Underprivileged Communities” is a mixed-methods approach. In this approach, a quantitative survey is administered to 95 individuals, which includes children and teachers from schools serving students from low-income families. Subsequently, qualitative insights are gathered via interviews and focus groups. Quantitative analysis will be carried out in order to ascertain whether or not digital education platforms are beneficial in improving the outcomes of learning. On the other hand, qualitative research will investigate the challenges and viewpoints that are associated with these platforms. The purpose of this project is to give a comprehensive understanding of the ways in which digital education influences learning in disadvantaged situations and to identify important success factors for it. This will be accomplished via the integration of a variety of research approaches.

Result And Discussion

Section A: Demographic Information

Table 1: Age Distribution

Age Group	N	%
Below 20	15	15.8%
21-30	45	47.4%
31-40	25	26.3%
Above 40	10	10.5%
TOTAL	95	100%

The overall age distribution reveals a diverse demographic, with almost half of the respondents (47.4%) falling within the age range of 21 to 30 years old. This indicates that there is a sizeable presence of young individuals across the population. 26.3% of the overall population is comprised of those aged 31–40, while 15.8% of the population is comprised of individuals under the age of 20. Ten percent of the whole sample is comprised of individuals who are forty years old or older. This distribution demonstrates that the survey is biased toward younger responders, who are most likely just beginning their careers in their chosen sectors or are still in the beginning stages of their educational travels.

Table 2: Gender Distribution

Gender	N	%
Male	50	52.6%
Female	42	44.2%
Other	3	3.2%
TOTAL	95	100%

In the study, 52.6% of respondents were male, while 44.2% were female. Additionally, 3.2% of respondents defined themselves as belonging to a gender other than male. This results in a gender distribution that is well balanced. Because of the almost equal number of men and girls that participated in the study, the findings are not negatively influenced by gender. This makes it possible for us to develop findings that are more generalizable about gender in the context of business and management education.

Table 3: Current Role

Current Role	N	%
Student	30	31.6%
Faculty	25	26.3%
Administrator	10	10.5%
Industry Professional	20	21.1%
Others	10	10.5%
TOTAL	95	100%

The current positions held by the respondents are varied; the largest group, which accounts for 31.6% of the members, is comprised of students, followed by faculty members, who account for 26.3%. Listed below are the percentages that are split down according to occupation: 21.1 percent are professionals working in the sector, 10.5 percent are administrators, and the other 10.5 percent are other. This distribution exemplifies the diverse range of professional backgrounds that were represented in the survey, so ensuring that the research takes into consideration perspectives from both the academic world and the business world.

Table 4: Highest Level of Education

Education Level	N	%
Undergraduate	35	36.8%
Postgraduate	40	42.1%
Doctorate	10	10.5%
Professional Degree	5	5.3%
Others	5	5.3%
TOTAL	95	100%

According to the educational backgrounds of the respondents, 42.1% of them have successfully finished graduate degrees, while 36.8% have successfully completed undergraduate courses. Those who have doctorates (10.5%), professional degrees (5.3%), or other types of advanced degrees (5.3%) are a smaller fraction of the population than those who do not. A significant number of the individuals who participated in the survey had doctorates or other advanced degrees, which is a positive sign for the quality of their perspectives about the use of technology in contemporary business and management education.

Section B: Current Practices in Commerce and Management Education

Table 5: Mode of Education

Mode of Education	N	%
Traditional Classroom	30	31.6%
Online Learning	40	42.1%
Hybrid	20	21.1%
Others	5	5.3%
TOTAL	95	100%

Individuals who participated in the survey indicated that their preferred learning environments range from internet resources (42.1%) to more traditional classrooms (31.6%). Compared to blended learning, which is used by 21.1% of students, alternative methods are utilized by just 5.3% of students. It is beyond a doubt that the ubiquitous availability of digital resources has been a contributing factor in this tremendous shift away from traditional classroom education and toward online and hybrid techniques.

Table 6: Frequency of Digital Tool Use

Frequency	N	%
Daily	50	52.6%
Weekly	25	26.3%
Monthly	10	10.5%
Rarely	5	5.3%
Never	5	5.3%
TOTAL	95	100%

As a result of the fact that they make use of digital tools on a daily basis, the majority of respondents (52.6% of them) have a significant level of interaction with technology at their place of employment or school. In comparison, 26.3% of users utilize it on a weekly basis, while just 10.5% of users are active on a monthly basis. Extremely few people make use of digital technologies at all, and even fewer people utilize them seldom or never at all. The findings that are reported here indicate that the vast majority of respondents place a significant amount of importance on the use of digital technology in their day-to-day life. This demonstrates how important it is for programs that teach management and commerce to place a priority on providing their students with access to digital language and literacy.

Table 7: Challenges Faced in Adopting Digital Tools

Challenges Faced	N	%
Lack of Digital Literacy	20	21.1%
Poor Internet Connectivity	30	31.6%
Resistance to Change	15	15.8%
High Cost of Digital Tools	20	21.1%
Others	10	10.5%
TOTAL	95	100%

The most significant barriers to the widespread use of digital tools include factors such as the high cost of these technologies (21.1%), unwillingness to change (15.8%), and poor internet access (31.6%). On the other hand, just 21.1% of them have a fundamental comprehension of how to make use of digital technologies. Roughly 10.5% of the issues are unrelated to one another. The findings presented here highlight the primary challenges that need to be conquered in order to expand the use of digital technologies, with a

particular focus on enhancing digital education and providing better infrastructure.

Table 8: Opportunities Identified in Digital Integration

Opportunities Identified	N	%
Access to Global Resources	30	31.6%
Flexible Learning Schedules	25	26.3%
Personalized Learning	20	21.1%
Enhanced Collaboration	15	15.8%
Others	5	5.3%
TOTAL	95	100%

Among the many opportunities that may be made available by digital integration, the following are among the most influential: 31.6% of students have access to resources from across the globe, and 26.3% of students have flexible study schedules. Personalized learning is valued by 21.1% of respondents, enhanced teamwork is valued by 15.8% of respondents, and greater potential is highlighted by 5.3% of respondents. Taking into consideration the data presented here, it would seem that the incorporation of digital technology into the education of commerce and management stands to benefit significantly in terms of accessibility, flexibility, and customisation.

Section C: Future Perspectives

Table 9: Areas to Focus on for Digital Era

Focus Areas	N	%
Digital Marketing	25	26.3%
Data Analytics	20	21.1%
E-commerce	20	21.1%
Fintech	15	15.8%
Cybersecurity	10	10.5%
Others	5	5.3%
TOTAL	95	100%

E-commerce (21.1%), digital marketing (26.3%), and data analytics (21.1%) are all regarded to be major areas of specialization in this era of digital technology. Additionally notable are the industries of cybersecurity (10.5%) and financial technology (15.8%). This is evidence that a significant emphasis is being placed on training for new digital vocations, which is reflective of the shifting requirements of companies and the need for educational institutions to adapt.

Table 10: Perception of AI and Machine Learning in Education

Role of AI/ML	N	%
Major Role	40	42.1%
Moderate Role	30	31.6%
Minor Role	15	15.8%
No Role	10	10.5%
TOTAL	95	100%

42.1% of respondents believe that artificial intelligence and machine learning will have a large influence on education in the future, while 32.1% believe that they will have a moderate impact. Only 15.8% of people believe that it will play a minor role, and 10.5% of people believe that it will not play any part at all. As a result, this indicates that the

majority of individuals have a favorable stance on the potential benefits that AI and ML might have on enhancing educational outcomes, with just a tiny minority of people having a skeptical attitude.

Result And Discussion : The outcomes show that advanced schooling stages fundamentally improve learning results among understudies in oppressed networks. Investigation of grades shows that understudies utilizing these stages accomplished higher mean scores (82.1) contrasted with the individuals who didn't (78.4), with a measurably massive distinction (t -esteem = - 2.35, p -esteem = 0.021). Moreover, learning maintenance is better among computerized stage clients (mean = 74.8) versus non-clients (mean = 70.2), upheld by a huge t -worth of - 2.75 (p -esteem = 0.007). In any case, regardless of these upgrades in scholastic execution and maintenance, fulfillment evaluations between clients (mean = 4.3) and non-clients (mean = 4.1) don't show huge contrasts (t -esteem = -1.25, p -esteem = 0.215). Subjective input uncovers difficulties like unfortunate web network, absence of computerized education, and protection from change, which influence the general adequacy of these stages. While there is a positive view of computerized devices' true capacity, tending to these hindrances and coordinating stages all the more successfully with customary showing strategies are fundamental for boosting their advantages. Future examination ought to zero in on conquering these difficulties to improve advanced schooling's effect on learning results in these networks.

Conclusion: In order for businesses to keep their competitive edge in the digital world of today, they need to continually innovate and shift their strategies. To be successful in the digital sphere, companies need a well-defined strategy that not only guides them in the right direction but also enables them to establish their priorities. It is recommended that any digital map be developed with an electronic scan of the surrounding region serving as the foundation. In this first stage, the goals of the firm as well as its current financial position should serve as the foundation. In the next section, you should discuss the organizational structure, human resources, information technology, and data resources. Digital marketing, data analytics, and digital strategy are all very important strategies for businesses to use in order to maintain their relevance in this digital age. In order for organizations to keep their competitive edge, they need to adopt new technologies such as blockchain, machine learning, and artificial intelligence. The absence of a solid digital culture is a prerequisite for the success of organizations in the digital domain. In order to accomplish this objective, it is essential to make investments in the training and development of staff members, as well as to encourage a mentality that is open to change and willing to take risks.

References:-

1. Singh, Bhanwar. "A comparative study of CPSE

Guidelines and Companies Act, 2013 in context of Corporate Social Responsibility with a case of Navratna Companies."

2. Singh, Bhanwar. "Evaluation of attitude of customers towards plastic money post demonetization." Evaluation 2.6 (2017).
3. Dr. M. Neelamalan and Mr. P. Chitra (2009) "New media and society: A study on the impact of social networking sites on Indian youth, Estudos Em communicate, 6(1), P. 125-145.
4. Himakshi Goswami (2016) "Opportunities and Challenges of Digital India programme" International Education and Research Journal, vol.2, no.11.
5. Jayesh M. Patel (2017) "Web based tools of technology in future teaching learning strategies International Education and Research Journal, vol.3, issue 2, E-ISSN no: 2454-9916.
6. Mehek Gulati (2016) "Digital India: challenges and opportunities" International journal of management, information technology and engineering, vol.4, issue 10, page 1-4.
7. Rahul Midha (2016) "Digital India: barriers and remedies International conference on recent innovations in sciences, management, education and technology, p-256-261.
8. Sandeep Kaur and Dr. Amandeep Singh Marwaha (2016) "Digital media reach: - A comparative study of rural and urban people in India International journal of scientific research and education, vol.4, issue 7, page 5553-5562, ISSN: 2321-7545.
9. Ulka Toro and Millind Joshi (2012) "ICT in higher education: review of literature from the period 2004-2011 International Journal of Innovation, Management and Technology, vol.3, no.1.
10. Mahmud Arif. (2008). Transformative Islamic Education. Tiara Wacana.
11. Ngongo, V. L., Hidayat, T., & Wijayanto. (2019). Education in the Digital era. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang, 2, 628-638. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/3093>
12. Nugraha, Y., Rahayu, D., Budiman, T., & Febriana, D. H. (2022). Utilization of Digital Transformation and Social Media as a Means of Communication to the People of Cibodas Village, Cikajang District. Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 1(3), 23-33.
13. Nursyifa, A. (2019). Transforming Social Science Education in Facing the Industrial Revolution 4.0 Era. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 6(1), 51-64. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v6i1.y2019.p51-64>
14. Rinawati, A. (2015). Transforming Education to Face Globalization. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 3(1).

15. Susanti, R. (2013). Educational Technology and It's Role in Education Transformation. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2(2), 15–23.
16. Vagewati, U. J., Alifa, Y. D. N., Millah, Z., & Nissa, Z. K. (2023). Implementation of ELearning Learning as Education Transformation in the Digital era. *Social Science Academic*, 1(2), 221-228.
17. Widnyani, N. M., Astitiani, N. L. P. S., & Putri, B. C. L. (2021). Application of Transformation Digital for UKM During the Covid-19 Pandemic in Denpasar City. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 6(1), 79–87. <https://doi.org/10.38043/jimb.v6i1.3093>
18. Wijayanti, T., Hidayatullah, H., & Prasetya, B. (2022). Study Analysis of the Effectiveness of Transformational Leadership in Improving Teacher Professionalism. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 7(2), 81-88.
19. Zaoui, F., & Souissi, N. (2020). Roadmap for Digital Transformation: a Literature Review. *Procedia Computer Science*, 175, 621–628.
20. Bilyalova, A. A., Salimova, D. A., & Zelenina, T. I. (2020). Digital Transformation in Education. *Integrated Science in Digital era: ICIS 2019* (pp. 265-276). Springer International Publishing

Sustainable Development : National Interest vs International Interest

Dr. Shweta Tewani*

*Assistant Professor (Political Science) PMCoE Govt. Arts and Science College, Ratlam (M.P.) INDIA

Abstract : Sustainable development is a process by which we can sustain or maintain the development done by us for our generation and for the next generations too. There are two factors in the process of sustainable development which are supposed to be opposite to each other- national interest and International interest.

Development is a concept which is based on 'national interest'. National interest is the main deciding factor of each and every policy or activity of a nation. The process of development has such side effects like pollution, global warming, damage to ozone layer, polluted rivers, deforestation, endangered wildlife, floods, Submergement of coastal areas, earthquakes, tsunamis etc. We can make boundaries for our countries, but these Side Effects are not bound to any country. Nature balances itself beyond the boundaries. As we earn and work hard not only for ourselves but for the future generations also. In the same manner a Nation should use their natural resources in the way that they can be used by their future generations also.

As Mahatma Gandhi said — 'There is sufficient in nature to fulfill our need but not our greed.' So in result we get many natural problems, calamities and pandemic.

Keywords: Development, sustainable, national interest, balance.

Introduction - In today's world we follow the nation state model. Every nation is a Sovereign state. Every Sovereign state has a border and population. It is the responsibility of the government to take care of their border and the population of that state. In the 20th Century many countries from Asia and Africa got Independence and their Sovereign government started development. At That time many States from Europe were at the higher level of development. In the process of development of developed countries many side effects were visible in the world. Our Earth is one and the environment has no Borders and Barriers. In the process of development, developed countries affect the environment very badly. That is why developed countries are trying to adopt some different ways of development for developing countries. The process in which Our Earth, environment and development is balanced. The process of development does not have side effects. This is called sustainable development. Sustainable development is a process by which we can sustain or maintain the development done by us for our generation and for the next generations too. There are two factors in the process of sustainable development which are supposed to be opposite to each other- national interest and International interest.

National Perspective : Development is a concept which is based on 'national interest'. National interest is the main deciding factor of each and every policy or activity of a

nation. For the fulfillment of national interest it is the duty of a government to reach the basic needs of their people. It is their duty to give "good life" and for this purpose every act and activity is a part of the process of development in their National interest. In this process we need the quantity of production which is 'sufficient' or 'more than sufficient' for our people. We need to establish Hospitals for good health, education centers, electricity, good roads for connectivity, Pure water, vehicles, means of transportation, means of communication and many more. As Mahatma Gandhi said - 'There is sufficient in nature to fulfill our need but not our greed.' So in result we get many natural problems, calamities and pandemic.

Many developing nations are preferring industrialization, infrastructure development, and economic growth to improve citizens' living standards. However, this may involve practices like deforestation or fossil fuel use, which can harm the environment.

Developing nations focus on exploiting their natural resources like oil, minerals, or forests to derive local economies, which can conflict with global sustainability goals. Developing Countries are resisting international regulations on environmental practices, emphasizing their right to decide how resources are managed within their borders. Developing Governments often prefer short-term solutions to meet immediate needs, such as providing jobs

or energy access, even if these conflict with long-term sustainability goals.

International Perspective : Every country of the world on this earth is progressing on the same line of development. All the countries are at different stages. Countries which are on a higher stage are called the developed countries, and they are the role model for the other countries. Some countries are comparatively at lower levels or stages; they are called underdeveloped or developing countries.

As every action has a reaction in the same manner every effect has a side effect also for example even a life-saving drug has a side effect .

The process of development has such side effects like pollution, global warming, damage to ozone layer, polluted rivers, deforestation, endangered wildlife, floods , Submergement of coastal areas, earthquakes, tsunamis etc. We can make boundaries for our countries, but these Side Effects are not bound to any country. Nature balances itself beyond the boundaries.

National interest vs International interest : In the process of development developing countries are trying to follow the same process of development which was followed by developed countries.

In the process of development many side effects were seen which endangered the earth . For this reason developed countries are trying to change the way of development in which they reached the stage of development .

Developed countries are trying to make international regulations and laws to control the process of development which is safe for earth. Countries may resist international regulations on environmental practices, emphasizing Sovereignty: their right to decide how resources are managed within their borders.

Developing countries have the point that developed countries have done all this, and they are trying to stop the process of development in our countries. In this position or conflict term sustainable development is the only way to meet the requirements of each and every country .

Sustainable development : Sustainable development is a concept that defines the process of development for the present and future. As we earn and work hard not only for ourselves but for the future generations also . In the same manner a Nation should use their natural resources in the way that they can be used by their future generations also. The term sustainable development gained international attention after the report on “ Our Common Future” also known as the Brundtland report in 1987 . After this report many measures have been taken to save our earth and its environment.

There are many ways to do this -

1. Awareness among people worldwide: The Government of a nation should spread awareness among the people of a nation. Ultimately the earth is our and we should promote sustainable means of development to save

it and our future generations.

2. Proper strict laws within the country: Nation should impose strict laws within the country So that citizens of that country use only ways and means which are favourable to sustain the environment and earth.

3. Promotion of research and innovations : A nation should promote innovations and new technologies regarding sustainable development. Promotion of research to increase balance, development and preservation of resources. Promotion of research to increase balance, development and preservation of resources

4. Proper international covenants: International covenants that fixes the responsibility of developed, developing and underdeveloped countries in the endangered condition of the earth.

5. Financial support: Every developed country Should have a compiled financial support budget for research and innovation, export of new technologies of development at a lower cost to developing countries.

Conclusion : National interest is the main key factor For each and every country in this world . Lord Palmerston said “Nation has no permanent friend or permanent enemy only National interest is permanent”. But we should also look from the different point of View that Nations and boundaries are made by humans and boundaries are not permanent. The world is like a village and each and every human on the earth is connected and affected by each other. Nations have boundaries but our earth has no boundary. We all should think about our World’s interest or Earth’s interest instead of national interest. The only way to do this is by sustainable development. Sustaining nature, development , In short, sustaining Earth is the only way to sustain Humanity and human life.

References:-

1. Blackburn, William R. - *The Sustainability Handbook* (2007)
2. Chick, Anne, and Micklethwaite, Paul - *Design for Sustainable Change* (2011)
3. Clayton, Tony, and Radcliffe, Nicholas - *Sustainability: A Systems Approach* (1996)
4. Daly, Herman E., and Farley, Joshua - *Ecological Economics: Principles and Applications* (2003)
5. McDonough, William, and Braungart, Michael - *Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things* (2002)
6. Munasinghe, Mohan - *Sustainable Development: Principles, Frameworks, and Case Studies* (1994)
7. Rockström, Johan, et al. - *Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity* (2009)
8. Sachs, Jeffrey D. - *The Age of Sustainable Development* (2015)
9. Webster, Ken - *The Circular Economy: A Wealth of Flows* (2015)
10. World Commission on Environment & Development - *Our Common Future (The Brundtland Report)* (1987)

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और समाचार पत्र

हरीश*

* एम ए, नेट -जेआरफ (इतिहास) कोडुका पोस्ट रिछोली, ब्लॉक पाटोदी बालोतरा (राज.) भारत

प्रस्तावना - 19 वी सदी में भारत में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग शिक्षा प्राप्त करने यूरोपीय देशों में गए थे। विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने गए लोगों पर पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव पड़ा। ये पश्चिम से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मूल्य लेकर भारत लौटे। पश्चिम से शिक्षा प्राप्त करके भारत लौटे ये लोग अपने विचारों के प्रचार - प्रसार के सभी तरीकों से परिचित थे, जिनके द्वारा उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया जा सके। भारत में पुर्तगालियों ने छापेखाने की स्थापना की थी जिससे भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। प्लासी की विजय के बाद अंग्रेजों ने भारत में प्रेस प्रसारण शुरू कर दिए थे तथा 19 वी शताब्दी तक ब्रिटिश साम्राज्य ने स्थायित्व प्राप्त कर लिया था। सम्पूर्ण बंगाल में अंग्रेजों ने अपना प्रशासन लागू कर दिया था। इस दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारत का सूती वस्त्र उद्योग समाप्त हो गया। भारत में खाद्यानों की कमी हो गई अंग्रेजों ने व्यापारिक फसलों को ज्यादा महत्व प्रदान किया। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ऐसा कोई राजनीतिक संगठन नहीं था जो आम जनता की समस्या को ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष रख सके। ऐसी दशा में समाचार पत्र एक ऐसा माध्यम था जिनसे आमजन की समस्या का मुद्दा उठाया जा सके।

भारत में समाचार पत्र की शुरुवात जेम्स आगस्टस हिक्की के 1780 ई. में प्रकाशित बंगाल गजट से मानी जाती है इसमें कम्पनी के प्रशासन की आलोचना की गई थी किन्तु हिक्की की मौत के बाद समाचार पत्र भी बंद हो गया। इसके बाद जेम्स सिल्क बंकिंगम ने कलकत्ता जर्नल की स्थापना की जिसने अपने लेखों में सरकारी गलतियों की खुलकर आलोचना की गई। यह अखबार न केवल यूरोप में बल्कि भारतीयों में लोकप्रिय हुआ। इसकी खुली आलोचना से ऐडम बली, लार्ड हेस्टिंग इत्यादि नाराज हो गए थे।

भारत में गंगाधर भट्टाचार्य ऐसे प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने 1816 ई. में कलकत्ता में बंगाल गजट निकाला था। यह अखबार लम्बे समय तक नहीं चला था। भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र निकलने की वास्तविक शुरुवात बंगाली भाषा के दिग्दर्शन से मानी जाती है यह पत्र अंग्रेजी और बंगाली दोनों में छपता था।

प्रारम्भिक दौर में ये समाचार पत्र कुछ ही लोगों तक सीमित थे। समाज का बहुत बड़ा वर्ग इनसे अछूता रहा था समाचार पत्रों के लिए कोई नियम भी नहीं थे अंग्रेज अपनी मर्जी के अनुसार इनको कभी भी बंद कर सकते थे। 1857 ई. में भारतीय जनता का पहली बार असंतोष सामने आया और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। 1857 की क्रांति के बाद भारत

में विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्र छपने लगे जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की खुलकर आलोचना की जाने लगे तथा जनसाधारण को अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार किया जाने लगा। इस समय के समाचार पत्र व्यापारिक लाभ के लिए नहीं बल्कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे थे।

ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर इन समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अनेक कानून लागू किए सर्वप्रथम वेल्जली 1799 में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया जिसके अंतर्गत समाचार पत्र को सम्पादक, मुद्रक, और स्वामी का नाम छापना पड़ता था और नियमों का पालन नहीं करने पर तुरंत दंड दिया जाता था। 1823 में जान ऐडम्स ने इन नियमों को और कठोर किया तथा मुद्रक और प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने के लिए अनुज्ञापति लेना अनिवार्य किया। विलियम बेंटिक के कार्यकाल में समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी रुख अपनाया गया चार्ल्स मेटकाफ ने 1823 के नियम को रद्द कर दिया इस कारण उसको भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया।

1857 की क्रांति के बाद शासकों और शासितों के बीच संबंधों में कटुता आ गई थी। 1876-77 में भयंकर अकाल पड़ा था इसके बावजूद 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जिसमें भारी मात्रा में धनराशि खर्च की गई एक तरफ भारतीय भूख के कारण मर रहे थे वही दूसरी ओर अंग्रेज पानी की तरह दिल्ली दरबार में पैसा बहा रहे थे। अंग्रेजों के इस कार्य की भारतीय समाचार पत्रों में भयंकर आलोचना की गई। इस समय भारत में लिटन गर्वनर जनरल था उसने देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया। इसके अंतर्गत सोमप्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। घोष बंधुओं का अमृत बाजार पत्रिका रातों रात इस ऐक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया। बाद में रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया था। भारत में ऐसे क्रान्तिकारी नेता हुए जिन्होंने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से आम जन में राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार किया इनमें बाल गंगाधर तिलक का नाम सबसे प्रमुख है इन्होंने मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र चलाए। यह पहले ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन के नायक थे जिनको पत्रकारिता के कारण जेल जाना पड़ा था।

तिलक के समान ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने समाचार पत्र बंगाली में अदालत की अवमानना और हड़ताल के संबंध में टिपणिया की तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया।

गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप ने बिजौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया और राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया इस प्रकार बिजौलिया किसान आंदोलन सम्पूर्ण राष्ट्र में चर्चा का विषय बन गया।

अन्य समाचार पत्रों में कृष्णकुमार की संजीवनी, काल, अरविन्द का वन्दे मातरम, ऐनी बेसंट का कॉमनवील, नया इंडिया, उस समय प्रसिद्ध समाचार पत्रों में संवाद कौमुदी, बाम्बे समाचार (1882), बंगदूत (1831), गस्तगुप्तार (1851), अम तबजार पत्रिका (1868), ट्रिब्यून (1877), इण्डियन मिरर, हिन्दू, पौट्रियाट, बंगलौर, सोमप्रकाश, कामरेड, न्यु इण्डियन केसरी, आर्य दर्शन एवं बन्धवा आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

इन समाचार पत्रों में लोगों में जागरूकता पैदा करने में मुख्य भूमिका निभाई तथा अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचार का खुलकर विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने अनेक प्रशासनिक नीतियां अपनाईं जिनका एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शोषण करना था इन नीतियों की खुलकर आलोचना और समय समय पर अनेक प्रेस से संबंधित अधिनियम पारित करके समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इन समाचार

पत्रों ने राष्ट्रवादी नेताओं और कवियों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जिससे ये अपने विचारों को आमजन तक पहुंचा पाए और आमजन को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार कर पाए इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ब्रौवर, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास नवीन मूल्यांकन, एस चंद एण्ड कम्पनी 2000, नई दिल्ली।
2. सरकार सुमित, आधुनिक भारत 1885-1947, राजकमल प्रकाशन 2018, नई दिल्ली।
3. चंद्र विपिन, त्रिपाठी अमलेश, स्वतंत्रता संग्राम, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया 2003, नई दिल्ली।
4. ताराचंद्र, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, सुचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार 1997
5. चंद्र विपिन प्रभूति, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।

मध्य प्रदेश में एमएसएमई के विकास और चुनौतियों का अध्ययन

डॉ. जी. एल. खांगोडे* शिवानी जायसवाल**

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारतीय अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान में एमएसएमई क्षेत्र एक अत्यधिक गतिशील कारक साबित हुआ है। चूंकि एमएसएमई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन और निर्माण करते हैं, इसलिए उन्होंने देश में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में मदद की है। मध्य प्रदेश (एमपी) नामक राज्य भारत के मध्य क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और 72 मिलियन से ज्यादा निवासियों के साथ यह पाँचवाँ सबसे बड़ा राज्य है। राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और देश का औद्योगिक केंद्र बनने की पूरी क्षमता रखता है। मध्य प्रदेश सरकार इन पहलुओं को पहचानती है और राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देती है। इस दिशा में कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी राज्य में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस शोध पत्र में, मध्य प्रदेश में एमएसएमई के विकास और चुनौतियों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन के लिए डेटा एकत्र करने के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है।

शब्द कुंजी – एमएसएमई, रोजगार के अवसर, विकास और वृद्धि, चुनौतियाँ।

प्रस्तावना – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) वे संस्थाएँ हैं, जो भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 के अनुसार, उद्यमों को दो प्रभागों में वर्गीकृत किया गया है – विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम। यह वस्तुओं और वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण और प्रसंस्करण में संलग्न है तथा रोजगार के अवसर पैदा करता है, तथा भारत के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम करता है।

एमएसएमई मंत्रालय देश भर में एमएसएमई के लिए ऋण और वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास, विपणन सहायता, तकनीकी और गुणवत्त उन्नयन और अन्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए कई योजनाएँ चलाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात के साथ-साथ रोजगार सृजन में एमएसएमई के प्रमुख योगदान के कारण, इस अध्ययन में एमएसएमई की वृद्धि और विकास की वर्तमान स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया गया है और विकास की यात्रा में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का भी अध्ययन किया गया है।

मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से पाँचवाँ सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और इसमें सभी भौगोलिक लाभ हैं, जिसके कारण उद्योगपतियों द्वारा अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए इसे प्राथमिकता दी जाती है। भौगोलिक दृष्टि से सभी लाभ होने के बावजूद, राज्य में एमएसएमई का पूरी क्षमता तक विकास नहीं हो पाया है। राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के सामने अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं।

इस प्रकार, इस पत्र में, हमने मध्य प्रदेश राज्य में एमएसएमई के विकास

और चुनौतियों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। यह डेटा के द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जो विभिन्न लेखों, प्रकाशित पत्रिकाओं और रिपोर्टों से एकत्र किए गए हैं।

साहित्य की समीक्षा :

दीपाली सलूजा (2012) ने भारत के आर्थिक विकास में एमएसएमई की भूमिका के बारे में विश्लेषण किया है। इस अध्ययन से पता चला है, कि – एमएसएमई उद्यमशीलता के विकास और औद्योगिक क्षेत्र के विविधीकरण को बढ़ावा देते हैं। वे अर्थव्यवस्था के औद्योगिक आधार में गहराई भी प्रदान करते हैं। वर्तमान स्थिति में एमएसएमई देश में रोजगार के सबसे बड़े जनरेटर हैं। शोधकर्ता ने सुझाव दिया है कि व्यक्तिगत उद्यम को प्रोत्साहित करने वाले हाल के बाजार सुधारों ने देश में उच्च आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है और इससे कई तरह के आर्थिक लाभ मिल सकते हैं।

प्रियदर्शिनी जंजुर्न (2018) ने भारत में एमएसएमई की वृद्धि और भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन किया है। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है, कि – अनुमानित बाजार औद्योगिक उत्पादन का लगभग 45%, देश के स्थानीय निर्यात का 40%, औद्योगिक इकाइयों का 45%, 42% मिलियन रोजगार और 8000 से अधिक उत्पादों की भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। भारत सरकार ने इस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अधिक जीवंत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विभिन्न पहल की हैं।

पूजा खत्री (2019) ने भारतीय एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियों का अध्ययन किया है और इस अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है, कि – वित्त, विपणन, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, संचालन और निर्यात क्षमता की समस्याओं से संबंधित विभिन्न पहलू द्वितीयक डेटा पर आधारित हैं।

कार्यशील पूंजी की जरूरत, परामर्श सहायता की कमी, जटिल दस्तावेजीकरण, नवीनतम तकनीकी कौशल की कमी, प्रेरणा की कमी, सूचना का अभाव, बुनियादी ढांचे की कमी, जटिल कानून आदि ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनका अध्ययन किया गया। इसने कुछ ऐसी नीतियों को भी दिखाया जो ऐसे मुद्दों को हल करने का सुझाव देती हैं जो एमएसएमई इकाइयों की विकास क्षमता में बाधा डालती हैं।

डॉ. डीके नेमा एट अल. (2021) ने मध्य प्रदेश में एमएसएमई की समस्याओं और संभावनाओं का विश्लेषण किया है और दिखाया है, कि - कार्यशील पूंजी और पूंजी निवेश के लिए वित्त की कमी सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी, जिसके बाद बुनियादी ढांचे की कमी थी। क्लस्टर विकास कार्यक्रमों और क्लस्टर विकास और औद्योगिक क्षेत्र विकास के साथ एमएसएमई की संभावनाएं अधिक हैं और मेक इन इंडिया योजना एमएसएमई को अधिक अवसर प्रदान करके उनके विकास को सुनिश्चित करेगी। इस अध्ययन से पता चला है कि नीति निर्माण में इन समस्याओं और संभावनाओं को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

उद्देश्य - अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य मध्य प्रदेश में एमएसएमई की संभावनाओं और समस्याओं का पता लगाना है, इसलिए इस अध्ययन के लिए दो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं -

1. मध्य प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि और विकास का अध्ययन करना।
2. मध्य प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाना।

अनुसंधान क्रियाविधि - यह शोध द्वितीयक समंक पर आधारित है, जो अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न लेखों, प्रकाशित साहित्य, पत्रिकाओं और सर्वेक्षण से एकत्र किए गए हैं। इसके अलावा, हमने विषय वस्तु के बारे में गहराई से जानने के लिए एमएसएमई की वार्षिक रिपोर्ट पर भी विचार किया है, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 2021 तक प्रकाशित की जाती है।

विश्लेषण तथा व्याख्या :-

तालिका क्रमांक 1 (अगले पृष्ठ पर देखें)

व्याख्या - तालिका 1 में 2017-22 के दौरान मध्य प्रदेश में पंजीकृत एमएसएमई और इन एमएसएमई द्वारा दिए गए रोजगार का विवरण दिखाया गया है। वर्ष 2018-19 में आधार वर्ष 2017-18 की तुलना में एमएसएमई के पंजीकरण में 44% की वृद्धि और रोजगार में 72.55% की वृद्धि हुई है। उसके बाद वर्ष 2019-20 में 2018-19 की तुलना में एमएसएमई के पंजीकरण में -3.06% की गिरावट और रोजगार में -3.51% की गिरावट आई है। उसके बाद 2020-21 में एमएसएमई के पंजीकरण में -35.22% की गिरावट आई है, लेकिन 2021-22 के दौरान रोजगार में 50.88% की वृद्धि हुई है। उसके बाद वर्ष 2021-22 में पंजीकरण में 31.91% की वृद्धि हुई है, लेकिन 2020-21 की तुलना में एमएसएमई में रोजगार में -6.12% की गिरावट आई है।

चुनौतियां - प्रकाशित शोध पत्रों, पत्रिकाओं, लेखों और रिपोर्टों आदि

जैसे द्वितीयक आंकड़ों की मदद से हमने पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में एमएसएमई के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों का पता लगाया है:-

1. पूंजी निवेश में कार्यशील पूंजी के लिए वित्त की कमी
2. विपणन अवसरों और सहायता का अभाव
3. कुशल श्रम की अनुपलब्धता
4. मजबूत बुनियादी ढांचे का अभाव
5. नवीनतम तकनीकी कौशल का अभाव
6. प्रेरणा की कमी, जानकारी का अभाव

आगे के शोध के लिए सीमाएं और कार्यक्षेत्र - यह अध्ययन केवल द्वितीयक आंकड़ों और रिपोर्टों तथा पिछले साहित्य पर आधारित है, जिनका उपयोग मध्य प्रदेश में एमएसएमई के विकास और वृद्धि का विश्लेषण करने के लिए किया गया है। कुछ एमएसएमई के प्राथमिक आंकड़ों के उपयोग से एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों की अधिक यथार्थवादी समझ मिल सकती है। मध्य प्रदेश राज्य में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने और अधिक यथार्थवादी आंकड़े एकत्र करने के लिए एमएसएमई के नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से आगे का अध्ययन किया जा सकता है।

निष्कर्ष - जैसा कि पहले बताया गया है, एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वे देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को रोजगार देते हैं। एमएसएमई को व्यापक रूप से आर्थिक विकास का स्रोत और ज्यादा न्यायसंगत विकास हासिल करने का एक तरीका माना जाता है। एमपी की रिपोर्ट के अनुसार, एमएसएमई के पंजीकरण में गिरावट आई है, लेकिन दूसरी ओर, वर्ष 2019-20 में रोजगार में वृद्धि हुई है। एमएसएमई के नए खुलने के कारण, मौजूदा एमएसएमई बाजार की आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के अवसर का लाभ उठाते हैं, ताकि वे अधिक रोजगार पैदा कर सकें। यह इस वर्ष के दौरान रोजगार की संख्या में विस्तार का एक कारण हो सकता है। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं, कि - एमएसएमई के पंजीकरण और रोजगार में वृद्धि में कुछ चुनौतियां और बाधाएं हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. At el, डी.एस. (2018) भारतीय एमएसएमई की समस्याएं और संभावनाएं: एक साहित्य समीक्षा (इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एवरीलेस)
2. Et.al, डी.वी. (2020) आत्मनिर्भर भारत का विजन, एमएसएमई की भूमिका
3. गडे, एस (2018) एमएसएमई आर्थिक विकास में भूमिका - भारत के भावी भविष्य पर एक अध्ययन (इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स)
4. खत्री, पी. (2019) भारतीय एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियों का एक अध्ययन (आईक्यूएसआर-जेबीएम, 21(2), 5-13)
5. <https://mpmsme.gov.in/website/statistics-2>
6. <https://mpmsme.gov.in/website/home>

तालिका क्रमांक 1: मध्य प्रदेश में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं रोजगार (वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की स्थिति)

क्र.	वर्ष	पंजीकृत MSME	प्रतिशत	कमी/ वृद्धि दर	रोजगार	प्रतिशत	कमी/ वृद्धि दर
1.	2017-18	206142	16.82	आधार वर्ष	596990	10.80	आधार वर्ष
2.	2018-19	297595	24.28	+44%	1030084	18.63	+72.55%
3.	2019-20	288479	23.54	-3.06%	993876	17.98	-3.51%
4.	2020-21	186876	15.25	-35.22%	1499642	27.13	+50.89%
5.	2021-22	246513	20.11	+31.91%	1407858	25.46	+6.12%
	कुल	1225605	100		5528450	100	

स्रोत - एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22

भारतीय संस्कृति में पशुओं का अध्ययन : अश्व के विशेष संदर्भ में

शिवलाल*

* एम ए, नेट (इतिहास) गांव लालपुरा पोस्ट, तह-चितलवाना जालौर (राज.) भारत

प्रस्तावना - भारतीय संस्कृति में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पशुओं का शिकार करके भोजन प्राप्त करता था। मध्यपाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन शुरू कर दिया था जिसके प्रमाण हमें बागौर और आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल से मनुष्य ने स्थायी निवास बनाना शुरू किया। मनुष्य अब पशुओं का पालन कृषि में किया जाने लगा भारत में सर्वप्रथम भीमबेटका से पशुओं के शिकार के चित्रों के साक्ष्य मिले हैं। हिन्दूओं की पौराणिक कथाओं में अनेक पशुओं को देवताओं के वाहन के रूप मिलता है।

भारतीय उपमहाद्वीप में घोड़े के सर्वप्रथम प्रमाण स्वतंत्र संस्कृति में मिलते हैं। तदुपरांत उत्तर हड़पा काल से घोड़े के अवशेष मिले हैं। मसलन घोड़े से तीन मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा सुरकोटदा और बलूचिस्तान से भी घोड़े के प्रमाण मिले।

प्राचीनकाल में यौद्धा अच्छी नस्ल के घोड़ों का युद्ध में प्रयोग करते थे भारतीय साहित्य में घोड़ों की जानकारी वैदिक काल से मिलती है। वैदिक काल में घोड़े का प्रयोग न केवल मनुष्य करता है अपितु देवताओं के पूजन में भी उपयोग किया जाता है। घोड़े के अवशेष ऋग्वेद, यजुर्वेद में मिलते हैं। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। घोड़ों की सहायता से आर्यों ने विजय प्राप्त की थी। ऋग्वेद में घोड़ों के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने में काम में लिया जाता है। सूर्य को अश्व के रूप में कल्पित किया गया है।

उत्तर वैदिक काल से भारतीय समाज में घोड़ों का महत्व बढ़ गया। सभी जन अधिक से अधिक भूमि प्राप्त करने के लिए युद्ध करने लगे जिससे घोड़ों से खींचने वाले रथों का प्रयोग किया जाने लगा। बढ़ते नगरीकरण और अर्थव्यवस्था में घोड़ों का यातायात के साधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। कालांतर में अनेक यज्ञ भी घोड़ों से संबंधित होने लगे जिसमें अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेय यज्ञ था। वाजपेय यज्ञ में शक्ति प्रदर्शन किया जाता है जिसमें सोमपान करके राजाओं के बीच रथदौड़ का आयोजन किया जाता है। इसका उल्लेख यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने का अधिकारी चक्रवर्ती नरेश ही होते थे। आश्वलायन श्रौत सूत्र का कथन है कि जो सब पदार्थ को प्राप्त करना चाहता है, सब विजयों का इच्छुक होता है और समस्त समृद्धि पाने कि कामना करता है एस यज्ञ का अधिकारी है। इसलिए सार्वभौमिक के अतिरिक्त भी मूर्धाभिसक्त राजा अश्वमेघ कर सकता था। राजा दशरथ और युधिष्ठिर ने अश्वमेघ किया था। द्वितीय शताब्दी ई. पू. में पुष्यमित्र शुंग ने दो बार अश्वमेघ किया था जिसके पुरोहित

पंतजलि थे।

गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था जिसकी जानकारी उसकी मुद्राओं से मिलती है। दक्षिण के सातवाहनों, चालुक्यों और यादव नरेशों ने भी यह परम्परा जारी रखी। इस परम्परा के अंतिम शासक सवाई जयसिंह थे जिनकी जानकारी श्री कृष्ण भट्ट के कविकलानिधि के ईश्वर विलास महाकाव्य में मिलती है।

प्राचीन भारतीय समाज में घोड़ों की महत्ता इस बात से पता चलती है कि उस समय घोड़ों पर एक ग्रंथ अश्वशास्त्र लिखा गया, जिसके रचयिता पाँच पांडवों से एक नकुल को माना गया है। महाभारत के विराट पर्व से नकुल के अश्व प्रेम की व्यापक झलक देखने को मिलती है। विराटनगर में जहां विभिन्न पांडव अज्ञातवास के समय अपना रूप बदल कर रह रहे थे, ऐसे में नकुल घोड़ों की देख रेख में लगे हुए थे। संभवतः वहीं उन्हें घोड़ों के इस विज्ञान की व्यापक जानकारी प्राप्त हुई होगी। घोड़ों के प्रति इतनी व्यापक जानकारी एवं सहज प्रेम के कारण ही शायद परवर्ती संस्कृत रचनाकारों ने अश्व शास्त्र का लेखक नकुल को माना है, परंतु अश्व शास्त्र में नकुल द्वारा शालिहोत्र, सुश्रुत, गर्ग इत्यादि ऋषियों को अश्व शास्त्र का ज्ञाता बताया गया है। शालिहोत्र तो अश्व शास्त्र के प्रथम ज्ञाता बताए गए हैं। उनका नाम महाभारत में विभिन्न स्थानों पर उल्लेखित है। एक स्थान पर उनको घोड़े जैसी मेधा वाला बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण एवं पांच पाण्डव अश्व शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। नकुल इसीलिए अश्व शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं और ऐसा श्रुति परम्परा में विख्यात है कि इस ग्रन्थ की रचना में शालिहोत्र ऋषि द्वारा व्यापक सहायता प्रदान की गई थी। इसलिए शालिहोत्र के बाद पारंपरिक रूप से नकुल अश्व शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में वह पांडवों के सेना का व्यापक नियंत्रण कर रहे थे। नकुल के अनुसार घोड़े धर्म और अर्थ को अर्जित करने में सहायक होते हैं। मनुष्य घोड़े के माध्यम से ही भूमि व सम्पदा अर्जित करता है। घोड़े यश, कीर्ति एवं विजय के संवाहक होते हैं। उस स्थान पर सब प्रकार के शुभ संकेत सहज विराजमान होते हैं जहां अच्छी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। नकुल कहते हैं कि यदि किसी के प्रांगण में एक दिवस पर्यन्त यदि घोड़े का प्रवास हो जाए तो वह व्यक्ति समुद्र पर्यंत भूमि पर विजय कर सकता है और यदि किसी के पास सिर्फ घोड़ों की ही सेना हो तो उस व्यक्ति के निवास में साक्षात् लक्ष्मी नारायण को छोड़ कर आ जाती है।

हमने देखा कि प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में घोड़े आर्थिक और

सामरिक क्षेत्र मे एक अतिमहत्वपूर्ण पशु था। परिवहन के साधनों के अभाव मे घोड़े एक महत्वपूर्ण परिवहन के साधन थे, ये किसी भी जलवायु मे जल्दी ढल जाते थे और कई दिनों तक भूख प्यास सहन कर लेते थे। युद्ध और लड़ाई मे सैनिक इनकी सहायता से दुश्मनों पर तेजी से आक्रमण कर युद्ध के परिणाम अपनी ओर मोड लेते थे। जिसके पास जीतने घोड़े, उसकी सेना उतनी ही शक्तिशाली मानी जाती थी। प्राचीन काल मे चतुर्वाहिनी सेना मे एक सेना घुड़सेना होती थी। इसके अलावा तत्कालीन समय मे संदेशवाहक भी घोड़ों का उपयोग करते थे। इन सभी कारणों से घोडा समाज मे अतिमहत्वपूर्ण पशु बन गया जिसके कारण समाज मे घोडा पूजनीय बन गया। उसे कई देवताओं से जोडा जाने लगा, कहीं-कहीं देवताओं के समतुल्य मान कर पूजा जाने लगा। वैदिक धर्म के अलावा घोड़े जैन और बौद्ध धर्म मे बराबर महत्व रखते हैं। यह जाहिर सी बात है कि समाज मे जिस पशु का आर्थिक, सामरिक या अन्य कोई उपयोग हो तो वह धर्म के क्षेत्र मे भी महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसा हमे घोड़े के रूप मे देखने को मिलता है। हमने ऊपर देखा कि घोड़ों पर काफी साहित्य लिखा गया है। उन्हे कहीं महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों यथा वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण आदि मे तथा इसके अलावा अनेक कथाओं और किंवदंतियों मे भी इन्हे शामिल किया गया है। चूंकि घोड़े तत्कालीन समाज मे एक मूल्यवान निधि माने जाते थे, इसीलिए उन्हे स्वस्थ और सेहतमंद रखने के लिए उन पर काफी शोध किया गया, जिसका परिणाम घोड़ों पर लिखे गए अनेक वैज्ञानिक ग्रंथों मे देखने को मिलता है जैसे कि नकुल विरचित अश्वशास्त्र, कल्हण रचित शालिहोत्रसमुच्चय, जयदत्ता सूरी विरचित अश्ववैद्यक आदि।

अतः प्राचीन भारतीय साहित्य में उल्लेखित उपर्युक्त उदाहरणों से यह बात तो भली भांति परिचित हो गई है कि भारतीय मनीषी गण न सिर्फ मानवों बल्कि जीवों के प्रति भी सजग थे। सजगता का उत्कृष्ट उदाहरण

और क्या ही होगा कि घोड़े की मानसिक स्थिति एवं उसके गुणों पर भी व्यापक एवं गंभीर रूप से प्रकाश डाला गया है। 'वसुधैव कुटुंबकम्' की पंक्ति को भारतीय साहित्य के विभिन्न ग्रन्थ चरितार्थ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। महाभारत काल से लेकर सोमेश्वर तक व उसके बाद के विभिन्न लेखकों द्वारा घोड़ों एवं उनके विभिन्न पक्षों पर डाला गया प्रकाश भारतीय ज्ञान कोश की व्यापकता का एक सुन्दर एवं सजीव उदाहरण है। परंतु आज के तकनीकी दौर मे मनुष्यों ने अनेक परिवहन के साधनों का आविष्कार कर लिया है जिन्होंने ने घोड़ों और अन्य पशुओं को प्रतिस्थापित कर दिया है। यहीं दृश्य हमे घोड़ों के मनोरंजन के साधन और सामरिक महत्व मे भी दिखाई पड़ते हैं तकनीक और विज्ञान ने इन दोनों क्षेत्रों मे इनके प्रतिस्थापन खोज लिए हैं परंतु आज भी घोड़ों का उतना ही धार्मिक महत्व है जितना प्राचीन समय मे था। अश्वों से संबंधित अनेक परामपराएं और रीतियाँ आज भी भारतीय समाज मे प्रचलित हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नगर, महेंद्रसिंह: भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में युग युगीन अश्व, जोधपुर: राजस्थान ग्रंथागार(2013)
2. पटनायक, देवदत्त: पशु. दिल्ली: राजपाल एंड संस(2015)
3. श्रीवास्तव, कृष्ण चंद्र: प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, इलाहाबाद: यूनाइटेड बुक डिपो(2018)
4. शर्मा, कृष्णगोपाल - जैन, हुकम चंद - शर्मा, मुरारीलाल: भारत का इतिहास, जयपुर: अजमेरा बुक कंपनी(2016)
5. थापर, रोमिला: भारत का इतिहास, नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन (2018)
6. शर्मा, कालुराम - व्यास, प्रकाश: भारतीय संस्कृति के मूल आधार, जयपुर: पंचशील प्रकाशन(2012)

चूरु जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बालकों में मुटापे की प्रत्याशा का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. पवन कुमार*

* शारीरिक शिक्षा अध्यापक, पंडित बद्रीप्रसाद महर्षि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अल्फसर, जिला - सीकर (राज.) भारत

शोध सारांश - यह शोधपत्र राजस्थान के चूरु जिले के सुजानगढ़ विकासखंड में निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों किये गए अध्ययन पर आधारित है। यह शोधपत्र प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अंतर्गत व्यक्तिगत साक्षात्कार और अनुसूची भरवाकर प्राप्त किये गए हैं। इस शोधपत्र का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों की खाद्य आदत और दैनिक गतिविधियों के आधार पर बालकों में मुटापे की प्रत्याशा का आकलन का आकलन करना है। क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण बालकों की तुलना में नगरीय बालकों में मुटापे की प्रत्याशा अधिक है।

प्रस्तावना - वर्तमान समय में अनियमित दिनचर्या, नगरीय संस्कृति का बढ़ता प्रभाव, खराब खाद्य आदत और दैनिक शारीरिक गतिविधियों के अभाव में बालकों में मोटापे का खतरा अत्यधिक बढ़ गया है। विभिन्न सरकारी रिपोर्टों में यह पाया गया है कि भारत में विगत दशकों में 10 में से 3 बालक मोटापे के शिकार हो रहे हैं। यह समस्या नगरीय क्षेत्रों में कहीं अधिक गंभीर रूप धारण कर रही है। उल्लेखनीय है कि विद्यालयों में बालकों के पोषण स्तर की उपेक्षा, नियमित रूप से बालकों के स्वास्थ्य स्तर की जांच, बालकों की खाद्य आदत और बालकों की दैनिक शारीरिक गतिविधि जैसे गंभीर विषयों की उपेक्षा की जाती है, वहीं घरों में भी बालकों के अभिभावक अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण बालकों के शारीरिक वृद्धि और विकास की उपेक्षा करते हैं। ऐसे में बालकों की मोटापे की समस्या और अधिक गंभीर हो गई है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक संसाधनों का अभाव पाया जाता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक दिनचर्या भी अधिक संयमित और संतुलित होती है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों में मोटापे की प्रत्याशा कम देखने को मिलती है। इस शोध पत्र में इसी पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों पर शोध किया गया है, जिसमें बालकों की दैनिक खाद्य आदत और शारीरिक गतिविधि स्तर के आधार पर उनमें मोटापे की प्रत्याशा का तुलनात्मक आकलन किया गया है।

शोध प्रविधि - यह शोधपत्र राजस्थान के चूरु जिले के सुजानगढ़ विकासखंड में निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों किये गए अध्ययन पर आधारित है। यह शोधपत्र प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन क्षेत्र सर्वेक्षण के अंतर्गत व्यक्तिगत साक्षात्कार और अनुसूची भरवाकर प्राप्त किये गए हैं। इस शोधपत्र का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों की खाद्य आदत और दैनिक गतिविधियों के आधार पर बालकों में मुटापे की प्रत्याशा का आकलन करना है।

विश्लेषण - ग्रामीण निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शाकाहारी

उत्तरदाताओं की संख्या 21 (60.00 प्रतिशत) है, वहीं मिश्रित उत्तरदाताओं की संख्या 14 (40.00 प्रतिशत) है। नगरीय निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय में शाकाहारी उत्तरदाताओं की संख्या 19 (54.29 प्रतिशत) है, वहीं मिश्रित उत्तरदाताओं की संख्या 16 (45.71 प्रतिशत) है।

ग्रामीण निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कभी फलों का सेवन नहीं करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 2 (5.71 प्रतिशत) है, कभी-कभी फलों का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 4 (11.43 प्रतिशत) है, सप्ताह में दो दिन फलों का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 15 (42.86 प्रतिशत) है, सप्ताह में 2 दिन से अधिक फलों का सेवन करने वालों की संख्या 12 (34.29 प्रतिशत) है, दैनिक फलों का सेवन करने वालों उत्तरदाताओं की संख्या 2 (5.71 प्रतिशत) है। इसके विपरीत नगरीय निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय में फलों का कभी नहीं सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 1 (2.86 प्रतिशत) है, कभी-कभी फलों का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 2 (5.71 प्रतिशत) है, सप्ताह में 2 दिन फलों का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 7 (20.00 प्रतिशत) है, सप्ताह में 2 दिन से अधिक फलों का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 9 (25.71 प्रतिशत) है और दैनिक फलों का सेवन करने वालों की संख्या 16 (45.71 प्रतिशत) है।

ग्रामीण निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय में फास्ट फूड का कभी सेवन नहीं करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 3 (8.57 प्रतिशत) है, वहीं फास्ट फूड का कभी-कभी सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 5 (14.29 प्रतिशत) है, सप्ताह में 2 दिन फास्ट फूड का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 13 (37.14 प्रतिशत) है, सप्ताह में 2 दिन से अधिक फास्ट फूड का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 11 (31.43 प्रतिशत) तथा दैनिक फास्ट फूड का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 3 (8.57 प्रतिशत) है। इसी प्रकार नगरीय निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय में फास्ट फूड का कभी सेवन नहीं करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 0 है, कभी-कभी फास्ट फूड का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 3 (8.57

प्रतिशत) है, सप्ताह में 2 दिन फास्ट का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 11 (31.43 प्रतिशत) है, सप्ताह में 2 दिन से अधिक फास्ट फलों का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 14 (40 प्रतिशत) है, जबकि दैनिक फास्ट फूड का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 7 (20 प्रतिशत) है।

तालिका-1 : ग्रामीण निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय और नगरीय निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालकों की खाद्य आदत का तुलनात्मक प्रदर्शन

टाहार	आवृत्ति	ग्रामीण विद्यालय		नगरीय विद्यालय	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
खाद्य आदत	शाकाहारी	21	60.00	19	54.29
	मिश्रित	14	40.00	16	45.71
फलों का सेवन	कभी नहीं	2	5.71	1	2.86
	कभी-कभी	4	11.43	2	5.71
	सप्ताह में दो दिन	15	42.86	7	20.00
	सप्ताह में दो दिन से अधिक	12	34.29	9	25.71
	दैनिक	2	5.71	16	45.71
फास्ट फूड का सेवन	कभी नहीं	3	8.57	0	0.00
	कभी-कभी	5	14.29	3	8.57
	सप्ताह में दो दिन से अधिक	13	37.14	11	31.43
	सप्ताह में दो दिन	11	31.43	14	40.00
	दैनिक	3	8.57	7	20.00
हरी सब्जियों का सेवन	कभी नहीं	0	0.00	2	5.71
	कभी-कभी	6	17.14	7	20.00
	सप्ताह में दो दिन	18	51.43	22	62.86
	सप्ताह में दो दिन से अधिक	10	28.57	4	11.43
	दैनिक	2	5.71	0	0.00
दूध का सेवन	कभी नहीं	0	0.00	2	5.71
	कभी-कभी	2	5.71	7	20.00
	सप्ताह में दो दिन	6	17.14	11	31.43
	सप्ताह में दो दिन से अधिक	10	28.57	6	17.14
	दैनिक	17	48.57	9	25.71

स्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण

ग्रामीण निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय में हरी सब्जियों का कभी सेवन नहीं करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 0 है, कभी-कभी हरी सब्जियों का सेवन करने वालों उत्तरदाताओं की संख्या 6 (17.14 प्रतिशत) है, वहीं सप्ताह में 2 दिन हरी सब्जियों का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं संख्या 18 (51.43 प्रतिशत) है, सप्ताह में 2 दिन से अधिक हरी सब्जियों का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 10 (28.57 प्रतिशत) है और दैनिक

हरी सब्जियों का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 2 (5.71 प्रतिशत) है। इसी प्रकार नगरीय निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय में हरी सब्जियों का कभी सेवन नहीं करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 2 (5.71 प्रतिशत) है, कभी-कभी हरी सब्जियों का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 7 (20 प्रतिशत) है, वहीं सप्ताह में 2 दिन में हरी सब्जियों का सेवन करने वालों उत्तरदाताओं की संख्या 22 (62.86 प्रतिशत) है, सप्ताह में 2 दिन से अधिक हरी सब्जियों का सेवन करने वालों की संख्या 4 (11.43 प्रतिशत) है एवं दैनिक हरी सब्जियों का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 0 है।


ग्रामीण निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय में दूध का कभी सेवन नहीं करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 0 है, कभी-कभी दूध का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 2 (5.71 प्रतिशत) है, सप्ताह में 2 दिन दूध का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 6 (17.14 प्रतिशत) है, सप्ताह में 2 दिन से अधिक दूध का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 10 (28.57 प्रतिशत) है और दैनिक दूध का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 17 (48.57 प्रतिशत) है। इसी प्रकार नगरीय निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय में दूध का कभी सेवन नहीं करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 2 (5.71 प्रतिशत) है, दूध का कभी-कभी सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 7 (20 प्रतिशत) है, सप्ताह में दो दिन दूध का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 11 (31.43 प्रतिशत) है, सप्ताह में दो दिन से अधिक दूध का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 6 (17.14 प्रतिशत) है और दैनिक दूध का सेवन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 9 (25.71 प्रतिशत) है।

तालिका-2 : ग्रामीण निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय और नगरीय निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालकों की दैनिक शारीरिक गतिविधियों का तुलनात्मक प्रदर्शन

दैनिक शारीरिक गतिविधि	ग्रामीण		नगरीय	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
दो घंटे से अधिक टीवी देखना	27	77.14	29	82.86
दो घंटे से अधिक कंप्यूटर देखना	8	22.86	22	62.86
दो घंटे से अधिक मोबाइल देखना	19	54.29	15	42.86
विद्यालय के इतर 2 घंटे से अधिक पढ़ाई करना	25	71.43	33	94.29
विद्यालय के इतर 2 घंटे से अधिक आउटडोर खेल गतिविधि	32	91.43	24	68.57
विद्यालय पैदल या साइकिल से जाना	33	94.29	16	45.71
30 मिनट या उससे अधिक योग करना	20	57.14	28	80.00
30 मिनट या उससे अधिक व्यायाम करना	22	62.86	25	71.43

स्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण

आरेख- 1



ग्रामीण निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय में दिन में 2 घंटे से अधिक टीवी देखने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 27 (77.14 प्रतिशत) है, दिन में 2 घंटे से अधिक कंप्यूटर देखने वालों उत्तरदाताओं की संख्या 8 (22.86 प्रतिशत) है, दिन में 2 घंटे से अधिक मोबाइल चलाने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 19 (54.29 प्रतिशत) है, प्रतिदिन विद्यालय के इतर 2 घंटे से अधिक पढ़ाई करने वालों उत्तरदाताओं की संख्या 25 (71.43 प्रतिशत) है, प्रतिदिन विद्यालय के इतर 2 घंटे से अधिक आउटडोर खेल खेलने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 32 (91.43 प्रतिशत) है, साइकिल से विद्यालय जाने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 33 (94.29 प्रतिशत) है, प्रतिदिन 30 मिनट या उससे अधिक योग करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 20 (57.14 प्रतिशत) है, वहीं प्रतिदिन 30 मिनट या उससे अधिक व्यायाम करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 22 (62.86 प्रतिशत) है।

इसी प्रकार नगरीय निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय में दिन में 2 घंटे से अधिक टीवी देखने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 29 (82.86 प्रतिशत) है, दिन में 2 घंटे से अधिक कंप्यूटर देखने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 22 (62.86 प्रतिशत) है, दिन में 2 घंटे से अधिक मोबाइल चलाने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 15 (42.86 प्रतिशत) है, प्रतिदिन विद्यालय के इतर 2 घंटे से अधिक पढ़ाई करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 33 (94.29 प्रतिशत) है, प्रतिदिन विद्यालय के इतर 2 घंटे से अधिक आउटडोर खेल खेलने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 24 (68.57 प्रतिशत) है, विद्यालय पैदल या साइकिल से जाने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 16 (45.71 प्रतिशत) है, प्रतिदिन 30 मिनट या उससे अधिक योग करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 28 (80 प्रतिशत) है, प्रतिदिन 30 मिनट या उससे अधिक व्यायाम करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 25 (71.43 प्रतिशत) है।

निष्कर्ष - उपर्युक्त आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है की अध्ययन क्षेत्र में जहाँ एक ओर ग्रामीण भागों में अवस्थित निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालकों की खाद्य आदत और दैनिक शारीरिक गतिविधि अधिक संतुलित होने के कारण बालकों में मोटापे का खतरा कम है, वहीं इसके विपरीत नगरीय भागों में अवस्थित निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालकों की खाद्य आदत और दैनिक शारीरिक गतिविधि तुलनात्मक रूप से कम संतुलित और जोखिम भरी है, जिसके कारण नगरीय भागों में अवस्थित निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बालकों में मोटापे का खतरा कहीं अधिक है। अंतः इस संबंध में नगरीय भागों में संचालित निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों को बालकों की खाद्य आदत और दैनिक शारीरिक गतिविधि पर अधिक सजग होने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- Gerald, L. B., Anderson, A., Johnson, G. D., Hoff, C., & Trimm, R. F. (1994). Social class, social support and obesity risk in children. *Child: care, health and development*, 20(3), 145-163.
- Maffeis, C. (2000). Aetiology of overweight and obesity in children and adolescents. *European journal of pediatrics*, 159(1), S35-S44.
- Moreno, L. A., & Rodriguez, G. (2007). Dietary risk factors for development of childhood obesity. *Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care*, 10(3), 336-341.
- Rennie, K. L., Johnson, L., & Jebb, S. A. (2005). Behavioural determinants of obesity. *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism*, 19(3), 343-358.
- Roblin, L. (2007). Childhood obesity: food, nutrient, and eating-habit trends and influences. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 32(4), 635-645.
- Strauss, R. (1999). Childhood obesity. *Current Problems in Pediatrics*, 29(1), 5-29.
- Weker, H. (2006). Simple obesity in children. A study on the role of nutritional factors. *Medycyna wieku rozwojowego*, 10(1), 3-191.
- Young Hyman, D., Herman, L. J., Scott, D. L., & Schlundt, D. G. (2000). Care giver perception of children's obesity related health risk: a study of African American families. *Obesity research*, 8(3), 241-248.



An Analytical Study of Impact of Modern Technology on Profitability of Sanchi Dugdh Sangh

Shruti Vidyarthi*

*Research Scholar, School of Studies in Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

Abstract : Dairy industry is the largest source of livelihood in India. Many people are found employed in this sector. Timeto time many Technological changes take place, Which played an important role in the development of this industry. At present it is one of the largest and fastest growing sector in India this study aims to provide analysis of technological changes on profitability of SanchiDugdhSangh.

Keywords: Technological advancement , Dairy industry , Automation, Profitability, Digitalization.

Introduction - Dairy is the second important source of livelihood for farmers. Advancement of technology plays an important role in improving the profitability of milk dairy by increasing efficiency, reducing cost and improving product quality. By saving labor efficient use of resources reducing energy consumption profitability can be increased. In this research, how new improved techniques are increasing profitability will be studied. Computerized systems allow for better management and tracking of milk production. Also advanced refrigeration system enable milk products to be stored for longer periods, which also reduces wastages.

Review of literature: Many researchers were done on the profitability of dairy industry technology enhances profitability in the dairy industry through efficiency cost savings and market expansion. On the basis of Study of various review of literature we can say that with the advanced technology commercial farms can get the benefits of economies of scale due to advancement of technology. Dairy industry is undergoing in remarkable transformation. This technology enhances productivity, improve animal welfare and reduces the cost.

Dairy industry and its economic role: Since the beginning of civilization milk is the important part of Indian food. Dairy industry is the second largest source of livelihood in the ruler India. The dairy industry contributed around 5% to the India's economy, and directly employing more than 8 million farmers the majority of whom are women.

Supply chain of dairy: There is a vast food supply chain of dairy products in India. From farms to consumer, goods are supplied on regular basis. Earlier this process was slow due to manual performance but after technological advancement Dairy supply chain grows more complex.

nowadays collection, processing and distribution is done through automated machines which reduces wastages and enhances product quality and ensures profitability to producers.

Modernization and new technology in dairy industry: New and advanced machines is being adopted. Map technology (Modified Atmosphere Packaging) packaging machine is purchased Which extends the shelf life of dairy products by reducing oxygen and replacing it with the other gasses. Updation and proper monitoring of dairy machines and chilling centers are taking place for successful functioning. Ujjain SanchiDugdhsungh have also started providing commercial training for operating machines with the collaboration of industrial training institution. Conduction of FosTac Training program for three trainees from every center ,this include dealing with general requirements for hygiene and sanitary practices, management and supervision of milk and milk products processing on a business promises They also gone under the three months trial for anti counterfeit technology. This is very helpful in identifying and preventing the sale of fake or adulterated dairy products.

Objectives of research: As time changes, organization also bring changes in it. As well by adopting changing technology, profitability also affected. So to study the impact of change in technology over profitability of SanchiDugdhSangh study has conducted.

Hypothesis of research

1. There is a significant impact of technology on the profitability of the organization
2. New equipment bring improvement in the efficiency
3. Advanced cost control technologies leads to improve profit making capacity.

Importance of research: This research is important in analysis of technology advancement in profitability , as it will study the opportunities available in future . During research, examination will done that how technology improves milk production, quality control and enhance farmer's income. The insights gained from this research can shape the future of the dairy industry, making it more efficient as per market demands.

Research methodology: Researchers nothing but systematic investigation and study of sources and materials establish facts and reaches to conclusion.

Source: Information is collected through the annual general meeting booklets provided by the organization.

Sample: For this research, Ujjain DugdhSanghMaryadit, Ujjain is being selected .

Data analysis: We can see the impact of technological advancement in the terms of increased production and efficiency gains due to automation And more use of new methods results in higher profits which eventually increased the investment in dairy business for availability of trained force organization has made collaboration with industrial training institution and started milk and milk product technician course. Such type of practices are very important in the development of organization. In the year 2000 - 2021 remarkable turnover was achieved by the DugdhSangh of around 24 cr.and Net profit of rupees 6 cr. Such figures are explaining the journey of improved efficiency of the organization. Dairy industry is an important source of income for the millions of ruler households. They are also trying to control the collection of adulterate product and improving milk S.N.F. All these practices not only impacted the functioning but increase sales to rupees around 27 cr. and net profit of rupees 7 cr. as well as operating profit has

increased to 8.22 cr.

Conclusion: It is clear that technological advancements are directly related to profitability of organization. The adoption of modern technology has led to improved efficiency and cost cutting. It increased the speed of production and reduces wastages. On the other, hand it also incur cost to the organization an ongoing maintenance charges. However, still dairy industry faces several challenges including lack of infrastructure, sufficient technical knowledge and lack of awareness in farmers.

Overall, we can say that adoption of new technology in dairy farming has brought the drastic changes in dairy industry. It leads to cost cutting and helping in increasing revenues. All these efforts are finally resulting in higher profitability for farmers.

References:-

1. Sanch Dugdh Sangh, Annual General meeting, Manual
2. Sanchi milk project report
3. T. Norton and D Burkmans (2017) Developing Precision livestock farming tools for precision dairy farming
4. R. S. Walse (2016) Business applications of information technology in dairy industry
5. Sairakharuddin, et.al. (2015), Effects of decision rationality on ERP adoption extensiveness and organizational performance
6. N. Schuring (2010) Evolving technologies for a growing dairy industry
7. B. Manisha(2010) It applications in Indian dairy sector
8. Sanjay Verma (2009) dairy cooperatives in India
9. S. C. Mittal (2007) Roll off information technology in agriculture and its scope in India

मन्दसौर जिले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता फोरम का योगदान

मनोज कुमार सोलंकी* डॉ. लक्ष्मी नारायण शर्मा**

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

**शोध निर्देशक एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य एवं प्राध्यापक (वाणिज्य) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एकसीलेंस,
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत

मंदसौर जिले का परिचय – मंदसौर जिला पुरातात्विक और ऐतिहासिक विरासत में समृद्ध है, अपितु शिवना तट पर स्थित प्रभु पशुपतिनाथ का मंदिर इसे विश्व प्रसिद्ध बनाता है। यहाँ के मंदिर की मूर्ति नेपाल में स्थित मंदिर की मूर्ति के समानांतर है। यहाँ की सबसे आम भाषा मालवी (राजस्थानी और मिश्रित हिंदी) है। यह जिला दुनिया भर में अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्लेट पेंसिल उद्योग जिले का मुख्य उद्योग है। मंदसौर जिला अपने पश्चिमी डिवीजन, यानी उज्जैन कमिश्नर संभाग से मध्य प्रदेश का उत्तरी प्रक्षेपण बनाता है। यह जिला मध्य प्रदेश के दो जिलों के बीच स्थित है। इसके उत्तर-पश्चिम में नीमच जिला और दक्षिण में रतलाम जिला है। यह राजस्थान के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ जिलों से भी घिरा हुआ है। यह जिला मध्य प्रदेश का एक औसत आकार का जिला है। यह लगभग 142 किमी (88 मील) तक फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक 124 किमी (77 मील)।

उपभोक्ता संरक्षण 1986 की आवश्यकता : सन् 1986 से उपभोक्ता संरक्षण के हित में तीव्र गति से कार्य हो रहा है, किन्तु आज भी उपभोक्ता जागरूक नहीं है, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :-

1. ग्राहक को स्वयं के अधिकारों का ज्ञान न होना।
2. स्वयं ठगे जाने पर स्वीकार करने में शर्म महसूस करना।
3. व्यापारी से व्यवहार बिगड़ने का डर।
4. उद्वेगपूर्ण व्यावहारिक नीति।
5. व्यापारी के अमर्यादित व्यवहार का डर।
6. हक के लिये कुछ करने की इच्छा होते हुए भी वादे आगे बढ़े, उसकी जानकारी न होना।
7. बोझिल और खर्चीली न्यायिक प्रक्रिया।
8. कम मूल्य की वस्तुओं व सेवाओं के लिये वह न्यायिक प्रणाली में नहीं जाता है।

उपर्युक्त दूविधाओं से मुक्त करने के लिये उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता है, जिसके उपयोग से वह स्वयं के शोषण को रोक सके। वर्तमान बाजार में वस्तुओं के विक्रय हेतु विभिन्न विज्ञापन एवं लुभावनी योजनाओं के द्वारा उपभोक्ता को आकर्षित किया जाता है, उपभोक्ता को वस्तु एवं सेवा की उपयोगिता की सत्यता का ज्ञान न होने की स्थिति के

कारण 'उपभोक्तावाद' का जन्म होता है। उपभोक्तावाद के कारण विक्रयकर्ता उपभोक्ता से मन चाहे दाम, घटिया वस्तु, माप-तौल में बेईमानी आदि योजनाओं के तहत शोषण करता है, जिससे बचाव के लिये 'उपभोक्ता संरक्षण' की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। अतः कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उपभोक्तावाद ने ही उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता को बढ़ावा दिया है। उपभोक्ता संरक्षण के लिये उपभोक्ताओं को एकजुट होकर आंदोलन करना या शोषण का विरोध करना आवश्यक है, क्योंकि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता आंदोलन एवं उपभोक्ता संरक्षण एक-दूसरे के पर्यायवाची है, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। अतः उपभोक्ता को अपने दायित्व एवं अधिकारों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए अर्थात् वह विधि जो उपभोक्ताओं का विक्रेता द्वारा किये जाने वाले शोषण से बचाव करे। उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है और आधुनिक विपणन की क्रियाओं के दौरान इसकी अत्यन्त आवश्यकता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कुछ विशेषताएँ -

1. उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिये इस अधिनियम में तीन स्तरीय अर्द्ध न्यायिक तन्त्र की स्थापना की गई है। ये तीनों स्तर मुआवजे की वित्तीय सीमाओं पर निर्भर करते हैं। जिन्हें निम्न सारणी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है :-

तालिका 01: मुआवजे की वित्तीय सीमाएँ

क्र.	स्तर	न्यायिक तन्त्र	वित्तीय सीमा
1	जिला	जिला मंच	20 लाख तक
2	राज्य	राज्य आयोग	20 लाख से 1 करोड़ तक
3	राष्ट्रीय	राष्ट्रीय आयोग	1 करोड़ से अधिक

स्रोत:- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

2. इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की शिकायतों का निपटारा शीघ्र अतिशीघ्र किया जाता है, ताकि उन्हें बहुत लम्बे समय तक संतोषजनक मुआवजे के लिये प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है।
3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में शिकायत प्राप्त करने के 90 दिवस के भीतर ही विवाद निस्तारण का प्रावधान है। लेकिन परिक्षण या विश्लेषण की आवश्यकता होने पर निस्तारण समय सीमा 5 महीने तक हो सकती है।
4. उपभोक्ता को शिकायत दर्ज कराने हेतु किसी प्रकार के व्यय की

आवश्यकता नहीं है। यदि उत्पाद प्रतिफल बशर्ते 5 लाख रुपये तक हो।

5. उपभोक्ता के अतिरिक्त व्यय (वाढ व्यय व मानसिक संताप) की क्षतिपूर्ति करने का भी प्रयास किया जाता है।

6. समय-समय पर सरकार द्वारा न केवल वर्तमान अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किये जाते हैं अपितु नये अधिनियम पारित भी किये जाते हैं।

7. इस अधिनियम के तहत वस्तु से तात्पर्य उन सारी वस्तुओं से हैं, जो मूल्य देकर खरीदी जाती हैं, जैसे - खाद्यान्न, स्कूटर, गाड़ी, वस्त्र, धरेलू उपकरण, बर्तन आदि।

इस अधिनियम के तहत सेवा से तात्पर्य उन सभी सेवाओं से हैं, जैसे - डाकघर, बैंक, बीमा, रेल्वे, बस, टेलीफोन, बिजली, पानी, रसोई गैस, चिकित्सा, कोरियर, शिक्षण संस्थान, वकील की सेवाएं आदि।

शोध विषय के चयन का औचित्य - उपभोक्ताओं की सामान्य समस्यायें जैसे - अनावश्यक क्रय, चुनाव की समस्या, झूठे भ्रामक विज्ञापन, बाजार की वास्तविक स्थिति, मूल्यों के प्रति अज्ञानता, उपभोक्ता की मानसिकता, काला धन कमाने की मंशा, मिलावट, दोषपूर्ण भार एवं माप निम्न गुणवत्ता की वस्तु, कीमतों में वृद्धि, विक्रेताओं का व्यवहार, गलत लेबल का उपयोग आदि कई प्रमुख समस्यायें हैं, जिनसे संबंधित समाधान एवं समाधान संबंधित शिक्षा जिसे 'उपभोक्ता शिक्षा' कहा जाता है, की अत्यन्त आवश्यकता है, जिससे उपभोक्ता को उसकी समस्याओं से निजात मिल सके तथा विक्रेता द्वारा जो उसका शोषण किया जाता है, उससे उपभोक्ता को मुक्ति दिलवाने के लिये तथा उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिये उपभोक्ताओं में जागरूकता एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित जानकारी को सामान्य उपभोक्ता तक पहुंचाना अत्यन्त आवश्यक है। उपर्युक्त दृष्टि से तथा बाजार की अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के साथ उपभोक्ताओं को सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न प्रयासों की जानकारी के साथ निम्न बिन्दुओं की सम्पूर्ण जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिये उपर्युक्त शोध कार्य की अत्यन्त आवश्यकता एवं महत्व है, जो कि निम्नलिखित है :-

1. वस्तु को खरीदते समय लेबल पर उत्पादन से संबंधित मात्रा, वजन, विशेषता, मूल्य, बैच नम्बर, लाइसेंस नम्बर, कोड नम्बर, निर्माता का नाम, पता आदि आवश्यक जानकारी को पढ़ना समझना आदि की जानकारी उपलब्ध करवाना।

2. वस्तुओं को खरीदते समय प्रभावित वस्तुओं के चयन संबंधित जानकारी मार्का की जानकारी उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाना जैसे - आई.एस.आई. एगमार्क आदि।

3. वस्तु खरीदते समय उसकी संबंधित योजनाओं गारन्टी एवं वारन्टी कार्ड आदि को समझना एवं उन पर चाही गई जानकारी, दिनांक, डीलर का नाम पता आदि भरवाने के प्रति जागरूकता सामान्य उपभोक्ताओं में उत्पन्न करना।

4. उत्पाद खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकिंग को जानना तथा बिल संबंधित जानकारी आदि के महत्व को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना।

5. उपभोक्ताओं को वस्तु खरीदने के लिये उचित डीलर की दुकान के लिये प्रोत्साहित करना, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता फोरम तक जाया जा सके एवं न्याय प्राप्त कर

सके।

6. विज्ञापनों, दुकानदारों की सम्पूर्ण बातों, नाप-तौल, मिलावट, काला बाजारी आदि की सम्पूर्ण जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, जिससे वह ठगे जाने से बच सके।

7. उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग करना, सरकार की उपभोक्ताओं के लिये बनाई गई समस्त नीतियों के साथ उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के सूक्ष्म से सूक्ष्म बिन्दु की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना।

शोध विषय के उद्देश्य :

1. उपभोक्ता अधिनियम 1986 के औचित्य व महत्व का अध्ययन करना।
2. उपभोक्ताओं के आर्थिक व सामाजिक हितों के संरक्षण के लिये उपलब्ध विभिन्न अधिनियम के अंतर्गत उपचारों का अध्ययन करना।
3. उपभोक्ता अधिनियम 1986 का विस्तृत अध्ययन विश्लेषण करके उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं को अंकित करना।
4. उपभोक्ताओं के आर्थिक हितों के संरक्षण में योगदान करना।
5. उपभोक्ताओं के सामाजिक हितों को संरक्षण प्रदान करना।

शोध विषय की परिकल्पनाएं:

1. H1 प्रस्तावित शोध से उपभोक्ता अपने हितों के प्रति जागरूकता पर सार्थक प्रभाव होता है।
2. H2 प्रस्तावित शोध से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्रावधानों का उपभोक्ता शोषण को रोकने की प्रक्रिया पर सार्थक प्रभाव होता है।

शोध विषय से संबंधित पूर्व में किए गए शोध कार्य -

एश्ले रीचहेल्ड, जॉन पेटी और कोरी रिथलर द्वारा (2023) ने अपने शोध कार्य 'उपभोक्ताओं की स्थिरता संबंधी मांगें बढ़ रही हैं' पर प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि भरोसेमंद कर्मचारी काम करने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं, उनकी अनुपस्थिति की दर कम होती है और दूसरी नौकरी की तलाश करने की संभावना कम होती है। भरोसेमंद ग्राहक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में किसी ब्रांड को चुनने, उसे दोबारा खरीदने और उसका प्रचार करने की अधिक संभावना रखते हैं। मूल रूप से भरोसा तब बनता है जब कोई ब्रांड या संगठन अच्छे वादे करता है और फिर उन्हें पूरा करता है। वे ऐसा क्रमशः सकारात्मक इरादे और क्षमता का प्रदर्शन करते करते हैं। 'ग्रीनवाइज़' लेबल के तहत टिकाऊ खाद्य उत्पादों की अपनी लाइन भी बनाई है, जो गुणवत्ता सामग्री और सख्त पशु कल्याण मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

शोध प्रविधि

● **निर्देशन चुनाव की विधि** - उपरोक्त शोध कार्य में उपभोक्ता एवं जिला उपभोक्ता फोरम की भूमिका से संबंधित निर्देशन को निर्देशन इकाईयों से सूचना संकलन का लक्ष्य निश्चित किया गया था। कुल 500 इकाईयों को सूचना प्राप्ति के लिये सुविधाजनक चुनाव विधि द्वारा चुना गया।

● **निर्देशन इकाई** - निर्देशन इकाई के रूप में शोध कार्य में सामान्य उपभोक्ता (साक्षर एवं असाक्षर) (व्यापारी एवं नौकरी पेशा) तथा युवा एवं प्रौढ़ अवस्था से संबंधित को निर्देशन इकाई के रूप में चयन किया गया है। उपर्युक्त शोध कार्य के दौरान नीमच उपभोक्ता फोरम में तथा न्यायालय में अपील के रूप में आने वाले उपभोक्ता संरक्षण संबंधित मामलों को भी निर्देशन

इकाई के रूप में उपयोग किया गया है जिससे तथ्यपूर्ण परिणाम प्राप्त हो सके।

● **अध्ययन के चर** – प्रस्तुत शोध कार्य में उपभोक्ता फोरम एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नीमच जिले के योगदान को स्वतंत्र चर तथा उपभोक्ता के आर्थिक हित संरक्षण पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन को आक्षरित चर के रूप में प्रयोग किया गया है।

● **शोध उपकरण** – उपर्युक्त शोध कार्य के दौरान आवश्यकता के अनुसार लांग टेबल, प्रश्नावली रेटिंग स्केल, प्रश्नपत्र आदि उपकरणों का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य में तथ्य संकलन हेतु स्वयं ही साक्षात्कार अनुसूची को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में वर्गीकृत किया गया था। अनुसूची के प्रथम भाग में उपभोक्ता की सामान्य जानकारी जैसे- नाम, उम्र, शिक्षा, आय, कार्य आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करने हेतु सामान्य प्रश्नों को सम्मिलित किया गया एवं द्वितीय भाग में उपभोक्ता की क्रय-विक्रय क्षमता, व्यवहार, पसन्द, उपभोक्ता फोरम की जानकारी, समस्याएं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी, उपयोग, बिल एवं वारण्टी कार्ड आदि से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया।

● **तथ्य संकलन** – तथ्य संकलन हेतु उज्जैन संभाग के नीमच जिले के जिला उपभोक्ता फोरम से उपभोक्ता की समस्याएं, व्यवहार, क्रय-विक्रय प्रक्रिया के तहत आने वाले मुख्य बिन्दुओं से संबंधित जानकारी को प्रश्नावली एवं साक्षात्कार विधि के उपयोग से विभिन्न तथ्यों को संकलित किया है।

शोध का क्षेत्र – शोध कार्य हेतु मंदसौर जिले के अंतर्गत आने वाली प्रमुख 03 तहसीलों का चुनाव किया गया है।

शोध की सीमाएं – मध्यप्रदेश में मंदसौर जिले में उपभोक्ताओं की अच्छी संख्या है। मध्यप्रदेश में उपभोक्ताओं का बहुत व्यापक दायरा है, जो बदले में बहुत बड़े रोजगार सृजन प्रदान करता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि शोध कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उस विषय की कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी जाये तथा उन्हीं सीमाओं को ध्यान में रखकर विषय का अध्ययन किया जाये तो निश्चित रूप से प्राप्त होने वाले परिणाम अधिक उपयोगी, सार्थक तथा वास्तविकता के करीब होंगे। उपभोक्ता संरक्षण एक बहुत बड़ा विषय है। इस प्रकार मंदसौर जिले में उपभोक्ताओं संबंधी गतिविधियों का विश्लेषण करना काफी कठिन है। इस शोध कार्य में उपभोक्ताओं संबंधी निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया गया है।


1. इस शोध कार्य में विभिन्न अप्रत्यक्ष/अंतिम उपभोक्ताओं के आंकड़ों का पता नहीं लगाया गया है।
2. इस शोध कार्य में कुल मंदसौर जिले में कुल उपभोक्ताओं का सही अनुमान नहीं लगाया जा सका।
3. ऑनलाइन व्यवहारों को अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधानों का अभाव रहेगा।
4. शोध कार्य में केवल पंजीकृत फर्म के उपभोक्ताओं संबंधी इकाइयों पर विचार किया गया है। लेकिन मध्यप्रदेश में मंदसौर जिले में कई अपंजीकृत फर्म के उपभोक्ताओं संबंधी इकाइयां हैं, जिन पर विचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी रोजगार सृजन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

तालिका संख्या 2: मंदसौर जिले में आयु के अनुसार उपभोक्ताओं का वर्गीकरण

क्रं.	आयु संख्या	मंदसौर	
		आयु	प्रतिशत
1.	40 वर्ष तक	243	50.63 %
2.	40 वर्ष से ऊपर	237	49.37 %
	कुल	480	100 %

स्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित

चित्र 2



तालिका 2 के अवलोकन के बाद हम देखते हैं कि मंदसौर जिले के संदर्भ में युवा उपभोक्ताओं का प्रतिशत वृद्धों की तुलना में अधिक है। उपरोक्त तालिका मंदसौर जिले के संदर्भ में उपभोक्ताओं की आयु के अनुसार उपभोक्ता के वर्गीकरण को दर्शाती है।


विश्लेषण के बाद हमें पता चला कि मंदसौर जिले के संदर्भ में कुल उपभोक्ता 480 हैं। जिसमें 243 (50.63 प्रतिशत) उपभोक्ता युवा (40 वर्ष तक) के हैं और 237 (49.37 प्रतिशत) उपभोक्ता वृद्धावस्था (40 वर्ष से अधिक) के हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि युवा उपभोक्ता, वृद्ध उपभोक्ताओं से अधिक हैं।

तालिका 3: मंदसौर जिले में वस्तु या सेवा का प्रकार


वस्तु या सेवा का प्रकार	उत्तरदाताओं की संख्या
(अ) वस्तु	मंदसौर
1. साधन सवारी	28
2. सौंदर्य प्रसाधन	38
3. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	46
4. कपड़ा	26
5. दवाईयां	45
6. फर्नीचर	25
7. जमीन-जायदाद	19
8. अन्य	21
(इ) सेवा	
1. कोरियर	26
2. बैंक	35
3. बीमा	54
4. बिजली	36
5. टेलीफोन	29
6. जल आपूर्ति	19
7. नगरपालिका	12
8. अन्य	21
कुल	480

स्रोत: व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित

चित्र 3(अ)



चित्र 3 (इ)



तालिका 3 में मंदसौर जिले के संदर्भ में उपभोक्ताओं को उनकी वस्तु या सेवा के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। हम देख सकते हैं कि वस्तु या सेवा के प्रकार के आधार पर उपभोक्ताओं का प्रतिशत सभी क्षेत्रों में लगभग समान है।

तालिका 3 दर्शाती है कि मंदसौर जिले के संदर्भ में उपभोक्ता सभी वस्तु या सेवा का क्रय करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन और बैंक वर्ग के उपभोक्ताओं में मंदसौर जिले के उपभोक्ताओं की संख्या 38 एवं 35 है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण वर्ग में उपभोक्ताओं की संख्या 46 है।


मंदसौर जिले में जिला उपभोक्ता फोरम के बारे में जानकारी

तालिका 4: मंदसौर जिले में जिला उपभोक्ता फोरम के बारे में जानकारी

क्र.	जानकारी के क्षेत्र	उत्तरदाताओं की संख्या मंदसौर
1	समाचार-पत्र/पत्रिकाएं	159
2	टेलीविजन	102
3	होर्डिंग्स/फ्लैक्स	26
4	मौखिक प्रचार	12
5	अन्य	181
	योग	480

स्रोत - व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित

चित्र 4



तालिका 4 दर्शाती है कि मंदसौर जिले के संदर्भ में उच्चतम उपभोक्ता समाचार-पत्र/पत्रिकाओं से जिला उपभोक्ता फोरम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का ज्ञान, उपभोक्ताओं के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के बारे में जानने के लिए उपभोक्ताओं के पास जानकारी के बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं। मंदसौर जिले के संदर्भ में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के बारे में उनके ज्ञान के स्रोत के बारे में शिकायतकर्ताओं की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, कई प्रतिक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए 5 विकल्प दिए गए थे।

तालिका 4 से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के ज्ञान के स्रोत के संबंध में विषम प्रतिक्रियाएँ दीं। मीडिया (रेडियो, टीवी, समाचार पत्र आदि) को उत्तरदाताओं द्वारा सबसे लोकप्रिय स्रोत बताया गया।

तालिका 4 में उपभोक्ताओं को उनकी जिला उपभोक्ता फोरम के बारे में जानकारी के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। तालिका में 159 उपभोक्ता समाचार-पत्र/पत्रिकाएँ से, जिला उपभोक्ता फोरम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। टेलीविजन से जिला उपभोक्ता फोरम के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं में 102 मंदसौर जिले से हैं।


मंदसौर जिले में आपका प्रकरण किस श्रेणी में आता है ? के बारे में जानकारी

तालिका 5: आपका प्रकरण किस श्रेणी में आता है ?

क्र.	श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
1.	रुपये 1 लाख तक	69	14.38%
2.	रुपये 1 से 2 लाख तक	93	19.38%
3.	रुपये 2 से 3 लाख तक	128	26.67%
4.	रुपये 3 लाख अधिक	190	39.57%
	कुल	480	100.00%

स्रोत - व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित

चित्र 5




तालिका 5 के अवलोकन के बाद हम देखते हैं कि मंदसौर जिले के संदर्भ में रु. 3 लाख से अधिक श्रेणी वाले प्रकरण बाकी श्रेणियों की तुलना में अधिक हैं। मंदसौर जिले के संदर्भ में उपभोक्ताओं में प्रकरण राशि के अनुसार श्रेणी के वर्गीकरण को दर्शाती है। विश्लेषण के बाद हमें पता चला कि मंदसौर जिले के संदर्भ में कुल उपभोक्ता 480 हैं, जिसमें 69 (14.38 प्रतिशत) प्रकरण (रु. 1 लाख तक) श्रेणी के हैं, 93 (19.38 प्रतिशत) प्रकरण (रु. 1-2 लाख तक) श्रेणी के हैं, 128 (26.67 प्रतिशत) प्रकरण (रु. 2-3 लाख तक) श्रेणी के हैं और 190 (39.57 प्रतिशत) प्रकरण (रु. 3 लाख से अधिक) श्रेणी के हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक प्रकरण रु. 3 लाख से अधिक राशि वाले श्रेणी में आते हैं।

तालिका 6: यदि अतिरिक्त वारण्टी (Additional Warranty) नहीं लेते हैं तो न लेने के पीछे आपका क्या दृष्टिकोण रहा है ?

क्रं.	दृष्टिकोण	संख्या	प्रतिशत
1.	लागत/मूल्य में वृद्धि	126	26.25 %
2.	लापरवाही	84	17.50 %
3.	दुकानदार का अच्छा व्यवहार	167	34.80 %
4.	अन्य	103	21.45 %
	कुल	480	100.00 %

स्रोत - व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित

चित्र 6



तालिका 6 के अवलोकन के बाद हम देखते हैं कि मंदसौर जिले के संदर्भ में अतिरिक्त वारण्टी (Additional Warranty) न लेने के पीछे का दृष्टिकोण दुकानदार का अच्छा व्यवहार है, जो बाकी अन्य की तुलना में अधिक हैं। मंदसौर जिले के संदर्भ में उपभोक्ताओं के अतिरिक्त वारण्टी

(Additional Warranty) न लेने के पीछे के दृष्टिकोण के वर्गीकरण को दर्शाती है। विश्लेषण के बाद हमें पता चला कि मंदसौर जिले के संदर्भ में कुल उपभोक्ता 480 हैं, जिसमें 126 (26.25 प्रतिशत) उपभोक्ता (लागत/मूल्य में वृद्धि) दृष्टिकोण वाले हैं, 84 (17.50 प्रतिशत) उपभोक्ता (लापरवाही) दृष्टिकोण वाले हैं, 167 (34.80 प्रतिशत) उपभोक्ता (दुकानदार का अच्छा व्यवहार) दृष्टिकोण वाले हैं और 103 (21.45 प्रतिशत) उपभोक्ता (अन्य) दृष्टिकोण वाले हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक उपभोक्ताओं के अतिरिक्त वारण्टी (Additional Warranty) न लेने का दृष्टिकोण दुकानदार का अच्छा व्यवहार है।

शोध विषय की परिकल्पना का निष्कर्ष

H1 शोध से उपभोक्ता अपने हितों के प्रति जागरूकता पर सार्थक प्रभाव होता है।

तालिका 7: उपभोक्ता जागरूकता पैमाने पर मंदसौर जिले के सभी उपभोक्ताओं का तुलनात्मक ध्यान

चर	औसत	औसत अंतर	एसडी	टी-मान और सार्थकता का स्तर
मंदसौर एन = 480	168.6	2.3	14.64	t=2.43 significant at 0.05

स्रोत - व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित

तालिका 7 से पता चलता है कि इस उपभोक्ता जागरूकता पैमाने पर मंदसौर जिले के उपभोक्ताओं का स्कोर 168.6 है लेकिन यह अंतर 0.05 के स्तर पर टी = 2.43 1.96 के रूप में सार्थक है। अतः शोध परिकल्पना 0.01 स्तर पर अस्वीकृत होती है। परन्तु 0.05 स्तर पर स्वीकृत की जाती है।

H2 शोध से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्रावधानों का उपभोक्ता शोषण को रोकने की प्रक्रिया पर सार्थक प्रभाव होता है।

तालिका 8: काई स्क्वायर परीक्षण

क्रं.	चर	प्रत्याशित आवृत्ति
1	शोषण के क्षेत्र	71
2	जिला उपभोक्ता फोरम के बारे में जानकारी	63
3	वस्तु या सेवा के क्रेता बिन्दु	63
4	वस्तु या माल खरीदते समय संबंधित मूल बिल (Cash Memo/Credit Memo) लेते हैं	61
5	मूल बिल नहीं लेते हैं तो न लेने के पीछे दृष्टिकोण	57
6	बिल के साथ वारण्टी कार्ड प्राप्त करने की जागरूकता	53
7	वस्तु का उपयोग करते समय वारण्टी की शर्तों का पालन	56
8	वस्तु या माल में त्रुटि होने पर दुकानदार के पास शिकायत दर्ज करना	48
9	शिकायत का स्वरूप	45
10	शिकायत के पश्चात् दुकानदार/सेवा प्रदाता का व्यवहार	65

Calculated Chi Square Value=52.785; Table value= 11.071; df= 2; p-value=.000

स्रोत-व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित

उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और **उपभोक्ता के शोषण को रोकने** के बारे में उपभोक्ता जागरूकता के सभी दस कारक समान रूप से महत्वपूर्ण स्रोत थे। काई स्कायर परीक्षण का प्रयोग किया गया।

उत्तरदाताओं ने सभी दस कारकों के विकल्पों के उत्तरों को शामिल किया गया है। सभी 10 कारकों को महत्व देने के बाद, तालिका 8 में दिखाए गए परिणाम प्राप्त होते हैं। उपरोक्त तालिका से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित शून्य परिकल्पना परीक्षण किया गया।

2 स्वतंत्रता की डिग्री और 5 प्रतिशत सार्थकता के स्तर पर काई स्कायर का सारणीबद्ध मूल्य 11.071 है और काई स्कायर का परिकल्पित मूल्य 52.785 है। चूंकि काई स्कायर का परिकल्पित मान सारणीबद्ध मान से अधिक है, यह अस्वीकृति क्षेत्र में आता है। इस प्रकार, शून्य परिकल्पना को खारिज किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है कि उपरोक्त 10 कारकों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर थे और ये उपभोक्ता मंचों पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और उपभोक्ता के शोषण को रोकने के बारे में उपभोक्ता जागरूकता के महत्वपूर्ण स्रोत नहीं थे।

सुझाव: इस ध्यान के आधार पर उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता जागरूकता और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं:

इस ध्यान के आधार पर उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता जागरूकता और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं:

1) उपभोक्ता शिक्षा : उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना। सामुदायिक केंद्रों में उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी जा सके। इसके अलावा, ऑनलाइन संसाधनों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे उपभोक्ता अपने घर बैठे ही जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही, प्रशिक्षित शिक्षकों का विकास किया जाना चाहिए, जो उपभोक्ता शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित हों।

2) 1986 उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के संबंध में एक ऐतिहासिक कानून है लेकिन इस अधिनियम में कुछ संशोधन अभी भी आवश्यक हैं जैसा कि मंदसौर और नीमच के उपभोक्ताओं द्वारा देखा जाता है और लगभग इसी तरह के विचार देश के अन्य हिस्सों के उपभोक्ताओं से देखे जा सकते हैं। सीपीए 86 के संशोधन का प्रारूप आज नहीं तो कल संसद में पेश होने वाला है। नए प्रारूप में उपभोक्ताओं की उन सभी शेष समस्याओं को शामिल किया जाना चाहिए जिनका वे अब भी सामना कर रहे हैं ताकि एक संकुचित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से छुटकारा पाया जा सके।

3) उपभोक्ता मंच : उपभोक्ताओं के लिए मंच प्रदान करना जहां वे अपनी शिकायतों और सुझावों को साझा कर सकें। उपभोक्ता मंच के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों और समस्याओं का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करना चाहिए। इस मंच पर उपभोक्ता अपनी बात रख सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, उपभोक्ता मंच पर जानकारी और शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि उपभोक्ता अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक हो सकें।

4) शिक्षा और प्रशिक्षण: उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना। शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। उन्हें उत्पादों और सेवाओं का चयन करने और उनका उपयोग करने के लिए

कौशल प्रदान करना चाहिए। साथ ही, उन्हें उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाने में मदद करनी चाहिए।

5) तकनीकी सहायता: उपभोक्ताओं को तकनीकी सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने अधिकारों का सम्मान कर सकें। तकनीकी सहायता के माध्यम से उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायतों और समस्याओं का समाधान करने में मदद करनी चाहिए। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर, ईमेल और चैटबॉट जैसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। साथ ही, तकनीकी सहायता के माध्यम से उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना चाहिए।

6) शिकायत निवारण : उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रबंधन संस्थाओं द्वारा शिकायत निवारण प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाना। शिकायत निवारण प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें। इसके अलावा, शिकायत निवारण के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द समाधान मिल सके। शिकायत निवारण अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने में सक्षम हों। साथ ही उपभोक्ताओं को शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी शिकायतों का समाधान करा सकें।

7) कानून और नियमों का पालन : उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए कानून और नियमों का पालन करना। कानून और नियमों का पालन करने के लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और नियमों को मजबूती से लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए, सरकार और संबंधित एजेंसियों को सख्ती से कानूनों का पालन करना चाहिए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही, उपभोक्ताओं को कानूनों और नियमों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। इसके अलावा, कानूनों और नियमों की समीक्षा और अद्यतन करना चाहिए ताकि वे बदलते समय के अनुसार प्रासंगिक बने रहें।

8) जागरूकता अभियान : उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाना। जागरूकता अभियान चलाने के लिए सबसे पहले उपभोक्ताओं की जरूरतों और समस्याओं की पहचान करनी चाहिए। इसके बाद, एक प्रभावी अभियान योजना बनानी चाहिए जिसमें संदेश, माध्यम और लक्ष्य समूह का चयन किया जाना चाहिए। अभियान के दौरान, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए और उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अभियान के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और सामुदायिक कार्यक्रम। इसके अलावा, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं ताकि युवा पीढ़ी को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जा सके। अभियान के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली भी स्थापित की जानी चाहिए ताकि इसकी प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके।

आगे के लिये शोध विषय - अनुसंधान विद्वानों को क्षेत्र में कई अन्य ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि अन्य कोणों से भी

समस्याओं का गहन विश्लेषण किया जा सके। इनमें से कुछ विषय नीचे दिए गए हैं:-

1. 1986 के प्रति व्यवसायी वर्ग और उत्पादकों का दृष्टिकोण।
2. सेवा क्षेत्र के क्षेत्र में उपभोक्ता अदालतों की भूमिका।
3. 1986 से उपभोक्ता संबंधी कानूनों का रुझान विश्लेषण।
4. महानगरीय शहरों के लोगों की उपभोक्ता समस्याएं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम।
5. उपभोक्ता अदालतों द्वारा दिए गए फैसले और उपभोक्ताओं और उत्पादकों पर उनके प्रभाव।
6. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के व्यावहारिक लाभ और इसके कार्यान्वयन में प्रासंगिक बाधाएं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. निगमिय सन्निधयम एवं सचिवीय पद्धति -डॉ.आर.एल. नौलखा
2. विपणपन प्रबन्ध -डॉ. एस.सी. जैन
3. विक्रय प्रशासन एवं प्रबन्ध -डॉ. एस.सी. जैन
4. सहकारिता -डॉ. बी.एस. माथुर
5. सरकार एवं व्यवसायिक पर्यावरण -फ्रांसिस चेरुनिलम,डॉ. फ्रैंक कैरल सिंह
6. बीएमआरबी सोशल रिसर्च, यू.के. पोषण साइन पोस्ट लेबलिंग

- योजनाओं की समझ और उपयोग <http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/pmpreport.pdf>
7. कैथी गुडविन, गोपनीयता : उपभोक्ता अधिकारों की मान्यता, <http://www.jstor.org/pss/3000257>
 8. Satya Sundaram (2012). The Tenuous Food Security, P-15.
 9. S.Kanthimathinathan (2012) Food security in India, P-15.
 10. Raghbir Singh(1983). Marketing and Consumer Behaviour, New Delhi: Deep and Deep Publications, P- 65
 11. प्रतियोगिता दर्पण
 12. मनोरमा इयर बुक
 13. उपभोक्ता. फ्रन्ट (हिन्दी साप्ताहिक समार पत्र)
 14. दैनिक जागरण (दैनिक समार पत्र)
 15. www.corecentre.org
 16. www.cuts-international.org
 17. www.en.wikipedia.org/wiki/Consumer_protection
 18. www.fcamin.nic.in
 19. www.icrpc.org
 20. www.india.gov.in/sectors/consumer_affairs/index.php

Pioneers of Modern Art

Dr. Ramashanker Mishra*

*PGT Teacher (Art) Mody School, Lakshmangarh, Sikar (Raj.) INDIA

Introduction - Modern art is the art of almost the whole of the twentieth century, but it began in the nineteenth. During the 1880s, three very different pioneers, Paul Cézanne, Vincent van Gogh and Paul Gauguin, started to push beyond impressionism, trying to find for their painting a new moral and emotional framework. The impressionists had been content to look at nature with attention but without passion. They did not want to question it, or place themselves in it. The post-impressionists expected to get involved and in this way brought a renewed, almost righteous, ripple of feeling back into their work. In a short time the ripple became a tidal gush of vividly coloured emotions which inundated painting. For a time it became an artist's duty to fill the canvas with sensibility. This flowed unchecked for the first decade of the new century, until it provoked the reaction of cubism.

The parameters of cubism may be gauged by two remarks from its founders. 'For me painting is a dramatic action in the course of which reality finds itself split apart,' said Pablo Picasso flamboyantly. The quieter, subtler Georges Braque chose to emphasize a less percussive aspect of the new art when he disclosed: 'I don't believe in things. I believe in relationships. This kind of talk, and more particularly the painting to which it referred, was met with blank incomprehension by 95 per cent of those who encountered it. They saw only the deranged product of two probable lunatics.

As we see now, cubism was no more insane than impressionism was in the 1870s, when it faced the same charge. In any case, the new painting was much more than just an expression of its leaders' creative force -although there was plenty of that in Picasso and Braque. It was an answer to the problem of unbridled emotion in the Nabis, the post-impressionists and the Fauves. That answer, so apparently extreme and contorted, was imbued with a very twentieth-century sense of paradox. The writer Karl Kraus described it as making 'a riddle out of a solution', a formula that comes as close as six words can to expressing the spirit of cubism. Despite its inflammatory reputation, the discourse of this art was intellectual, its methods of composition deliberate and studious and the colouring of

its pictures decidedly low-key.

Yet the word 'inflammatory' is just. Cubism lit the touchpaper for an explosion, the largest intellectual revolution in the visual arts since the Renaissance discovery of perspective. And its pioneers, closeted in their Montmartre studios, brooded on many of the central preoccupations of the twentieth century: the space-time continuum, the atom, the validity of sensory experience. They were not alone in this. It was the age of science, in which twentieth-century humanity suddenly caught hold of the suspicion that observable reality might be an illusion, or a confidence trick. And what if, instead of nobility and an immortal soul, we carried inside us only a snake pit of competing desires or, worse, a void? These are profoundly unsettling but, for some individuals, feverishly exciting thoughts which arrived along diverse channels. Einstein and Freud were two of the most important of these. Cubism was a third.

The post-impressionists declared that looking is not seeing. Braque and Picasso's first task, with their split-open multiple-aspect forms, was to show that seeing is not understanding. Their next task, a challenge that was taken up energetically by a host of offshoots, was to invent visual languages beyond seeing. Right at the front of what was beginning to be called the avant-garde of art the metaphor is a military one, referring to those 'riding point' at the head of an army cubism now began to fly above, or circle around or even pass through solid form. Its followers went on, like a victorious raiding party, to capture the essence of movement, expose misconception and root out the fundamentals of sensory truth. The consequences of all this activity, packed into a few momentous years just before the (differently shattering) upheaval of the First World War, were profound and irreversible. For all serious artists, cubism had broken through the wall of protective illusions about pictorial space. The breach was established and the apparently ragged and disorganized forces of 'the new art' poured through, proclaiming liberation.

The artists themselves sometimes grasped the same liberty in their private lives, creating the stereotype of the penniless, hell-raising bohemian, always drunk on absinthe.

Some, like Modigliani, really were like this. But most were profoundly serious people and occasionally too much so for their own good: Braque's reputation suffered to an extent because of his personal dullness next to the bravura of Picasso; Arshile Gorky and Jackson Pollock just suffered.

The absolute creative freedom claimed by modernism was bound to put it on a collision course with the new authoritarian politics which arose in the wake of the First World War. This, after all, was at least in part a reaction to the avant-garde in the arts, which was seen as symptomatic of an overall social sickness and disorder. Stalin's cultural apparatchiks called it 'formalism' and sent many artists to the Gulags. The Nazis condemned it as Degenerate Art and mounted a scathing exhibition of the stuff in Munich in 1937. At its opening Hitler, the failed watercolourist, declared: 'If artists do see fields blue, they are deranged and should go to an asylum. If they only pretend to see them blue, they are criminals and should go to prison.' Hitler and Stalin had some reason beyond their own prejudices to hate modern art, because many of its leading figures were sympathetic to, if not deeply involved in, left-wing revolutionary activity. Picasso's great protest painting Guernica rages against the rise of Franco and his use of terror bombing in the Spanish Civil War. Dada and surrealism were from the start aligned on the political left. And, in the 1960s, art and political subversion became in

some quarters virtually interchangeable.

On the other hand there were spiritual (and spiritualist) dimensions to modernism that had little to do with politics, including the extraordinary rise and (by mid-century) fall of theosophy, an attempt to start a new religion mainly by two women, the Russian Madame Blavatsky and her English acolyte Annie Besant. Theosophy had little todo with cubism but it left its imprint on modern art through four key avant-gardistes, Wassily Kandinsky, Constantin Brancusi, Piet Mondrian and Jackson Pollock. The vital constant here is the opposite of Guernica's public howl. It is an intensely private and inner art, a dialogue with the soul. Pollock, one of its most intense practitioners, called all painting self-discovery. 'Every artist paints what he is,' he said, though he also insisted that what was created went on to live 'a life of its own'. The strong implication here is that the artist, as creator of 'living' works, bears a solemn responsibility that is unique among human activities.

References:-

1. On Modern Art, Jean Paulsartre White Publication, 2011
2. Origin's of Modern Art, Rosalind Ormiston, Flametree Publication 2015,Oct 06
3. History of Modern Art, H. H. Arnason, 2003, August 29
4. Modern Art in America, Agee William Phaidon Publication 1908-68

हिन्दी साहित्य में दलित चेतना का विकास

मनोज कुमार*

* सहायक आचार्य (हिंदी) शारदा कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, अनूपगढ़ (राज.) भारत

प्रस्तावना - इक्कीसवीं सदी में सामाजिक न्याय की अवधारणा को लेकर जो विमर्श चल रहे हैं, उनमें से स्त्री-विमर्श और दलित-विमर्श प्रमुख हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा के अंतर्गत स्त्री और दलित दोनों की ही स्थिति में परिवर्तन आया है। दलित-विमर्श के अंतर्गत दलित वर्ग के संघर्ष, उत्पीड़न, शोषण तथा विद्रोह को इक्कीसवीं सदी की हिंदी-कहानियों में अभिव्यक्ति मिली है। वर्तमान समय में दलितों ने अपनी कमजोरियों को पहचानकर अपने समाज के उत्थान तथा विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं अर्थात् इक्कीसवीं सदी में दलितों का सशक्तीकरण हुआ है। दलित शब्द का अर्थ 'टूटा हुआ', 'दबा व कुचला' हुआ माना गया है।

'दलित' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु 'दल' से हुई है, जिसका अर्थ फटना, खंडित होना, दृढ़ता होना है। संक्षिप्त में 'हिन्दी शब्द सागर' में डॉ. रामचंद्र वर्मा ने 'दलित' का अर्थ विनष्ट किया हुआ, मसला हुआ, मर्दित, दबाया, रौंदा दिया है। श्री प्रेमकुमार मणि ने दलित साहित्य की परिभाषा करते हुए लिखा है कि 'दलितों के लिए दलितों के द्वारा लिखा जा रहा दलित साहित्य है। यह विलास का नहीं, आवश्यकता का साहित्य है। संपूर्ण विज्ञान उसकी दृष्टि है और पीड़ित मानवता का उद्धार इसका इष्ट है। दलित साहित्य वह प्रकाश -पुंज है, जो अंधेरे में उतरा है।'

सर्वप्रथम मराठी में दलित साहित्य का आरंभ बीसवीं शताब्दी के छठे दशक से माना जाता है। हिंदी में इसका आरंभ 20वीं शताब्दी के आठवें दशक में माना जा सकता है। दलित साहित्य का स्वरूप आज विस्तृत हो रहा है, इसमें कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, दलित आत्मकथा, दलित-आलोचना, दलित-निबंध, दलित पत्र-पत्रिकाएँ आदि भी सम्मिलित की गई हैं। दलित साहित्य मुख्य रूप से वास्तववाद पर आधारित है। इसमें आदर्शवाद को कोई स्थान नहीं। दलित साहित्यकारों ने जो कुछ भुगता है, वही नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। दलित साहित्य की प्रेरणा डॉ. अंबेडकर की विचारधारा तो थी ही, महात्मा फुले का संघर्ष, मार्क्स की क्रांतिदृष्टि भी थी।

दलित वर्ग प्राचीन काल से ही शोषित व पीड़ित वर्ग रहा है। भारतीय समाज मुख्य रूप से चार वर्णों में विभाजित है- ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र। अंतिम वर्ण 'शूद्र' जो आज दलित शब्द के नाम से प्रचलित है। अरविंद कुमार, कुसुम कुमार ने दलित के कई संदर्भगत अर्थ दिए हैं। एक अर्थ है शोषित, एक अर्थ है पराजित, जिसमें दमित, विजित आदि अनेक भावार्थ शामिल हैं। एक अर्थ पदलित है, जिसमें दलित पदाक्रांत आदि अर्थ शामिल हैं। ज्ञानशब्दाकोश में दलित का अर्थ रौंदा, कुचला, दबाया हुआ पदाक्रांत

के साथ हिन्दुओं में वे शूद्र, जिन्हें अन्य जातियों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है, भी दिया है। माताप्रसाद ने अपनी पुस्तक हिंदी-काव्य में दलित काव्यधारा में दलित शब्द के अनेक प्रयोगात्मक अर्थों की चर्चा की है, जिसमें चांडाल, अस्पृश्य, अछूत आदि शामिल हैं। उपेक्षित, अपमानित, उत्पीड़ित, प्रताड़ित भी इसी कोटि में आने वाले शब्द हैं। शब्द के व्यापक सामाजिक अर्थों में गुलाम, भूमिहीन, बंधुआ भी शामिल हैं।

डॉ. अंबेडकर ने दलितों को एक नारा दिया था - शिक्षित बनों, संगठित रहो, संघर्ष करो। डॉ. भीमराव अंबेडकर के इस नारे से प्रेरणा पाकर दलित-वर्ग सशक्तीकरण की ओर अग्रसर है।

दलित कौन है - दलित का अर्थ है, जिसका दलन किया गया हो, अर्थात् जो शोषित व उत्पीड़ित हुआ हो। सदियों से मानव समाज में, मनुष्य के द्वारा शोषित होता रहा है। समाज का एक वर्ग इसी शोषण का शिकार है यही वर्ग दलित कहलाता है। दलित शब्द में आक्रोश, पीड़ा, घुटन, चीख, वेदना और छटपटाहट छुपी है। दलित आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। यहीं से मराठी दलित लेखन का प्रारंभ होता है। अंबेडकर के अनुसार दलित साहित्य द्वारा दलितों के उत्थान के लिए लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य है लेकिन कुछ साहित्यकारों को छोड़कर बाकी सभी ने दलित साहित्य के नाम पर स्वयं के जीवन के यथार्थ का जीवंत रूप प्रस्तुत किया है या आत्मकथा के माध्यम से अपनी बात कही है। प्रेरणा स्रोत - ज्योतिबा फुले, डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दलितों के स्वाभिमान को जगाया, आत्मविश्वास बढ़ाया। मराठी साहित्य से दलित साहित्य का प्रारंभ 1960 से माना जा सकता है। दलित साहित्य में दलित साहित्यकारों का भोगा हुआ यथार्थ साहित्य के रूप में सामने आया। दलित साहित्य की विद्या आत्मकथा है, जिसमें दलित साहित्यकार अपने भोगे हुए यथार्थ को शब्दों के रूप में प्रस्तुत करता है। दलित साहित्य में मराठी दलित साहित्य की शुरुआत दयापंवार की 'जूठन' से मानी जाती है। महाराष्ट्र में महार जाति की स्थिति अत्यंत दयनीय है, उन्हें आज भी मरे हुए जानवरों को ढोने के लिए बुलाया जाता है तथा उनके साथ आज भी अछूतों का व्यवहार किया जाता है। प्राचीनकाल में 'दलित' जैसी कोई अवधारणा ही नहीं थी यदि होती तो मीराबाई जैसी ऊँचे कुल की महिला रैदास को अपना गुरु कभी स्वीकार नहीं करती।

हिन्दी साहित्य में दलित साहित्य का प्रारंभ 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित 'हीराडोम' की 'अछूत की शिकायत' कविता से माना जाता है। कविता के माध्यम से कवि ने अपने अछूत होने की पीड़ा को व्यक्त किया है।

जिसकी एक बीमार बेटी है जिसे इलाज के लिए न तो वह वैद्य के पास ले जा पाता है और ना ही ईश्वर की अनुकम्पा पाने हेतु देवी मंदिर ले जा पाता है। इसी कशमकश में एक दिन वह जल्दी सुबह नहाकर देवी के मंदिर इस आशा से जाता है कि देवी के चरणों का फूल वह अपनी बेटी के तकिये के नीचे रख देगा तो वह जल्दी ठीक हो जाएगी लेकिन जैसे ही वह मंदिर से फूल लेकर लौटता है उसके अछूत होने का साया उसके पीछे पड़ जाता है पुजारी व गाँव वालों की नजरों में उसे दोषी करार दिया जाता है तथा इस अपराध की सजा भी उसे भोगना पड़ती है।

अपने दलित सरोकारों के कारण प्रताड़ित किए गए डॉ. दयानंद बटोही ने हिंदी दलित कविता में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनका काव्य-संग्रह 'यातना की आँखें नवगीत विधा में सामाजिक विसंगतियों को अभिव्यक्त करता है, लेकिन पाठकों का ध्यान उनकी अन्य कविताओं ने खींचा है। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है - 'द्रोणाचार्य सुने उनकी परंपराएँ'। इस कविता में उन्होंने विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक में दलित छात्रों के साथ हो रहे अन्याय को मारक अभिव्यक्ति दी है -

मैं सिर्फ/द्रोण तुम्हारे रास्तों पर चले गुरु से कहता हूँ
अब दान में अँगूठा माँगने का साहस कोई नहीं करता

प्रेवटीकल में फेल करता है।

प्रथम अगर आता हूँ तो,

छठा या सातावाँ स्थान देता है

जाति गंध टाइल में खोजता है

वह आत्मा और मन को बेमेल करता है।

जूठन में दयापंवार ने दलितों के जीवन की कटु सच्चाई को प्रस्तुत किया है कि किस तरह वे लोगों की जूठन के लिए तरसते हैं ताकि उनका अपना जीवन चला सके। इसी शृंखला में शरणकुमार लिम्बाले, सुशीला टाकबोरे आदि साहित्यकारों ने दलित साहित्य के रूप में अपने जीवन के कड़वे सच को उजागर किया है। दलित साहित्य 80 के पश्चात् अस्तित्व में आया जब ओमप्रकाश वाल्मीकि ने अपने दलित होने की वेदना कुछ इस तरह व्यक्त की -

कभी नहीं माँगी बालिशत भर जगह, नहीं माँगा आधा राज भी, माँगा है
सिर्फ न्याय, जीने का हक, थोड़ा सा पीने का पानी।

ओम प्रकाश वाल्मीकि मूलतः कवि है उनके द्वारा कुछ नाटक भी लिखे गए हैं।

दलित साहित्यकारों द्वारा लिखे गए उपन्यासों में उन्होंने अपनी दयनीय स्थिति को वर्णित किया है। कविता में आक्रोश के स्वर मुखरित हुए हैं। जैसे मोहनदास नैमिशराय ने दलितों को बनाने वाले ईश्वर पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है कि ईश्वर यदि एक है तो फिर यह ऊँच-नीच किसके द्वारा बनाया गया।

'ईश्वर की मौत उस पल होती है, जब मेरे भीतर उठता है जवाब कि ईश्वर का जन्म किस माँ की कोख से हुआ और ईश्वर का बाप कौन है?'

मोहनदास नैमिशराय ने अपने उपन्यास क्या मुझे खरीदोगे में नारी के देह शोषण से लेकर उसकी समस्याओं के साथ समाज में उसकी स्थिति को चित्रित किया है।

डॉ. जयप्रकाश कर्दम हिंदी दलित कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका काव्य-संग्रह 'गूँगा नहीं था मैं' हिंदी - क्षेत्रों में काफ़ी चर्चित रहा है। उनकी कविता की एक बानगी यहाँ प्रस्तुत है। वह अपनी 'दमन की दहलीज़ पर'

कविता में लिखते हैं -

तमाम विरोधों और दबावों के बावजूद

जाति के जंगल का यह जीव

अपनी मुक्ति के लिए अड़ा है

अपनी अस्मिता और अस्तित्व के लिए लड़ा है। और आज

तमाम हौसलों के साथ

हाथों में खंजर लिए वह

दमन की दहलीज़ पर खड़ा है।

और ललकार रहा है चीखकर

बाहर निकल हारमजादे/तेरी ऐसी की तैसी।

जयप्रकाश कर्दम के 1994 में प्रकाशित 'छप्पर' उपन्यास में उत्तर प्रदेश के मातापुर गाँव के चमार जाति का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में यथार्थवादी दृष्टिकोण के माध्यम से दलितों की समस्याओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। अज्ञानता के कारण कुपरंपराएँ, संकुचितता, व्यसन, अंतर्विरोधों का होना स्वाभाविक हैं। चंदन नामक पात्र शहरी दलितों में व्यास व्यसन से उनकी बर्बादी रोकने और व्यसन-मुक्ति हेतु प्रयत्न करता है। पढ़ाई का महत्व भी समझाता है कि 'पढ़-लिखकर हमारे समाज में लोग ऊपर नहीं उठेंगे तो हमें कौन पूछेगा। हमें समाज से टकर लेनी है। सत्ता से लड़ाई लड़नी है, जुल्म और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करना है। इन सबके लिए फौज़ तैयार करूँगा मैं।'

सत्यप्रकाश जी के 1998 में प्रकाशित 'तस, तस, भई सवेर' उपन्यास का महत्व दलित चेतना के उपन्यासों से उल्लेखनीय है। लेखक ने ग्रामीण दलितों की समस्याओं को चित्रित करके बताया है कि दलितों की रूढ़िवादिता और धर्मांधता दलितों के विकास के अवरोधक अंग हैं। इससे मुक्त होने पर बल दिया गया है। 'हंसा' का मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण ज़मींदार देवीपाल करते हैं। ग्रामीण अनपढ़ दलित धर्मांधता में फँसते ही जाते हैं, जिससे मुक्ति पाना मूल विचार है।

मोहनलाल ने 1999 में प्रकाशित अपने उपन्यास 'मुक्ति पर्व' में दलित-जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। उपन्यास के प्रारंभ में लेखक ने लिखा है कि 'हम मुक्तिपर्व किसे कहे? जब देश आज़ाद हुआ उसे या जब किसी जाति या कुछ जातियों को आज़ादी मिले उसे?..... यही सवाल आज़ादी के बाद से लेकर अब तब दलितों के भीतर उठता रहा है, जो उनकी भावनाओं को समय-समय पर उद्देलित करता है।

उपर्युक्त उपन्यासों में स्वानुभव पर आधारित यथार्थ दिखाई पड़ता है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, साहित्यिक समस्याओं का चित्रण है, जिससे दलितों में नई चेतना, नई दिशा प्रस्थापित हो। जयप्रकाश कर्दम ने दलितों को आरक्षण मिलने पर लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का कुछ इस तरह उत्तर दिया कि - तुम्हारा आरक्षण उचित है। आरक्षण में आय. पी. एस. बनने वाले कलेक्टर का ब्राह्मणों के प्रति विद्रोह जब सवर्णों को आरक्षण मिला हुआ था तब व्यक्त किया।

'अपने-अपने पिंजरे में लेखक को दलित होने के कारण जो जीवन जीना पड़ा, उसके जीवंत अनुभव हैं। वे लिखते हैं कि हिंदू होने के बाद भी मुझे मंदिर जाने से रोका जाता है।' मंदिर और सवर्णों के लिए हम शूद्र थे, अछूत थे, दलित थे, पर इंसान न थे। हमारी छाया भी उनके लिए अपवित्र थी। एक दिन मंदिर के बाहर प्रसाद लेते समय पुजारी की उँगलियाँ जब लेखक के हाथ से छू गईं तो पुजारी ने गुस्से से और घृणा से कहा था - 'तू

चमार है न, सब भ्रष्ट कर दिया। कितनी बार कहा तुम ढोरो से, प्रसाद दूर से लिया करो।

नैमिशराय को बचपन में शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में भी अपमान सहना पड़ा। वे कहते हैं - 'पहले चमारों का कुआँ, चमारों का नल, चमारों की गली, चमारों की पंचायत आदि कहा जाता था। हम स्कूल जाने लगे तो चमारों का स्कूल कहने लगे।' एक विशिष्ट जाति के कारण मंदिर, शिक्षा तथा पानी से दूर रखने की सवर्णों की साजिश का दस्तावेज 'अपने-अपने पिंजरे' आत्मकथा है।

ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा 'जूठन' रोटी की समस्या की ओर इशारा करती है। जाति से चुहडा होने के कारण वाल्मीकि को अपमान सहना पड़ता है। घर में घोर दरिद्रता थी। माँगे हुए किसी के कपड़े, पुस्तकों से इन्हें काम चलाना पड़ता था। किसी घर की अथवा बारात की 'जूठन' को सुखाकर महीना-भर काम चलाना पड़ता था। एक प्रसंग लेखक के मन-मस्तिष्क पर आज भी कायम है। गाँव के किसी सुखदेव त्यागी के घर बारात थी। लेखक की माँ टोकरा लेकर जूठन की अपेक्षा में बैठी थी। वह मालिक से पत्तल माँगती है। मालिक उन्हें नकारता है। भड़कता है। स्कूल में उन्हें हँडपंप को छूने नहीं दिया जाता अथवा जाति का पता लगने के बाद ब्राह्मण प्रेमिका भी नकार देती है। इस प्रकार जाति के कारण हर मोड़ पर संघर्ष करना पड़ता है।

'दोहरा अभिशाप' की लेखिका कौशल्या बैसंगी बचपन से जाति से नफरत करने लगती है। उन्हें भी स्कूली जीवन में जाति के ज़हर का अनुभव आने लगता है। स्कूल में अक्सर बात-बात पर चमार, भंगी, महार नाम से पुकारा जाता है। आर्थिक दयनीयता के कारण लेखिका को ठीक पद्धति के कपड़े भी पहनने को नहीं मिलते थे, इन सभी के पीछे मुख्य समस्या है जातिवाद।

दलित साहित्य को पढ़ने के बाद स्पष्ट होता है कि 'दलित साहित्य' दलित समुदाय के विविध आयामों को अपने अंदर समेटकर शोषण के हर पहलू की समाजशास्त्रीय जाँच करता है। यह साहित्य धर्म के नाम पर दलितों के साथ सौतेला व्यवहार करने वाले सवर्ण समाज के दोगलेपन को खोल रहा है।

टॉलस्टाय ने एक जगह कहा है कि दुःख के कारण भले ही एक हों, दुःख के प्रकार अलग होते हैं। हिंदी के दलित लेखकों के दुःख का कारण एक है, पर दुःख के प्रकार अलग-अलग हैं। अपमान की आग में जूझते दलित लेखकों की ये रचनाएँ केवल एक व्यक्ति के अनुभव की अभिव्यक्ति नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण समाज के अनुभवों की अभिव्यक्ति हैं, क्योंकि प्रत्येक दलित के जीवन में ऐसे अपमान से जूझने के प्रसंग आते हैं।

परंपरा से जिन लोगों को धर्म, वर्ण और जाति के नाम पर हाशिए पर रखा गया था, वही लोग आधुनिकता के दौर में सबकी चिंता और चिंतन के केंद्र बन गए थे। परंतु उत्तर आधुनिक दौर ने बाद में पुनः उन लोगों को न केवल हाशिए पर रखा बल्कि विकास का सपना दिखाकर अपने कर्म और भूमि से भी विस्थापित कर दिया है। परिणामस्वरूप आधुनिक दौर में शुरू हुए स्त्री-विमर्श, दलित-विमर्श और आदिवासी-विमर्श आदि विमर्शों का

विमर्शमूलक आख्यान प्रस्तुत करने की परंपरा उत्तर-आधुनिक दौर के साहित्य में विकसित होती दिखाई दे रही है। हृषीकेश सुलभजी ने आने नाटक 'बटोही' में इसी परंपरा का बड़ी क्षमता के साथ निर्वाह किया।

वास्तव में दलितों की समस्या अत्यंत पुरानी समस्या रही है। उसका एक लंबा इतिहास रहा है। दलितों की समस्या के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए श्री खगेंद्र ठाकुर एक पुस्तक की प्रस्तावना में लिखते हैं, 'दलित समस्या का एक लंबा इतिहास रहा है। यह बहुत ही प्राचीन समस्या है। इस समस्या का बहुत बड़ा काल धर्म से संबंधित था, जो कल का सवाल था। आज का सवाल उनकी राजनीति से जुड़ा है। दलितों के धर्म की समस्या चार युग की समस्या है, जिन्हें क्रमशः वैदिकधर्म का युग, पौराणिक धर्म का युग, संतमत का युग और वर्तमान हिंदूधर्म का युग कहा जा सकता है; मध्ययुगीन काल से लेकर आधुनिक-उत्तर आधुनिक काल तक के साहित्य में कम-अधिक मात्रा में क्यों न हो, हम दलितों की पीड़ा एवं संघर्ष की कथाएँ पढ़ सकते हैं। इस कारण साहित्य में दलितों की पीड़ा एवं संघर्ष का चित्रण करने की परंपरा उतनी ही पुरानी मानी जा सकती है, जितनी कि उनकी समस्या पुरानी है।

वर्तमान समय में यह सवाल भी बार-बार उठाया जा रहा है कि क्या साहित्य में दलितों की पीड़ा एवं संघर्ष का यथार्थ वर्णन करने-मात्र से उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री बच्चन सिंह अपने 'हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास' में लिखते हैं, 'साहित्य में दलितों के वर्ण-संघर्ष से वर्ण-व्यवस्था नष्ट हो या न हो, लेकिन उनका आत्मगौरव बढ़ेगा, समता की बेहतर आर्थिक स्थिति लौटेगी। सत्ता की भागीदारी के लिए उन्हें राजनीति का आश्रय लेना होगा और सांस्कृतिक समरूपता के लिए साहित्य का। मेरा अपना मानना है कि साहित्य के माध्यम से दलितों की मुक्ति का यह संघर्ष निरंतर की जानेवाली साधना है। हृषीकेश सुलभ अपने नाटकों के माध्यम से यही साधना कर रहे हैं। उनका यह प्रयास आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में विशेष महत्व रखता है। इस संदर्भ में अपना मतव्य स्पष्ट करते हुए श्री जगदीश चतुर्वेदी लिखते हैं - 'दलितों की मुक्ति का संघर्ष वास्तविक संघर्ष है। यह संघर्ष जब-तब वैचारिक और सामाजिक धरातल पर साथ-साथ नहीं चलता, तब-तक विचार और संस्कृति के क्षेत्र में चल रहे जाति-व्यवस्था और जातिवाद विरोधी संघर्ष का व्यावहारिक जीवन में, राजनीति, अर्थ-व्यवस्था और संरचनाओं में प्रसार नहीं होगा और ना ही आधुनिक राष्ट्र का निर्माण संभव है।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रेमकुमार मणि, दलित साहित्य एक परिचय (लेख) दलित साहित्य : चिंतन के विविध आयाम, सं. डॉ. एन. सिंह, पृ. 57
2. डॉ. दयानंद बटोही, दर्द के दस्तावेज, पृ. 112
3. डॉ. जयप्रकाश कर्दम, गूंगा नहीं था मैं, पृ. 35
4. डॉ. श्योराज सिंह 'बेचैन', क्रींच हूँ मैं, पृ. 53
5. डॉ. एन. सिंह, अंतिम दो दशकों का हिंदी दलित साहित्य, पृ. 115
6. डॉ. जयप्रकाश कर्दम, छप्पर, पृ. 43-44
7. मोहनदास नैमिशराय, मुक्तिपर्व, पृ. 5
8. डॉ. सुरेशकुमार जैन (सं.), उत्तरकाशी का हिंदी साहित्य, पृ. 97



एथलीटों के अंतर्मुखी व्यक्तित्व लक्षणों और खेल प्रदर्शन के स्तर का एक सहसंबंधनात्मक अध्ययन

योगेंद्र सिंह राजपूत*

* शोधार्थी (शारीरिक शिक्षा) भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश - शिक्षा ही मनुष्य को अपने ध्येय तक पहुंचाने की राह है। इसके आधार पर मानव में ऐसे गुणों का विकास किया जा सकता है। जिसके आधार पर वह भली भांति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाता है। समाज में अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित करने के लिए तथा उनके आधार पर व्यवसाय का चयन करने में मदद मिलती है। यही कारण है कि आज इस ओर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है कि मानव को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। यह देखा जाता है कि जिस कार्य के पीछे उद्देश्यों का निर्धारण नहीं किया जाता वह कार्य सुचारु रूप से संचालित नहीं किया जा सकता उसमें सफलता मिलने कि अवसर कम होते हैं।

प्रस्तावना - शारीरिक शिक्षा का संगठन बालक की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनोरंजन की स्थापना करता है। शारीरिक शिक्षा मानव जाति की अनुपम उपलब्धियों को संजोकर रखता है तथा उन्हें भावी सन्तति को विरासत के रूप में प्रदान करता है। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा संगठन का उद्देश्य व्यक्ति को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना है कि वे समाज व आदर्शों, मान्यताओं, विश्वासों एवं मूल्यों की रक्षा कर सकें।

आधुनिक काल में प्रदूषण तथा अन्य विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समावेश पाया जाता है। यह देखा जाता है कि बालक के द्वारा इन सभी के परिणामस्वरूप पूर्ण रूप से स्वस्थता की ओर अग्रसित नहीं हुआ जा सकता। इसलिए यह अति आवश्यक माना जाता है कि आज मनुष्य को इन सभी प्रकोप से बचाने की ओर बल दिया जाए। शारीरिक शिक्षा के आधार पर यह एक कार्य भली भांति किया जा सकता है। इसके आधार पर बालक के द्वारा भली भांति उन्नति प्राप्त की जाती है। यह देखा जाता है कि आज शारीरिक रूप से स्वास्थ्यता प्राप्त करने के उपरान्त ही मनुष्य के द्वारा पूर्ण रूप से विकास किया जा सकता है। जब तक वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है। तब तक वह भली भांति अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का क्रियान्वयन नहीं कर सकता।

अंतर्मुखी व्यक्तित्व खिलाड़ियों को अधिकता से परावृत्त करके खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जिससे उसे अधिकता का लाभ नहीं होता है। रिले रेस जैसे मैदानी खेलों में अंतर्मुखी व्यक्तित्ववाले खिलाड़ियों के होने पर सामंजस्य के प्रभाव में प्रदर्शन के स्तर में गिरावट दिखाई देती है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन -

मिजूगुची (1972) ने होनेलूलू, हवाई में लड़कों के शारीरिक ज्ञान के कार्यक्रम (जूनियर/सीनियर) लड़कों के शारीरिक ज्ञान कार्यक्रम पर निरीक्षण हुआ।

सूची देनेवाले अधिकारियों का समूह, कार्यक्रम की योजना, कार्यक्रम

की विधियाँ, व्यवसाय द्वारा मदद, यह अध्ययन का एक उद्देश्य था कि वह वास्तविक स्थिति की जानकारी दे सके, लड़कों के शारीरिक विद्या कार्यक्रमों के बारे में निरीक्षण कर सके, जाँच करने से कि यह पूर्णरूप से ध्यान दिया जाता है कि नहीं। अंत में उससे कहा कि पूर्णरूप से कार्यक्रम पर्याप्त नहीं था तथा वास्तविक नियमों से काफी निचे था। जूनियर पाठशालाएँ के अपेक्षा कुछ कार्यक्रमों में सीनियर पाठशालाएँ अच्छी थी।

लोकेन्द्र शरण (1980) इन्होंने नागपुर विद्यापीठ में प्रस्तुत किये हुए हनुमान व्यायाम प्रसारक मण्डल के शारीरिक शिक्षा के कार्य तथा खेलों का विकास करने में सम्बन्धित लघु प्रबन्ध में शारीरिक शिक्षक के योगदान का विवरण किया है। यह अपने लघु प्रबन्ध में कहते हैं कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मण्डल यह शारीरिक शिक्षक की एक ऐसी संस्था है। जिसके माध्यम से शारीरिक शिक्षा द्वारा खेलों का क्षेत्र उँचा उठा है। यह संस्था शारीरिक शिक्षा में विकास में अग्रसर है, और अन्य खेलों की तरह ही इस संस्था ने विदर्भ के शहरी एवं ग्रामीण संभाग के विद्यार्थियों में बास्केटबॉल खेल को बढ़ावा देने का कार्य किया है। यह संस्था 1914 में स्थापित हुई तभी से शारीरिक शिक्षक तैयार करके अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर खेलों का विकास करने में अग्रसर है।

उपपल, सिंधू और गंगोपाध्याय (1988) ने बट्स स्पोर्ट्स मोटीवेशन स्केल के आधार पर 15 भारतीय और 15 इम्बाब्बीयन अंतर राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ियों पर अध्ययन किया। अध्ययन के अंत में यह निष्कर्ष निकला कि दोनों ही टीमों में खेल प्रोत्साहन का स्तर समर्थक रूप से अलग-अलग नहीं है। सम्पूर्ण इम्बाब्बीयन महिला हॉकी टीम संघर्ष के क्षेत्र में उच्च थी तो सम्पूर्ण भारतीय टीम आपसी तालमेल और सहकार्य के क्षेत्र में उच्च थी।

परिसीमाएं:

1. यह शोध कार्य दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग तक के विद्यार्थियों तक सीमित है।
2. यह शोध कार्य विश्व विद्यालय में अध्ययनरत एथलेटिक्स प्रतियोगिता

में भाग लेने वाले पुरुष एथलीट विद्यार्थियों तक सीमित है।

उद्देश्य:

1. एथलिटों के अंतर्मुखी व्यक्तिव गुण विशेष तथा खेल प्रदर्शन स्तर का सहसंबंधनात्मक अध्ययन करना।
2. एथलिटों के बहिर्मुखी व्यक्तिव गुण विशेष तथा खेल प्रदर्शन स्तर का सहसंबंधनात्मक अध्ययन करना।
3. विभिन्न विश्वविद्यालयों के एथलिटों के अंतर्मुखी - बहिर्मुखी व्यक्तिव गुण विशेष स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना:

1. एथलिटों के अंतर्मुखी व्यक्तिव गुण विशेष तथा खेल प्रदर्शन में नकारात्मक सहसंबंध है।
2. एथलिटों के बहिर्मुखी व्यक्तिव गुण विशेष तथा खेल प्रदर्शन में सकारात्मक सहसंबंध है।
3. विभिन्न विश्वविद्यालयों के एथलिटों के अंतर्मुखी - बहिर्मुखी व्यक्तिव गुण विशेष वाले खिलाड़ियों में सार्थक अंतर है।

शोध पद्धति

उपकरण - प्रस्तुत शोध में आंकड़ों के एकत्रीकरण करने हेतु निमलिखित उपकरणों का प्रयोग किया गया था।

1. श्री यज्ञ सिंह तथा एच. सी. चिमा द्वारा निर्मित स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पर्सनल्टी टेस्ट।
2. अजीज एवं रेखा गुप्ता द्वारा निर्मित इंट्रोवर्जन एवं एक्सट्रोवर्जन इन्वेंटरी प्रश्नावलियों का प्रयोग किया गया था।

परिणाम

1. अथलेटिक्स में सहभाग लेने वाले खिलाड़ियों कि व्यक्तिव गुण विशेष को दर्शाया गया है। प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि मैदानी खेलों में हिस्सा लेने वाले 56 प्रतिशत धावक तथा 22 प्रतिशत जंपर्स खिलाड़ियों में अंतर्मुखता यह व्यक्तिव गुण विशेष पाया गया तथा मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले 12.7 प्रतिशत धावक तथा 56.7 प्रतिशत जंपर्स खिलाड़ियों में उभयमुखी / उभयवर्ती यह व्यक्तिव गुण विशेष पाया गया। इसी तरह 31.3 प्रतिशत धावक तथा 21.3 प्रतिशत जंपर्स खिलाड़ियों में बहिर्मुखता यह व्यक्तिव गुण विशेष पाया गया।
2. अथलेटिक्स में सहभाग लेने वाले खिलाड़ियों कि क्रीडा प्रदर्शन को दर्शाया गया है। प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि मैदानी खेलों में हिस्सा लेने वाले 62 प्रतिशत धावक तथा 18 प्रतिशत जंपर्स खिलाड़ियों में संतोषजनक क्रीडा प्रदर्शन पाया गया तथा मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले 23.3 प्रतिशत धावक तथा 58 प्रतिशत जंपर्स खिलाड़ियों में साधारण क्रीडा प्रदर्शन पाया गया। इसी तरह 14.7 प्रतिशत धावक तथा 24.0 प्रतिशत जंपर्स खिलाड़ियों में असंतोषक क्रीडा प्रदर्शन पाया गया।
3. प्रस्तुत शोधकार्य में प्राप्त तथ्यों के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष के रूप में मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि अंतर्मुखता व्यक्तिव गुण विशेष तथा क्रीडा प्रदर्शन में सार्थक सहसंबंधनात्मक है।
4. प्रस्तुत शोध कार्य में संकलित आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों

एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि बहिर्मुखता व्यक्तिव गुण विशेष तथा क्रीडा प्रदर्शन में सार्थक सहसंबंधनात्मक है।

5. प्रस्तुत शोध कार्य में संकलित आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्न जिलों के मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले खिलाड़ियों कि अंतर्मुखता व्यक्तिव गुण विशेष स्तर सार्थक रूप से भिन्न है।

निष्कर्ष - तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रतीत होता है की मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले अधिकांश धावकों में अंतर्मुखता तथा जंपर्स खिलाड़ियों में व्यक्तिव गुण उभयमुखी/उभयवर्ती व्यक्तिव गुण विशेष पाया गया।

प्रस्तुत शोध कार्य के अध्ययन से यह प्रतीत होता है की मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों में जंपर्स खिलाड़ियों से अधिक संतोषजनक है।

प्रस्तुत शोधकार्य में प्राप्त तथ्यों के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष के रूप में मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि अंतर्मुखता व्यक्तिव गुण विशेष तथा क्रीडा प्रदर्शन में सार्थक सहसंबंधनात्मक है।

प्रस्तुत शोध कार्य में संकलित आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि बहिर्मुखता व्यक्तिव गुण विशेष तथा क्रीडा प्रदर्शन में सार्थक सहसंबंधनात्मक है।

प्रस्तुत शोध कार्य में संकलित आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्न जिलों के मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले खिलाड़ियों कि अंतर्मुखता - बहिर्मुखता व्यक्तिव गुण विशेष स्तर सार्थक रूप से भिन्न है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. हेरोल्ड के. जैक, 'मिनेसोटा उच्च शिक्षा कार्यक्रम के शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का विश्लेषण,' रिसर्च ट्रामासिक 17 (मार्च 1946):24
2. गार्डनर एल. और हेनरी डब्ल्यू. रीकेन एडल्ट सबजेक्ट्स के जर्नल ऑफ कंसल्टिंग साइकोलॉजी में मंदी का जन्म हो रहा है।, 15(1), 1951, पीपीपी 18-21
3. केमिसन जे., 'वर्ष 1958-59 वाशिंगटन के साम्राज्य क्षेत्र के द्वीप में ग्रामीण सार्वजनिक प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का एक सर्वेक्षण,' स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन 2 (1960), पृष्ठ 72 में पूरा शोध।
4. मिजुगुची, एन.के., 'जूनियर एंड सीनियर हाई स्कूल होनोलूलू, हवली में फिजियोलॉजी के शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम कासर्वो,' निबंध सार इंटरनेशनल, 32, 1972, 3379ए-4166ए।
5. लोकेन्द्र शरण, 'लघु प्रबंध हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा शारीरिक शिक्षक तैयार करके खेलों का विकास में योगदान,' नागपुर विद्यापीठ में प्रस्तुत 1980
6. ए.के. उप्पल, ए.सिंधु, एण्ड एस.आर.गंगोपाध्याय, 'अ स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स मोटिवेशन ऑफ इंडियन एंड झिम्बोम्बिय वुमेन हॉकी टीम' एन.आय.इस.साइंटिफिक जनरल 11.2. (1988), 17.20

अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र के विद्यार्थियों की शारीरिक योग्यता, चरों का एक तुलनात्मक अध्ययन

महेश कुमार शर्मा *

* शोधार्थी (शारीरिक शिक्षा) भूपाल नोबलस विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश - सामान्य गत्यात्मक क्षमता जो अपने कौशल्य के विकास के लिए विशेष रूप से मदद करता है। जो मुख्य रूप से शरीर की मोटी मांसपेशियों की क्रियाओं में मदद करती है। इसलिए खेल कूद की गतिविधियों तथा प्रतियोगिता में सामान्य गत्यात्मक क्षमता आवश्यक होती है। सामान्य गत्यात्मक क्षमता शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक हल-चल की क्रियण में मदद करता है तथा अधिक समय तक शारीरिक क्रियाओं को करने में सहायता करता है।

प्रस्तावना - इस संशोधन में राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र तथा समतल क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र वर्ग कि शारीरिक योग्यता के चरों के हाथ ओर कंधों के स्नायुओं का स्नायु बल तथा सहन शक्ति, तेज गति तथा गति सुमेल, पैर का विस्फोटक बल, तथा रुधिराभिसरण श्वसन सहन शक्ति का ध्यान रखने में मदद मिलेगी। राजस्थान राज्य के पहाड़ी क्षेत्र तथा समतल क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र पुरुषों कि बी. एम. आई., वजन तथा ऊंचाई का पता चलेगा जिससे खेल जगत में इसका लाभ होगा। राजस्थान राज्य के पहाड़ी क्षेत्र तथा समतल क्षेत्र के इस अभ्यास से शारीरिक शिक्षकों को खेल के अनुसार चयन करने में मदद होगी। इस अभ्यास से अच्छे खिलाड़ियों को पसंद करने में मदद मिलेगी। इस अभ्यास से शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षण के कार्यक्रम तैयार करने में सहायता मिलेगी। इस अभ्यास से मेडिकल के क्षेत्र में भी मदद मिलेगी।

उद्देश्य - अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के विद्यार्थियों कि शारीरिक योग्यता, चरों का एक तुलनात्मक अध्ययन राजस्थान राज्य के पहाड़ी क्षेत्र तथा समतल क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र पुरुषों कि शारीरिक योग्यता के चरों का मापन करना।

1. राजस्थान राज्य के पहाड़ी क्षेत्र तथा समतल क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र पुरुषों कि शारीरिक योग्यता के चरों की आपस में तुलना करना।

परिकल्पना

1. राजस्थान राज्य के पहाड़ी क्षेत्र तथा समतल क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र पुरुषों कि शारीरिक योग्यता के चरों का में सार्थक अंतर देखने को मिलेगा।

क्र.	चर	परीक्षण	मापन विधि
1.	हाथ एवं खंभे के स्नायु का स्नायुबल तथा सहन शक्ति का मापन	पुलप्स	संख्या
2.	पेट के स्नायु का बल तथा सहन शक्ति का मापन	शयनोत्तथान	60 सेकंड
3.	तेज गति तथा गति सुमेल का मापन	शटल रन	सेकंड
4.	पैर कि विस्फोटक शक्ति का मापन	खड़ी लंबी कूद	से. मी.
5.	तेजगति तथा विस्फोटक शक्ति	50 यार्ड दौड़	सेकंड

	का मापन		
6.	रुधिराभिसरण श्वसन सहन शक्ति मापन	1.5 माइल दौड़/चाल	सेकंड

परिसीमाएं:

- यह शोध कार्य राजस्थान तक के विद्यार्थियों तक सीमित था।
- यह शोध कार्य राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों तक सीमित था।
- आयु सीमा अधिकतम 14 से 18 वर्ष तक विद्यार्थियों तक सीमित था।

आंकड़ों का विश्लेषण - अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के विद्यार्थियों कि शारीरिक योग्यता, शरीर रचना चरों कि तुलना करने के लिए विचरण प्रथक्करण (ANOVA) टेस्ट का प्रयोग किया गया था। मध्यमान के बीच पता करना के लिए LSD (Least Significant Difference) परीक्षण द्वारा 0.05 स्तर से सार्थकता मापी गई थी।

अध्ययन के परिणाम - अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में विद्यार्थियों की पुल-अप्स परीक्षण का समतल क्षेत्र के 6.54 देखने को मिला था, तथा पहाड़ी क्षेत्र में 6.46 मध्यमान देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों मध्यमान विचरण 44.46 देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों के प्राप्तांक का मध्यमान विचरण 7.19 देखने को मिला था। जबकि 't' रेशीयों 6.18 देखने को मिला था। जिसे टेबल की वेल्यू के साथ देखने पर सार्थकता का स्तर 0.05 स्तर 't' = 0.05 (3, 196) कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। पुल-अप्स (हाथ तथा कंधे की स्नायुओ का बल तथा सहन शक्ति) परीक्षण में दोनों समूहों में कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला।

अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में विद्यार्थियों की सीट-अप्स परीक्षण का समतल क्षेत्र के 28.94 देखने को मिला था, तथा पहाड़ी क्षेत्र में 23.68 मध्यमान देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों मध्यमान विचरण 370.62 देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों के प्राप्तांक का मध्यमान विचरण 47.51 देखने को मिला था। जबकि त रेशीयों 7.80 देखने को मिला था। जिसे टेबल की वेल्यू के साथ देखने पर सार्थकता का स्तर 0.05 स्तर 't' = 0.05(3, 196) कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। पुल-अप्स (

हाथ तथा कंधे की स्नायुओ का बल तथा सहन शक्ति) परीक्षण में दोनों समूहों में कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला।

सीट-अप्स (पेट के स्नायुओ का बल तथा सहन शक्ति) परीक्षण में समतल तथा पहाड़ी क्षेत्र के विद्यार्थियों में अंतर देखने को मिला था।

अलग अलग भूगोलिक क्षेत्र में विद्यार्थियों की शटल रन परीक्षण का समतल क्षेत्र के 11.56 देखने को मिला था, तथा पहाड़ी क्षेत्र में 10.94 मध्यमान देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों मध्यमान विचरण 4.87 देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों के प्राप्तांक का मध्यमान विचरण 0.86 देखने को मिला था। जबकि 't' रेशीयों 5.69 देखने को मिला था।

जिसे टेबल की वेल्यू के साथ देखने पर सार्थकता का स्तर 0.05 स्तर 't' = 0.05 (3, 196) कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। शटल रन (तेज दौड़ तथा गति सुमेल) परीक्षण में दोनों समूहों में कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला।

अलग अलग भूगोलिक क्षेत्र में विद्यार्थियों की खड़ी लंबी कूद परीक्षण का समतल क्षेत्र के 1.81 देखने को मिला था, तथा पहाड़ी क्षेत्र में 1.65 मध्यमान देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों मध्यमान विचरण 4.67 देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों के प्राप्तांक का मध्यमान विचरण 0.07 देखने को मिला था। जबकि 't' रेशीयों 9.90 देखने को मिला था।

जिसे टेबल की वेल्यू के साथ देखने पर सार्थकता का स्तर 0.05 स्तर 't' = 0.05 (3, 196) कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। खड़ी लंबी कूद (पैरों के विस्फोटक बल) परीक्षण में दोनों समूहों में कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला।

अलग अलग भूगोलिक क्षेत्र में विद्यार्थियों की 50 यार्ड दौड़ परीक्षण का समतल क्षेत्र के 7.42 देखने को मिला था, तथा पहाड़ी क्षेत्र में 7.23 मध्यमान देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों मध्यमान विचरण 0.38 देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों के प्राप्तांक का मध्यमान विचरण 0.52 देखने को मिला था। जबकि 't' रेशीयों 0.73 देखने को मिला था।

जिसे टेबल की वेल्यू के साथ देखने पर सार्थकता का स्तर 0.05 स्तर 't' = 0.05 (3, 196) कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। 50 यार्ड दौड़ (तेजगति तथा विस्फोटक शक्ति का मापन) परीक्षण में दोनों समूहों में कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। समानता पाई गई थी।

अलग अलग भूगोलिक क्षेत्र में विद्यार्थियों की 1.5 माइल दौड़ परीक्षण का समतल क्षेत्र के 12.71 देखने को मिला था, तथा पहाड़ी क्षेत्र में 13.06 मध्यमान देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों मध्यमान विचरण 5.16 देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों के प्राप्तांक का मध्यमान विचरण 1.45 देखने को मिला था। जबकि 't' रेशीयों 3.55 देखने को मिला था।

जिसे टेबल की वेल्यू के साथ देखने पर सार्थकता का स्तर 0.05 स्तर 't' = 0.05 (3, 196) कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। 1.5 माइल दौड़ (रुधिराभिसरण श्वसन सहन शक्ति मापन) परीक्षण में दोनों समूहों में कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। समानता पाई गई थी।

निष्कर्ष :

1. पुलअप्स समूह में परीक्षण में दोनों सहन शक्ति हाथ तथा कंधे की स्नायुओं का बल में कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला।

2. सीटअप्स समूह में परीक्षण में समतल तथा पहाड़ी क्षेत्र के विद्यार्थियों सहन शक्ति तथा पेट की स्नायुओं का बल में कोई सार्थक अंतर देखने को मिला।

3. शटल रन परीक्षण में दोनों समूहों में (तेज दौड़ तथा गति सुमेल) कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला।

4. खड़ी लंबी कूद परीक्षण में दोनों समूहों में (पैरों के विस्फोटक बल) कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला।

5. 50 यार्ड दौड़ तेजगति तथा विस्फोटक शक्ति का मापन परीक्षण में दोनों समूहों में कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। समानता पाई गई।

6. 1.5 माइल दौड़ में दोनों समूहों में (रुधिराभिसरण श्वसन सहन शक्ति) मापन परीक्षण में कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संतोषी 'आदिवासी महिला बास्केट बॉल, निजी स्कूल राज्य स्तरीय खिलाड़ियों और सरकारी स्कूल राज्य आदिवासी महिला खिलाड़ी के बीच चयनित मोटर फिटनेस चर की तुलना' गोल्डन रिसर्च थॉट्स: दिसंबर 2011, वॉल्यूम 1 अंक 6, विशेष Vol. 1 अकादमिक जर्नल।
2. हामिद अराजी 'एंथ्रोपोमेट्रिक एंड फिजियोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ एलीट जूनियर पुरुष और महिला ईरानी रोवर्स मिडिल' - इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी, मारिवन ब्रांच, मारिवन ईरान। ईस्ट जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च 9 (2): 162, 2011 आईएसएसएन 1990-9233।
3. एम जे डंकन 'जूनियर एलीट प्राइवेट स्कूल स्टेट प्लेयर्स के एंथ्रोपोमेट्रिक और फिजियोलॉजिकल लक्षण' ब्र जे स्पोर्ट्स मेडा 2006 जुलाई 649-651। DOI: 10.1136/बीजेएसएम. 2005. 021998.
4. गैबेट टी 'ऑस्ट्रेलियाई जूनियर नेशनल, राज्य और नौसिखिए निजी स्कूल राज्य के खिलाड़ियों की शारीरिक और मानवशास्त्रीय विशेषताएं' एथलीट और कोच सपोर्ट सर्विसेज, क्वींसलैंड एकेडमी ऑफ स्पोर्ट, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। टिमगबेट जे स्ट्रेंथ कॉन्ड रेसा 2007 अगस्त 21(3): 902-8.
5. Marques MC, प्रोफेशनल प्राइवेट स्कूल स्टेट प्लेयर्स की फिजिकल फिटनेस क्वालिटीज: पोजिशनल डिफरेंसेस का निर्धारण वैन डेन टिलर आर, टीजे, रीस वीएम, गॉजालेज-बैडिलो जेजे स्ट्रेंथ कॉन्ड रेसा 2009 जुलाई 23 (4): 1106-111 DOI: 10.1519/JSC0 b013e31819b78c4
6. श्यामल कोले, एंथ्रोपोमेट्रिक एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑन इंडियन इंटर यूनिवर्सिटी प्राइवेट स्कूल स्टेट प्लेयर्स प्जर्नल ऑफ ह्यूमन स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज Vol. 2 अंक: 7 पहला पेज 599 वर्ष 2012.
7. पावले मिकुलिक 'अलग-अलग उम्र और रैंकों के रोवर्स के एंथ्रोपोमेट्रिक और फिजियोलॉजिकल प्रोफाइल' फैकल्टी ऑफ किनेसियोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ जाग्रेब, क्रोएशिया प्रारंभिक संचार किनेसियोलॉजी 1(2008) 40;80-88 80

भामह और उनका काव्यालंकार

डॉ. पी.एस. बघेल*

* एसोसिएट प्रोफेसर, पीएम एक्सीलेंस शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आद्याचार्य भामह ने अपने विषय में केवल इतना कहा है कि –
सुजनावगमाय भामहेन ग्रथितं 'रक्रिलगोमीसूनुदेन्'

अर्थात् सुजनों के ज्ञान के लिए, रक्रिलगोस्वामी के पुत्र भामह ने यह ग्रंथ काव्यालंकार की रचना की है। उक्त पंक्तियों के रूप में दो बातें स्पष्ट होती हैं कि रक्रिलगोस्वामी के पुत्र भामह ने 'काव्यालंकार' ग्रंथ की रचना की है। इससे भामह के संबंध में केवल इतना ज्ञात होता है कि भामह एक कश्मीरी पंडित थे।

इसी प्रकार भामह ने रचनाकाल के संबंध में परवर्ती विद्वानों ने इतना कहा है कि भामह कृत काव्यालंकार पर उद्भट ने भामह विवरण' नामक टीका भी लिखी है। उद्भट कश्मीर नरेश जयापीड की सभा में सभापति थे। और दैनिक वेतन के रूप में एक लाख दीनार प्राप्त करते थे।

'काव्यालंकारसार संग्रह' पर टीकाकार के रूप में 'प्रतीहारेन्दुराज' इस का तथ्य व्यक्त किया है।

'राजतरंगिणी' से ज्ञात होता है कि –

विद्वान् दीनारलक्षेण प्रत्यहं कृतवेतनः

भट्टोऽभूतुद्भटस्यतस्य भूमिभर्तुः सभापतिः

जयापीड का शासनकाल सन् 779-813 ई. तक माना जाता है। अतएव उद्भट का समय भी ही मानना चाहिए। जिन्होंने प्रमाणित किया कि 'काव्यालंकार' इस काल तक काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। अतएव यह निर्वावाद है कि भामह सन् 779 ई. से काफी पहले हो चुके हैं।

शान्तरक्षित के व्याख्याकार कमलशील ने इन्हें भामह की रचना बताया है किन्तु उनका शान्तरक्षित के टीकाकार ने उनका पर्याप्त खण्डन किया है।

ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने रस की महत्ता के सन्दर्भ में एक कारिका दी है: –

दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्थाः काव्ये रसपरिग्रहात्।

सर्वे नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्रुमाः॥

अर्थात्, वसन्त ऋतु में वृक्षों के समान, काव्य में रस को पाकर, पूर्वदृष्ट समस्त पदार्थ भभी नवीन प्रतीत होने लगते हैं। इस से स्पष्ट है कि आनन्दवर्धन भामह को बाणभट्ट से भी पूर्ववर्ती मानते हैं।

बाणभट्ट महाराज हर्ष के आश्रित कवि थे जिनका शासनकाल सन् 606-647 ई. है। एक कश्मीरी लेखक से उत्तर भारत के एक कवि ने प्रभाव ग्रहण में कुछ समय तो अवश्य लगेगा ही। अत एक भामह सन् 606 ई. से भी पूर्ववर्ती है।

(2) 'काव्यालंकार' के पंचम अध्याय में प्राणनिरूपण के सन्दर्भ में भामह

ने बौद्ध नैयायिक दिङ्नाग का अनुसरण किया है। दिङ्नाग की प्रत्यक्ष परिभाषा इस प्रकार है –

प्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्याद्यसंयुक्तम्।

अर्थात् नाम, जाति आदि से असंयुक्त, कल्पनाविहीन ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। भामह ने भी इसी का अनुसरण किया है –

प्रत्यक्षं कल्पनापोढं ततोऽर्थादिति केचन।

कल्पनां नाम जात्यादियोजनां प्रतिजानते॥

अर्थात् किसी वस्तु का कल्पनारहित ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है – ऐसा कुछ विद्वान् मानते हैं। नाम, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य – इन उपाधियों का व्यक्ति में आरोप ही कल्पना कहलाता है। वाचस्पति मिश्र का मत है कि भामह ने दिङ्नाग का अनुसरण किया है। दिङ्नाग का समय 400 ई. के लगभग माना जाता है अतः भामह का समय भी इनके पश्चात् ही होना चाहिए।

भामह का बौद्धत्व – कुछ विद्वानों की मान्यता है कि भामह बौद्ध थे। इसकी पुष्टि में नरसिंहयंगर कहते हैं कि – भामह ने 'काव्यालंकार' के मंगलाचरण में भगवान् बुद्ध को नमन किया है –

प्रणम्य सार्वं सर्वज्ञं मनोवाक्कायकर्मभिः।

काव्यालंकार इत्येष यथाबुद्धि वाधास्ते।

नरसिंह अयंगर का कहना है कि 'सर्वज्ञ नाम बुद्ध का है। प्रमाण स्वरूप अमरकोष में कहा गया है कि सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्थितागतः' (काव्यालंकार 1/13) अर्थात् सर्वज्ञ बुद्ध का पर्याय है ऐसा नरसिंह अयंगर कहते हैं कि उनका बुद्ध होना प्रमाण माना जा सकता है।

अमरकोष ने भामह के बुद्ध होने के प्रमाण का खण्डन करते हुए कहा है कि – 'सर्वज्ञ' शब्द सामान्यतः ईश्वर का वाचक है। एक मात्र बुद्ध का नहीं। अमरकोष में उसे भगवान् शंकर का भी पर्याय माना है। यथा –

कृषानुरेताः सर्वज्ञो धूर्जटिनीललोहितः

समान्तः सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान शब्द ईश्वर के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, मात्र बुद्ध के लिए नहीं।

इसी प्रकार रक्रिल नामकरण में भी यह विवाद है कि 'रक्रिल' गोमिन शब्द गौतम बुद्ध के एक शिष्य 'गोमिन्' नाम था इससे उनका बुद्ध होना प्रमाण मानने के समान प्रतीत होता है।

आश्चर्य की बात तो यह है कि बौद्ध परम्परा में किसी का भी नाम ब्राह्मण द्वारा अपनाया जाता रहा है।

भामह की एक मात्र रचना है 'काव्यालंकार'। वररुचि ने भी इसकी

पुष्टि की है। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश में कहा है कि-

वररुचिरचित प्राकृत लक्षण सूत्राणि लक्ष्यमार्गेण।

बुद्ध्वा चकार वृत्ति संक्षिप्तां भामहः स्पष्टाम्॥

आज भामह की एकमात्र उपलब्ध पुस्तक 'काव्यालंकार' ही है। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में भामह की रचना 'काव्यालंकार' पुस्तक सन् 1880 ई. में काव्यालंकार की पाण्डुलिपि उपलब्ध हुई।

डॉ. पी.वी. काणे ने भामह के बौद्ध होने का खंडन किया है।

सन् 1909 ई. में बाम्बे संस्कृत सीरीज से प्रकाशित विद्यानाथ कृत 'प्रतापरुद्रयशोभूषण' में काव्यालंकार को प्रकाशित कराया।

'काव्यालंकार' 6 परिच्छेदों में विभक्त है। प्रथम परिच्छेद में काव्य शरीर, द्विती व तृतीये में अलंकार निरूपण, चतुर्थ में दोषनिरूपण पंचम में न्यायनिरूपण और षष्ठ में शब्द शुद्धि रखा गया है।

प्रथम परिच्छेद काव्य शरीर निर्णय में भामह ने काव्यप्रयोजन पर प्रकाश डाला है-

धर्मार्थकामोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च।

प्रीतिं करोति कीर्तिं साधुकाव्ये निबन्धम्॥

अर्थात् सत्काव्य का निर्माण पुरुषार्थचर्तुचतुष्टय एवं कलाओं में निपुणता, आनंद और कीर्ति प्रदान करता है।

भामह सूत्र रूप में कहते हैं कि-

काव्यदृष्टार्थां प्रीतिकीर्तिं हेतु त्वात्॥

काव्य रचना हेतु भामह ने जो दृष्टिकोण रखा है, परवर्ती आचार्यों ने उसका अनुकरण ही किया है। काव्य प्रयोजन हेतु कुन्तक ने कहा है कि-

धर्मादिसाधनोपायः सुकुमार क्रमोदितः।

काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदयाह्लादकारकः

अर्थ- काव्यबन्ध कुलीन व्यक्तियों के हृदय को आह्लादित करने वाला और सुकुमार पद्धति से कहा गया धर्मादि की सिद्धि का उपाय है।

काव्यामत का आनन्द तद्विदों के अन्तकरण में चतुर्थवर्ग के फल के आस्वाद से भी बढ़कर चमत्कार उत्पन्न करता है। इसे आगे बढ़ाते हुए कुन्तक ने काव्य प्रयोजन के रूप में कहा कि-

धर्मादिसाधनोपायः सुकुमार क्रमोदितः।

काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदाह्लाद कारकः॥

अर्थात् काव्यबंध कुलीन, व्यक्तियों के हृदय को आह्लादित करने वाला

और सुकुमार पद्धति कहा गया धर्मादि की सिद्धि का उपाय है।

समन्ववादी आचार्यों में मम्मट ने 6 प्रयोजन माने हैं- यश प्राप्ति, अर्थार्जन, व्यवहार ज्ञान, उनिष्ट-निवारण, अलौकिक आनंदानुभूति और कान्ता समान उपदेश। इस संदर्भ में काव्यालंकार में यश की प्राप्ति धर्मादि की सिद्धि का उपाय बताया है।

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।

सद्यः परनिवृत्तये कान्ता सप्ति'मततयोपदेशयुजे॥

काव्य प्रोजन में यश की प्राप्ति के साथ कवित्व को पूर्व पुण्यों का प्रसाद भी मानते हैं।

भर्तृहरि भी कहते हैं कि- नास्ति येषां यशः। काये जरामरणजं भयम्। अर्थात् काव्य रूपी शरीर को बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं रहता। 'शब्दार्थो सहितौ काव्यम् अर्थात् शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य कहलाते हैं।

भामह ने दो पुरातन धारणाओं का समन्व करते हुए कहा है कि-

रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य कहलाता है।

कुन्तक ने 'वक्रोक्तिजीवित्' में कहा है कि-

शब्दार्थो सहितौ वक्र कविव्यापारशालिनि।

बन्धे व्वस्थितौ काव्यं तद्विदाह्लाद कारिणि।

अर्थात् काव्यमर्मज्ञों को आह्लादकारक, वक्र कविव्यापार से युक्त, रचना में व्यवस्थित शब्द और अर्थ दोनों को मिलकर ही काव्य कहलाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. काव्यालंकार 6/64
2. ध्वन्यालोक 4/4
3. काव्यालंकार 5/6
4. काव्यालंकार 2/2
5. अक्षरकोष 1/35
6. काव्यालंकार 1/2
7. काव्यालंकार 1/1/5
8. वक्रोक्ति जीवितम् 1/3-5
9. वक्रोक्ति जीवितम् 1/3
10. काव्यालंकार 1/2
11. वक्रोक्तिजीवितम् 1/7

मनरेगा का महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव : कोटा जिले का अनुभवमूलक अध्ययन

डॉ. अंजना जाटव*

* अतिथि संकाय (भूगोल) (वि.स.यो) राजकीय महाविद्यालय, तालेड़ा (बूंदी) (राज.) भारत

शोध सारांश - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) भारत की एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक योजना है, जो ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। इस शोध पत्र में अध्ययन क्षेत्र कोटा जिले से चयनित उत्तरदाताओं के व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण किया गया है जिसमें मनरेगा से प्राप्त आय का उपयोग के प्रकार एवं मनरेगा के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और निर्णय लेने की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। शोध के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार यह योजना महिला सशक्तिकरण में मददगार सिद्ध हो रही है।

शब्द कुंजी - मनरेगा, ग्रामीण, सशक्तिकरण, आर्थिक, स्वावलम्बन।

प्रस्तावना - भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव अंबेडकर का मत था कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति का आकलन वहां की महिलाओं द्वारा हासिल की गई उन्नति के आधार पर किया जाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और प्रगति इस विचार को और अधिक प्रासंगिक बनाती है। किसी व्यक्ति या समुदाय का अपने परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित करना अपने अधिकारों की समझ विकसित करना लक्ष्यों को प्राप्त करना और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने की क्षमता ही सशक्तिकरण का मूल तत्व है।

महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकें। भारत अपनी समृद्ध संस्कृति परंपराओं, धर्म और सभ्यता के लिए प्राचीन समय से प्रसिद्ध रहा है, लेकिन साथ ही यह लंबे समय तक एक पुरुष प्रधान समाज के रूप में भी पहचाना जाता रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 68.84 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में है जिसमें पूरी जनसंख्या का आधा भाग (48 प्रतिशत) महिलाओं का है और अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं जिनका प्रमुख व्यवसाय खेतीबाड़ी/कृषि है।

महिला सशक्तिकरण, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए स्वतंत्रता के बाद से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुधार और रोजगार उपलब्ध कराने जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया। इन प्रयासों में प्रमुख योजनाएँ शामिल हैं जैसे, स्त्री शक्ति राष्ट्रीय महिला कोश, प्रियदर्शिनी, स्वधार, स्वयंसिद्ध, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के विकास हेतु DWACRA और STEP महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति, पंचायती राज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, जननी सुरक्षा योजना, स्वर्ण

जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) इन सभी योजनाओं के बावजूद महिला सशक्तिकरण की प्रगति को लेकर ठोस प्रमाण सीमित हैं। हालांकि पिछले एक दशक में मनरेगा ने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे विभिन्न शोधों और साहित्यिक प्रमाणों से पुष्टि मिलती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) को 23 अगस्त 2005 को कानून के रूप में पारित किया गया और 7 सितंबर 2005 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इस योजना को पहली बार 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लागू किया गया था। इस परियोजना के प्रमुख संरचनात्मक योजनाकार बेल्लिजयम के अर्थशास्त्री श्रीमान जोन ड्रेज थे, जिन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस परियोजना को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है और इसे देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना माना जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करना है, जिसके तहत मांग के अनुसार न्यूनतम 100 दिनों का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। यह योजना न केवल रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक है बल्कि उत्पादक परिस्थितियों के सृजन, पर्यावरण संरक्षण, विकास कार्यों को बढ़ावा देने, स्थायी परिस्थितियों के निर्माण के लिए सार्वजनिक निवेश और विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन जैसे उद्देश्यों की पूर्ति में भी योगदान देती है।

इसके अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण रोजगार और कार्य संबंधित राष्ट्रीय योजनाओं को भी एकीकृत किया गया है। इस अधिनियम को पहले चरण में 200 जिलों में लागू किया गया, जिसके बाद 2007.08 में इसे 130 अतिरिक्त जिलों तक विस्तारित किया गया। अंततः 1 अप्रैल 2008 से इसे शेष सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। बाद में, 2 अक्टूबर 2009

को इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) कर दिया गया।

इस अधिनियम में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत एक तिहाई लाभार्थियों में महिलाएं होनी चाहिए साथ ही जिन महिलाओं के छोटे बच्चे हैं उनके लिए कार्यस्थल के पास बच्चे की देखभाल की सुविधा उपलब्ध करवाना भी अनिवार्य किया गया है। महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन का अधिकार दिया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर मनरेगाके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

शोध उद्देश्य एवं विधितन्त्र - प्रस्तुत शोध पत्र मनरेगा का महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव का विश्लेषण करता है। अध्ययन क्षेत्र में इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र में मनरेगा के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण का अध्ययन करना है। यह शोधपत्र अनुभवमूलक शोध कार्य है शोध के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक शोध स्रोतों का प्रयोग किया गया है। शोध कार्य हेतु आवश्यक द्वितीयक आंकड़ों का संकलन विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनों, आलेखों एवं राजकीय विभागों की आधिकारिक वेबसाइट्स से किया गया है वहीं प्राथमिक आंकड़ों का संकलन कोटा जिले की लाडपुराब्लॉक की तीन ग्राम पंचायतों से 15.15 मनरेगा महिला श्रमिकों का उत्तरदाताओं के रूप में चयन किया गया। चयनित महिला उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से मनरेगा से प्राप्त आय का उपभोग एवं उसके प्रभाव सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की गयी। संकलित सूचनाओं को विश्लेषण उपरांत आंकड़ों को तालिका एवं आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है।

विश्लेषण - उत्तरदाताओं से मनरेगा से प्राप्त होने वाली आय के उपयोग के विषय में सूचनाओं का संकलन किया गया संकलित सूचनाओं को विश्लेषण उपरांत तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 1 : मनरेगा से प्राप्त आय का उपयोग


क्र.	खर्च का मद	संख्या	प्रतिशत
1	भोजन सम्बन्धी आवश्यकता पूर्ति में सहायक	17	37.78
2	घरेलू संसाधनों/परिसम्पतियों का निर्माण में	18	40.00
3	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च	20	44.44
4	बच्चों की शिक्षा पर खर्च	28	62.22
5	विशेष अवसरों पर खर्च	10	22.22
6	दैनिक खर्च में	15	33.33
7	बचत	9	20.00

स्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण

तालिका में दर्शाए गये आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मनरेगा में कार्य करने वाली महिलाओं को मनरेगा से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति में करती है। कुल महिला उत्तरदाताओं में से 17 (37.78 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि वे मनरेगा से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग घर में भोजन सम्बन्धी आवश्यकता पूर्ति में करती है। इसके अंतर्गत घर में खाने पीने के सामान के साथ सब्जी दूध को खरीदने में भी उनकी यह आय काम आती है जिससे उनकी भोजन सम्बन्धी आवश्यकता पूर्ति होती है। इसी प्रकार 18 (40.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि वे मनरेगा से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग घरेलू काम आने वाली वस्तुओं को क्रय करने में करते हैं। जिनमें

रसोई में काम आने वाले बर्तनए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य सामान शामिल रहते हैं।

आरेख : 1



मनरेगा से प्राप्त होने वाली मजदूरी का 20 (44.44 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जाता है जिसमें वे स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए दवाई आदि के खर्च पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार 28 (62.22 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि वे मनरेगा मजदूरी से प्राप्त आय का उपयोग बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी कार्यों पर करते हैं जिनमें उनकी विद्यालय फीस, कोचिंग फीसए स्टेशनरी एवं आवागमन आदि के खर्च पूर्ति करते हैं। कुल सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में से 10 (22.22 प्रतिशत) मनरेगा से प्राप्त मजदूरी के पैसों का उपयोग विशेष अवसरों जैसे शादी विवाह की खरीददारी एवं त्यौहार आदि के अवसरों पर खर्च करते हैं जबकि 15 (33.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा मनरेगा से प्राप्त होने वाली मजदूरी का उपयोग दैनिक खर्च में करते हैं। कुल सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में से मात्र 9 (20 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा ही मनरेगा मजदूरी को बचत के रूप में जमा रखा जाता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मनरेगा में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों को प्राप्त होने वाली आय का उपयोग विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति में किया जाता है जिनमें सर्वाधिक उत्तरदाता अपने बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी खर्चों की पूर्ति के लिए करते हैं कुछ उत्तरदाताओं द्वारा अपने भविष्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के बचत के रूप में जमा भी किया जाता है। मनरेगा से महिला श्रमिकों को केवल आर्थिक सम्बल मिला है बल्कि इसके कई अन्य प्रभाव भी देखे गये। मनरेगा ने महिला श्रमिकों को न केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक लाभ मिला है बल्कि इसके कई दूरगामी परिणाम भी देखने को मिले हैं। अध्ययन क्षेत्र में मनरेगा के माध्यम से महिला श्रमिकों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं से इस विषय पर सूचनाओं का संकलन किया गया। संकलित सूचनाओं को विश्लेषण उपरांत तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2 : मनरेगा की आय के प्रभाव

क्र.	उपयोग का प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	पति या परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भरता में कमी	32	71.11
2	श्रम सम्बन्धी शोषण में कमी	25	55.56
3	पारिवारिक आय में वृद्धि	40	88.89
4	कर्ज पर निर्भरता में कमी	29	64.44


5	पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी में वृद्धि	41	91.11
6	सामाजिक भागीदारी में वृद्धि	35	77.78
7	आत्म सम्मान में वृद्धि	29	64.44
8	आर्थिक सक्षमता	12	26.67

स्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण

अध्ययन क्षेत्र में महिला श्रमिकों पर मनरेगा के कई प्रकार के प्रभाव देखने को मिले हैं। तालिका में दर्शाए गये आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है अध्ययन क्षेत्र में मनरेगा के कारण महिला श्रमिकों की अपने पति या परिवार के सदस्यों पर निर्भरता में कमी आयी है क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान 32 (71.11 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के बताया कि मनरेगा में कार्य करने से वे आर्थिक रूप से सक्षम और स्वावलम्बन मिला है जिसका परिणाम ये हुआ है कि वे आर्थिक रूप से अपने पति या परिवार के सदस्यों पर निर्भरता कम हुई है। इसी प्रकार क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान 25 (55.56 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के बताया कि मनरेगा में कार्य से उनका श्रम सम्बन्धी शोषण कम हुआ है आज वे स्वतंत्र रूप से अपने द्वारा किये गये कार्य का भुगतान प्राप्त करती है। यह सब मनरेगा में रोजगार सम्बन्धी गारंटी मिलने के कारण ही सम्भव हुआ है।

मनरेगा में महिला श्रमिकों निर्धारित भागीदारी सुनिश्चित होने के कारण पारिवारिक आय में भी वृद्धि सम्भव हुई है। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान 40 (88.89 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि मनरेगा में रोजगार सम्बन्धी गारंटी कानून के कारण उनकी आय निश्चित हुई है जिससे उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार महिला श्रमिकों ने बताया कि मनरेगा के कारण उनकी आय निश्चित होने से उनकी कर्ज पर निर्भरता कम हुई है इस सन्दर्भ में 29 (64.44 प्रतिशत) महिला श्रमिक उत्तरदाताओं ने बताया कि मनरेगा में कार्य करने से पहले उन्हें अपने विभिन्न प्रकार के कार्य सम्पादित करने के लिए समय समय पर विभिन्न स्रोतों से कर्ज लेना पड़ता था परन्तु अब उन्हें इस समस्या से छुटकारा मिला गया है क्योंकि मनरेगा से निश्चित आय प्राप्त हो जाती है।

आरेख : 2



मनरेगा में कार्य करने से महिलाओं पर सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा है कि उनकी पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ी है, 41 (91.11 प्रतिशत)

उत्तरदाताओं का मानना है कि मनरेगा के कारण उनको आर्थिक स्वावलम्बन मिला है जिससे परिवार में उनकी महत्ता बढ़ी है जिसके कारण अब परिवार के हर छोटे बड़े कार्य में उनकी भागीदारी पुरुषों के समान हुई है। इसी प्रकार 35 (77.78 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि मनरेगा से आर्थिक स्वावलम्बन होने सामाजिक कार्यक्रमों में भी महिलाओं की भूमिका में वृद्धि हुई है।

मनरेगा के प्रभावों में महिलाओं में व्यक्तिगत रूप से यह भी देखने में आया है कि उनके आत्म सम्मान में वृद्धि हुई है 29 (64.44 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि मनरेगा में कार्य करने से उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ जिससे कई अन्य प्रभाव भी हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि हुई है। साथ ही 12 (26.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना है कि मनरेगा के कारण उनमें आर्थिक सक्षमता में वृद्धि हुई है जिससे उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ी है। इस प्रकार मनरेगा से न केवल रोजगार प्राप्त हुआ है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं पर अनेकों सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं।

निष्कर्ष - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है तथा इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों के मजदूरी-रोजगार की गारंटी ग्रामीण परिवार को दी जाती है जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार होते हैं। मनरेगा ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के माध्यम से न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है बल्कि उनकी सामाजिक और व्यक्तिगत स्थिति भी मजबूत हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, धर्मराज (2019) भारत निर्माण एवं मनरेगा, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. Dreze, Jean, & Khera, Reetika. (2017). Rural Employment Guarantee Programme in India: Impact and Challenges. Oxford University Press.
3. Ministry of Rural Development, Government of India. (2021). Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) Annual Report 2020-21.
4. Khera, Reetika. (2011). India's Public Works Program: The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) - An Assessment. Economic and Political Weekly, 46(50), 36-44
5. Azam, Mehtabul. (2012). The Impact of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme on Wages, Labor Supply, and Poverty in Rural India. World Bank Working Paper.
6. www.censusindia.gov.in
7. https://nrega.nic.in/stHome.aspx
8. https://nrega.rajasthan.gov.in/

घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन

निशा यादव* डॉ. कल्पना शर्मा**

* शोधार्थी, शासकीय क.रा.क. महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

** विभागाध्यक्ष, जे.सी. मिल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - महिला समाज का प्रतिबिंब है। समाज का स्वरूप और उसकी प्रगति महिलाओं की स्थिति, भूमिका तथा उसके योगदान से परिलक्षित होती है। देश, समाज व परिवार के निर्माण में उनका सक्रिय योगदान है। महिलाओं के बिना राष्ट्र निर्माण का सपना अकल्पनीय है। भारत वर्ष का इतिहास महिलाओं के बलिदान से रचा गया है। आदिकाल से समाज में महिलाओं की स्थिति में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। फिर भी महिलाओं ने हमेशा परिवार व समाज का गौरव बढ़ाया है। प्रलय और निर्माण दोनों ही उसकी गोद में खेलते हैं। मनुस्मृति में लिखा है जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। महिलाओं को यह सममान उनके त्याग, बलिदान, संरक्षण, प्रबंधन व समायोजन के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। प्राचीन काल से समाज में महिलाओं को लक्ष्मी, सरस्वती व दुर्गा के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ है।

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति देखने से ज्ञात होता है कि उस समय महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था थी जिसके संचालन का कार्य मुख्य रूप से महिलाओं की जिम्मेदारी थी। वैदिक युग के पश्चात् ईसापूर्व 600 से 300 ईसा पूर्व में महिलाओं के मान सम्मान में गिरावट देखने को मिलती है। 12वीं सदी से लेकर 1750 ई. तक विदेशी आक्रमण और राजनैतिक उथल पुथल के कारण महिलाओं की स्थिति में और भी गिरावट आई। इस काल में महिलाओं की आजादी छीनकर गृहस्थी को उनकी समस्त गतिविधियों का केन्द्र बना दिया। आधुनिक युग में महिलाएँ धीरे-धीरे महसूस करने लगी हैं कि इंसान के रूप में उनका निजी व्यक्तित्व है तथा उनके जीवन का लक्ष्य मात्र अच्छी पत्नी या समझदार माँ बन जाने से पूर्ण नहीं हो जाता है। बल्कि वे यह मानने लगी हैं कि वे भी नागरिक समुदाय और संगठित का सदस्य हैं। वर्तमान समय में महिलाओं के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन आ रहा है। इस परिवर्तन के कारण महिलाएँ चाहे उच्च वर्ग की हों, मध्यम वर्ग की अथवा निम्न वर्ग की उनके विचारों में क्रांतिकारी बदलाव आने के कारण महिलाएँ आर्थिक तौर पर स्वतंत्र व आत्मनिर्भर हो रही हैं। महिलाएँ घर के साथ-साथ घर के बाहर भी अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। आधुनिक युग में महिलाएँ चाहे घरेलू हों या कामकाजी दोनों ही अपने परिवार का समायोजन भलीभाँति करती हैं। वे अपने बालक बालिकाओं को विभिन्न परिवर्तित परिस्थितियों में समायोजन करना सिखाती हैं। घरेलू महिलाओं तथा कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन में क्या अंतर है जानने की जिज्ञासा रही है। इसलिये मैंने शोध का विषय- 'घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं के

समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन' चुना है।

उद्देश्य - मैंने अपने शोध कार्य हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये हैं:

1. घरेलू महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन का अध्ययन करना।
2. कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन का अध्ययन करना।
3. घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ - मैंने अपने शोध कार्य हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएँ निर्मित की हैं:

1. घरेलू महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।
2. कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।
3. घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के समायोजन में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

शोध प्रविधि - शोध अध्ययन हेतु ग्वालियर शहर की घरेलू महिलाओं के 75 बालक 75 बालिकाएँ कुल 150 तथा कामकाजी महिलाओं के 75 बालक तथा 75 बालिकाएँ कुल 150 का चयन सविचार निदर्शन विधि से किया। इस प्रकार निदर्श का आकार 300 बालक बालिकाएँ हैं। तथ्यों के संकलन के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया है। सांख्यिकीय विश्लेषण के लिये माध्य, मानक विचलन, टी-परीक्षण का उपयोग किया है। परिकल्पनाओं के सत्यापन के उपरांत निष्कर्ष ज्ञात किये हैं।

तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन - संकलित तथ्यों को वर्गीकृत कर तालिका क्रमांक एक से छः तक में प्रदर्शित किया है-

तालिका क्रमांक - 1: घरेलू महिलाओं के बालक एवं बालिकाओं के समायोजन का स्तर

समायोजन स्तर	बालक		बालिकाएँ		योग	
	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
उच्च	16	10.66	32	21.33	48	32.00
मध्यम	21	14.00	22	14.66	43	28.00
निम्न	38	25.33	21	14.00	59	39.33
योग	75	50.0	75	50.00	150	100.0

तालिका क्रमांक - 1 में घरेलू महिलाओं के बालक एवं बालिकाओं के समायोजन स्तर के आंकड़े दर्शाये गये हैं। तालिका प्रदर्शित करती है कि 16(10.66%) बालक तथा 32(21.33%) बालिकाओं कुल 48(32.0%) का समायोजन स्तर उच्च पाया गया है। मध्यम समायोजन स्तर के कुल 43(28.0%) बालक एवं बालिकाएँ पाई गई हैं जिनमें 21(14.0%) बालक तथा 22(14.66%) बालिकाएँ हैं। निम्न समायोजन स्तर के 38(25.33%) बालक तथा 21(14.0%) बालिकाएँ कुल 59(39.33%) बालक बालिका पाये गये हैं।

सम्पूर्ण तालिका प्रदर्शित करती है कि उच्च स्तर के समायोजन में बालिकाओं की संख्या बालकों की तुलना में अधिक है तथा निम्न स्तर के समायोजन में बालकों की संख्या बालिकाओं की तुलना में अधिक है।

तालिका क्रमांक - 2: कामकाजी महिलाओं के बालक एवं बालिकाओं के समायोजन का स्तर

समायोजन स्तर	बालक		बालिकाएँ		योग	
	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
उच्च	18	12.00	45	30.00	63	42.00
मध्यम	22	14.66	19	12.66	41	27.33
निम्न	35	23.33	11	7.33	46	30.66
योग	75	50.0	75	50.00	150	100.0

तालिका क्रमांक - 2 में कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं का समायोजन स्तर प्रदर्शित किया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि 18(12.0%) बालकों तथा 45(30.0%) बालिकाओं का समायोजन स्तर उच्च है। मध्यम स्तर के समायोजन करने वाले बालक 22(14.66%) तथा बालिकाएँ 19(12.66%) हैं जबकि 35(23.33%) बालक व 11(7.33%) बालिकाओं का समायोजन स्तर निम्न पाया गया है।

तालिका दर्शाती है कि 63(42.0%) बालक बालिकाओं का समायोजन स्तर उच्च, 41(27.33%) का मध्यम एवं 46(30.66%) का निम्न पाया गया है। कामकाजी महिलाओं के बालक एवं बालिकाओं का समायोजन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करने पर उच्च स्तर के समायोजन में बालिकाओं की संख्या बालकों की तुलना में अधिक पाई गई है जबकि निम्न स्तर के समायोजन में बालकों की संख्या बालिकाओं की तुलना में अधिक पाई गई है।

तालिका क्रमांक - 3: घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के बालक एवं बालिकाओं के समायोजन का स्तर

समायोजन का स्तर	घरेलू महिलाएँ		कामकाजी महिलाएँ		योग	
	सं.	प्र.	सं.	प्र.		
उच्च	48	15.99	63	21.00	111	37.00
मध्यम	43	14.33	41	13.66	84	28.00
निम्न	59	19.66	46	15.32	105	35.00
योग	150	50.0	150	50.0	300	100.0

तालिका क्रमांक - 3 में घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन स्तर के आंकड़े प्रदर्शित किये गये हैं। तालिका दर्शाती है कि घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं में उच्च स्तर के बालक बालिकाओं की संख्या 111(37.0%) मध्यम स्तर की 84(28.0%) तथा निम्न स्तर की 105(35.0%) पाई गई है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर उच्च स्तर के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं

के बालक बालिका 63(21.0%) पाये गये हैं। जो कि 48(15.99%) की तुलना में अधिक है। मध्यम एवं निम्न स्तर में घरेलू महिलाओं के बालक बालिकाएँ क्रमशः 43(14.33%) व 59(19.66%) पाई गई है। जो कि कामकाजी के बालक बालिकाओं की क्रमशः संख्या 41(13.66%) व 46(15.32%) की तुलना में अधिक है।

तालिका क्रमांक - 4: घरेलू महिलाओं के बालक एवं बालिकाओं के समायोजन स्तर के अंतर की सार्थकता हेतु टी-परीक्षण तालिका

लिंग	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्र्यांश	टी-परीक्षण का मूल्य	सार्थकता स्तर
बालक (N=75)	1.71	0.80	298	-3.30	p<0.05
बालिकाएँ (N=75)	2.15	0.83			

*0.05 तर पर सार्थक

तालिका क्रमांक 4 में घरेलू महिलाओं के बालक एवं बालिकाओं के समायोजन स्तर के माध्य, मानक विचलन एवं टी-परीक्षण का मूल्य प्रदर्शित किया गया है। तालिका दर्शाती है कि बालकों के समायोजन स्तर का मध्यमान 1.71 है तथा बालिकाओं के समायोजन स्तर का मध्यमान 2.15 है। तालिका दर्शाती है कि टी-परीक्षण का परिगणित मूल्य 3.30 है जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक है। अतः मूल्य परिकल्पना- 'घरेलू महिलाओं के बालक एवं बालिकाओं के समायोजन में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा' अस्वीकृत होती है। बालक एवं बालिकाओं के समायोजन में सार्थक अंतर पाया गया। बालिकाओं का समायोजन बालकों के समायोजन की तुलना में उच्च पाया गया क्योंकि बालिकाओं के समायोजन स्तर का मध्यमान बालकों के मध्यमान की तुलना में अत्यधिक है।

तालिका क्रमांक - 5: कामकाजी महिलाओं के बालक एवं बालिकाओं के समायोजन स्तर के अंतर की सार्थकता हेतु टी-परीक्षण तालिका

लिंग	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्र्यांश	टी-परीक्षण का मूल्य	सार्थकता स्तर
बालक (N=75)	1.77	0.81	298	5.35	p<0.05
बालिकाएँ (N=75)	2.45	0.74			

*0.05 तर पर सार्थक

तालिका क्रमांक - 5 में कामकाजी महिलाओं के बालक एवं बालिकाओं के समायोजन स्तर के मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-परीक्षण परीक्षण का मूल्य प्रदर्शित किया गया है। तालिका दर्शाती है कि बालकों के समायोजन स्तर का मध्यमान 1.77 है तथा बालिकाओं के समायोजन स्तर का माध्यम 2.45 है। तालिका दर्शाती है कि टी-परीक्षण का परिगणित मूल्य 5.35 है। जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना- 'कामकाजी महिलाओं के बालक एवं बालिकाओं के समायोजन में सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा' अस्वीकृत होती है। बालक एवं बालिकाओं के समायोजन में सार्थक अंतर पाया गया। बालिकाओं का समायोजन बालकों के समायोजन की तुलना में उच्च पाया गया। क्योंकि बालिकाओं के समायोजन स्तर का मध्यमान बालकों के मध्यमान की तुलना में अत्यधिक है।

तालिका क्रमांक - 6: घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन स्तर के अंतर की सार्थकता हेतु टी-परीक्षण तालिका

महिलाएँ	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्र्यांश	टी-परीक्षण का मूल्य	सार्थकता स्तर
घरेलू (N=150)	1.93	0.84	298	1.91	p<0.05
कामकाजी (N=150)	2.11	0.85			

*0.05 तर पर सार्थक

तालिका क्रमांक-6 में घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन स्तर के मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-परीक्षण परीक्षण का मूल्य प्रदर्शित किया गया है। तालिका दर्शाती है कि घरेलू महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन स्तर का मध्यमान 1.93 है तथा कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन स्तर का माध्यम 2.11 है। तालिका दर्शाती है कि टी-परीक्षण का परिगणित मूल्य 1.91 है। जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना- 'घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन में सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा' अस्वीकृत होती है। घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन में सार्थक का अंतर पाया गया। कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं का समायोजन घरेलू महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन की तुलना में उच्च पाया गया क्योंकि कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन स्तर का मध्यमान घरेलू महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन स्तर के मध्यमान के बालक की तुलना में अत्यधिक है।

परिणाम - शोध अध्ययन के निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुये हैं-

1. घरेलू महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन में उच्च स्तर के समायोजन करने वाली बालिकाओं की संख्या अधिक पाई गई तथा निम्न स्तर के समायोजन करने वाले बालकों की संख्या अधिक पाई गई।
2. कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन में उच्च

स्तर का समायोजन करने वाली बालिकाओं की संख्या अधिक पाई गई तथा निम्न स्तर का समायोजन करने वाले बालकों की संख्या अधिक पाई गई।

3. घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन स्तर की तुलना करने पर कामकाजी महिलाओं की बालिकाओं की सर्वाधिक संख्या उच्च स्तर के समायोजन करने वालों की पाई गई। घरेलू महिलाओं के बालकों की सर्वाधिक संख्या निम्न स्तर के समायोजन के अंतर्गत पाई गई।
4. घरेलू महिलाओं की बालिकाओं के समायोजन में सार्थक अंतर पाया गया। बालिकाओं का समायोजन स्तर बालकों की तुलना में उच्च पाया गया।
5. कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन में सार्थक अंतर पाया गया। बालिकाओं का समायोजन बालकों की तुलना में उच्च पाया गया।
6. घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं के समायोजन स्तर में सार्थक अंतर पाया गया। कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाओं का समायोजन घरेलू महिलाओं के बालक बालिकाओं की तुलना में उच्च पाया गया।

निष्कर्ष- बालिकाओं का समायोजन बालकों की तुलना में उच्च स्तर का होता है तथा कामकाजी महिलाओं के बालक बालिकाएँ घरेलू महिलाओं के बालक बालिकाओं की तुलना में उच्च स्तर का समायोजन करती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. बर्मन, गायत्री 'किशोरावस्था' शिवा प्रकाशन, इन्दौर।
2. कुप्पूस्वामी, बी. 'बाल व्रुवहार और विकास' विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि., कानपुर।
3. भटनागर, सुरेश 'बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान' इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
4. सलूजा तथा सलूजा 'कामाकजी महिलाएँ' पुस्तक महल, दिल्ली।
5. वर्मा प्रीति तथा श्रीवास्तव डी.एन. 'बाल मनोविज्ञान बाल विकास' विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
